लोगों के जीवन को रौशन करके

नए भारत के ऊर्जावान भविष्य के लिए वित्तपोषण

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

गौरवमयी अतीत-उज्ज्वल भविष्य
वर्ष और इससे आगे...

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

मिशन एवं विजन तथा उद्देश्य

मिशन एवं विजन

1. ग्रामीण एवं शहरी आबादी के जीवन स्तर को उन्नत एवं बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली की उपलब्धता को सुगम बनाना।

2. देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण नेटवर्क सहित परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं प्रोत्साहन के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक, ग्राहक–अनुकूल और विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

मिशन को आगे बढ़ाने के क्रम में, निगम द्वारा जिन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है, वे निम्नलिखित हैं:

1. समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर–पारंपरिक स्रोतों के प्रोत्साहन, ऊर्जा संरक्षण, उन्नयन एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर जोर के साथ विद्युत वितरण पर केंद्रित परियोजनाओं का प्रोत्साहन एवं इनका वित्तपोषण तथा भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का क्रियान्वयन।

2. दुर्गम, पर्वतीय, रेगिस्तानी, जन–जातीय, तटवर्ती और अन्य असुगम/सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन से संबंधित परियोजनाओं का वित्तपोशण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग, परामर्शी सेवाएं, पारेशण, उप–पारेशण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण जैसे अन्य क्षेत्रों और गतिविधियों का विस्तार करना और इनमें विविधता लाना।

3. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य विद्युत बोर्डों, विद्युत यूटिलिटियों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं के लिए ऋण स्वीकृत करना।

4. निगमित लक्ष्यों को पूरा करते हुए निगम के प्रचालनों के लिए आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिफल की अधिकाधिक दर की प्राप्ति अर्थात (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाओं का विकास; (ii) बिजली के लोड का विकास; (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तीव्र गति से सामाजिक–आर्थिक विकास; और (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन।

5. प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास एवं भरोसे के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना।

6. आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं षहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करना।

विषय सूची

1.	कंपनी के बारे में सूचना	2
2.	निदेशक मण्डल	3
3.	वरिष्ठ प्रबंधन दल	4
4.	कार्य–निष्पादन संबंधी मुख्य तथ्य	5
5.	अध्यक्ष का संदेश	7
6.	एजीएम की सूचना	13
7.	निदेशकों का परिचय	26
8.	निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	28
9.	प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	60
10.	निगमित सुशासन पर रिपोर्ट	70
11.	कारोबार दायित्व रिपोर्ट	102
12.	एकीकृत रिपोर्ट	115
13.	सचिवालयीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	118
14.	निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	121
15.	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	122
16.	डिबेंचर न्यासियों के विवरण	139
17.	तुलन पत्र	143
18.	लाभ एवं हानि का विवरण	144
19.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	145
20.	नकदी प्रवाह विवरण	146
21.	लेखा संबंधी टिप्पणियां	149
22.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	239
23.	गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	250
24.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	251
25.	समेकित वित्तीय विवरण	252
26.	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	359
27.	समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	367
28.	आरईसी के कार्यालयों के पते	368

कंपनी के बारे में सूचना

निदेशक मण्डल	**श्री संजीव कुमार गुप्ता** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)	**श्री अजय चौधरी** निदेशक (वित्त)
	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण सरकार द्वारा नामित निदेशक	**श्री प्रवीण कुमार सिंह** नामित निदेशक पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
मुख्य सतर्कता अधिकारी	डॉ. सुनीता सिंह	
कंपनी सचिव	श्री जे.एस. अमिताभ	
पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय	कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, भारत दूरभाषः +91–11–4309 1500 / 1501, फैक्सः +91–11–2436 0644 ईमेलः contactus@recl.in वेबसाइटः www.recindia.nic.in	
कारपोरेट पहचान संख्या	L40101DL1969GOI005095	
जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बीएसई लिमिटेड	
डिपॉजिटरी	नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड	
सांविधिक लेखापरीक्षक	एस. के. मित्तल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार	
सचिवीय लेखापरीक्षक	चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स, कंपनी सचिव	
आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	

आरईसीटीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां

दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज –I लिमिटेड
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज –II लिमिटेड

बैंकर्स

ऐक्सिस बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक	आईडीबीआई बैंक इंड्सइंड बैंक भारतीय रिजर्व बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	यूनियन बैंक यस बैंक

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (इक्विटी शेयर/सूचीबद्ध बॉण्ड्स के लिए)

नामः	**केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड** *(पूर्व में कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड)*		**बीटल फाइनेंशियल एवं कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड**
पताः	सेलिनियम टॉवर–बी, प्लॉट 31 और 32, गाचीबॉवली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032		बीटल हाऊस, तीसरा तल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे दादा हरसुखदास मंदिर के सामने, नई दिल्ली –110062
	इक्विटी शेयर	**सूचीबद्ध बॉण्ड्स**	**सूचीबद्ध बॉण्ड्स**
संपर्कः	+91-40-6716 2222	+91-40-6716 1659	+91-11-2996 1281-83
फैक्सः	+91-40-2300 1153	+91-40-2300 1153	+91-11-2996 1284
ई–मेलः	einward.ris@kfintech.com	gopalakrishna.kvs@kfintech.com	recbonds1@gmail.com
वेबसाइटः	www.kfintech.com		www.beetalfinancial.com

सोशल मीडिया पर आरईसी की उपस्थिति @reclindia REC Limited

निदेशक मण्डल

श्री संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सह निदेशक (तकनीकी)

श्री अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)

श्री मृत्युंजय कुमार नारायण
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री प्रवीण कुमार सिंह
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
के नामित निदेशक

वरिष्ठ प्रबंधन दल

डॉ. सुनीता सिंह
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती कल्पना कौल
कार्यकारी निदेशक –
मा. सं. और सी सी

श्री टी.एस.सी. बोष
कार्यकारी निदेशक –
स्टेट ऑपरेशंस और
सीईओ, आरईसीपीटीसीएल

श्री जी.एस. भाटी
कार्यकारी निदेशक –
कार्यक्रम प्रबंधन I

सुश्री देबजानी चक्रवर्ती
कार्यकारी निदेशक

श्री वी. के. सिंह
कार्यकारी निदेशक –
निजी क्षेत्र परियोजना प्रबंधन एवं
नवीकरणीय ऊर्जा

श्री आर. लक्ष्मणन
कार्यकारी निदेशक –
कार्यक्रम प्रबंधन (कोऑर्डिनेशन)
और सीईओ, आरईसीपीडीसीएल

श्री जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक
एवं कंपनी सचिव

श्री फुजैल अहमद
कार्यकारी निदेशक –
कार्यक्रम प्रबंधन II

श्री संजय कुमार
कार्यकारी निदेशक – वित्त
रिसोर्स और ट्रेजरी

श्री एस.एल बत्ता
कार्यकारी निदेशक – विधि

श्री आर. पी. वैष्णव
कार्यकारी निदेशक – वित्त
ऋण एवं इस्टैब्लिशमेंट

कार्य निष्पादन संबंधी मुख्य तथ्य

संस्वीकृति एवं संवितरण

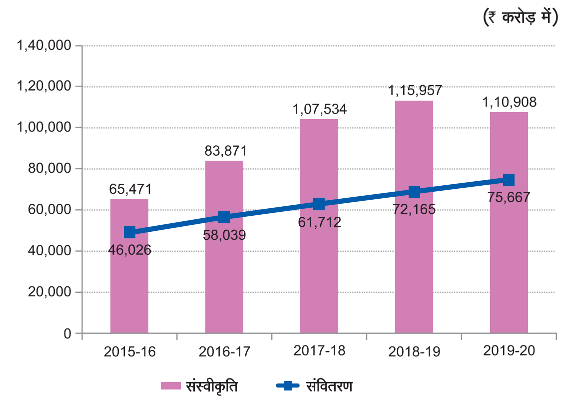

ऋण बही

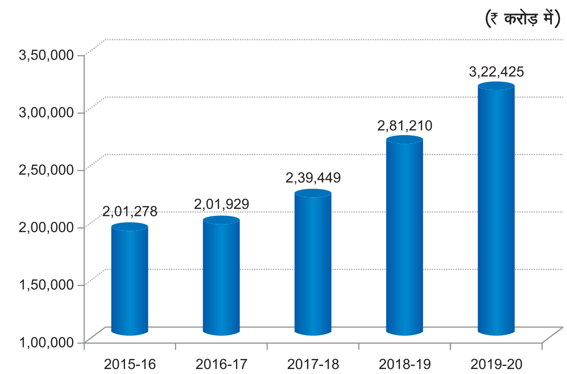

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान क्षेत्रक-वार संवितरण का प्रतिशत

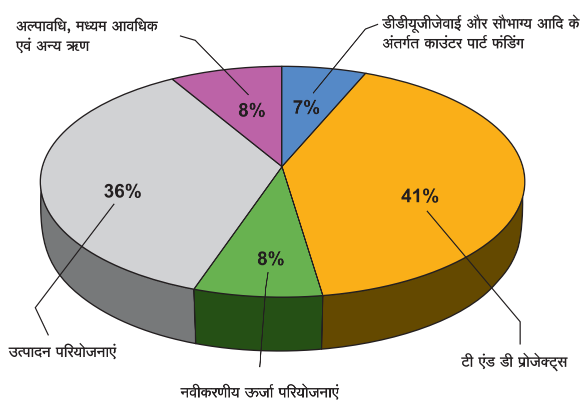

कुल आय और निवल मूल्य

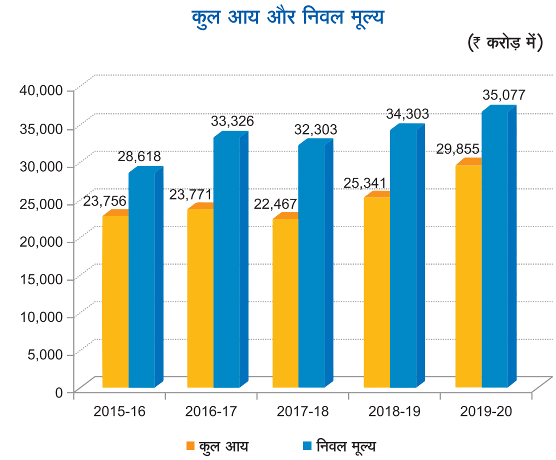

ईपीएस बनाम लाभांश (₹)

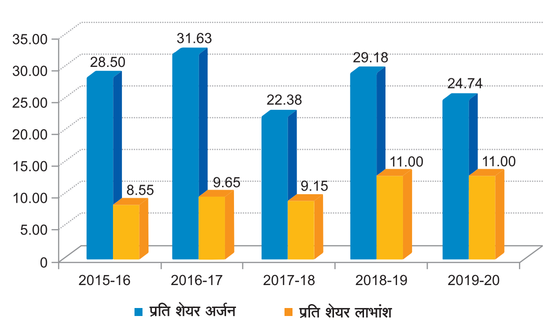

प्रति शेयर बुक वैल्यू (₹)

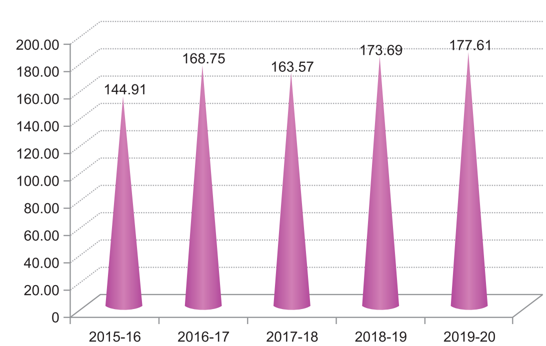

कार्य–निष्पादन संबंधी प्रमुख तथ्य

पिछले 10 वर्षों से निरंतर संवृद्धि

विवरण	2019–20 (इंड एएस के अनुसार)	2018–19 (इंड एएस के अनुसार)	2017–18 (इंड एएस के अनुसार)	2016–17	2015–16	2014–15	2013–14	2012–13	2011–12	2010–11
शेयरधारकों की निधि										
(वर्ष के अंत में) (₹ करोड़ में)										
इक्विटी शेयर पूंजी	**1,974.92**	1,974.92	1,974.92	1,974.92	987.46	987.46	987.46	987.46	987.46	987.46
अन्य इक्विटी/आरक्षित एवं अधिशेष	**33,101.64**	32,328.02	30,328.23	31,350.67	27,630.30	23,869.57	19,682.00	16,466.92	13,575.58	11,801.16
निवल संपत्ति	**35,076.56**	34,302.94	32,303.15	33,325.59	28,617.76	24,857.03	20,669.46	17,454.38	14,563.04	12,788.62
उधारियां (₹ करोड़ में)										
भारत सरकार से/एनएसएसएफ	**10,000.00**	5,000.00	-	-	-	3.07	7.93	15.14	24.64	36.13
बॉण्ड/डिबेंचर	**1,88,538.25**	1,71,803.83	1,65,334.89	1,45,686.84	1,39,732.73	1,24,683.85	1,02,806.71	85,249.04	71,372.20	51,208.53
वित्तीय संस्थाओं से	**1,000.00**	1,200.00	400.00	750.00	1,100.00	1,450.00	2,995.00	4,020.00	4,370.00	4,720.00
विदेशी मुद्रा उधारियां	**44,378.49**	31,368.12	27,530.08	21,080.55	21,923.72	24,028.20	17,621.15	15,238.19	10,698.09	7,605.90
बैंकों से आवधिक ऋण	**18,899.78**	18,550.00	-	-	-	125.00	269.40	788.80	1,091.54	6,469.14
वाणिज्यिक पेपर	**2,925.00**	7,975.00	3,250.00	-	5,600.00	-	2,540.00	980.00	-	-
अल्पावधि/मांग ऋण/अन्य	**14,374.33**	3,389.50	2,276.54	-	749.93	734.00	-	1,500.00	2,500.00	-
जोड़	**2,80,115.85**	2,39,286.45	1,98,791.51	1,67,517.39	1,69,106.38	1,51,024.12	1,26,240.19	1,07,791.17	90,056.47	70,039.70
निधि जुटाना	**84,358.12**	69,383.22	51,164.89	28,495.18	31,254.92	41,189.82	36,934.37	30,759.16	29,709.36	25,855.35
वित्तीय प्रचालन (वर्ष के दौरान) (₹ करोड़ में)										
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**727**	914	895	997	625	609	1,035	1,031	1,091	658
स्वीकृत वित्तीय सहायता	**1,10,907.99**	1,15,957.35	1,07,534.05	83,870.82	65,471.10	61,421.37	70,739.48	79,470.49	51,296.77	66,419.98
संवितरण*	**82,140.83**	91,827.56	72,281.19	66,076.15	50,630.81	46,446.82	37,969.99	40,183.06	30,593.30	28,517.11
उधारकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान	**34,454.15**	30,405.09	24,191.82	57,388.24	24,394.48	11,812.63	14,260.45	13,345.92	8,119.69	8,772.58
वर्ष के अंत में बकाया	**3,22,424.68**	2,81,209.68	2,39,449.34	2,01,928.68	2,01,278.29	1,79,646.94	1,48,641.10	1,27,355.52	1,01,426.26	81,725.45
उपलब्धियां (संख्या में)										
अ–विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण										
वर्ष के दौरान	**-**	1,515	3,736	6,015	7,108	1,405	1,197	2,587	7,934	18,306
वर्ष के अंत तक	**1,27,410**	1,27,410	1,25,895	1,22,159	1,16,144	1,09,524	1,08,280	1,07,083	1,04,496	96,562
बीपीएल आवासों और बीपीएल से भिन्न को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन जारी करना										
वर्ष के दौरान	**-**	2,22,39,037	50,41,996	22,42,763	14,39,144	7,59,377	9,61,730	12,96,541	34,44,902	58,83,355
वर्ष के अंत तक	**5,27,49,233**	5,27,49,233	3,05,10,196	2,54,68,200	2,32,25,437	2,18,33,995	2,16,83,554	2,07,21,824	1,94,25,283	1,59,80,381
कार्यकरण परिणाम (₹ करोड़ में)										
कुल आय	**29,854.98**	25,341.16	22,467.35	23,770.58	23,756.28	20,388.05	17,120.80	13,598.67	10,509.07	8,495.26
निवल विनिमय हानि. प्रशुल्क एवं कमीशन खर्चों सहित वित्तीय लागत	**21,380.39**	16,197.11	13,381.06	13,450.35	14,283.12	11,844.61	10,038.46	8,083.76	6,431.35	4,851.01
प्रावधान और आकस्मिकताएं/वित्तीय लिखतों पर इम्पेयरमेंट	**889.56**	240.33	2,297.12	1,109.47	1,089.85	802.96	312.02	130.68	52.27	0.22
उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि	**25.85**	348.52	573.37	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यय	**565.89**	447.53	326.00	345.02	332.65	306.68	234.99	216.53	229.32	164.72
मूल्यहास	**10.00**	7.17	5.65	5.04	5.45	6.76	4.21	3.75	3.27	3.03
कर–पूर्व लाभ	**6,983.29**	8,100.50	5,884.15	8,860.70	8,045.21	7,427.04	6,531.12	5,163.95	3,792.86	3,476.28
कराधान/कर संबंधी खर्चों हेतु प्रावधान	**2,097.13**	2,336.78	1,464.26	2,614.94	2,417.55	2,167.17	1,847.42	1,346.33	975.83	906.35
कर–पश्चात लाभ	**4,886.16**	5,763.72	4,419.89	6,245.76	5,627.66	5,259.87	4,683.70	3,817.62	2,817.03	2,569.93
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	**(549.79)**	(60.54)	4.24	-	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	**4,336.37**	5,703.18	4,424.13	-	-	-	-	-	-	-
इक्विटी पर लाभांश	**2,172.41**	2,172.41	1,807.05	1,905.80	1,688.55	1,056.58	938.09	814.65	740.59	740.59

**इसमें सरकारी योजनाओं के तहत ऋणों के वितरण के साथ ही अनुदान/सब्सिडी शामिल है*

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपनी कंपनी की 51वीं वार्षिक रिपोर्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। कोविड–19 महामारी का संकट अभी भी हम सबके समक्ष मौजूद है, यह हमारे कारोबार और अर्थव्यवस्था के लिए कठिन समय है। तथापि, इस महामारी के चलते हम पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उससे हमें जीवनयापन करने और कारोबार करने की नई दिशा मिली है। इस चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद, आरईसी देश के एक प्रमुख वित्तीय और विकासपरक संस्थान के रूप में कार्यरत है, और इसके द्वारा वर्तमान जोखिमों का सतर्कतापूर्वक प्रबंधन करते हुए हर क्षेत्र में कुशल कार्यनिष्पादन किया जा रहा है। कंपनी ने महामारी के दौरान पीएम केयर्स फंड में योगदान के अलावा, प्रवासी कामगारों के लिए भोजन और आश्रय का प्रबंधन तथा लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया है और अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए चिकित्सा उपकरण एवं सामग्री प्रदान करके अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

विगत दो वर्षों से वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति में गिरावट आती जा रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जो वर्ष 2017 में 4 प्रतिशत बढ़ी थी, वह 2018 में 3.6 प्रतिशत और वर्ष 2019 में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नीचे आ गई। वर्ष 2020 की शुरूआत में कोविड–19 महामारी के चलते, एक के बाद एक कई देश भारी मानव श्रम और जन स्वास्थ्य के संकट से प्रभावित हुए हैं। इस दौरान, आर्थिक गतिविधियों पर अप्रत्याशित स्तर तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चीन में भी उत्पादन क्रियाकलापों में भारी गिरावट देखी गई जिसे महामारी का केंद्र माना गया। इन सबका वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, निर्माण क्रियाकलापों और सीमा पार व्यापार में दीर्घकालिक रुकावट आई। इसी प्रकार, संपत्ति की कीमतों, वस्तुओं की कीमतों और इक्विटी बाजार में भी तेजी से गिरावट आई है। तेल की कीमतों में कमी आने से कुछ राहत मिली है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अनिश्चितता बनी हुई है।

विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों की सरकारें, बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों और कामगारों की सहायता करने के साथ–साथ अस्थिर बाजार को राजकोषीय सहायता देने में जुट गए। व्यापक वित्तीय प्रोत्साहनों के कारण आगे कारोबारी परिवेश में और अधिक गिरावट तथा एक बड़ी मंदी को रोका गया।

भारत भी महामारी से प्रभावित हुआ था, लेकिन सरकार द्वारा शीघ्रता से सख्त कदम उठाए जाने के कारण इसके बुरे प्रभाव को सही तरीके से रोका जा सका। भारतीय अर्थव्यवस्था की हाल के दशकों में मजबूत स्थिति थी, लेकिन चूंकि अंतिम तिमाही में कोविड–19 और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते बुरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस महामारी के चलते चुनौतियां जारी रहने के कारण, आईएमएफ ने वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान लगाया है। तथापि, अगले वर्ष में अर्थव्यवस्था में पुनः वृद्धि होने की संभावना है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए हमें आत्मनिर्भर भारत का विजन दिया है। इस महामारी के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए, नीतियां बनाने के साथ–साथ भारी वित्तीय पैकेज प्रदान किया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 15 वर्ष की सबसे कम 4 प्रतिशत कटौती और रिवर्स रेपो रेट में 3.35 प्रतिशत की कटौती की है, इसके अलावा, बैंकों, एनबीएफसी और आवासीय वित्त कंपनियों को ईएमआई रोकने और छः माह तक मोरेटोरियम अवधि बढ़ाने की अनुमति दी है।

कोविड–19 के चलते 'सोशल डिस्टेंसिंग' और 'वर्क फ्रॉम होम' के नए मानक लाए गए, जिसमें हमारी वर्तमान और भावी सोसायटियों को बिजली प्रदान करने पर अधिक बल दिया गया। यह कहा जाता है कि, विद्युत क्षेत्र महामारी के प्रतिकूल प्रभावों और आर्थिक क्रियाकलापों में कमी से बच नहीं सकता। समय बीतने के साथ दीर्घावधिक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देंगे। कुल मिलाकर, बिजली की मांग को बनाए रखने और बेहतर ऊर्जा प्रणालियों के रख–रखाव के लिए आर्थिक विकास को बरकरार रखनी जरूरी है। आने वाले वर्षों में, हम स्मार्ट ग्रिड, भूस्थानिक

डाटा प्रणाली तथा व्यापक ई–मोबिलिटी जैसी नई प्रौद्योगिकियों के रूप में भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली के उत्पादन में वृद्धि देखेंगे, जो हमारी आज की ऊर्जा संबंधी योजना के निर्माण का आधार बनेगा।

विद्युत क्षेत्र का परिदृश्य

विद्युत आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आती है इसलिए देश में विद्युत क्षेत्र को कोविड–19 के कारण बहुत कम बाधा का सामना करना पड़ा। तथापि, विद्युत की मांग में वाणिज्यिक और औद्योगिक क्रियाकलापों में गिरावट के चलते काफी गिरावट आई है। विद्युत वितरण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, जिसमें राजस्व की वसूली प्रभावित होने से भागीदारों की वित्तीय और लिक्विडिटी संबंधी स्थिति प्रभावित हुई। जैसे–जैसे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, मांग में भी सुधार आना शुरू हो गया। इसके अलावा, सरकार ने अचानक सामने आई नकदी की समस्या से राहत प्रदान करने के लिए विद्युत क्षेत्र को लिक्विडिटी प्रदान करने की घोषणा भी की।

भारत विश्व में विद्युत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार इसकी कुल संस्थापित विद्युत क्षमता 370 गीगावाट है। भारतीय विद्युत क्षेत्र एक ओर तो कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, जल विद्युत और नवीकरणीय विद्युत जैसे पारंपरिक स्रोतों और दूसरी ओर सौर विद्युत, पवन विद्युत और कृषि व घरेलू कचरे जैसे नवीकरणीय स्रोतों के साथ अत्यधिक विविधीकृत है। उत्पादन मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा, सरकार उजाला, एसएलएनपी, राष्ट्रीय ई–मोबिलिटी कार्यक्रम और सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग प्रोग्राम इत्यादि जैसे नवोन्मेषी कार्यक्रमों के जरिए विभिन्न ऊर्जादक्षता के उपाय कर रही है, जिनसे बिजली की बचत और पर्यावरणीय संधारणीयता, दोनों प्रयोजन पूरे होंगे।

सरकार द्वारा 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' प्रदान करने पर बल दिए जाने से देश के क्षमता संवर्धन में तेजी आई है। देश में करीब 750 मिलियन लोगों को वर्ष 2000 से 2019 के बीच बिजली सुलभ कराई गई है, जो सशक्त और प्रभावी नीति कार्यान्वयन को दर्शाता है। एक कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनने पर अत्यधिक बल दिया गया है। भारत के पास नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करने की भारी संभावना है। इसके अलावा, स्मार्ट शहरों का विकास और ऊर्जा बचत व भंडारण उपकरणों के आने से ये निवेश आकर्षण के नए स्रोत बन गए हैं।

प्रचालनात्मक निष्पादन

आरईसी विद्युत उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा, दोनों) पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण की परियोजनाओं/योजनाओं और सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों, दोनों में विद्युत परियोजनाओं के साथ फॉरवर्ड/बैकवर्ड लिंकेज वाले क्रियाकलापों के वित्तपोषण में लगा हुआ है। इसके प्रमुख क्रियाकलापों में समग्र विद्युत क्षेत्र के वैल्यू चेन के लिए दीर्घावधिक, मध्यावधिक और अल्पावधिक ऋण इत्यादि शामिल हैं।

इसके अलावा, आरईसी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और एनईएफ आदि के लिए नोडल एजेंसी अथवा परियोजना प्रबंधन/कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने विद्युत क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओंध्योजनाओं के निमित्त 1,10,907.99 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता स्वीकृत की है। इसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 55,811.89 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 7,026.33 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 41,604.77 करोड़ रुपये और अल्पावधि, मध्यावधि तथा अन्य ऋणों के लिए 6,465.00 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने कुल 75,666.95 करोड़ रुपये की ऋण राशि संवितरित की है। इसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए 27,490.87 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 5,699.09 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 30,856.19 करोड़ रुपये, अल्पावधिक, मध्यावधिक और अन्य ऋणों के लिए 6,390.00 करोड़ रुपये तथा डीडीजी (विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन) सहित डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के तहत काउंटर पार्ट फंडिग के लिए 5,230.80 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई, डीडीयूजीजेवाई–डीडीजी और सौभाग्य योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई 6,473.88 करोड़ रुपये की अनुदान/सब्सिडी भी वितरित की गयी थी।

वित्तीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आरईसी की कुल प्रचालन आय विगत वित्तीय वर्ष के दौरान 25,309.72 करोड़ रुपये की तुलना में 29,791.06 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कर पश्चात लाभ तथा कुल व्यापक आय विगत वित्तीय वर्ष में क्रमशः 5,763.72 करोड़ रुपये और 5,703.18 करोड़ रुपये की तुलना में 4,886.16 करोड़ रुपये तथा 4,336.37 करोड़ रुपये थी।

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आरईसी की सकल ऋण परिसंपत्ति बुक विगत वित्तीय वर्ष में 2,81,209.68 करोड़ रुपये की तुलना में 3,22,424.68 करोड़ रुपये थी। कंपनी की निवल आय दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 35,076.56 करोड़ रुपये अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार निवल आय 34,302.94 करोड़ रुपये की तुलना में 2.26 प्रतिशत अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जुटाई गई उधारी और दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार बकाया उधारी के लिए समग्र भारित औसत वार्षिकीकृत ब्याज दर, अन्य वित्तीय प्रभारों को छोड़कर, क्रमशः 6.70 प्रतिशत और 7.32 प्रतिशत थी। परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी

प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण वित्तपोषण प्रदान करने में समर्थ थी। आरईसी की घरेलू ऋण लिखत को निरंतर "एएए" रेटिंग प्राप्त हुई, जो क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च और आईसीआरए द्वारा प्रदान की गई सबसे अधिक रेटिंग थी। आरईसी को इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे कि मूडीज और फिच से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी–" रेटिंग भी प्राप्त हुई हैं, जो सोवरन रेटिंग के समान है।

आरईसी की क्रेडिट हानि परिसंपत्तियां (स्टेज–III) निरंतर निचले स्तर पर रहीं। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, सकल क्रेडिट हानि परिसंपत्तियां (स्टेज–III) 21,255.55 करोड़ रुपये थीं, जो सकल ऋण परिसंपत्तियों का 6.59 प्रतिशत थीं, और निवल क्रेडिट हानि परिसंपत्तियां (स्टेज–III) 10,703.42 करोड़ रुपये अर्थात ऋण परिसंपत्तियों का 3.32 प्रतिशत थीं।

लाभांश

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रति 10 रुपये के प्रति इक्विटी शेयर पर 11 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया है जिसका भुगतान फरवरी, 2020 में किया गया था। बोर्ड ने वर्ष के लिए किसी वित्तीय लाभांश की सिफारिश नहीं की है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल लाभांश 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर पर 11 रुपए आता है जो पिछले वित्तीय वर्ष में दिए गए प्रति 10 रुपए के इक्विटी शेयर पर 11 रुपये के लाभांश के अनुसार, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 110 प्रतिशत दर्शाता है।

पूंजीगत संरचना

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रति 10 रुपये के 500,00,00,000 इक्विटी शेयरों को मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए थी और कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी प्रति 10 रुपए के 197,49,18,000 इक्विटी शेयरों को मिलाकर 1,974.92 करोड़ रुपए थी। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति और एक सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) के बीच दिनांक 20 मार्च, 2019 को हुए शेयर खरीद करार के अनुसार पीएफसी के पास आरईसी का 52.63 प्रतिशत इक्विटी स्टेक है।

महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम

आरईसी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के ऐसे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार लाने के अलावा, देश में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए गहन योगदान दे रहे हैं।

आरईसी दिसंबर, 2014 में शुरू की गई विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अर्थात डीडीयूजीजेवाई के लिए नोडल एजेंसी है, जिसमें परिभाषित परियोजना घटकों के जरिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए 24X7 विद्युत' की उपलब्धि को हासिल करने के लिए, ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, भारत में जनगणना के अनुसार बसावट वाले शेष गांवों को 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत कर दिया गया है।

विद्युत मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में शुरू की गई सौभाग्य योजना अर्थात प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के प्रचालनीकरण के लिए भी आरईसी को नोडल एजेंसी नामित किया है। राज्यों और विद्युत वितरण कंपनियों के सघन प्रयासों से 11 अक्तूबर, 2017 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 2.63 करोड़ घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके अलावा, सात राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के अनुरोध पर, विद्युत मंत्रालय ने ऐसे 19.09 लाख अतिरिक्त गैर–विद्युतीकृत घरों का विद्युतकरण करने के लिए समय बढ़ाने का अनुमोदन दिया था, जो पहले विद्युतीकरण के इच्छुक नहीं थे और अब उन्होंने मार्च, 2019 से पहले अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इनमें से, राज्यों/डिस्कॉमों ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 13.92 लाख घरों को कनेक्शन जारी किए हैं।

भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के तहत, आरईसी ने उत्पादकों को भुगतान करने के लिए डिस्कॉमों को विशेष दीर्घावधिक ट्रांजिशन ऋण वितरित किए हैं क्योंकि वे इस महामारी के चलते नकदी की गहन समस्या का सामना कर रहे थे। इन ऋणों ने लिक्विडिटी के जरिए विद्युत क्षेत्र को अपेक्षित राहत प्रदान की है।

आरईसी द्वारा देश में विद्युत डिस्कॉमों की वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में शुरू की गई उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना अर्थात उदय योजना के कार्यान्वयन के लिए भी विद्युत मंत्रालय को सहयोग दिया जा है। आरईसी ने डिस्कॉमों के कार्य निष्पादन की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक वेब पोर्टल और एक ऑनलाइन ऐप विकसित किया है, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता और जवाबदेही आई है।

नीतिगत पहलें

आरईसी गतिशील कारोबारी वातावरण की मांग और बदलती सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने नीति फ्रेमवर्क की नियमित रूप से समीक्षा और संशोधन करती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी ने अपनी 'निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके सन्निकट संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग करने के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए तथा उचित प्रकटीकरण के लिए संहिता', 'महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति', 'महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेन–देन और संबंधित पक्षकार से लेन–देन करने के संबंध में नीति' तथा 'धोखाधड़ी को रोकने के लिए नीति' में संशोधन किया है। कंपनी ने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए भी एक नीति अपनाई है; और राज्य विद्युत

यूटिलिटी को कार्यशील पूंजी ऋण के लिए अतिरिक्त दिशा–निर्देश जारी किए हैं। नीतियों की नियमित रूप से समीक्षा होने से आरईसी को अपने कारपोरेट उद्देश्यों को कारगर ढंग से हासिल करने में सहायता मिली है।

मानव संसाधन प्रबंधन

आरईसी की यात्रा में मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रतिष्ठित संस्थानों से विभिन्न क्षेत्रों में 37 कार्यपालकों की नियुक्ति के माध्यम से कंपनी को नई प्रतिभाएं मिली हैं। कर्मचारियों के कौशल और कार्यनिष्पादन का उन्नयन करने के लिए, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, आरईसी का मानव संसाधनों की प्रभावी ढंग से तैनाती में विश्वास है। साथ ही, कर्मचारियों के हितों और कार्य स्तर में संतुलन बनाए रखने को भी प्रोत्साहित किया जाता है। यह संगठन की उत्कृष्टता के लिए प्रेरित कर्मचारियों के निरंतर प्रयास में दिखाई देता है।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें

आरईसी अपने व्यापारिक प्रचालनों के ऑटोमेशन में वृद्धि करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर अत्यधिक बल देता है। आपकी कंपनी, विद्युत क्षेत्र में कागज रहित कार्य करने वाला पहला सीपीएसयू था, जिसने ऑटोमेटेड वर्क फ्लो और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए 'ई–ऑफिस' का पूरे संगठन में कार्यान्वयन किया था। कंपनी ने अत्याधुनिक ई–बिजनेस ईआरपी संस्थान का संवर्धन किया है और ईआरपी हार्डवेयर से निजी क्लाउड व्यवस्था को अपनाया है। आरईसी में बोर्ड, समितियों, वरिष्ठ प्रबंधन की बैठकों, समीक्षा बैठकों, सरकारी एजेंसियों के साथ बैठकों के आयोजन, कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और बिजनेस एसोसिएट्स के साथ बैठकें करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग का व्यापक तौर पर प्रयोग हो रहा है।

आरईसी ने एनबीएफसी को अपने प्रमुख निदेशों के अनुसार, आरबीआई द्वारा निर्धारित आईटी सुरक्षा फ्रेमवर्क को भी कार्यान्वित किया है। आरईसी का प्राथमिक डाटा केंद्र और डिजास्टर रिकवरी सेंटर आईएसआ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित है और साथ ही यह सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का भी अनुसरण करता है। इसके अलावा, आरईसी के पास एक सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क है जो प्रयोक्ताओं को दूर से कार्य करने में समर्थ बनाने और कारोबार जारी रखने को सुनिश्चित करता है।

आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग

कंपनी का हैदराबाद स्थित आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमएटी) एक प्रशिक्षण संस्थान है जो विद्युत क्षेत्र से संबंधित विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। आरईसी के कर्मचारियों के लिए आंतरिक प्रशिक्षण सत्रों के अलावा, भारत और विदेश में इंजीनियरों, प्रबंधकों और विभिन्न संगठनों के अन्य कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसीआईपीएमएटी ने ऊर्जा संरक्षण से लेकर विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, प्रबंधन, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न विषयों पर कुल 132 कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित कीं। कुल मिलाकर, 3,109 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया और वर्ष के दौरान कुल 11,993 प्रशिक्षण दिवसों में प्रशिक्षण दिया गया।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा संधारणीय विकास

आरईसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय पहलों में सामाजिक लाभ की परियोजनाओं पर बल दिया गया है, जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय विकास एजेंडा के साथ व्यापक तौर पर लाभार्थियों तक पहुँच पर जोर रहा है। कंपनी की सीएसआर निधियां सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी 'आरईसी फाउंडेशन' के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी ने 156.68 करोड़ रुपये का सीएसआर बजट आबंटित किया। इसके अलावा, आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में पीएम केयर्स फंड को योगदान के अलावा, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय संधारणीयता और ग्रामीण अवसंरचना विकास के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के निमित्त 258.40 करोड़ रुपए (विगत वर्षों से आगे ले जाई गई राशि सहित) की कुल राशि वितरित की। सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन आधारभूत सर्वेक्षण, विशेषीकृत समय ढांचा, अभिज्ञात लक्ष्यों, आवधिक मॉनीटरिंग और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करके परियोजना–मोड में किया जाता है। वितरण को प्रत्येक परियोजना के पूर्व परिभाषित लक्ष्यों और सुपुर्दगियों की उपलब्धि से जोड़ा गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने *स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा* पहलों को भी मनाया जिसमें स्वच्छता अभियान चलाया गया और सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। करीब 500 कि.ग्रा. सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा अलग किया गया, इकट्ठा किया गया और दिनांक 2 अक्तूबर, 2019 को आरईसी के *स्वच्छता श्रमदान* क्रियाकलाप के तहत रिसाइकल करने के लिए भेजा गया। आरईसी को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा *'स्वच्छ भारत पुरस्कार'* भी प्रदान किया गया।

निगमित सुशासन

आरईसी निगमित सुशासन के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है। हम अपने सभी दावेदारों के लिए संधारणीय मूल्य सृजन हेतु विद्यमान विनियामक कार्यढांचे के अंतर्गत एक नीतिगत और उत्तरदायी तरीके से व्यापारिक प्रचालन आयोजित करने का प्रयास करते हैं। एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में, आरईसी, कंपनी अधिनियम, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियामवली, लोक उद्यम विभाग

के दिशा–निर्देशों और अन्य कानूनों के तहत निर्धारित निगमित सुशासन से संबंधित सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन करता है। इसके अलावा, आरईसी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मामला नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के पास विचाराधीन है।

कंपनी निगमित सुशासन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रक्रिया अपनाने में विश्वास रखती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी को इंडियन चौम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए **'पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड, 2018'** प्रदान किया, जो नवरत्न और महारत्न श्रेणी में रनर अप के रूप में था।

समझौता ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी के निष्पादन को **"उत्कृष्ट"** की रेटिंग दी गई है। वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी को प्रथम इंड एएस (भारतीय लेखांकन मानक) वित्तीय विवरणों और वार्षिक रिपोर्ट में अपनाई गई अपनी प्रकटीकरण प्रक्रियाओं की मान्यता में, "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों" की श्रेणी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा *"वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई अवार्ड"* प्रदान किया गया। आरईसी को कारपोरेट कम्युनिकेशन्स के लिए स्कोप कारपोरेट कम्युनिकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, 2019 के तहत 03 पुरस्कार *"बेस्ट हाउस जर्नल (अंग्रेजी)"* के लिए प्रथम पुरस्कार, *"बेस्ट कारपोरेट कम्युनिकेशन – इंटर्नल"* के लिए द्वितीय पुरस्कार, और *"इफेक्टिव यूज ऑफ डिजिटल मीडिया"* के लिए तृतीय पुरस्कार पुरस्कार भी प्राप्त हुए।

अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम

आरईसी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां हैं जो आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसी टीपीसीएल) और आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसी पीडीसीएल) हैं जो विद्युत क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में परियोजना परामर्शी और कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान करती हैं।

आरईसी पीडीसीएल विद्युत क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वयन और परामर्शी सेवाओं यथा डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस आदि जैसी कुछ राज्य वित्तपोषित योजनाओं के तहत वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों के कार्यान्वयन, ग्रिड/ऑफ–ग्रिड सौर (पीवी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन, स्मार्ट मीटरों के कार्यान्वयन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, तृतीय पक्ष निरीक्षणों, प्री–डिस्पैच मैटेरियल निरीक्षणों और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता/परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में कार्य करने के कारोबार में लगी हुई है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आरईसी पीडीसीएल देश के 26 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 57 डिस्कॉमों/विद्युत विभागों/सरकारी समितियों में फैली करीब 100 सतत् परियोजनाओं पर कार्य कर रही थी। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल का कुल राजस्व एवं कर पश्चात लाभ क्रमशः 143.01 करोड़ रुपए और 12.47 करोड़ रुपए था और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार उसका निवल मूल्य 168.20 करोड़ रुपए था।

आरईसी टीपीसीएल समय–समय पर विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा दी गई स्वतंत्र अंतर्राज्यीय और अंतःराज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए, प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर्राज्यीय/अंतःराज्यीय पारेषण परियोजना के विकास को शुरू करने के लिए, आरईसी टीपीसीएल परियोजना विशिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को निगमित करती है जो इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सफल बोलीदाता के चयन के बाद टीबीसीबी दिशा–निर्देशों के अनुसार, आरईसीटीपीसीएल द्वारा उस सहायक कंपनी को सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित किया गया है। आरईसीटीपीसीएल विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग योजना, ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म ऊर्जा मित्र और तरंग (वास्तविक समय मॉनीटरिंग और वृद्धि के लिए पारेषण ऐप) इत्यादि जैसे अन्य कार्यों को भी संभालती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी टीपीसीएल का कुल राजस्व एवं कर पश्चात लाभ क्रमशः 70.55 करोड़ रुपए और 54.44 करोड़ रुपए था और मूल्य 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार उसका निवल 112.60 करोड़ रुपए था।

आरईसी की विद्युत क्षेत्र के तीन अन्य पीएसयू के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी यथा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) है जो ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में बाजार में सबसे आगे है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल में आरईसी का इक्विटी स्टेक 22.18 प्रतिशत था। ईईएसएल सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे उजाला (विश्व का सबसे बड़ा गैर–सब्सिडी आधारित एलईडी लाइटिंग कार्यक्रम), एसएलएनपी (मौजूदा स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट एवं ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम), राष्ट्रीय ई–मोबिलिटी कार्यक्रम (मौजूदा पेट्रोल और डीजल वाहनों को बदलने के लिए सरकारी कंपनियों को ई–वाहन प्रदान करना) और सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग कार्यक्रम (ग्राहकों को किफायती कीमतों पर सुपर एफिशिएंट एसी प्रदान करने के लिए) आदि अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए स्टैंडअलोन अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर ईईएसएल का टर्नओवर 1,934.07 करोड़ रुपये और कर पश्चात लाभ 44.92 करोड़ रुपये था।

भावी पथ

भारत का विद्युत क्षेत्र पर्याप्त सुधार, जीवाश्म ईंधन केंद्रित से नवीकरणीय केंद्रित प्रणालियों और बढ़ती ऊर्जा क्षमता की ओर परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। सरकार ने पहले ही पेरिस करार के घटकों के कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित की है और 2022 तक

नवीकरणीय ऊर्जा का 175 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह क्षेत्र 2030 तक कुल संस्थापित क्षमता के 40 प्रतिशत तक ग्रीन एनर्जी के हिस्से में वृद्धि, विद्युत मोबिलिटी का संवर्धन, ऊर्जा बचत के उपकरणों का संवर्धन और नई एवं उभरती हुई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। भावी वर्षों के आर्थिक विकास के कारण विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश भी होंगे। देश में 'सभी के लिए 24X7 विद्युत' और सभी गांवों और घरों का विद्युतीकरण करने जैसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में विद्युत के लिए भारी मांग सृजित होगी।

विद्युत मांग में वृद्धि के लिए पारेषण एवं वितरण अवसंरचना में कठोरता की भी अपेक्षा होगी जिससे 24X7 विद्युत की मांग पूरा करने के लिए भूमिगत केबलिंग, स्मार्ट मीटर एवं उपस्कर, एएमआई/एएमआर अवसंरचना तथा स्मार्ट ग्रिड आदि में अधिक निवेश आकर्षित होगा। इसके अतिरिक्त, प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली मार्ग के तहत समर्पित ग्रीन कॉरीडोर और नए नेटवर्क के सृजन के लिए निवेश की अत्यधिक आवश्यकताएं हैं। आरईसी द्वारा पूरे देश और वैल्यू चेन में, विद्युत क्षेत्र की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तपोषण हेतु उत्पादों की व्यापक रेंज को उपलब्ध कराया जाता है।

भावी रणनीति

अपने मौजूदा प्रचालन क्षेत्र में सशक्त पकड़ होने के साथ ही, आरईसी कारोबार के नए क्षेत्र में प्रवेश की ओर अग्रसर हो रही है। इसमें ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं, वित्त इलैक्ट्रो–मैकेनिकल और हाइड्रो–मैकेनिकल घटकों और उससे जुड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में सिविल कार्यों, ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ फॉरवर्ड अथवा बैकवर्ड लिंकेज वाले क्रियाकलापों के लिए विस्तार सहायता शामिल होगी। इस घटक का विकास करने के लिए भारत सरकार की सशक्त नीतिगत सहायता के साथ, अगले कुछ वर्षों के दौरान आरईसी द्वारा प्रमुखता दिए जा रहे क्षेत्र के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा की मौजूदगी जारी रहेगी। ई–वाहनों, कृषि पंप सेटों, ऊर्जा दक्ष उपकरणों, स्मार्ट पारेषण और वितरण प्रणालियों, टीबीसीबी परियोजनाओं इत्यादि से नए कारोबारी अवसरों का सृजन जारी रहेगा।

कोविड–19 महामारी के चलते आर्थिक प्रभावों के कारण, विश्व भर की कई कंपनियां अब अपनी आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण करने और भारत में अवस्थित होने पर विचार कर रही हैं। निरंतर आर्थिक और कृषि विकास होने से भी आने वाले वर्षों में विद्युत की मांग बढ़ने की भी संभावना है। विद्युत क्षेत्र में इन बदलावों के कारण प्रमुख परिवर्तन होने वाला है। इस उभरते परिदृश्य में सरकार पहले ही विद्युत क्षेत्र की सहायता करने के लिए कई उपाय कर रही है। अल्पावधि और दीर्घावधि में इन चुनौतियों का सामना करने और उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए आरईसी पूरी तरह से तैयार है।

आभार

मैं, इस अवसर पर, माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय के अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों और अन्य अधिकारियों का, उनके निरंतर समर्थन और कंपनी को दिए गए मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज को भी उनकी सद्भावना एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालयी लेखापरीक्षकों, रजिस्ट्रार और कंपनी से जुड़े अन्य व्यावसायिकों के प्रति भी उनके मूल्यवान योगदान के लिए आभारी हूँ।

मैं, कंपनी में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों, विद्युत यूटिलिटियों और निजी क्षेत्र के उद्यमियों सहित अपने निवेशकों, उधारदाताओं, उधारकर्ताओं और ग्राहकों को विशेष धन्यवाद देता हूँ। मै, बोर्ड में अपने सहयोगियों के प्रति भी विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने कंपनी के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। मैं, आरईसी के सभी कार्मिकों एवं स्टॉफ द्वारा संगठन की सेवा में इनके अथक प्रयासों प्रति हार्दिक आभारी हूँ। मुझे विश्वास है कि सभी हितधारकों के सहयोग से भविष्य में भी और अधिक ऊंचाईयां हासिल करने के लिए आरईसी की पूरी टीम इसी प्रकार प्रयासरत रहेगी।

शुभकामनाओं सहित

(संजीव कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सह निदेशक (तकनीकी)

31 अगस्त, 2020

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" अथवा "कंपनी") (सीआईएनः L40101DL1969GOI005095) की इक्यावनवीं (51वीं) वार्षिक आम सभा (एजीएम) निम्नलिखित कार्य निष्पादन के लिए **दिनांक 25 सितंबर, 2020, शुक्रवार को पूर्वाह्न 11.00 बजे** भारतीय समयानुसार (आईएसटी), **वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से** आयोजित की जाएगीः

साधारण कार्य

मद संख्या 1: निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष का कंपनी का लेखापरीक्षित स्टैंडओलन और समेकित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना, उन्हें अनुमोदित करना और अंगीकृत करना।

मद संख्या 2: वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना।

मद संख्या 3: श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएनः 03464342) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण उन्होंने अपनी पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

मद संख्या 4: वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य

मद संख्या 5: कंपनी की समग्र उधारी की सीमा में वृद्धि करना।

निम्नलिखित संकल्प (पों) पर एक विशेष संकल्प के रूप में संशोधन (नों) के बिना अथवा संशोधनों सहित विचार करना और उपयुक्त पाए जाने पर उसे पारित करनाः–

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी द्वारा दिनांक 25 सितंबर, 2018 को आयोजित 49वीं वार्षिक आम बैठक में पारित किए गए पूर्व संकल्प के अधिक्रमण में और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 (किसी सांविधिक संशोधनों सहित अथवा तत्समय लागू तत्संबंधी पुनः अधिनियमन) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के अनुसरण में और किसी अन्य लागू कानून और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की सहमति, कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") को अपने विवेक से, समय–समय पर ऐसी धनराशि अथवा ऐसी कुल धनराशि, कंपनी के कार्यों के प्रयोजन से बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर प्रतिभूति के साथ अथवा प्रतिभूति के बिना उधारी के लिए एतदद्वारा सहमति प्रदान की जाती है, बावजूद इसके कि कंपनी द्वारा पहले प्राप्त की गई उधारी की राशि सहित आगे उधारी की राशि (सामान्य कारोबारी कार्य के लिए कंपनी के बैंकर्स से प्राप्त अस्थायी ऋणों के अलावा), कंपनी की चुकता पूंजी को मिलाकर उससे अधिक होगी, बशर्ते कि किसी भी समय उधारी की कुल धनराशि और उस समय बकाया धनराशि भारतीय रुपए में 4,50,000 करोड़ रुपये (चार लाख पचास हजार करोड़ रुपये मात्र) और विदेशी मुद्रा में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर (बारह बिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) के समान से अधिक नहीं होगी।"

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा अथवा निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित किसी प्राधिकारी द्वारा विधिवत गठित किसी समिति सहित) उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए यथा आवश्यक ऐसे सभी कृत्य, कार्य और ऐसा काम करने और निष्पादन करने के लिए अधिकृत होंगे और एतदद्वारा अधिकृत किए जाते हैं।"

मद संख्या 6: कंपनी की सभी अथवा किसी चल और/अथवा अचल परिसंपत्तियों का मॉर्टगेज और/अथवा चार्ज करना।

निम्नलिखित संकल्प (पों) पर एक विशेष संकल्प के रूप में संशोधन (नों) के बिना अथवा संशोधनों सहित विचार करना और उपयुक्त पाए जाने पर उसे पारित करनाः–

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी द्वारा दिनांक 25 सितंबर, 2018 को आयोजित 49वीं वार्षिक आम बैठक में पारित किए गए पूर्व संकल्प के अधिक्रमण में और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 (किसी सांविधिक संशोधनों सहित अथवा तत्समय लागू तत्संबंधी पुनः अधिनियमन) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) के अनुसरण में और किसी अन्य लागू कानून और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की सहमति, कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") को अपने विवेक से, समय–समय पर धनराशि की उधारी के लिए प्रतिभूति हेतु, कंपनी के लाभ के लिए और बोर्ड तथा उधारदाता (ओं) के बीच यथा सहमति से किसी के द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर किसी बैंक, वित्तीय संस्थानों, हायर परचेज/लीज कंपनियों, बॉडी कारपोरेट अथवा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में कंपनी के पूरे उपक्रम अथवा उपक्रमों की समग्र अथवा पर्याप्त, वर्तमान और भावी, दोनों कोई चल और/अथवा अचल परिसंपत्तियों, कहीं भी स्थित हो, पर अधिकार प्रदान करने, गिरवी रखने, बंधक करने के लिए कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार और इस संबंध में किसी अन्य सांविधिक और संकलित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अनुसार कंपनी के कारोबार अथवा अन्यथा कार्य के प्रयोजन से भारतीय रुपए में अधिकतम 4,50,000 करोड़ रुपये (चार

लाख पचास हजार करोड़ रुपये मात्र) और विदेशी मुद्रा में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर (बारह बिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) के समान तक की धनराशि प्रदान की जाती है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित किसी प्राधिकारी द्वारा विधिवत गठित किसी समिति सहित) उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए यथा आवश्यक ऐसे सभी कृत्य, कार्य और ऐसा काम करने तथा निष्पादन करने के लिए अधिकृत होंगे और एतदद्वारा अधिकृत किए जाते हैं।"

मद संख्या 7: प्रतिभूतियों के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:–

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हैं, और उसके तहत बनाई गई नियमावली (किसी अन्य सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा फिलहाल लागू उसके पुनः अधिनियमन सहित) और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों के इश्यू तथा सूचियन) (संशोधन) अधिसूचना, 2012 और अन्य लागू सेबी विनियमों और समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों/निर्देशों/दिशा–निर्देशों सहित किन्हीं अन्य लागू कानूनों, कंपनी के मैमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों तथा यथालागू आवश्यक अनुमोदनों और उन अन्य अनुमोदनों, अनुमतियों और स्वीकृतियों के अनुसार, जो भी आवश्यक हों, किसी अन्य विद्यमान उधारदाता/डिबेंचरधारकों के न्यासियों के अनुमोदन सहित, आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अध्यधीन, करार/विलेख की शर्तों के तहत, यदि वह अपेक्षित हों तथा ऐसे अनुमोदन, अनुमतियों और स्वीकृतियों जिसे कंपनी के निदेशक बोर्ड (बोर्ड) अथवा बोर्ड की विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी के आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अधीन, कंपनी की सहमति एतदद्वारा उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को एक अथवा अधिक भागों में इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान 85,000 करोड़ रुपये तक प्रतिभूतिरहित/प्रतिभूति सहित गैर–परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों को निजी क्षेत्र में रखने के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए प्रदान की जाती हैं जो कंपनी के बांड/डिबेंचरधारक हों अथवा न हों, जैसा कि बोर्ड (अथवा बोर्ड की विधिवत गठित कोई समिति अथवा अन्य प्राधिकारी, जैसा भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए) अपने पूर्ण निर्देश पर निर्णय ले जिनमें पात्र निवेशक (आवासी और/अथवा गैर–आवासी और/अथवा संस्थायें/निगमित निकाय और/अथवा अलग–अलग व्यक्ति और/अथवा न्यासी और/अथवा बैंक अथवा अन्यथा, घरेलू और/अथवा एक या अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में) गैर–आवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), उद्यम पूंजी निधियां, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधियां, पेंशन निधियां, विकास वित्तीय संस्थाएं, निगम निकाय, कंपनियां, निजी अथवा सार्वजनिक अथवा अन्य कंपनियां, प्राधिकारी शामिल हैं और उन अन्य व्यक्तियों को एक या अधिक भागों में प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से उनके एक या अधिक संयोजनों में तथा ग्रीन शो विकल्प का प्रयोग करने से (ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार 85,000 करोड़ रुपये की समग्र सीमा के भीतर), यदि कोई है, यथालागू दिशा–निर्देशों के तहत निर्धारित की जाने वाली उन शर्तों पर तथा बोर्ड अथवा बोर्ड की किसी अन्य विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिए गए ऐसे शर्तों एवं निबंधनों पर निधियां जाने की एतदद्वारा स्वीकृति दी जाती है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रतिभूति रहित/प्रतिभूति सहित गैर–परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों के किसी प्राइवेट प्लेसमेंट को प्रभाव देने के प्रयोजन के लिए कंपनी का निदेशक बोर्ड (बोर्ड) अथवा बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे प्राधिकारी को एतदद्वारा उन निवेशकों की श्रेणी सहित इश्यू के निबंधन निर्धारित करने, जिनको बांड/डिबेंचर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले बांडों/डिबेंचरों की संख्या इश्यू की कीमत, टेनर, ब्याज दर, किश्त/उस समय विद्यमान बाजार कीमत में छूट, इश्यू की राशि, बांड/डिबेंचरधारकों की श्रेणी को इश्यू की कीमत में छूट, सूचीयन, प्राइवेट प्लेसमेंट पेशकश पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित घोषणा/वचनबद्धता आदि जारी करने और ऐसे सभी कार्य/विलेख और बातें, जो उस समय लागू किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के तहत अपेक्षित हों, करने तथा निष्पादित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

मद संख्या 8: कंपनी द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित संबद्ध पक्षकार लेन–देनों के लिए अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:–

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसके अधिकार) नियमावली, 2014 के नियम 15 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (उस समय लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा उसके पुनः अधिनियमन सहित) की धारा 188 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों और फिलहाल लागू किसी संविधि के तहत किसी अन्य लागू कानून/नियम के अनुसरण में तथा उन उपयुक्त प्राधिकारियों के अनुमोदन/सहमति के अधीन किसी प्रकार के सामान अथवा सामग्री अथवा संपत्ति की बिक्री/खरीद की प्रकृति में (सीधे ही अथवा किसी एजेंट के माध्यम से), किसी भी किस्म की संपत्ति को पट्टे पर देने, वित्तीय सहायता, कार्मिकों की नियुक्ति सहित सेवाएं लेने अथवा देने, समय–समय पर सहायता एवं अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इस संकल्प को पारित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान आरईसी लिमिटेड (आरईसी) द्वारा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) अथवा आरईसी की अन्य किसी संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान एवं भावी)

के साथ की जाने वाले संविदा (संविदाओं) अथवा व्यवस्था (व्यवस्थाओं) अथवा लेन–देन (लेन–देनों) के लिए एतदद्वारा कंपनी की सहमति प्रदान की जाती है, बशर्ते कि इन संबद्ध पक्षकारों के साथ संविदा (संविदाओं) अथवा व्यवस्था (व्यवस्थाओं) अथवा लेन–देन (लेन–देनों) का संचयी मूल्य तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आरईसी के कारोबार के दो प्रतिशत (2%) प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक बोर्ड (बोर्ड) अथवा बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आरईसी के कारोबार के दो प्रतिशत (2%) की समग्र सीमा के भीतर आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान अथवा भावी) अथवा ईईएसएल के साथ अलग संविदा (संविदाओं) अथवा व्यवस्था (व्यवस्थाओं) अथवा लेन–देन (लेन–देनों) का अनुमोदन करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिनमें संबंधित पक्षकार का नाम और ईईएसएल अथवा आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) के साथ की जाने वाली संविदा अथवा व्यवस्था के ब्यौरे तथा संबंध की प्रकृति और अवधि, अन्य बातों के साथ–साथ संविदा के मूल्य सहित उस संविदा अथवा व्यवस्था की वास्तविक शर्तें, किए जाने वाले/प्राप्त, यदि कोई है, अग्रिम भुगतान, कीमत और अन्य वाणिज्यिक शर्तें निर्धारित करने का तरीका संविदा के भाग के रूप में शामिल तथा संविदा के भाग के रूप में न मानी गई शर्तों और/अथवा इस संबंध में निर्धारित किया जाने वाला कोई मामला शामिल होगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक बोर्ड (बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी सहित) को इस संबंध में उपर्युक्त संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए यथावश्यक रूप में सभी ऐसे कार्यों, विलेखों और बातों को करने और निष्पादित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड

ह./–
जे. एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

स्थानः कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 31 अगस्त, 2020

टिप्पणियां:–

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसरण में, सूचना की मद क्रम सं. 5 से 8 के तहत कारोबार के संबंध में उल्लिखित वास्तविक तथ्यों के लिए स्पष्टीकरण विवरण इसके साथ संलग्न है। कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 7 अगस्त, 2020 को हुई अपनी बैठक में यह विचार किया था कि सूचना के क्रम सं. 5 से 8 पर विशेष कारोबार की मदें अपरिहार्य प्रकृति की हैं जिन पर कंपनी की 51वीं वार्षिक आम सभा में कार्य किया जाएगा।
2. कोविड–19 महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन किया जाता है और देश में कई स्थानों पर व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी हैं तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") और सेबी के दिनांक 12 मई, 2020 के परिपत्र के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र के अनुसरण में तथा अधिनियम के प्रावधानों और सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ["सेबी (एलओडीआर) विनियम"] के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी की 51वीं वार्षिक आम बैठक सार्वजनिक स्थान पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए आयोजित की जा रही है। 51वीं एजीएम बैठक का माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
3. एमसीए परिपत्रों की शर्तों, एजीएम में सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति और प्रॉक्सी की नियुक्ति की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है। तद्नुसार, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फार्म और रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं। तथापि, अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के जरिए वोट देने, 51वीं एजीएम में वीसी/ओएमवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग को लिए की जाएगी।
4. 51वीं एजीएम में वीसी/ओएमवीए सुविधा के लिए भाग लेने में सदस्यों की भागीदारी की उपस्थिति अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन से गिनी जाएगी।
5. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी के परिपत्र के अनुसार 51वीं एजीएम का नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट ऐसे सभी सदस्यों को ई–मेल के जरिए भेजा जा रहे हैं, जिनके ई–मेल पते कंपनी के पास दर्ज हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर और

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर तथा साथ ही नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी के शेयरधारकों को प्रोत्साहित करने, भौतिक और इलैक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उनके ई–मेल पते दर्ज करने/अद्यतन करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया था। इसके अलावा, कंपनी ने शेयरधारकों के मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी भेजे थे, जो ई–मेल पते अद्यतन करने के लिए संबंधित डिपॉजिटरी के पास दर्ज थे।

ऐसे शेयरधारक, जो अभी भी अपने ई–मेल पते अद्यतन नहीं कर पाए हैं, उन्हें इस सूचना में दिए गए संकल्पों पर ई–मेल पते दर्ज कराने और ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना होगाः

- यदि शेयरों को डीमैट फॉर्म में रखा गया है तो कृपया डीपी आईडी क्लाइंट आईडी (16 डिजिटल का डीपी. क्लाइंट आईडी अथवा 16 डिजिटल का लाभार्थी आईडी), धारक के नाम का उल्लेख करते हुए complianceofficer@recl.in पर ई–मेल भेजें, साथ में क्लाइंट मास्टर लिस्ट/डीमैट एकाउंट स्टेटमेंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति भेजें।
- यदि शेयरों को भौतिक रूप में रखा गया है तो कृपया फोलियो नं., नाम का उल्लेख करते हुए शेयर प्रमाण–पत्रों (सामने और पीछे की ओर से), पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति complianceofficer@recl.in पर ई–मेल के माध्यम से भेजें।

6. कंपनी के सभी सदस्यों व संस्थागत निवेशकों को एजीएम में भाग लेने और एजीएम में भाग लेने और एजीएम में कार्य के लिए मदों पर वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रति/जांचकर्ता को अधिकृत करने का पत्र scrutinizer.recl@gmail.com पर ई–मेल के माध्यम से भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजें।

7. कंपनी में 51वीं एजीएम में किए जाने वाले कार्यों की मदों के संबंध में वोट देने के लिए पात्रता को निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट **18 सितंबर, 2020, शुक्रवार** निर्धारित की है।

   कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और सूचना देकर कंपनी का सदस्य बनता है और निर्धारित तारीख को शेयर धारित करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर लॉग–इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है। तथापि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पंजीकृत है तो वोट करने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। कोई शेयरधारक, अपनी शेयरधारिता इस प्रकार दर्शाता है कि वह निर्धारित तारीख की स्थिति के अनुसार एक सदस्य नहीं है, तो वह इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझे।

   इसके अलावा, सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक दिनांक **19 सितंबर, 2020, शनिवार से 25 सितंबर, 2020, शुक्रवार तक (दोनों दिन शामिल हैं)** बंद रहेगी।

8. डॉ. एस. चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स, वरिष्ठ भागीदारी अथवा उनके न होने पर श्री रुपेश अग्रवाल, प्रबंधक भागीदार, चन्द्रशेखरण एसोसिएट्स कंपनी सचिव, नई दिल्ली को 51वीं एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए मदों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा दिए गए वोटों को जांचने के लिए एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

9. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम संख्या 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी आम बैठकों के संबंध में सचिवालयी मानकों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी शेयरधारकों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वो सूचना में उल्लिखित मदों पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकें। ऐसे शेयरधारक, जो रिमोट ई–वोटिंग के जरिए अपना मत नहीं देते, वे एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना मत दे सकते हैं।

   एनएसडीएल ई–वोटिंग की सुविधा, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 51वीं एजीएम में भागीदारी और 51वीं एमजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए वोटिंग के लिए सुविधा प्रदान करेगा। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **22 सितंबर, 2020, मंगलवार (10 00 बजे)** को शुरू होगी और दिनांक **24 सितंबर, 2020, गुरूवार (17 00 बजे)** को समाप्त होगी। एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को इसके बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

   सदस्य 51वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग ले सकते हैं, जिसे सदस्यों के लिए 25 सितंबर, 2020, शुक्रवार को भारतीय समयानुसार पूर्वाह्न 10.45 बजे अर्थात शुरू होने से निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व खोला जाएगा और कंपनी द्वारा एजीएम की तारीख को शुरू होने के निर्धारित समय अर्थात पूर्वाह्न 11.30 बजे के बाद 30 मिनट वीसी/ओएवीएम सुविधा लेने के लिए विंडो को बंद किया जाएगा।

   कृपया ई–वोटिंग, 51वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए विस्तृत अनुदेश देखें, जो इस सूचना के साथ संलग्न हैं।

10. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 और समय–समय पर यथा संशोधित कंपनी (लाभांश की घोषणा और भुगतान) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 114 के अनुसरण में, कंपनी ने 24 फरवरी, 2020 को प्रति इक्विटी शेयर 11 रुपये (10 रुपये के अंतरिम मूल्य पर) की दर से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अंतरिम लाभांश का भुगतान किया था। इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कोई अंतिम लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

    वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में, लाभांश आय 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के पास कर योग्य होगी और कंपनी को आय कर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में निर्धारित दरों पर सदस्यों को लाभांश से स्रोत पर कटौती ("टीडीएस") करनी होगी। भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में टीडीएस की आवश्यकता के साथ अनुपालना करने के लिए, सदस्यों को वार्षिक आधार पर 15जी/15एच फॉर्म प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है और अपने निवास की स्थिति, पैन, आय कर अधिनियम के अनुसार श्रेणी के विवरण अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के पास अथवा वास्तविक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, कंपनी/आरएंडटीए के पास अद्यतन करने होंगे ताकि स्रोत पर कर, यदि कोई हो, तो भविष्य में कंपनी द्वारा किए गए लाभांश के भुगतानों के संबंध में लागू दरों पर कटौती की जा सके।

11. पुनः नियुक्ति की मांग के लिए निर्देशक (निर्देशकों) का संक्षिप्त बायोडाटा, जैसा कि सेबी के विनियमन 36 के तहत आवश्यक है (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 {सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015} इसके साथ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार एक आम बैठक में अथवा एक आम बैठक में कंपनी द्वारा निर्धारित तरीके से कंपनी द्वारा उनका पारिश्रमिक निर्धारित किया जाएगा।

    कंपनी की 50वीं एजीएम में, जो दिनांक 29 अगस्त, 2019 को आयोजित की गई थी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के अनुसरण में, वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर निर्धारित करने और अनुमोदित करने के लिए शेयरधारकों द्वारा निदेशक मंडल को अधिकृत किया गया था। तद्नुसार, निदेशक मंडल ने 44,00,000 रुपये (चौवालीस लाख रुपए मात्र) लागू कर का पारिश्रमिक भुगतान करने का अनुमोदन किया जिसे सांविधिक लेखापरीक्षकों अर्थात मैसर्स ओ. पी. बागला एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बराबर वितरित किया जाना था। बोर्ड ने यह भी अनुमोदित किया कि उपरोक्त पारिश्रमिक के अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों को वास्तविक तर्कसंगत यात्रा भत्ते और आउटस्टेशन लेखापरीक्षा कार्य के लिए आउट ऑफ पॉकेट व्यय का भुगतान किया जाएगा, जो सीएमडी/निदेशक (वित्त) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

    इसके अलावा, मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एंड कं. एलएलपी [फर्म पंजीकरण सं. 000018एन/एन500091], चार्टर्ड एकाउंटेंट और मैसर्स एस. के. मित्तल एंड कं. [फर्म पंजीकरण सं. 001135एन], चार्टर्ड एकाउंटेंट को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए उपयुक्त पाए जाने पर कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करने का अनुरोध किया गया है।

13. सेबी सभी शेयरधारकों को डीमैट स्वरूप में अपने शेयर रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इससे वास्तविक शेयर प्रमाण पत्रों की क्षतिध्खोने और धोखाधड़ी के मामलों की संभावना समाप्त हो जाती है तथा इससे शेयरों का पेपरलेस व्यापार आसान तथा सुविधाजनक बन जाता है। इसके अतिरिक्त, डीमैट स्वरूप में धारित शेयरों के अंतरण पर कोई स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है। यह उल्लेख करना भी व्यावहारिक है कि 01 अप्रैल, 2019 से सेबी ने निर्धारित किया है कि प्रतिभूतियों का अंतरण करने के अनुरोधों (पारेषण अथवा दूसरी जगह देने के मामलों को छोड़कर) पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक प्रतिभूतियां जमाकर्ता के पास डीमैट स्वरूप में धारित न हों। तदनुसार, हमारा आपसे अनुरोध है कि अपनी शेयरधारिता को वास्तविक स्वरूप से मौजूदा डीमैट खाते में अथवा किसी भी प्रतिभागी जमाकर्ता (डीपी) के साथ खोले जाने वाले नए डीमैट खाते में शीघ्र ही डीमैट स्वरूप में परिवर्तित करें।

14. भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों के ट्रांसमिशन, स्थानांतरण, सब–डिवीजन, समेकन से संबंधित या किसी अन्य से संबंधित मामले और/अथवा पते एवं बैंक खाते में परिवर्तन के बारे में समस्त पत्राचार आर एंड टीए कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर लिमिटेड को भेजें तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि से शेयरधारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे समस्त पत्राचार अपने संबंधित निक्षेपागार भागीदार को भेजें।

15. चूंकि सेबी ने निवेशकों के लिए नकद भुगतान करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम का उपयोग किया है, इसलिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (एनईसीएस)/राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)/सीधे जमा करने के आदेश अथवा उनमें परिवर्तन प्रस्तुत करें ताकि कंपनी एनईसीएस/एनईएफटी/सीधे जमा करने/वारंट के माध्यम से लाभांश का भुगतान कर सके। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म आरएंडटीए को **केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., यूनिटः आरईसी लि., सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31–32, गाचीबॉवली**

फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032, भारत के पते पर भेज सकते हैं, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इलैक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को रखने वाले शेयरधारकों के मामले में, वे एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म सीधे उनके जमाकर्ता भागीदार (डीपी) को भेज सकते हैं जिन्होंने पहले ही एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म पूरे ब्यौरों के साथ कंपनी/आरएंडटीए/डीपी को भेज दिए हैं।

16. ऐसे सदस्य, जिन्होंने अपने लाभांश वारंट इसकी वैधता अवधि के भीतर प्राप्त हुए हैं/नकदीकरण नहीं कराया है, वे कंपनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में अथवा कंपनी के आरएंडटीए को वारंट को पुनः वैध कराने अथवा ऐसे वारंट के बदले डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान करने के लिए लिखें।

17. कंपनी अधिनियम, 2013 और निदेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन लेखापरीक्षा, अंतरण एवं अदायगी) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के पास पड़ी बिना भुगतान की और अदावाकृत राशि के अपेक्षित ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in) और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा, धनराशि एवं शेयरों के निवेशक–वार ब्यौरे, जो पहले ही कंपनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरित कर दिए गए हैं, कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.recindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

    इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए अदावाकृत अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए दावा न किए गए अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार क्रमशः अक्तूबर, 2020 और मार्च, 2021 में आईईपीएफ को हस्तांतरण के लिए देय होंगे।

18. कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अधीन यथाअनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 में यथानिर्धारित प्रपत्र एसएच–13 में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) को लिखें। खाली नामांकन प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है। यदि शेयरों को डिमैटीरियलाइज्ड रूप में रखा जाता है तो नामांकन प्रपत्र को संबंधित डीपी को सीधे भेजा जा सकता है।

19. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के रजिस्टर तथा उनकी शेयरधारिता का रख–रखाव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत किया जाता है। अनुबंधों का रजिस्टर और व्यवस्थाएं, जिसमें निदेशक रुचि रखते हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत उनका रख–रखाव किया जाता है और नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज इस नोटिस के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख अर्थात 25 सितंबर, 2020 तक सदस्यों द्वारा बिना शुल्क के इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। इन दस्तावोजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी को complianceofficer@recl.in पर ई–मेल भेजें।

20. इस बैठक की कार्यवाही की किसी मद के संबंध में कोई भी सूचना चाहने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई–मेल पता, मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए ई–मेल एजीएम की तारीख से कम से कम सात दिनों पहले complianceofficer@recl.in पर भेजें और इसका कंपनी द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।

21. संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग समाप्त होने पर इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक में दिए गए वोटों का आकलन करेंगे और उसके बाद रिमोट ई–वोटिंग के जरिए दिए गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और एक समेकित संवीक्षा की रिपोर्ट तैयार करके उसे बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

22. वोटिंग का परिणाम, जिसमें संकल्प के पक्ष में या विपक्ष में डाले गए वोटों की संख्या, अमान्य वोटों की संख्या और संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ यह बताया जाएगा कि क्या संकल्प पारित हुए अथवा नहीं, उन्हें कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर अपलोड किया जाएगा और निर्धारित समय के भीतर आरईसी लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी निर्धारित समय के भीतर भेजा जाएगा। इसके अलावा, यदि संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित किए गए हैं तो उन्हें 51वीं एजीएम की तारीख को पारित माना जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विवरण।

निम्नलिखित विवरणों में सूचना में निर्धारित विशेष कारोबारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं।

मद संख्या 5

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी की सहमति से एक संकल्प पारित करके धनराशि उधार लेता है, जो कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि को मिलाकर चुकता पूंजी और कंपनी के फ्री रिजर्व से अधिक है।

इस संबंध में, कंपनी के सदस्यों ने दिनांक 25 सितंबर, 2018 को आयोजित 49वीं वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प पारित करके कंपनी के निदेशक मंडल को भारतीय रुपए में कुल 3,50,000 करोड़ रुपए तक और किसी विदेशी मुद्रा में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समान धनराशि उधार लेने के लिए शक्तियां प्रदान कीं।

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की निवल उधारी की राशि 2,80,116 करोड़ रुपये थी और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बाजार से निवेशकों को बांड जारी करके और बैंकों व वित्तीय संस्थानों से दीर्घावधिक ऋण प्राप्त करके, विदेशी मुद्रा उधारी इत्यादि प्राप्त करके ऋण क्रियाकलापों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपये की धनराशि उधार लेने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, अनुमानित उधारियों के साथ–साथ मौजूदा बकाया उधारियां, सदस्यों द्वारा अनुमोदित समग्र उधारी की सीमा से अधिक होने की संभावना है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत भारतीय रुपये में 3,50,000 करोड़ रुपये से 4,50,000 करोड़ रुपये तक उधारी की सीमा बढ़ाने के लिए और किसी अन्य विदेशी मुद्रा में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की समान राशि आगे की उधारी की आवश्यकता पूरी करने के लिए सदस्यों की सहमति अपेक्षित है।

मैमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा सभी संगत दस्तावेज एजीएम की तारीख तक इस सूचना के परिचालन की तारीख से इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कार्य की अपरिहार्य प्रकृति पर विचार करते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 7 अगस्त, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया और कंपनी के सदस्यों द्वारा नोटिस में यथा उल्लिखित प्रस्तावित संकल्प को पारित करने की सिफारिश की।

उपरोक्त को देखते हुए, आपसे अनुरोध है कि इस सूचना की मद संख्या 5 में उल्लिखित विशेष संकल्प के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशकों अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों अथवा उनके संबंधियों को कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर इस संकल्प को पारित करने में कोई समस्या अथवा वित्तीय अथवा अन्यथा कोई हित नहीं है।

मद संख्या 6

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और उसके तहत बने नियमों के साथ पठित धारा 180(1)(क) के प्रावधानों के अनुसार कोई कंपनी, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति के बिना एक विशेष संकल्प के द्वारा डाक मतों के जरिए कंपनी के समग्र उपक्रमों अथवा कंपनी के उपक्रमों के पूर्ण अथवा आंशिक भाग की बिक्री, पट्टे पर अथवा उसका अन्यथा निपटान नहीं कर सकती। तथापि, दिनांक 9 फरवरी, 2018 की एमसीए अधिसूचना के संदर्भ में, डाक मतों के जरिए किए गए कार्यों की किसी मद को एक कंपनी द्वारा आम बैठक में किया जाए, जो इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोट करके सदस्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, आरईसी अपने सदस्यों को सुविधा प्रदान कर रही है ताकि उन्हें इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से आम बैठक में संकल्पों के संबंध में वोट देने में समर्थ बनाया जा सके। तद्नुसार, कंपनी की किसी अथवा सभी चल और अचल परिसंपत्तियों के मोरगेज और/अथवा चार्ज के लिए विशेष संकल्प इस एजीएम में पारित करने का प्रस्ताव है।

कंपनी के प्रचालनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है और कंपनी की बढ़ती निधि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कंपनी की अचल/चल संपत्तियों के संबंध में प्रतिभूति प्राप्त करके अतिरिक्त धनराशि जुटाई जानी अपेक्षित है। चूंकि कंपनी के उपक्रमों के चार्ज/मोरगेज अथवा उनके अन्यथा निपटान के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) के तहत विशेष संकल्प पारित करना आवश्यक है।

अतः कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी की अचल औरध्अथवा चल संपत्तियों, जिनमें वर्तमान और भविष्य की संपत्तियां शामिल हैं, के संबंध में भारतीय रुपए में 4,50,000 करोड़ रुपये तक और किसी विदेशी मुद्रा में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समान राशि तक का ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क), उनके तहत बने नियमों और किसी अन्य सांविधिक और इस संबंध में पूरी की जाने वाली प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अनुसार, अन्यथा कोई धनराशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव है।

मैमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा अन्य सभी संगत दस्तावेज इस नोटिस के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख तक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कार्य की अपरिहार्य प्रकृति पर विचार करते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 7 अगस्त, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया और कंपनी के सदस्यों द्वारा नोटिस में निहित प्रस्तावित संकल्प को पारित करने की सिफारिश की।

उपरोक्त को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि इस सूचना की मद संख्या 6 में दिए गए विशेष संकल्प के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों अथवा उनके संबंधियों को कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर इस संकल्प को पारित करने में कोई समस्या अथवा वित्तीय अथवा अन्यथा कोई हित नहीं है।

मद संख्या 7:

कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका एवं आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 तथा कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी तब तक अपनी प्रतिभूतियों का प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करेगी जब तक प्रतिभूतियों की प्रस्तावित पेशकश अथवा प्रतिभूतियों में अंशदान करने का आमंत्रण पहले से प्रत्येक पेशकश अथवा आमंत्रण के लिए एक विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो। तथापि, "गैर–परिवर्तनीय डिबेंचरों" के लिए पेशकश अथवा आमंत्रण के मामले में वह पर्याप्त होगा यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचरों के लिए सभी पेशकश (पेशकशों) अथवा आमंत्रण (आमंत्रणों) के लिए वर्ष में केवल एक बार पूर्व विशेष संकल्प पारित करती है।

अतः, एक विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है ताकि कंपनी इस संकल्प को पारित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थात 24 सितंबर, 2021 तक एक या दो भागों में ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों, जो कंपनी के बांड/डिबेंचरधारक हों अथवा न हों, समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत, जो भी समय–समय पर कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया, को एक या दो भागों में 85,000 करोड़ रुपए तक प्रतिभूतिरहित/प्रतिभूति सहित गैर–परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निधियां जुटा सकें। इसके अलावा, इस एजीएम में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तावित 85,000 करोड़ रुपये की उक्त सीमा समग्र संशोधित उधार सीमा के भीतर होगी।

इसके अतिरिक्त, कंपनी का निदेशक बोर्ड ("बोर्ड") अथवा बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये किसी अन्य प्राधिकारी को उन निवेशकों की श्रेणी जिन्हें बांड/डिबेंचर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले बांडों/डिबेंचरों की संख्या, इश्यू कीमत, टेनर, ब्याज दर, तत्कालीन विद्यमान बाजार कीमत में किश्त/छूट, इश्यू की धनराशि, बांड/डिबेंचरधारकों की श्रेणी में इश्यू कीमत पर छूट, सूचीयन, प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रस्ताव पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित कोई घोषणा/वचनबद्धता आदि जारी करने सहित इश्यू की शर्तें निर्धारित करने के लिए और उस समय लागू किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के तहत उन सभी कार्यों/विलेखों/बातों को करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

मैमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा सभी संगत दस्तावेज इस नोटिस के परिचालित होने की तारीख से एजीएम की तारीख तक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कार्य की अपरिहार्य प्रकृति पर विचार करते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 अगस्त, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में दिए गए अनुसार प्रस्तावित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 7 में लिखित विशेष संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशक मंडल या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में उनके शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त विशेष संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित नहीं हैं या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 8:

कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 15 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम या नियम के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक "संबंधित पक्षकार" के साथ कोई संविदा या व्यवस्था निष्पादित नहीं करेगी, बशर्ते कि इस संबंध में शेयरधारक अपनी सहमति दें। अन्य बातों के साथ–साथ, "संबंधित पक्षकार" शब्दावली में इनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) भी शामिल है, जो आरईसी की संबद्ध कंपनी है।

आरईसी समय–समय पर ईईएसएल या किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ संविदा व्यवस्था लेनदेन निष्पादित करना चाहेगा। यह कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक का हो सकता है। अतः, इस संकल्प को पारित किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान आरईसी द्वारा ईईएसएल या किसी संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ कोई संविदा (संविदाएं) या व्यवस्था (व्यवस्थाएं) या लेनदेन (लेनदेनों) को करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है। यह कार्य माल या सामग्री या किसी प्रकार की संपत्ति (प्रत्यक्ष या किसी एजेंट के माध्यम से) बेचने/खरीदने, किसी प्रकार संपत्ति को पट्टे पर देने, वित्तीय सहायता सहित किसी सहायता का लाभ उठाने या सेवा प्रदान करने, जनशक्ति की नियुक्ति करने, सहायक या अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समय–समय पर की जाने वाली संविदा आदि भी शामिल है। परंतु संबंधित पक्षकारों के साथ

ऐसी संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं) या लेनदेन (लेनदेनों) करने का संचयी मूल्य वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरईसी के कुल कारोबार के दो प्रतिशत (2 प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के प्रावधान कंपनी द्वारा सामान्य कारोबार के रूप में किए जाने वाले किसी लेनदेन (लेनदेनों) पर लागू नहीं होंगे, जो उसके निकट न हो। तदनुसार, ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनियों (विद्यमान या भावी) के साथ किए जाने वाले लेनदेनों के संबंध में ही अनुमोदन प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है जो प्रत्यक्षतः इसके निकट न हो।

इसके अलावा, कंपनी का निदेशक मंडल ("मंडल") या निदेशक मंडल की विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण को यह प्राधिकृत किया जाएगा कि वह ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (विद्यमान या भावी) के साथ संविदा (संविदाएं) या व्यवस्था (व्यवस्थाएं) या लेनदेन (लेनदेनों) की प्रकृति, अवधि, महत्वपूर्ण शर्तों, मौद्रिक मूल्य और ब्योरों को अंतिम रूप दे और अनुमोदित करे, जो वित्तीय वर्ष 2019–20 के आरईसी के कुल कारोबार की दो प्रतिशत (2 प्रतिशत) की समग्र सीमा के अंतर्गत हो।

कार्य की अपरिहार्य प्रकृति पर विचार करते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 अगस्त, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में दिए गए अनुसार प्रस्तावित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 8 में लिखित साधारण संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशक मंडल या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में उनके शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित नहीं हैं या रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते आरईसी लिमिटेड

जे. एस. अमिताभ

कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

स्थानः **कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,**
7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

दिनांकः **31 अगस्त, 2020**

सूचना का अनुलग्नक

रिमोट ई–वोटिंग, 51वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए अनुदेश

क. 51वीं एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली के लिए अनुदेश

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि 22 सितंबर, 2020, मंगलवार (10 00 बजे) से शुरू होकर 24 सितंबर, 2020, गुरूवार (17 00 बजे) तक होगी। बाद में वोटिंग के बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

I. एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली पर इलैक्ट्रॉनिकल रूप से वोट करने के लिए, दो चरण की प्रक्रिया अपनाए जाने की जरूरत है, जो इस प्रकार है:

चरण–1:

1. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें: https://www.evoting.nsdl.com
2. जब ई–वोटिंग प्रणाली का होम पेज शुरू हो जाए तो "लॉग–इन" आइकन पर क्लिक करें जो "शेयरधारक" खंड में उपलब्ध है।
3. एक नई स्कीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा, जैसाकि स्क्रीन पर दर्शाया गया है।
   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई–सर्विसेज अर्थात आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने विद्यमान आईडीईएएस लॉग–इन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग–इन कर सकते हैं। जब आप अपने लॉग–इन प्रमाणों का प्रयोग करने के बाद एनएसडीएल ई–सर्विसेज में लॉग–इन कर लेते हैं, तो ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण–2 में जा सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मत दें।

चरण–2:

1. चरण–1 पर सफलतापूर्वक लॉग–इन के बाद, आप ई–वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई–वोटिंग पर क्लिक करें। फिर, सक्रिय मतदान चक्रों पर क्लिक करें।
2. आप सभी कंपनियों के "ईवीईएन" देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र सक्रिय स्तर में है।
3. उस कंपनी के "ईवीईएन" का चयन करें जिनके लिए आप अपना मत देना चाहते हैं।
4. अब आप मतदान पृष्ठ खुलने पर ई–वोटिंग करने के लिए तैयार हैं।
5. उपयुक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेंट का चयन कर अपना मतदान करें, शेयरों की संख्या सत्यापित करें/संशोधित करें जिसके लिए आप अपना मतदान करना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें तथा संकेत मिलने पर "कन्फर्म" भी करें।
6. पुष्टि होने पर, "सफलतापूर्वक मतदान" का संदेश दिखाई देगा।
7. आप संपुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक कर आपके द्वारा दिए गए मतों का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
8. जब आप संकल्प पर अपने मत की पुष्टि कर दें, तो आपको अपने मत में संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

एनएसडीएल ई–वोटिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का ब्यौरा

यूजर आईडी और पासवर्ड नीचे दिए गए हैं:

शेयर धारण करने का ढंग, अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) अथवा वास्तविक	यूजर आईडी
क) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास एनएसडीएल में डीमैट खाता है	8 अक्षरों की डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों के ब्यौरा की ग्राहक आईडी उदाहरण के लिए यदि आपके डीपी आईडी आईएन300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है तो फिर आपका यूजर आईडी आईएन300***12****** है।
ख) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास सीडीएसएल में डीमैट खाता है	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपका लाभार्थी आईडी 12************** है तो फिर आपका यूजर आईडी 12************** है।
ग) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास वास्तविक रूप में शेयर हैं	ईवीईएन नंबर के बाद कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नं. 001*** है और ईवीईएन 101456 है तो फिर यूजर आईडी 101456001*** है।

आपके पासवर्ड के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क.) यदि आप पहले से ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो फिर आप लॉग–इन करने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं।

ख.) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" लेने की आवश्यकता होगी जो आपको बताया गया था। जब आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" ले लेते हैं तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" प्रविष्ट करने की आवश्यकता होती है और सिस्टम आपको आपका पासवर्ड बदलने के लिए विवश करेगा।

ग.) "आरंभिक पासवर्ड" कैसे लेना है:

(i) यदि आपका ई–मेल आईडी आपके डीमैट खाते अथवा कंपनी में पंजीकृत है, तो आपका "आरंभिक पासवर्ड" आपको आपकी ई–मेल आईडी पर सूचित किया जाता है। एनएसडीएल से आपको भेजे गए ई–मेल को अपने मेल बॉक्स में खोजें। ई–मेल खोलें और संलग्न "पीडीएफ" फाइल खोलें। "पीडीएफ" फाइल खोलने के लिए एनएसडीएल खाते के लिए पासवर्ड आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी है, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नं. है। "पीडीएफ" फाइल में आपका "यूजर आईडी" तथा "आरंभिक पासवर्ड" है।

(ii) यदि आपका ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नोटिस की टिप्पणी संख्या 6 में दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

II. यदि आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" लेने में अक्षम हैं अथवा प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

क. यदि आपके एनएसडीएल अथवा सीएसडीएल में आपके डीमैट खाते में शेयर हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर "यूजर ब्यौरा/पासवर्ड भूल गए" विकल्प पर क्लिक करें।

ख. यदि आपके शेयर भौतिक स्वरूप में हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "फिजिकल यूजर रीसैट पासवर्ड" पर क्लिक करें।

ग. यदि आप उपर्युक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड लेने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नं., पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए www.evoting.nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

घ. सदस्य एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉग–इन का भी प्रयोग कर सकते हैं।

III. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "निबंधन एवं शर्तों" से सहमत हूँ, पर निशान लगाएं।

IV. अब, आपको "लॉग–इन" बटन पर क्लिक करना होगा।

V. "लॉग–इन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई–वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

यदि कोई प्रश्न हो तो आप शेयरधारकों के लिए बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है अथवा टोल फ्री नं. 1800–222–990 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध करें अथवा श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक अथवा सुश्री पल्लवी महात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि., ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400 013 को ई–मेल आईडी: evoting@nsdl.co.in अथवा amitv@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर भेजें अथवा दूरभाष संख्या +91–22 2499 4360 अथवा +91–99202 64780 अथवा +91–22–2499 4545 पर संपर्क करें, जो इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। सदस्य कंपनी सचिव को कंपनी के ई–मेल पते complianceofficer@recl.in पर भी लिख सकते हैं।

ख. 51वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश:

1 सदस्यों को एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य उसे रिमोट ई–वोटिंग प्रमाणों का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों के लॉग इन के तहत http://www.evoting.nsdl.com पर प्राप्त कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारकों/सदस्यों के लॉग इन पर उपलब्ध होगा, जहां पर कि कंपनी का ईवीईएन दिखाई देगा। कृपया यह नोट करें कि ऐसे सदस्य, जिनके पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं अथवा यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे उसे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं ताकि अंतिम समय पर व्यस्तता से बचा जा सके। इसके अलावा, सदस्य एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली में लॉग इन करने के लिए ओटीपी आधारित लॉग इन का भी उपयोग कर सकते हैं।

2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3. सदस्यों को कैमरे की भी अनुमति होगी और बैठक के दौरान किसी भी रुकावट से बचने के लिए अच्छी स्पीड का इंटरनेट उपयोग करने की अनुमति होगी।

4. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए मोबाइल उपकरणों अथवा टेबलेट अथवा लैपटॉप से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागी को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। अतः सिफारिश की जाती है कि उपरोक्त किसी भी प्रकार की रुकावट में कमी करने के लिए स्थिर वाईफाई अथवा एलएएन कनेक्शन का उपयोग करें।
5. ऐसे शेयरधारक, जो बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे "स्पीकर" के रूप में स्वयं को पंजीकृत करें और अपना नाम, डीमैट खाता नं./फोलियो नं. ई–मेल पता, मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले complianceofficer@recl.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं। ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने स्वयं को एक स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

ग. 51वीं एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेशः

1. एक बार नोटिस की सभी मदों पर बैठक में चर्चा पूरी हो जाने पर, प्रत्येक संकल्प को एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान के लिए रखा जाएगा। कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे संवीक्षक को ई–मेल scrutinizer.recl@gmail.com पर बोर्ड के संकल्प/प्राधिकारी पत्र की एक प्रमाणित प्रति भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजें।
2. एजीएम के दिन ई–वोटिंग के लिए प्रक्रिया रिमोट ई–वोटिंग हेतु उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार ही होगी।
3. केवल ऐसे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के जरिए संकल्पों पर अपने मत नहीं दिए हैं और जो ऐसा करने के लिए अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वे एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान के लिए पात्र होंगे।
4. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के जरिए मत दिया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। तथापि, वे एजीएम के दौरान मतदान देने के लिए पात्र नहीं होंगे।
5. ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे, जिनसे एजीएम के दिन ई–वोटिंग के लिए सुविधा से जुड़ी किसी शिकायत के लिए सम्पर्क कर सकते हैं, वह वही व्यक्ति होगा, जो रिमोट ई–वोटिंग के लिए उल्लिखित किया गया है।

51वीं वार्षिक आम बैठक में पुनः नियुक्ति के इच्छुक निदेशक (कों) का संक्षिप्त विवरण

नाम	**श्री संजीव कुमार गुप्ता**
डीआईएन	03464342
जन्मतिथि	04 अक्तूबर, 1961
नियुक्ति की तारीख	16 अक्तूबर, 2015
योग्यता	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक
विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री संजीव कुमार गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 1 जून, 2020 से अतिरिक्त प्रभार) और दिनांक 16 अक्तूबर, 2015 से आरईसी के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) हैं। आपके पास जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंत नगर, उत्तराखंड से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। आपने प्रतिष्ठित सीपीएसयू एनएचपीसी, पावरग्रिड और आरईसी में कार्य किया है और आपके पास अंतर्राष्ट्रीय परामर्शी कार्यों, सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी और विद्युत परियोजनाओं का वित्पोषण इत्यादि सहित बड़ी पारेषण परियोजनाओं के नियोजन, डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं रख–रखाव, प्रापण और संविदा, गुणवत्ता आश्वासन, परियोजना प्रबंधन जैसे विविध कार्यों का भारतीय विद्युत क्षेत्र में 38 वर्षों का अनुभव है। आप कोर टीम के सदस्य थे और भारत की प्रथम 765 केवी एसी और ±800 केवी एचवीडीसी पारेषण लाइन के लिए तकनीकी विनिर्देशन तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे और नई प्रौद्योगिकियों को लाने, आरओडब्ल्यू ऑप्टिमाइजेशन, पारेषण लाइनों को अपग्रेड करने, भारतीय पारेषण ग्रिड में विशेष कंडक्टर के लिए सहायक थे। आप अपनी वर्तमान भूमिका में, विद्युत और इंफ्रा परियोजनाओं के मूल्यांकन और वित्तपोषण, कारोबारी विकास, अपने मिशन, लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए कंपनी के विविधीकरण और समग्र प्रभावी कार्यकरण सहित सभी तकनीकी कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। आप भारत सरकार के डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण और घरेलू विद्युतीकरण के सफल कार्यान्वयन की निगरानी करने में सहायक रहे हैं। आप आरईसी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड और आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में पदेन अध्यक्ष भी हैं और इन कंपनियों में पहले भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्य कर चुके हैं। आप वरिष्ठ प्रबंधन के स्तर पर दिनांक 16 मार्च, 2010 से आरईसी में कार्य करते रहे हैं और आपने पहले यूपी पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड, तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड इत्यादि सहित कई कंपनियों के बोर्ड में नामिती निदेशक के रूप में कार्य किया है।
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	• आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड • आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
आरईसी से भिन्न सभी अन्य सरकारी कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	––
निदेशकों के साथ आपसी संबंध	कंपनी के किसी निदेशक के साथ आपसी संबंध नहीं है।
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	शून्य

निदेशकों का परिचय

श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएनः 03464342)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (1 जून, 2020 से अतिरिक्त प्रभार) श्री संजीव कुमार गुप्ता 16 अक्टूबर, 2015 से आरईसी के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) हैं। आप जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंत नगर, उत्तराखंड से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। आपके पास केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों एनएचपीसी, पावरग्रिड और आरईसी में काम करने का व्यापक अनुभव है। आपके पास भारतीय विद्युत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परामर्शी कार्यों, सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी और विद्युत परियोजनाओं के वित्पोषण इत्यादि सहित बड़ी पारेषण परियोजनाओं के नियोजन, डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं रख–रखाव, प्रापण और संविदा, गुणवत्ता आश्वासन, परियोजना प्रबंधन जैसे विविध कार्यों का 38 वर्षों का अनुभव है। आप, भारत की प्रथम 765 केवी एसी और ±800 केवी एचवीडीसी पारेषण लाइन के लिए तकनीकी विनिर्देशन तैयार करने के लिए जिम्मेदार कोर टीम के सदस्य थे और नई प्रौद्योगिकियों को लाने, आरओडब्ल्यू ऑप्टिमाइजेशन, पारेषण लाइनों को अपग्रेड करने तथा भारतीय पारेषण ग्रिड के विशेष कंडक्टर में सहयोगी रहे हैं।

आप, इस समय, विद्युत और इंफ्रा परियोजनाओं के मूल्यांकन और वित्तपोषण, कारोबारी विकास, अपने मिशन, लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए कंपनी के विविधीकरण और समग्र प्रभावी कार्यकरण सहित सभी तकनीकी कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। आप, भारत सरकार के डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण और आवास विद्युतीकरण के सफल कार्यान्वयन की निगरानी करने में सहायक रहे हैं। आप, आरईसी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड और आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में पदेन अध्यक्ष भी हैं और इन कंपनियों में पहले भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्य कर चुके हैं।

आप, आरईसी में 16 मार्च, 2010 से वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर कार्य करते रहे हैं और आपने पहले यूपी पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड, तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड आदि कई कंपनियों के बोर्ड में नामिती निदेशक के रूप में कार्य किया है।

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, श्री संजीव कुमार गुप्ता के पास कंपनी में "शून्य" इक्विटी शेयर थे और आपका कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ कोई पारस्परिक नहीं है।

श्री अजय चौधरी (डीआईएनः 06629871)

निदेशक (वित्त)

श्री अजय चौधरी 1 जून, 2020 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) हैं। आप, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटेंट ऑफ इंडिया के एसोशिएट सदस्य हैं। आपके पास भारतीय विद्युत क्षेत्र में अनेक कार्यों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त, संविदा प्रबंधन, ऋण और वसूली, कारपोरेट अकाउंट्स संसाधन जुटाने और ट्रेजरी आदि में 31 वर्ष से अधिक का अनुभव है। आप, 16 अप्रैल, 2007 से आरईसी में वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर कार्य कर रहे हैं और विभिन्न प्रणालीगत सुधारों के कार्यान्वयन में सहायक रहे हैं, जिनमें ऋण वसूली दिशा–निर्देश तैयार करना, ग्राहकों के साथ संप्रेषण और सेवाओं में सुधार लाना, तथा आरईसी में समग्र संसाधनों और संधियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना शामिल है। आप भारतीय विद्युत क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनियों के सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, "उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना" (उदय) का कार्यान्वयन करने के लिए बनाई गई कोर टीम के सदस्य भी रहे हैं। आरईसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आपने 19 वर्षों तक पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

निदेशक (वित्त) के रूप में आप संगठन में संगठनात्मक और वित्तीय नियोजन, वित्तीय नीति बनाने, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन नियंत्रण, नकदी और निधि प्रबंधन, कर नियोजन, संसाधनों को जुटाने और प्रबंधन करने, वित्तीय संस्थानों और पूंजीगत बाजारों के भागीदारों के साथ संपर्क करने सहित वित्तीय प्रबंधन और प्रचालनों के संबंध में मार्गदर्शन एवं परामर्श देते हैं। आप ट्रेजरी के कार्यों, ऋण प्रचालनों का भी पर्यवेक्षण करते हैं और कारपोरेट जोखिम प्रबंधन के मामलों में परामर्श देते हैं।

आप, आरईसी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 25 मार्च, 2019 से और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड में 12 जून, 2020 से बोर्ड के नामिती निदेशक भी हैं। आपने टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में नामिती निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

निदेशक (वित्त) बनने की तारीख में श्री अजय चौधरी के पास कंपनी में 200 इक्विटी शेयर थे और आपका कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ कोई पारस्परिक नहीं है।

श्री मृत्युंजय कुमार नारायण (डीआईएनः 03426753)

सरकारी नामिती निदेशक

श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, दिनांक 2 सितंबर, 2019 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक हैं। आप उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं। वर्तमान में आप विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। आपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और एम.टेक किया है। आपने किंग्स कॉलेज, लंदन से पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में एमएससी और लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी भी किया है।

करीब 25 वर्षों के कैरियर में आपका उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न पदों पर कार्य करने का अनुभव है। विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आप सवा दो वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सचिव रह चुके हैं। इस पद पर रहते हुए आपको राज्य में शासन के सभी कार्यों का व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ। आपको नीति निर्माण तथा साथ ही कार्यान्वयन का भी व्यापक अनुभव है। आपने दो वर्षों से अधिक समय तक आयुक्त, वाणिज्य कर और मनोरंजन कर के पद पर कार्य किया है। इन विभागों का राज्य के राजस्व में 60 प्रतिशत से अधिक योगदान होता है। आप शासन के उच्च पदों पर उत्तर प्रदेश राज्य में सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट से लेकर मुख्य विकास अधिकारी, कलेक्टर से लेकर मंडल आयुक्त के पदों पर काम कर चुके हैं। आपने लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के पद पर भी कार्य किया है। आप 28 अगस्त, 2019 से पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में और दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 से पीटीसी इंडिया लिमिटेड में भी सरकारी नामिती निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण के पास कंपनी में "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ कोई पारस्परिक नहीं है।

श्री प्रवीण कुमार सिंह (डीआईएनः 03548218)

नामिती निदेशक – पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

श्री प्रवीण कुमार सिंह दिनांक 18 जून, 2019 से आरईसी के बोर्ड में पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के नामिती निदेशक हैं। आप दिनांक 10 अगस्त, 2018 से पीएफसी के बोर्ड में निदेशक (वाणिज्य) हैं। श्री सिंह को दिनांक 1 जून, 2020 से अपने वर्तमान पोर्टफोलियो के अलावा, पीएफसी में निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इससे पूर्व, श्री सिंह पीएफसी में कार्यकारी निदेशक (परियोजना) थे और 24 वर्षों से पीएफसी में परियोजना प्रभाग की विभिन्न इकाईयों में कार्य कर रहे हैं। पहले आपने देश की सबसे बड़ी विद्युत उपस्कर निर्माता कंपनी भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स (भेल) में तथा इंडस्ट्री बॉडी कांफेडेरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज (सीआईआई) में भी 9 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया था।

श्री सिंह ने आईआईटी–बीएचयू से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और आईआईटी, दिल्ली से ऊर्जा पर्यावरण प्रबंधन में एम.टेक किया था। आपने, बेयर कॉलेज ऑफ बिजनेस, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी, यूएसए से "ग्लोबल एनर्जी एमबीए प्रोग्राम" भी किया है। श्री सिंह, भारत सरकार की विभिन्न समितियों में पीएफसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप, पीएफसी कंसल्टेंसी लिमिटेड के बोर्ड और यूएमपीपी के कार्यान्वयन के लिए गठित एसपीवी में निदेशक के पद पर भी कार्यरत हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, श्री प्रवीण कुमार सिंह के पास कंपनी में 40 इक्विटी शेयर थे और आपका कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ कोई पारस्परिक नहीं है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारकगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित इक्यावनवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य निष्पादन संबंधी मुख्य तथ्य

1.1. कार्य–निष्पादन का सारांश

पिछले वर्ष के कार्य–निष्पादन की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2019–20 के संबंध में कंपनी के कार्य निष्पादन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

मानदंड	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
संस्वीकृत ऋण	**1,10,907.99**	1,15,957.35
संवितरण	**75,666.95**	72,165.43
डीडीयूजीजेवाई (डीडीजी सहित) और सौभाग्य के अंतर्गत सब्सिडी	**6,473.88**	19,662.13
वसूलियां (ब्याज सहित)	**62,559.74**	55,093.20
कुल प्रचालन आय	**29,791.06**	25,309.72
कर पूर्व लाभ	**6,983.29**	8,100.50
कर पश्चात लाभ	**4,886.16**	5,763.72
कुल व्यापक आय	**4,336.37**	5,703.18

1.2 वित्तीय प्रदर्शन

आपकी कंपनी की कुल प्रचालन आय पिछले वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 25,309.72 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, 29,791.06 करोड़ रुपये थी। कर पश्चात लाभ और कुल व्यापक आय वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 5,763.72 करोड़ रुपये और 5,703.18 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए क्रमशः 4,886.16 करोड़ रुपये और 4,336.37 करोड़ रुपये थी।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की सकल ऋण परिसंपत्ति बही पिछले वर्ष में 2,81,209.68 करोड़ रुपये की तुलना में 3,22,424.68 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, 2,80,115.85 करोड़ रुपये का उधार बकाया था।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) 10/– रुपये के प्रत्येक शेयर पर 24.74 रुपये प्रति शेयर था। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की निवल संपत्ति 2.26 प्रतिशत बढ़कर 35,076.56 करोड़ रुपये हो गई, जो 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 34,302.94 करोड़ रुपये थी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरईसी को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय रिर्पोटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आईसीएआई अवार्ड प्राप्त हुआ।

1.3 लाभांश

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रत्येक 10/– रुपये के इक्विटी शेयर पर 11.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (यह कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का 110 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है) के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है और 24 फरवरी, 2020 को इसका भुगतान कर दिया गया था। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अंतिम लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

चुनौतीपूर्ण कारोबारी परिदृश्य के बावजूद, कंपनी ने 11.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से लाभांश के जरिए अपने शेयरधारकों को निरंतर पुरस्कृत किया है, जो पिछले वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि के समान है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए भुगतान किए गए कुल लाभांश की राशि 2,172.41 करोड़ रुपये (लाभांश वितरण कर को छोड़कर) है।

लाभांश का भुगतान कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुसार किया जाता है, जो कंपनी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/ Dividend_Distribution_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

1.4 शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपये थी, जिसमें 10/– रुपये प्रत्येक के 500 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे; और कंपनी की जारी की गई एवं चुकता शेयर पूंजी 1,974.92 करोड़ रुपये थी जिसमें 10/– रुपये प्रत्येक के 197,49,18,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। इसके अलावा, दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की 52.63 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी जिसमें 10/– रुपये प्रत्येक के 103,94,95,247 इक्विटी शेयर भारत सरकार के उपक्रम पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा रखे गए थे; और शेष 47.37 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी जनता द्वारा रखी गई थी।

2. स्वीकृत ऋण

कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1,15,957.35 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 1,10,907.99 करोड़ रुपये मूल्य के ऋण स्वीकृत किये हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए स्वीकृति में उत्पादन परियोजनाओं के लिए 55,811.89 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 7,026.33 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 41,604.77 करोड़ रुपये और अल्प अवधि, मध्यावधि और अन्य ऋणों के लिए 6,465.00 करोड़ रुपये शामिल हैं। आपकी कंपनी द्वारा अपनी शुरूआत से लेकर 31 मार्च, 2020 तक 10,99,749.45 करोड़ रुपये की संचयी स्वीकृति की गई।

3. संवितरण

पिछले वित्तीय वर्ष में वितरित 72,165.43 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 75,666.95 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए संवितरण में उत्पादन परियोजनाओं के लिए 27,490.87 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 5,699.09 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 30,856.19 करोड़ रुपये, अल्प अवधि, मध्यावधि और अन्य ऋणों के लिए 6,390.00 करोड़ रुपये और डीडीजी (विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन) और सौभाग्य योजनाओं सहित डीडीयूजीजेवाई के तहत काउंटर पार्ट वित्तपोषण के लिए 5,230.80 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार से 6,473.88 करोड़ रुपये की राशि (अर्थात डीडीयूजीजेवाई के तहत 5,733.62 करोड़ रुपये की सब्सिडी, डीडीयूजीजेवाई–डीडीजी के तहत 44.13 करोड़ रुपये की सब्सिडी, और सौभाग्य के तहत 696.13 करोड़ रुपये की सब्सिडी) भी वितरित की गई थी। शुरूआत से लेकर 31 मार्च, 2020 तक संचयी रूप से वितरित धनराशि, डीडीयूजीजेवाई–आरई और डीडीजी के तहत सब्सिडी को छोड़कर, 5,97,121.87 करोड़ रुपये थी।

4. वसूलियां

4.1 कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के निमित्त अपने बकाया की समय से वसूली को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, मानक परिसंपत्ति (स्टेज–I और स्टेज–II) के लिए ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि पिछले वर्ष के दौरान 55,155.10 करोड़ रुपये की तुलना में 62,340.60 करोड़ रुपये (कोविड–19 मोरेटोरियम नीति के अनुसार आस्थगित 1,496.20 करोड़ रुपये को छोड़कर) थी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान मानक परिसंपत्ति (स्टेज–I और स्टेज–II) के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 54,502.06 करोड़ रुपये की तुलना में कुल 61,945.04 करोड़ रुपये की राशि वसूल की। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 99.37 प्रतिशत की वसूली दर हासिल की। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, मानक परिसंपत्तियों (स्टेज–I और II) से संबंधित चूककर्ता उधारकर्ताओं से अतिदेय राशि 2,887.29 करोड़ रुपये (कोविड–19 मोरेटोरियम नीति के अनुसार आस्थगित 1,496.20 करोड़ रुपये को छोड़कर) थी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों (स्टेज–III) से 614.69 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है जबकि वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 591.14 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई थी।

4.2 आपकी कंपनी की गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) (स्टेज–III) निचले स्तर पर जारी रहीं। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, सकल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) (स्टेज–III) 21,255.55 करोड़ रुपये थीं, जो सकल ऋण परसंपत्तियों का 6.59 प्रतिशत था और निवल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) (स्टेज–III) 10,703.42 करोड़ रुपये थीं जो ऋण परिसंपत्तियों का 3.32 प्रतिशत थीं।

5. वित्तीय समीक्षा

5.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
प्रचालनों से राजस्व	29,791.06	25,309.72	29,929.78	25,399.02
अन्य आय	63.92	31.44	77.27	32.31
कुल आय	**29,854.98**	**25,341.16**	**30,007.05**	**25,431.33**
वित्त लागत	18,997.05	15,641.54	18,991.30	15,639.20
निवल ट्रांसलेशन/लेन–देन विनिमय हानि	2,357.90	521.19	2,357.90	521.19
शुल्क और कमीशन व्यय	25.44	34.38	25.44	34.38
उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि	25.85	348.52	25.85	348.52
वित्तीय दस्तावेजों पर प्रभाव	889.56	240.33	919.49	243.49

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
अन्य व्यय	575.89	454.70	666.23	564.06
कुल व्यय	**22,871.69**	**17,240.66**	**22,986.21**	**17,350.84**
इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए शामिल संयुक्त उद्यम लाभ/हानि का हिस्सा	0	0	9.14	9.95
कर पूर्व लाभ	**6,983.29**	**8,100.50**	**7,029.98**	**8,090.44**
कर व्यय	2,097.13	2,336.78	2,057.71	2,349.06
कर पश्चात लाभ	**4,886.16**	**5,763.72**	**4,972.27**	**5,741.38**
इस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	(549.79)	(60.54)	(553.85)	(60.59)
कुल व्यापक आय	**4,336.37**	**5,703.18**	**4,418.42**	**5,680.79**
जोड़ें: प्रतिधारित आय और अन्य व्यापक आय का आरंभिक शेष	5,036.27	5,304.75	5,226.53	5,536.07
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	**9,372.64**	**11,007.93**	**9,644.95**	**11,216.86**
घटाएं: विनियोजन				
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व	(1,522.32)	(1,323.59)	(1,522.32)	(1,323.59)
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii ए) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण	(336.52)	(273.62)	(336.52)	(273.62)
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत रिजर्व निधि	(978.00)	(1,153.00)	(978.00)	(1,153.00)
डिबेंचर मोचन रिजर्व	(49.15)	(196.59)	(49.15)	(196.59)
गैर–निष्पादन रिजर्व	(793.29)	-	(793.29)	-
उप-जोड़ – विनियोजन	***(3,679.28)***	***(2,946.80)***	***(3,679.28)***	***(2,946.80)***
घटाएं: स्वामियों को लाभांश का भुगतान (संगत करों सहित)				
लाभांश	(2,172.41)	(2,518.02)	(2,172.41)	(2,518.02)
लाभांश वितरण कर	(435.78)	(506.84)	(446.06)	(525.51)
उप-जोड़: स्वामितियों को लाभांश का भुगतान (संगत करों सहित)	***(2,608.19)***	***(3,024.86)***	***(2,618.47)***	***(3,043.53)***
प्रतिधारित आय और अन्य व्यापक आय का अंतिम शेष	**3,085.17**	**5,036.27**	**3,347.20**	**5,226.53**

टिप्पणियां: रिजर्व से आहरण द्वारा कमी/स्थानांतरण–विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सृजित रिजर्व के सांविधिक परिवर्तन और उपयोग के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न रिजर्व से सामान्य रिजर्व में निम्नलिखित धनराशि अंतरित की है:

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 16 अगस्त, 2019 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 574 (ई) के अनुसरण में डिबेंटर मोचन रिजर्व (डीआरआर) से 1,367.27 करोड़ रुपये। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 24.5 देखें।
2. ऋण परिसंपत्तियों पर वास्तविक बट्टे खाते के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viia)(ग) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से 378.41 करोड़ रुपये।

5.2 राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष में 2,624.44 करोड़ रुपये (भारत सरकार को भुगतान किए गए अंशदान को छोड़कर) की तुलना में राष्ट्रीय राजकोष में 2,214.12 करोड़ रुपये की राशि का अंशदान दिया। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
भारत सरकार को अदा किया गया लाभांश	-	1,343.75
लाभांश संवितरण कर	**435.78**	506.84
प्रत्यक्ष कर	**1,748.74**	2,043.13
आईजीएसटी और सीजीएसटी	**29.60**	74.47
कुल	**2,214.12**	**3,968.19**

5.3 अनुपात विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के महत्वपूर्ण अनुपातों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
प्रति शेयर अर्जन (₹)	**24.74**	29.18
औसत निवल मूल्य पर आय (%)	**14.09**	17.31
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	**177.61**	173.69
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	**7.99**	6.98
मूल्य अर्जन अनुपात (गुना)*	**3.59**	5.24
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	**1.37**	1.52

*मूल्य अर्जन अनुपात का परिकलन क्रमशः 31 मार्च, 2020, और 29 मार्च, 2019 (30–31 मार्च, 2019 को अवकाश होने के कारण) की स्थिति के अनुसार एनएसई में आरईसी के इक्विटी शेयर की अंतिम कीमत के आधार पर किया गया है।

5.4 संसाधन जुटाना

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बाजार से 84,358.12 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसमें बैंकों से सावधि ऋणों के जरिए 9,725.00 करोड़ रुपये, बैंकों से अल्पावधिक ऋणों के जरिए 2,750.00 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय लघु बचत कोष से सावधि ऋणों के जरिए 5,000 करोड़ रुपए, पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्डों के जरिए 6,159.32 करोड़ रुपये और संस्थागत बांडों के जरिए 42,713.10 करोड़ रुपये शामिल हैं। कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधारी से 2,551.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर [बाह्य वाणिज्यिक उधारी से 1,600.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर, एफसीएनआर(बी) से 790.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर और शासकीय विकास सहायता (ओडीए) ऋणों से 161.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर] के बराबर 18,010.70 करोड़ रुपये भी जुटाए। उपरोक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2019–20 में वाणिज्यिक दस्तावेज के माध्यम से 6,249.64 करोड़ रुपये की राशि भी जुटाई।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं की वित्तपोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निजी रूप से रखने के आधार पर जारी किए गए संस्थागत बांडों के माध्यम से कुल 3,782.30 करोड़ रुपये की राशि भी जुटाई। इन बॉण्डों के मूलधन का पुनर्भुगतान और ब्याज की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से की जाएगी।

आरईसी द्वारा जारी ग्रीन बॉण्डों का प्रकटन

देश में हरित ऊर्जा की भारी संभावना को लेने के लिए भारत सरकार के विजन को महसूस करने के निमित्त और 2022 तक 175 गीगावाट की क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरईसी ने जुलाई, 2017 में दस वर्षों की अवधि के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉण्ड जुटाए जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (आईएसएम) सेगमेंट और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध हैं।

धनराशि का प्रयोग : धनराशि का उपयोग सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव में योगदान करते हुए और जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए आरईसी के ग्रीन बांड कार्यढांचों में परिभाषित किए गए अनुसार पात्र परियोजनाओं के पुनः वित्तपोषण सहित सौर, पवन और नवीकरणीय क्रय दायित्वों के वित्तपोषण के लिए किया गया है।

केपीएमजी, भारत ने आरईसी के ग्रीन बॉण्ड कार्यढांचे के आधार पर सत्यापन के उपरांत अपनी स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट उपलब्ध कराई है और उसे 17 जुलाई, 2018 को जलवायु बॉण्ड पहल के जलवायु बांड मानक बोर्ड द्वारा प्रमाणित भी किया गया है।

आरईसी ने ग्रीन बॉण्ड कार्यढांचा के अनुसार "ग्रीन पोर्टफोलियो" सृजित किया है जिसका प्रबंधन उस ग्रीन पोर्टफोलियो के लिए धनराशि के आबंटन हेतु मॉनीटरिंग, स्थापना और हिसाब रखने के लिए नियमित आधार पर अद्यतन की गई सुस्थापित आंतरिक ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से किया गया।

धनराशि का प्रबंधनः 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 2,894 करोड़ रुपये की धनराशि के बॉण्डों से प्राप्त निवल राशि को निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए आबंटित किया गया था:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	ऋण संस्वीकृति की तारीख	संस्वीकृत ऋण राशि	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार बकाया धनराशि
सौर					
1	तेलंगाना	45	21.09.2016	269.50	245.09
2	तेलंगाना	30	21.09.2016	179.62	162.73
3	करीमनगर तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	78.44
4	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	10	27.01.2016	53.81	43.05
5	वारंगल, तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	78.66

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	ऋण संस्वीकृति की तारीख	संस्वीकृत ऋण राशि	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार बकाया धनराशि
6	आंध्र प्रदेश	500	24.02.2016	2,480.00	1,894.01
7	करीमनगर, तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	78.41
8	अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	5	09.02.2015	24.45	19.44
9	तेलंगाना	30	21.09.2016	179.62	162.37
10	कडप्पा, आंध्र प्रदेश	50	12.04.2017	277.50	253.84
11	रंडा रेड्डी, तेलंगाना	5	27.01.2016	26.90	23.37
12	मनसा, पंजाब	50	22.09.2016	242.84	-
13	मेडक, तेलंगाना	7	26.11.2015	39.90	33.91
14	निजामाबाद, तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	78.11
15	आंध्र प्रदेश	23	24.02.2016	140.00	-
16	करीमनगर, तेलंगाना	15	11.11.2016	89.84	78.43
17	निरुदानगर, तमिलनाडु	5	14.07.2015	26.13	20.14
18	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	30	17.04.2017	150.39	134.55
19	मनसा और संगरूर, पंजाब	50	21.05.2016	169.69	148.88
			उप–जोड़ (क)	**4,709.55**	**3,533.43**
पवन					
1	सांगली, महाराष्ट्र	10	24.02.2015	47.09	36.22
2	मंदसौर, मध्य प्रदेश	20	28.01.2016	86.63	64.66
3	तिरपुर, तमिलनाडु	6.8	06.06.2012	26.16	18.66
			उप–जोड़ (ख)	**159.88**	**119.54**
नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ)					
1	महाराष्ट्र	आरपीओ	24.07.2017	500.00	312.50
2	महाराष्ट्र	आरपीओ	21.09.2017	1,000.00	200.00
			उप–जोड़ (ग)	**1,500.00**	**512.50**
			सकल जोड़ (क+ख+ग)	**6,369.43**	**4,165.47**

पवागडा सोलर पार्क में आरईसी द्वारा वित्तपोषित अवाडा समूह की 150 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना

आरईसी यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सतत दायित्वों के अनुसार अपने ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है कि ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि बॉण्ड की अवधि के दौरान ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क के अनुसार पात्र परियोजनाओं में निवेश की गई है।

नकद ऋण सुविधाएं

आपकी कंपनी को अपने दिन–प्रति दिन के प्रचालनों के लिए विभिन्न बैंकों से 10,020.00 करोड़ रुपये की सीमा तक अनुमोदित नकद ऋण/डब्ल्यूसीडीएल/ओडी उपलब्ध है।

5.5 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

घरेलू

आरईसी के घरेलू ऋण दस्तावेजों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों – क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं आईसीआरए से "एएए" रेटिंग प्राप्त होना जारी है जो इन एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग है।

अंतर्राष्ट्रीय

आरईसी को मूडीज तथा फिच, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी–" की सोवरन रेटिंग के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है।

5.6 उधार की लागत

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जुटाई गई निधियों की और यह 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, बकाया उधार के लिए, अन्य वित्त प्रभारों को छोड़कर, वार्षिक आधार पर समग्र भारित औसत ब्याज दर क्रमशः 6.70% और 7.32% है। परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण वित्तपोषण करने में समर्थ रही।

5.7 उन्मोचन और पूर्व–भुगतान

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 42,605.58 करोड़ रुपये की धनराशि का पुनर्भुगतान किया है। इसमें संस्थागत बॉण्ड धारकों को 19,854.20 करोड़ रुपये, पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्डों का 7,662.91 करोड़ रुपये, अवसंरचना बांडों के लिए 74.97 करोड़ रुपये, बाहरी वाणिज्यिक उधारों का 1,740.59 करोड़ रुपये, एफसीएनआर ऋणों का 3,507.72 करोड़ रुपये और सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण का 190.19 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान शामिल है। कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंकों से 9,575.00 करोड़ रुपये के दीर्घावधिक ऋणों और 11,300.00 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के वाणिज्यिक दस्तावेजों का भी उन्मोचन कराया है।

5.8 वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर, आपकी कंपनी के कुल संसाधन 3,46,487.59 करोड़ रुपये के थे। इस राशि में से, इक्विटी शेयर पूंजी 1,974.92 करोड़ रुपये, आरक्षित तथा अधिशेष सहित अन्य इक्विटी 33,101.64 करोड़ रुपये, उधारियों और अन्य देनदारियों सहित वित्तीय देनदारियां 3,11,228.91 करोड़ रुपये, प्रावधानों और अन्य वित्तीय देनदारियों सहित गैर–वित्तीय देनदारियां 182.12 करोड़ रुपये रहीं। इन निधियों को 3,43,497.14 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक/अल्पकालिक ऋणों, निवेशों इत्यादि सहित वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में और 2,990.45 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, कर परिसंपत्तियों इत्यादि सहित गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के रुप में नियोजित किया गया।

5.9 नीतिगत पहलें

यह कंपनी बाजार की अपेक्षाओं और बदलती सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार, साथ–साथ चलने तथा अपने कारपोरेट उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए समय–समय पर अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं की निरंतर समीक्षा करती रहती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने "निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके सगे–संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए तथा पारदर्शी प्रकटन के लिए संहिता", "मैटेरियल सब्सिडियरी के निर्धारण के लिए नीति", "संगत पक्ष लेन–देन की वास्तविकता और संगत पक्ष लेन–देन के साथ व्यापार के संबंध में नीति" तथा "धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति" सहित विभिन्न नीतियां और दिशा–निर्देश अपनाए/संशोधित किए हैं। कंपनी ने प्रभावित परिसंपत्तियों के लिए एक नीति तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों के कार्यशील पूंजीगत ऋण के लिए अतिरिक्त दिशा–निर्देश भी अपनाए हैं।

6. वर्तमान पारेषण और वितरण परिदृश्य

पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) उद्योग देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता 370 गीगावाट (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार) के उच्च स्तर पर होने और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नियोजित अत्यधिक क्षमताओं के संबंध में व्यापक स्तर पर क्षमता अभिवृद्धि और प्रणाली संवर्धन का साक्षी है। तकनीकी रूप से पुरानी और कालातीत वितरण अवसंरचना को मजबूत करने की भी जरूरत है। सौर पार्कों की स्थापना होने से अवसंरचना तैयार करने की आवश्यकता पड़ी है ताकि अपेक्षाकृत कम समय अवधि में प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। समय की मांग है कि ऐसी अत्याधुनिक मजबूत और विश्वसनीय निष्क्रमण व वितरण प्रणाली स्थापित की जाए जो अधिक भार वहन करने में सक्षम है। भारत सरकार के अग्रगामी कार्यक्रम सौभाग्य के तहत लक्षित घरेलू कनेक्शन पूरे होने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपेक्षित गति आने के साथ ही आने वाले वर्षों में मांग में वृद्धि होने की संभावना है। अतः इस क्षेत्र में विश्वसनीय बनाने, वहनीय और भावी विकास को समाहित करने में सक्षम बनाने के लिए तथा देश के अंतिम छोर तक पहुँच प्रदान करने के लिए टीएंडडी घटक एक प्रमुख आकर्षण का क्षेत्र होगा।

नीति फ्रेमवर्क से उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति प्रदान करने और विद्युत ग्रिड के साथ भावी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिए राज्य सरकारों के समाधान में सहायता मिली है। वितरण क्षेत्र का पुनरुत्थान करने के लिए भारत सरकार ने देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार और बदलाव के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधान मंत्री सहज

बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स इत्यादि जैसी अनेक पहलें की हैं।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की नोडल एजेंसी के रूप में आपकी कंपनी इस क्षेत्र की हालत की सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपकी कंपनी नए अवसंरचना के सृजन और मौजूदा नेटवर्क के संवर्धन/सुदृढ़ीकरण में सक्रिय भूमिका निभाती है। आपकी कंपनी विभिन्न सुधारपरक उपायों में तेजी लाने के लिए और प्रणाली/स्मार्ट ग्रिड, मीटरिंग और उपभोक्ता सेवाओं, वितरण क्षेत्र में अन्य प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों के आधुनिकीकरण एवं ऑटोमेशन सहित सर्वोत्तम प्रक्रिया को अपनाने के लिए डिस्कॉम को प्रोत्साहित करती है, जिससे उनके प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने में मदद मिलती है।

विद्युत क्षेत्र और देश के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वितरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय के साथ संतुलन बनाते हुए, जहां यूटिलिटियों के समक्ष स्वयं को तैयार रखने के लिए समस्या आ रही है, और साथ ही उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, आपकी कंपनी प्रणाली में सुधार करने, और विकास करने, हानि में कमी लाने के उपाय करने, आईटी आधारित प्रणाली कार्यान्वित करने, उपभोक्ताओं की संतुष्टि करने इत्यादि व्यापक उद्देश्यों वाली समग्र वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है।

6.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने समय–समय पर विभिन्न सुधारपरक पहलें शुरू की हैं। अनबंडलिंग, कारपोरेटाइजेशन, संस्थागत विनियामक आयोग इत्यादि की प्रक्रिया अधिकांश राज्यों में पहले ही पूरी हो चुकी है, इस प्रकार डिस्कॉमों की जिम्मेदारी बढ़ाकर और साथ ही उन्हें अधिक स्वायत्ता प्रदान की जा रही है।

विगत में विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम प्रभावित डिस्कॉमों को लाभ प्रदान करने के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, शहरी पॉकेटों में हानियों को कम करने, आईटी सक्षम बनाने, और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किए गए थे। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और उदय जैसे उत्तरोत्तर हस्तक्षेपों से डिस्कॉमों को प्रचालनात्मक और वित्तीय बदलाव में सहायता मिल रही है। इसके अलावा, एक ब्याज सब्सिडी योजना के रूप में एनईएफ भी कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देना और वितरण क्षेत्र में सुधारों में तेजी लाना है। आरईसी डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन में और सौभाग्य तथा एनईएफ योजनाओं को प्रचालनात्मक करने के लिए नोडल एजेंसी है और यह उदय के कार्यान्वयन में भारत सरकार के प्रयासों में सहायता के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सभी राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित "सभी के लिए 24x7 विद्युत" दस्तावेज पूरे देश में विद्युत प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपकी कंपनी सभी के लिए विद्युत वेब पोर्टल के विकास में सहायक रही है और इस प्रयास में विद्युत मंत्रालय की सहायता कर रही है। आपकी कंपनी इस उद्देश्य को प्राप्त करने के मामले के समाधान के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ कार्य करके और अपेक्षित वित्तपोषण उपलब्ध कराकर संबंधित राज्य यूटिलिटियों में सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

विद्युत मंत्रालय ने देश में सभी राज्य डिस्कॉमों के लिए एकीकृत रेटिंग प्रणाली तैयार की है जो मुख्य परिभाषी मानदंडों के आधार पर निष्पादन का वास्तविक मूल्यांकन सुकर बनाती है। यह रेटिंग सिद्धांत डिस्कॉमों को उनकी शक्ति तथा कमजोरियों का विश्लेषण करने में समर्थ बनाती है तथा उनके प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन में सुधार के लिए केंद्रीय दृष्टिकोण को सुगम बनाती है। यह वितरण कंपनियों के वित्तपोषण संबंधित प्रस्तावों पर विचार करते समय, बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा सतत दृष्टिकोण को अपनाने में भी सहायता करती है।

वितरण क्षेत्र द्वारा 100 से अधिक स्मार्ट शहरों के विकास को बढ़ावा देने में आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने और प्रौद्योगिकी उन्नयन से नए वित्तीय अवसर प्रस्तुत होंगे। भारत सरकार ने सभी को विद्युत और यूटिलिटियों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय निष्पादन में सुधार करके सुविधा प्रदान की है जो कई राज्यों में विनियामक द्वारा प्रशुल्कों की समय पर अधिसूचना, एमवाईटी याचिकाएं दायर करने, एआरआर में इक्विटी पर आय का दावा करने, राज्य सरकारों द्वारा राजस्व सब्सिडी जारी करने आदि के संदर्भ में परिणाम दर्शा रहा है।

6.2 राष्ट्रीय विद्युत निधि

आरईसी राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के लिए कार्यान्वयन नोडल एजेंसी है – यह 8,466 करोड़ रुपये (ब्याज सब्सिडी और अन्य प्रासंगिक व्ययों की तुलना में) के प्रावधान वाली एक ब्याज सब्सिडी योजना है जिसमें दो वित्तीय वर्षों अर्थात 2012–13 और 2013–14 के दौरान स्वीकृत वितरण स्कीमों के लिए 23,973 करोड़ रुपये की धनराशि के ऋण संवितरण पर 14 वर्षों में दी जाएगी। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार राज्य विद्युत यूटिलिटियों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में वितरण कंपनियों को वितरण क्षेत्र में अवसंरचना सुधार के लिए, लिए गए ऋणों हेतु ब्याज के भुगतान के भुगतान पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है।

यह योजना सुधार संबद्ध है और एनईएफ दिशा–निर्देशों में उल्लिखित सुधार आधारित मानदंडों की उपलब्धि पर डिस्कॉमों को 3 प्रतिशत से 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देय है। शुरू में एनईएफ संचालन समिति ने एनईएफ के अधीन लाभ लेने के लिए 25,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित की थीं जो एनईएफ संचालन समिति के निर्णय के अनुसार कुछ नॉन स्टार्टर परियोजनाओं को सूची से हटाने के कारण घटकर 23,973 करोड़ रुपये हो गई है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से यूटिलिटियां 31 मार्च, 2020 तक इस योजना के तहत जारी 249.70 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी से पहले ही लाभान्वित हो चुकी हैं।

6.3 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

आरईसी, भारत सरकार की प्रमुख योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के प्रचालन के लिए भी नोडल एजेंसी है, जिसमें ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार विद्युत के

लिए सभी गैर–विद्युतीकृत गांवों/वासस्थलों को, उनकी आबादी के मानदंड पर ध्यान दिए बिना, शामिल किये गए हैं। सभी पूर्ववर्ती चालू ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दिया गया है। महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए देश में सभी शेष गैर–विद्युतीकृत जनगणना अनुसार बसावट वाले गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत कर दिया गया है।

डीडीयूजीजेवाई भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित परियोजना संघटकों के माध्यम से "सभी के लिए 24x7 विद्युत" के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

क) कृषि और गैर–कृषि फीडरों को अलग–अलग करके गैर–कृषि उपभोक्ताओं को सतत गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति में समर्थ बनाना;

ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उप–पारेषण और वितरण का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन;

ग) माइक्रो–ग्रिड और ऑफ–ग्रिड वितरण नेटवर्क;

घ) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं के मीटर लगाना; और

ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य (पूर्व की आरई परियोजनाओं सहित)।

योजना के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है और 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) निर्धारित उपलब्धि हासिल करने के बाद प्रदान किया जाता है। योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी हितधारकों की सहभागिता से, विशेष रूप से लोक प्रतिनिधियों को वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) (पूर्ववर्ती जिला विद्युत समिति) का गठन करके सहायता प्रदान की गई है। दिशा को डीडीयूजीजेवाई की निगरानी करने, समीक्षा करने और कार्यान्वयन करने के लिए सशक्त बनाया है।

योजना में भारत सरकार से 33,453 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित 43,033 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। विद्युत मंत्रालय द्वारा डीडीयूजीजेवाई के लिए 33 राज्यों और संघ–राज्य क्षेत्रों में 44,414 करोड़ रुपये की राशि (27,750 करोड़ रुपये की अनुदान राशि सहित) स्वीकृत की गई है, जिसमें से 31 मार्च, 2020 तक 27,606 करोड़ रुपये (20,440 करोड़ रुपये के अनुदान सहित) जारी किए जा चुके हैं।

6.4 जम्मू व कश्मीर के लिए प्रधान मंत्री विकास पैकेज 2015

माननीय प्रधान मंत्री ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण के लिए दिनांक 27 नवंबर, 2015 को पूर्ववर्ती जम्मू व कश्मीर राज्य (अब जम्मू व कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र) के लिए प्रधान मंत्री विकास पैकेज ("पीएमडीपी–2015") की घोषणा की थी, जिसकी अनुमोदित परियोजना लागत 2,570.14 करोड़ रुपये (भारत सरकार का अनुदान 90 प्रतिशत अर्थात 2,301.62 करोड़ रुपये) थी। योजना के तहत मुख्य कार्यों में, प्रणाली सुदृढ़ीकरण करना, कनेक्शन रहित घरों को कनेक्शन देना, कांटे का तार बदलना और टूटे पोल बदलना, पर्यटन स्थलों पर भूमिगत केबिल, उपभोक्ता मीटरिंग, औद्योगिक क्षेत्रों में 33/11 केवी के उप स्टेशनों का निर्माण करना और धर्म स्थलों पर विद्युत अवसंरचना प्रदान करना शामिल है।

उपरोक्त में से, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वितरण सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 1,157.73 करोड़ रुपये (भारत सरकार का अनुदान 1,041.96 करोड़ रुपये) की राशि मंजूर की गई है। धनराशि आरईसी के जरिए दी जाएगी और अब तक 570.94 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

6.5 सौभाग्य – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

माननीय प्रधानमंत्री ने देश में प्रत्येक गांव और जिले को शामिल करते हुए हर घर में बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिनांक 25 सितंबर, 2017 को प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना – सौभाग्य का शुभारंभ किया। योजना परिव्यय 16,320 करोड़ रुपये है जिसमें 12,320 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता शामिल है। योजना के प्रचालन के लिए आरईसी नोडल एजेंसी है।

सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लिए अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करके विद्युत उपलब्ध कराने की जरूरत है। जहां ग्रिड कनेक्शन तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं है, और वित्तीय रूप से अव्यवहार्य है, वहां सौर आधारित ऑफ ग्रिड प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकरण का सहारा लिया जाता है। सौभाग्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित उपलब्ध कराना है:

क. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर–विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन;

ख. शहरी क्षेत्रों में शेष सभी आर्थिक रूप से गरीब गैर–विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन। गैर–गरीब शहरी घरों को इस योजना से बाहर रखा गया है;

ग. दूर–दराज और बिना पहुँच वाले गांवों/वासस्थलों में स्थित गैर–विद्युतीकृत घरों के लिए सोलर फोटोवोल्टेक आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली, जहां ग्रिड विस्तार व्यवहार्य अथवा किफायती नहीं है।

योजना के तहत, विद्युत मंत्रालय ने 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 14,109 करोड़ रुपये (9,093 करोड़ रुपये के अनुदान सहित) मंजूर किए हैं जिसमें से 31 मार्च, 2020 तक 8,007 करोड़ रुपये (4,946 करोड़ रुपये के अनुदान सहित) जारी किए जा जा चुके हैं। योजना के तहत, 31 मार्च, 2020 तक 2.76 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया है।

6.6 उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना

वित्तीय रूप से बोझिल डिस्कॉम वहनीय दरों पर पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण देश में लंबे समय से गुणवत्तापरक जीवन, समग्र आर्थिक वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। शत–प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण करने और फिर 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण करने, 24x7 विद्युत की आपूर्ति करने और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के प्रयासों को डिस्कॉमों का पर्याप्त क्षमता निर्माण किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, लगातार विद्युत कटौती की समस्या के "मेक इन इंडिया"

और "डिजिटल इंडिया" जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए शीघ्र समाधान की आवश्यकता है। डिस्कॉमों के साथ अनसुलझे विरासत के मुद्दों से वे ऋण से वित्तपोषित की जा रही प्रचालनात्मक हानियों के दुश्चक्र में फंस गए हैं।

इन सब लंबे समय से चले आ रहे तथा संभावित भावी मुद्दों का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवंबर, 2015 में "उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना" (उदय) शुरू की गई थी, जो माननीय प्रधानमंत्री सभी के लिए 24x7 किफायती और सुलभ विद्युत के विजन को साकार करने के लिए एक सुधार है। उदय योजना से डिस्कॉमों को निम्नलिखित पहलों के जरिए उनकी संगत एमओयू अवधि समाप्त होने पर हानि रहित व्यापार करने का अवसर मिलेगाः

क. डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार लाना,

ख. विद्युत की लागत में कमी,

ग. डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कमी, और

घ. राज्यों के वित्तपोषण के साथ मिलकर डिस्कॉमों पर वित्तीय अनुशासन लागू करना।

आपकी कंपनी परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/यूटिलिटी के साथ संपर्क करने के लिए भारत सरकार की सहायता कर रही है। इस कार्यक्रम ने पहले ही विभिन्न राज्य सरकारों/डिस्कॉमों को आकर्षित किया है और अब 32 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उदय योजना का हिस्सा हैं। उदय योजना के उत्साहवर्धक परिणाम रहे हैं क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा 2.09 लाख करोड़ रुपये मूल्य की डिस्कॉमों की देयताएं प्राप्त हो रही हैं और 0.24 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि बॉण्डों के आश्वासन के जरिए पुनर्गठित/पुनः कीमत तय की गई है; इस प्रकार डिस्कॉम के तुलन–पत्र दुरुस्त हो रहे हैं और वे पूंजीगत व्यय चक्र को पुनः शुरू करने में समर्थ हो रहे हैं, साथ ही सभी विद्युत क्षेत्र के हितधारकों अर्थात डिस्कॉम, ट्रांस्को, जेनको, आईपीपी, बैंकों/वित्तीय संस्थानों इत्यादि के वित्तीय रूप से व्यवहार्य प्रचालन भी हो रहे हैं।

6.7 ऊर्जा मित्र

ऊर्जा मित्र वितरण क्षेत्र की एक पहल है, और यह विद्युत मंत्रालय के मार्ग निर्देशन में आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी *(आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड)* द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा इस प्रकार का पहला अनुप्रयोग है। ऊर्जा मित्र देश भर के शहरी/ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आउटेज की सूचना एसएमएस/ई–मेल/पुश अधिसूचनाओं के जरिए प्रदान करने के लिए राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों के लिए एक केंद्रीय आउटेज प्रबंधन और अधिसूचना प्लेटफॉर्म है। पूरे राष्ट्र में विद्युत के उपभोक्ताओं को एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफार्म के लिए एकीकृत मोबाइल अनुप्रयोग के जरिए आउटेज की अपडेट प्राप्त होती है। यह देश के किसी भी भाग में वास्तविक समय आधारित विद्युत आउटेज को देखने और विद्युत आउटेज पर शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। जून, 2020 की स्थिति के अनुसार 29 राज्यों के 52 डिस्कॉमों के करीब 22.06 करोड़ उपभोक्ताओं के डाटा इस ऐप्लिकेशन में अपलोड किए गए हैं और 279.37 करोड़ एसएमएस उपभोक्ताओं को भेजे जा चुके हैं।

6.8 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग स्कीम

देश में पूरे वितरण नेटवर्क की पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए और "सभी के लिए 24x7 विद्युत" की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण भारत के वास्तविक समय आपूर्ति मानदंडों को लेना अनिवार्य समझा गया है और इसकी प्राप्ति वास्तविक वितरण मानदंडों को लेकर अर्थात विद्युत आपूर्ति, बंदी तथा फीडर–वार ऊर्जा लेखा परीक्षा करके और एटीएंडसी हानियों का परिकलन करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता/गुणवत्ता की मॉनीटरिंग के द्वारा की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा वितरण क्षेत्र सुधारों के तहत "11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग स्कीम" शुरू की गई है और इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी *(आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड)* को नियुक्त किया गया है। इस स्कीम के तहत ग्रामीण फीडर मीटर के आंकड़े केंद्रीय मीटर आंकड़ा उत्सर्जन प्रणाली (एमडीएएस) को विश्लेषण के लिए भेजे जाते हैं और उसके बाद उन्हें सभी हितधारकों को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एनपीपी) पर एकीकृत किया जाता है।

इस योजना में सभी बाहर जाने वाले 11 केवी ग्रामीण फीडरों और उन 66/33 केवी आने वाले फीडरों, जहां से 11 केवी के ग्रामीण फीडर आ रहे हैं, के विभिन्न अनिवार्य पैरामीटर प्राप्त करके देश भर के करीब 1.1 लाख ग्रामीण और कृषि फीडरों के लिए एक आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और वेब आधारित ऑटोमेटिव प्रणाली विकसित करने तथा सभी हितधारकों के लिए ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जून, 2020 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल पर 79,000 मॉडम संस्थापित और एकीकृत किए गए हैं।

6.9 तरंग

तरंग *(रियल टाइम निगरानी और विकास के लिए पारेषण ऐप)* पारेषण क्षेत्र की एक पहल है जिसका संचालन आपकी कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी *(आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड)* के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। यह पारेषण प्रणाली की पैन इंडिया प्रगति के संबंध में सूचनापरक माध्यम है जिसे माह–वार, एजेंसी–वार, राज्य–वार विश्लेषण के लिए ड्रिल किया जा सकता है। रुकी हुई/विलंब वाली परियोजनाओं के ब्यौरे विलंब के कारणों सहित अलग से लिए गए हैं ताकि सभी संबंधित दावेदार परियोजनाओं को समय से पूरा करने पर लाभ लेने के लिए समय पर सुधारात्मक निर्णय ले सकें। देश में तरंग पारेषण प्रणाली की प्रगति अर्थात प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली (टीबीसीबी) तथा विनियमित प्रशुल्क तंत्र के माध्यम से अंतर्राज्यीय और अंतरा–राज्यीय दोनों की प्रगति की मॉनीटरिंग करता है। तरंग भावी पारेषण परियोजनाओं के लिए आगे आने वाले बोलीदाताओं की मदद करते हुए पारेषण संबंधी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित आने वाली परियोजनाओं की अग्रिम सूचना प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, यह पूरे देश में पारेषण प्रणाली का रियल टाइम भंडार है।

7. वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलाप

आपकी कंपनी गांवों के विद्युतीकरण के साथ–साथ विद्युत उत्पादन (पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा सहित), पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्रमुख वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों का विवरण निम्नानुसार हैः

7.1 उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने 84 विद्युत उत्पादन/मरम्मत तथा अनुरक्षण/अन्य ऋण मंजूर किए हैं, जिनमें 09 अतिरिक्त ऋण भी शामिल हैं और इनकी कुल ऋण सहायता 55,811.89 करोड़ रुपये थी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अन्य वित्तीय संस्थाओं के वित्तपोषण की मात्रा शामिल है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण राशि
राज्य क्षेत्र	**82**	**50,734.18**
नया ऋण	74	42,208.04
अतिरिक्त ऋण	8	8,526.14
निजी क्षेत्र	**2**	**5,077.71**
नया ऋण	1	5,037.71
अतिरिक्त ऋण	1	40.00
कुल	**84**	**55,811.89**

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने 17 नवीकरणीय परियोजनाएं मंजूर की हैं, जिनकी 7,026.33 करोड़ की कुल ऋण सहायता के साथ संस्थापित उत्पादन क्षमता मिलाकर 1,754 मेगावाट है। इसमें से, 7 सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजनाएं, जिनको मिलाकर 917 मेगावाट क्षमता, अन्य 7 पवन ऊर्जा परियोजनाएं, जिनकी मिलाकर क्षमता 837 मेगावाट है, 1 परियोजना एक लघु हाइड्रो परियोजना के लिए टरबाइन और जनरेटर यूनिट की खरीद और संस्थापना करने के लिए थी, 1 परियोजना डीडीयूजीजेवाई कार्यों के डीडीजी घटक के लिए थी और 1 ऋण एक राज्य डिस्कॉम को अपने नवीकरणीय क्रय दायित्वों को पूरा करने के लिए थी:

कर्नाटक में आरईसी द्वारा वित्तपोषित, रिन्यू ग्रुप की 50 मेगावाट की पवन विद्युत परियोजना

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, स्वीकृत सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की कुल लागत मिलाकर ₹ 10,383.80 करोड़ है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

विवरण	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
संस्वीकृत परियोजनाएं	संख्या	17	36
संस्वीकृत परियोजनाओं की क्षमता	मेगावाट	1,754	2,198
परियोजनाओं की लागत	₹ करोड में	10,383.80	17,273.54
आरईसी द्वारा संस्वीकृत ऋण	₹ करोड़ में	7,026.33	11,875.20

7.3 पारेषण और वितरण

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने कुल 592 पारेषण और वितरण योजनाएं/परियोजनाएं मंजूर की हैं, इसमें 41,604.77 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता शामिल है। इसमें राज्य क्षेत्र की 590 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें उत्पादन संयंत्रों, प्रणाली सुधार योजनाओं से जुड़ी प्राथमिक विद्युत निकासी योजानाओं, मीटर, ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, टावर सामग्री, केबिल इत्यादि जैसे उपकरण/सामग्री की खरीद और संस्थापना की योजनाओं के लिए 40,324.15 करोड़ रुपये के कुल ऋण शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें कृषि उपभोक्ताओं सहित विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत सुलभ कराने के लिए डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और सौभाग्य तथा अवसंरचना योजनाओं जैसी सरकारी–अनुमोदित योजनाओं के तहत ऋण घटक भी शामिल हैं। इसके अलावा, 1,280.62 करोड़ रुपये की कुल ऋण राशि के साथ निजी क्षेत्र में 2 अंतर–राज्यीय/अंतरा–राज्यीय पारेषण परियोजनाएं थीं। इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की सं.	ऋण राशि
राज्य क्षेत्र	**590**	**40,324.15**
पारेषण ऋण	252	17,285.12
वितरण ऋण	337	21,539.03
अल्पावधि/मध्यावधि एवं विशेष ऋण	1	1,500.00
निजी क्षेत्र	**2**	**1,280.62**
अंतर–राज्यीय पारेषण परियोजनाएं	1	639.20
अंतरा–राज्यीय पारेषण परियोजनाएं	1	641.42
कुल	**592**	**41,604.77**

आरईसी ने कुछेक हरित ऊर्जा कॉरीडोर पारेषण परियोजनाएं मंजूर की हैं और कुछ अन्य ऐसी ही परियोजनाएं मूल्यांकन/अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, प्रचलित बाजार की स्थितियों के अनुसार, आरईसी ने अधिक पारेषण परियोजनाएं आकर्षित करने के लिए परियोजना वित्तपोषण के लिए अपनी नीतियां बनाई और संशोधित की हैं।

7.4 अल्पावधि/मध्यावधि ऋण और अन्य ऋण सहायता

उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी ने विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के लिए अल्पावधि/मध्यावधि धनराशि की जरूरतों के लिए अथवा कार्यशील पूंजी आदि के लिए कुल 6,465 करोड़ रुपये के ऋण भी स्वीकृत किए हैं।

7.5 पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कुल 5,855.49 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। इसमें तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड की 6x200 मेगावाट हाइड्रो पावर परियोजना के संबंध में कंसोर्टियम ऋणदाताओं के लिए 4,948.10 करोड़ रुपये का सावधि ऋण का वित्तपोषण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 492.24 करोड़ रुपये, और पूर्वोत्तर राज्यों में पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 415.15 करोड़ रुपये शामिल हैं।

7.6 निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए मूल्यांकन प्रणाली

आरईसी के निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए अपने दिशा–निर्देश हैं। प्रमोटर संस्थानों के वित्तीय निष्पादन, ऋण साख, प्रबंधन प्रवीणता और क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर प्रोमोटर/संस्था का मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न तकनीकी मापदंडों जैसे सांविधिक मंजूरी, पीपीए, अवसंरना इत्यादि के आधार पर परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से, संस्था और परियोजना की मिली–जुली रेटिंग के आधार पर परियोजना की एकीकृत रेटिंग प्राप्त होती है। आरईसी की ब्याज दरें और सुरक्षा संरचना निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रदान किए गए ग्रेडों/एकीकृत रेटिंग से जुड़ी है।

वर्ष के दौरान, आरईसी ने परामर्शदाता के जरिए बदलती बाजार प्रक्रियाओं, विनियामक वातावरण, आरबीआई नीतियों इत्यादि को देखते हुए निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए मौजूदा मूल्यांकन दिशा–निर्देशों की सीमित समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की है ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जा सके।

7.7 राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग

आपकी कंपनी की राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग के लिए सुपरिभाषित नीति/दिशा–निर्देश हैं। राज्य विद्युत यूटिलिटियों (उत्पादन/पारेषण और ट्रेडिंग) की ग्रेडिंग, विशिष्ट मापदंडों, प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन, विनियामक अनुपालन, वार्षिक वित्तीय परिणामों इत्यादि के लिए यूटिलिटी के निष्पादन में मूल्यांकन के आधार पर एक वर्ष में दो बार की जाती है। राज्य विद्युत यूटिलिटियों (सेबी/एकीकृत प्रचालनों वाली यूटिलिटियों सहित) के संबंध में, आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फ्रेमवर्क/रेटिंग के अनुमोदन के बाद, स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों (केयर/आईसीआरए) द्वारा की गई अंतिम वार्षिक एकीकृत को अपनाती है।

वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए, आपकी कंपनी ने राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण और ट्रेडिंग यूटिलिटियों इत्यादि को "ए++", "ए+", "ए", "बी" और "सी" श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 131 यूटिलिटियों के संबंध में ग्रेडिंग पूरी की है, जिसमें से 31 यूटिलिटियों को "ए++", 37 को "ए+", 42 को "ए", 18 को "बी" और 3 यूटिलिटियों को "सी" श्रेणी के क्रम में ग्रेडिंग दी गई थी। आपकी कंपनी ने ईआरपी प्लेटफॉर्म पर राज्य की ग्रेडिंग के लिए एक मॉडल भी विकसित किया है।

7.8 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान किए गए निवेश

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के 10/– रुपये प्रत्येक के 7,16,10,000 इक्विटी शेयरों के लिए ईईएसएल के राइट्स ऑफ इश्यू ऑफर के तहत 71.61 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है। इसके बाद, ईईएसएल में कंपनी की शेयरधारिता 21.70 प्रतिशत से बढ़कर 22.18 प्रतिशत हो गई है।

इसके अलावा, रत्तनइंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में 23 दिसंबर, 2019 को निष्पादित एकबारगी निपटान की व्यवस्था के अनुसरण में, कंपनी को 10/– रुपये प्रत्येक के 9,25,68,105 इक्विटी शेयर, 10/– रुपये प्रत्येक के 2,87,20,978 रिडीमेबल प्रीफ्रेन्स शेयर और कंपनी के 10/– रुपये प्रत्येक के 4,33,03,616 वैकल्पिक परिवर्तनीय संचित रिडीमेबल प्रीफ्रेंस शेयर आबंटित किए हैं।

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), हैदराबाद बैंच द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 के आदेश के तहत लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लि. के संबंध में अनुमोदित एक संकल्प योजना के अनुसरण में, कंपनी ने उक्त आदेश के तहत ऐसे इक्विटी शेयरों के समापन के कारण इस कंपनी में 102 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश (10/– रुपये प्रत्येक के 10.20 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों सहित) को बट्टे खाते में किया है। इसके अलावा, आरईसी ने इस कंपनी के बायबैक ऑफर में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स) के 1 रुपये प्रत्येक के 2,28,789 इक्विटी शेयर बेचे हैं।

8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

आरईसी की केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ ओडीए (सरकारी ऋण सहायता) ऋण की चार श्रृंखलाएं हैं जिनमें से तीन का दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार पूरी तरह से आरहण कर लिया गया है। केएफडब्ल्यू–I और केएफडब्ल्यू–II ओडीए ऋण प्रत्येक 70 मिलियन यूरो (क्रमशः लगभग 454.02 रुपये करोड़ और 480.97 करोड़ रुपये), केएफडब्ल्यू–III 100 मिलियन यूरो (लगभग ₹ 753.73 करोड़) है। केएफडब्ल्यू से 228 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चौथी ऋण श्रृंखला में से दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 161.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1,157.38 करोड़ रुपये) का आहरण कर लिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, आरईसी की जेआईसीए, जापान के साथ ओडीए ऋण की दो श्रृंखलाएं हैं। उनमें से दोनों का पूरी तरह आहरण कर लिया गया है। जेआईसीए–I और II ओडीए ऋणों के तहत, दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 16,949.38 मिलियन जेपीवाई (लगभग 820.12 करोड़ रुपये) और 11,809.48 मिलियन जेपीवाई (लगभग 640.64 करोड़ रुपये) की संचित राशि का आहरण किया गया है।

9. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सरकारी कार्यक्रमों का निष्पादन और उपलब्धियां

9.1 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान भारत सरकार की सभी तीनों योजनाओं अर्थात डीडीयूजीजेवाई, जम्मू व कश्मीर के लिए पीएमडीपी–2015, सौभाग्य के तहत निष्पादन और उपलब्धि

क. **स्वीकृतिः** वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्य को डीडीयूजीजेवाई के तहत 143.97 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

ख. **जारी धनराशिः** भारत सरकार की सब्सिडी आरईसी के माध्यम से प्रदान की जाती है और बराबरी का अंशदान संबंधित राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उनके अपने ऋणों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान राज्यों को 6,475 करोड़ रुपये की भारत सरकार की सब्सिडी जारी की गई है।

ग. **अवसंरचना के सृजन की वास्तविक प्रगतिः वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, निम्नलिखित कार्य पूरे हो गए हैं:**

(i) सब–स्टेशनों में वृद्धि सहित उन्हें चालू करनाः 1,729

(ii) एचटी लाइन फीडर पृथक्करण (नई 11 केवी लाइनों सहित): 1,97,019 सीकेएम

(iii) एलटी लाइनें: 4,61,875 सीकेएम

(iv) वितरण ट्रांसफार्मरों को चालू करनाः 4,96,181

(v) उपभोक्ता मीटरों की संस्थापनाः 45,53,651

(vi) वितरण ट्रांसफार्मरों और फीडरों की मीटरिंगः 14,589

घ. **घरों के विद्युतीकरण की प्रगतिः** वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, सौभाग्य के तहत 13.92 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया।

9.2 दिनांक 31 मार्च, 2020 तक संचित निष्पादन

क. **स्वीकृति और जारी करनाः** उपरोक्त सरकारी कार्यक्रमों के तहत दिनांक 31 मार्च, 2020 तक 1,40,309 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है और कार्यान्वयन एजेंसियों को संचित रूप से 81,855.56 करोड़ रुपये का भारत सरकार का अनुदान वितरित किया गया है।

ख. **अवसंरचना के सृजन की वास्तविक प्रगतिः** उपरोक्त सरकारी कार्यक्रमों के तहत, अपनी शुरूआत से लेकर 31 मार्च, 2020 तक संचित रूप से निम्नलिखित कार्य पूरे हो गए हैं:

(i) सब–स्टेशनों में वृद्धि सहित उन्हें चालू करनाः 6,574

(ii) एचटी लाइन फीडर पृथक्करण (नई 11 केवी लाइनों सहित) : 8,01,764 सीकेएम

(iii) एलटी लाइनें : 12,59,560 सीकेएम

(iv) वितरण ट्रांसफार्मरों को चालू करना: 15,74,215

(v) उपभोक्ता मीटरों की संस्थापना: 1,40,04,143

(vi) वितरण ट्रांसफार्मरों और फीडरों की मीटरिंग: 1,85,438

ग. **घरों के विद्युतीकरण की प्रगति:** राज्यों/परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रयासों से सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 11 अक्तूबर 2017 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान 2.63 करोड़ घरों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

इसके अलावा, 7 राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय ने ऐसे अतिरिक्त 19.09 लाख गैर–विद्युतीकृत घरों को बिजली प्रदान करने के लिए सकल विस्तार का अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जो पहले बिजली लेने के इच्छुक नहीं थे और अब मार्च, 2019 से पहले अपनी इच्छा प्रकट की थी। इनमें से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 13.92 लाख घरों को विद्युतीकृत किया गया था।

10. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और मॉनीटरिंग

आपकी कंपनी ने राज्य विद्युत यूटिलिटियों को वितरण प्रणाली में निरंतर तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की है। कंपनी द्वारा जारी तकनीकी विनिर्देशनों और निर्माण संबंधी मानकों का राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा व्यापक उपयोग किया जाता है। कंपनी नई प्रौद्योगिकियो को बढ़ावा देने के लिए, विद्युत वितरण के क्षेत्र में नवीनतम आरएंडडी का उपयोग करके नवोन्मेषों की सहायता कर रही है।

सरकारी कार्यक्रमों के गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के अनुसार फील्ड और सामग्री निरीक्षण करने के लिए आरईसी गुणवत्ता निगरानीकर्ता (आरक्यूएम) की नियुक्ति की गई है ताकि ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान सामग्री और कार्यों की समुचित गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। आरक्यूएम ने निर्माण परिसरों में कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 33,609 गांवों का फील्ड निरीक्षण और 1208 सामग्री निरीक्षण किए हैं।

आरईसी ने राष्ट्रीय और आरईसी गुणवत्ता मॉनीटरों के गुणवत्ता निरीक्षणों का डिजीटाइजेशन करने के लिए एक ऑनलाइन गुणवत्ता पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल दिनांक 27 मई, 2019 को शुरू किया गया था।

आरईसी ने डिस्कॉम/पीआईए द्वारा आरक्यूएम एजेंसियों के अवलोकन तथा अनुपालन अपलोड करने के लिए एक मोबाइल ऐप "साक्ष्य" भी विकसित किया है। यह मोबाइल ऐप 27 मई, 2019 से शुरू हो गया है।

11. जोखिम प्रबंधन

कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें ऋण जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और बाजार जोखिम शामिल हैं।

11.1 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के एकीकृत जोखिमों की निगरानी करने के लिए अपने निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) है। आरएमसी का मुख्य कार्य विभिन्न जोखिमों की निगरानी करना और साथ ही कंपनी के प्रचालन और अन्य संगत मामलों में जोखिम को कम करने के लिए कार्य का सुझाव देना है। इसके अलावा, आरबीआई मानकों के तहत अपेक्षानुसार कंपनी ने एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है।

कंपनी ने अपने विभिन्न जोखिमों की पहचान की है और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय किए हैं। जोखिमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

(i) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वित्तपोषण उद्योग में अंतर्निहित जोखिम होता है और इसमें उधारकर्ता के क्रेडिट की गुणवत्ता में कमी से होने वाली हानियों का जोखिम शामिल होता है और यह जोखिम होता है कि उधारकर्ता ऋण या अग्रिम के अधीन संविदा में उल्लिखित पुनर्भुगतान में चूक करेगा। इसे कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन हेतु सुव्यवस्थित, संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाती है। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन प्रविधि, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा क्रेडिट जोखिम को न्यूनतम करने के उपाय शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, नियमित आधार पर परियोजना निधियों की समीक्षा की जाती है और विभिन्न जोखिम मानदंडों के आधार पर तथा परियोजना जोखिम श्रेणीकरण कार्यढांचे के अनुसार परियोजना की स्थिति के आधार पर उन्हें उचित/सामान्य/कम के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है।

(ii) प्रचालनात्मक जोखिम

प्रचालनात्मक जोखिम अपर्याप्त अथवा विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों अथवा बाह्य क्रियाकलापों से उत्पन्न होते हैं। कंपनी में एक संगठन व्यापी जोखिम श्रेणीकरण कार्यढांचा है जिसके माध्यम से सभी प्रचालनात्मक जोखिमों को मापा जाता है और उच्च/सामान्य/कम के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के प्रचालनात्मक जोखिमों का अध्ययन व्यापार, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून, प्रचालनात्मक और नीतिगत जैसे आठ प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में किया जाता है। कंपनी ने कार्यों के दौरान प्रचालनात्मक जोखिमों की पहचान करने, उपाय करने, निगरानी करने और उन्हें दूर करने के लिए पूरे संगठन का एक जोखिम रजिस्टर कार्यान्वित किया है।

(iii) लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ जुड़ी परिपक्वता असंगतता के कारण होते हैं। लिक्विडिटी जोखिम में संपत्तियों में वृद्धि, स्रोतों के वित्तपोषण में अनियोजित परिवर्तनों का प्रबंधन करने और अपेक्षानुसार दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तपोषण हेतु कंपनी की असमर्थता शामिल है।

(iv) बाजार जोखिम

कंपनी के बाजार जोखिम को कंपनी की आय जोखिम और बाजार की ब्याज दर अथवा प्रतिभूतियों की कीमतों में परिवर्तनों के कारण पूंजी, विदेशी विनिमय, तथा साथ ही परिवर्तनों के उल्लंघनों के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। बाजार के जोखिमों में ब्याज दर के जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं।

11.2 एलको समिति

कंपनी ने अपने बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए वित्त और प्रचालन प्रभागों से अपने निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एलको) का गठन किया है। एलको ब्याज दरों, लिक्विडिटी और करेंसी दरों के संबंध में जोखिमों की निगरानी करने के लिए नियमित अंतराल पर बैठकें करती है।

ब्याज दर जोखिम बाजार ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली संभावित हानि है। ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विद्युत बाजार की प्रचलित दरों के आधार पर अपनी उधार देने की दरों और उधार लेने की भारित औसत लागत की आवधिक रूप से समीक्षा करती है।

लिक्विडिटी जोखिम देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने में हमारी संभावित असमर्थता संबंधी जोखिम होता है। आरईसी ऐसे लिक्विडिटी जोखिमों का सामना करती है, जिनके कारण निधियों को जुटाने या प्रतिकूल शर्तों पर परिसंपत्तियों की लिक्विडिटी करने की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। इस जोखिम का प्रबंधन ऐसी मिश्रित कार्यनीति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें अनुमानित संवितरण और परिपक्व देयताओं पर आधारित संसाधन जुटाने का अनुमान लगाना शामिल है।

विदेशी मुद्रा जोखिम में विनिमय दर की घट–बढ़ शामिल है जिसका विदेशी मुद्रा, मूल्यवर्धित परिसंपत्तियों, देयताओं और तुलन–पत्र से इतर व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से करती है।

12. अधिमानी ग्राहक नीति

व्यवसाय संवर्धन कार्यनीति के भाग के रूप में, अधिमानी ग्राहक नीति 2008 में तैयार की गई, जिसका मूल उद्देश्य कंपनी के ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना था और उनके साथ लंबे समय तक परस्पर लाभप्रद संबंध बनाए रखना था। इस नीति में पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें अधिमानी ग्राहकों का निर्धारण करने और उन्हें विभिन्न बाहरी एजेंसियों और आरईसी–आईपीएमएटी, आरईसी का हैदराबाद स्थित इन–हाउस प्रशिक्षण संस्थान, द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण, घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय विचार–गोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रायोजित करने के लिए उधारकर्ता की बकाया ऋण राशि, ऋण संबंधी अवधि, ऋण के पुनर्भुगतान का पिछला रिकार्ड आदि जैसे विभिन्न कारक ध्यान में रखे जाते हैं।

13. सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पहलें

(i) **आरईसी में चल रहे ईआरपी के नवीनतम रुप का कार्यान्वयन:** आरईसी ने 2009 के प्रचालन में मौजूदा ई–बिजनेस ईआरपी (ओरेकल ई–बिज सूट 11i) को बदलकर नवीनतम रुप आर12.2.7 को शुरु किया है और ईआरपी हार्डवेयर के स्थान पर आरईसी डाटा सेंटर में प्राइवेट क्लाउड परिवेश चालू किया है। नया ईआरपी जीएसटी और भारतीय लेखांकन मानक (इंड–एएस) को सपोर्ट करता है और इसमें उन्नत सुविधाएं हैं जिससे कंपनी के कारोबारी प्रचालनों का आगे ऑटोमेशन करने में सुविधा मिलेगी। ईआरपी सिस्टम को कारोबारी प्रक्रियाओं के आगे ऑटोमेशन करने के लिए नए फीडर लाकर निरंतर उन्नत किया गया है।

(ii) **इलैक्ट्रॉनिक ऑफिस सिस्टम (ई–ऑफिस):** ऑटोमेटेड वर्क फ्लो और इलैक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रबंधन फीडर के साथ ई–ऑफिस से संगठनों के कार्यों में प्रमुख बदलाव आया है, क्षमता और पारदर्शिता में सुधार आया है और यह कम पेपर की खपत के लिए एक हरित पहल के रूप में कार्य करता है। सिस्टम में नई विशिष्टताएं जोड़कर इसमें निरंतर सुधार किया जा रहा है।

(iii) **कंपनी के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि:** पूरे संगठन में एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा को पूरी तरह से नए नेटवर्क और सुरक्षा उपकरणों, बैंडविड्थ में वृद्धि और उच्च उपलब्धता फीडर के साथ बदला गया है ताकि प्रचालनों की मांग की जरूरत पूरी हो सके। सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क से यूजर्स को रिमोट स्थानों से आरईसी नेटवर्क से जुड़ने और बिना रुकावट के निर्बाध प्रचालनों के लिए कारोबारी अनुप्रयोग प्राप्त करने की सुविधा हुई है।

(iv) **वीडियो कांफ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार:** आरईसी के वीडियो कांफ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा गया है ताकि तीव्रता से निर्णय लेने और यात्रा की लागत और समय को बचाने के लिए कंपनी के सभी कार्यालयों में बैठकों/विचार–विमर्श की सुविधा मिल सकेगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग विद्युत मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों, बोर्ड व समिति की बैठकों तथा अन्य कारोबारी व समीक्षा बैठकों के लिए भी किया जाता है।

(v) **प्राथमिक आंकड़ा केंद्र (पीडीसी) और आपदा राहत केंद्र (डीआरसी):** आरईसी की पीडीसी और डीआरसी, दोनों आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित हैं और भारत सरकार की नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का भी अनुपालन करती हैं। आरईसी

ने निगम नेटवर्क से बाहर गोपनीय एवं महत्वपूर्ण सूचना देना रोकने के लिए डीसी और डीआर में डाटा लिंकेज एवं प्रिवेंशन (डीएलपी) प्रणाली भी कार्यान्वित की है।

(vi) **आरबीआई के मास्टर अनुदेशों के अनुसार आईटी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन:** आरईसी ने आरबीआई के आईटी सुरक्षा निर्देशों को एनबीएफसी क्षेत्र के लिए जारी किए गए आईटी फ्रेमवर्क के संबंध में अपने मास्टर अनुदेशों के अनुसार कार्यान्वित किया है।

(vii) **ऑनलाइन कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली:** मूल्यांकन की प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के लिए और अपना कार्य निष्पादन मूल्यांकन ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन निष्पादन प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। आरईसी ने बेहतर ई–गवर्नेंस हासिल करने के लिए अपनी आईटी पहलों के भाग के रूप में अनेक इन हाउस विकसित प्रणाली भी तैयार की हैं।

(viii) **खरीद में पारदर्शिता के लिए:** 2 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की सभी खरीद एक ई–खरीद प्रणाली के जरिए ऑनलाइन की जा रही हैं। यह प्रणाली सीवीसी दिशा–निर्देशों और आरईसी खरीद दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित ई–रिवर्स ऑक्शन मानकों का अनुपालन करती है। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद भी सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल के जरिए की जाती है। मौजूदा बिल ट्रेकिंग प्रणाली में सुधार किया गया है और ईआरपी प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि वेंडर के बिलों और भुगतान के संचालन और समय पर उन्हें प्रस्तुत करने को ट्रेक किया जा सके।

(ix) **केंद्रीकृत प्रिंटिंग सॉल्यूशन का कार्यान्वयन:** हरित पहलों और कम कागजी खपत के लिए कारपोरेट कार्यालय में डेस्क पर, जहां भारी प्रिंटिंग की जाती है, केंद्रीकृत प्रिंटिंग सॉल्यूशन कार्यान्वित किया गया है।

(x) **भारत सरकार की पहलों का संवर्धन:** आरईसी संगठन के भीतर माइ गव, ई–गवर्नेंस, भुगतानों के अंकीय पद्धति संबंधी डीपीई दिशा–निर्देशों जैसी भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों को सुगम बनाती है और उनका संवर्धन करती है।

(xi) **कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटिंग सुविधा प्रदान करना:** आरईसी में कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर का अनुपात 100 प्रतिशत है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर्मचारियों के कम्प्यूटर कौशलों का उन्नयन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है और प्रशिक्षण प्रदान भी करता है।

14. आरईसी इंस्टीस्ट्यूट ऑफ मैंनेजमेंट एंड ट्रेनिंग

आरईसी इंस्टीस्ट्यूट ऑफ मैंनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसी–आईपीएमटी) *(पूर्ववर्ती सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन)* की स्थापना विद्युत क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों की प्रशिक्षण एवं विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरईसी के तत्वाधान में 1979 में हैदराबाद में की गई थी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से मान्यताप्राप्त आरईसीआईपीएमटी चार से अधिक दशकों से विद्युत क्षेत्र के मानव संसाधन विकास के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रहा है।

14.1 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्रशिक्षण क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने तकनीकी, प्रबंधन, वित्त एवं लेखा, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में ऊर्जा संरक्षण तक विभिन्न थीम और विषयों पर 132 कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की हैं। कुल मिलाकर आरईसीआईपीएमटी ने 3109 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है जिससे समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 11,993 प्रशिक्षण दिवसों की उपलब्धि हासिल की है।

14.2 साक्ष्य पोर्टल पर कार्यशाला और अभिमुखीकरण

आरईसीआईपीएमटी को पावर डिस्कॉम के इंजीनियरों, टर्न की ठेकेदारों, कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों और गुणवत्ता मॉनीटरों को डीडीयूजीजेवाई/सौभाग्य योजनाओं के तहत विकसित ऑनलाइन क्वालिटी पोर्टल "साक्ष्य" पर प्रशिक्षण का कार्य दिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू विद्युतीकरण और विद्युत वितरण के कार्यान्वयन के संबंध में गुणवत्ता पहलुओं, मानकों, निर्माण प्रक्रियाओं इत्यादि की सूचना की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बारे में जागरूकता लाई जा सके।

वर्ष के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए "साक्ष्य" पोर्टल पर एक कार्यशाला और कुल मिलाकर 1341 प्रतिभागियों के लिए देश भर में डिस्कॉम मुख्यालयों पर "साक्ष्य" पोर्टल के संबंध में अभिमुखी प्रशिक्षण भी प्रदान किया है।

14.3 "व्यवहार कौशल" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी को "व्यवहार कौशल" पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके विभिन्न विद्युत यूटिलिटी के ए और बी संवर्ग के कार्यपालकों के क्षमता निर्माण का कार्य सौंपा गया है। ये कार्यक्रम आरईसी द्वारा विद्युत क्षेत्र के सुधार के लिए प्रायोजित किए गए थे। वर्ष के दौरान देश भर में ऑनसाइट कार्यक्रमों के रूप में 1,191 कार्यपालकों की भागीदारी के साथ कुल 50 बैच चलाए गए थे।

14.4 विदेश मंत्रालय की आईटीईसी योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार (एमईए) द्वारा भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के तहत विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पैनलबद्ध किया गया है। वर्ष के दौरान आरईसीआईपीएमटी ने विद्युत वितरण प्रबंधन में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम (6 सप्ताह), सौर विद्युत संयंत्रों को चालू करने की संकल्पना (6 सप्ताह), ईएचवी सब–स्टेशनों का डिजाइन, निर्माण, प्रचालन, रख–रखाव और संरक्षण (6 सप्ताह), विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली की योजना और प्रबंधन (6 सप्ताह), ग्रामीण विद्युतीकरण और

विद्युत प्रबंधन में उभरती प्रवृत्तियां (6 सप्ताह), विद्युत प्रबंधन में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम (5 सप्ताह), और विद्युत उत्पादन संयंत्रों की योजना, प्रचालन और रख–रखाव (6 सप्ताह) विषयों पर कुल 144 प्रतिभागियों के साथ 7 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। विभिन्न देशों यथा अफगानिस्तान, अजरबैजान, अंगोला, अल्जीरिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रूनेई, बोट्सवाना, कंबोडिया, इथोपिया, इक्वाडोर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गांबिया, गुयना, घाना, होंडुरस, केन्या, लेबनान, म्यांमार, मोजांबिक, मंगोलिया, मॉरीशस, नाइजीरिया, समोआ, दक्षिणी सूडान, सेसेल्स, सूडान, स्वाजीलैंड, सियेरा लियोन, तंजानिया, तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, वियतनाम, जिम्बाब्वे इत्यादि देशों से प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

आरईसीआईपीएमटी, हैदराबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

14.5 नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के कार्मिकों के लिए विभिन्न विषयों पर यथा विद्युत की चोरी – मुद्दे, चुनौतियां और सुधारात्मक उपाय, सौर विद्युत संयंत्रों और ग्रिड समर्थता को चालू करने की संकल्पना, विद्युत प्रणाली संरक्षण और वितरण हानि में कमी – मुद्दे, चुनौतियां और सुधारात्मक उपाय, वितरण ट्रांसफार्मर प्रचालन, रख–रखाव और विफलता को कम करना, विद्युत ट्रांसफार्मर – परीक्षण, चालू करना, संरक्षण करना और रख–रखाव करना, जीएसटी – हाल के परिवर्तन, विकास और चुनौतियां तथा श्रम कानून – कर्मचारी क्षतिपूर्ति और अनुबंध श्रम अधिनियम – कोर्ट केस के संबंध में कार्य प्रक्रिया पर 8 नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उपरोक्त कार्यक्रमों में कुल 71 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

14.6 अनुकूलित कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने वर्ष के दौरान 9 अनुकूलित कार्यक्रम आयोजित किए, जो यूटिलिटी की अपेक्षाओं के अनुकूल तैयार किए गए हैं। कार्यक्रम में सब–स्टेशन का रख–रखाव, परीक्षण, अनुमानित रख–रखाव, अर्थिंग, सुरक्षा, नियम और विनियम, आईएस (3 बैच), ईएचवी सब–स्टेशनों के लिए स्थिति निगरानी और जीवन चक्र प्रबंधन प्रक्रियाएं (1 बैच), पारेषण प्रणाली (लाइन और सब–स्टेशन) का संरक्षण, जिसमें रिले समन्वय और बस–बार संरक्षण शामिल है (2 बैच) और एमएईटीसीएल के लिए आरईसीआईपीएमटी परिसर में नेटवर्क कंजेशन प्रबंधन और विनियामक मामले (1 बैच) तथा एमपीपीकेवीवीसीएल, इंदौर में विद्युत वितरण प्रबंधन में विद्युत वितरण और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं में दक्षता सुधार उपायों पर ऑनसाइट प्रशिक्षण शामिल है। कुल मिलाकर 221 प्रतिभागियों को इन अनुकूलित कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किया गया था।

14.7 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने आरईसी के कर्मचारियों के लिए 3 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया और इन कार्यक्रमों में 67 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस विषय में सौर विद्युत संयंत्र को चालू करने के लिए संकल्पना शामिल थी, जिसमें विद्युत क्षेत्र में प्रचालन व रख–रखाव, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन का प्रबंधन, और खरीद दिशा–निर्देशों तथा जैम पोर्टल का उपयोग करना शामिल था।

14.8 विशेष कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने आरईसी के कर्मचारियों सहित विद्युत क्षेत्र के कार्यों के लिए विद्युत वितरण प्रणाली का परियोजना प्रबंधन और आरईसी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए क्षमता विकास – विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन का प्रबंधन पर 2 विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिनमें 54 कार्यपालकों ने भाग लिया।

14.9 आरईएनएसी, जर्मनी के साथ सहयोग कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने आरईएनएसी – द रिन्युबल एकेडमी एजी, जर्मनी के सहयोग से भारत के लिए सह–लाभ की नवीकरणीय ऊर्जा के साथ सुस्थिर विद्युत प्रणाली आयोजना के संबंध में दो दिवसीय प्रायोजित कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में कुल 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

15. आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन

कंपनी ने देश भर में कारपोरेट कार्यालय के छः प्रमुख प्रभागों तथा 18 क्षेत्रीय कार्यालयों/उप कार्यालयों में दावों की प्रक्रिया के लिए आईएसओ 9001:2015 मानकों के तहत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां कार्यान्वित की हैं।

16. मानव संसाधन प्रबंधन

आरईसी कार्यपालकों को संख्या को पेशेवर बनाने के लिए, और साथ ही युवाओं को शामिल करने के लिए, 37 कार्यपालकों की वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कैम्पस भर्ती के जरिए नियुक्ति की गई थी। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कुल जनशक्ति 468 कर्मचारियों की थी, जिसमें 385 कार्यपालक और 83 गैर–कार्यपालक शामिल थे।

16.1 रोजगार में आरक्षण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कुल जनशक्ति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का समूह–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

समूह	कर्मचारियों की संख्या					
	कुल		एससी		एसटी	
	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
क	**385**	346	**43**	34	**17**	13
ख	**36**	75	**05**	12	**0**	2
ग	**47**	66	**16**	18	**1**	1
कुल	**468**	487	**64**	64	**18**	16

टिप्पणी: पूर्ववर्ती घ श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कार्मिक, ग श्रेणी में शामिल हैं, इनका अब डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार विलय कर दिया गया है।

16.2 प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

कर्मचारियों के समग्र विकास सहित क्षमता निर्माण के उपाय के रूप में और निष्पादन की उच्च सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षण और एचआरडी पर प्राथमिकता दी जाती रही। कंपनी की प्रशिक्षण और मानव संसाधन नीति का उद्देश्य बेहतर कर्मचारी निष्पादन के लिए अपेक्षित कारोबार कौशल तथा सक्षमता को तेज करना तथा अपना निष्पादन और उत्पादकता सुधारने के लिए कर्मचारियों को सभी संभव अवसर उपलब्ध कराना और उनकी सहायता करना है। व्यावसायिक अपेक्षाओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और सामाजिक–आर्थिक परिवेश, जिसमें कंपनी का कारोबार किया जाता है, के प्रति कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। कर्मचारियों को आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने 342 कर्मचारियों को देश के भीतर और विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं आदि के लिए भेजा। इन पहलों से कुल मिलाकर कंपनी 2,402 प्रशिक्षण श्रम दिवस आयोजित कर सकी। इसके अतिरिक्त, 19 कार्यपालकों को विदेशों में कार्यक्रमों के लिए भेजा गया।

16.3 कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारिक सदस्यों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने ऑनसाइट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टरों की अंशकालिक सेवाओं के लिए लगाया गया। कंपनी ने कर्मचारियों द्वारा प्रयोग के लिए खेल–कूद एवं मनोरंजन उपकरणों का भी वित्तपोषण किया है ताकि उनके समग्र स्वास्थ्य को अच्छा रखने को बढ़ावा मिले।

खेल गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी ने नई दिल्ली में इंटर–सीपीएसयू बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी की और विद्युत खेल–कूद नियंत्रण बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वाधान में विभिन्न विद्युत क्षेत्र सीपीएसयू द्वारा आयोजित टेबल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस आदि जैसे विभिन्न इंटर सीपीएसयू स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए अपने कर्मचारी भी भेजे। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रश्नोत्तरी, पेपर प्रस्तुतीकरण और सिम्युलेशन प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया।

16.4 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 80 स्थायी महिला कर्मचारी थीं जो कुल जनशक्ति का 17.09 प्रतिशत है। लैंगिक आधार पर कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं है। महिला कर्मचारियों के कल्याण और उनके समग्र विकास का ध्यान रखने के लिए कंपनी में एक महिला प्रकोष्ठ प्रचालनरत है। आरईसी महिला प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

आरईसी महिला कर्मचारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का आयोजन

16.5 औद्योगिक संबंध

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कंपनी में औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहा। औद्योगिक अशांति के कारण श्रम दिवसों की कोई हानि नहीं हुई। कर्मचारी कल्याण के मुद्दों पर आरईसी कर्मचारी यूनियन और आरईसी अधिकारी एसोसिएशन के साथ नियमित रूप से विचार–विमर्श किया गया। इससे विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाने में सहायता मिली जिससे प्रेरक जनशक्ति बनी और कारोबार निष्पादन में सुधार हुआ। गैर–कार्यपालकों के लिए मजदूरी संशोधन 1 जनवरी, 2017 से कार्यान्वित किया गया है।

16.6 लोक शिकायत निवारण तंत्र

आपकी कंपनी में बड़े पैमाने पर जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली है। कंपनी ने निर्धारित समय–सीमा के भीतर शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में नोडल अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की है।

17. निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास

कंपनी की अपनी निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास नीति है जो कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के प्रावधनों और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए सीएसआर और धारणीय विकास के लिए दिशा–निर्देशों के अनुरूप बनाई गई है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/CSR-Policy-Wef110717-UpldDt300518.pdf पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास पहल को अपनाया है ताकि राष्ट्रीय विकास एजेंडा में सबसे महत्वपूर्ण चिंता के मामलों को प्राथमिकता देकर एक मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में सामाजिक लाभ की परियोजनाओं का वित्तपोषण और उनमें सहायता कर सके तथा एक व्यापक क्षेत्र में लाभार्थियों तक पहुँचा जा सके ताकि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाया जा सके। आरईसी द्वारा स्वच्छता और सफाई, स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं का संवर्धन, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय संधारणीयता और ग्रामीण अवसंरचना विकास के क्षेत्र में समावेश सामाजिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सीएसआर पहलें की गई हैं।

आरईसी ने दिल्ली एनसीआर में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए कंस्ट्रक्शन कैम्पों में मोबाईल स्कूल के रूप में चलने वाली बस प्रदान की

डीपीई ने वर्ष 2019–20 के लिए स्वास्थ्य देख–रेख, पोषण और स्कूल शिक्षा के विषयगत क्षेत्र में अधिमानतः आकांक्षी जिलों में अपने सीएसआर बजट का 60 प्रतिशत खर्च करने के लिए सीपीएसई के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। कंपनी ने उपरोक्त विषयगत क्षेत्रों में कंपनी को किए गए आकांक्षी जिलों में कल्याणकारी कार्य में सहायता के लिए काफी हद तक अपने प्रयासों में वृद्धि की है। कंपनी ने स्कूल शिक्षा में बदलाव करने और ओडिशा में गजपति, मिजोरम में ममित, नागालैंड में किफिरे, बिहार में मुजफ्फरपुर, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, मणिपुर में चंदेल और सिक्किम में पश्चिमी सिक्किम आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के उद्देश्य से परियोजनाएं शुरू कीं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 156.68 करोड़ रुपये का सीएसआर बजट अनुमोदित किया था। इसके अलावा, डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार, सीएसआर बजट कालातीत नहीं है और कोई भी अपर्याप्त शेष राशि अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे ले जाई जाती है ताकि उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो सके जिसके लिए यह आबंटित की गई थी। तद्नुसार, वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली कुल राशि 399.85 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 156.68 करोड़ रुपये और विगत वर्षों में आगे ले जाई गई राशि 243.17 करोड़ रुपये) है। इसमें से कुल 258.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी और कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए 281.62 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान पूरे भारत में भोजन/राशन के पैकेटों का वितरण

इसके अलावा, कंपनी ने प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आकस्मिक स्थितियों में राहत (पीएम केयर्स) कोष के लिए 150 करोड़ रुपये की सीएसआर सहायता का योगदान दिया है ताकि वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी के चलते उत्पन्न स्थिति से निपटा जा सके। कंपनी ने श्रमिकों/जरूरतमंद लोगों को खाना/राशन, यूटिलिटी पैकेट इत्यादि प्रदान करने के लिए और साथ ही कोविड–19 माहमारी के कारण प्रभावित विभिन्न भारतीय स्थलों में स्वास्थ्य कर्मचारियों को चिकित्सा उपकरण प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपये का आबंटन भी किया है।

18. सतर्कता कार्यकलाप

आरईसी द्वारा कर्मचारियों के बीच ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की भावना लाने तथा सभी प्रचालनात्मक क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। आरईसी के सतर्कता प्रभाग का मुख्य लक्ष्य नीतियों की समीक्षा, संवेदनशील पदों पर कार्यरत कार्मिकों की बदली/स्थानांतरण ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा, परियोजनाओं/निविदाओं/अनुबंधों की समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों/राज्य कार्यालयों के निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) आदि की समीक्षा करके "निवारक सतर्कता" रखना है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)/विद्युत मंत्रालय के अनुदेशों के अनुपालन में अभिज्ञात संवेदनशील पदों से रोटेशनल स्थानांतरण के मामले पर निरंतर कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त, सीवीसी और विद्युत मंत्रालय को समय पर निर्धारित आवधिक सांख्यिकी रिटर्न भी भेजी गई। लेखा परीक्षा रिपोर्ट अर्थात आंतरिक, सांविधिक और सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की नियमित रुप से समीक्षा की गई। परियोजनाओं/निविदाओं और प्रदान किए गए अनुबंधों की समीक्षा और जहां कहीं विचलन पाया गया उस मामले को संबंधित प्रभाग को भेजा गया जिससे मूल्यांकन प्रणाली/दिशानिर्देशों को सुदृढ़ बनाया जा सका। क्षेत्रीय कार्यालयों का फील्ड निरीक्षण और एपीआर की जांच की गई।

प्रौद्योगिकी की लिवरेजिंग पर बल दिया जाता रहा जिससे ऋणों, योजनाओं, निविदाओं, तीसरे पक्षकार बिलों आदि से संबंधित सूचना ऑनलाइन है। वर्ष के दौरान, आरईसी में एचआर नीतियों जैसे भर्ती की प्रक्रिया, लीन नीति और प्रोन्नतियों की जांच की गई और प्रबंधन के ध्यान में व्यक्तिपरक और अपारदर्शी क्लॉज लाई गई। संशोधित भर्ती नीति दिनांक 19 सितंबर, 2019 को अधिसूचित की गई है। इसके अलावा, आरईसी की आचरण नियमावली डीपीई द्वारा संस्तुत आचरण नियमावली के अनुसार लाई गई।

चूक के बारे में समय पर पता लगाने और ऐसे मामलों में कमी लाने के लिए एक सतर्कता निगरानी प्रणाली विकास की गई है, जिनमें संगठन के विभिन्न कार्यों जैसे खरीद और संविदा, बिल ट्रेकिंग, ऋणों, परिसंपत्तियों और कर्मचारी भुगतान (चिकित्सा और यात्रा) शामिल हैं। स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को ऋणों से संबंधित मामलों की सीएंडएजी की टिप्पणियों के आलोक में जांच की गई और यह पाया गया कि ईपीसी ठेकेदारों के मूल्यांकन और इसके अनुभव से संबंधित कतिपय मामलों, निष्पादन गारंटी की पर्याप्तता, एलई/एलएफए रिपोर्टों की निगरानी तथा धनराशि का अंतरण इत्यादि को संशोधित दिशा–निर्देशों में शामिल किए जाने की जरूरत है। तद्नुसार, एक परामर्शी जारी की गई थी। यह सुनिश्चित किया गया था कि निविदाओं, अपेक्षित फार्मों, ऋण अनुप्रयोगों की स्थिति/तृतीय पक्ष भुगतानों, पारदर्शी प्रक्रिया संहिता, धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति, सीएसआर दिशा–निर्देश, व्हीसल ब्लोअर नीति इत्यादि आरईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

2 लाख रुपये से अधिक की लगभग सभी निविदाओं की ई–खरीद के माध्यम से कार्रवाई की गई है। यदि खरीद का अनुमानित मूल्य और उल्लिखित कीमत कुछ मानदंडों से अधिक होती है तो ई–रिवर्स नीलामी भी की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान एक सतर्कता मामला जो छोटी प्रकृति का है, लंबित था और कोई भी सतर्कता मामला निपटाया नहीं गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

इस वर्ष, आपकी कंपनी ने केवल एक सप्ताह मनाने की बजाय "सतर्कता जागरूकता माह" मनाया। सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इन्ट्रा स्कूल क्रेयोन पेंटिंग और पैराग्राफ लेखन प्रतियोगिताएं स्कूलों में आयोजित की गईं और दिल्ली के कॉलेजों में इंटर–कॉलेज नुक्कट नाटक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभिन्न क्रियाकलाप जैसे क्विज, कहानी, पेंटिंग, सेल्फी और कोलाज मेकिंग का भी आरईसी के कर्मचारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए आयोजन किया गया। इसके अलावा, आरईसी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में उपभोक्ता जागरूकता और आरटीआई पर सेमिनार भी आयोजित किए गए। कारपोरेट संस्वीकृति के भीतर एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए, बाहरी अनुभवी शिक्षण सत्र के जरिए स्व–मूल्यांकन और टीम निर्माण पर एक सत्र के लिए युवा कार्यपालकों को शामिल किया गया। आरईसी ने ऐसे "एकता क्लब" के जरिए युवा स्कूली बच्चों को सतर्क नागरिक बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे, जो अब देश भर में 32 स्कूलों में हैं। इसके अलावा, आरईसी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और सहायक कंपनियों में भी क्रियाकलाप आयोजित किए गए।

19. राजभाषा का कार्यान्वयन

सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए, आरईसी ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2019–20 में दिए गए अधिदेश को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किए। हमारी कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है ताकि राजभाषा का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके और राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 28 फरवरी, 2020 को आरईसी के राज्य कार्यालय, वड़ोदरा का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया। विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने भी दिनांक 14 जनवरी, 2020 को आरईसी के कारपोरेट कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। इन निरीक्षणों से कर्मचारियों के बीच अपने शासकीय कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए जागरूकता आई है।

कारपोरेट कार्यालय में और साथ ही कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य कार्यालयों में 14 सितंबर, 2019 से 28 सितंबर, 2019 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान कारपोरेट कार्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कर्मचारियों ने सभी आयोजनों और प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए ताकि अधिक से अधिक भागीदारी हो सके और कर्मचारियों को उनके दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

सभी आरईसी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के विभिन्न पहलुओं के लिए प्रतिभागियों के लिए हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। आरईसी राज्य कार्यालय, शिमला को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) का प्रथम पुरस्कार मिला।

नोडल हिंदी अधिकारियों के लिए दिनांक 25–26 अप्रैल, 2019 के दौरान तिरूवनंतपुरम में दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस वर्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू), जयपुर के तत्वाधान में क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा एक अंतर–पीएसयू वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

आपकी कंपनी हिंदी पत्रिका "ऊर्जायन" प्रकाशित कर रही है, जिसमें कर्मचारियों की मनोरंजक और लाभप्रद रचनाएं तथा साहित्यिक लेखन शामिल हैं। कर्मचारियों को पत्रिका के लिए हिंदी में लेख, कविताएं आदि लिखने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से कंपनी ने इसमें योगदान के लिए नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की नीति अपनाई है।

आरईसी की हिंदी गृह–पत्रिका 'ऊर्जायन'

20. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन तथा आउटगो से संबंधित ब्यौरा

20.1 ऊर्जा संरक्षण

चूंकि आपकी कंपनी के पास अपनी कोई निर्माण सुविधा नहीं है, इसलिए ऊर्जा के संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली स्थित "स्कोप कॉम्प्लेक्स" में है, जहां पर स्कोप (सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन) द्वारा सभी सिविल, इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन और अनुरक्षण कार्य किए जाते हैं। एसी चिलिंग यूनिटों/एलीवेटर्स के प्रचालन की कारगर निगरानी, नियंत्रण और शेड्यूलिंग से, अन्य ऊर्जा क्षय उपस्करों के द्वारा, टेरेस पर अतिरिक्त 100 किलोवाट सौर विद्युत संयंत्र का प्रावधान करके और साथ ही, मूवमेंट/ऑक्युपेंसी सेंसर लगाकार तथा यूनिट के नजदीक विद्युत फैक्टर का रख–रखाव करके स्कोप ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान करीब 2.06 लाख यूनिट की विद्युत खपत बचाई है, जिसके कारण करीब 26.94 लाख रुपये की बचत हुई है।

20.2 विदेशी विनिमय अर्जन तथा आउटगो

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी की कोई विदेशी विनिमय आय नहीं थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय आउटफ्लो करीब 7,078.40 करोड़ रुपये का था, जो ब्याज, मूलधन चुकौती, वित्तीय प्रभारों, विदेश यात्रा, प्रशिक्षण व्यय, वास्तुकीय सेवाओं तथा अन्य व्ययों के संबंध में था।

21. सहायक कंपनियां

आपकी कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियां नामतः आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) [सीआईएनः [U40101DL2007GOI165779] और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) [सीआईएनः U40101DL2007GOI157558] हैं जो वितरण, पारेषण आदि के क्षेत्रों में परामर्श के अतिरिक्त कारोबार पर बल देती हैं।

21.1 आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड

आरईसीपीडीसीएल विद्युत क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वयन और परामर्शी सेवाओं के कारोबार में लगी हुई हैं जैसे वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों का कार्यान्वयन, ग्रिड/ऑफ ग्रिड सौर (पीवी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन, स्मार्ट मीटरों का कार्यान्वयन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, तृतीय पक्ष निरीक्षण, प्री–डिस्पैच मैटेरियल निरीक्षण और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता/परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस जैसी राज्य के वित्तपोषण करने वाली कुछ परियोजनाओं के तहत कार्य करना। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आरईसीपीडीसीएल 993.82 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित परामर्शी शुल्क के साथ 26 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 57 से अधिक डिस्कॉमों/विद्युत विभागों/सरकारी सोसायटियों में व्याप्त करीब 100 वर्तमान परियोजनाओं पर कार्य कर रही थी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरईसीपीडीसीएल ने कुल 143.01 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया, जबकि विगत वर्ष का राजस्व 159.77 करोड़ रुपये था, और कर पश्चात लाभ 12.47 करोड़ रुपये था, जबकि विगत वित्तीय वर्ष का कर पश्चात लाभ 26.34 करोड़ रुपये था। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार आरईसीपीडीसीएल का निवल मूल्य 168.20 करोड़ रुपये था जबकि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य 155.73 करोड़ रुपये था। दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) 2,495/– रुपये थी जबकि विगत वर्ष में यह 5,268/– रुपये थी। आरईसीपीडीसीएल के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 10 रुपये के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर 1,685/– रुपये के लाभांश की सिफारिश की है, जो मिलाकर 8.43 करोड़ रुपये होता है, जो भावी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुरोध के अध्यधीन है।

21.2 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

आरईसीटीपीसीएल समय–समय पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए स्वतंत्र अंतर–राज्यीय और अंतः–राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के जरिए पारेषण सेवा प्रदाताओं का चयन करने के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर–राज्यीय और अंतः–राज्यीय पारेषण परियोजना के विकास कार्य के लिए आरईसीटीपीसीएल अपनी पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक परियोजना विशिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) शुरू करती है। टीबीसीबी दिशा–निर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद आरईसीटीपीसीएल द्वारा ऐसी सहायक कंपनी को सफल बोलीदाता को सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ हस्तांतरित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसीटीपीसीएल ने नीचे दिए विवरण के अनुसार, चयनित बोलीदाताओं को 8 (आठ) परियोजना विशिष्ट एसपीवी कंपनियां (जिनमें 6 अंतर–राज्यीय परियोजनाएं और 2 अंतरा–राज्यीय परियोजनाएं) शामिल हैं, स्थानांतरित कीं:

क्रम सं.	परियोजना विशिष्ट एसपीवी का नाम (स्थानांतरित किए गए अनुसार)और संबद्ध पारेषण परियोजना	चयनित बोलीदाता का नाम	एसपीवी के हस्तांतरण की तारीख
1	खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड [CIN: U40100DL2019GOI347127] *राजस्थान सेज (भाग–ग) से एलटीए अनुप्रयोग से सबद्ध पारेषण प्रणाली*	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	29 अगस्त, 2019
2	भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40300DL2018GOI338734] *गुना (जिला गुना) के समीप 400 केवी उप केंद्र के निर्माण के साथ संबद्ध अंतःराज्यीय पारेषण कार्य और भिंड (जिला भिंड) के समीप 220 केवी एस/एस के निर्माण से संबद्ध अंतःराज्यीय पारेषण कार्य*	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	11 सितंबर, 2019
3	उडुपी कासरगोड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40100DL2018GOI342365] *400 केवी उडुपी (यूपीसीएल)–कसरगोड डी/सी लाइन के लिए पारेषण प्रणाली*	स्टरलाइट ग्रिड 14 लिमिटेड	12 सितंबर, 2019
4	अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड [CIN: U40101DL2019GOI347423] *राजस्थान सेज से संबद्ध बेज के साथ–साथ अजमेर–(पीजी) फागी 765 केवी डी/सी लाइन का निर्माण*	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3 अक्तूबर, 2019
5	डब्ल्यूआरएसएस–XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड [CIN: U40107DL2019GOI347713] *पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण स्कीम–21 (डब्ल्यूआरएसएस–21) भाग–क – भुज पीएस में आरई इंजेक्शनों के कारण गुजरात अंतर–राज्यीय प्रणाली में देखी गई ओवरलोडिंग को छोड़ने के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण*	अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	14 अक्तूबर, 2019
6	लकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड [CIN: U40107DL2019GOI347428] भुज–II, द्वारका और लकड़िया आरई उत्पादकों से संबद्ध पारेषण प्रणाली	अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	13 नवंबर, 2019
7	जम खंबालिया ट्रांस्को लिमिटेड [CIN: U40105DL2019GOI347089] *जम खंबालिया पूलिंग स्टेशन और द्वारका (गुजरात) में आरई परियोजनाओं (1500 मेगावाट) को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जम खंबालिया पूलिंग स्टेशन का इंटरकनेक्शन तथा मैसर्स सीजीपीएल स्विचयार्ड में संबद्ध बेज के साथ–साथ 400/220 केवी आईसीटी की संस्थापना*	अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	13 नवंबर, 2019
8	रामपुर संभल ट्रांस्को लिमिटेड [CIN: U40101DL2019GOI349484] *765/400/220 केवी जीआईएस उपकेंद्र, रामपुर और 400/220/132 केजी जीआईएस उप केंद्र, सम्भल और संबद्ध पारेषण लाइनों का निर्माण*	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12 दिसंबर, 2019

आरईसीटीपीसीएल अंतर–राज्यीय पारेषण परियोजनाओं जैसे झारखंड राज्य में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण (पैकेज 1 से 4) के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में भी कार्य कर रही है जिसके लिए इसने 4 एसपीवी कंपनियों जैसे चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40108DL2018GOI330905] कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40300DL2018GOI331192], दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40300DL2018GOI331490] और मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40101DL2018GOI331526] को निगमित किया था। इन परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान समाप्त होने की संभावना है।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2020 के बाद, आरईसीटीपीसीएल ने निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट एसपीवी को इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में नीचे दी गई अंतर–राज्यीय/अंतरा–राज्यीय परियोजनाओं को निगमित किया है; जिनमें कि यह बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य कर रही है:

क्रम सं.	पारेषण परियोजना का नाम	एसपीवी कंपनी का नाम	निगमन की तारीख
1	महाराष्ट्र में उस्मानाबाद क्षेत्र (1 गीगावाट) में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	कल्लाम ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40106DL2020GOI364104]	28 मई, 2020
2	कर्नाटक में गडग (2500 मेगावाट) सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण प्रणाली – भाग क	गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40100DL2020GOI364213]	2 जून, 2020
3	फेज–II के तहत राजस्थान (8.1 गीगावाट) में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण – भाग ख	फतेहगढ़ भदला ट्रांसको लिमिटेड [CIN: U40108DL2020GOI364227]	2 जून, 2020
4	मध्य प्रदेश में राजगढ़ (2500 मेगावाट) सेज में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40106DL2020GOI364436]	6 जून, 2020
5	बिदर (2500 मेगावाट), कर्नाटक में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण प्रणाली	बिदर ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40106DL2020GOI364498]	8 जून, 2020
6	फेज–II के तहत राजस्थान (8.1 गीगावाट) में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण – भाग ग	सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40106DL2020GOI364672]	11 जून, 2020
7	फेज–II के तहत राजस्थान (8.1 गीगावाट) में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण – भाग क	रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड [CIN: U40300DL2020GOI365214]	26 जून, 2020
8	टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मध्य प्रदेश में अंतर–राज्यीय पारेषण कार्य का विकास: पैकेज–I	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड [CIN: U40108DL2020GOI367417]	4 अगस्त, 2020
9	टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मध्य प्रदेश में अंतर–राज्यीय पारेषण कार्य का विकास: पैकेज–II	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड [CIN: U40100DL2020GOI368275]	20 अगस्त, 2020

इसके अलावा, दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (CIN U40300DL2015GOI288066), एक परियोजना विशिष्ट एसपीवी और आरईसीटीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो कि दिनांक 2 सितंबर, 2015 को *परियोजना अर्थात अरुणाचल प्रदेश में फेज–I उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली* के लिए निगमित की गई थी, ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के पास अपना नाम हटाने के लिए एक आवेदन दाखिल किया है क्योंकि यह परियोजना दिनांक 1 फरवरी, 2019 को राजपत्र और विद्युत मंत्रालय की दिनांक 31 मार्च, 2020 की सहमति के अनुसार गैर–अधिसूचित की गई।

आरईसीटीपीसीएल ने विद्युत मंत्रालय के मार्गनिर्देशन में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ऑनलाइन वेब प्लेटफार्म और मोबाइल ऐप विकसित किया है, अर्थात ऊर्जा मित्र, तरंग (रियल टाइम मॉनीटरिंग और विकास के लिए पारेषण ऐप), 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग योजना इत्यादि और इसने अपने ग्राहकों की ओर से विभिन्न अन्य कार्य किए।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरईसीटीपीसीएल ने पूर्व वित्तीय वर्ष में 40.45 करोड़ रुपये की तुलना में 79.16 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः 70.55 करोड़ रुपये और 54.44 करोड़ रुपये है। आरईसीटीपीसीएल की निवल आय दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 112.60 करोड़ रुपये थी जबकि विगत वर्ष में 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 118.44 करोड़ रुपये थी। आरईसीटीपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 10 रुपये प्रत्येक के चुकता इक्विटी शेयर पर 10,000 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया, जिसका मार्च 2020 में कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

21.3 आरईसीटीपीसीएल का आरईसीपीडीसीएल के साथ विलय

एक सशक्त और संकेंद्रित आकार, प्रचालनों में बेहतर तालमेल, विभिन्न बाजार घटकों के लिए और उच्च पूंजी आधार एवं साझा संसाधनों के लाभ प्राप्त करने के लिए आरईसी की दो असूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल का एक ही संस्था में विलय करने का प्रस्ताव किया गया है।

तद्नुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तहत विद्युत मंत्रालय, निदेशक मंडल, संबंधित कंपनियों के शेयरधारकों और ऋणदाताओं का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तथा आरईसी का अनुमोदन लेने के बाद दिनांक 14 अगस्त, 2020 को आरईसीटीपीसीएल (स्थानांतरणकर्ता कंपनी) का आरईसीपीडीसीएल (स्थानांतरित कंपनी) के साथ विलय करने की व्यवस्था की योजना की स्वीकृति के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय में एक आवेदन दाखिल किया गया हैय और उसका अनुमोदन प्रतीक्षित है।

22. संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनी के ब्यौरे

आरईसी ने तीन अन्य सार्वजनिक उद्यम क्षेत्रों अर्थात् पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी और पीएफसी को समान भागीदार बनाकर दिनांक 10 दिसंबर, 2009 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की है, जिसका नाम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) [सीआईएनः U40200DL2009PLC196789] है। ईईएसएल एक सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी (ईएससीओ) है और यह राज्य डिस्कॉमों, ऊर्जा विनियामक आयोगों, राज्य विकास प्राधिकरणों, भावी ईएससीओ, वित्तीय संस्थानों इत्यादि के लिए क्षमता निर्माण के लिए संसाधन केंद्र के रूप में काम करती है। आरईसी ने 31 मार्च, 2020 तक ईईएसएल की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के निमित्त 218.10 करोड़ रुपये (22.18 प्रतिशत) का अंशदान किया है।

ईईएसएल की स्थापना विशेष रूप से नगरपालिका, भवनों, कृषि, उद्योग इत्यादि जैसे सार्वजनिक सुविधाओं में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों की बाजार पहुंच का सृजन करने तथा उसे बनाए रखने एवं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, एमएनआरई, भारत सरकार की अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है। ईईएसएल जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक मिशन अर्थात् वर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) के बाजार से संबंधित क्रियाकलापों का भी नेतृत्व कर रहा है। ईईएसएल उच्चतम ऊर्जा दक्षता पोर्टफोलियो को कार्यान्वित कर रहा हैः और ऊर्जाक्षम उपकरणों और प्रौद्योगिकियों से वार्षिक रूप से अनुमानित 40 बिलियन केडब्ल्यूएच से अधिक की बचत हुई है।

वर्तमान में ईईएसएल विश्व के सबसे बड़े गैर–सब्सिडी आधारित एलईडी लाइटिंग कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है अर्थात एलईडी बल्ब के वितरण के लिए सभी के लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) कार्यक्रम, घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा दक्ष पंखे, विश्व का सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट कार्यक्रम अर्थात स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी), जो नगरपालिकाओं में स्मार्ट और ऊर्जा सक्षम एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाकर परंपरागत स्ट्रीट लाइट को बदलने के लिए है, मौजूदा पैट्रोल और डीजल वाहनों, जो विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा पट्टे पर लिए गए हैं, के स्थान पर पट्टे पर/खरीद आधार पर सरकारी संस्थाओं के लिए विद्युत वाहन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ई–मोबिलिटी कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र में अक्षम कृषिकीय पम्प सेट की बदली करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा कृषि मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम (एजीडीएसएम), भवनों में ऊर्जाक्षम उपकरणों को रिट्रोफिट करने के लिए उन्हें ऊर्जाक्षम बनाने के लिए भवन ऊर्जाक्षम कार्यक्रम (बीईईपी), परंपरागत मीटरों के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएमएनपी), सार्वजनिक जल कार्यों और सीवेज प्रणालियों में यूएलबी/राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ऊर्जाक्षम पंप सेट लगाने के लिए एएमआरयूटी के तहत नगरपालिका ऊर्जाक्षम कार्यक्रम (एमईईपी), सोलर रूफटॉप और विकेंद्रीकृत छोटे सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सोलर कार्यक्रम, ऐसे ग्रामीण, अर्धशहरी क्षेत्रों, जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है, में सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए अटल ज्योति योजना (अजय), स्कूली बच्चों के लिए सोलर अध्ययन लैम्प के वितरण के लिए सोलर ऊर्जा लैम्प (एसओयूएल) तथा साथ ही उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर सुपर सक्षम एयर कंडीशनर प्रदान करने के लिए सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग कार्यक्रम भी विकसित किया गया है। ईईएसएल को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिपर अवार्ड (एफआईएलए), 2018 द्वारा "सर्वोत्तम कंपनी (सार्वजनिक क्षेत्र) अवार्ड" प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान ईईएसएल के निष्पादन में सुधार हुआ है और कंपनी का वित्तीय निष्पादन विकास पथ पर है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ईईएसएल के अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर कंपनी का टर्नओवर 1934.07 करोड़ रुपये (स्टैंडअलोन) था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः 27.22 करोड़ रुपये और 44.92 करोड़ रुपये था।

23. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और उसके तहत बने नियमों तथा भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी ने समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, जिनमें इसकी सहायक कंपनियां अर्थात् आरईसीटीपीसीएल और आरईसीपीडीसीएल (लेखापरीक्षित) तथा संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात ईईएसएल (अलेखापरीक्षित) शामिल हैं जिन्हें कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की होने वाली आगामी 51वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 129(3) के अनुसरण में सहायक/संबद्ध कंपनियों और संयुक्त कंपनी के फॉर्म एओसी–1 में वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं के साथ एक विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) कंपनियों, जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कं. लि. (आरईसीटीपीसीएल) द्वारा इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में निगमित है, के विवरण आरईसी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं किए गए हैं।

कंपनी की सहायक कंपनियों के समेकित भारतीय–लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षित लेखाओं सहित लेखा परीक्षित भारतीय–लेखांकन मानक वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध हैं। तथापि, ये दस्तावेज कंपनी के किसी भी ऋण पत्र धारक के सदस्य अथवा न्यासी को उसके द्वारा अनुरोध किए जाने पर निरीक्षण के लिए कार्यालय समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी इनकी प्रति प्राप्त करने में रूचि रखने वाले कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध कराएगी।

24. निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति का अधिकार विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति के पास है। कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय–समय पर जारी वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार नियत किया जाता है। अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को मंडल और समिति की बैठकों में आने के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा

के भीतर) निर्धारित किए गए अनुसार, सदस्यता शुल्क दिया जाता है। भारत सरकार की शर्तों के अनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक/सदस्यता शुल्क के हकदार नहीं हैं। निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक/सदस्यता शुल्क के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित सुशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कंपनी सचिव को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नामित किया है। कंपनी के सीईओ और सीएफओ की भूमिका क्रमशः कंपनी के सीएमडी और निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जा रही है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 जून, 2019 के विद्युत मंत्रालय के पत्र संख्या 27–46/1/2018–आरई के तहत तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. (पीएफसी) के बीच शेयर परचेज करार के खंड 5.1 के तहत दिनांक 18 जून, 2019 से कंपनी के बोर्ड में पीएफसी के नामिती निदेशक के रूप में श्री प्रवीण कुमार सिंह (डीआईएनः 03548218) की नियुक्ति की थी।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 2 सितंबर, 2019 के कार्यालय आदेश सं. 46/8/2015–आरई (ई–227696) के तहत श्री मृत्युंजय कुमार नारायण (डीआईएनः 03426753), संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक के लिए, डॉ. अरुण कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव, जिन्हें पहले आरईसी के निदेशक मंडल में मंत्रालय के दिनांक 6 अक्तूबर, 2015 के कार्यालय आदेश संख्या 46/8/2015–आरई के तहत नामित किया गया था, के स्थान पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। तद्नुसार, डॉ. अरुण कुमार वर्मा (डीआईएनः 02190047) दिनांक 2 सितंबर, 2019 से आरईसी के निदेशक के रूप में कार्य करना बंद कर देंगे।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 22 नवंबर, 2018 के अपने आदेश संख्या 20/6/2017–समन्वय के तहत, श्री ए. कृष्ण कुमार (डीआईएनः 00871792) और प्रो. टी. टी. राम मोहन (डीआईएनः 00008651) को कंपनी के बोर्ड में उनके पूर्व टेन्योर (अर्थात 13 नवंबर, 2018) के पूरा होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया था। यह बढ़ाया गया टेन्योर 12 नवंबर, 2019 को पूरा हुआ और तद्नुसार, श्री ए. कृष्ण कुमार और प्रो. टी. टी. राम मोहन दिनांक 13 नवंबर, 2019 से आरईसी के निदेशकों के रूप में कार्यरत नहीं हैं।

विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 8 फरवरी, 2017 के आदेश संख्या 46/2/2010–आरई (खंड–II) (पार्ट–IV) के तहत श्रीमती आशा स्वरूप (डीआईएनः 00090902) को तीन वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। यह तीन वर्ष की अवधि का टेन्योर 7 फरवरी, 2020 को पूरा हुआ और तद्नुसार श्रीमती आशा स्वरूप 8 फरवरी, 2020 से आरईसी की निदेशक के रूप में नहीं रहीं।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 17 जुलाई, 2018 के आदेश सं. 20/6/2017–समन्वय के तहत डॉ. बी. के. कराड (डीआईएनः 00998839) को तीन वर्ष की अवधि के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। तथापि, डॉ. कराड ने दिनांक 11 मार्च, 2020 को अपने व्यक्तिगत कारणों से आरईसी के बोर्ड से त्याग–पत्र दे दिया है। इसके अलावा, सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची–III (भाग–क) के खंड 7ख के संदर्भ में डॉ. कराड ने यह पुष्टि की कि त्याग–पत्र में दिए गए कारणों के अलावा, टेन्योर समाप्त होने से पूर्व त्याग–पत्र देने के लिए अन्य कोई कारण नहीं है।

महिला स्वतंत्र निदेशक सहित कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों का पद उपरोक्तानुसार समाप्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए कारपोरेट शासन संबंधी डीपीई दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 2010 के लिए आंशिक वर्ष के लिए बोर्ड की संरचना नहीं थी। कंपनी ने पहले ही विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार अर्थात नियुक्ति प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए शीघ्रता करें ताकि लागू सांविधिक प्रावधानों की अनुपालना हो सके।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएनः 02231613), निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (स्वतंत्र प्रभार) का टेन्योर 31 मई, 2020 तक अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक बढ़ाया गया था। तदोपरांत, श्री अग्रवाल दिनांक 31 मई, 2020 को कंपनी से सेवानिवृत्त हो गए और 1 जून, 2020 से आरईसी के निदेशक के रूप में नहीं रहे।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 21 अप्रैल, 2020 के आदेश संख्या 46/9/2011–आरई (228164) के तहत श्री अजय चौधरी (डीआईएनः 06629871) को दिनांक 1 जून, 2020 से अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात 31 जनवरी, 2024 तक अथवा अगले आदेशों तक कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया है। श्री अजय चौधरी पहले कंपनी में कार्यकारी निदेशक (वित्त) थे।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 12 जून, 2020 के आदेश संख्या 46/2/2019–आरई (247264) के साथ पठित दिनांक 21 जुलाई, 2020 के समसंख्यक आदेश के तहत श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएनः 03464342), निदेशक (तकनीकी) को 1 जून, 2020 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसके अनुसार, श्री संजीव कुमार गुप्ता ने कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है।

कंपनी के कंपनी सचिव और अनुपालना अधिकारी श्री जे. एस. अमिताभ, कार्यकारी निदेशक तथा कंपनी सचिव हैं।

सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपने टेन्योर के दौरान अपेक्षित घोषणा दे दी थी कि वे स्वतंत्र निदेशक के निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं और कोई भी निदेशक आपस में संबंधी नहीं है।

बोर्ड श्री अजीत कुमार अग्रवाल, डॉ. अरुण कुमार वर्मा, श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रो. टी. टी. राम मोहन, श्रीमती आशा स्वरूप तथा डॉ. बी. के. कराड द्वारा कंपनी में उनके टेन्योर के दौरान की गई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 91(iv) के अनुसार श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) कंपनी की आगामी 51वीं वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और वे पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं का प्रस्ताव करते हैं। निदेशक मंडल आरईसी में निदेशक के पद पर उनका टेन्योर पूरा होने तक उनकी पुनः नियुक्ति की सिफारिश करता है। उनका संक्षिप्त परिचय एजीएम के नोटिस के साथ संलग्न है।

25. निदेशक मंडल/स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन

सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, किसी सूचीबद्ध कंपनी से अपने बोर्ड की रिपोर्ट में विवरण द्वारा यह प्रकट करना अपेक्षित है कि बोर्ड द्वारा अपने, अपनी समितियों और वैयक्तिक निदेशक के कार्य–निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए मानदंड किस तरीके से किया गया है।

तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के तहत अन्य बातों के साथ–साथ केंद्र सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा निदेशकों के मामले में मूल्यांकन किया जाता है तो उपर्युक्त अपेक्षा से सरकारी कंपनी को छूट दी गई है जोकि अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार कंपनी का प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिनांक 05 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के तहत विनिर्दिष्ट करता है कि स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा तथा मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं है।

तद्नुसार, सरकारी कंपनी होने के कारण आरईसी को उपरोक्त अधिसूचना के सन्दर्भ में छूट प्रदान की गई है क्योंकि प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग (डीपीई)/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उनके आन्तरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया।

इसके अलावा, आपकी कंपनी हर वर्ष विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर करती है जिसमें डीपीई द्वारा जारी एमओयू दिशा–निर्देशों में निर्धारित फ्रेमवर्क के तहत कंपनी के लिए प्रमुख निष्पादन मापदंड निर्धारित किए जाते हैं और कंपनी के निष्पादन का समझौता ज्ञापन के मानदंडों की तुलना में मूल्यांकन किया जाता है।

26. निदेशकों के दायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के संदर्भ में इस बात की पुष्टि की गई है कि:

(i) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है और उनसे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है;

(ii) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सतत् रूप से लागू किया गया है (वित्तीय विवरणों के लिए लेखाओं के नोट में प्रकट किए अनुसार लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को छोड़कर) तथा लिए गए अधिनिर्णय और लगाए गए अनुमान विवेकपूर्ण तथा युक्तिसंगत हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति और उस अवधि के संबंध में कंपनी के लाभ का सभी और उचित चित्रण किया जा सके;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण रिकॉर्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके;

(iv) वार्षिक लेखे चालू कंपनी प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए गए हैं;

(v) कंपनी द्वारा अपनाए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से चल रहे हैं; तथा

(vi) निदेशकों ने उपर्युक्त प्रणालियां बनाई हैं ताकि लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से चल रही हैं;

27. समझौता ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी के कार्य निष्पादन को *"उत्कृष्ट"* की रेटिंग की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरईसी को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिसमें "सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं" की श्रेणी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से "वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय संसूचना में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई अवार्ड" और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा कारपोरेट शासन में उत्कृष्टता के लिए *"पीएसई उत्कृष्टता अवार्ड 2018"*, नवरत्न और महारत्न श्रेणी में रनर अप शामिल हैं। इसके अलावा, आरईसी को स्कोप कारपोरेट कम्युनिकेशन्स एक्सिलेंस अवार्ड 2019 अर्थात *"सर्वोत्तम हाउस जर्नल (अंग्रेजी)"* के लिए प्रथम पुरस्कार, *"सर्वोत्तम कारपोरेट कम्युनिकेशन्स – इंटर्नल"* के लिए द्वितीय पुरस्कार और *"डिजिटल मीडिया का प्रभावी उपयोग"* के लिए तीसरा पुरस्कार दिया गया। आरईसी को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "स्वच्छ भारत पुरस्कार" भी दिया गया।

28. "थिंक ग्रीन, गो ग्रीन" पहल

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों को वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, अन्य दस्तावेज उनके पंजीकृत ई–मेल पते पर सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने की अनुमति है। एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के तौर पर, कंपनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की "हरित पहल" के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से सहायता की है और ऐसे शेयरधारकों को, जिनके ई–मेल दर्ज हैं,

नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की प्रभावी इलैक्ट्रॉनिक डिलीवरी में सहायता की है। लाभांश (अंतरिम/अंतिम) की सूचना भी ऐसे शेयरधारकों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है।

इसके अलावा, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी सभी सदस्यों को ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नोटिस में दिए गए सभी संकल्पों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकें। इस वर्ष कंपनी वार्षिक आम बैठक का आयोजन भी वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो वीडियो विजुअल माध्यमों से करेगी। सदस्यों के लिए ई–वोटिंग और वार्षिक आम बैठक में इलैक्ट्रॉनिक भागीदारी के लिए विस्तृत अनुदेश, एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई–मेल पते को पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरएंडटीए)/संबंधित सदस्य के डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास अपने ई–मेल पते दर्ज कराएं और कंपनी की हरित पहल में भाग लें।

29. स्वच्छ भारत अभियान

आरईसी ने दिनांक 16 मई, 2019 से 31 मई, 2019 तक के दौरान *"स्वच्छता पखवाड़ा–2019"* के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। कर्मचारियों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यालय के परिसर में और इसके आस–पास बैनर और पोस्टर लगाए गए। कंपनी के सभी अधिकारियों ने *स्वच्छता* की शपथ ली और कार्यालय के सभी स्थानों पर विशेषतः स्वच्छता का अभियान चलाया गया। आरईसी ने अपने चेन्नई, कोलकाता और तिरूवनंतपुरम स्थित कार्यालयों में ड्रॉइंग प्रतियोगिता भी आयोजित की और अपने कारपोरेट कार्यालय में *"क्या स्वच्छता अभियान ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है"* पर वाद–विवाद और *स्वच्छता चर्चा* की। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्लम क्षेत्रों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए। आरईसी के सभी कर्मचारियों ने इन कार्यक्रमों में बड़े उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। इसके अलावा, आरईसी ने वर्ष के दौरान *स्वच्छ तीर्थस्थल अभियान* के तहत अपनाए गए बरैछा बीर धाम, जिला जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में 5 सीट के शौचालय परिसर का निर्माण भी किया।

स्वच्छता ही सेवा

11 सितंबर, 2019 से 2 अक्तूबर, 2019 तक के दौरान आरईसी ने दैनिक प्रयोग में सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारिक प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए *स्वच्छता ही सेवा* नामक एक तीन सप्ताह का कार्यक्रम भी आयोजित किया। 30 स्कूलों में विद्यार्थियों और स्टाफ के बीच प्लास्टिक कचरे और सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ड्राइंग प्रतियोगिताएं और लेक्चर का आयोजन किया। करीब 10000 जूट के थैले भी विद्यार्थियों और कर्मचारियों के बीच वितरित किए गए ताकि उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

प्लास्टिक कचरे को एकत्र करने, पृथक करने और रिसाइकल करने के लिए आरईसी कर्मचारियों द्वारा *"स्वच्छता श्रमदान"*

30. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरईसी में "सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005" को लागू करने के लिए आपकी कंपनी ने आवश्यक कदम उठाए हैं तथा आवेदनों की प्राप्ति और उनसे संबंधित जानकारी प्रेषित करने संबंधी कार्य का समन्वय करने के लिए एक स्वतंत्र आरटीआई प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक आरटीआई पुस्तिका आरईसी की वेबसाइट पर दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त आरटीआई से संबंधित आवेदनों और अपीलों की स्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	संख्या
1	प्राप्त हुए आवेदन पत्र	372
2	निपटाए गए आवेदन पत्र	370
3	बाद में निपटाए गए आवेदन पत्र	02
4	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त अपीलें	14
5	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा निपटाई गईं अपीलें	14
6	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से प्राप्त द्वितीय अपील सूचनाएं	01
7	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से द्वारा निपटाई गईं द्वितीय अपील सूचनाएं	01

31. सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसईएस) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक क्रय नीति के तहत सूचना

एमएसएमई के लिए दिशा–निर्देशों, जैसा कि खरीद प्रक्रिया में यथा उल्लिखित है, का कंपनी में अनुपालन किया जा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए आरईसी के प्रयास के रूप में और निर्धारित सार्वजनिक खरीद मानकों, जिन्हें नवंबर, 2018 से संशोधित किया गया है, को लिए आरईसी ने पहले ही यह अनिवार्य कर दिया है कि 10 लाख रुपये तक के मूल्य की वस्तुएं/सेवाएं, जो सामान्य प्रयोग की हैं, एमएसएमई के विक्रेताओं से 100 प्रतिशत खरीदी जाएं और साथ ही 50 प्रतिशत तक कीमत वरियता एमएसई को भी दी जाए जिनमें से 20 प्रतिशत एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित की गई हो। इस प्रकार, आरईसी एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी को प्रोत्साहित किया करती है।

इसके अलावा, आरईसी पहले से ही जैम (गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस), संबंध और समाधान पोर्टल पर पंजीकृत है और कंपनी के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उप–कार्यालय/सहायक कंपनियां/प्रशिक्षण केंद्र (आरईसीआईपीएमटी) द्वारा उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान एमएसएमई वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आरईसी के खिलाफ भारत सरकार के एमएमएमई समाधान पोर्टल गैर–भुगतान की कोई शिकायत और/अथवा कोई अन्य शिकायत नहीं थी। आरईसी ने अपने आपको टीआरईडीएस पर पंजीकृत कराया और एमएसएमई के वेंडरों द्वारा बिल डिस्काउंट के लिए इस महत्वाकांक्षी मंच पर अपनी उपस्थिति दर्शाई। इसके अलावा, आरईसी ने हाल ही में अपने सभी कर्मचारियों के लिए अखिल भारत में स्थित सभी कार्यालयों के लिए जैम पोर्टल के जरिए सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की 100 प्रतिशत खरीद करने की अनिवार्यता की है। इसके अतिरिक्त, इस प्रयास को सफल बनाने के लिए, आरईसी ने एक व्यापक जैम खरीददारी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें हेंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ–साथ जैम से आए फैकल्टी द्वारा विशेष सत्र आयोजित किए गए। इसमें सभी ने भाग लिया और सभी प्रतिभागियों द्वारा इसकी सराहना की गई।

आरईसी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान होने के नाते परियोजनाओं के निष्पादन में नहीं है। अतः हमारी खरीद संबंधी जरूरतें मुख्यतः कार्यालय उपकरण जैसे कम्प्यूटर, प्रिंटर, उपभोज्य स्टेशनरी और अन्य विविध मदें एवं सेवाएं इत्यादि हैं, जो अधिकांशतः एमएसएमई विक्रेताओं से ही खरीदी जाती हैं। आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान एमएसई से 3.14 करोड़ रुपये राशि की खरीद की। आरईसी ने महिला उद्यमियों सहित एमएसएमई से खरीद करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अपने एमओयू लक्ष्यों की न केवल प्राप्ति की बल्कि लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त की। आरईसी की एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति कंपनी की वेबसाइट और सीपीपीपी पोर्टल पर डाले गए सभी टेंडरों में शामिल है। इसकी गहन जांच की जा रही है और सीवीसी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आईईएम) द्वारा तिमाही और वार्षिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। आईईएम ने विभिन्न शिकायतों के लिए आरईसी के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना की है और यह पाया कि सभी खरीद क्रियाकलाप उचित तरीके से किए गए हैं।

32. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी ने 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता कंपनी की वरिष्ठ स्तरीय महिलाओं द्वारा की जाती है और इसके एक सदस्य के रूप में एक गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। कंपनी के यौन उत्पीड़न विरोधी स्वरूप को आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली में भी शामिल किया गया है।

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

33. वार्षिक विवरणी

आरईसी की वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक विवरणी लिंक https://www.recindia.nic.in/annual-returns पर और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आरईसी की वार्षिक विवरणी का उद्धरण लिंक https://www.recindia.nic.in/uploads/files/14-extract-of-annual-return-fy-19-20.pdf पर उपलब्ध है।

34. संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के ब्यौरे

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए संगत पक्ष लेन–देन के विवरण, जो फॉर्म एओसी–2 में प्रकट किए जाने आवश्यक हैं, 'शून्य' थे।

35. लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस. के. मित्तल एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या 001135एन) और मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एण्ड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या 000018एन/एन500091) को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

इसके अलावा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स एस. के. मित्तल एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या 001135एन) और मैसर्स ओ. पी. बागला एण्ड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या 000018एन/एन500091) की नियुक्ति की गई है और सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उनकी नियुक्ति को स्वीकार किया है। कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन आगामी वार्षिक बैठक में लिया जाएगा ताकि वर्ष 2020–21 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जा सके।

सचिवालयी लेखा परीक्षक

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव (प्रैक्टिस प्रमाण–पत्र संख्या 715), नई दिल्ली को सचिवालयी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की शर्तों के अनुसार उन्होंने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

35.1 लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है और बिना किसी अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी अथवा डिस्क्लेमर के अपनी रिपोर्ट दी है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एक बिना प्रतिबंध रिपोर्ट दी है। तथापि, उनकी बोर्ड और समितियों की संरचना के संबंध में कतिपय टिप्पणियां हैं। सचिवालयी लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के संबंध में प्रबंधन ने उत्तर प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

सचिवालयी लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां		प्रबंधन का उत्तर
1.	कंपनी ने दिनांक 8 फरवरी, 2020 से महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों *(13 नवंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक)* की नियुक्ति के संबंध में सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 149 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया।	आरईसी एक सरकारी कंपनी है और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 91 के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति की शक्तियां विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति के पास निहित हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशक मंडल और समितियों की संरचना 13 नवंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि को छोड़कर, कंपनी के बोर्ड में 8 फरवरी, 2020 से एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की रिक्ति होने के कारण, सभी लागू प्रावधानों का पालन किया गया था। कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र और महिला निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया है और आरईसी का अनुरोध विद्युत मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन है। एक बार विद्युत मंत्रालय द्वारा अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र और महिला निदेशकों की नियुक्ति करने के बाद कंपनी सभी लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति में होगी।
2.	कंपनी ने क्रमशः 8 फरवरी, 2020 और 13 नवंबर, 2019 से लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।	
3.	कंपनी ने दिनांक 8 फरवरी, 2020 से कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, क्योंकि कोई स्वतंत्र निदेशक समिति का सदस्य नहीं था।	

36. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने दिनांक 6 अगस्त, 2020 के पत्रों के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के संबंध में आपकी कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में 'शून्य' टिप्पणी दी है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है।

37. डिबेंचर ट्रस्टी

सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियमावली, 2015 के अनुपालन में, समय–समय पर निर्गत बॉण्डों की भिन्न–भिन्न श्रृंखला के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टीज के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

38. सांविधिक प्रकटन

क) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई अंतर नहीं था।

ख) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की और कंपनी के निदेशक मंडल ने आरबीआई दिशा–निर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में संकल्प को पारित किया है।

ग) विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण अथवा वास्तविक आदेश जारी नहीं किए गए जो चल रहे कंपनी के मुद्दों की स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों पर प्रभाव डालते हों।

घ) कंपनी उपयुक्त निगरानी प्रक्रिया, जिससे विभिन्न लेन–देनों की सही और समय से वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित होती है, प्रचालनों की दक्षता और सांविधिक विधि, विनियम और कंपनी नीतियों का अनुपालन सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली बनाई हुई है। ब्यौरों के लिए इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

ङ) वर्ष के दौरान बोर्ड और इसकी समितियों के गठन, विचाराधीन विषय, बैठकों से संबंधित सूचना, सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति की स्थापना तथा निदेशकों की फेमिलियरइजेशन/प्रशिक्षण नीति के लिए वेब लिंक, संबंधित पक्षकार लेन–देन की सामग्री संबंधी नीति तथा तृतीय पक्षकार लेन–देन तथा प्रमुख सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को मुआवजा, स्वतंत्र निदेशकों और आईईपीएफ को सीटिंग फीस आदि निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में उल्लिखित की गई है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है जो सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में तैयार की गई है।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसार अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कंपनियों का वित्त पोषण अथवा अवसंरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारोबार में लगी कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, दी गई गारंटी अथवा उपलब्ध कराई गई प्रतिभूति कंपनी पर लागू नहीं है, अतः प्रकटन किया जाना अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, निवेश के ब्यौरे स्टैंड अलोन वित्तीय लेखा विवरण पर टिप्पणी की टिप्पणी संख्या 10 में दिए गए हैं।

छ) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके अधीन बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं, अतः प्रकटन किया जाना अपेक्षत नहीं है।

ज) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं की गई है जो वित्तीय वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच किए गए।

झ) कंपनी ने निदेशकों अथवा किसी कर्मचारी को स्टॉक ऑप्शन जारी नहीं किए हैं।

ञ) सतर्कता मामलों से संबंधित ब्यौरे, ऑडिट आपत्तियों के उत्तर और आरटीआई मामले इत्यादि इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से दिए गए हैं, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 जनवरी, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के तहत अपेक्षित है।

ट) केंद्रीय सरकार ने कंपनी (लागत, रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी (लागत रिकार्ड एवं लेखापरीक्षा) संशोधन नियमावली, 2014 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए लागत रिकार्ड का रख–रखाव निर्धारित नहीं किया है। तद्नुसार, लागत लेखा और रिकार्ड का कंपनी द्वारा रख–रखाव करना अपेक्षित नहीं है।

ठ) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों/सचिवालयी लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षा समिति को कंपनी के किसी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी करने के किसी मामले की सूचना नहीं दी है।

ड) कंपनी में भारतीय कंपनी सचिवालयी संस्थान द्वारा जारी और लागू सचिवालयी मानकों का अनुपालन किया गया है।

ढ) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में किसी नए स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई, जिसमें कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(5)(iiiए) के तहत प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है।

ण) कंपनी में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

39. कंपनी के कारोबार पर कोविड–19 का प्रभावः

मार्च, 2020 में कोविड–19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक महामारी घोषित किया गया था। इस महामारी के चलते वैश्विक वित्तीय बाजारों में और साथ ही भारत में आर्थिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण गिरावट और अस्थिरता आई है। आपकी कंपनी स्थिति को निकट से देख रही है और एक अनुकूल तरीके से कारोबारी कार्यों को जारी रखने के लिए तीव्रता से कार्रवाई कर रही है।

आरबीआई द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसरण में, आरईसी ने मूलधन और/अथवा ब्याज (यथालागू अतिरिक्त ब्याज/अन्य ब्याज/प्रभारों सहित) के भुगतान के संबंध में 1 मार्च, 2020 से अधिकतम छः माह तक मोरेटोरियम प्राप्त करने के लिए अपनी उधारियों के लिए एक नीतिगत व्यवस्था बनाई है। इसके अलावा, भारत सरकार के *"आत्मनिर्भर भारत"* पैकेज के तहत, आरईसी ने उत्पादकों को भुगतान करने के लिए डिस्कॉमों को विशेष दीर्घावधिक ट्रांजिशन ऋण वितरित किए हैं क्योंकि वे महामारी के चलते गहन नकदी की समस्या का सामना कर रही थीं। इन ऋणों से लिक्विडिटी के जरिए विद्युत क्षेत्र को अत्यधिक अपेक्षित राहत मिली है।

40. गुरुग्राम, हरियाणा में आरईसी के निगमित कार्यालय भवन के निर्माण की स्थिति

गुरुग्राम में आरईसी की निर्माणाधीन स्टेट–ऑफ–द–आर्ट बिल्डिंग

आरईसी के सेक्टर 29, सिटी सेंटर, गुरूग्राम में स्टेट ऑफ द आर्ट भवन का निर्माण कार्य जोरों पर है। प्रस्तावित भवन का डिजाइन वास्तुकार मैसर्स सीडब्ल्यूए (वैश्विक डिजाइन वास्तुकीय प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से चयन) द्वारा तैयार किया गया है और इसमें अच्छी फिनिशिंग के साथ सफेद कंक्रीट की सरफेस, उभरी फ्लोरिंग, वातानुकूलन में विद्युत की खपत को कम करने के लिए स्लेब के लिए रेडियंट कूलिंग, आईबीएमएस, ऑटोमेटेड सेंसर नियंत्रित लाइटिंग, बायोक्लाइमेटिक ग्लास फैकेड व मोटाराइज्ड ब्लाइंड, रूफटॉप परगोला स्ट्रक्चर में सौर पीवी संयंत्र, ऑडिटोरियम तथा अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकीय विशेषताओं के साथ गृह (जीआरआईएचए) 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की है। मैसर्स टेलिकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता है। इसके अलावा, परियोजना का कार्य निष्पादन करने वाले ठेकेदारों में जेएमसी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, आर्टिजन इंटीरियर्स, हाई टेक ऑडियो सिस्टम प्रा. लि., हन्नू मार्केटिंग प्रा. लि. और वोहर पार्किंग सिस्टम प्रा. लि. तथा 6 परामर्शदाता/उप–परामर्शदाता भी परियोजना के लिए कार्य कर रहे हैं। परियोजना को अधिकतम महत्व देते हुए आरईसी ने भवन के संरचनात्मक डिजाइन की पुनरीक्षा के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को नियुक्त किया है।

मार्च, 2020 तक आरसीसी संरचना, ग्लास फैकेड इनव्लप (ऑडिटोरियम को छोड़कर) और परिसर में बाह्य परिधीय रोड पूरे हो गए हैं तथा आंतरिक पेरीफेरल और बाह्य विकास कार्य पूरी तरह से चल रहे हैं। यह परियोजना पूरा होने के एडवांस स्टेज पर है, इसमें कोविड–19 महामारी के कारण विलंब हो गया है।

आरईसी "वर्ल्ड हेडक्वार्टर बिल्डिंग" परियोजना को (i) 8वें गृह (जीआरआईएचए) शिखर सम्मेलन के दौरान अप्रतिरोधी वास्तुकीय डिजाइनय (ii) एकीकृत जल प्रबंधनय और (iii) 9वें गृह (जीआरआईएचए) शिखर सम्मेलन के दौरान ऊर्जा प्रबंधन के लिए एकीकृत पर्यावरण आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग के लिए गृह (जीआरआईएचए) परिषद द्वारा ये तीन महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए थे जिससे जीआरआईएचए 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने में आगे मदद मिलेगी।

41. एकीकृत रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सेबी के दिनांक 6 फरवरी, 2017 के परिपत्र के अनुसार कंपनी की 'एकीकृत रिपोर्ट' तैयार की गई है और वह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

42. अपेक्षित सांविधिक और अन्य सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियमावली, 2015, सीपीएसई के लिए कारपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशा–निर्देश, 2010 और अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना निम्न रूप में इस रिपोर्ट के साथ सलग्न है:

विवरण	अनुबंध
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	I
कारपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट	II
कारोबार दायित्व रिपोर्ट	III
एकीकृत रिपोर्ट	IV
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	V
कारपोरेट शासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र	VI
सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	VII
बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए नियुक्त ऋण–पत्र न्यासियों के ब्यौरे	VIII

43. आभार

निदेशकगण, भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, डीआईपीएएम, लोक उद्यम विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति उनके सहयोग, समर्थन के लिए और कपनी के कार्यों तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत कंपनियों और अन्य उधारकर्ताओं का कंपनी में निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

निदेशकगण, कंपनी के प्रतिष्ठित शेयरधारकों, आरईसी के बॉण्डों के निवेशकर्ताओं, देशी और विदेशी बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, जर्मनी के केएफडब्ल्यू तथा जापान के जेआईसीए के सहयोग एवं सद्भाव की भी सराहना करते हैं।

निदेशकगण, मैसर्स एस. के. मित्तल एण्ड कंपनी और मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एण्ड कंपनी एलएलपी, सांविधिक लेखा परीक्षकों, मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, सचिवालयी लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों को भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

अंत में, निदेशकगण निष्ठापूर्वक कंपनी के सभी कर्मचारियों की सराहना करते हैं और उत्कृष्ट निष्पादन के एक और वर्ष में कंपनी की प्रगति के लिए उनके सतत् और समर्पित प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं।

अंत में निदेशकगण, लगातार एक और वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के लिए कंपनी के संचालन में सभी कर्मचारियों को उनके सतत् और समर्पित प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं तथा उनकी सराहना करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह
निदेशक (तकनीकी)
(डीआईएनः 03464342)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अगस्त, 2020

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक–I

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी के प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के कार्य निष्पादन सहित उद्योग के परिदृश्य के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

व्यापार परिवेश

वैश्विक व्यापार परिवेश

वर्ष 2017 में, जब से वैश्विक विकास गिरकर 4 प्रतिशत के करीब आया है, तब से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 2018 में यह गिरकर 3.6 प्रतिशत और आगे वर्ष 2019 में यह गिरकर 2.9 प्रतिशत तक आ गई है। वर्ष 2020 के प्रारंभ में कोविड–19 महामारी के आने से और इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य संकट के चलते दुनिया भर में गंभीर मानवीय क्षति हुई और आर्थिक क्रियाकलापों पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा। परिणास्वरूप, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2020 में 3 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आने का अनुमान है। एक बेसलाइन परिदृश्य, जिसमें यह आकलन किया गया है कि वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में इस महामारी के प्रभाव में कमी आने की संभावना है और इस पर नियंत्रण के प्रयास धीरे–धीरे सामने आएंगे तथा इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2021 तक 5.4 प्रतिशत तक करने की संभावना है क्योंकि नीतिपरक मदद से आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य होंगे। जैसे–जैसे देश महामारी का सामना करेंगे, उनमें से कई देशों में अनेक प्रकार के संकट आएंगे, जिनमें स्वास्थ्य की समस्या, घरेलू अर्थव्यवस्था की समस्या, बाहरी मांग में गिरावट, पूंजीगत प्रवाह की वापसी और वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता शामिल है। बाजार की गिरावट को रोकने के लिए कई उन्नत देशों में राजकोषीय मदद में बहुत ही तेजी आई है और यह मदद काफी बड़ी रही है। कई उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने महत्वपूर्ण राजकोषीय और आर्थिक सहायता देना अथवा घोषणा करना शुरू कर दिया है तथा इससे इस क्षेत्र पर और इसके कामगारों पर भारी प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार के व्यापक वित्तीय प्रोत्साहन से कारोबारी व्यवस्था की तीव्र गिरावट को पहले ही रोका जा सकता है, मांग को बढ़ाया जा सकता है और यहां तक कि अत्यधिक मंदी को भी रोका जा सकता है।

प्रभावित क्षेत्रों में पूर्ण उत्पादन की बहाली करने में लम्बा विलंब कई देशों में विनिर्माण क्षेत्रों की कमजोर स्थिति में और बढ़ावा देता है। महामारी के केंद्र, चीन ने भी अपने उत्पादन क्रियाकलापों में तीव्र गिरावट देखी है। इसके अलावा, सीमापार के व्यापार की मौजूदा मांग और आपूर्ति पर पुनः ध्यान देने में भू–राजनैतिक बदलाव भी सशक्त कारण रहे हैं। इन बदलावों से आने वाले समय में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

आज दुनिया भर में 840 मिलियन लोग बिना बिजली के रहते हैं तथा कई सौ मिलियन और भी लोग पर्याप्त और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति के बिना रहते हैं। करीब 3 बिलियन लोग लकड़ी या अन्य बायोमास जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके परिणामस्वरूप इनडोर और आउटडोर वायु प्रदूषण तथा स्वास्थ्य का जोखिम रहता है। यद्यपि, इस समस्या से निजात पाना कठिन है, लेकिन वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। नवीकरणीय ऊर्जा देशों की आधुनिक और सुरक्षित ऊर्जा प्रणालियों के विकास में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए कम लागत आने से इस संक्रमण में मदद मिल रही है, जबकि नई प्रौद्योगिकियों जैसे स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर और भूस्थानिक डाटा प्रणालियों से ऊर्जा की नियोजन प्रक्रिया सुस्पष्ट हो रही है।

बड़े पैमाने पर नई संकल्पनाओं जैसे ग्रिड और ऑफ ग्रिड विद्युतीकरण से कई देशों में ऊर्जा की पहुँच में भी वृद्धि हुई है। अन्य देशों में ऊर्जा की पहुँच में जो कमी थी, उसे छोटे ग्रिडों से पूरा किया जा रहा है। साथ ही, सोलर होम सिस्टम विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर एशिया और सब–सहारा अफ्रीका में काफी किफायती होते जा रहे हैं। ई–वाहनों का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ई–वाहनों की संख्या वर्ष 2040 तक बढ़कर 350 मिलियन के करीब पहुँचने की संभावना है, जिसमें से करीब 300 मिलियन तो केवल पैसेंजर कारें ही होंगी।

भारतीय कारोबारी परिवेश

1.3 बिलियन आबादी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और विद्युत की खरीद में तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में हाल के दशकों में सशक्त आर्थिक निष्पादन देखने में आया है, जिससे गरीबी के स्तर में महत्वपूर्ण कमी आई है, यहां के नागरिकों को बेहतर ऊर्जा सुलभ हुई है, और देश भर में स्वच्छ ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। भारत ने 9 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य रखा है, जिससे भारत 2024–25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, और यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। देश का सुस्थिर आर्थिक विकास होने से यहां ऊर्जा संसाधनों, ऊर्जा प्रणालियों और अवसंरचना की भारी मांग होगी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कोविड–19 महामारी और विश्वव्यापी लॉकडाउन के साथ वर्ष के अंत में भारत की अर्थव्यवस्था 4.2 प्रतिशत तक बढ़ी है। इस महामारी से निरंतर आ रही चुनौतियों को देखते हुए वैश्विक वित्तीय संस्थानों और रेटिंग एजेंसियों ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में आर्थिक उत्पादन में और भी गिरावट आने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 4.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है। तथापि, यह भी अनुमान है कि देश वर्ष 2021 में 6 प्रतिशत के विकास के साथ पुनः आगे बढ़ेगा।

कोविड–19 लॉकडाउन के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए आरबीआई ने तेजी से कार्रवाई की और अनेक उपाय शुरू किए। आरबीआई ने 15 वर्ष की सबसे कम 4 प्रतिशत रेपो रेट घटाई, रिवर्स रेपो रेट 3.35 प्रतिशत घटाई, बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों ने छः माह तक सावधि ऋणों के लिए ईएमआई रोकी/मोरेटोरियम बढ़ाया और नकद रिजर्व अनुपात में कटौती करके लिक्विडिटी बढ़ाई। दिनांक 9 अप्रैल, 2020 को आरबीआई ने अपनी अर्धवार्षिक आर्थिक नीति रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की वास्तविक जीडीपी बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020–21 में 5.5 प्रतिशत होगी। तथापि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लम्बी अवधि का लॉकडाउन होने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विश्व बैंक ने भी 2020–21 के लिए 5 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान करते हुए ऋण की सुस्त चाल के चलते भारत से अपनी अपेक्षाओं को कम किया है।

देश में विद्युत क्षेत्र में कोविड–19 के चलते सीमित बाधा आई है, क्योंकि विद्युत से संबंधित सेवाएं आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आती हैं। तथापि, इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। विद्युत के लिए मांग में वाणिज्यिक और औद्योगिक क्रियाकलाप में कमी होने के कारण काफी गिरावट आई है। आपूर्ति में भी उत्पादकों के कुछ शटडाउन के चलते यही स्थिति रही है। नवीकरणीय ऊर्जा में उत्पादन के मिश्रण में उनका

हिस्सा बढ़ाकर काफी संभावनाएं हैं। विगत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत तक विद्युत की कीमत में गिरावट आना प्रणाली में सरप्लस विद्युत उपलब्ध होना दर्शाता है। विद्युत के वितरण पर राजस्व की वसूली में कमी आने से सबसे अधिक प्रभाव पड़ा जिससे इस क्षेत्र के भागीदारों की वित्तीय और लिक्विडिटी की स्थिति प्रभावित हुई। चूंकि अब लॉकडाउन को भी हटा लिया गया है, इसलिए विद्युत की मांग में वृद्धि होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा, सरकार द्वारा घोषित लिक्विडिटी आवक से भी तत्काल नकदी की समस्या दूर हो गई है।

औद्योगिक संरचना और विकास

उद्योग पर एक नजर

भारत दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 370 गीगावाट से अधिक की कुल संस्थापित विद्युत क्षमता के साथ दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत का विद्युत क्षेत्र एक ओर तो परंपरागत स्रोतों जैसे कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, जल विद्युत और परमाणु बिजली के साथ और वही दूसरी ओर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर विद्युत, पवन विद्युत और कृषि तथा घरेलू कचरे के साथ अत्यधिक विविधीकृत है। देश के उत्पादन मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा निरंतर बढ़ रहा है। भारत वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर काम कर रहा है जिसमें केवल सौर विद्युत से ही 100 गीगावाट ऊर्जा, शामिल है। भारत सरकार द्वारा 'सभी के लिए 24X7 विद्युत' का लक्ष्य हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने से देश में क्षमता वृद्धि में तेजी आई है। इसके अलावा, सरकार उजाला, एसएलएनपी, राष्ट्रीय ई–मोबिलिटी कार्यक्रम और सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग कार्यक्रम इत्यादि जैसे नवोन्मेषी कार्यक्रमों के जरिए ऊर्जा क्षमता के उपाय कर रही है, जिसमें बिजली के बिलों में कमी और पर्यावरणीय सुस्थिरता में वृद्धि करने का दोहरा प्रयोजन पूरा होगा।

सरकार ने विगत कुछ वर्षों में कई नीतिपरक और उपभोक्ता केंद्रित पहलें शुरू की हैं, जिनमें डिस्कॉमों के ऋण भार को ठीक करने के लिए लक्षित प्रयास शामिल हैं। देश में करीब 750 मिलियन लोगों ने वर्ष 2000 से 2019 के बीच बिजली प्राप्त करने का लाभ उठाया है, जो मजबूत और प्रभावी नीति कार्यान्वयन को दर्शाता है। इसके अलावा, कम कार्बन की अर्थव्यवस्था बनने और पारंपरिक विद्युत संयंत्रों की प्रचालनात्मक लागत को कम करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

उद्योग संरचना

उत्पादन

विगत कुछ वर्षों में उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गति बढ़ने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि आर्थिक मांग से अधिक विद्युत आपूर्ति की क्षमता है। पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन परिदृश्य में वृद्धि के लिए कई नीतिपरक पहलें देखी गई हैं जिनमें तापीय विद्युत संयंत्रों की कार्यप्रणाली और निष्पादन में सुधार के उपाय करना, कोयला ब्लॉक के आबंटन को सरल बनाना, कोयले की उपलब्धता और आपूर्ति में सुधार लाना, खान पर और संयंत्र पर कोयले की गुणवत्ता जांचना, कोल वाशरीज पर कोयले को उपयोगी बनाना, कोल लिंकेज को पुनः परिभाषित करना और कोयले की खानों की स्वैपिंग आदि शामिल है।

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, देश में विद्युत उत्पादन की संस्तापित क्षमता 370 गीगावाट है, जिसमें 93,477 मेगावाट (25 प्रतिशत) केंद्रीय क्षेत्र में, 1,03,322 मेगावाट (28 प्रतिशत) राज्य क्षेत्रों में और 173,308 मेगावाट (47 प्रतिशत) निजी क्षेत्र में है। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार उत्पादन क्षमता के प्रकार के संदर्भ में, संस्थापित तापीय क्षमता 2,30,600 मेगावाट (62 प्रतिशत), संस्थापित हाइड्रो क्षमता (नवीकरणीय) 45,699 मेगावाट (12 प्रतिशत), नवीकरणीय ऊर्जा में संस्थापित क्षमता (आरईएस–एमएनआरई) 87,028 मेगावाट (24 प्रतिशत) थी (जिसमें सौर, पवन, लघु हाइड्रो परियोजना, बायोमास गैसीफायर, बायोमास विद्युत और शहरी व औद्योगिक कचरा विद्युत शामिल है) तथा परमाणु क्षमता 6,780 मेगावाट (2 प्रतिशत) थी। विगत वर्ष में 1,249.34 बिलियन यूनिट की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विद्युत ऊर्जा उत्पादन 1,252.61 बिलियन यूनिट (बीयू) था।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र विश्व में चौथा सबसे आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है। सरकार की बढ़ती सहायता से और अर्थव्यवस्था में सुधार से यह क्षेत्र निवेशकों की दृष्टि में आकर्षक हो गया है। हाल ही में, सरकार ने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लक्ष्य से एक नई जल विद्युत नीति अनुमोदित की है, जिसमें बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। पहले केवल 25 मेगावाट क्षमता से कम की छोटी परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में आती थीं। इस भेद को कम करके बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं गैर–सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व नीति के तहत एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल की जाएंगी, जिससे विद्युत खरीददारों के लिए बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का हिस्सा लेना अनिवार्य किया गया है।

भारत सरकार ने लघु से मध्यम रूप के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2022 तक देश में 175 गीगावाट संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सौर से 100 गीगावाट, पवन से 60 गीगावाट, बायोमास से 10 गीगावाट और लघु जल विद्युत से 5 गीगावाट शामिल है। इसके अतिरिक्त, एमएनआरई वर्ष 2022 तक 1 गीगावाट की भूतापीय क्षमता का लक्ष्य तय कर रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना, 2018 में आगे वर्ष 2027 तक 275 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने की महत्वाकांक्षा रखी गई है जिससे नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़कर संस्थापित क्षमता का 44 प्रतिशत और विद्युत उत्पादन का हिस्सा 24 प्रतिशत हो जाएगा।

हाल के वर्षों में सौर पीवी में तेजी से वृद्धि हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा में एक किफायती तरीके से निवेश बढ़ाने के लिए भारत ने पवन और सौर पीवी के लिए राष्ट्रीय स्पर्धात्मक नीलामी शुरू की है। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नीलामी के डिजाइनों, ग्रिड कनेक्शनों और डिस्कॉमों की वित्तीय हालत पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा न केवल बिजली उत्पादन में प्रयोग हो रही है, बल्कि इसमें हीटिंग, कूलिंग और परिवहन संबंधी समाधानों के लिए भी संभावना है। सरकार पर्यावरण और हवा व पानी की गुणवत्ता पर दीर्घकालिक प्रभाव के लिए इस संभाव्यता का उपयोग करने के लिए एक समावेशी कार्यनीति पर कार्य कर रही है। यह संभाव्यता बायो ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने में भी मौजूद है, जिसमें अपशिष्ट से ऊर्जा शामिल है, जिसके लिए मजबूत सुस्थिर शासन जरूरी है।

पारेषण और वितरण

पारेषणः

देश में विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक संस्थानों का असमान वितरण है और यह केवल कुछ ही पॉकेटों में केंद्रित है। अतः पारेषण, विद्युत प्रदान करने की महत्वपूर्ण श्रृंखला में महत्वपूर्ण तत्व है जो उत्पादन केंद्रों से विद्युत की निकासी और भार केंद्रों तक इसे पहुँचाने की सुविधा प्रदान करता है। विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों के कुशल वितरण के लिए पारेषण प्रणाली नेटवर्क को मजबूत करना, अंतर–राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली को बढ़ाना और राष्ट्रीय ग्रिड में वृद्धि करना आवश्यक है। हाल के वर्षों में विभिन्न उत्पादन केंद्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की निकासी के लिए और उसे उपभोक्ताओं तक वितरित करने के लिए पारेषण लाइनों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया गया है।

विगत वित्तीय वर्ष के दौरान करीब 22,437 सीकेएम की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 11,664 सीकेएम (सर्किट किलोमीटर) पारेषण लाइनें जोड़ी गई थीं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 765 केवी, 400 केवी और 220 केवी स्तरों पर एक साथ 68,230 एमवीए (मेगावोल्ट एम्पीयर) परिवर्तित क्षमता जोड़ी गई। देश के विद्युत पारेषण क्षेत्र में लाइनों की लंबाई और परिवर्तन क्षमता में क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 9.6 प्रतिशत के औसत वार्षिक विकास दर पर वृद्धि के साथ विगत पांच वर्षों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। सामान्य अतिरिक्त हाई वोल्टेज लाइनों में ±800 केवी एचवीडीसी और 765 केवी, 400 केवी, 230/220 केवी, 110 केवी और 66 केवी एसी लाइनें हैं। इसके अलावा, पारेषण यूटिलिटियों के प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन, दोनों में ही सुधार देखा गया है। साथ ही अनुमानित 2.6 ट्रिलियन रुपये के निवेश की पारेषण क्षेत्र में अपेक्षा है ताकि भावी व्यस्ततम भार की पूर्ति हो सके, जो 2021–22 तक 234 गीगावाट तक हो जाने की संभावना है।

सरकार ने देश में विद्युत में पारेषण क्षेत्र के सुधार के लिए कई नीतिपरक उपाय किए हैं। एक ऐसी ही पहल ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर की है, जिसका लक्ष्य देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त करने के लिए ग्रिड एकीकरण सुविधा प्रदान करना है। ग्रिड अवसंरचना के विस्तार के लिए कई ग्रिड विस्तार कार्यक्रम और क्रॉस–बॉर्डर लिंक तैयार किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र से देश के ग्रिड विस्तार लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक बोली ने अंतर–राज्यीय और अंतरा–राज्यीय स्तरों, दोनों पर गति पकड़ ली है। आरईसी ने कुछेक ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर पारेषण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी स्वीकृत की है और कुछ अन्य परियोजनाएं मूल्यांकन/अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं।

केंद्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर पारेषण यूटिलिटी का नई प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण निवेश होने की संभावना है ताकि ग्रिडों को अधिक विश्वसनीय, मजबूत, सुरक्षित और स्मार्ट बनाया जा सके। इसके अलावा, 'एक राष्ट्र एक ग्रिड' विद्युत की कीमतों में समानता लाने और विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा का घाटा कम करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। पारेषण क्षेत्र में भी प्रमुख नीतिपरक सुधारों जैसे विद्युत अधिनियम में और टैरिफ नीति में संशोधनों से काफी लाभ मिलने की संभावना है। यह क्षेत्र एक ऐसे आधार के रूप में कार्य करता है, जो विद्युत उत्पादन और वितरण संघटकों के विकास को मजबूती से संभाले हुए है। उल्लेखनीय है कि विद्युत क्षेत्र का विकास एक मजबूत और विश्वसनीय पारेषण नेटवर्क के विकास से जुड़ा है।

वितरणः

समग्र विद्युत मूल्य श्रृंखला में वितरण सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है क्योंकि यह यूटिलिटी और उपभोक्ताओं के बीच इंटरफेस का काम करता है। विद्युत क्षेत्र का नकद रजिस्टर होने के बावजूद, वितरण देश की विद्युत मूल्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी है। ऐतिहासिक रूप से, विद्युत वितरण राज्य सरकारों के अधिकार में रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र के पास केवल इसका सीमित भाग ही होता है। कई वर्षों से डिस्कॉम भारी संचित हानियों का सामना कर रहे हैं और उच्च ब्याज दरों पर ऋण बकाया है, इस प्रकार ऋण से प्रचालनात्मक हानियों का एक दुश्चक्र बन जाता है। डिस्कॉमों की बहुत ही खराब हालत विद्युत निकासी की क्षमता में सुधार लाने के लिए एक प्रमुख बाधा है। इस क्षेत्र का निराशाजनक निष्पादन नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है ताकि राज्य डिस्कॉमों और यूटिलिटियों को व्यवहार्य बनाने के लिए विभिन्न उपाय करें।

वर्ष 2015 में भारत सरकार ने डिस्कॉम के प्रचालनात्मक और वित्तीय सुधार के लिए एक योजना उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरूआत की है। इस योजना के तहत, संबंधित राज्य सरकार को डिस्कॉम/यूटिलिटियों के ऋणों को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए ताकि डिस्कॉम/यूटिलिटी अपने भावी कैपेक्स कार्यक्रमों को शुरू कर सकें। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी घरेलू विद्युतीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में 16,320 करोड़ रुपये की प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की शुरूआत की है। भारत सरकार ने "गैर–तकनीकी हानियों" को कम करने के लिए और बिजली की चोरी को रोकने के लिए, मीटर टेम्परिंग और ग्राहकों द्वारा भुगतान न करने को रोकने के लिए स्मार्ट प्री–पेड मीटरिंग भी शुरू की है। सहायता के लिए सशक्त सुधारों के साथ, डिस्कॉमों ने सकारात्मक परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। आरईसी ने विद्युत मंत्रालय के सहयोग से डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और एनईएफ जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी करके विद्युत वितरण क्षेत्र के सुधार के लिए योगदान दिया है।

क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए सुधारों के अलावा, वितरण क्षेत्र में देश के दूर–दराज के कोने में बिजली की पहुँच और आपूर्ति में अप्रत्याशित वृद्धि देखने में आई है। देश में सभी आबादी वाले गांवों का सफल विद्युतीकरण करने के साथ ही, घरेलू विद्युतीकरण के लिए महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजना से वितरण क्षेत्र वास्तव में काफी आगे निकल गया है।

विद्युत क्षेत्र का नीतिगत परिवेश

भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र के पुनर्गठन, क्षमता में वृद्धि और पारेषण, उप–पारेषण और वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए विगत वर्षों में महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय किए हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 से क्षेत्र से संबंधित कानूनी फ्रेमवर्क में पूर्ण बदलाव आए हैं जिससे राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय टैरिफ नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, राष्ट्रीय जल विद्युत नीति और मेगा विद्युत नीति की अधिसूचना जारी की गई, जिसमें क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और कुशलता लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों को दर्शाया गया है।

देश में कोयला, तेल, गैस और विद्युत के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ऊर्जा संबंधी कीमत सुधार लाने की प्रक्रिया चल रही है, जो कि ऊर्जा बाजार में आगे मार्ग खोलने और वित्तीय हालत में सुधार लाने के लिए मूलभूत सुधार हैं। भारत की हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग नीति

(एचईएलपी) में सबसे महत्वपूर्ण अपस्ट्रीम सुधारों के जरिए और एक रणनीतिक पैट्रोलियम रिजर्व के रूप में समर्पित तेल आकस्मिकता स्टॉक तैयार करके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर देश में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

ऊर्जा अनुसंधान, विकास और स्थापना (आरडीएंडडी) भारत की ऊर्जा नीति के लक्ष्यों में एक सशक्त सहायक हो सकती है, जबकि यह "मेक इन इंडिया" जैसी व्यापक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भी योगदान दे रही है। आरडीएंडडी के माध्यम से भारत सरकार, भारत में सौर पीवी, लीथियम बैट्रियों, सौर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कार्य कर रही है। अपने जलवायु नीति एजेंडा के भाग के रूप में, सरकार ने सौर विद्युत और हाइड्रो पावर सहित विभिन्न नीतिपरक क्षेत्रों में एक मिशन आधारित संकल्पना पर कार्य किया है। सरकार कूलिंग सॉल्यूशंस, ई–मोबिलिटी, स्मार्ट ग्रिड और उन्नत बायोफ्यूल सहित ऊर्जा प्रौद्योगिकी के व्यापक क्षेत्रों में अपने नवोन्मेषी प्रयासों को सुदृढ़ कर रही है।

आने वाले वर्षों के लिए भी सरकार ने विद्युत की एक प्रमुख बल दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की है ताकि सुस्थिर औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। विद्युत क्षेत्र के भावी आउटलुक को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए शीघ्रता से ग्रिड विकेंद्रीकरण करने, विद्युत बाजार का सुदृढ़ीकरण करने और विद्युत पर सशक्त कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए मार्ग तैयार करने हेतु प्रारूप विद्युत संशोधन बिल शामिल हैं। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने निजी क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन और नीलामी व आबंटन के जरिए कोयला खानों का आबंटन करने की पद्धति अनुमोदित की है जिससे पारदर्शिता प्राथमिकता, कारोबार करने में आसानी और राष्ट्रीय विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा, रिहायशी और वाणिज्यिक सौर पीवी अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 100 गीगावाट के समग्र सौर लक्ष्य के भीतर वर्ष 2022 तक 40 गीगावाट का रूफटॉप सौर विद्युत का लक्ष्य स्थापित किया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अगस्त, 2006 में अधिसूचित की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की सुलभता और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाना है ताकि कृषि, ग्रामीण उद्योगों आदि में उत्पादनकारी उपयोगों के रूप में विद्युत में सुधार लाकर तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय सौर मिशन

राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल के रूप में जनवरी, 2010 में शुरू किया गया था, जिसमें देश की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों का सामना करते समय सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/आरएंडडी संस्थानों और उद्योगों को शामिल किया गया है। यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को पूरा करने के लिए भारत का वैश्विक प्रयासों में एक प्रमुख योगदान है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के भाग के रूप में कई पहलों में से एक पहल है।

एनएसएम का उद्देश्य देश भर में बड़े पैमाने पर इसका प्रसार करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और कुशल व अकुशल व्यक्तियों, दोनों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए नीतिगत शर्तें बनाकर भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक अगुवाई करने के लिए स्थापित करना है। मिशन ने वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड सौर क्षमता की स्थापना के लिए अन्यों के बीच एक लक्ष्य स्थापित किया था, जिसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। भारत ने एनएसएम में निर्धारित किए गए लक्ष्य को चार वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है।

राष्ट्रीय पवन–सौर हाइब्रिड नीति

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने दिनांक 14 मई, 2018 को राष्ट्रीय पवन–सौर हाइब्रिड नीति जारी की है। नीति का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों का अनुकूल और कुशल उपयोग करने, पारेषण अवसंरचना और भूमि के लिए बड़ी ग्रिड कनेक्टेड पवन सौर पीवी हाइब्रिड प्रणाली के संवर्धन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना है। एक पवन सौर संयंत्र की एक हाइब्रिड संयंत्र के रूप में पहचान की गई है, यदि एक संसाधन की रेटेड विद्युत क्षमता दूसरे संसाधन की रेटेड विद्युत क्षमता के न्यूनतम 25 प्रतिशत पर है। पवन–सौर पीवी हाइब्रिड प्रणालियां नवीकरणीय विद्युत उत्पादन में अस्थिरता को कम करने और बेहतर ग्रिड स्थायित्व प्राप्त करने के लिए मदद करेंगी। नीति का उद्देश्य पवन व सौर पीवी संयंत्रों के मिले–जुले उत्पादन में नई प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

आरईसी दिसंबर, 2014 में शुरू किए गए भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का कार्यान्वयन करने, समग्र ग्रामीण विकास की अनुपूर्ति करने और देश में 24x7 विद्युत की सुविधा प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है। योजना में समाहित नवीकरणीय ऊर्जा संघटकों सहित 75,893 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलू शामिल हैं।

डीडीयूजीजेवाई योजना के तहत, परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है और 15 प्रतिशत तक का अतिरिक्त अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। सभी पूर्ववर्ती नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएं (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अर्थात आरजीजीवीवाई सहित) डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दी गई हैं। योजना के प्रमुख परिभाषित परियोजना घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) कृषि और गैर–कृषि फीडरों को अलग करना;
(ii) उप–पारेषण और वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन;
(iii) माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क;
(iv) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; और
(v) ग्रामीण विद्युतीकरण घटक;

दिनांक 15 अगस्त 2015 को माननीय प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि देश में शेष सभी 18,452 गैर–विद्युतीकृत (यूई) गांवों को राज्यों की मदद से 1,000 दिनों में विद्युतीकृत किया जाएगा। यह कार्य मिशन मोड में शुरू किया गया था और 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार देश में शेष जनगणना वाले गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2020 तक की प्रमुख गतिविधियों में 8.02 लाख सीकेएम एचटी लाइनों (फीडर पृथक्करण सहित) का निर्माण, 6,574 नए उपकेंद्रों (4,037 उपकेंद्रों के संवर्धन सहित) को पूरा करना, 15.74 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों को लगाना, 12.60 लाख सीकेएम एलटी लाइनों को तैयार करना और 140 लाख उपभोक्ताओं और 1.85 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों एवं फीडरों के लिए ऊर्जा मीटर लगाना शामिल है।

सौभाग्य – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

आरईसी भारत सरकार की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, अर्थात सौभाग्य योजना के प्रचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी विनिर्दिष्ट है। ग्रामीण विद्युतीकरण की सफलता के साथ, आगे घरेलू विद्युतीकरण पर बल दिया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2017 में 16,320 करोड़ रुपये की कुल लागत से (12,320 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता सहित) सौभाग्य योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करके और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी एसईसीसी परिवारों तथा शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है।

सौभाग्य योजना के तहत निजी क्षेत्र के डिस्कॉमों सहित सभी डिस्कॉम, राज्य विद्युत विभाग और ग्रामीण विद्युत सहकारी सोसायटियां, वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी, जिसमें भारत सरकार से 60 प्रतिशत अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85 प्रतिशत), वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण, जिसमें 30 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 प्रतिशत) शामिल हैं तथा यूटिलिटी अंशदान 10 प्रतिशत/5 प्रतिशत शामिल है। इसके अलावा, ऋण घटक का 50 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान के रूप में होगा, बशर्ते कि अधिकतम अनुदान 75 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90 प्रतिशत) हो।

राज्यों और डिस्कॉमों के समन्वित प्रयासों से सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 11 अक्तूबर, 2017 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान 2.63 करोड़ घरों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए थे। इसके अलावा, 7 राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय ने ऐसे अतिरिक्त 19.09 लाख गैर–विद्युतीकृत घरों को बिजली प्रदान करने के लिए सकल विस्तार का अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जो पहले बिजली लेने के इच्छुक नहीं थे और अब मार्च, 2019 से पहले अपनी इच्छा प्रकट की थी। इनमें से राज्यों/डिस्कॉमों को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 13.92 लाख घरों को कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना

आईसी संबंधित राज्य सरकारों/यूटिलिटियों से संपर्क करने में भारत सरकार की सहायता कर रही है ताकि भारत सरकार की "उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना" अर्थात उदय योजना, जो नवंबर, 2015 में शुरू की गई थी, के तहत परिकल्पित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। उदय योजना वित्तीय बदलाव के लिए और डिस्कॉम के पुनरुद्धार के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अपनी दीर्घावधिक समस्याओं अर्थात भारी ऋण और प्रचालनात्मक हानियों के लिए एक स्थायी हल निकाला जा सके। उदय डिस्कॉमों को निम्नलिखित पहलों के जरिए उनके संबंधित समझौता ज्ञापन की अवधि के अंत में हानि रहित व्यापार करने की शक्तियां प्रदान करती है:

क. डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक क्षमताओं में सुधार लाना;

ख. विद्युत की लागत में कमी;

ग. डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कमी; और

घ. राज्य वित्तपोषण के अनुरूप डिस्कॉमों पर वित्तीय अनुशासन लागू करना;

कार्यक्रम में विभिन्न राज्य सरकारों और डिस्कॉमों से 16 राज्यों के साथ व्यापक सुधार के लिए उदय योजना से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण देखा गया है और शेष राज्य तथा संघ–राज्य क्षेत्र प्रचालनात्मक बदलाव से जुड़ रहे हैं। उदय से राज्य सरकारों द्वारा लिए जा रहे 2.09 लाख करोड़ रुपये की डिस्कॉम देनदारियों के साथ उत्साहवर्धक परिणाम देखे गए हैं और 0.24 लाख की राशि को बांडों को जारी करके पुनर्गठित/पुनः मूल्य निर्धारित किया गया है। उदय ने डिस्कॉमों के तुलन पत्रों की सफाई में मदद की है और उन्हें अपने पूंजीगत व्यय चक्र को पुनः शुरू करने में समर्थ बनाया है, जबकि सभी विद्युत क्षेत्र के हितधारकों (डिस्कॉम, ट्रांस्को, जेनको, आईपीपी, बैंकों और वित्तीय संस्थानों इत्यादि) को व्यवहार्य प्रचालनों के योग्य बनाया गया है।

राष्ट्रीय विद्युत निधि

आरईसी देश में वितरण हानियों को कम करने के लिए वितरण अवसंरचना में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए 8,466 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2012–13 में शुरू की गई एक ब्याज सब्सिडी योजना राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के प्रचालन के लिए नोडल एजेंसी है। इस योजना के तहत डिस्कॉमों को वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं के वितरण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किए गए ऋणों पर 14 वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत यूटिलिटी/डिस्कॉम दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, दोनों में, सुधारों से जुड़े मापदंडों में प्रगति की उपलब्धि के आधार पर ब्याज दरों पर सब्सिडी के लिए पात्र हैं। एनईएफ के तहत विभिन्न यूटिलिटी/डिस्कॉमों को 31 मार्च, 2020 तक एनईएफ के तहत 249.70 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

जम्मू व कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज

आरईसी दिनांक 27 नवंबर, 2015 को घोषित "जम्मू व कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज" (पीएमडीपी–2015) योजना के तहत धनराशि प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है। योजना अब जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख संघ–राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए वितरण सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 2,570.14 करोड़ रुपये (भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान) की परियोजना है। इसमें से, 1,151.99 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदान किए गए हैं। योजना के तहत शामिल कार्यों में प्रणाली सुदृढ़ीकरण, बिना कनेक्शन वाले घरों को कनेक्ट करना, कांटेदार तारों को बदलना, और टूटे हुए खंभों को बदलना, पर्यटन केंद्रों पर भूमिगत केबल डालना, उपभोक्ता मीटर, औद्योगिक क्षेत्रों में 33/11 केवी केउपकेंद्रों का निर्माण करना तथा मंदिरों में वैद्युत अवसंरचना शामिल है। इस योजना के तहत अब तक 570.94 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

एकीकृत विद्युत विकास योजना

भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में शहरी क्षेत्रों में उप–वितरण और वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए 65,424 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "एकीकृत विद्युत विकास योजना" (आईपीडीएस) अनुमोदित की है, जिसमें शामिल हैं: (i) उप–पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, (ii) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडर, वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, और (iii) आर–एपीडीआरपी (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) के तहत 12वीं और 13वीं योजनाओं के लिए विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आईटी समर्थ वितरण क्षेत्र और वितरण केंद्र का सुदृढ़ीकरण करना जिसमें आर–एपीडीआरपी से आईपीडीएस कार्यक्रम के लिए एक पृथक घटक के रूप में अनुमोदित परिव्यय को आगे ले जाया गया है। इस प्रयोजन के लिए, पूर्ववर्ती योजना आर–एपीडीआरपी और उसके लक्ष्यों को आईपीडीएस में समाहित कर दिया गया है। योजना की वित्तपोषण पद्धति डीडीयूजीजेवाई योजना के समान है।

सभी के लिए किफायती एलईडी से उन्नत ज्योति

सभी के लिए किफायती एलईडी (उजाला) ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्बों के वितरण के लिए दिनांक 5 जनवरी, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक योजना है। देश में ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 77 करोड़ इंकेनडेसेंट लैम्प (आईसीएल) के स्थान पर लाइट इमिटिंग डायोड (एलईडी) लगाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना के तहत आरईसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) और अन्य विद्युत क्षेत्र के पीएसयू कम लागत पर घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करते हैं। एलईडी की आईसीएल और कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सीएफएल) की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लाइफ और अधिक ऊर्जा क्षमता होती है, इस प्रकार से ऊर्जा और लागत, दोनों संदर्भ में मध्यम बचत होती है। 36 करोड़ से अधिक एलईडी अब तक इस योजना के तहत वितरित किए जा चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में अत्यधिक कमी आने के साथ–साथ 18,900 करोड़ रुपये से अधिक लागत की बचत हुई है। उजाला योजना के कारण बाजार में बदलाव आया है और वर्तमान में एलईडी बल्बों की बिक्री आईसीएल और सीएफएल बल्बों की तुलना में अधिक है। निर्माताओं के साथ ईईएसएल ने 77 करोड़ बल्बों के प्रारंभिक लक्ष्य को पार करते हुए देश में 150 करोड़ से अधिक एलईडी बल्बों का वितरण किया है।

पारदर्शिता और ऑनलाइन ऐप

हाल के वर्षों में पारदर्शिता सभी प्रमुख विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए एक प्रमुख बल दिया जाने वाला कार्य हो गया है। विद्युत मंत्रालय ने वास्तविक समय कार्यप्रणाली और विभिन्न सुधार पहलों के तहत निष्पादन ट्रेक करने के लिए हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप और वेबसाइट शुरू की हैं। इनमें गैर–विद्युतीकृत गांवों और घरों में बिजली के कार्य के संबंध में अपडेट के लिए *गर्व ऐप, उदय* डैशबोर्ड, *उजाला* डैशबोर्ड, बिजली की कीमत और उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय की सूचना के लिए *विद्युत प्रवाह*, शहरों में डिस्कॉम के कार्य निष्पादन को दर्शाने के लिए उपभोक्ता से जोड़ने और आईपीडीएस के डाटा के लिए ऊर्जा ऐप, भारत में पारेषण प्रणाली की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए *तरंग ऐप*, उत्पादकों और डिस्कॉमों के बीच विद्युत खरीद सौदों में पारदर्शिता लाने के लिए *प्राप्ति ऐप*, नागरिकों को वास्तविक समय पर और डिस्कॉम के ऐतिहासिक आउटेज की सूचना प्रदान करने के लिए *ऊर्जा मित्र* ऐप, और ताप विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पन्न राख की बेहतर व्यवस्था सक्षम बनाने के लिए ऐश ट्रेक शामिल हैं।

उपरोक्त नीतियों और पहलों के अलावा, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य में सुधार लाने के लिए अनेक अन्य उपाय किए हैं, जैसे राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता वृद्धि मिशन (एनएमईईई), निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) योजना, ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता (ईसीबीसी), राष्ट्रीय ई–मोबिलिटी कार्यक्रम, चिल्लर स्टार लेबलिंग कार्यक्रम इत्यादि। इन पहलों के साथ–साथ भारत सरकार के पारदर्शिता को बढ़ाने के प्रयासों से भविष्य के निवेश को आकर्षित करके इस पर विद्युत क्षेत्र के लिए नए सिरे से चर्चा होगी।

अवसर और मजबूती

आरईसी ने वर्ष 1969 में अपनी यात्रा शुरू करके अपने प्रारंभिक वर्षों में पंप सेट सिंचाई प्रणाली को प्रेरित करते हुए देश में हरित क्रांति लाने में सफल योगदान दिया। चूंकि उस समय, आरईसी को देश में प्रमुख वित्तपोषक बनना था और देश में विद्युत क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए बहुत कुछ करना था। आरईसी केंद्रीय और राज्य सरकारों, विद्युत यूटिलिटी तथा निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य करती है।

इसके अलावा, कंपनी एक नोडल एजेंसी परियोजना प्रबंधन/कार्यान्वयन एजेंसी है, जो भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए कार्य करती है, जैसे डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और एनईएफ। कंपनी का कारोबारी क्षेत्र में निरंतर विकास का रिकार्ड है और यह विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए योगदान देकर सामाजिक फ्रंट पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) भारत सरकार ने जल विद्युत से 60 गीगावाट, अन्य नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर, पवन, बायोमास और लघु जल विद्युत से 175 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। इसके अलावा, मंत्रालय सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए एक योजना भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसके लिए वर्ष 2021–22 तक 40,000 मेगावाट सौर विद्युत परियोजनाओं का लक्ष्य रखकर कम से कम 50 सौर पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे भारत में विद्युत क्षेत्र के लिए प्रमुख बल मिलेगा क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के लिए आगे बढ़ाने के लिए बाजार के भागीदारों को प्रोत्साहित किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में राज्य सरकार के नोडल विभागों/राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण और अर्ध शहरी परिवारों के लिए विशेषतः कुकिंग, लाइटिंग और जैविक खाद के लिए स्वच्छ गैस ईंधन प्रदान करने के लिए नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैविक खाद कार्यक्रम (एनएनबीओएमपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एमएनआरई ने वर्ष के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में राज्य ग्रामीण विकास विभागों को एनएनबीओएमपी के कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य आबंटित किए हैं।

सोसायटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलैक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) के अनुसार, देश में ई–वाहनों की बिक्री वित्तीय वर्ष 2019–20 में 20 प्रतिशत तक बढ़ी है (1,56,000 यूनिट)। वर्ष की दूसरी छमाही में प्रीमियम सेगमेंट में इलैक्ट्रिक कारों की स्वीकार्यता एक बहुत बड़े बदलाव का सकारात्मक संकेत था। ई–वाहन उद्योग अपना स्थान बना रहा है और वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा उसके बाद सभी ई–वाहन सेगमेंट के लिए प्रमुख स्थान देखने को मिलेगा। कोविड–19 की चुनौतियों के बावजूद, वाहन खरीदने के लिए जाने वाले उपभोक्ता ई–मोबिलिटी का उपयोग बढ़ाकर आसानी से सांस लेने और स्वस्थ रहने के साथ–साथ आसमान देखने और साफ हवा लेने के बारे में सोच सकते हैं।

आशंकाएं, जोखिम और चिंताएं

भारत में कोविड–19 महामारी के निरंतर प्रभाव के चलते आर्थिक विकास में मंदी होने से कंपनी के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आरईसी का कार्यनिष्पादन और इसके कारोबार में वृद्धि समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण और उसके बाद विभिन्न राज्यों में स्थानीय लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था में हुए नुकसान के परिणामस्वरूप मांग में कमी आई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड–19 के अप्रत्याशित और व्यापक संक्रमण से प्रभावित हुई है, जिससे अब समस्त भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रों में नई चुनौतियां सामने आई हैं। विद्युत क्षेत्र के समक्ष नई समस्याएं आई हैं, जैसे परियोजना के निष्पादन की समय–सीमा में बाधा, प्रवासी मजदूरों का चले जाना, वित्त व्यवस्था और लिक्विडिटी की समस्या का दबाव।

नई सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होने की संभावना है, जिससे विकासकर्ता नियत समय पर कार्य पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा, भारतीय मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण अल्प अवधि के मॉड्यूलों की कीमतें भी बढ़ने की संभावना है। पवन विद्युत के क्षेत्र में भारत में पवन टरबाइनों का निर्माण किया जाता है और इसलिए लॉकडाउन तक निष्पादन अधिक प्रभावित नहीं हुआ था। तथापि, टरबाउन निर्माताओं ने राष्ट्रव्यापी और स्थानीय लॉकडाउन के चलते उत्पादन को अस्थायी रूप से रोक दिया था। वर्तमान लॉकडाउन से आपूर्ति और श्रम संबंधी बाधा के चलते वित्तीय वर्ष 2020–21 में परियोजना के निष्पादन में विलंब हो सकता है।

विशेषकर पारेषण और वितरण घटकों में, प्रवेश में अवरोध अधिक हैं। विद्युत उत्पादन के कारोबार में शुरू में भारी निवेश अपेक्षित होता है। अन्य अवरोधों में फ्यूल लिंकेज, विद्युत खरीदने वाली राज्य सरकारों से भुगतान की गारंटी और रिटेल वितरण लाइसेंस हैं। यद्यपि नए भागीदारों के लिए पर्याप्त संभावना है, लेकिन इनपुट की कमी और अन्य विनियामक बाधाएं नए भागीदारों को रोकती हैं। सौर विद्युत की ट्रेडिंग एक ऐसा घटक है जिसे अभी भारी टैरिफ के चलते नहीं लिया गया है। तथापि, भविष्य में सशक्त भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य से यह एक अवसर हो सकता है। क्षेत्र में सक्षम सुधार के उपायों, जैसे आईटी सक्षम, पर्यावरण अनुकूल नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का संवर्धन और ऊर्जा दक्षता समाधान से निकट भविष्य में विभिन्न हितधारकों को व्यापक कारोबारी अवसर प्रदान होंगे।

निजी क्षेत्र के प्रोमोटरों की इक्विटी समस्या एक अन्य बड़ा कारक है, जिसके कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब होता है और लागत व समय अधिक लगता है। ऋण लेने वालों की अपने ऋण दायित्वों को पूरा कर पाने में विफलता से कंपनी के लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां होती हैं और कम लागत पर धनराशि जुटाने की क्षमता प्रभावित होती है। भारतीय पूंजी बाजार अच्छी गति से परिपक्व हो रहा है और विकास कर रहा है और यह विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण में आ सकता है। यदि ऋण लेने वाले सीधे बाजार सुलभ करना शुरू कर देते हैं तो इससे आरईसी का कारोबार प्रभावित हो सकता है।

विद्युत क्षेत्र में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां अभी भी हैं। आरबीआई ने गैर–निष्पादित संपत्तियों के समाधान के लिए दिनांक 7 जून, 2019 के परिपत्र के तहत एक व्यापक फ्रेमवर्क जारी किया है। आरईसी ने इस परिपत्र को अपनाया है और गैर–निष्पादित संपत्तियों के सभी समाधान/पुनर्गठन नए ढांचे के अनुसार किए जा रहे हैं। माननीय एनसीएलटी द्वारा आईबीसी फ्रेमवर्क के तहत उल्लेख की गई गैर–निष्पादित संपत्तियों पर सांविधिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

कंपनी वर्तमान प्रदर्शन मानकों, डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति, सीमित ईंधन उपलब्धता, राज्य डिस्कॉमों की खराब वित्तीय हालत, उच्च एटीएंडसी हानियां, बाजार में नए भागीदारों का प्रवेश, बैंकों और बहुपक्षीय एजेंसियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अनिश्चित कारोबारी वातावरण, रुपये में उतार–चढ़ाव, अस्थिर बाजारी स्थितियों के कारण पूंजी की लागत में वृद्धि की संभावना, कम विद्युत मांग, और अगले 5 वर्षों में पारंपरिक उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा, देश में कारोबारी और नीतिगत वातावरण में ब्याज दर व्यवस्था, कच्ची सामग्रियों की लागत और उपलब्धता तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए पूर्णता की अवधि और अपेक्षित पूंजीगत परिव्यय पर भी गिरावट का प्रभाव है। सामान्य आर्थिक स्थितियों में भी विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता से सीधा संबंध है जिससे उधार लेने वालों की ऋणों के लिए क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, कोविड–19 के कारण बाधाओं से कंपनी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ सकता है।

क्षेत्रक–वार अथवा उत्पाद–वार कार्यनिष्पादन

आरईसी एक अग्रणी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो समूचे विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है। आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य यूटिलिटियों और निजी क्षेत्र के उधार लेने वालों को ब्याज सहित ऋण प्रदान करना है। कंपनी का अलग से सूचित करने योग्य घटक नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने विद्युत क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के लिए कुल 1,10,907.99 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है। इसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 55,811.89 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 7,026.33 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 41,604.77 करोड़ रुपये और दीर्घावधिक, मध्यावधिक और अन्य ऋणों के लिए 6,465.00 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019—20 में कुल 75,666.95 करोड़ रुपये रुपये के ऋण वितरित किए हैं। इसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए 27,490.87 करोड़ रुपये, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 5,699.09 करोड़ रुपये, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 30,856.19 करोड़ रुपये, अल्पावधि, मध्यावधिक और अन्य ऋणों के लिए 6,390.00 करोड़ रुपये और डीडीजी (विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन) और सौभाग्य योजनाओं सहित डीडीयूजीजेवाई के तहत काउंटर पार्ट वित्तपोषण के लिए 5,230.80 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा 6,473.88 करोड़ रुपये का अनुदान/सब्सिडी प्रदान की गई थी, जिसे डीडीयूजीजेवाई, डीडीयूजीजेवाई—डीडीजी और सौभाग्य योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2019—20 के दौरान विभिन्न राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को वितरित भी कर दिया गया था।

दृष्टिकोण

भारत चुनौतीपूर्ण कारोबारी वातावरण के बावजूद दुनिया में तेजी से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में रहने की संभावना है। मुख्य सुधारों के साथ भारत को वैश्विक विकास के एक पथप्रदर्शक के रूप में देखा गया है। संरचनात्मक सुधारों, जीएसटी, आईबीसी, मुद्रास्फीति के लक्षित उपायों, वित्तीय समावेशन, एफडीआई नीति में बदलावों, काले धन को रोकने के उपायों और सूचना एकीकरण प्लेटफॉर्म के अनुरूप अधिक डिजिटाइजेशन जैसे सभी कारकों से भारत में उत्पादकता गतिशीलता में सुधार और सुस्थिर विकास हासिल करने में मदद मिलेगी।

विद्युत क्षेत्र में व्यय में वृद्धि, तेजी से कार्यान्वयन और सुधारों को जारी रखने से विकास को और भी गति मिलेगी। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अगुवाई करने की भारी क्षमता है, जो पहले ही सरकार के ध्यान में दिए जाने वाले मुख्य क्षेत्रों में शामिल है। यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने की ओर देख रहा है। इसके अलावा, छोटे शहरों का विकास और ऊर्जा बचत शुरू करना तथा बैट्री बैंक जैसे स्टोरिंग उपकरणों को लाना और सहायक सेवाओं से निवेश आकर्षण में नया आयाम आ सकता है।

सीईए के अनुमानों के अनुसार, देश में विद्युत की आवश्कता वित्तीय वर्ष 2021—22 तक 1566 बिलियन यूनिट तक होने की संभावना है। 24X7 गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने पर सरकार द्वारा बल दिए जाने से मांग में आगे वृद्धि होगी और साथ ही अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और उदय जैसे सरकार के परिणामोन्मुखी सुधारों से वितरण अवसंरचना में निवेश को आकर्षित करने और तेजी आने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप हानि में कमी और राजस्व की वसूली तथा लक्ष्यों की स्वतः प्राप्ति में तेजी आएगी। अत्यधिक पूंजी व्यय और विकास से समान रूप से भारी प्रचालनात्मक अवसंरचना सृजित होगी जिससे कंपनी के लिए आश्वस्त कारोबारी दृष्टिकोण आएगा।

कोविड—19 के कारण 'सोशल डिस्टेंसिंग' और 'वर्क फ्रॉम होम' के नए मानक सामने आए हैं जिनके चलते हमारी वर्तमान और भावी सोसायटी के केंद्रीकृत रूप से विद्युत प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जो अब तक पहले कभी नहीं हुआ था। यह कहा गया कि विद्युत क्षेत्र महामारी के बुरे प्रभावों और गिरती आर्थिक गतिविधियों पर इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। इसके दीर्घावधिक प्रभाव समय के साथ नजर आएंगे। बावजूद इसके, भारतीय विद्युत क्षेत्र पर जल्द ही प्रभाव सामने आ रहे हैं जैसे औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से बिजली की मांग में कमी, रिहायती मांग में वृद्धि, संयंत्र के लोड फैक्टर पर दबाव, डिस्कॉमों द्वारा भुगतान में विलंब और सामान्यतः लिक्विडिटी में कमी आदि।

सरकार इस अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, विशेषकर लिक्विडिटी सहायता देकर। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च से अगस्त, 2020 के दौरान 6 माह की अवधि के लिए ऋण अदायगी पर एक मोरेटोरियम की अनुमति दी थी। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने आरईसी और पीएफसी के माध्यम से उत्पादकों को भुगतान करने के लिए विशेष दीर्घावधिक ट्रांजिशन ऋण प्रदान करके नकदी की समस्या के जूझ रहे डिस्कॉमों में लिक्विडिटी प्रदान करके सहायता प्रदान की है। इन उपायों से क्षेत्रीय आयामों की सुरक्षा होने की संभावना है।

समझौता ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी के कार्य निष्पादन को ***"उत्कृष्ट"*** की रेटिंग की गई है। वित्तीय वर्ष 2019—20 के दौरान आरईसी को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिसमें 'सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं' की श्रेणी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से *"वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए वित्तीय संसूचना में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई अवार्ड"* और इंडियन चौम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा कारपोरेट शासन में उत्कृष्टता के लिए "पीएसई उत्कृष्टता अवार्ड 2018", नवरत्न और महारत्न श्रेणी में रनर अप शामिल हैं। इसके अलावा, आरईसी को स्कोप कारपोरेट कम्युनिकेशन्स *एक्सिलेंस अवार्ड 2019* अर्थात *"सर्वोत्तम हाउस जर्नल (अंग्रेजी)"* के लिए प्रथम पुरस्कार, *"सर्वोत्तम कारपोरेट कम्युनिकेशन्स – इंटरनल"* के लिए द्वितीय पुरस्कार और "डिजीटल मीडिया का प्रभावी उपयोग" के लिए तीसरा पुरस्कार दिया गया। आरईसी को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "स्वच्छ भारत पुरस्कार" भी दिया गया।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी की एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें उपयुक्त मॉनीटरिंग प्रक्रिया भी शामिल है ताकि वह विभिन्न लेन—देनों की यथार्थ और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालन की दक्षता और विधिक कानूनों का अनुपालन, विनियमों और कंपनी की नीतियों को सुनिश्चित कर सके। शक्तियों के उपयुक्त प्रत्यायोजन और लेखाकरण संबंधी दिशा—निर्देश एक समान रूप से पालन करने के लिए जारी कर दिए गए हैं। आरईसी के पास आंतरिक जांच और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मैन्युअल हस्तक्षेपों के साथ आईटी आधारित परियोजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए अपना ईआरपी ऑपरेशन और ई—ऑफिस प्रणाली है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच और संतुलन की व्यवस्था है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सही है, विभिन्न प्रभागों/कार्यालयों की नियमित और व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षा कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग/बाह्य व्यावसायिक लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा की जाती है। जहां भी, बाह्य लेखापरीक्षा फर्मों को आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, मार्गदर्शन के लिए ऐसी बाह्य लेखापरीक्षा फर्मों को व्यापक दिशानिर्देश दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रीय/राज्य कार्यालयों की समीक्षा लेखापरीक्षाएं भी उन कार्यालयों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा की जाती हैं जहां आंतरिक लेखापरीक्षा तीन वर्षों से निरंतर बाहर से कराई जा रही है। आंतरिक लेखापरीक्षा में कार्यों के सभी प्रमुख क्षेत्रों की लेखापरीक्षा की जाती है, जिसमें वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, अभिनिर्धारित जटिल और जोखिमपूर्ण क्षेत्र भी शामिल हैं। निदेशक लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षा) नियमावली, 2015 में निर्धारित लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की आवधिक समीक्षा करती है।

वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी कार्य निष्पादन

कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के प्रति अपनी बकाया राशि को समय पर प्राप्त करने को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, मानक परिसंपत्तियों (चरण–I और II) के लिए ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि पिछले वर्ष के दौरान 55,155.10 करोड़ रुपए की तुलना में 62,340.66 करोड़ रुपए (कोविड–19 मोरेटोरियम नीति के तहत आस्थगित 1,496.20 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं) थी। कंपनी ने मानक परिसंपत्तियों (चरण–I और II) के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 54,502.06 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 61,945.04 करोड़ रुपए की कुल राशि वसूल की है। कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्राप्त की गई वसूली दर 99.37 प्रतिशत थी। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, मानक परिसंपत्तियों (चरण–I और II) के संबंध में, ऋण न चुकाने वाले ऋण प्राप्तकर्ताओं से अधिक देय बकाया राशि 2,887.29 करोड़ रुपए (कोविड–19 मोरेटोरियम नीति के तहत आस्थगित 1,496.20 करोड़ रुपये को छोड़कर) थी। इसके अतिरिक्त, ऋण हानि वाली परिसंपत्तियों (एनपीए) (चरण–III) से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 614.69 करोड़ रुपए की राशि वसूल कर ली गई है जबकि वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 591.14 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई थी।

आरईसी की ऋण हानि वाली परिसंपत्तियां (एनपीए) (चरण–III) निम्न स्तरों पर बनी हुई हैं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की सकल ऋण हानि वाली परिसंपत्तियां (एनपीए) (चरण–III) 21,255.55 करोड़ रुपए थीं, जो सकल ऋण परिसंपत्ति का 6.59 प्रतिशत थीं और कंपनी की निवल ऋण हानि वाली परिसंपत्तियां (एनपीए) (चरण–III) 10,703,42 करोड़ रुपए थीं जो ऋण परिसंपत्ति का 3.32 प्रतिशत थीं।

स्टैंडअलोन आधार पर आरईसी की प्रचालन संबंधी आय वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 29,791.06 करोड़ रुपए थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 25,309.72 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कर पूर्व लाभ 6,983.21 करोड़ रुपए था जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 8,100.50 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निवल लाभ तथा कुल व्यापक आय क्रमशः 4,886.16 करोड़ रुपए और 4,336.37 करोड़ रुपए थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में वह 5,763.72 करोड़ रुपए और 5,703.18 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आरईसी की निवल पूंजी 35,076.56 करोड़ रुपए थी जो 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 34,302.94 करोड़ रुपए की निवल पूंजी से 2.26 प्रतिशत अधिक थी।

प्रमुख वित्तीय अनुपात

कंपनी के प्रमुख वित्तीय अनुपातों में परिवर्तनों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, जो यथालागू तथा कंपनी से संबंधित हैं जिनमें कंपनी प्रचालन करती है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	1.37	1.52
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	7.99	6.98
प्रचालनात्मक लाभ मार्जिन (%)	23.23	31.88
निवल लाभ मार्जिन (%)	16.37	22.74
सकल ऋण हानि संपत्तियां (चरण–III) (%)	6.59	7.24
निवल ऋण हानि संपत्तियां (चरण–III) (%)	3.32	3.79

इसके अलावा, वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी का प्रचालनात्मक लाभ वित्तीय वर्ष में 8,069.06 करोड़ रुपये की तुलना में घटकर 6,919.37 करोड़ रुपये पर आ गया है। प्रचालन लाभ में कमी कोविड–19 महामारी के कारण मुख्यतः वैश्विक और वित्तीय बाजारों में आपवादिक अस्थिरता के कारण थी, जिसके कारण वर्ष के दौरान उच्च विदेशी विनिमय का अंतर लाभ और हानि विवरवण में प्रभारित हो गया। निवल लाभ मार्जिन में कमी के कारण भी प्रचालनात्मक लाभ मार्जिन में कमी आई। इसके अलावा, निवल मूल्य पर प्रतिफल में गिरावट 2018–19 में 17.31 प्रतिशत से 2019–20 में 14.09 प्रतिशत हो गई, जो मुख्यतः उपरोक्तानुसार कंपनी के लाभों में कमी के कारण थी।

मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की कुल मानव शक्ति 468 कर्मचारी की है जिसमें कार्यपालक संवर्ग में 385 कर्मचारी और गैर–कार्यपालक संवर्ग में 83 कर्मचारी शामिल हैं। संगठन में नई प्रतिभा को शामिल करने के लिए वर्ष के दौरान कैम्पस भर्ती के जरिए विभिन्न विभागों से 37 कार्यपालकों की नियुक्ति की गई थी।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण और विकास कंपनी की कार्यनीति का एक अनिवार्य अंग है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्रियाकलापों आदि के लिए अपने 342 कर्मचारियों को प्रायोजित किया, जिसमें विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए गए 19 कर्मचारी शामिल हैं। इन पहलों से कंपनी 2,402 प्रशिक्षण मानव दिवस हासिल कर सकी।

कंपनी के औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच नियमित वार्तालाप होता है, जिससे विश्वास और समन्वय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। औद्योगिक अशांति के कारण मानव दिवसों में कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा, यहां तक कि कोविड–19 महामारी के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भी कारोबारी प्रचालन प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग और रिमोट कार्यपद्धति के कारण निर्बाध जारी रहे।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास

आरईसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास पहल पर समुदाय संबंधी, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के समाधान पर प्रमुख बल देते हुए कार्रवाई की गई है। कंपनी "आरईसी फाउंडेशन", जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है, के माध्यम से अपने सीएसआर क्रियाकलाप करती है। बेसलाइन सर्वेक्षण, विशिष्ट समय–सीमा, चिन्हित लक्ष्यों, आवधिक निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन के साथ सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन परियोजना मोड में किया जाता है। सीएसआर परियोजनाओं के लिए वितरण पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और डिलीवरेबल्स की उपलब्धि से जुड़ा है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, बोर्ड ने 156.68 करोड़ रुपये का सीएसआर बजट अनुमोदित किया है और कंपनी ने स्वास्थ्य देखरेख (जिसमें वृद्ध व्यक्तियों और अशक्त व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं), स्वच्छ पेयजल और सफाई सुविधाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों, शिक्षा, पर्यावरणीय संधारणीयता, और ग्रामीण विकास कार्यक्रम इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न सीएसआर पहलों के लिए 281.62 करोड़ रुपये की कुल राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा, कंपनी ने पीएम केयर्स फंड को दिए गए योगदानों सहित विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए वर्ष के दौरान कुल 258.40 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की है। इसके विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग 'सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट' में दिए गए हैं।

कारोबारी रणनीति

आरईसी देश भर में मूल्य श्रृंखला में विद्युत क्षेत्र की जरूरतों का वित्तपोषण करने के लिए उत्पादों की व्यापक रेंज का प्रस्ताव करती है। आरईसी का मौजूदा प्रचालन क्षेत्र में सशक्त आधार है। यह नए कारोबारी क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रही है, जो आवश्यक विनियामक अनुमोदनों के अध्यधीन यथासमय शुरू किए जाएंगे। इसमें ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं के साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज वाले क्रियाकलापों के लिए सहायता प्रदान करना भी शामिल है। आरईसी ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), चुनिंदा केटलोटिक रिडक्शन (एससीआर), इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपीटेटर्स (ईएसपी) इत्यादि के अलावा इलैक्ट्रो–मैकेनिकल, हाइड्रो–मैकेनिकल कंपोनेंट और बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में इससे जुड़े सिविल कार्यों के लिए भी वित्तपोषण करती है ताकि सल्फर, नाइट्रोजन और अभिकणों के हानिकारक ऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो सके।

इस घटक के विकास में भारत सरकार की मजबूत नीतिगत सहायता को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा अगले कुछ वर्षों के दौरान आरईसी के लिए एक महत्वपूर्ण बल दिए जाने वाला क्षेत्र रहेगा। ई–वाहनों कृषि पम्प सेटों, ऊर्जा दक्ष उपकरणों, लघु पारेषण और वितरण प्रणालियों, टीबीसीबी परियोजनाओं इत्यादि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से नए कारोबारी अवसरों का सृजन होना जारी रहेगा।

कोविड–19 महामारी के भूराजनैतिक और आर्थिक प्रभावों को देखते हुए, दुनिया भर की कई कंपनियां अब अपने आपूर्ति प्रचालनों को विविधीकृत करने और अपना कारोबार भारत में अवस्थित करने पर विचार कर रही हैं। विद्युत क्षेत्र में इस बदलते परिदृश्य के कारण पर्याप्त बदलाव देखने में आया है। इस महामारी चलते मांग में कमी अस्थायी प्रकृति की रहने की संभावना है। सरकार ने इसमें शामिल सभी हितधारकों की सहायता करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। निरंतर आर्थिक और कृषि विकास से आने वाले वर्षों में विद्युत की मांग बढ़ने की संभावना है।

जोखिम प्रबंधन का ढाँचा

कंपनी की बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें संगठन के ऋण जोखिम, प्रचालन संबंधी जोखिम और बाजार संबंधी जोखिम शामिल हैं। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) भी है। आरएमसी का मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उसकी मॉनीटरिंग करना और उसको कम करने के लिए कार्यवाही का सुझाव देना है। इसके अलावा, कंपनी ने आरबीआई मानकों के तहत यथापेक्षित एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के रूप में नियुक्त किया है।

ऋण जोखिम वित्तपोषण करने वाले उद्योग का एक अंतर्निहित जोखिम है। इसमें ऋण लेने वाले की ऋण गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न होने वाली घाटे का जोखिम है और वह जोखिम भी है कि उधार लेने वाले ऋण अथवा अग्रिम राशि के अंतर्गत ठेका संबंधी पुनः भुगतान करने में गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से कंपनी एक सुव्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करता है जिसमें विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान करना और समुचित निगरानी करना और उसको कम करने संबंधी उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, परियोजना संबंधी जोखिमों की नियमित रुप से समीक्षा की जाती है और उन्हें "उच्च", "मध्यम" अथवा "कम" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो परियोजना की पहचान करने सहित परिभाषित मानकों के आधार पर किए गए हैं।

दूसरी ओर प्रचालन संबंधी जोखिम अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों अथवा बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है। आरईसी में प्रचालनात्मक जोखिमों को संगठन–व्यापक जोखिम श्रेणीकरण कार्यढांचे के माध्यम से "उच्च", "मध्यम" अथवा "कम" जोखिम श्रेणियों के रूप में मापा तथा श्रेणीकृत किया जाता है जिनमें आठ कार्य क्षेत्र अर्थात व्यापार, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानूनी, प्रचालन और नीतिगत क्षेत्र शामिल हैं। कंपनी ने एक संगठन व्यापी जोखिम रजिस्टर बनाया है, ताकि विभिन्न कार्यों के लिए प्रचालनात्मक जोखिमों की पहचान, उपाय, निगरानी और उन्हें कम किया जा सके।

लिक्विडिटी जोखिम देनदारियां देय हो जाने पर उन्हें पूरी करने में असमर्थता की संभावना का जोखिम है। लिक्विडिटी जोखिम में कंपनी के स्रोतों के वित्तपोषण में परिसंपत्तियों की वृद्धि, अनियोजित बदलावों की व्यवस्था का वित्तपोषण करने की असमर्थता शामिल हैं और जरूरत पड़ने पर दायित्वों को पूरा किया जा सके। कंपनी अनुमानित वितरणों और परिपक्वता के दायित्वों के आधार पर संसाधन जुटाने सहित मिश्रित कार्यनीतियों के जरिए लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करती है।

कंपनी के बाजार जोखिम को प्रतिभूतियों की कीमतों अथवा बाजार ब्याज दर में परिवर्तन, विदेशी विनिमय अथवा परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण कंपनी की आय और पूंजी के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें ब्याज दर जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। लिक्विडिटी ब्याज दरों और मुद्रा की दरों के संबंध में जोखिमों की निगरानी करने के लिए, कंपनी ने अपने निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) गठित की है। इसके अलावा, कंपनी की एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति भी है और बाजार जोखिम को कम करने के लिए एक हेजिंग नीति है।

सचेतक टिप्पणी

"प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण" खंड में कतिपय कथन भावी दृष्टिकोण हो सकते हैं और लागू कानूनों तथा विनियमों की अपेक्षा के अनुसार कहे गए हैं। कई कारणों से वास्तविक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जो भावी कार्य–निष्पादन और दृष्टिकोण के संबंध में प्रबंधन की परिकल्पना से भिन्न हो सकते हैं।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुबंध–II

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

निगमित सुशासन से सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं को लागू करते समय, सही अर्थों में कानून का अक्षरशः अनुपालन करते समय और धन के प्रभावी प्रबंधन तथा वितरण के लिए सैद्धांतिक मानकों का अनुपालन करते समय ऐसी कॉरपोरेट निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही अभिप्रेत है, जिससे कोई भी संगठन अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। नैतिक रूप से संचालित व्यावसायिक प्रक्रियाएं एक अच्छी तरह से शासित और सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन की नींव तैयार करती हैं। निगमित सुशासन की मूल भावना स्थाई आधार पर कंपनी के सभी स्टेकहोल्डरों के लिए दीर्घकालिक मूल्यवर्धन की दिशा में प्रयास करते हुए प्रबंधन के कार्यसंचालन के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और उसे बनाए रखने में निहित होती है।

हम आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" अथवा "कंपनी") में सर्वोत्तम अभिज्ञात निगमित सुशासन प्रथाओं को अपनाने, उनका अनुपालन करने और इस प्रकार की प्रथाओं की तुलना में अपने क्रियाकलापों की बैंचमार्किंग करने में विश्वास करते हैं। हम सभी स्टेकहोल्डरों को अपनी सफलता में भागीदार मानते हैं और हम उनके अधिकतम मूल्यवर्धन के लिए प्रतिबद्ध बने रहते हैं, चाहे वे निवेशक, शेयरधारक, बॉडधारक, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, समुदाय, नीति निर्माता अथवा कर्मचारी क्यों न हों। आरईसी केवल कंपनी अधिनियम, 2013 तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी (एलओडीआर) दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ["सेबी (एलओडीआर) विनियम", के अंतर्गत निगमित सुशासन संबंधी अपेक्षा को ही पूरा नहीं करता, बल्कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशा–निर्देश, 2010 ("निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश") और भारतीय कंपनी सचिव स्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानकों ("सचिवालयी मानक") का भी पालन करता है और ज्यादातर गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन में एक रिपोर्ट नीचे दी गई है और उसके बाद सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा निगमित सुशासन के संबंध में प्रमाण–पत्र भी दिया गया है।

1. निगमित सुशासन संबंधी कंपनी का सिद्धांत (दर्शन)

आरईसी में निगमित सुशासन व्यापारिक गतिविधियों के सैद्धांतिक और उत्तरदायी ढंग से प्रबंधन से जुड़ा है जो मौजूदा नियमाक ढांचे के अंतर्गत पणधारकों के लिए स्थायी मूल्य सृजन के लिए प्रेरित है। कंपनी का विश्वास है कि उसे विश्व भर में निगमित सुशासन के क्षेत्र में अपनायी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अपनाना है। कंपनी के पास निष्पक्ष, पारदर्शी और सैद्धांतिक सुशासन प्रक्रियाओं की एक मजबूत विरासत उपलब्ध है। स्वतंत्रता, जवाबदेही, उत्तरादियत्व, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और निष्पक्ष एवं समय पर प्रकटन इत्यादि के महत्वपूर्ण सिद्धांत कंपनी के निगमित शासन के सिद्धांत को सही मायने में अक्षरशरू कार्यान्वित करने के लिए साधनों के रूप में कार्य करते हैं। एक गतिशील व्यापारिक वातावरण की चुनौतियों को पूरा करने के लिए कंपनी की प्रणालियों, नीतियों और ढांचों की नियमित रूप से समीक्षा एवं उन्नयन किया जाता है।

*वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी को निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए **'पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2018'** प्रदान किया गया*

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी को भारतीय वाणिज्य चैंबर (आईसीसी) द्वारा निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए नवरत्न और महारत्न श्रेणी में उपविजेता के रूप में **'पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2018'** प्रदान किया गया। पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए आईसीसी द्वारा शुरू किया गया है। आरईसी को यह पुरस्कार एक जटिल और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल द्वारा किए गए विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर दिया गया है।

आरईसी में निगमित सुशासन ढांचा निम्नलिखित मार्गदर्शी सुशासन सिद्धांतों पर आधारित है:

- कानून, नियमों और विनियमों का सही अर्थ में अक्षरशः पालन करना;
- अपने समस्त पणधारकों के हितों की रक्षा, संवर्धन और सुरक्षा के लिए समुचित प्रणालियां और परिपाटियां अपनाना; और
- समस्त महत्वपूर्ण सूचना को पारदर्शी ढंग से और समय पर प्रकट करके विभिन्न शेयरधारकों के बीच विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाना।

उपर्युक्त सिद्धांत निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं:

- शेयरधारक के मूल्य की रक्षा करना और उसमें वृद्धि करना;
- सभी अन्य स्टेकहोल्डरों जैसे ग्राहक, कर्मचारी और व्यापक रूप से समाज के हितों की रक्षा करना;
- पत्राचार में पारदर्शिता और निष्ठा सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित व्यक्तियों को पूर्ण, सटीक एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना;
- कार्य निष्पादन और ग्राहक की सेवा के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना; और
- अन्य को प्रेरित करने के लिए उच्चतम मानदंड वाला कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल कंपनी के प्रबंधन, इसके निगमित उद्देश्यों की उपलब्धि की निगरानी के लिए रणनीतिक विजन और दिशानिर्देश तैयार करने में नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करता है। आरईसी के निदेशक मंडल का नेतृत्व एक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो कंपनी के प्रबंध निदेशक भी हैं। आरईसी में प्रकार्यात्मक निदेशक और गैर कार्यकारी निदेशक (अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के नामिति निदेशक और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नामिति निदेशक) भी हैं। इसके अलावा महिला स्वतंत्र निदेशक (वर्तमान में पद रिक्त है) सहित अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के पद भी मौजूद हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के अधिकांश समय के दौरान आरईसी नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या वाली अपेक्षा का अनुपालन कर रहा था। कंपनी के निदेशक मण्डल में पद धारण करने वाले अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत था। इस वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान पद धारण करने वाले सभी अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के पास पर्याप्त योग्यताएं, विशेषज्ञताएं और अनुभव था जिससे वे कंपनी के प्रबंधन में प्रभावी योगदान देने में समर्थ रहे। निदेशक मंडल के दृष्टिकोण में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों, जो समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पद पर बने हुए थे, ने सेबी (एलओडीआर) विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया और वे कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र थे। इसके अलावा आरईसी के निदेशकों में अपेक्षित योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव है जो उन्हें कंपनी के व्यापार को कार्यक्षम रूप से प्रबंधित करने तथा बोर्ड और इसकी समितियों में प्रभावी योगदान करने में मदद करता है।

क) निदेशक मण्डल का गठन (स्वरूप)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अभिप्राय से एक सरकारी कंपनी होने के नाते इसके निदेशक मण्डल में निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी के बोर्ड में विभिन्न बदलाव हुए जिसमें आरईसी के निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त) को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना, सरकारी नामिति निदेशक में परिवर्तन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नामिति निदेशक की पहली बार नियुक्ति और कार्यकाल पूरा होने तथा त्यागपत्र के कारण महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होना शामिल हैं। उपर्युक्त परिवर्तनों के बाद निदेशक मंडल का स्वरूप वर्ष के कुछ भाग के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियमों और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं रहा। स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल पूरा होने की बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार अर्थात नियोक्ता प्राधिकारी से आरईसी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए सक्रिय रूप से लगातार अनुरोध करती रही है जिससे कि यथा लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

दिनांक 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार आरईसी के निदेशक मंडल की संरचना नीचे दिए गए अनुसार थी, जिसमें निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में निदेशक और समिति में धारित पदों के विवरण शामिल हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की पहचान संख्या (डीआईएन)	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी में धारित पद	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों में निदेशकों की सं0	अन्य कंपनियों में धारित समितियों के पदों की सं0		अन्य सूचीबद्ध निकायों में धारित निदेशक पद और उसकी श्रेणी
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में	
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक)							
1	श्री अजीत कुमार अग्रवाल *(31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हुए)*	02231613	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) तथा निदेशक (वित्त)	3	शून्य	शून्य	भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लिमिटेड *(नामिती निदेशक)*
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता *(01 जून 2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया)*	03464342	निदेशक (तकनीकी)	2	शून्य	शून्य	-
अंशकालिक निदेशक (गैर कार्यकारी निदेशक)							
3	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण *(02 सितंबर 2019 से नियुक्त)*	03426753	सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	शून्य	शून्य	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड *(नामिती निदेशक)* पीटीसी इंडिया लिमिटेड (नामिति निदेशक)
4	श्री प्रवीण कुमार सिंह *(18 जून 2019 से नियुक्त)*	03548218	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नामिती निदेशक	7	शून्य	शून्य	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड *(पूर्णकालिक निदेशक)*

नोटः 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार नीचे दिए गए विवरणों से ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कार्यकाल समाप्त होने/त्यागपत्र के कारण कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक/महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी।

निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तनः

क. श्री अजीत कुमार अग्रवाल, जो 01 अगस्त 2012 से आरईसी के निदेशक (वित्त) हैं, 06 मार्च 2019 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी देख रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विद्युत मंत्रालय में अपने दिनांक 06 जनवरी 2020 के आदेश संख्या 46/2/2019–आरई (ई–247264) के साथ पठित 18 नवंबर 2019 के आदेश संख्या 46/2/2019– आरई के जरिए विद्युत मंत्रालय ने श्री अग्रवाल द्वारा धारित सीएमडी के ऐसे अतिरिक्त प्रभार को 31 मई 2020 अर्थात उनकी अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति की तारीख तक बढ़ा दिया। श्री अजीत कुमार अग्रवाल 31 मई 2020 से अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए और इसलिए 01 जून 2020 से आरईसी के निदेशक नहीं रहे। श्री अग्रवाल 01 जून 2020 से भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लिमिटेड में भी आरईसी के नामिती निदेशक नहीं रहे।

ख. विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 21 जुलाई 2020 के समसंख्यक आदेश के साथ पठित दिनांक 12 जून 2020 के आदेश संख्या 46/2/2019–आरई (247264) के जरिए 01 जून 2020 से 03 माह की अवधि अथवा नियमित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति होने तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

ग. विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 02 सितंबर 2019 के आदेश संख्या 46/8/2015–आरई (ई–227696) के जरिए तत्काल प्रभाव से और अगला आदेश होने तक डॉ0 अरूण कुमार वर्मा (डीआईएन 02190047), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 06 अक्टूबर 2015 के आदेश संख्या 46/08/2015 –आरई के जरिए आरईसी के निदेशक मंडल में सरकारी नामिति निदेशक के रूप में पहले नियुक्त किया गया था, के स्थान पर आरईसी के निदेशक मंडल में सरकारी नामिति निदेशक के रूप में श्री मृत्युंजय कुमार नारायण की नियुक्ति की गई है। तदनुसार डॉ. अरूण कुमार वर्मा 02 सितंबर 2019 से आरईसी के निदेशक नहीं रहे।

घ. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के साथ विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से कार्य करते हुए भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किए गए शेयर खरीद करार के खंड 5.1 के संदर्भ में और विद्युत मंत्रालय के दिनांक 06 जून 2019 के पत्र संख्या 27 –46/1/2018 – आरई के अनुसार श्री प्रवीण कुमार सिंह, (डीआईएन 03548218) को 18 जून 2019 से कंपनी के निदेशक मंडल में पीएफसी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। पीएफसी के पास कंपनी के प्रत्येक रूपए 10 के 103,94,95,247 इक्विटी शेयर हैं, जो कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के 52.63% का प्रतिनिधित्व करता है।

ङ. आरईसी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशकों में श्री ए. कृष्ण कुमार (डीआईएन 00871792) और प्रो0 टी टी राम मोहन (डीआईएन 00008651) का कार्यकाल 12 नवंबर 2019 से पूरा हो गया। तदनुसार वे 13 नवंबर 2019 से आरईसी के निदेशक नहीं रहे। इसके अलावा श्रीमती आशा स्वरूप (डीआईएन 00090902) का आरईसी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल 07 फरवरी 2020 से पूरा हो गया। तदनुसार वह 08 फरवरी 2020 से आरईसी की निदेशक नहीं रहीं।

च. डॉ. भागवत किशनराव कराड (डीआईएनः 00998839) ने निजी कारणों से 11 मार्च 2020 से आरईसी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया। तदनुसार वह 12 मार्च 2020 से आरईसी के निदेशक नहीं रहे। सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अनुसार डॉ0 करण ने इस बात की पुष्टि की है कि उनका कार्यकाल पूरा होने के पहले उनके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने का कोई अन्य बड़ा कारण नहीं है।

छ. 31 मार्च 2020 के बाद विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 21 अप्रैल 2020 के अपने आदेश संख्या 46/9/2011 – आरई (228164) के जरिए श्री अजय चौधरी (डीआईएन 06629871) को 01 जून 2020 से कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया है। श्री अजय चौधरी पहले कंपनी में कार्यकारी निदेशक (वित्त) थे।

ज. भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (आरईसी से इतर) में समितियों में सदस्यता, लेखापरीक्षा समिति और पणधारक संबंध समिति में अध्यक्षता/सदस्यता की संख्या की गणना के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 26 के अनुसरण में इस पर विचार किया गया है; और कोई भी निदेशक भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की 10 से अधिक बोर्ड स्तरीय समितियों में सदस्य अथवा ऐसी 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

(ख) निदेशक मण्डल और उनकी समितियों के बारे में अन्य प्रावधान

(i) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण

कंपनी, निदेशक मण्डल और इसकी समितियों द्वारा निर्णय लेने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करती है। बैठक की तारीखें, आम तौर पर सभी निदेशकों के परामर्श और वर्ष के लिए पूर्व निर्धारित बैठक कैलेंडर के अनुसार तय की जाती हैं, ताकि उसकी बैठकों में निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। पूरी कार्यसूची और विस्तृत टिप्पणियां (यथा लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए कीमतों से संबंधित संवेदनशील सूचना को छोड़कर, जो बैठक से पूर्व अलग से परिचालित की जाती हैं) सामान्यतः निदेशक मण्डल की बैठकों के लिए अग्रिम तौर पर निदेशकों और उनकी समितियों को भेजी जाती हैं। विशिष्ट तात्कालिक व्यापारिक आवश्यकताओं को हल करने के लिए कभी–कभी बैठकें लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में अल्पावधि सूचना पर भी बुलाई जाती हैं। ऐसे मामलों में न्यूनतम नोटिस तथा कार्यसूची अवधि का पालन करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। इसके अलावा, कुछ मामलों में संकल्पों को परिचालित करके भी पारित किया जाता है, जिनकी अगली निदेशक मण्डल बैठक में पुष्टि की जाती है। निदेशक मण्डल/इसकी समितियों की बैठकों में चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी भी मामले को शामिल करने के बारे में निर्णय कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लेते हैं। निदेशक मण्डल एवं समितियों की बैठकों में चर्चा किए जा रहे मामलों के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रभागाध्यक्षों (एचओडी)/वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के अधिकारियों को भी बुलाया

जाता है। यदि अपेक्षित होता है तो कार्यसूची की कुछ मदों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुति भी निदेशक मण्डल को दी जाती है। निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, कार्यालय समय के दौरान आयोजित की जाती हैं। निदेशक मण्डल और शेयरधारकों की बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानकों का भी पालन कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरईसी के निदेशक मंडल की 10 (दस) बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं:

वित्तीय वर्ष 2019–20 तिमाही –1	वित्तीय वर्ष 2019–20 तिमाही –2	वित्तीय वर्ष 2019–20 तिमाही –3	वित्तीय वर्ष 2019–20 तिमाही –4
26 अप्रैल 2019	10 जुलाई 2019	19 अक्टूबर 2019	04 फरवरी 2020
24 मई 2019	06 अगस्त 2019	05 नवंबर 2019	25 मार्च 2020*
–	29 अगस्त 2019	16 दिसंबर 2019	–

*यह बैठक पूरी तरह से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई।

निदेशक मण्डल की दो बैठकों के बीच का न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 17 (सत्रह) और 51 (इक्यावन) दिन था।

(ii) निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई सूचना

निदेशक मण्डल को दी गई सूचना की मात्रा और गुणवत्ता सेबी (एलओडीआर) विनियम की अनुसूची II में उल्लिखित न्यूनतम अपेक्षा का विधिवत रूप से पालन करने के बाद सुनिश्चित की जाती है। निदेशक मंडल को कंपनी में उपलब्ध सभी सूचनाओं तक पूरी पहुंच होती है। निदेशक मण्डल को दी गई सूचना में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल होती हैं:

1. वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अन्य अद्यतन सूचना।
2. पूंजीगत बजट और अन्य अद्यतन सूचना।
3. निधियां जुटाने से संबंधित प्रस्ताव।
4. वित्तीय सहायता की संस्वीकृति के लिए प्रस्ताव।
5. कंपनी के तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम और निदेशक मण्डल की रिपोर्ट आदि।
6. सभी संबंधित पक्षकार लेनदेन।
7. लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मण्डल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
8. सहायक कंपनियों के निदेशक मण्डल की बैठकों के कार्यवृत्त।
9. मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या उन्हें हटाए जाने सहित निदेशक मण्डल के स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक के संबंध में सूचना।
10. ऐसे कारण बताओ नोटिस, मांग, अभियोजन नोटिस और अर्थ दंड संबंधी नोटिस, जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं।
11. घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई अन्य महत्वपूर्ण निस्सारण या प्रदूषण संबंधी समस्या, यदि कोई हो।
12. कंपनी के प्रति या कंपनी द्वारा वित्तीय देयताओं में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के संबंध में बड़ी गैर–अदायगी, यदि कोई है।
13. कोई ऐसा मुद्दा, जिसमें सारभूत प्रकृति का संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व शामिल हो, जिसमें ऐसा कोई न्यायनिर्णय या आदेश शामिल हो, जो कंपनी के आचरण के खिलाफ पारित किया गया हो अथवा किसी ऐसे अन्य उद्यम के बारे में लिया गया प्रतिकूल दृष्टिकोण हो, जिससे कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
14. किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग करार का विवरण।
15. ऐसा लेनदेन, जिसमें गुडविल, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के रूप में बड़ी अदायगी शामिल हो, यदि कोई है।
16. महत्वपूर्ण श्रम समस्या, यदि कोई है और उनका प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में कोई महत्वपूर्ण गतिविधि जैसे श्रम करार पर हस्ताक्षर करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आदि का कार्यान्वयन।
17. निवेश, अनुषंगी कंपनियों/परिसंपत्तियों की महत्वपूर्ण प्रकृति की बिक्री, जो सामान्य कारोबार के अंतर्गत नहीं आती हो।
18. विदेशी मुद्रा प्रकटन के तिमाही विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन, यदि महत्वपूर्ण हो, के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई।
19. किसी विनियामक, सांविधिक या सूचीकरण अपेक्षाओं और शेयरधारकों की सेवा का अनुपालन न करना, जैसे लाभांश की अदायगी न करना, शेयर अंतरण में विलंब आदि, यदि कोई हो।
20. निवेश, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का गठन, कार्यनीति संबंधी संधियां आदि।
21. अल्पकालिक अतिरिक्त निधि के निवेश संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
22. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा के लेखा समाधान विषयक निगमित सुशासन रिपोर्ट और निवेशकों की शिकायतों की स्थिति से संबंधित तिमाही अनुपालन रिपोर्ट।
23. विभिन्न लागू कानून के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
24. उधारी और प्रतिदान से संबंधित तिमाही रिपोर्ट।
25. कंपनी की मुखबिर नीति के अनुपालन संबंधी छमाही रिपोर्ट।
26. दीर्घकालिक निधियों के निवेश संबंधी छमाही रिपोर्ट।
27. निष्पक्ष प्रक्रिया संहिता के अनुपालन पर छमाही रिपोर्ट।
28. कंपनी की शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत आवधिक रिपोर्ट।
29. निदेशक मण्डल के पूर्व के विचार–विमर्श/चर्चाओं/सुझावों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
30. कोई अन्य सूचना, जिसे सूचना या अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

iii. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों तथा वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे (वास्तविक रूप से अथवा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से) अन्य निदेशकों की संख्या/समिति के सदस्यों की संख्या:.

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक मण्डल की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थित										बैठकों की कुल संख्या			29 अगस्त 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
		26 अप्रैल 19	24 मई 19	10 जुलाई 19	6 अगस्त 19	29 अगस्त 19	19 अक्टूबर 19	5 नवंबर 19	16 दिसंबर 19	4 फरवरी 20	25 मार्च 20	निदेशक की अवधि के दौरान आयोजित	निदेशक द्वारा भाग लिया गया	उपस्थिति का प्रतिशत	
1	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, *सीएमडी और निदेशक (वित्त)*	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	🎥	10	10	100	👤
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता, *निदेशक (तकनीकी)*	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	🎥	10	10	100	👤
3	डॉ. अरुण कुमार वर्मा, *सरकारी नामिती निदेशक*	👤	👤	👤	अनुपस्थिति की छुट्टी	अनुपस्थिति की छुट्टी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5	3	60	उपस्थित नहीं
4	श्री मृत्युजय कुमार नारायण, *सरकारी नामिती निदेशक*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	अनुपस्थिति की छुट्टी	👤	👤	🎥	5	4	80	लागू नहीं
5	श्री ए. कृष्ण कुमार, *स्वतंत्र निदेशक*	🎥	👤	👤	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7	7	100	👤
6	प्रो. टी. टी. राममोहन, *स्वतंत्र निदेशक*	👤	🎥	🎥	🎥	👤	👤	🎥	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7	7	100	👤
7	श्रीमती, आशा स्वरूप, *स्वतंत्र निदेशक*	🎥	👤	🎥	👤	👤	अनुपस्थिति की छुट्टी	👤	👤	👤	लागू नहीं	9	8	88.89	👤
8	डॉ भागवत किशनराव कराड, *स्वतंत्र निदेशक*	👤	🎥	👤	👤	अनुपस्थिति की छुट्टी	अनुपस्थिति की छुट्टी	👤	👤	👤	लागू नहीं	9	7	77.77	उपस्थित नहीं
9	श्री प्रवीण कुमार सिंह *पीएफसी के नामिती निदेशक*	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	🎥	8	8	100	👤

👤 व्यक्तिशः उपस्थित 🎥 वीडिया कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

(iv) आगामी 51वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91(iv) के प्रावधानों के अनुसार श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) कंपनी की 51वीं वार्षिक आम सभा में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते उन्होंने स्वयं की पुनः नियुक्ति की पेशकश की है।

(v) निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है और श्री प्रवीण कुमार सिंह, जिनके पास कंपनी में प्रत्येक रूपए 10/— के 40 इक्विटी शेयर हैं, को छोड़कर कंपनी के किसी भी गैर—कार्यपालक निदेशक के पास कोई शेयर अथवा कंपनी में परिवर्तनीय लिखतें नहीं हैं।

(vi) स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

कंपनी अधिनियम 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम और निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक दिनांक 05 नवंबर 2019 को आयोजित की गई, जिसमें आरईसी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

(vii) बोर्ड के प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, कार्यक्षमता और गुण

आरईसी के निदेशक मंडल में योग्य सदस्य शामिल हैं, जो अपेक्षित कौशल, कार्यक्षमता और विशेषज्ञता रखते हैं जो उन्हें बोर्ड अथवा इसकी समितियों में प्रभावी योगदान करने में सहायता प्रदान करती है। निदेशक मंडल के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आरईसी निगमित सुशासन के उच्चतम मानदंडो का पालन करता है। व्यापार और विद्युत क्षेत्र के अति सूक्ष्म अंतरों पर विचार करते हुए बोर्ड ने निम्नलिखित प्रमुख कौशलों, विशेषज्ञता, कार्यक्षमता और गुणों की पहचान की है जो इसे प्रभावी रुप से कार्य करने में सक्षम बनाता हो:

निदेशकों की अर्हताओं के मानदंड	
वित्तीय प्रबंधन	वित्तीय क्रियाकलापों की योजना बनाना, आयोजन करना, निदेश देना और नियंत्रित करना जिसमें निधियों का संग्रहण और उपयोग, वित्तीय लेखांकन और प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, वित्तीय योजना, धन की उपलब्धता एवं निधि का प्रबंधन, कार्यशील पूंजी का प्रबंधन, कोष एवं विदेशी विनिमय प्रबंधन, कर आयोजना और वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय करना आदि शामिल है।
विद्युत क्षेत्र के डोमेन की विशेषज्ञता	प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि और बिजली के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न कारकों तथा भारत एवं विदेश में विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों/पहलुओं/अति सूक्ष्म अंतरों की गहरी सूझ—बूझ, प्रौद्योगिकीय प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाने, हानिकारक अभिनवता को सृजित करने और नए बिजनेस मॉडल का विस्तार करने अथवा सृजित करने का ज्ञान।
परियोजना मूल्यांकन	इस तथ्य का निदान करने के लिए किसी परियोजना के अपनी ही मानदंडों, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक, पर्यावरण से संबंधित, वित्तीय और अन्य ऐसे पहलुओं, यदि ये अपने लक्ष्यों को पूरा करते हों, की व्यवस्थित एवं व्यापक समीक्षा।
कॉरपोरेट आयोजना और रणनीति	प्रबंधन क्रियाकलाप जिनका उपयोग प्राथमिकताएं तय करने, ऊर्जा और संस्थानों पर ध्यान केन्द्रित करने, प्रचालनों को सुदृढ़ बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कर्मचारी और अन्य स्टेक होल्डर निर्धारित परिणामों पर करार स्थापित कर सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तथा बदलते हुए परिवेश की प्रतिक्रिया में संगठन की दिशा का आकलन करते हैं और उसका समायोजन करते हैं।
जोखिम प्रबंधन	प्रचालन संबंधी जोखिम, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, ब्याज दर, तरलता, विदेशी मुद्रा और अन्य वित्तीय जोखिमों का उन प्रक्रियाओं की पहचान के साथ—साथ पूर्वानुमान और मूल्यांकन करना जिससे कि उनके प्रभाव से बचा जा सके अथवा उसे न्यूनतम किया जा सके। किन्हीं संभावित खतरों की पहचान करना जो निवेश/वित्तपोषण की प्रक्रिया के दौरान हो सकते हैं तथा उन्हें कम करना।
नेतृत्व	एक स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करने, मार्ग दर्शन और ज्ञान तथा पद्धतियां उस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराना और इसमें लक्ष्य निर्धारित करना एवं प्राप्त करना, संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करना शामिल है, के लिए विस्तारित नेतृत्व अनुभव।
निदेशक मंडल की प्रथाएं और सुशासन	किसी सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में सेवा अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों, बैंको और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में जिम्मेदार पदों को धारित करना। कंपनी का बोर्ड उस सूझ—बूझ को विकसित करेगा जो बोर्ड और प्रबंधन के दायित्व को बनाए रखने में, शेयरहोल्डरों के हितों को संरक्षण प्रदान करने और उपयुक्त शासन प्रथाओं का अनुपालन करने के बारे में है।
कारोबार का विकास	बिजनेस और बाजार हिस्से में वृद्धि करने, ब्रांड के संबंध में जागरुकता पैदा करने और ऋण लेने वाले/निवेशकों, बाजारों और अन्य सभी स्टेकहोल्डरों के लिए दीर्घावधि मूल्य का सृजन करने के लिए कॉरपोरेट की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए नीतियों का विकास करने में अनुभव।

नीचे दी गई तालिका में, अलग अलग बोर्ड सदस्य के विशेषज्ञता अथवा ध्यान के विशिष्ट क्षेत्र (31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार और उसके बाद) बताए गए हैं।

निदेशक के नाम	निदेशक मण्डल स्तर की प्रमुख अर्हताएं							
	विशेषज्ञता का क्षेत्र							
	वित्तीय प्रबंधन	विद्युत क्षेत्र की डोमेन विशेषज्ञता	परियोजना मूल्यांकन	निगमित आयोजना और रणनीति	जोखिम प्रबंधन	नेतृत्व	निदेशक मंडल की प्रथाएं और सुशासन	कारोबार विकास
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री संजीव कुमार गुप्ता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री प्रवीण कुमार सिंह	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री अजय चौधरी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

नोट : श्री अजय चौधरी 01 जून, 2020 से कंपनी के निदेशक (वित्त) नियुक्त किए गए हैं;

3. निदेशक मंडल की समितियां

आरईसी का निदेशक मण्डल या तो पूर्ण निदेशक मण्डल के रूप में कार्य करता है अथवा गठित की गई विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है, ताकि वह विशिष्ट प्रचालनात्मक क्षेत्रों और निगमित शासन का पर्यवेक्षण कर सके। निदेशक मण्डल की प्रत्येक समिति का मार्गदर्शन इसके विचारार्थ विषयों द्वारा किया जाता है, जिनमें समिति का गठन, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित किया जाता है। इन समितियों की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं और इनका ध्यान विशिष्ट क्षेत्र पर होता है और वे उन्हें प्रत्यायोजित अधिकार के अंतर्गत अपने निर्णयों की सूचना देते हैं।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मण्डल की निम्नलिखित समितियां हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति;
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति;
3. शेयरधारक संबंध समिति;
4. जोखिम प्रबंधन समिति;
5. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति;
6. ऋण समिति;
7. कार्यकारी समिति;
8. आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप–समिति; और
9. निवेश/अधिशेष निधियों के निवेश संबंधी समिति;

सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त, कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 105, निदेशक मण्डल की बैठकों के संबंध में सचिवालयी मानकों और अन्य लागू सांविधिक अपेक्षाओं के संदर्भ में निदेशक मण्डल के समक्ष सूचनार्थ और नोट करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी में एक लेखापरीक्षा समिति गठित की गई है। इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों, सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 18 और निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। लेखापरीक्षा समिति इसके विचारार्थ विषयों के अनुसार अपनी भूमिका का निवर्हन करती है और लागू सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत विहित सूचना की समीक्षा करती है। लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

क) समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी (निदेशक मण्डल की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार अपेक्षाओं का पालन करना;

ख) समय–समय पर यथासंशोधित सेबी (सेबी (एलओडीआर) बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 में यथापरिकल्पित लेखापरीक्षा समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

ग) समय–समय पर यथासंशोधित लोक उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश 2010 का अनुपालन करना;

घ) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित समय–समय पर यथासंशोधित अन्य लागू प्रावधानोंका अनुपालन करना;

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 6 (छह) बार बैठकें आयोजित की गईं। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का स्वरूप और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान इसकी बैठकों में उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे दिए अनुसार हैं;

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	लेखापरीक्षा समिति की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति						बैठकों की कुल संख्या		
			24 मई 19	10 जुलाई 19	06 अगस्त 19	5 नवंबर 19	16 दिसंबर 19	4 फरवरी 20	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक द्वारा उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत
1	*श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष *12 नवंबर, 19 तक*	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4	100
2	*प्रोफेसर टी.टी. राममोहन, स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *12 नवंबर ,19 तक*	📹	📹	📹	📹	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4	100
3	*श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य 15 दिसंबर, 19 तक अध्यक्ष *16 दिसंबर, 19 से 07 फरवरी, 20*	👤	📹	👤	👤	👤	👤	6	6	100
4	*डॉ. भागवत किशनराव कराड, स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *11 मार्च, 20 तक*	📹	👤	👤	👤	👤	👤	6	6	100
5	*श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (वित्त)*	सदस्य	👤	👤	👤	👤	👤	👤	6	6	100

👤 व्यक्तिशः उपस्थित   📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम या तो दो सदस्य अथवा लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों का एक तिहाई, इसमें से जो भी अधिक हो, होगा और इसकी बैठक में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगे। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं था।

07 फरवरी, 2020 को श्रीमती आशा स्वरूप का कार्यकाल पूरा होने के बाद और 11 मार्च, 2020 को डॉ. बी. के. कराड के त्यागपत्र देने से आरईसी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे, जिसके फलस्वरूप यथा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण कंपनी ने वर्तमान में अपनी लेखापरीक्षा समिति गठित की है, जिसमें यथाव्यवहार्य सीमा तक गैर कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। श्री मृत्युंजय कुमार नारायण लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं और श्री संजीव कुमार गुप्ता और श्री प्रवीण कुमार सिंह इसमें सदस्य के रूप में शामिल हैं। आरईसी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर इसके लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त है; और लेखापरीक्षा समिति के अन्य सदस्यों को वित्तीय मामलों की अच्छी जानकारी है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष शेयरधारक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 29 अगस्त, 2019 को आयोजित कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसे प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचित किया जाता है। प्रकार्यात्मक निदेशकों और कंपनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नामिती निदेशक को निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। यह भुगतान कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा के अंदर ही निदेशक मण्डल और समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाती है। इसके अलावा भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, कंपनी से कोई पारिश्रमिक/बैठक में उपस्थित होने के लिए सिटिंग फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 और निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

आरईसी के लिए यथा लागू सीमा तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं:

क) समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी (निदेशक मण्डल की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार अपेक्षाओं का पालन करना;

ख) समय–समय पर यथासंशोधित सेबी (सेबी (एलओडीआर) बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 में यथापरिकल्पित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना; और

ग) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशा–निर्देश, 2010 का पालन करना, जिसमें वार्षिक बोनस की मात्रा, परिवर्तनशील वेतन और ईएसओपी योजना की नीति, पेंशन योजना आदि के संबंध में निर्णय लेना भी शामिल है। यह निर्णय समय–समय पर यथासंशोधित लोक उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालकों और गैर–संगठित पर्यवेक्षकों के संबंध में किया जाएगा।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 05 जून, 2015 की अधिसूचना के जरिए स्वतंत्र निदेशकों की योग्यता के निर्धारण, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता और निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन संबंधी मापदंडों को तैयार करने से संबंधित अपेक्षाओं और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति के संबंध में सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त, एमसीए ने 05 जुलाई, 2017 की अधिसूचना द्वारा यह निर्धारित किया कि स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा करने से संबंधित प्रावधान तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–IV में निर्धारित मूल्यांकन तंत्र भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी के गैर–कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय/लोक उद्यम विभाग द्वारा उनके आंतरिक दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की एक बैठक आयोजित की गई; और इसके स्वरूप एवं इस बैठक में उपस्थिति के विवरण नीचे दिए अनुसार हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	6 अगस्त, 2019 को आयोजित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में उपस्थिति	बैठकों की कुल संख्या		
				निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति का प्रतिशत
1	प्रोफेसर टी.टी. राममोहन, *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष, *12 नवंबर, 2019 तक*		1	1	100
2	श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र *निदेशक*	सदस्य, *12 नवंबर, 2019 तक*		1	1	100
3	श्रीमती आशा स्वरूप, *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य, *07 फरवरी, 2020 तक*		1	1	100
4	डॉ बी. के. कराड *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *11 मार्च, 2020 तक)*		1	1	100

व्यक्तिशः उपस्थित — वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक के लिए कोरम में समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य होते हैं। निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और गैर कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) /मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में स्थायी रूप से बुलाया जाता है। कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

श्री ए. कृष्ण कुमार और प्रोफेसर टी. टी. राममोहन का 12 नवंबर, 2019 से कार्यकाल पूरा होने के बाद और 07 फरवरी, 2020 से श्रीमती आशा स्वरूप का कार्यकाल पूरा होने तथा 11 मार्च, 2020 से डॉ. बी. के. कराड के त्यागपत्र के फलस्वरूप आरईसी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे, जिसके फलस्वरूप यथालागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। आरईसी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद कंपनी अपनी नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन करेगी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	नाम और पदनाम	वेतन और भत्ते	कार्य–निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन(1)	अनुलब्धियां	फॉर्म 16 में शामिल अन्य लाभ(2)	छुट्टी नकदीकरण	सीपीएफ अंशदान	पेंशन निधि अंशदान(3)	कुल(4)
1	श्री अजीत कुमार *अग्रवाल, सीएमडी तथा निदेशक (वित्त)*	41,13,163	26,37,984	9,75,988	11,686	-	3,77,351	3,07,323	84,23,495
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता, *निदेशक (तकनीकी)*	41,15,372	25,99,998	11,56,918	51,148	6,86,030	3,77,553	3,07,611	92,94,630
3	श्री जे. एस. अमिताभ, *कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव*	46,71,101	16,40,570	1,27,537	87,806	-	3,66,172	2,98,273	71,91,459

नोटः (1) कार्य–निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन, लोक उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(2) यूनिफॉर्म, मनोरंजन, बिजली, पानी और सहायक प्रभार के लिए प्रतिपूर्ति शामिल नहीं हैं और चिकित्सा व्यय/प्रतिपूर्ति से छूट प्राप्त है।

(3) वित्तीय वर्ष 2019–20 में पेंशन अंशदान एनपीएस खाते में जमा किया गया। इस प्रकार फॉर्म 16 के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत नियोक्ता का पेंशन अंशदान वेतन के एक भाग के रूप में होता है।

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 से भत्तों में छूट मिली हुई है और एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर आरईसी के ग्रेच्युटी फंड में कर्मचारी का अंशदान शामिल नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों और सरकार द्वारा नामित निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र निदेशकों को 28 मई, 2013 को आयोजित निदेशक मण्डल की 395वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार, निदेशक मण्डल की प्रत्येक बैठक और उसकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 20,000/– की दर से सिटिंग फीस का भुगतान किया गया। निदेशक मंडल ने दिनांक 04 फरवरी 2020 को आयोजित की गई अपनी 466वीं बैठक में निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए निदेशकों को भुगतान की जाने वाली सिटिंग फीस को बढ़ाकर क्रमशः ₹ 40,000/– और निदेशक मंडल की समिति (समितियों) की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 30,000/– करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित सीमा के अंदर हैं। सरकारी नामिती निदेशक कंपनी से किसी भी पारिश्रमिक/सिटिंग फीस प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशकों को सिटिंग फीस (जीएसटी को हटाकर) के निमित्त किए गए भुगतानों का विवरण इस प्रकार हैः

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		कुल
		निदेशक मण्डल की बैठकें	समिति की बैठक	
1	श्री ए. कृष्ण कुमार	1,40,000	3,00,000	4,40,000
2	प्रोफेसर टी. टी. राममोहन	1,40,000	2,00,000	3,40,000
3	श्रीमती आशा स्वरूप	1,60,000	2,80,000	4,40,000
4	डॉ बी. के. कराड	1,40,000	2,00,000	3,40,000
5	श्री प्रवीण कुमार सिंह	1,80,000	-	1,80,000
	कुल	**7,60,000**	**9,80,000**	**17,40,000**

टिप्पणी : डॉ. बी. के. कराड़ को भुगतान की गई सिटिंग फीस के अलावा विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें ₹ 15,000 के पारिश्रमिक का भी भुगतान किया गया।

उपर्युक्त के अलावा, स्वतंत्र और सरकार द्वारा नामित निदेशकों के इस कंपनी के साथ कोई महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं हैं सिवाय उस सीमा के कि जिस सीमा तक इनको एयर टिकट, होटल में रहने, वाहन भाड़े पर लेने, पॉकेट खर्च और स्थानीय परिवहन की प्रतिपूर्ति निदेशक मण्डल और इसकी समितियों में भाग लेने के संबंध में की गई हो।

3.3 शेयरधारक संबंध समिति

कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 20 के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, शेयरधारक संबंध समिति का गठन किया है। यह समिति कंपनी द्वारा जारी डिबेंचर पर ब्याज, वार्षिक रिपोर्ट, शेयरों का अंतरण अथवा डिबेंचर का अंतरण, डुप्लीकेट शेयर/डिबेंचर प्रमाण–पत्र जारी करने, अंतरण से संबंधित मामलों, पारेषण, रिमैटेरियलाइजेशन, डिमैटेरियलाइजेशन, सिक्योरिटी की स्पिलिटिंग और कंसोलिडेशन प्राप्त न होने, लाभांश क्रेडिट/वारंट प्राप्त न होने जैसे शेयरधारकों, डिबेंचरहोल्डरों आदि सहित विभिन्न प्रतिभूतिधारकों से शिकायतों के समाधान की विशेष रूप से जांच करती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न प्रतिभूति धारकों के अनुरोधों, शिकायतों अथवा मुद्दों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए शेयरधारक संबंध समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार शेयरधारक संबंध समिति के स्वरूप और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान इसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण नीचे दिए अनुसार हैं :–

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	शेयरधारक संबंध समिति की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति				बैठकों की कुल संख्या		
			24 मई 2019	6 अगस्त 2019	5 नवंबर 2019	4 फरवरी 2020	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री ए. कृष्ण कुमार, *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष *12 नवंबर, 19 तक*	👤	👤	👤	लागू नहीं	3	3	100
2	डॉ बी. के. कराड, *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष *16 दिसंबर, 19 से 11 मार्च, 20 के दौरान*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	1	1	100

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	शेयरधारक संबंध समिति की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति				बैठकों की कुल संख्या		
			24 मई 2019	6 अगस्त 2019	5 नवंबर 2019	4 फरवरी 2020	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति का प्रतिशत
3	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)*	सदस्य	👤	👤	👤	👤	4	4	100
4	श्री संजीव कुमार गुप्ता, *निदेशक (तकनीकी)*	सदस्य	👤	👤	👤	👤	4	4	100

👤 व्यक्तिशः उपस्थित

शेयरधारक संबंध समिति की बैठकों के लिए कोरम में दो सदस्य होते हैं, जिनमें समिति के अध्यक्ष भी शामिल हैं। इसके अलावा शेयर, डिबेंचर, बांड सहित विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) के प्रतिनिधि स्टेकहोल्डर संबंध समिति की बैठकों में नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते हैं।

श्री जे. एस. अमिताभ, कार्यकारी निदेशक, एवं कंपनी सचिव सेबी (एलओडीआर) विनियम की शर्तों के अनुसार कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं। शेयरधारक संबंध समिति के तत्कालीन अध्यक्ष 29 अगस्त, 2019 को आयोजित की गई कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

दिनांक 11 मार्च, 2020 को डॉ. बी. के. कराड के त्यागपत्र के बाद आरईसी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के अभाव के कारण यथा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप शेयरधारक संबंध समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। तथापि, कंपनी ने वर्तमान में अपनी शेयरधारक संबंध समिति का गठन किया है जिसमें श्री प्रवीण कुमार सिंह अध्यक्ष के रूप में और श्री संजीव कुमार गुप्ता एवं श्री अजय चौधरी सदस्य के रूप में शामिल हैं। आरईसी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर शेयरधारक संबंधी समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

सभी निवेशकों की शिकायतों का तत्परता से समाधान करने के लिए, कंपनी ने निवेशक की शिकायतों/समस्याओं का समाधान करने के लिए तीन स्तरीय तंत्र स्थापित किया है अर्थात अलग–अलग रजिस्ट्रार से सहायता सेवा, इन हाउस निवेशक सेल और स्टेकहोल्डर संबंध समिति द्वारा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और उसके फलस्वरूप सभी शिकायतों का समय पर समाधान हुआ है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने एससीओआरईएस (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) नामक एक वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की है जिसके माध्यम से निवेशक अपनी शिकायतों के बारे में कंपनी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन देखा जा सकता है और यदि आवश्यक हो, तो निवेशक शिकायतों के लिए अनुस्मारक भेज सकते हैं। इसके अलावा, इस प्रणाली के माध्यम से निवेशक इन शिकायतों की स्थिति की जांच करने में सक्षम होते हैं अर्थात यह शिकायत किसके पास लंबित है, किस पर जिम्मेदारी तय की गई है और यह शिकायत कितने समय से लंबित है। कोई भी निवेशक, जो एससीओआरईएस से परिचित नहीं है अथवा जिसकी पहुँच एससीओआरईएस तक नहीं हो पाती है, लिखित रूप में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कंपनी सभी निवेशकों की शिकायतों का तेजी से और तत्परता से स्टेकहोल्डर की संतुष्टि के अनुसार समाधान करती रही है। निवेशकों की शिकायतों की स्थिति के संबंध में एक तिमाही अद्यतन स्थिति स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाईल की जाती है और निदेशक मंडल के समक्ष भी प्रस्तुत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 13(3) के अनुसरण में, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति नीचे दी गई है:

विवरण	शिकायतें (इक्विटी शेयर)	शिकायतें (सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां)	निवेशक शिकायतों की कुल संख्या
वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल, 2019) के आरंभ में लंबित शिकायतें	0	2	2
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	1,206	977	2,183
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	1,206	977	2,183
31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में अनिर्णीत शिकायतें	0	2	*2

*उपर्युक्त 2 शिकायतों का भी बाद में समाधान किया गया है।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

संगठन के एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरों सहित संभावित रूप से उत्पन्न होने वाले विभिन्न जोखिमों की निगरानी करना और जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं कंपनी द्वारा अपनाई गई परिपाटियों की समीक्षा करना तथा कंपनी के प्रचालन और अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करना है।

वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बैठकें आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का स्वरूप और वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान इसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण नीचे दिए गए अनुसार हैः

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	शेयरधारक संबंध समिति की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति		बैठकों की कुल संख्या		
			29 अगस्त 19	24 मार्च 20	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्रीमती आशा स्वरूप, *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष *07 फरवरी, 20 तक*	👤	लागू नहीं	1	1	100
2	डॉ बी. के. कराड, *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *11 मार्च, 20 तक*	अनुपस्थिति की छुट्टी	लागू नहीं	1	0	0
3	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)*	सदस्य *23 मार्च, 20 तक* अध्यक्ष *24 मार्च, 20 से*	अनुपस्थिति की छुट्टी	👤	2	1	50
4	श्री संजीव कुमार गुप्ता, *निदेशक (तकनीकी)*	सदस्य	👤	👤	2	2	100

👤 व्यक्तिशः उपस्थित

वित्त प्रभाग (रिसोर्स मोबलाइजेशन) और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रभाग के प्रचालन प्रमुख को जोखिम समिति की बैठक में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है।

3.5 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संपोषणीयता संबंधी दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने 'निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी समिति' का गठन किया है और इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैः

क) निगमित सामाजिक उत्त्रदायित्व संबंधी नीति को तैयार करना और उसकी निदेशक मण्डल से सिफारिश करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा चलाए जाने वाले क्रियाकलापों को दर्शाएगा;

ख) समय–समय पर कंपनी की निगमित सामाजिक उत्त्रदायित्व संबंधी नीति की निगरानी करना;

ग) खंड (क) में उल्लिखित क्रियाकलापों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;

घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की सीमा के अंतर्गत आने वाले कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की सिफारिश/समीक्षा करना;

ङ) कंपनी द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओंध्कार्यक्रमोंध्क्रियाकलापों के कार्यान्वयन हेतु एक पारदर्शी मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित करना;

च) कंपनी की सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों पर कार्यनीतियां तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करना;

छ) उत्तरदायित्व संबंधी विवरण देने के साथ–साथ नियमों में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट की विषय–वस्तु को अनुमोदित करना, जो निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कंपनी के उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में हों;

ज) रिपोर्टों को आवधिक रूप से निदेशक मंडल को उनकी जानकारी, विचारण एवं आवश्यक निर्देशन हेतु प्रस्तुत करना; और

झ) समय–समय पर यथासंशोधित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान सीएसआर समिति की 6 (छः) बैठके आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार सीएसआर समिति का स्वरूप और वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान इसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण नीचे दिए अनुसार हैः

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	शेयरधारक संबंध समिति की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति						बैठकों की कुल संख्या		
			24 मई 19	6 अगस्त 19	18 अक्टूबर 19	5 नवंबर 19	16 दिसंबर 19	4 फरवरी 20	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री टी. टी. राममोहन, *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष *12 नवंबर, 19 तक*	📹	📹	👤	📹	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4	100
2	श्री ए. कृष्ण कुमार *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *12 नवंबर, 19 तक*	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4	100
3	श्रीमती आशा स्वरूप, *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *15 दिसंबर, 19 तक* अध्यक्ष *16 दिसंबर, 19 से 07 फरवरी, 20*	👤	👤	अनुपस्थिति की छुट्टी	👤	👤	👤	6	5	83.33
4	डॉ बी. के. कराड, *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *16 दिसंबर, 19 से 11 मार्च, 20 तक*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	1	1	100
5	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, *सीएमडी और निदेशक (वित्त)*	सदस्य *24 मार्च, 20 तक* अध्यक्ष *25 मार्च, 20 से*	👤	👤	अनुपस्थिति की छुट्टी	👤	👤	👤	6	5	83.33
6	श्री संजीव कुमार गुप्ता, *निदेशक (तकनीकी)*	सदस्य	👤	👤	👤	👤	👤	👤	6	6	100
7	श्री प्रवीण कुमार सिंह, *पीएफसी के नामिती निदेशक*	सदस्य *25 मार्च, 20 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

👤 व्यक्तिशः उपस्थित   📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठकों के लिए कोरम दो सदस्यों का है, जिसमें समिति के अध्यक्ष शामिल हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

दिनांक 11 मार्च, 2020 को डॉ. बी. के. कराड के त्यागपत्र के बाद आरईसी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के अभाव के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और यथालागू कानूनों के अनुरूप सीएसआर समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। तथापि, कंपनी ने वर्तमान में अपनी सीएसआर समिति का गठन किया है जिसमें श्री संजीव कुमार गुप्ता अध्यक्ष के रूप में और श्री अजय चौधरी एवं श्री प्रवीण कुमार सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं। आरईसी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी आरईसी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/CSR-Policy-Wef110717-UpldDt300518.pdf पर उपलब्ध है।

3.6 ऋण समिति

निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन रुपए के आवधिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए निदेशकों की ऋण समिति का गठन किया गया है:

कंपनी (निकाय) का प्रकार	पृथक योजना/परियोजना के लिए सीमा	एक वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक सीमा
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत कंपनियां केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	₹ 500 करोड़ तक	₹ 30,000 करोड़
निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियां	₹ 500 करोड़ तक	₹ 10,000 करोड़

नोट: 31 मार्च, 2020 के बाद, निदेशक मंडल ने कोविड–19 के तहत डिस्कॉम को विशेष दीर्घावधि संक्रमण ऋण और उदय योजना के तहत विशेष ऋण स्वीकृत करने के लिए ऋण समिति को अतिरिक्त शक्तियां सौंप दी हैं, जहां पृथक योजना/परियोजना के लिए ऋण राशि ₹ 500 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान ऋण समिति की 5 (पांच) बार बैठकें आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ऋण समिति का स्वरूप और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	ऋण समिति की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति					बैठकों की कुल संख्या		
			24 अप्रैल 19	27 जून 19	16 सितम्बर 19	16 दिसम्बर 19	6 फरवरी 19	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)*	अध्यक्ष	👤	👤	👤	👤	👤	5	5	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता, *निदेशक (तकनीकी)*	सदस्य	👤	👤	👤	👤	👤	5	5	100
3	डॉ. अरुण कुमार वर्मा *सरकारी नामिती निदेशक*	सदस्य 2 सितंबर 19 तक	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2	2	100
4	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण *सरकारी नामिती निदेशक*	सदस्य 2 सितंबर 19 से	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100
5	श्री ए. कृष्ण कुमार, *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *29 अगस्त 19 से 12 नवम्बर 2019 के दौरान*	लागू नहीं	लागू नहीं	📹	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100

👤 व्यक्तिशः उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान ऋण समिति की संरचना सीएमडी, प्रकार्यात्मक निदेशक, सरकारी नामिती निदेशक और एक स्वतंत्र निदेशक को शामिल करने के लिए परिवर्तित किया गया। इसके अलावा, ऋण समिति की बैठकों के लिए कोरम को भी तीन सदस्यों के रूप में बदल दिया गया, जिसमें सीएमडी और सरकारी निदेशक / स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

3.7 कार्यकारी समिति

निदेशकों की कार्यकारी समिति का गठन निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन रुपए के आवधिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए किया गया है:

कंपनी का प्रकार	व्यक्तिगत योजना/परियोजना के लिए सीमा	एक वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक सीमा
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत कंपनियां केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	₹ 150 करोड़ तक	₹ 25,000 करोड़
निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियां	₹ 100 करोड़ तक	₹ 6,000 करोड़

वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान कार्यकारी समिति की 14 (चौदह) बार बैठकें आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कार्यकारी समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	ऋण समिति की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति														बैठकों की कुल संख्या		
			12 अप्रैल 19	29 अप्रैल 19	17 मई 19	4 जून 19	27 जून 19	19 अगस्त 19	6 सितंबर 19	26 सितंबर 19	18 नवंबर 19	24 दिसंबर 20	2 जनवरी 20	14 फरवरी 20	19 मार्च 20	28 मार्च 20	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री अजीत कुमार अग्रवाल *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)*	अध्यक्ष	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	📹	14	14	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता *निदेशक (तकनीक)*	सदस्य	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	📹	14	14	100

निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति की बैठकों के लिए कोरम दो सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

👤 व्यक्तिशः उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

3.8 आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति

आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति का गठन, अल्पकालिक ऋणों और आवधिक ऋणों के उधार देने की दरों की समीक्षा करने के लिए किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त सतिति की 5 (पाँच) बैठकें आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, उप समिति का स्वरूप और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान इसकी बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार रही:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए निदेशकों की उप समिति की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति					बैठकों की कुल संख्या		
			30 अप्रैल 19	27 अगस्त 19	23 सितम्बर 19	13 दिसम्बर 19	14 फरवरी 20	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री अजीत कुमार अग्रवाल *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)*	अध्यक्ष	👤	👤	👤	👤	👤	5	5	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता *निदेशक (तकनीक)*	सदस्य	👤	👤	👤	👤	👤	5	5	100

👤 व्यक्तिशः उपस्थित

निदेशक मंडल की उपर्युक्त उप समिति की बैठकों के लिए कोरम दो सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

3.9 अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन के लिए समिति

अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन के लिए समिति का गठन किसी भी समय जमा राशि के प्रमाण पत्र में एक बार में ₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक अथवा म्युचुअल फंड और सावधि जमा में ₹ 1500 करोड़ या उससे अधिक की अल्पकालिक अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन को मंजूरी देने के उद्देश्य से किया गया है। इस समिति की बैठकें अल्पकालिक अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन का निर्णय लेने के लिए आवश्यक होने पर आयोजित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान और 31 मार्च, 2020 तक, अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन के लिए समिति में श्री अजीत कुमार अग्रवाल अध्यक्ष के रूप में और श्री संजीव कुमार गुप्ता सदस्य के रूप में शामिल थे। उक्त समिति की बैठक के लिए कोरम सीएमडी सहित दो सदस्यों का होता है। हालांकि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

4. अन्य समितियां

निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर गठित निदेशकों की समितियों के अलावा, जैसा कि उपर्युक्त 3.1 से 3.9 में विस्तृत विवरण दिया गया है, कंपनी में कुछ विशिष्ट मामलों को देखने के लिए कुछ अतिरिक्त समितियां भी गठित की गई है, जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं।

4.1 बॉण्ड समिति

निदेशक मंडल द्वारा आरईसी के करयोग्य, सुरक्षित, मोचनयोग्य (रिडीमेबल) अपरिवर्तनीय (नॉन–कन्वर्टिबल) बॉन्ड्स के पब्लिक इश्यू से संबंधित मामलों के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल की बॉन्ड समिति का गठन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान गठित बॉन्ड समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री अजीत कुमार अग्रवाल और सदस्य के रूप में श्री संजीव कुमार गुप्ता शामिल थे। बॉन्ड समिति की बैठक के लिए कोरम दो सदस्यों का हैं, जिनमें सीएमडी भी शामिल है। 16 अक्टूबर, 2019 को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बॉन्ड समिति की एक बार बैठक हुई।

4.2 शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति का गठन शेयरधारकों से शेयरों को विभाजित करने/समेकित करने और प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर प्रति व्यक्ति से अधिक वास्तविक शेयरों के अंतरण और डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20, और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार में शेयर अंतरण समिति में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अर्थात श्री जे. एस. अमिताभ (कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव) और श्री दलजीत सिंह खत्री (मुख्य महाप्रबंधक – संसाधन) सदस्य के रूप में शामिल हैं। हालांकि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयर अंतरण समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

4.3 आईटी रणनीति समिति

आरईसी में आईटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए आरईसी के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के एनबीएफसी क्षेत्र की कंपनियों के लिए मुख्य निदेशों के अनुपालन में एक आईटी रणनीति समिति का गठन किया है। आईटी रणनीति समिति की भूमिका में नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का निर्धारण करने तथा आईटी संसाधनों की आपूर्ति और उपयोग के लिए उच्च स्तरीय निदेश देने तथा आईटी रणनीति एवं नीतिगत दस्तावेजों का अनुमोदन करने के लिए पद्धतियों की निगरानी शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आईटी रणनीति समिति में आरईसी के एक स्वतंत्र निदेशक (अर्थात श्री ए. कृष्ण कुमार–12 नवम्बर, 2019 तक), मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ), मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) और बाहर के एक तकनीकी विशेषज्ञ और कंपनी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आईटी रणनीति समिति की दो (2) बैठकें क्रमशः 10 जुलाई, 2019 और 10 फरवरी, 2020 को आयोजित की गई थीं। कंपनी में स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति के बाद, आईटी रणनीति समिति का पुर्नगठन किया जाएगा।

5. सहायक कंपनियां

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी की निम्नलिखित गैर–सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं;

(i) आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

इसके अलावा, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) समय–समय पर क्रमशः विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आबंटित स्वतंत्र अंतर्राज्यीय और अंतरा–राज्यीय पारेषण परियोजना के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली (टीपीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर्राज्यीय और अंतःराज्यीय पारेषण परियोजना का विकास करने के लिए आरईसीटीपीसीएल अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में परियोजना विशेष के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को निगमित करता है। प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता के चयन के बाद आरईसीटीपीसीएल द्वारा संबंधित परियोजना विशिष्ट एसपीवी को इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किया जाता है। उपर्युक्त के संदर्भ में आरईसीटीपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, परियोजना विशिष्ट आठ (8) एसपीवी सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित किए थे, जिनके विवरण वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में संलग्न निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आरईसीटीपीसीएल के पास इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में निम्नलिखित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) थेः

(1) दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(2) चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड

(3) कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड

(4) दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड

(5) मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

**उक्त कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अनुसार कंपनी के रजिस्टर से अपना नाम हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया है।*

इसके अलावा, 31 मार्च, 2020 से इस रिपोर्ट की तारीख तक आरईसीटीपीसीएल ने निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट एसपीवी निगमित किए हैंः

(1) कल्लाम ट्रांसमिशन लिमिटेड

(2) फतेहगढ़ भाडला ट्रांस्को लिमिटेड

(3) गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड

(4) राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

(5) बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

(6) सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड

(7) रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड

(8) एम पी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड

(9) एम पी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड

उपर्युक्त कंपनियों के विवरण वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में संलग्न निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं।

कंपनी के पास सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के अंतर्गत यथा परिभाषित कोई "वास्तविक सब्सिडियरी" नहीं है। कंपनी ने विनियमों के अंतर्गत यथाअपेक्षित सहायक कंपनियों की वास्तविकता के संबंध में एक नीति विकसित की है और वह आरईसी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-policy-determining-material-subsidiaries-dt230719.pdf पर भी उपलब्ध है।

सभी सहायक कंपनियों की निदेशक मण्डल की बैठकों का कार्यवृत्त सूचना के लिए कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। असूचीबद्ध सहायक कंपनियों, विशेष रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश के संबंध में वित्तीय परिणामों की समीक्षा आरईसी के निवेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई। आरईसी की सभी सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उससे संबंधित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है।

6. आम सभा की बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के विवरण नीचे दिए गए है:

बैठक सं.	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है
48वीं	2016–17	21 सितंबर, 2017	11.00 बजे पूर्वा.	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंटोनमेंट, नई दिल्ली–110010	जी हां
49वीं	2017–18	25 सितंबर, 2018			जी हां
50वीं	2018–19	29 अगस्त, 2019			जी हां

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कोई पोस्टल बैलट प्रक्रिया संचालित नहीं की गई और पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशिष्ट संकल्प पारित नहीं किया गया।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र ("एमसीए परिपत्र") और सेबी के दिनांक 12 मई, 2020 को जारी किए गए परिपत्र के अनुक्रम में आरईसी की 51वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जाएगी। कंपनी भावी वार्षिक आम बैठकों में ई–मतदान की सुविधा प्रदान करती रहेगी ताकि शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। कंपनी की 51वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भागीदारी और अन्य संबंधित सूचनाओं के बारे में विवरण उक्त एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

7. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से दस्तावेज भेजना

वित्तीय वर्ष 2010–11 से आरईसी ऐसे शेयरधारकों, जिनके ई–मेल पते संगत डिपोजीटरी भागीदारों अथवा पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) के साथ पंजीकृत हैं, को दस्तावेजों जैसे कि नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट आदि की प्रदायगी के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन करता रहा है। अंतरिम/अंतिम लाभांश की सूचना भी उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई–मेल आईडी पंजीकृत हैं।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र और ऊपर संदभिर्त सेबी के परिपत्र के अनुसार 51वीं वार्षिक आम सभा की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों के पंजीकृत पतों पर उन्हें ई–मेल से भेजी जाएगी, जिनके ई–मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत हैं।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपने ईमेल आईडी पंजीकृत/अद्यतन करने के लिए ऐसे शेयरधारकों जिनके पास वास्तविक भौतिक रूप में और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, को प्रोत्साहित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए थे। इसके अलावा, कंपनी ने ई–मेल आईडी के अपडेशन के लिए शेयरधारकों के मोबाइल नंबरों को भी संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत किया था। उपरोक्त प्रयासों के बावजूद, जो शेयरधारक अभी भी अपनी ई–मेल आईडी अपडेट नहीं कर पाए हैं, वे ई–मेल आईडी के पंजीकरण और ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए आरईसी के आगामी एजीएम में 51वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सक्रिय रूप से आयोजित की जा रही हैं। ऐसी बैठकों के लिए एजेंडा और नोट्स भी एक सुरक्षित मंच के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निदेशकों को भेजे जा रहे हैं, जिससे निदेशकों को बिना किसी परेशानी के एजेंडे के कागजात का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।

8. सचिवालयी लेखापरीक्षा

मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, नई दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी की सचिवालय लेखापरीक्षा की है और कंपनी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उपर्युक्त सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति शेयरधारकों की सूचना के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है। इसके अलावा, सचिवालयी लेखापरीक्षक के अवलोकनों और उनके प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर के विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में दर्शाए गए हैं।

9. संबंधित पक्षकार लेन–देन

कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमो के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित पक्षकार लेनदेनों सहित संबंधित पक्षकार लेन–देनों की वास्तविकता और संव्यवहार्यता के संबंध में एक नीति तैयार की है। उपर्युक्त नीति कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-policy-on-related-party-transactions-dealing-with-rpt-dt230719.pdf पर उपलब्ध है।

इस नीति के अनुसार, सभी संबंधित पक्षकार लेनदेनों को लेखापरीक्षा समिति और/अथवा निदेशक मंडल अथवा शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है। संबंधित पक्षकारों के साथ किए जाने वाले लेनदेनों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार लेखाओं की टिप्पणियों में शामिल किया जाता है। संबंधित पक्षकार के लेन–देनों की एक स्थिति रिपोर्ट तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल की सूचनार्थ प्रस्तुत की जाती है। संबंधित पक्षकार लेनदेनों के ब्यौरों का प्रकटन एओसी–2 फॉर्म में किया जाना आवश्यक है, जो वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 'शून्य' थे।

10. प्रकटन

1. कंपनी ने वर्ष के भाग के लिए निदेशक मंडल में महिला निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर समय समय पर यथासंशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013, लागू सचिवालयी मानक और

लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशा–निर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। कंपनी ने पहले ही विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, यानी नियोक्ता प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाए जिससे कि कंपनी यथलागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करने में सक्षम हो सके। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत बाजारों से संबंधित किसी भी मामले में अननुपालन के कोई उदाहरण नहीं हैं।

2 सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत, जैसा कि आवश्यक है, सभी विवरणी/रिपोर्ट/प्रकटन स्टॉक एक्सचेंज/अन्य प्राधिकारों के पास निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किए गए।

3 कंपनी ने निदेशक मण्डल, समितियों और निगमित सुशासन की अपेक्षाओं से संबंधित, समय–समय पर यथासंशोधित, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 17 से 27 तथा उपर्युक्त मद संख्या (1) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निदेशक मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 46 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की वेबसाइट के रख–रखाव और उसे अद्यतन करने से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमावली की अनुसूची–V के भाग 'ग' के अनुसार निगमित सुशासन रिपोर्ट के तहत प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं का भी अनुपालन किया है।

इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी ने अन्य बातों के साथ–साथ, कंपनी के कारोबार के विवरण, निदेशक मण्डल स्तर की विभिन्न समितियों के गठन, निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों की आचरण और नैतिकता संहिता से संबंधित संगत सूचना का प्रकटन आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी किया गया है।

सतर्कता तंत्र/व्हीसल ब्लोअर नीति की स्थापना के विवरण, गैर–कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने संबंधी मापदंड, संबंधित पक्षकार लेनदेनों पर कार्रवाई करने की नीति, महत्वपूर्ण सहायक कंपनियां निर्धारित करने की नीति, स्वतंत्र निदेशकों को जानकारी देने संबंधी कार्यक्रमों का विवरण और स्टॉक एक्सचेंज आदि पर प्रकटन के लिए घटनाओं के महत्व को निर्धारित करने संबंधी नीति की सूचना आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic-in/policies पर भी उपलब्ध है।

4 कंपनी के पास निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें हैजिंग नीति भी शामिल है, जो विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम, मुद्राओं के बीच विनिमय दर के ऐसे संचलनों (उतार–चढ़ाव) के प्रबंधन के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराती है, जिससे विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित परिसंपत्तियों, देयताओं और ऑफ–बैलेंस शीट व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विदेशी मुद्रा जोखिम के बारे में समुचित प्रकटन लेखाओं की टिप्पणियों में किया गया है, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में इसमें शामिल हैं और उसका प्रबंध स्वैप, विकल्प, अग्रेषण आदि जैसे विभिन्न व्युत्पन लिखतों के माध्यम से किया जा रहा है। कंपनी के कारोबार की प्रकृति ऐसी नहीं है जिससे किसी पण्यवस्तु की कीमत बढ़ने का जोखिम हो।

5 कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों को क्षतिपूर्ति से मुक्त रखने के लिए आरईसी ने निदेशक और अधिकारी (डीएंडओ) देयता बीमा नीति प्राप्त की है जो कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों के विरुद्ध उत्पन्न हो सकने वाली देयताओं को शामिल करते हुए एक व्यापाक नीति है। इस बीमा नीति में कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों, कंपनी सचिव, अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और प्रबंधक तथा उससे उपर के अधिकारियों सहित आरईसी का निदेशक बोर्ड शामिल है।

6 कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधकों या उनके रिश्तेदारों के साथ या प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों या कंपनियों एवं फर्मों आदि के साथ, जिनके वे प्रत्यक्ष रूप से निदेशकों तथा/अथवा भागीदारों के रूप में अपने रिश्तेदारों के जरिए रुचि रखते हैं, कोई वाणिज्यिक लेन–देन नहीं किया है।

7 वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के सभी सदस्यों ने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेन–देन के संबंध में निदेशक मंडल को सूचना प्रस्तुत कर दी है अर्थात उनका प्रकटन किया है, जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिससे कंपनी के हित से बड़े स्तर पर भारी विवाद उत्पन्न होता हो सकता हो (उदाहरणार्थ कंपनी शेयरों की खरीद–परोख्त करना, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक संव्यवहार करना, जिनके प्रबंधन में उनकी या उनके रिश्तेदारों की शेयरधारिता हो) और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए विरोध का कोई ऐसा मामला नहीं था।

8 संबंधित पक्षकारों अर्थात प्रमोटरों, निदेशकों अथवा प्रबंधन के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया गया है जिसका कंपनी के हित के साथ टकराव हो। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान अपने पद पर रहने वाले स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी के कोई इक्विटी शेयर नहीं थे।

9 कंपनी ने जोखिम निर्धारित करने और उसे कम करने के बारे में निदेशक मंडल को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि एकीकृत जोखिम का प्रबंधन समुचित रूप से निर्धारित मंत्र के माध्यम से किया जा रहा है।

10 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण समय समय पर यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 ("इंड एएस") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतया स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

11 कंपनी दृढ़ता के साथ यह भी स्वीकार करती है कि एक व्हीसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र प्रभावी है और किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचने से इन्कार नहीं किया गया है।

12 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में यह प्रकटन बोर्ड की रिपोर्ट का भाग है।

13 कंपनी ने निगमित सुशासन की सभी अनिवार्य मदों (वर्ष के भाग के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर) और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के अंतर्गत यथाविहित कुछ गैर–अनिवार्य मदों को भी अंगीकार किया है। निगमित सुशासन खंड के संबंध में गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने की स्थिति नीचे दी गई है:

क. **निदेशक मण्डलः** कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं;

ख. **शेयरहोल्डर के अधिकारः** कंपनी सभी शेयरधारकों और निवेशकों को समयबद्ध रूप में सभी सूचना उपलब्ध करा रही है ताकि वे कंपनी के प्रमुख निर्णयों से पर्याप्त रूप से अवगत हो सकें;

ग. **लेखापरीक्षा संबंधी अर्हताएं:** वित्तीय वर्ष 2019–20 के संबंध में लेखापरीक्षा से संबंधित कोई अर्हताएं प्राप्त नहीं हुई है और कंपनी का हमेशा यह प्रयास रहता है कि वह बिना किसी अनअर्हता वाले वित्तीय विवरणों का रख–रखाव करे;

घ. **आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंगः** कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों के प्रमुख लेखापरीक्षा समिति को सीधे रिपोर्ट करते हैं और उन्हें लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है;

इसके अलावा, आरईसी सरकारी कंपनी होने के नाते, सीईओ और प्रबंध निदेशक की भूमिका और सीएफओ की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जाती है।

14 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी को राष्ट्रपति जी की ओर से कोई निदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018–19 में निदेशक मण्डल स्तर तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों 01 जनवरी, 2017 से वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रपति जी के निदेश प्राप्त हुए थे और उन्हें कंपनी द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है।

15 कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया है, जो कारोबार के प्रयोजन के लिए न हो। इसके अलावा, कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया निजी प्रकृति का हो और जो निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन वर्ग के लिए किया गया हो।

16 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रशासनिक और कार्यालयी खर्च मुख्य रुप से ₹ 5.73 करोड़ ₹ की तुलना में प्रचार और संवर्धन पर किए गए 81.72 करोड़ ₹ के अपेक्षाकृत कम खर्च के कारण पिछले वर्ष की संगत अवधि के दौरान ₹ 186.61 करोड़ ₹ की तुलना में घटकर ₹ 131.70 करोड़ ₹ हो गया है। कंपनी के व्यापार क्रियाकलापों में सामान्य वृद्धि के अनुरुप अन्य खर्चों में मामली अंतर आया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल खर्च के प्रतिशत के रुप में प्रशासनिक और कार्यालयी खर्च 0.58% (पिछले वर्ष 1.08%) है और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वित्तीय खर्च के प्रतिशत के रुप में 0.69% (पिछले वर्ष 1.19%) है।

17 निगमित सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय को निर्धारित समय के अंदर तिमाही अनुपालन रिपार्ट भेजी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान भेजी गई डीपीई अनुपालन रिपार्ट का विवरण निम्न है;

निम्नलिखित तारीख को समाप्त तिमाही रिपोर्ट	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
जून, 2019	10 जुलाई, 2019
सितंबर, 2019	14 अक्तूबर, 2019
दिसंबर, 2019	06 जनवरी, 2020
मार्च, 2020	27 अप्रैल, 2020

इसके अलावा, रिपोर्ट जिसमें वार्षिक स्कोर निहित था (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर) विद्युत मंत्रालय/डीपीई को 15 मई, 2020 की नियत तिथि की तुलना में 14 मई, 2020 को प्रस्तुत की गई।

इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 की सभी तिमाहियों के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 27(2)(क) की अपेक्षाओं के अनुसार, निगमित सुशासन संबंधी तिमाही अनुपालन रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को निर्धारित समयावधि के भीतर भेज दी गई है।

18 वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा संबंधी कोई अर्हताएं नहीं दी गई हैं। इसके अलावा, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के प्रावधानों के अनुरूप स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणाम संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्ट अशोधित राय के साथ प्रस्तुत कर दी है।

19 अपनी अपेक्षाओं के आधार पर निदेशक मण्डल के सदस्यों ने समय–समय पर विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा, कंपनी ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशा–निर्देशों की अपेक्षा के अनुसार कंपनी ने *निदेशक मण्डल के सदस्यों के प्रशिक्षण* की एक नीति तैयार की है।

नियुक्ति होने पर निदेशक मण्डल के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज, रिपोर्टें और आंतरिक नीतियां उपलब्ध की जाती हैं ताकि वे कंपनी की प्रक्रिया और प्रविधि से अवगत हो सकें। इसके अलावा, कंपनी के कारोबार और कार्य–निष्पादन संबंधी प्रस्तुतीकरण भी निदेशक मण्डल की बैठकों में किए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण https://www.recindia.nic.in/uploads/files/FamiliarizationProgrammeforIndependentDirectors110720.pdf पर भी उपलब्ध है।

कंपनी के पूर्व स्वतंत्र निदेशक डॉ बी. के. कराड ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 27 से 28 मई 2019 को शिलांग में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा आयोजित सीपीएसई के गैर–सरकारी निदेशकों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम में भाग लिया।

20 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कोई स्टॉक ऑप्शन/ईएसओपी जारी नहीं किया है।

21 कॉरपोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए दिनांक 13 अक्टूबर, 2018 के निगमन संबंधी नए प्रमाण पत्र के अनुक्रम में कंपनी का नाम पूर्व में *"रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड"* से परिवर्तित कर "आरईसी लिमिटेड" कर दिया गया।

22 सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 32(7क) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन अथवा अर्हता प्राप्त संस्थाओं के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई निधियों के सदुपयोग का ब्यौरा समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं होता है। इसके अलावा, बॉन्ड्स के निजी प्लेसमेंट के इश्यू से होने वाली आय के उपयोग में कोई भिन्नता नहीं थी।

23 आरईसी का घरेलू ऋण लिखत को लगातार "एएए" रेटिंग मिली जो 'क्रिसिल, केयर इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और इक्रा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 की पूरी अवधि के दौरान दी गई सर्वोच्च रेटिंग है और आरईसी को दी गई रेटिंग में कोई संशोधन नहीं हुआ है। इसके अलावा कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 की पूरी अवधि के दौरान क्रमशः इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे मूडीज और फिच द्वारा "बीएए3" और "बीबीबी–" की अंतराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग भी मिली है और आरईसी को दी गई रेटिंग में कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं हुआ है।

24 वार्षिक आधार पर, कंपनी प्रत्येक निदेशक से बोर्ड और बोर्ड की समितियों में अपने पदों, जो वे अन्य कंपनियों में धारण करते है और यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है, जो उनके निदेशक के पद के संबंध में हो, का ब्यौरा प्राप्त करती है। इसके अलावा, कंपनी ने मैसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, जो प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव हैं, से इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में किसी भी निदेशक को सेबी/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशकों के रुप में नियुक्त किए जाने अथवा जारी रहने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं किया गया है। उपर्युक्त प्रमाण–पत्र की एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध–क** के रूप में संलग्न की गई है।

25 प्रचालन संबंधी विशिष्ट क्षेत्रों का पर्यवेक्षण करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने बोर्ड स्तर की विभिन्न समितियों का गठन किया है और उन समितियों को कुछ कार्य सौंपे हैं। संबंधित समिति अपने निर्धारित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करती है और प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्णय लेती है और जहां कहीं भी आवश्यकता होती है, निदेशक मंडल द्वारा आगे विचार किए जाने के लिए इसकी सिफारिशें करती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहां निदेशक मंडल ने कंपनी की बोर्ड स्तर की किसी भी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है।

11. लागू कानूनों का अनुपालन

कंपनी के पास विभिन्न सांविधिक और प्रक्रिया संबंधी अनुपालनों की निगरानी के लिए एक सशक्त प्रणाली मौजूद है। निदेशक मंडल, सांविधिक, नीतिगत और प्रक्रियागत अनुपालनों की स्थिति की तिमाही आधार पर समीक्षा करता है ताकि कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

12. बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए कारोबार आचार संहिता और नैतिकता

आरईसी में "निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार संहिता और नैतिकता नीति" है जो कंपनी के सभी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए लागू व्यापक संहिता है। इसे कंपनी के मिशन/विजन और लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुरुप निर्धारित किया गया है और इसका लक्ष्य कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया में वृद्धि करना है।

कारोबार संचालन और सिद्धांत संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf पर उपलब्ध है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त स्वीकारोक्ति के आधार पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से आचरण संहिता के अनुपालन के बारे में एक घोषणा प्राप्त की गई है, जो इस प्रकार हैः

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और निगमित सुशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत घोषणा

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनी के 'निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए कारोबार संचालन और सिद्धांत संहिता' के अनुपालन के संबंध में सकारात्मक पुष्टि की है।

ह./–
संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
(डीआईएनः 03464342)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 26 जून, 2020

13. निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्टिंग करने तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए आचार संहिता

कंपनी के पास "पदनामित व्यक्तियों और उनके निकटस्थ संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्टिंग करने तथा निष्पक्ष प्रकटन करने के लिए एक आचार संहिता" ('संहिता') है, जो इस उद्देश्य से बनायी गयी है कि पदनामित व्यक्ति और उनके निकटस्थ संबंधी, जैसा कि संहिता में परिभाषित किया गया है, कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना (यूपीएसआई), जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार से कोई इनसाइडर सूचना है, तक पहुंच अथवा उसकी प्राप्ति से कोई लाभ प्राप्त न करें अथवा अन्य व्यक्तियों को कोई लाभ प्राप्त करने में सहायता न करें। कंपनी सचिव की नियुक्ति अनुपालन अधिकारी के रुप में की गई है और वे कथित संहिता का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार हैं। संहिता की एक प्रति आरईसी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf पर डाली गयी है।

इस 'संहिता' में यूपीएसआई के लीकेज को रोकने और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए आन्तरिक नियंत्रणों का समुचित तंत्र स्थापित करने के लिए नीतियां और कार्यविधियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, इसमें यूपीएसआई के निष्पक्ष प्रकटन के लिए अपनायी जाने वाली प्रथाओं, प्रक्रियाओं और मानदंडो का भी निर्धारण किया गया है और साथ ही ऐसे वैधानिक उद्देश्यों का भी निर्धारण किया गया है जिनके अध्यधीन आरईसी के विभिन्न पणहोल्डरों और व्यापारिक भागीदारों के साथ यूपीएसआई को साझा किया जा सकता है। इस संहिता में कंपनी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का लेन–देन करते समय किए जाने वाले प्रकटनों और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं तथा अनुपालन न करने के परिणामों का निर्धारण किया गया है।

उक्त संहिता की अपेक्षा के अनुरुप, जब कभी भी कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना निदेशक मंडल के समक्ष उनके विचारार्थ और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाती है तो ट्रेडिंग विंडो समय समय पर बंद की जा रही है; और इस प्रकार ट्रेडिंग विन्डो को बंद करने की सूचना पदनामित कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों को बहुत पहले अग्रिम तौर पर जारी कर दी जाती है। इसके अलावा, कंपनी तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां कंपनियों के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट पर उचित घोषणाएं भी की जाती हैं जिससे कि उन्हें और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को इस विंडो को बंद किए जाने पर कंपनी की प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री से रोका जा सके।

14. जालसाजी को रोकने के लिए नीति

जालसाजी का पता लगाने और उसे रोकने, किसी पता लगाई गई संदिग्ध जालसाजी की सूचना देने और जालसाजी संबंधी मामलों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए एक प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु आरईसी में जालसाजी की रोकथाम के लिए एक नीति तैयार की गई है। इस नीति में निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गया है:

i. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन जालसाजी का पता लगाने और इसकी रोकथाम करने के लिए कार्यविधि सुनिश्चित करने तथा जालसाजी हो जाने पर उसका पता लगाने की अपनी जिम्मेदारी से अवगत है।

ii. कर्मचारियों और आरईसी के साथ संबंध रखने वाले अन्य लोगों को स्पष्ट निर्देश देना, जिसमें उन्हें किसी जालसाजी में शामिल होने से मना किया गया हो तथा जहां जालसाजी की कार्रवाई का संदेह हो, वहां उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख किया गया हो।

iii. कोई भी धोखाधडी का पता चलने अथवा संदेह होने पर इसकी रिपोर्टिंग के लिए नोडल अधिकारी के विवरण और समय–सीमा उपलब्ध कराना।

iv. जालसाजी के मामलों की छानबीन करना।

v. यह आश्वासन देना कि जालसाजी के किसी या सभी संदिग्ध क्रियाकलाप की पूरी जांच की जाएगी।

उपर्युक्त नीति आरईसी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Revised-Fraud-prevention-policy-of-REC-13082020.pdf पर उपलब्ध है।

15. व्हीसल ब्लोअर नीति

कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों साथ पठित नियमों, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन के संबंध में दिशा–निर्देशों के अनुसार एक व्हीसल ब्लोअर नीति कार्य कर रही है। व्हीसल ब्लोअर नीति आरईसी के निदेशकों/कर्मचारियों और/अथवा इसकी सहायक कंपनियों को किसी कथित कुप्रथा अथवा गलत चलन, जिसका कंपनी के व्यापार एवं प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में सक्षम बनाती है। इस नीति के अंतर्गत यथाविहित ढ़ेग से सक्षम प्राधिकारी को शिकायत की जा सकती है। उपर्युक्त के अलावा, आरईसी ने दिनांक 17 मई, 2004 के कार्यालय आदेश के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी व्हीसल ब्लोअर नीति (पीआईडीपीआई संकल्प) को भी अपनाया है; और उसे कंपनी की "सतर्कता हैंडबुक" में शामिल भी किया गया है। व्हीसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट: https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf पर भी उपलब्ध है।

कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की इस आशय की घोषणा कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान व्हीसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच बनाने के लिए मना नहीं किया गया है और शिकायतकर्ता को आवश्यकता होने पर समुचित सुरक्षा प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है:

कंपनी की व्हीसल ब्लोअर नीति के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वार्षिक स्वीकारोक्ति

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी से मिलने के लिए मना नहीं किया गया है तथा जहां अपेक्षित होता है, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है।

ह./–
संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
(डीआईएनः 03464342)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22 जुलाई, 2020

16. लेखापरीक्षकों को भुगतान की गई कुल फीस

आरईसी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा सभी सेवाओं के लिए आरईसी के सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क एंटिटी में सभी निकायों, सांविधिक लेखापरीक्षक जिसका एक अंग है, को समेकित आधार पर भुगतान की गई फीस के विवरण नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ब्यौरे	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
क	सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान की गई फीस		
(i)	लेखापरीक्षक के रूप में	0.44	0.44
(ii)	कराधान मामलों के लिए*	0.11	0.28
(iii)	कंपनी के विधिक मामलों के लिए (सीमित समीक्षा फीस शामिल है)	0.35	0.45
(iv)	अन्य सेवाओं के लिए		
	(क) एमटीएन ऑफर दस्तावेज/कम्फर्ट लेटर का प्रमाणन	0.40	0.20
	(ख) अन्य प्रमाणन	0.04	0.08
(v)	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.04	0.03
	उप–जोड़	**1.38**	**1.48**
ख	लेखापरीक्षकों को भुगतान की गई फीस के संबंध में गैर–वसूली योग्य कर जमा	0.14	0.10
	जोड़	**1.52**	**1.58**

**वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कर लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में ₹ 0.09 करोड़ की राशि इन आकड़ों में शामिल हैं।*

17. संचार के साधन

i. कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों के अधिकारों तथा पत्र–व्यवहार को कंपनी के समग्र निगमित सुशासन कार्य ढांचे के प्रमुख तत्वों के रूप में मानती है और इसीलिए शेयरधारकों तथा अन्य पणधारकों के साथ निरंतर, दक्ष एवं संगत पत्राचार पर जोर देती है।

ii. विश्लेषकों के साथ बातचीत करने के लिए तथा समय पर सूचना उपलब्ध कराने एवं विश्लेषक की बैठक आयोजित करने के लिए कंपनी में एक समर्पित निवेशक संबंध सेल की स्थापना की गई है ताकि निवेशक कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में अवगत हो सकें और एक उपयुक्त फीडबैक प्रणाली विकसित की जा सके जो प्रबंधन और निवेशकों के बीच सूचना के प्रवाह और संचार को प्रभावी बना सके।

iii. कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्टों, आम सभाओं और अपनी वेबसाइट पर प्रकटन तथा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रकटन के द्वारा संवाद बनाए रखती है। कंपनी विश्लेषक की बैठक/अलग–अलग चर्चाओं के माध्यम से अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ तथा समय–समय पर निवेशक सम्मेलन में भाग लेकर भी संवाद बनाए रखती है। निवेशक एवं विश्लेषकों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है जहां कंपनी का निदेशक मण्डल निवेश करने वाले निवेशक समुदाय से बातचीत करता है। इसके अलावा, मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रेस बैठक का भी आयोजन समय–समय पर किया जाता है। वित्तीय परिणामों पर चर्चा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद नियमित रूप से सम्मेलन कॉल के माध्यम से की जाती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना का उल्लेख प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट में भी किया जाता है जिसे सदस्यों को प्रचालित की जाता है और कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है।

iv. कंपनी के संबंध में शेयरधारकों से संबंधित सूचना, घोषणाएं और नवीनतम जानकारी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in से प्राप्त की जा सकती है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
- स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष समय–समय पर किया गया निगमित प्रकटन
- तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम
- निगमित सुशासन रिपोर्ट
- तिमाही शेयरहोल्डिंग पैटर्न
- विश्लेषकों के साथ कान्फ्रेंस कॉलों/बैठकों के ट्रांसक्रिप्ट्स
- संस्थागत निवेशकों तथा विश्लेषकों को दिए गए कार्यालयी समाचार (रिलीज), प्रस्तुतीकरण।

v. कंपनी के तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के सारांश स्टॉक एक्सचेंज को भेज दिए जाते हैं और दें इकनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी और हिंदी), मिंट (अंग्रेजी), दैनिक जागरण (हिन्दी), हिंदुस्तान (हिंदी), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी और हिन्दी), हिन्दू बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) आदि जैसे राष्ट्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। ये परिणाम और सभी अन्य घोषणाएं कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

vi. कंपनी समय–समय पर प्रेस रिलीज और निगमित प्रस्तुतीकरण भी करती है और इन्हें आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी अपलोड किया जाता है।

vii. कंपनी की सोशल मीडिया पर भी सक्रिय उपस्थिति है।

18. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 17(8) के अनुसार, निदेशक मण्डल का वित्तीय रिपोर्टिंग एवं आंतरिक नियंत्रण के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (तकनीकी) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एक प्रमाण–पत्र दिनांक 17 जून, 2020 को आयोजित

निदेशक मंडल की 469वीं बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण भी रखे गए। उपर्युक्त प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध–ख** में संलग्न है।

19. सामान्य शेयरधारक की सूचना

i. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक आम बैठक

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निम्नलिखित दिन, तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी:

तारीख एवं दिन	समय
शुक्रवार, 25 सितंबर, 2020	11.00 बजे पूर्वा.

ii. वित्तीय वर्ष 2019–20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय कैलेंडर

ब्यौरे	वित्तीय वर्ष 2019–20		वित्तीय वर्ष 2020–21	
लेखांकन अवधि	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020		01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021	
वित्तीय परिणमों की घोषणा	पहली तिमाही	6 अगस्त, 2019	पहली तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर अथवा सांविधिक प्रावधानों के तहत यथाविहित घोषणा
	दूसरी तिमाही	5 नवंबर, 2019	दूसरी तिमाही	
	तीसरी तिमाही	4 फरवरी, 2020	तीसरी तिमाही	
	चौथी तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम	17 जून, 2020[(1)]	चौथी तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम	तिमाही की समाप्ति से 60 दिन के अंदर अथवा सांविधिक प्रावधानों के तहत यथाविहित घोषणा
वार्षिक आम बैठक	25 सितंबर, 2020		अगस्त/सितंबर 2021	

टिप्पणी: *(1) कोविड–19 महामारी को देखते हुए, सेबी ने अपने दिनांक 19 मार्च, 2020 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/38 के जरिए अन्य बातों के साथ साथ सूचीबद्ध कंपनियों को छूट दी थी कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणामों पर विचार करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक 30 जून, 2020 तक आयोजित हो सकती है।*

iii. लाभांश का भुगतान

क. लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 43क के अनुपालन में लाभांश वितरण नीति तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बाह्य और आंतरिक कारकों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनमें वे वित्तीय मापदंड भी शामिल हैं, जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और वे परिस्थितियां भी शामिल हैं, जिनमें कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश की अपेक्षा करनी होगी या नहीं करनी होगी।

यह नीति आरईसी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Dividend_Distribution_Policy.pdf पर भी उपलब्ध है।

ख. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लाभांश विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के साथ पठित कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 114 और समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी (लाभांश की घोषणा और भुगतान) नियमावली, 2014 के अनुसरण में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 11/– प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹ 10/– के अंकित मूल्य पर) के रूप में 24 फरवरी, 2020 को अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए किसी भी अंतिम लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

ग. पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लाभांश का विवरण

वित्तीय वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	प्रदत्त लाभांश की कुल रकम (₹ करोड़ में)	लाभांश की दर (%)	भुगतान की तारीख	
				अंतरिम लाभांश	अंतिम लाभांश
2014–15	987.46	1,056.58	107.00	27 फरवरी, 2015	07 अक्तूबर, 2015
2015–16	987.46	1688.55.	171.00	25 फरवरी, 2016	04 अक्तूबर, 2016
2016–17	1,974.92	1905.79	*96.50	6 मार्च, 2017	9 अक्तूबर, 2017
2017–18	1,974.92	1,807.05	91.50	27 फरवरी, 2018	15 अक्तूबर, 2018
2018–19	1,974.92	2,172.41	110.00	19 मार्च, 2019	–

**वित्तीय वर्ष 2016–17 के बाद से लाभांश का प्रतिशत कंपनी द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के कारण समायोजन के बाद है।*

घ. निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में अंतरित अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश एवं इक्विटी शेयर

निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित लाभांश की राशियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के अनुसरण में लाभांश की रकम और शेयर अनुप्रयोग राशि, जो सात वर्ष की अवधि से अप्रदत्त/अदावाकृत रह गई है, को केंद्र सरकार की निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आईईपीएफ में स्थानांतरण के कारण निम्नलिखित राशि बन गई, 7 साल की अवधि के लिए अवैतनिक/लावारिस रहने के बाद; और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जमा किए गए थे:

वित्तीय वर्ष	अंतरिम/अंतिम लाभांश	राशि (₹)	अंतरण की तारीख
2011–12	अंतिम लाभांश	17,11,492	22 नवम्बर, 2019
2012–13	अंतरिम लाभांश	37,01,393	3 अप्रैल, 2020
	कुल	**54,12,885**	

आईईपीएफ में हस्तांतरित ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित मूलधन/ब्याज

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, मूलधन के मद में ₹ 1,25,49,461/– की राशि और उस पर ब्याज के मद में ₹ 21,57,160/– को आईईपीएफ में अंतरित किया गया है, जिसे कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में अंतरित किया गया है।

आईईपीएफ में अंतरित इक्विटी शेयर

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और रिफंड) नियमावली, 2016 {आईईपीएफ नियम} के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार सभी शेयरों, जिनके संबंध में लाभांश का दावा लगातार सात वर्षों से नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाता में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने प्रत्येक ₹ 10/– के 9528 इक्विटी शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को दिसंबर 2019 में सथानांतरित किए हैं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाता में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या 1,06,567 थी। इसके बाद, सांविधिक प्रावधानों के अनुसार अप्रैल 2020 में भी प्रत्येक ₹ 10/– के 2,839 इक्विटी शेयर पुनः आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित किए गए।

उपरोक्त लाभांश और/या शेयरों पर दावा करने वाले सदस्य आईईपीएफ प्राधिकरण की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र संख्या आईईपीएफ–5 में एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके और फॉर्म नंबर आईईपीएफ–5 में यथाउल्लिखित फॉर्म, चालान, क्षतिपूर्ति बॉन्ड और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों की भौतिक प्रति स्वयं सत्यापित कर एक ऐसे लिफाफे में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजकर दावा कर सकते हैं, जिस पर *"आईईपीएफ प्राधिकरण से रिफंड के लिए दावा"* लिखा होना चाहिए। सभी पहलुओं में पूर्ण किए गए दावा प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा और कंपनी की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के माध्यम से दावेदारों के आधार से जुड़े बैंक खाते में उनके पक्ष में धन की वापसी की जाएगी । ऐसे लाभांश/शेयरों के संबंध में कोई भी दावा कंपनी के खिलाफ नहीं होगा, जिन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को इस प्रकार हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

नोडल अधिकारी

आईईपीएफ नियमावली के नियम 7(2क) के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्ति कंपनी के नोडल अधिकारी हैं:–

नोडल अधिकारी	श्री जे. एस. अमिताभ, कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव
इक्विटी शेयरों के लिए उप नोडल अधिकारी	श्री एम. एल. कुमावत, वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त –सीएस)
डिबेंचर/बॉण्ड के लिए उप–नोडल अधिकारी	श्री जतिन कुमार नायक, वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त)

कंपनी समय–समय पर अखबारों में नोटिस जारी कर रही है ताकि शेयरधारकों का ध्यान इस और आकृष्ट किया जा सके और भुगतान न किए गए/अदावाकृत लाभांश के लिए उनकी ओर से अपना दावा प्रस्तुत किया जा सके। सभी शेयरधारकों को यह फिर से सलाह दी है कि वे लाभांश से संबंधित अपने वारंटों तुरंत नकदीकरण करवा लें या पुराने वारंटों के पुनर्वैधीकरण या उनके बदले में डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए कंपनी के आर एंड टीए को लिखें।

कंपनी ने नाम, पता, आईईपीएफ को हस्तांतरित की जाने वाली राशि और आईईपीएफ को हस्तांतरित की जाने वाली राशि की तारीख जैसी सूचना के साथ कंपनी के शेयरधारकों/बॉन्डहोल्डर्स से संबंधित अदावाकृत/भुगतान न की गई राशि के विवरण अपनी www.recindia.nic.in पर अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा, राशि और शेयरों के निवेशक–वार विवरण, जिन्हें कंपनी द्वारा पहले ही आईईपीएफ को हस्तांतरित कर दिया गया है, भी आरईसी की वेबसाइट यानी www.recindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

iv. खाताबही बंद होने की तारीख

51वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही शनिवार, 19 सितंबर, 2020 से शुक्रवार, 25 सितंबर, 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

v. इक्विटी शेयरों का सूचीकरण

आरईसी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम और पता	टेलीफोन/फैक्स/ईमेल आईडी/वेबसाइट	स्क्रिप कोड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, सी–1, ब्लॉक जी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई – 400 051	टेलीफोन: +91–22– 2659 8100 – 8114 फैक्स: +91– 22 – 2659 8120 ई–मेल आईडी: cmlist@nse.co.in वेबसाइट: www.nseindia.com	RECLTD
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट मुंबई – 400 001	टेलीफोन: +91–22– 2272 1233/4 फैक्स: +91–22– 2272 1919 ई–मेल आईडी: corp.relations@bseindia.com वेबसाइट: www.bseindia.com	532955

इसके अलावा, कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों को भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है । इसके विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में दिए गए हैं।

vi. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)

आरईसी के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन INE020B01018 है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा जारी की गई विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों के आईएसआईएन का विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में दिया गया है।

vii. पंजीयक और अंतरण एजेंट (आर एंड टीए)

इक्विटी शेयरों और सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के लिए

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड),
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 और 32, गाचीबॉवली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500,032
फोन: +91–40–6716 2222 ईमेल: balaji.reddy@kfintech.com,
raju.sv@kfintech.com, einward.ris@kfintech.com (इक्विटी शेयरों के लिए), फोन: +91–40–67161659
ई– मेल: gopalakrishna.kvs@kfintech.com (सूचीबद्ध बॉण्ड के लिए)
फैक्स: +91–40–2300 1153 वेबसाइट/ www.kfintech.com

सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के लिए

बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड
बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे,
दादा हरसुखदास मंदिर के सामने, नई दिल्ली–110062
फोन: +91–11–29961281–83 फैक्स: +91–11–2996 1284
ईमेल: recbonds1@gmail.com, beetalrta@gmail.com
वेबसाइट: www.beetalfinancial.com

viii. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बाजार मूल्य डेटा

एनएसई निफ्टी की तुलना में आरईसी के शेयरों का मासिक प्रदर्शन

माह	एनएसई में आरईसी के शेयर का मासिक प्रदर्शन			निफ्टी का संचलन		
	उच्च (₹)	कम (₹)	माह की समाप्ति (₹)	उच्च	कम	माह की समाप्ति
अप्रैल 2019	155.90	143.30	147.55	11856.15	11549.1 0	11748.15
मई 2019	150.00	132.60	144.55	12041.15	11108.3 0	11922.80
जून 2019	167.80	143.85	164.80	12103.05	11625.1 0	11788.85
जुलाई 2019	169.55	134.05	140.25	11981.75	10999.4 0	11118 .00
अगस्त 2019	149.70	128.70	144.25	11181.45	10637.15	11023.25
सितम्बर 2019	152.00	121.90	123.15	11694.85	10670.25	11474.45
अक्टूबर 2019	140.50	119.45	139.80	11945 .00	11090.15	11877.45
नवंबर 2019	146.70	133.10	137.90	12158.8 0	11802.65	12056.05
दिसंबर 2019	144.70	127.85	143.10	12293.90	11832.3 0	12168.45
जनवरी 2020	149.30	129.70	143.70	12430.5 0	11929.6 0	11962.1 0
फरवरी 2020	156.50	116.70	117.80	12246.7 0	11175.05	11201.75
मार्च 2020	124.60	78.75	88.75	11433 .00	7511.1 0	8597.75

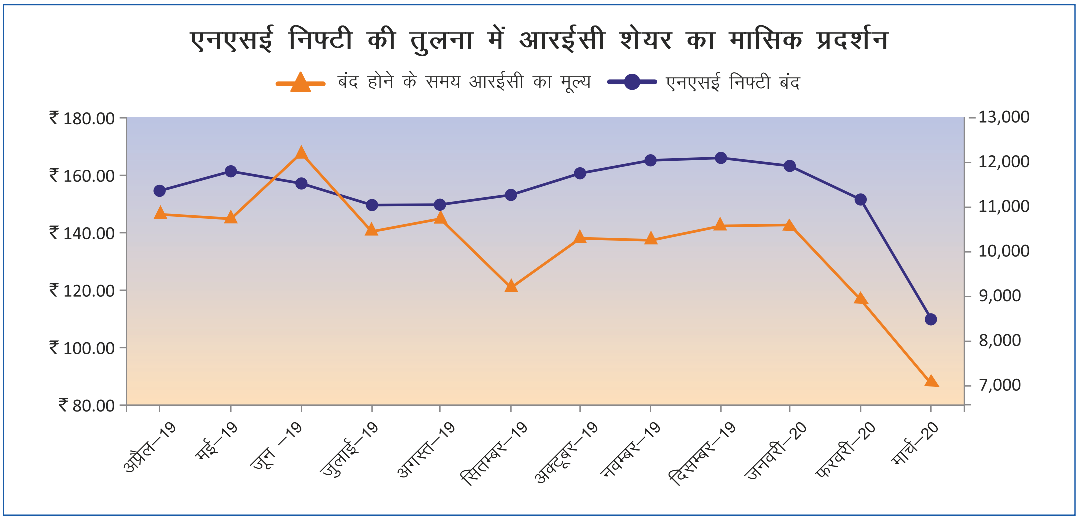

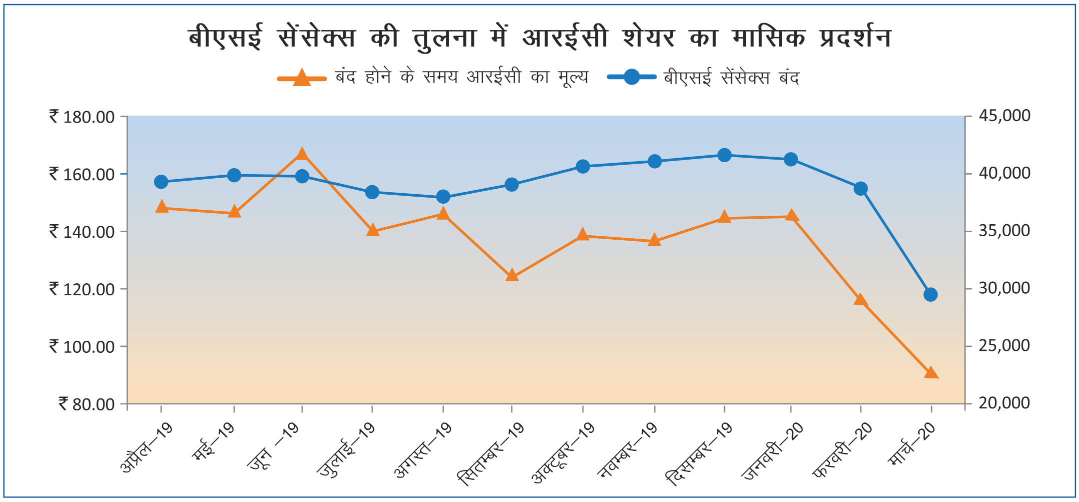

बीएसई सेंसेक्स के संचलन की तुलना में आरईसी के शेयर का मासिक प्रदर्शन

माह	बीएसई में आरईसी शेयर का मासिक प्रदर्शन			बीएसई सेंसेक्स का संचलन		
	उच्च (₹)	कम (₹)	माह की समाप्ति (₹)	उच्च	कम	माह की समाप्ति
अप्रैल 2019	155.90	143.50	147.55	39,487.45	38,460.25	39,031.55
मई 2019	149.70	132.75	144.45	40,124.96	36,956.10	39,714.20
जून 2019	167.75	143.90	164.70	40,312.07	38,870.96	39,394.64
जुलाई 2019	169.55	134.30	140.20	40,032.41	37,128.26	37,481.12
अगस्त 2019	149.65	128.75	144.20	37,807.55	36,102.35	37,332.79
सितंबर 2019	152.50	122.00	123.10	39,441.12	35,987.80	38,667.33
अक्टूबर 2019	140.40	119.10	139.80	40,392.22	37,415.83	40,129.05
नवंबर 2019	146.70	133.20	137.85	41,163.79	40,014.23	40,793.81
दिसंबर 2019	144.70	127.90	143.25	41,809.96	40,135.37	41,253.74
जून 2020	149.10	129.60	143.70	42,273.87	40,476.55	40,723.49
फरवरी 2020	157.25	116.75	118.00	41,709.30	38,219.97	38,297.29
मार्च 2020	124.55	79.00	88.75	39,083.17	25,638.90	29,468.49

ix. शेयर अंतरण प्रणाली

सेबी ने 3 दिसंबर, 2018 को अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह निर्धारित किया है कि 1 अप्रैल, 2019 से प्रतिभूतियों के अंतरण (ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के मामलों को छोड़कर) को लागू करने के अनुरोधों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रतिभूतियों को किसी डिपॉजिटरी में डिमैटेरियालाइज्ड फॉर्म में जमा नहीं किया जाता है। तदनुसार, सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरहोल्डिंग को भौतिक रूप से डीमैट रूप में जल्द से जल्द परिवर्तित करें, किसी भी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ या तो मौजूदा डीमैट खाते में अथवा नया डीमैट खाता खोलकर उसे परिवर्तित किया जाए।

प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयर तक भौतिक खंड के तहत ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन, विभाजन और समेकन के अनुरोधों पर कंपनी की और से इसके आर एंड टीए, केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के मामले में भौतिक सेगमेंट के तहत ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन, स्प्लिटिंग और कंसॉलिडेशन और डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमसवली के विनियम 40(9) और (10) के अनुपालन में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाणपत्र कि कंपनी द्वारा शेयर अंतरण संबंधी औपचारिकताओं का अनुपालन किया गया है, की पुष्टि करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर छमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, यह भी पुष्टि की जाती है कि शेयरों का सभी अंतरण निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया गया।

x. शेयरधारिता का प्रतिरूप/शेयरधारिता का वितरण

(क) स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता का प्रतिरूप

वर्ग	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार		मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	
	इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी शेयरों का %	इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी शेयरों का %
प्रमोटर और प्रमोटर समूह	1,03,94,95,247	52.63	1,03,94,95,247	52.63
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेशक	53,30,40,782	26.99	49,95,96,483	25.30
म्यूचुअल फंड्स	17,42,48,844	8.82	20,43,49,699	10.35
निवासी व्यक्ति	11,15,58,942	5.65	11,63,30,510	5.89
बीमा कंपनियां	5,86,90,900	2.97	6,17,62,206	3.13
निगमित निकाय	1,88,95,069	0.96	1,91,21,836	0.97
समाशोधन सदस्य	29,38,620	0.15	83,35,517	0.42
बैंक	43,01,384	0.22	63,12,568	0.32
एचयूएफ	60,19,507	0.30	58,81,424	0.30
न्यास	27,26,714	0.14	54,84,817	0.28
अनिवासी भारतीय	31,28,400	0.16	37,93,231	0.19
भारतीय वित्तीय संस्थान /क्यूआईबी	1,62,00,637	0.82	19,68,545	0.10
अनिवासी भारतीय– जो वापस नहीं आने वाले हैं	14,91,158	0.08	13,84,708	0.07
कर्मचारी	9,02,884	0.05	8,46,622	0.04
अन्य – (आईईपीएफ और एआईएफ)	12,76,567	0.06	2,39,794	0.01
एनबीएफसी	2,345	नगण्य	14,793	नगण्य
कुल	**1,97,49,18,000**	**100%**	**1,97,49,18,000**	**100%**

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार आरईसी की शेयरधारिता का प्रतिरूप

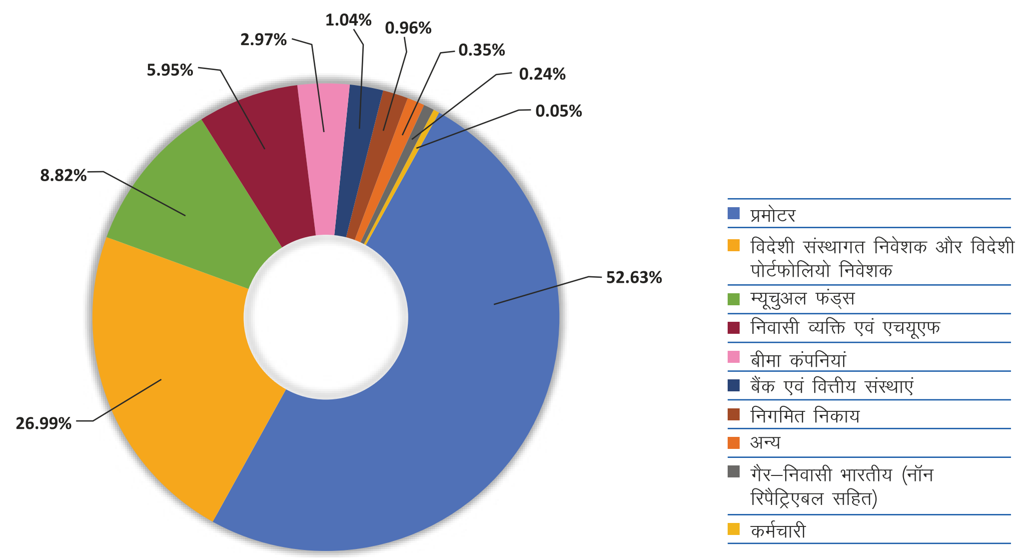

(ख) 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डर्स की संख्या	शेयरधारकों का %	कुल शेयर	शेयरों का %
1–5000	283,861	88.15	39,859,182	2.02
5001 –10000	20,081	6.24	15,840,545	0.80
10,001–20,000	9646	2.99	14,337,745	0.73
20,001–30,000	2827	0.88	7,231,601	0.37
30,001–40,000	1,294	0.40	4,655,447	0.23
40,001–50,000	920	0.29	4,315,137	0.22
50001–100000	1,618	0.50	1,16,16,422	0.59
100001 और उससे अधिक	1,784	0.55	1,877,061,921	95.04
कुल	**3,22,031**	**100.00**	**1,97,49,18,000**	**100.00**

xi. शेयर डीमैटरियलाइजेशन और तरलता

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैटरियलाइज्ड खंड में हैं और दोनों नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के सिस्टम के तहत ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। निक्षेपागारों (डिपोजीटरी) के पत्राचार विवरण निम्नानुसार हैं:

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड	सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
ट्रेड वर्ल्ड, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल मुंबई 400013 दूरभाष: +91–22–2499 4200 टोल फ्री नंबर: 1800 222 990 ई–मेल आईडी: relations@nsdl.co.in, info@nsdl.co.in वेबसाइट: www.nsdl.co.in	मैराथन फ्यूचरेक्स, ए– विंग, 25वीं मंजिल एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल मुंबई 400013 दूरभाष: +91 – 22 – 2305 8640 / 8624 / 8639 / 8642 / 8663 टोल फ्री नंबर: 1800 22 5533 ईमेल आईडी: helpdesk@cdslindia.com, complaints@cdslindia.com वेबसाइट: www.cdslindia.com

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार डीमैटेरियालाइज्ड और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

वर्ग	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	कुल जारी किए शेयरों का%
भौतिक	13,458	35,749	नगण्य
एनएसडीएल (डीमैट)	1,89,365	1,92,79,45,866	97.62
सीडीएसएल (डीमैट)	1,19,208	4,69,36,385	2.38
कुल	**3,22,031**	**1,97,49,18,000**	**100.00**

xii. शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट का पुनर्मिलान

वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्रत्येक तिमाही के लिए मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, सिकंदराबाद ने एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ कंपनी की कुल स्वीकृत, जारी और सूचीबद्ध शेयर पूंजी का पुनर्मिलान करने के लिए लेखापरीक्षा करने के बाद *शेयर पूंजी का पुनर्मिलान लेखापरीक्षा रिपोर्ट* जारी की है, जिसे कंपनी द्वारा निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्टों से बात कि पुष्टि हुई है कि कुल जारी / प्रदत्त शेयर पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ रखे गए डीमैटेरियालाइज्ड शेयरों की कुल संख्या से मेल खाते हैं अर्थात बराबर हैं।

xii. डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाते के विवरण

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों का एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) लाया, जिसमें कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक रु10/– के नए 780,60,000 इक्विटी शेयर और भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा इतनी ही संख्या में इक्विटी शेयरों की बिक्री शामिल थी। इसके अलावा, कंपनी ने फरवरी, 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों के फॉलो–ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) लाए, जिसमें कंपनी द्वारा जारी किए गए नए 12,87,99,000 इक्विटी शेयर और भारत के राष्ट्रपति द्वारा 42933,000 इक्विटी शेयर की बिक्री के लिए प्रस्ताव शामिल था ।

सेबी (एनओडीआर) विनियमावली के विनियमन 34(3) और अनुसूची V के भाग 'च' की आवश्यकता के अनुसार 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार आईपीओ के संबंध में डी–मैट उचंत खाते में कंपनी के इक्विटी शेयरों के विवरण निम्नानुसार थे (सभी मामले आईपीओ से संबंधित हैं, एफपीओ से संबंधित अदावाकृत शेयरों के कोई मामले नहीं हैं):

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक	
		मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
1	1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार उचंत खाते में शेयरधारकों और बकाया अदावाकृत शेयरों की एकीकृत संख्या।	36	5478
2	वित्तीय वर्ष के दौरान उचंत खाते से अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या।	शून्य	शून्य
3	उन शेयरधारकों की संख्या जिनको वित्तीय वर्ष के दौरान अदावाकृत शेयर उचंत खाते से अंतरित किए गए।	शून्य	शून्य
4	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार उचंत खाते में शेयरधारकों की एकीकृत संख्या और बकाया अदावाकृत शेयर।	36	5478

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार उचंत खाते में बकाया शेयरों पर मतदान का अधिकार तब तक स्थिर बने रहेंगे, जब तक कि ऐसे शेयरों के सही मालिक द्वारा उनका दावा नहीं किया जाता है।

xiv. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव।

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किए गए हैं।

xv. स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण फीस

कंपनी ने अपनी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक सूचीकरण फीस का भुगतान किया है।

xvi. डिपॉजिटरी को वार्षिक कस्टोडियल फीस

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को वार्षिक कस्टोलियल फीस का भुगतान किया है।

xvii. प्लांट स्थल

कंपनी एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है और इसका कोई प्लांट स्थल नहीं है । हालांकि, नई दिल्ली में पंजीकृत और कॉर्पोरेट

कार्यालय के अलावा, कंपनी के देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय/राज्य कार्यालय/उप–कार्यालय और हैदराबाद में एक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) है, जिसके पते इस वार्षिक रिपोर्ट के अंत में दिए गए हैं।

xviii. कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

कंपनी का सीआईएन L40101DL1969GOI005095 है।

xix. पत्राचार के लिए पता

आरईसी लिमिटेड *(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)*
कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, भारत
दूरभाषः +91–11– 43091500/1501 , फैक्सः +91–11–2436 0644
ईमेलः contactus@recl.in

xx. कारपोरेट वेबसाइट

कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.recindia.nic.in है।

xxi. अनुपालन अधिकारी और सार्वजनिक प्रवक्ता

श्री जे. एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव
आरईसी लिमिटेड *(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)*
कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003, भारत
दूरभाषः +91 –11–2436 7305, फैक्सः +91–11–2436 2039
ई–मेलः complianceofficer@recl.in, jsamitabh@recl.in

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएनः 03464342

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अगस्त , 2020

अनुबंध—क

निदेशकों को अयोग्य न ठहराने का प्रमाण—पत्र

[सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची—V के पैरा —ग के खंड (10) (i) और विनियम 34(3) के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्य,
आरईसी लिमिटेड,
कोर—4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड,
नई दिल्ली—110003

हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षित की जा रही संगत पंजियों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणी और आरईसी लिमिटेड *(पूर्व में रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)* जिसका सीआईएनः L40101DL1969GOI005095 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर—4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003 (जिसे आगे 'कंपनी' कहा गया है) है के निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरणों, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची—V के पैरा—ग खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाण—पत्र को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है, की जांच की है।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा सत्यापनों www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित, के अनुसार जिसे आवश्यक माना गया है और कंपनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में, हम एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, को 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा इस प्रकार के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारण द्वारा कंपनी के निदेशकों के रुप में नियुक्त किए जाने अथवा उनके जारी रहने से वंचित नहीं किया गया है अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया हैः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्त होने की तिथि
1.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	02231613	01 अगस्त, 2012
2.	श्री संजीव कुमार गुप्ता	03464342	16 अक्टूबर, 2015
3.	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	03426753	02 सितंबर, 2019
3.	श्री प्रवीण कुमार सिंह	03548218	18 जून, 2019

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपने सत्यापन पर आधारित उसके संबंध में मत प्रकट करना है। यह प्रमाण—पत्र कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो आश्वासन है और न ही उस कार्यक्षमता अथवा प्रभाविता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)
सदस्यता संख्याः एफ6033
सीपी सं.: 6370
यूडीआईएनः F006033B000330148

दिनांक : 09 जून, 2020
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक–ख

प्रमाण–पत्र

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के तहत

16 जून, 2020

यह प्रमाणित किया जाता है किः

क. हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसारः

i. इन विवरणों में ऐसा कोई मिथ्या विवरण निहित नहीं है अथवा किसी वास्तविक कारक को छोड़ा नहीं गया है अथवा ऐसा कोई विवरण निहित नहीं है, जो कि भ्रामक हो;

ii. ये विवरण कंपनी के कार्यों का एक सच्चा और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों की अनुपालना करते हैं।

ख. हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण हो, गैर–कानूनी हो अथवा कंपनी की आचरण संहिता का उल्लंघन करते हों।

ग. हम वित्तीय संसूचना के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना करने और उन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, और यह कि वित्तीय संसूचना के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के प्रकार अथवा प्रचालन में कमियों, यदि कोई हों, को प्रकट किया है, जिनके बारे में हम जानते हैं और हमने इन कमियों को ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों अथवा प्रस्तावित कदमों को भी प्रकट किया है।

घ. हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को इस बात का उल्लेख किया हैः

i. वर्ष के दौरान वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और यह कि उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया है; और

iii. ऐसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, जिनकी हमें जानकारी है और प्रबंधन की उसमें भागीदारी, यदि कोई हो, अथवा किसी ऐसे कर्मचारी जिसकी कंपनी की वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है, उसकी जानकारी है।

ह./–	ह./–
(अजय चौधरी)	(संजीव कुमार गुप्ता)
निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06629871	सह निदेशक (तकनीकी)
	डीआईएनः 03464342

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक–III

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

खंड क: कंपनी से संबंधित सामान्य सूचना

1.	कंपनी का कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L40101DL1969GOI005095
2.	कंपनी का नाम	आरईसी लिमिटेड *(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)*
3.	पंजीकृत पता	कोर–4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, भारत
4.	वेबसाइट	www.recindia.nic.in
5.	ईमेल आईडी	complianceofficer@recl.in
6.	रिपोर्टिंग का वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2019–20
7.	कंपनी के कार्य क्षेत्र (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड–वार)	आरईसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी है। कंपनी के कारोबार क्रियाकलाप समूह 649; श्रेणीः 6492; उप श्रेणीः 64920 के अंतर्गत आते हैं। *(अन्य वित्तीय सेवा क्रियाकलाप–अन्य केडिट ग्रांटिंग)* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी)
8.	कंपनी के निर्माण/दी जा रही सेवा के प्रमुख उत्पाद/सेवाओं की सूची (तुलन पत्र के अनुसार)	आरईसी सार्वजनिक और निजी, दोनों, क्षेत्रों में बिजली उत्पति की परियोजनाओं के वित्तपोषण/योजनाओं (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों), पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण और बिजली परियोजनाओं से फारवर्ड/बैकवर्ड लिंकेज के कार्य करती है। इसके प्रमुख उत्पादों में सम्पूर्ण ऊर्जा की सेक्टर वैल्यू चेन के लिए दीर्घावधि ऋण, मध्यावधि ऋण, अल्पावधि ऋण इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा, आरईसी डीडीयूजीजेवाई *(दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)*, सौभाग्य *(प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर बिजली योजना)* एवं एनईएफ *(राष्ट्रीय विद्युत निधि)* तथा अन्य अनेक जैसी भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, की राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी अथवा परियोजना प्रबंधन/कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है।
9.	स्थलों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा अपने कारोबार क्रियाकलाप किए जाते हैं: (क) अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की संख्या (क) राष्ट्रीय स्थलों की संख्या	आरईसी का पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा आरईसी के भारत में 23 क्षेत्रीय कार्यालय/राज्य कार्यालय/उप कार्यालय बंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नै, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद {क्षेत्रीय कार्यालय एवं आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) के नाम से प्रशिक्षण संस्थान}, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरूवनंतपुरम, वडोदरा, वाराणसी एवं विजयवाड़ा में हैं। कंपनी का वर्तमान में कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय नहीं है।
10.	कंपनी किस बाजार में कार्य कर ही है–स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	कंपनी भारतीय बाजारों में अपनी सेवाएं दे रही है तथा इसके कारोबार सम्पूर्ण भारत में विस्तारित हैं। संसाधन एकत्रण के उद्देश्य से कंपनी घरेलू बाजारों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अवसरों की तलाश करती है।

1.	**खंड ख : कंपनी का वित्तीय विवरण (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार)**	
1.	प्रदत्त पूंजी	₹ 1974.92 करोड़
2.	कुल टर्नओवर	₹ 29,854.98 करोड़
3.	करों के पश्चात कुल लाभ	₹ 4,886.16 करोड़
4.	कर पश्चात लाभ का कितना : व्यय कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर किया गया:	वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए, आरईसी ने ₹ 156.68 करोड़ का (पिछले तीन निकटतम वर्षों के दौरान कंपनी के निवल लाभ पर 2%/से आकलित) कारपोरेट सामाजिक दायित्व बजट आवंटित किया था। वित्तीय वर्ष 2019–20 में खर्च की जाने वाली कुल राशि ₹ 399.85 करोड़ (अर्थात वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 156.68 करोड़ का बजट और ₹ 243.17 करोड़ की राशि पिछले वर्षों से अग्रेणीत) आंकी गई थी। इसी के प्रति, आरईसी ने वित्त वर्ष 2019–20 में विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं (पिछले वर्षों की अग्रेणीत राशि सहित) के लिए ₹ 258.40 करोड़ की राशि का वितरण किया था। संवितरण की राशि पूर्व परिभाषित मानदंडों अथवा स्वीकृति की शर्तों के अनुसार प्रत्येक सीएसआर परियोजना के लिए देय से संबद्ध थी। संवितरण न की गई राशि (राशियों) को बाद के वर्ष (वर्षों) में संबंधित वर्ष के सीएसआर संवितरण के साथ वितरित किया जाएगा ।
5.	उन क्रियाकलापों की सूची जिन पर उपर्युक्त में 4 में व्यय किए गए हैं	जिन प्रमुख क्षेत्रों में उपर्युक्त व्यय किए गए हैं उनमें प्रधान मंत्री केयर निधि में अंशदान के अलावा स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता निर्मल पेय जल, शिक्षा, व्यावसायिक कौशल एवं जीविका उत्पति, वृद्धाश्रमों की स्थापना एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपेक्षित अन्य सुविधाएं, पर्यावरण संधारणीयता तथा ग्रामीण विकास परियोजनाएं हैं।

खंड ग: अन्य विवरण

1.	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं?	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी की निम्नलिखित सहायक कंपनियां हैं:– 1. आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसलएल) 2. आरईसी पारेषण प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) इसके अलावा, आरईसीटीपीसीएल "बोली प्रक्रिया समन्वयकर्ता" के रूप में ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर प्रदान की जाने वाली स्वतंत्र अंतर्राज्य एवं राज्यांतरिक पारेषण परियोजना की मूल्य आधारित प्रतिस्पधी बोली प्रक्रिया के माध्यम पारेषण सेवा प्रदात्ताओं के चयन की प्रक्रिया कर रही है। ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए आरईसीटीपीसीएल द्वारा परियोजना विशिष्ट विशेष पपर्ज व्हीकल (पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी) स्थापित की जाती है जो बाद में अपनी सभी परिसम्पतियों एवं देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित कर दी जाती है। ऐसी विशेष पपर्ज व्हीकल/पूर्ण स्वामित्व वाली आरईसीटीपीसीएल की निदेशक मंडल की रिपोर्ट में उपलब्ध विस्तृत सूची इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।
2.	क्या सहायक कंपनीध्कंपनियां मूल कंपनी के कारोबार उत्तरदायित्व (बीआर) प्रयासों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या इंगित करें।	आरईसी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो बिजली क्षेत्र मूल्य श्रृंखला के विभिन्न तत्वों के वित्तपोषण में कार्य कर रही है। यह अपने कारोबार उत्तरदायित्व के साथ करने के प्रति प्रतिबद्ध हैय तथा इसके कारोबारी दायित्वों के प्रयासों का विस्तृत विवरण आगे इस रिपोर्ट में दिया गया है। आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां भी मुख्य रूप से देश में बिजली की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार समय–समय पर कंपनी के कारोबार उत्तरदायित्व प्रयासों में भाग लेती हैं, जैसा कि नीचे संकेत दिया गया है, **1. आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल):** क. **स्मार्ट–मीटरिंग** – आरईसीपीडीसीएल द्वारा 33/11 केवी सब–स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है और प्रधान मंत्री विकास पैकेज के साथ सरकारी कार्यक्रमों के तहत जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ में उन्नत मीटरिंग अवसंरचना इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। ख. **गृह विद्युतीकरण कार्यों की मॉनीटरिंग** – आरईसीपीडीसीएल द्वारा भारत सरकार की सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100% घरेलू विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युती अभियंताओं की अखिल भारतीय तैनाती के माध्यम से निगरानी की जा रही है। ग. **पूर्वोत्तर में सौर विद्युतीकरण कार्य** – आरईसीपीडीसीएल द्वारा भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत ने अरुणाचल प्रदेश में 536 गांवों के विद्युतीकरण के लिए 300डब्ल्यूपी के 6,674 सोलर होम पावर पैक और 40 डब्ल्यूपी की 955 स्ट्रीट लाइटें स्थापित करने के कार्य किए हैं। आरईसीपीडीसीएल द्वारा सरकार की सौभाग्य योजना के अंतर्गत 300डब्ल्यूपी की क्षमता वाले सोलर होम लाइटिंग स्टैंडअलोन सिस्टम के माध्यम से त्रिपुरा में 3,601 ग्रामीण गृहों का विद्युतीकरण किया है। **2. आरईसी पारेषण प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईटीपीसीएल)** क. बिजली उपभोक्ताओं के लिए उर्जा मित्र ऐप्प – आरईटीपीसीएल द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के दिशानिर्देशन में सम्पूर्ण भारत में एसएमएस/ईमेल/पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को आउटेज सूचना के प्रसार के लिए ऊर्जा मित्र ऐप्प विकसित की गई है। यह अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक पहल है, जिसके तहत ग्रामीण/शहरी/मिश्रित फीडर उपभोक्ताओं के डेटा को जोड़ा गया है। 30 जून 2020 तक यह ऐप्प 20 करोड़ के उपभोक्ता आधार के साथ 52 डिस्कॉम में लाइव थी। ख. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की निगरानी – ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की सटीक स्थिति प्राप्त करना और "24x7 पावर फॉर ऑल" सुनिश्चित करने के लिए आरईटीपीसीएल द्वारा ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के विभिन्न मापदंडों जैसे कि रुकावट, आपूर्ति घंटे आदि की निगरानी के लिए 11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना के कार्यान्वयन नोडल एजेंसी के कार्य किए जा रहे है।
3.	क्या कोई अन्य एंटिटी/संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कि कंपनी के साथ कारोबार करते हैं वे कंपनी की कारोबार उत्तरदायित्व (बीआर) पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां, तो ऐसी एंटिटी/संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें ?	आरईसी के व्यावसायिक सहयोगियों को भी कंपनी की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आरईसी अपने ऋण प्राप्तकर्ताओं को पुराने थर्मल पावर प्लांटों के नवीकरण और आधुनिकीकरण, बिजली संयंत्रों के प्रतिस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के समग्र उद्देश्य और हानिकारक ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन को कम करने के लिए ऋण प्रदान करता है। आरईसी देश में अपने सभी कार्यालयों में 'ई–ऑफिस' का उपयोग करने वाला बिजली क्षेत्र में सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को कागज का कम उपयोग करने और कार्बन पदचिह्न को कम करने में योगदान का अवसर प्राप्त हुआ है। आरईसी के कर्मचारियों ने स्वेच्छा से कोविड–19 के निवारक उपायों में योगदान के रूप में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में एक दिन के वेतन का योगदान दिया है। इसके अलावा, आरईसी की संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में अग्रणी है। ईईसीएल सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं को लागू कर रही है, जैसे उजाला (विश्व का सबसे बड़ा गैर–अनुदान आधारित एलईडी प्रकाश कार्यक्रम), एसएलएनपी (स्मार्ट और ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीट लाइट के साथ मौजूदा स्ट्रीट लाइट को बदलने के लिए विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम), नेशनल ई–मोबिलिटी प्रोग्राम (मौजूदा पेट्रोल और डीजल वाहनों को बदलने के लिए सरकारी संस्थाओं को ई–वाहन प्रदान करना), अटल ज्योति योजना (बिजली की पर्याप्त कवरेज प्राप्त न कर रहे ग्रामीण, अर्ध–शहरी क्षेत्रों में सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना) और सुपर–कुशल एयरकंडीशनिंग कार्यक्रम (वहनीय मूल्य पर ग्राहकों को सुपर–कुशल एसी प्रदान करने के लिए), जिनसे पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुए हैं।

खंड घः कारोबार उत्तरदायित्व (बीआर) सूचना

1. कारोबार उत्तरदायित्व के उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरणः

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	नाम	श्री संजीव कुमार गुप्ता
2.	पदनाम	निदेशक (तकनीकी) तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
3.	डीआईएन	03464342
4.	टेलीफोन नम्बर	+91–11–2436 7479 / +91–11–4309 1522
5.	ईमेल आईडी	skgupta@recl.in

2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) कारोबार उत्तरदायित्व नीति/नीतियां

सेबी के दिनांक 4 नवम्बर, 2015 के परिपत्र के साथ पठनीय सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित, में 1000 सर्वोच्च सूचीबद्ध कंपनियों से नीचे दिए गए नौ सिद्धांतों के आधार पर, पर्यावरण, सामाजिक एवं गवर्नेंस के परिप्रेक्ष्य में, कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई हैः–

सिद्धांत 1	कारोबार का व्यवहार एवं संचलन नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ स्वयं किया जाना चाहिए। **[नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व]**
सिद्धांत 2	कारोबार के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि करवाई जानी चाहिए जो सुरक्षित हों तथा जिनसे उनके उपयोज्यता क्रम में संधारणीयता को योगदान प्राप्त होता हो। **[उत्पाद के उपयोज्यता क्रम में संधारणीयता]**
सिद्धांत 3	कारोबार में सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। **[कर्मचारी सुख सुविधा]**
सिद्धांत 4	कारोबार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक हितधारक, विशेषतः वे जो सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हैं, के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए। **[हितधारक संबद्धता]**
सिद्धांत 5	कारोबार के अंतर्गत मानवाधिकारों को सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। **[मानवाधिकार प्रोत्साहन]**
सिद्धांत 6	कारोबार के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुनः बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए। **[पर्यावरण संरक्षण]**
सिद्धांत 7	कारोबार के अंतर्गत जन सम्पर्क कार्य एवं विनियामक का निर्वाह उत्तरदायी स्वरूप में किया जाना चाहिए। **[उत्तरदायी लोक नीति का समर्थन]**
सिद्धांत 8	कारोबार के अंतर्गत समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास का समर्थन होना चाहिए। **[समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास]**
सिद्धांत 9	कारोबार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। **[ग्राहक मूल्य]**

2(क) अनुपालन का विवरण (उत्तर हां/नहीं में दें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास ———————— के लिए कोई नीति / नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या नीति का निर्माण संबद्ध हितधारकों के परामर्श से किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या नीति किन्हीं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो ब्यौरा दें?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या नीति निदेशक मंडल से अनुमोदित है? यदि हां तो क्या इस पर प्र.नि./स्वामी/मु.का.अधिकारी/सक्षम निदेशक मंडल के हस्ताक्षर हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी में निदेशक मंडल/निदेशक/नीति कार्यान्वयन की देखरेख करने वाले अधिकारी की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	कृपया नीति को आनलाइन देखने के लिए लिंक दें ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या नीति का औपचारिक सम्प्रेषण प्रत्येक संबद्ध आंतरिक एवं बाह्य हितधारक को किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी में आंतरिक संरचना स्थापित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
9.	क्या कंपनी में नीति/नीतियों के संबंधमें हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी द्वारा इस नीति की कार्यशैली के स्वतंत्र ऑडिट/मूल्यांकन के कार्य किसी आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी से करवाए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

टिप्पणी: संबद्ध स्पष्टीकरण/सूचना/लिंक्स इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में दिए गए हैं।

2(ख)	यदि किसी सिद्धांत के प्रति क्रम संख्या (क) का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया उसके कारण स्पष्ट करें	लागू नहीं
3.	कारोबार उत्तरदायित्व (बीआर) से संबंधित गवर्नेंस (गवर्नेंस):	
	निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति अथवा मु.का.अधि. द्वारा कंपनी के कारोबार उत्तरदायित्व निष्पादन के मूल्यांकन की आवृत्ति क्या है।	तिमाही एवं वार्षिक आधार पर
	क्या कंपनी कारोबार उत्तरदायित्व अथवा संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की आवृत्ति क्या है?	जी, हां। आरईसी द्वारा कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट का प्रकाशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 की रिपोर्ट देखने के लिए हाइपर लिंग https://www.recindia.nic.in/annual-report-2019-20 है।

खंड ङ : सिद्धांत–वार कार्य निष्पादन

सिद्धांत1 – नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व

1.	क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार को कंपनी की नीति में शामिल किया गया है? क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यम कंपनियों/ आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों के लिए किया गया है?	जी, हां, आरईसी की आचार नीति रिश्वतखोरी के विरूद्ध है तथा इसकी गवर्नेस रूपरेखा कंपनी और साथ ही सहायक कंपनियों एवं और व्यापारिक सहयोगी के लिए भी विस्तारित है। आरईसी में आचार नीति एवं गवर्नेंस की रूपरेखा अत्यंत सुदृढ़, परिभाषित है तथा इसका कार्यान्वयन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वित्त नीतियों, संहिताओं एवं नियमों के अंतर्गत किया जाता है, जैसे किः 1. जालसाजी की रोकथाम के लिए नीति, जिसमें जालसाजी, रिश्वत या भ्रष्टाचार के किसी भी कृत्य की रोकथाम, पता लगाने और रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व निर्धारित है। 2. निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्क तंत्रव्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक व्यवहार, जालसाजी या कंपनी की आचार संहिता या आचार नीति के उल्लंघन से संबंधित उनकी वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए स्थापित की गई है। ऐसे सतर्क तंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में, आरईसी तथा/अथवा उसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों और कर्मचारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के भीतर किसी भी अनुचित गतिविधि का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति भी है। 3. व्यापार आचरण और आचार संहिता, जिसमें निदेशक मंडल के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा पालन किए जाने वाले व्यवहारिक और नैतिक मानकों के प्रावधान है। 4. निष्पक्ष व्यवहार संहिता, जो कंपनी द्वारा अपने ऋण परिचालन में उचित और पारदर्शी व्यवहारों का पालन भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अंतर्गत किए गए निर्धारण के अनुसार किए जाने से संबंधित है। 5. आरईसी प्रापण दिशानिर्देश, जिनमें निष्पक्ष और पारदर्शी पद्धति से और साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं निर्धारित हैं । 6. संबद्ध पक्षकार से संव्यवहार और संबंधित पक्ष के लेन–देन की भौतिकता की नीति, जिसमें संबद्ध पक्षकार लेनदेन से पूर्व की जाने वाली पर्याप्त प्रक्रियाओं और प्रकटीकरण के निर्धारण है। 7. आरईसी आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियमावली, जिसमें सभी कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता परिभाषित है; और जिसके अनुसार रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि के कृत्य कदाचार के कृत्य माने गए हैं। 8. आचार संहिता का विनियमन एवं निगरानी तथा निर्दिष्ट व्यक्तियों एवं उनके निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग किए जाने की रिपोर्टिंग एवं तथा सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग संहिता के अनुपालन के लिए उचित प्रकटीकरण। यह न केवल कंपनी के निदेशकों, नामित कर्मचारियों और उनके संबंधियों के संबंध में लागू है, अपितु यह कंपनी के साथ काम करने वाले निदेशकों, निर्दिष्ट कर्मचारियों और होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनियों, मध्यस्थों और कंपनी के साथ संव्यवहार करने वाले वैश्वासिकों के संबंध में भी लागू होता है। उपरोक्त नीतियां, कोड, नियमावली आदि, जहां लागू है, का अनुसरण आरईसी की सहायक कंपनियों द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाता है कि आरईसी से संव्यवहार करने वाले अन्य हितधारक भी नैतिकता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों का अनुपालन करें। गवर्नेंस और नैतिकता के प्रति कंपनी की सुदृढ़ प्रतिबद्धता को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मान्यता प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी को सम्मानित किया गया था, इंडियन चौंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए **'पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड, 2018'** नवरत्न और महारत्न श्रेणी में उपविजेता के रूप में प्रदान किया गया था। इसके अलावा, आरईसी को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की श्रेणी में अपने वित्तीय विवरणों एवं वार्षिक रिपोर्ट में इंड एएस (भारतीय लेखांकन मानक) के अंतर्गत व्यवहारों के संबंध में प्रथम प्रस्तुत प्रकटीकरण के संबंध में वित्तीय वर्ष 20 ।8– ।9 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में **उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार** भी प्रदान किया गया था।

2.	पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं तथा प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया है? इससे संबंधित ब्यौरा भी लगभग 50 अथवा अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।	1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार सतर्कता की प्रक्रिया के अंतर्गत 10 शिकायतें थींय और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 9 और शिकायतें प्राप्त हुईं। कुल 19 शिकायतों में से, 8 शिकायतों (अर्थात 42%) का समाधान वर्ष के दौरान कर लिया गया था और शेष शिकायतों की समीक्षा की जा रही है। उपरोक्त के अलावा, पीआईडीपीआई वर्ग के अंतर्गत 3 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी समीक्षा भी की जा रही है।

सिद्धांत 2: उत्पाद की उपयोगिता अवधि में संधारणीयता

1.	अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची प्रस्तुत करें जिन्हें सामाजिक, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, जोखिम तथा अथवा अवसरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।	आरईसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्तकंपनी के रूप में वर्गीकृत एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी है। आरईसी सार्वजनिक और निजी, दोनों, क्षेत्रों में बिजली उत्पति की परियोजनाओं के वित्तपोषण/योजनाओं (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों), पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य करती है। इसके अलावा, आरईसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी यापरियोजना प्रबंधन/कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रही है। कंपनी द्वारा किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों/सेवाओं में दीर्घावधि ऋण, मध्यावधि ऋण, अल्पावधि ऋण प्रदान किए जाते हैं जो वस्तुतः वित्तीय उत्पाद हैं। कंपनी वित्तपोषण की जाने वाली परियोजनाओं के मूल्यांकन एवं अपने सामान्य क्रियाकलापों में सामाजिक और पर्यावरणीय संबद्ध ता को शामिल करने का प्रयास करती है। पिछले 50 वर्षों के अपने परिचालनों में, आरईसी ने बिजली परियोजनाओं के लिए लगभग 10,00,000 करोड़ रूपए के ऋण स्वीकृत किए हैं जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की लगभग 5 जीडब्ल्यू परियोजनाएं शामिल हैं। आरईसी के पास प्रतिस्पर्धी दरों पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक परिभाषित नीति फ्रेमवर्क है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट सेगमेंट में सूचीबद्ध ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से आरईसी वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से धन जुटाने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय उपक्रम बन गया है। उक्त ग्रीन बांड्स का कार्यकाल 10 वर्ष का होता है और उनकी आय को जलवायु बॉन्ड मानकों के अनुसार पात्र हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण/पुनः वित्तपोषण के लिए उपयोग में जाता है। सौभाग्य योजना के संचालन की नोडल एजेंसी होने के नाते, आरईसी सरकार के सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण कार्यक्रम का समर्थक है। राज्यों और डिस्कॉम के ठोस प्रयासों के साथ, 11 अक्टूबर, 2017 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई एवं राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 2.63 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, सात राज्यों (असम, छत्तीसगढ़) झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त 19.09 लाख गैर–विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत करने के लिए समय विस्तार की मंजूरी दी है, जो पहले विद्युतीकृत होने के लिए अनिच्छुक थे और 2019 से पहले जिन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इनमें से राज्यों/डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 13.92 लाख परिवारों को कनेक्शन जारी किया है। भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के अंतर्गत आरईसी ने जनरेटरों के भुगतान करने के लिए डिस्कॉमको विशेष दीर्घावधि ट्रांजिशन ऋण वितरित किए हैं, क्योंकि वे कोविड–19 महामारी के कारण गंभीर नकदी संकट का सामना कर रहे थे। इन ऋणों ने बिजली क्षेत्र की रोकड की स्थिति को काफी क राहत प्रदान की है। आरईसी देश में वित्तीय बदलाव और पावर डिस्कॉम के पुनः द्धार के लिए उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना यानी उदययोजना के कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय को भी सहायता दे रहा है। आरईसी ने डिस्कॉम की प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक वेब पोर्टल और एक ऑनलाइन ऐप विकसित किया है, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता और जवाबदेही उत्पन्न हुई है।
2.	प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संसाधन उपयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें (ऊर्जा, जल, कच्चा माल, इत्यादि) प्रति यूनिट उपयोग i. पिछले वर्ष से सम्पूर्ण चेन में सोर्सिंग/उत्पादन/संवितरण के दौरान कितनी कमी आई है। ii. उपभोक्ताओं द्वारा पिछले वर्ष के पश्चात से कितनी कमी (ऊर्जा, जल) आई है?	कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों को विचार में लेते हुए इन प्रश्नों की उपयोज्यता सीमित है। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते, कंपनी वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करती हैय और प्रमुख संसाधनों का उपयोग बिजली, कार्यालय की आपूर्ति और संचार/आईटी उपकरण हैं। आरईसी ने अपने संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने के लिए वर्ष के दौरान कई पहल की हैं। आरईसी के कार्यालयों को सभी पारंपरिक/सीएफएल ऊर्जा कुशल एलईडी प्रकाश के साथ अधिक ऊर्जा–कुशल बनाया गया है। कंपनी नई दिल्ली में स्कोप द्वारा रखरखाव किए जा रहे अपने पंजीकृत कार्यालय परिसर में एसी चिलिंग यूनिट, लिफ्ट आदि की प्रभावी निगरानी, नियंत्रण और उपयोग के समय निर्धारण में भी योगदान देती है, जिससे बिजली की खपत कम हो पाती है। आरईसी देश में अपने सभी कार्यालयों में और अपनी सहायक कंपनियों के कार्यालयों में–ई–ऑफिस 'प्रणाली की पेपरलैस कार्यालय का स्वरूप धारण करने वाला बिजली क्षेत्र में देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिससे कागज का उपयोग कम हो रहा है। **कोविड–19** महामारी के अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों ने कर्मचारियों को अपना कार्य सुगमता से करने के प्रति सक्षम बनाया है। कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक कचरा विधिवत ई–कचरा रिसाइकलरों के माध्यम से निपटान के लिए एकत्र किया जाता है। कंपनी ने जल संरक्षण के प्रयास के रूप में अपने कार्यालयों में पानी की बचत करने वाले नल/फिटिंग लगवाई हैं। आरईसी ने अपने कार्यालय परिसर में एकल उपयोग प्लास्टिक की खपत को भी बंद कर दिया है। उपरोक्त उपायों सहित अन्य अनेक उपायों के साथ, कंपनी सजग होकर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में काम कर रही है।

3.	क्या कंपनी में संधारणीय स्रोत (परिवहन सहित) के लिए कोई प्रक्रिया विद्यमान है? यदि हां, तो आपके इनपुट में से कितना प्रतिशत धारणीयता से लिए स्रोत किया जाता है? इससे संबंधित ब्यौरा भी लगभग 50 अथवा अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।	एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के कारण आरईसी सामग्री आवश्यकताओं के मामले में कम संसाधन–गहन है। मुख्य उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन बिजली, कार्यालय की आपूर्ति और संचार/आईटी उपकरण हैं। सीमित दायरे के बावजूद, आरईसी अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार स्रोतन सुनिश्चित करता है। कंपनी अपनी खरीद में जैम पोर्टल (गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस) को बढ़ावा देती है और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग केविक्रेताओं से सोर्सिंग को भी बढ़ावा देती है। सामग्री और सेवाओं की सभी खरीद/सोर्सिंग कंपनी के प्रापण दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।
4.	क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के लिए कोई कदम उठाए हैं? (क) यदि हां, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और सक्षमताओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	कंपनी प्रापण दिशानिर्देशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले उद्यमों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को प्रोत्साहित करती है। कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल का भी समर्थन करती है। आरईसी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विक्रेताओं से 10 लाख रूपए तक के मूल्य के कुछ सामानों और सेवाओं का 100% उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है और साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को 50% तक मूल्य वरीयता देने की भी अनुमति दी है, जिसमें से 20% अजा/अजजा और महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है। आरईसी, वैध उद्योग आधार संख्या अथवा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए अपनी खरीद प्रक्रियाओं में विभिन्न सुविधाओं का विस्तार करती है, जैसे निविदा सेट की निःशुल्क आपूर्ति, बयाना राशि भुगतान से छूट, कुछ मामलों में सुरक्षा जमा की छूट आदि। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमक्षेत्र को सुविधा प्रदान करने वाले सरकार के संबंध, समाधान और टीआरईडीएस पोर्टल पर आरईसी पंजीकृत है। आरईसी समय–समय पर विभिन्न औद्योगिक निकायों/संघों द्वारा आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भी भाग लेती है।
5.	क्या कंपनी में उत्पादों और अपशिष्ट के रिसाइकल करने की कोई तंत्र व्यवस्था विद्यमान है? यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट के रिसाइकल का प्रतिशत क्या है? इसके अलावा इसके संबंध में 50 अथवा अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें।	कंपनी ने अपने परिसर से बेकार कागजात एकत्र करने की तंत्रव्यवस्था को रिसाइकलिंग के उद्देश्य से आउटसोर्स किया है। कंपनी अपने इलेक्ट्रॉनिक कचरे को भी न्यूनतम किया है और सरकार/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पंजीकृत ई–कचरा रिसाइकलरों के माध्यम से ई–कचरे के जिम्मेदार निपटान का सुनिश्चय किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, वरिष्ठ प्रबंधन के नेतृत्व वाले आरईसी के सभी अधिकारियों ने 2 अक्टूबर, 2019 को 'स्वच्छता श्रमदान' किया और आरईसी कार्यालयों के सभी स्थानों पर सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई की। करीब 500 किलोग्राम एकल उपयोग प्लास्टिक कचरे को एकत्र किया गया, अलग किया गया और रीसाइक्लिंग के लिए भेजा गया। कंपनी ने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कपास और जूट के बैग भी वितरित किए। इसके अलावा, कंपनी ने स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न सत्रों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, ताकि उन्हें पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आरईसी को सितंबर, 2019 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

सिद्धांत 3: कर्मचारी सुख सुविधा

1.	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कुल 468 कर्मचारी कार्यरत हैं।
2.	कृपया अस्थायी/संविदागत/अनियमित आधार पर लगाए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।	वित्तीय वर्ष 20 ।9–20 के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी कर्मचारी अस्थाई/संविदा/आकस्मिक आधार पर लगाया नहीं गया है। तथापि, कंपनी समय समय पर संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्ति एजेंसियों के माध्यम से अस्थाई कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करती है।
3.	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी 80 स्थाई महिला कर्मचारी कार्यरत हैं जो स्थाई कर्मचारियों का 17.09% है।
4.	कृपया दिव्यांगकर्मचारियों की संख्या बताएं।	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 12 दिव्यांग कर्मचारी (दिव्यांगता के साथ रोजगार में लिए गए) कर्मचारी हैं जो स्थाई कर्मचारियों का 2.56% है।
5.	क्या आपके यहां कोई कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो?	जी, हां । आरईसी में गैर सुपरवाइजरी कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियन तथा अधिकारियों की एसोसिएशन है।
6.	कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?	नियमित कर्मचारी या तो आरईसी के कर्मचारियों की यूनियन अथवा अधिकारियों की एसोसिएशन के सदस्य हैं।

7.	कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, बलित श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतों की संख्या बताएं और वित्तीय वर्ष के अंत तक कितनी शिकायतें लंबित हैं।	कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम/बलात श्रम/अनैच्छिक श्रम अथवा यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है और 31 मार्च, 2020 तक कोई शिकायत लंबित भी नहीं थी। कंपनी न तो बाल श्रम/बलात श्रम/अनैच्छिक श्रम को किसी भी स्वरूप में स्वीकार करती है और न ही रोजगार व्यवहारों के लिए किसी प्रकार के पक्षपात पूर्ण व्यवहार का उपयोग करती है। कंपनी के पास यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक उचित फ्रेमवर्क है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013, के उपबंधों के अनुरूप महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत के निवारण के लिए कंपनी में एक 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती है और इसमें एक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को इसके एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। कंपनी की यौन उत्पीड़न विरोधी अभिमुखता को आरईसी के आचरण, अनुशासन और अपील नियमों में भी उल्लिखित किया गया है, जो सभी कर्मचारियों के लिए लागू हैं।
8.	आपके द्वारा उल्लिखित कर्मचारियों में से कितनों को पिछले वर्ष सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया है?	कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा के संबंध में प्रश्न की प्रासंगिकता सीमित है। हालांकि, कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए कौशल उन्नयन और जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में पूर्ण ध्यान देती है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी के 73.08% स्थायी कर्मचारियों (16.03% स्थायी महिला कर्मचारियों और 1.71% स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों को ऐसे प्रशिक्षण दिए गए थे, जो कुल मिलाकर 2,402 प्रशिक्षण श्रम दिवस है। कंपनी एक प्रशिक्षण संस्थान यथा आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) हैदराबाद में है, जहां विभिन्न संगठनों के बिजली क्षेत्र के कर्मियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंगआरईसी के कर्मचारियों के लिए अभिविन्यास सत्र, कार्यात्मक कार्यशालाओं और नेतृत्व उपदेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

सिद्धांत 4: हितधारक संबद्धता

1.	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों का निर्धारण किया है? जी हां/नहीं	जी, हाँ। आरईसी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को स्पष्ट रूप से मैप किया है। आंतरिक हितधारकों में कंपनी के कर्मचारी और स्टाफ शामिल हैं। बाह्य हितधारकों में इक्विटी शेयरधारक, बॉन्डहोल्डर, लेनदार, बैंकर, उधारकर्ता और ग्राहक शामिल हैं जिनमें राज्य बिजली बोर्ड, राज्य विद्युत उपयोगिताएँ, निजी क्षेत्र के उधारकर्ता और सरकारी और नियामक निकाय जैसे राज्य सरकारें, भारतीय रिजर्व बैंक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इत्यादि शामिल हैं।
2.	उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने सुविधाहीन , असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हितधारकों का निर्धारण किया है ?	जी, हाँ। आरईसी ने अपने वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों की पहचान की है उनके सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय किए हैं। अपने कर्मचारियों, स्टाफ और उनके आश्रितों के लिए, आरईसी ने कल्याण उन्मुख नीतियों को सामान्य कानूनों और विनियमों और प्रबल नैतिक व्यवहारों के अनुरूप अपनाया है, जो अध्ययन अवकाश, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, कार्यक्षम शेष जीवन पर ध्यान के साथ महिला–केंद्रित नीतियों, कर्मचारी की अनायास मृत्यु की स्थिति में पुनर्वास अथवा अपंगता की स्थिति जैसे क्षेत्रों को सेवा एवं पोषण का वातावरण निर्मित्त किए जाने के प्रयास के अंतर्गत आते हैं। भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अलग–अलग श्रेणी से संबंधित महिलाओं और अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के आरक्षण के संबंध में कंपनी समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/निर्देशों का पालन कर रही है। इक्विटी शेयरधारकों/बॉण्डधारकों के लिए कंपनी में समर्पित इन्वेस्टर सर्विस टीमें हैं, जो हितधारकों के सभी प्रश्नों/ शिकायतों को जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करती हैं। कंपनी उन इक्विटी शेयरधारकों तक पहुंचने के लिए नियमित आधार पर सर्वोत्तम प्रयास करती है जिनके पास कंपनी के साथ दावा न किए गए/चुकता न किए गए लाभांश/शेयर हैं, ताकि ऐसे निवेशक अपने उचित धन को प्राप्त करने में चूक न करें। इसके अलावा, कंपनी के ईआरपी पोर्टल (उधारकर्ता पोर्टल) तक सीधे पहुंच प्रदान करके ऋण प्राप्त कर्ताओं के हितों की सुरक्षा उचित व्यवहार कोड के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से की जाती है। आरईसी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से खरीद को भी बढ़ावा देता है; और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ पंजीकृत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विक्रेताओं के लिए अपनी खरीद प्रक्रियाओं में कुछ सुविधाओं का विस्तार करता है। अपने सभी कारपोरेट सामाजिक दायित्व प्रयासों के अंतर्गत कंपनी ने साफ सफाई और स्वच्छता, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, और ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास के क्षेत्र में पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण और समर्थन प्रदान किया है। कंपनी ने पिछड़े जिलों (उत्तर पूर्व में) और अन्य कठिन भौगोलिक स्थानों में स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्कूल शिक्षा पहल भी वित्त पोषित की है।

3.	सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हितधारकों की सेवाओं के लिए कंपनी द्वारा कोई विशेष उपाय किए गए हैं। यदि हां तो 50 अथवा अधिक शब्दों में विवरण प्रस्तुत करें।	जी, हां, कंपनी नियमित रूप से अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों, जो कि वंचित, कमजोर या हाशिए पर हो सकते हैं, के साथ संबद्ध ता के लिए पहल की जाती है। आरईसी सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लिए सरकार की सौभाग्य योजनाओं के संचालन की नोडल एजेंसी है। राज्यों और डिस्कॉम के ठोस प्रयासों के साथ, 11 अक्तूबर, 2017 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 2.63 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, सात राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त विद्युतीकरण के लिए समय विस्तार की स्वीकृति प्रदान कर दी है। 19.09 लाख गैर–विद्युतीकृत परिवार, जो पहले विद्युतीकृत होने के लिए तैयार नहीं थे और जिन्होंने मार्च 2019 से पहले अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इनमें से, राज्यों/डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 13.92 लाख परिवारों को कनेक्शन जारी किए हैं। कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न लॉकडाउन के दौरान, आरईसी ने मजदूरों, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन/राशन प्रदान करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। कंपनी ने पका हुआ भोजन, आवश्यक सामान, राशन और चिकित्सीय आवश्यकताओं के पैकेट वितरित किए हैं। 25 अगस्त, 2020 तक, कंपनी ने 4.83 लाख किलोग्राम से अधिक अनाज, 4.48 लाख भोजन के पैकेट, 10,000 लीटर सैनिटाइजर, 4,690 पीपीई किट, 87,300 मास्क और 2,500 दस्ताने वितरित किए हैं। आरईसी ने सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा कर्मचारियों के लिए भोजन के पैकेट वितरित करने के लिए ताजसैट्स के साथ भागीदारी की है। आरईसी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिये पर खड़े हितधारकों के लिए सीएसआर की अन्य उल्लेखनीय प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:– 1. समाज के कमजोर वर्गों के दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और एलायंस का वितरण। 2. शहरी बस्ती क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने वाले नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के यंत्रीकृत व्यापक, संग्रह और परिवहन के लिए परियोजनाएं। 3. आदिवासी बच्चों के लिए अध्ययन, भोजन, निवास और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं, दृश्यता क्षति वाले बच्चों के लिए समग्र शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं और प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए अभिनव मोबाइल स्कूल का समर्थन करने की परियोजनाएं। 4. बुजुर्ग लोगों के लिए कल्याण सुविधा के साथ आश्रय गृह के निर्माण और संचालन के लिए परियोजनाएं। 5. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बीजों का वितरण। आरईसी ने विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक रक्तदान अभियान भी आयोजित किया था। कंपनी के कुल 80 स्वयंसेवकों ने इस अभियान की शुरुआत की थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरईसी ने स्वच्छ तीर्थस्थल अभियान के अंतर्गत अंगीकार किए गए बरौछा बीर धाम, जिला जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में 5 सीटिंग शौचालय परिसर का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया है।

सिद्धांत 5 – मानवाधिकारों को प्रोत्साहन

1.	क्या सिद्धांत से संबंधित नीति में केवल कंपनी को ही कवर किया गया है अथवा यह समूह/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/ अन्यों पर भी लागू होती है?	आरईसी "द यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट" का एक सक्रिय सदस्य है और मानव अधिकारों, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्रों में इसके सिद्धांतों का पालन करता है, जो सार्वभौमिक सहमति और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा से प्राप्त होते हैं। मौलिक सिद्धांत और अधिकार, पर्यावरण और विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई घोषणा, रियो घोषणा, पर आधारित हैं। आरईसी के व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मानवाधिकार के अंतर्गत कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों और कर्मचारियों को कवर किया गया है। आरईसी ने कर्मचारी कानूनों को सामान्य कानूनों और नियमों और प्रबल आचरण व्यवहारों के अनुरूप अपनाया है। कंपनी का मानना है कि एक स्थायी संगठन नैतिकता और मानव अधिकारों के सम्मान की नींव है। कंपनी एक सुरक्षित और सामाजिक वातावरण और सामान्य रूप से मानव कल्याण पर भी जोर देती है। यह उस आचरण को हतोत्साहित करता है, जो किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के बदले में किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने के आधार पर, एहसान या अवसरों को देने या रोक देने का अर्थ है। कोविड–19 महामारी के मद्देनजर, जहां कई लोगों के लिए भोजन और आश्रय के बुनियादी मानवाधिकार प्रभावित हुए हैं, आरईसी ने तालाबंदी के दौरान 36,500 से अधिक दैनिक ग्रामीणों और उनके परिवारों को आश्रय प्रदान करके प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है। इसके अलावा, आरईसी ने पका हुआ भोजन, राशन, यूटिलिटी पैकेट, मास्क, सैनिटाइजर आदि भी प्रदान किए हैं। आरईसी ने इन गतिविधियों के लिए 7.79 करोड़ रूपए से अधिक धनराशि पहले ही जारी कर दी है, इसके अलावा कोविड–19 के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए प्रधान मंत्री केयरफंड में 150 करोड़ रूपए का योगदान दिया गया है।
2.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितने हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का समाधान संतोषजनक रूप में किया गया है?	कंपनी को मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में किसी भी हितधारक से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 6 – पर्यावरण संरक्षण

1.	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति में केवल कंपनी को ही कवर किया गया है अथवा यह समूह/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों पर भी लागू होती है?	कंपनी द्वारा सभी हितधारकों को पर्यावरण संरक्षण एवं संधारणियता एवं इसकी नीतियों एवं सभी समूह कंपनियों के लिए लागू पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दिशानिर्देश सिद्धांतों पर केन्द्रित प्रयासों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
2.	क्या कंपनी में वैश्विक पर्यावरणीय विषय जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि के समाधान की रणनीतियां/उपक्रम स्थापित हैं। यदि हां, तो कृपया वेब पृष्ठ इत्यादि का हाइपरलिंक प्रस्तुत करें।	आरईसी बिजली क्षेत्र में एक वित्तीय संस्थान के रूप में, वैश्विक पर्यावरण समस्याओं के निवारण के लिए हरित ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है। अब तक, आरईसी ने देश के हरित भविष्य की दिशा में समर्थन देने के लिए लगभग 5जीडब्ल्यू नवीकरणनीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण किया है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार खंड पर सूचीबद्ध ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पैसा जुटाने के लिए आरईसी पहला भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। आरईसी की नवीकरणनीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए रियायती ब्याज दरों की पेशकश जाती है, जो जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भरता की सुविधा प्रदान करती है। वित्त वर्ष 20 ।9–20 के दौरान, आरईसी ने 7,026.33 करोड़ रूपए की ऋण सहायता को स्वीकृति दी है और सौर, पवन, बायोमास, को–जनरेशन और जल विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की दिशा में 5,699.09 करोड़ रूपए की राशि का वितरण किया है। आरईसी ई–मोबिलिटी और अन्य पर्यावरण–अनुकूल परियोजनाओं का वित्तपोषण भी कर रहा है।
3.	क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन कर रही है? हां/नहीं	आरईसी विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, सभी बिजली परियोजनाओं के मूल्यांकन के दौरान, आरईसी वित्तियन की गई परियाजना (परियोजनाओं) से संबद्ध संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान करता है और उनका मूल्यांकन करता है। परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की पहचान की जाती है और साइट के दौरे, माध्यमिक सूचना संग्रह और विश्लेषण और लागू अनुपालन की समीक्षा आदि के माध्यम से कारण ज्ञात करने के विस्तृत प्रयास किए जाते है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, मौजूदा और भविष्य के थर्मल पावर प्लांट के लिए एसओएक्स और एनओएक्स उत्सर्जन को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करना अनिवार्य है। इसके साथ ही, आरईसी ग्रिप गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीइस्पिटेटर्स (ईएसपी) की स्थापना को वित्तपोषित कर रहा है, जो हानिकारक उत्सर्जन और पार्टिकुलेट मैटर पर अंकुश लगाने में योगदान करते हैं.
4.	क्या कंपनी में कोई परियोजना संबंधित स्वच्छ विकास तंत्र विद्यमान है? यदि हां तो 50 या अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें। इसके अलावा, क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट, यदि कोई हो, भी फाइल की गई है।	आरईसी विनिर्माण कंपनी नहीं है, इसलिए उपरोक्त प्रश्न सीधे लागू नहीं होते है। तथापि, आरईसी ने देश भर में सौर ऊर्जा, जैसे कि सौर, पवन, बायोमास आदि जैसी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए कम ब्याज दर और ई–वाहन और चार्जिंग अवसंरचना सहित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक नीति तैयार की है। प्रतिस्पर्धी उधार नीति के माध्यम से, आरईसी जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित समस्याओं के समाधान में योगदान देता है। इस वर्ष के दौरान, आरईसी ने कुल 17754 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ 17 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 7,026.33 करोड़ रूपए की ऋण सहायता स्वीकृत की, जिसमें से 7 सौर फोटो–वोल्टाइक परियोजनाएं (917 मेगावाट) थीं, 7 पवन ऊर्जा परियोजनाएं (837 मेगावाट) थीं, एक छोटी पनबिजली परियोजनाओं की टीजी इकाइयों के लिए उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए थी, एक डीडीयूजीवाईवाई के डीडीजी घटक के लिए था और एक नवीकरणीय क्रय दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य वितरण कंपनियों को ऋण प्रदान करने से संबंधित थी। आरईसी का नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा भारत सरकार के 2022 तक अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 175 गीगावॉट के लक्ष्य और ई–मोबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए आरईसी के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र होगा।
5.	क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि पर कोई अन्य पहल की है? हां / नहीं। यदि हां, तो कृपया वेब पृष्ठ का हाइपर लिंक दें।	आरईसी की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण देने की नीति है। इसके अलावा, अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व प्रयासों के अंतर्गत आरईसी ने मशीनीकृत सफाई, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का संग्रह और परिवहन, सुरक्षित पीने के पानी के लिए एटीएम की स्थापना और सरकारी स्कूलों में वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना, एवं अन्य अनेक जैसी कई परियोजनाएं शुरू की हैं जिनसे पर्यावरणीय स्थिरता में सहायता मिल रही है।
6.	क्या वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमति सीमा हैं?	आरईसी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है, इसलिए दिए गए प्रश्न की प्रासंगिकता सीमित है। तथापि, कंपनी अपने परिसर और संचालन के संबंध में लागू पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करती है। इसके अलावा, कंपनी वित्तीय की गई परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं पर उचित परिश्रम करती है।
7.	वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीएसबी/एसपीसीबी बोर्ड से प्राप्त कितने कारण बताओ नोटिस/कानूनी नोटिस लम्बित हैं (अर्थात जिनका संतोषजनक स्तर पर समाधान नहीं हो पाया)।	आरईसी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई कारण या कानूनी नोटिस नहीं मिला है।

सिद्धांत 7 – उत्तरदायी लोक नीति का समर्थन

1.	क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड तथा चेम्बर या किसी संघ की सदस्य है? यदि हां, तो केवल प्रमुख के नाम बताएं जिनके साथ आपके व्यावसायिक संबंध हैं।	जी, हाँ। आरईसी विभिन्न राष्ट्रीय व्यापार मंडलों, संघों आदि का सदस्य है, जिसमें भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), द फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफआईसीसीआई), एसोसिएटेड चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), केन्द्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड (सीबीआईपपी), वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल (डब्ल्यूईसी), स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप), पावर एचआर फोरम, इंडिया सीएफओ फोरम, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (आईपीई) और यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट शामिल हैं। आरईसी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के साथ एक समझौता भी किया है। इसके अलावा, आरईसी सरकार के ई–मार्केटप्लेस (जैम) के साथ पहले से पंजीकृत है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न समितियों ध् कार्य समूहों में आरईसी के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी समय–समय पर शामिल होते हैं, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतियों के निर्माण में योगदान करते हैं।
2.	क्या आपने कभी सार्वजनिक कल्याण की प्रगति और सुधार के लिए उपर्युक्त संघों से चर्चा की है/सहयोग प्राप्त किया है। हां/नहीं। यदि हां तो व्यापक स्तर पर क्षेत्रों का उल्लेख करें।	कंपनी ने समय–समय पर उपरोक्त संघों के विभिन्न प्लेटफार्मों पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मुद्दों को उठाया है। आरईसी विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी) का सदस्य भी है, जो ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख संगठनों (जैसे पेट्रोलियम मंत्रालय और प्राकृतिक गैस, कोयला मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) के सहयोग से विद्युत मंत्रालय के संरक्षण में कार्य करता है। कंपनी ने लोक कल्याण के लिए विभिन्न सीएसआर पहलों का समर्थन किया है, जैसे स्कूल भवनों का निर्माण, स्वच्छता सुविधाएं, सामुदायिक हॉल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अस्पताल और चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल पहल, जिसमें बुजुर्ग व्यक्तियों और दिव्यांग व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल शामिल है। हाल ही में, आरईसी ने कोविड–19 महामारी के प्रति सुरक्षा उपायों और कंपनी के राहत कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग किया। आरईसी सक्रिय रूप से सार्वजनिक आउटरीच के विभिन्न तरीकों के माध्यम से हरित ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के पक्ष प्रस्तुत करता है। आरईसी टीआरईडीएस (ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम) पोर्टल पर भी पंजीकृत है, जो कई फाइनेंसरों के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन तंत्र है। इसके अलावा, आरईसी एमएसएमई की सुविधा के लिए संबंध और समाधान जैसे अन्य पोर्टलों पर भी पंजीकृत है।

सिद्धांत 8 – समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास

1.	क्या कंपनी का सिद्धांत–8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कोई विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें।	आरईसी अपने सभी हितधारकों के समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन करता है। सौभाग्य योजना के संचालन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में, आरईसी ने देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण में योगदान दिया है। अपनी सीएसआर पहल के तहत, आरईसी ने ग्रामीण विकास, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण और इंस्पायरेशन जिलों के विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का समर्थन किया है, जो समावेशी विकास और समान विकास के कारकों का समर्थन करते हैं।
2.	क्या कार्यक्रमों/परियोजनों को आंतरिक दलों/अपनी फाउंडेशन/बाह्य एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संगठन के माध्यम से निष्पादित किया जाता है?	सौभाग्य योजना के तहत कार्यों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए, आरईसी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की समय–समय पर आरईसीपीडीसीएल की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। आरईसीकी कारपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियाँ, आरईसी फाउंडेशन के माध्यम से की जाती हैं, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है, जो विशेष एजेंसियों के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं को लागू करती है, जैसा कि कंपनी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थिरता नीति में निर्दिष्ट है।
3.	क्या आपने अपने प्रयासों का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?	आरईसी ने डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के संचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में, सार्वभौमिक विद्युतीकरण और 24x7 पावर फॉर ऑल 'के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थलों की उपलब्धि में योगदान दिया है। आरईसी, राज्यों और डिस्कॉम के ठोस प्रयासों के साथ, भारत में सभी बसे हुए जनगणना गांवों को 28 अप्रैल, 20 I8 को विद्युतीकृत किया गया है। इसके अलावा, 11 अक्तूबर, 2017 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 2.63 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके अलावा सात राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त 19.09 लाख गैर–विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत करने के लिए समय विस्तार की मंजूरी दी, जो पहले विद्युतीकृत होने के लिए अनिच्छुक थे और मार्च 2019 से पहले अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इनमें से, राज्यों/डिस्कॉम ने वर्ष 2019–20 के दौरान 13.92 लाख परिवार को कनेक्शन जारी कर दिए हैं। वित्तीय। विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा संबंधित सभी एजेंसियों के साथ की जाती है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहलों का प्रभाव मूल्यांकन कंपनी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थिरता नीति के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। विभिन्न सीएसआर पहलों की प्रगति और प्रभाव की निगरानी, मूल्यांकन और समय–समय पर वरिष्ठ प्रबंधन के लिए समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

4.	सामुदायिक विकास की परियोजनाओं में कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है? परियोजनाओं का विवरण तथा भारतीय रूपए में किए गए व्यय का विवरण दें।	सामुदायिक विकास कंपनी द्वारा समय–समय पर की जाने वाली विभिन्न कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहलों का एक अभिन्न अंग है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सामुदायिक विकास के लिए आरईसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहल में ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान में कुओं का गहरा किया जाना, चेकडैम का नवीनीकरण और निर्माण और चिकित्सा शिविरों का आयोजन, मणिपुर में एक गांव और बहुउद्देशीय हॉल–कम–इंडोर स्टेडियम एवं सड़क का निर्माण शामिल है, बिहार के कुछ इलाकों में कम्युनिटी हॉल का निर्माण, पीसीसी रोड, यति शेड, एलईडी लाइट्स, आरओ प्लांट्स आदि का निर्माण और उड़ीस के गांवों में स्वच्छता सुविधा के साथ सामुदायिक केंद्र का निर्माण जैसे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्य किए गए हैं। आरईसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहल में से एक मेघालय और नागालैंड के 130 दूरदराज के गांवों में ग्रामीण विकास के लिए नॉर्थ ईस्ट स्लो फूड एंड एग्रोबायोडायवर्सिटी सोसायटी (एनईएसएफएएस) को 9.41 करोड़ की वित्तीय सहायता शामिल है। उक्त कार्यक्रम "कोई भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा" पोषण को बेहतर बनाने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और 3,000 से अधिक घरों के लिए स्थायी आजीविका उत्पन्न करने के लिए स्वदेशी खाद्य प्रणालियों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक तीन साल की परियोजना है। परियोजना गतिविधि में पोषण संबंधी विश्लेषण, सामुदायिक बीज मेले, स्थानीय प्रजातियों की पोषक तत्वों से भरपूर खपत को बढ़ावा देना और उद्यमशीलता और आजीविका के लिए कौशल प्रशिक्षण शामिल है। कार्यक्रम परियोजना क्षेत्र में युवाओं, किशोर लड़कियों, महिलाओं और समुदाय के बुजुर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। एक अन्य परियोजना में। 32 करोड़ के परिव्यय के साथ यूएनएफपीए के साथ 'पैक्ट इम्पेक्ट', आपदा प्रभावित जिलों में आदिवासी युवाओं को संलिप्त करने, साक्ष्य–आधारित परिवार नियोजन सेवाओं को मजबूत करने, स्वास्थ्य देखभाल संपर्क की पहली पंक्ति के रूप में सूचित रसायनज्ञों को विकसित करने, टेली–परामर्श प्रदान करने वाले विभिन्न कार्यक्रम किशोरों के लिए मिशन उदय, मेडएड, ओटीसी सलाह, साथिया सिनेमा, उमंग–साथिया हेल्पलाइन, सक्षम, नौबत बाजा, बी ए जागरूक और समृद्धि, जैसे जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाने की क्रियाएं की गई।
5.	क्या आपने सामुदायिक विकास प्रयासों को समाज द्वारा सफलतापूर्वक अंगीकार किए जाने का सुनिश्चय करने के प्रयास किए हैं? कृपया 50 अथवा अधिक शब्दों में वर्णन करें।	आरईसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता नीति के अंतर्गत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आरईसी के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों सफलता की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। कंपनी कार्यक्रम के स्वामित्व और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए, इस तरह के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन में सरकारी एजेंसी (एजेंसियों), विभाग (विभागों), गैर सरकारी संगठनों और अन्य स्थानीय संस्थानों जैसे हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है। ऐसे हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को भविष्य में इस तरह के / समान कार्यक्रम के विकास में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

सिद्धांत 9 –उपभोक्ता मूल्य

1.	वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों / उपभोक्ता मामलों के कितने प्रतिशत मामले लम्बित हैं?	बॉण्डधारकों से संबंधित 2 शिकायतों के अलावा विभिन्न हितधारकों से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों को 31 मार्च, 2020 तक संतोषजनक ढंग से हल किया गया था। इस रिपोर्ट की प्रस्तुति तक भी संतोषजनक ढंग से हल किया गया है। 31 मार्च 2020 तक, विभिन्न उपभोक्ता मंचों के साथ 4 उपभोक्ता मामले लंबित थे, जिनमें से 1 मामला एक निवेशक द्वारा दायर किया गया था, और 3 मामले / अपील आरईसी द्वारा दायर किए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान अपने फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत 'शून्य' शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
2.	क्या कंपनी अपने उत्पादों के लेबल में उत्पादों की सूचना प्रदर्शित करती है जो कि स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य हैं?	कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो वित्तीय उत्पादों की प्रस्तुति करती है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरण इसकी कॉर्पोरेट वेबसाइट और समय–समय पर जारी किए गए अन्य हितधारक / मीडिया संचारों पर दिखाए जाते हैं। कंपनी ने अपने उधारकर्ताओं को कंपनी के ईआरपी पोर्टल तक सीधे पहुंच प्रदान की है, ताकि उन्हें वास्तविक समय के आधार पर अपने ऋण और आरईसी की योजनाओं आदि की स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके।
3.	क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनैतिक कारोबार पद्धति, अनियमित विज्ञापन तथा/अथवा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के संबंध में किसी हितधारक द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा 50 या अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।	आरईसी, अपनी सहायक कंपनियों के साथ, कानून के फ्रेमवर्क के दायरे में नीतिपरक व्यवहारों और नीतिपरक व्यापार आचरण के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंत में, अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर–जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धी–विरोधी व्यवहार से संबंधित कोई मामला आरईसी लंबित नहीं था। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यथा आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) के खिलाफ जांच का आदेश दिया था जो किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई जानकारी (नाम का खुलासा नहीं) पर आधारित है। इसके बाद सीसीआई ने आरईसीपीडीसीएल के पक्ष में मामले का निपटारा किया, जबकि यह देखते हुए कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन आरईसीपीडीसीएल और अन्य के खिलाफ नहीं किया गया था। इस मामले को वर्ष 2016–17 में बंद करने का आदेश दिया गया था।

4.	क्या आपकी कंपनी किसी प्रकार का ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि रूझान करती है?	आरईसी अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में विश्वास करती है। ग्राहकों के साथ बैठकें समय–समय पर आयोजित की जाती हैं, ताकि उनकी प्रत्याशाओं को समझा जा सके और व्यवसाय में आरईसी की प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सके। कंपनी को अपने क्षेत्रीय/राज्य/उप कार्यालय के माध्यम से देश भर में नियमित रूप से ग्राहकों के संपर्क में बने रहने के लिए अपनी उपस्थिति का लाभ की स्थिति प्राप्त है। ग्राहकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को शीघ्रता से कम किया जाता है और उनसे प्राप्त प्रतिक्रिया को सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लागू किया जाता है। वरिष्ठ प्रबंधन ऐसे मामलों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित आधार पर बैठक करता है; और उधारकर्ताओं और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। कंपनी, अपने भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद के माध्यम से, देश भर में अपने सम्मानित ग्राहकों का ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2019 में आयोजित किया था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की पावर कंपनियां और निजी पावर कंपनियां शामिल हुई थी। सर्वेक्षण के समग्र ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) का स्कोर 93.04% था, जो औसत अमेरिकी ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (एसीएसआई) के अनुसार बैंकिंग सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ है।

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट का अनुलग्नक

पी1 नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व

आरईसी अपने व्यापारिक क्रियाकलापों में नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही को अत्यधिक महत्व देता है। कंपनी के पास अपनी नैतिकता और शासन फ्रेमवर्क को परिभाषित करने के लिए विभिन्न नीतियां और कोड हैं, जो कंपनी के लिए लागू कानूनों के अनुरूप हैं। उक्त फ्रेमवर्क में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित नीतियां एवं कोड, जो सीमित नहीं है, शामिल हैं: –

नीति का नाम	वेबलिंक
जालसाजी रोकथाम नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Revised-Fraud-prevention-policy-of-REC-13082020.pdf
सजगता (व्हीसल ब्लोअर) नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf
कारोबार आचार व्यवहार नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf
न्यायोचित व्यवहार नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/fair_practice_code.pdf
संबद्ध पक्षकार संव्यवहार की वस्तुपरकता एवं संबद्ध पक्षकार संव्यवहार नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-policy-on-related-party-transactions-dealing-with-rpt-dt230719.pdf
आचार संहिता का विनियमन एवं निगरानी तथा निर्दिष्ट व्यक्तियों एवं उनके निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग किए जाने की रिपोर्टिंग	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf

उपरोक्त के अलावा, अन्य नीतियां और नियम हैं, जो कंपनी के आंतरिक दस्तावेज हैं और केवल संगठन के कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं।

पी2 उत्पाद के उपयोज्यता क्रम में संधारणीयता

कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो वित्तीय उत्पादों की प्रस्तुति करती है, जिसमें पर्यावरण, संधारणीयता के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण शामिल हैं।

कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का विवरण https://www.recindia.nic.in/financial-products पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, कंपनी की सीएसआर और संधारणीयता नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/CSR-Policy-Wef110717-UpldDt300518.pdf पर उपलब्ध है।

पी3 कर्मचारी सुख सुविधा

आरईसी हर तरह से मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रयास करता है। कंपनी के पास अपने निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता (कोड) है, जो मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखने इससे बचने के लिए भी किसी भी आधार पर भेदभाव की रोकथाम के लिए प्रबंधन सदस्यों पर नैतिक अनिवार्यता रखता है।

पी4 हितधारक संबद्धता

कंपनी अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करती है, विशेषतः उनका जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं। कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर और स्थिरता नीति के माध्यम से समावेशी विकास की दिशा में काम करती है। कारपोरेट सामाजिक दायित्वऔर संधारणीयता नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/CSR-Policy-Wef110717-UpldDt300518.pdf पर उपलब्ध है।

पी5 मानवाधिकार प्रोत्साहन

आरईसी हर तरह से मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रयास करता है। कंपनी के पास अपने निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता (कोड) है, जो मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखने इससे बचने के लिए भी किसी भी आधार पर भेदभाव की रोकथाम के लिए प्रबंधन सदस्यों पर नैतिक अनिवार्यता रखता है। निदेशक मंडल द्वारा संहिता को मंजूरी दी जाती है। सभी निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन सदस्य एक ही वार्षिक अनुपालन की पुष्टि करते हैं। उक्त कोड https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf पर उपलब्ध है।

पी6	**पर्यावरण संरक्षण** बिजली क्षेत्र में एक वित्तीय संस्थान के रूप में, आरईसी ई–गतिशीलता सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग बढ़ा रहा है। इस संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स के लिए प्रतिस्पर्धी शर्तों पर ऋण की पेशकश की जाती है। आरईसी यह भी सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा स्वीकृत सभी परियोजनाएँ, चाहे नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित हों अथवा न हो, पर्यावरणीय मानदंडों के अनुरूप होनी आवश्यक हैं। इसके अलावा आरईसी ने तापीय संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना के लिए विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है, ताकि हानिकारक ऑक्साइड और कण पदार्थ के उत्सर्जन को कम किया जा सके।
पी7	**उत्तरदायी लोक नीति का समर्थन** आरईसी सार्वजनिक और नियामक नीति से संबंधित मामलों में एक सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाता है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी समय–समय पर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल होते हैं; और इस तरह की प्रक्रियाओं के विकास की समीक्षा संगठन में उच्चतम स्तर पर की जाती है।
पी8	**समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास** आरईसी के पास अपने सभी हितधारकों के समावेशी विकास और न्यायोचित विकास का समर्थन करने के लिए विभिन्न नीतियां हैं। अपने प्रापण दिशानिर्देशों से, जिसमें सूक्ष्म / लघु / मध्यम उद्यमों से खरीद के समर्थन है, अपने कर्मचारियों के लिए समान अवसर नीति, उधारकर्ताओं के लिए आकर्षक उधार दरों पर, जो हरित–ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की इच्छा रखते हैं, आरईसी में इसके सभी हितधारकों के समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास के लिए आंतरिक नीतियां हैं। इसके अलावा, आरईसी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीयता नीति है, जो कंपनी की सीएसआर पहल का मार्गदर्शन करती है, जिनमें से कई समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास की दिशा में निर्देशित हैं। आरईसी की कारपोरेट सामाजिक विकास एवं संधारणीयता नीति https://www.recindia.nic.in/uploads/files/CSR-Policy-Wef110717-UpldDt300518.pdf पर उपलब्ध है।
पी9	**ग्राहक मूल्य** भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार, आरईसी में निदेशक मंडल से अनुमोदित उचित व्यवहार कोड है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कंपनी द्वारा अपने उधार कार्यों में ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्ष और पारदर्शी प्रथाओं का पालन किया जाए। निदेशक मंडल समय–समय पर निष्पक्ष आचरण संहिता के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है और प्राप्त शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा करता है। आरईसी के उचित व्यवहार कोड https://www.recindia.nic.in/uploads/files/fair_practice_code.pdf पर उपलब्ध है।

सभी नीतियां और प्रक्रियाएं समय–समय पर कंपनी में आंतरिक रूप से किए गए ऑडिट और समीक्षाओं के अधीन हैं। इसके अलावा, समय–समय पर, जहां भी लागू हो, निदेशक मंडल सहित वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा सभी नीतियों/कोडों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक–IV

एकीकृत रिपोर्ट

"एकीकृत रिपोर्टिंग" एक ऐसी संकल्पना है, जो विविध प्रकार के ऐसे उपाय करने के लिए तैयार की गई है, जो दीर्घकालिक मूल्य श्रृंखला में और समाज में संगठनों द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका में अपना योगदान देते हैं। यह वित्तीय पूंजी, आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रणाली में योगदान से परे किसी निकाय द्वारा सृजित मूल्य श्रृंखला का एक समग्र परिदृश्य है। इसका वास्तविक उद्देश्य स्थायित्व को व्यापार रणनीति से जोड़ना और कंपनी तथा इसके पणधारकों को गैर वित्तीय प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करना है।

अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिसर (आईआईआरसी) द्वारा यथा संवर्धित एकीकृत रिपोर्टिंग के अंतर्गत ऐसे 6 पूंजीगत घटकों के माध्यम से व्यापारिक प्रकटनों पर विश्वास किया जाता है, जो व्यापारियों को दीर्घकालिक निर्णय प्रक्रिया और आयोजना में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सेबी ने अपने दिनांक 6 फरवरी, 2017 के परिपत्र के जरिए शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2017–18 से आगे स्वैच्छिक आधार पर एकीकृत रिपोर्टिंग (आईआर) को अपनाने की सलाह दी है। आरईसी में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अपनी एकीकृत रिपोर्ट स्वैच्छिक आधार पर तैयार की है। आरईसी की एकीकृत रिपोर्ट में निम्नलिखित पूंजियों को शामिल किया गया हैः

- वित्तीय पूंजी
- विनिर्मित पूंजी
- बौद्धिक पूंजी
- मानव पूंजी
- सामाजिक और संबंध आधारित पूंजी
- प्राकृतिक पूंजी

एकीकृत रिपोर्ट पारदर्शिता और जबावदेही में वृद्धि करती है, जो इस बात का प्रकटन कर विश्वास और सत्यनिष्ठा के निर्माण के लिए अनिवार्य हैं कि प्रमुख पणधारकों की वैध गैर वित्तीय आवश्यकताओं और हितों को कैसे समझा जाता है, कैसे उनपर विचार किया जाता है और निर्णय, कार्रवाई और कार्य निष्पादन के साथ–साथ जारी संप्रेषण के माध्यम से कैसे उनकी प्रतिक्रिया दी जाती है। आरईसी के दृष्टिकोण से इन 6 पूंजियों की व्याख्या नीचे दी गई हैः

वित्तीय पूंजी

वित्तीय पूंजी से संगठन के व्यापारिक प्रचालनों, वित्तपोषण और निवेश संबंधी गतिविधियों से संगठन के लिए उपलब्ध निधियां अभिप्रेत है। वित्तीय पूंजी किसी भी संगठन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह आने वाले वर्षों में कंपनी के वित्तीय कार्य निष्पादन से प्रतिबिंबित होती है।

आरईसी वित्तीय पूंजी प्रदाताओं को स्थायी आधार पर और लगातार वित्तीय लाभ प्रदान कर मूल्य श्रृंखला सृजित करने में सक्षम रहा है। इससे कंपनी घरेलू के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाने में सक्षम रही है। इसे निम्नलिखित प्रमुख कार्य निष्पादन संसूचकों के माध्यम से देखा जा सकता है।

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार आरईसी की सकल ऋण परिसंपत्ति खाताबही पिछले वर्ष में ₹ 2,81,209.68 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 3,22,424.68 करोड़ हो गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान स्टैंड अलोन आधार पर आरईसी की प्रचालन आय पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 25,309.72 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 29,791.06 करोड़ हो गई है। इसी प्रकार वर्ष के लिए संवितरण भी पिछले वर्ष में ₹ 72,165.43 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 75,666.95 करोड़ हो गया है।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2019–20, के लिए कर पूर्व लाभ ₹ 6,983.29 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2019–20, के लिए निबल लाभ और कुल वृहद आय क्रमशः ₹ 4,886.16 करोड़ और ₹ 4,336.37 करोड़ थी। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार आरईसी का निबल मूल्य ₹ 35,076.56 करोड़ था, जो 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निबल मूल्य अर्थात ₹ 34,302.94 करोड़ की तुलना में 2.26% अधिक है।

आरईसी सरकार को देय करों के भुगतान में भी चौकन्ना रहा है, इस प्रकार यह देश की समग्र प्रगति और विकास को बढ़ावा दे रहा है।

पूंजी के परिनियोजन का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व वित्तीय पूंजी में और इसके माध्यम से मानव पूंजी के साथ–साथ सामाजिक और संबंध आधारित पूंजी बढ़ाने में किया जाता है। आरईसी ने विद्युत क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए अपनी वित्तीय पूंजी के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका रखी है।

विनिर्मित पूंजी

विनिर्मित पूंजी को व्यापक रूप से ऐसी भौतिक वस्तुओं के रूप में देखा जाता है, जो किसी संगठन द्वारा बिक्री अथवा अपने स्वयं के उपयोग के लिए रखी जाती हैं, जिसमें ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं, जो माल, भवनों, अवसंरचना और उपस्कर इत्यादि के उत्पादन में इस्तेमाल के लिए किसी संगठन के पास उपलब्ध होती है। आरईसी, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं/योजनाओं के वित्तपोषण का कारोबार करता है, इस प्रकार यह प्रत्यक्ष रूप से विनिर्मित पूंजी का सृजन नहीं करता है और इसकी प्रमुख सामग्री आवश्यकताओं में बिजली, कार्यालयी आपूर्तियां, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उपस्कर शामिल हैं। कार्यकुशलता में सुधार करने और उसे बनाए रखने के प्रयोजन से आरईसी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों, अवसंरचना और भौतिक परिसंपत्तियों इत्यादि को उन्नत बनाने के लिए उनमें निवेश करता है।

कुशलतापूर्वक अपने पणधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरईसी के देश भर में क्षेत्रीय/राज्य/उप कार्यालय हैं। कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को उपयुक्त आईटी उपकरण, स्मार्ट बजट, वीपीएन कनेक्शन इत्यादि उपलब्ध कराती है, जिससे कि वे व्यापारिक समुदाय सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ स्थानों से, कार्यकुशल ढंग से और निर्बाध रूप से काम करने में सक्षम हो सके।

उन्नत प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए सहयोगात्मक कार्य स्थल निर्मित करने में सहायता के लिए आरईसी गुरूग्राम, हरियाणा में शीघ्र ही एक नया अत्याधुनिक सुविधाओं (स्टेट ऑफ द आर्ट) से युक्त कार्यालय भवन तैयार करने वाला है। विनिर्मित पूंजी आरईसी को मानव संसाधन (पूंजी) और साथ ही बौद्धिक पूंजी निर्मित करने में सहायता प्रदान करती है।

बौद्धिक पूंजी

बौद्धिक पूंजी ऐसी अमूर्त परिसंपत्तियों को संदर्भित करती है, जो कंपनी की वित्तीय स्थितियों को मजबूत बनाती है। इन परिसंपत्तियों में कर्मचारियों की विशेषज्ञता, संगठनात्मक प्रक्रियाएं और संगठन के भीतर ज्ञान योग और ब्रांड प्रतिष्ठा शामिल होते हैं।

आरईसी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय महत्व वाली विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी अथवा परियोजना प्रबंधन/कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है और राज्य सरकारों, राजकीय विद्युत बोर्डों, राजकीय बिजली कंपनियों, निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं आदि के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करता है। विद्युत मंत्रालय की ओर से आरईसी और इसकी सहायक कंपनियों ने कई अनुप्रयोग/पोर्टल विकसित किए हैं जैसे कि ऊर्जा मित्र, गर्व, उदय इत्यादि, जो सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मील का पत्थर साबित हुए हैं।

बौद्धिक पूंजी मानव संसाधनों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है और यह आरईसी की रणनीति की धुरी है। आरईसी ने एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान अर्थात आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद की स्थापना वर्ष 1979 में की थी, जो तकनीकी के साथ–साथ गैर तकनीकी क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से बेहतर उत्पादकता और साथ ही विद्युत क्षेत्र की प्रणालियों के प्रचालन और रख–रखाव (ओ एंड एम) के लिए अपनाई जाने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने के लिए विद्युत क्षेत्र में घटित हो रही घटनाओं के बारे में जागरूकता और ज्ञान बढ़ाने के प्रयोजन से बिजली कंपनियों के मानव संसाधनों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरईसीआईपीएमपी, हैदराबाद ने विद्युत क्षेत्र के संगठनों में कार्यरत विशेषज्ञ और अनुभवी संसाधनों की सहायता से 11,993 कार्य दिवसों का प्रशिक्षण प्रदान किया।

आरईसी ने अपने व्यापार के अनुरूप आवश्यक महत्वपूर्ण सक्षमताएं विकसित की हैं और पर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल प्रदान कर उसे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है।

मानव पूंजी

मानव पूंजी किसी भी कंपनी के कर्मचारियों के पास उपलब्ध कौशल, ज्ञान और विशेषताओं को संदर्भित करता है, जो संगठन को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति, वृद्धि और विकास तथा नवाचारी बने रहने में सहायता प्रदान करता है। इसमें देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रतिभाशाली कार्यबल की सेवाएं प्राप्त करना और उन्हें ऑनबोर्ड करना, उनकी प्रतिभाओं और कौशलों में निखार लाना, प्रबंधन का कार्य निष्पादन और कर्मचारियों का कल्याण शामिल हैं।

आरईसी ने समग्र कार्य दृजीवन संतुलन पर केंद्रित सामान्य कानूनों, विनियमों और सुदृढ़ सैद्धांतिक प्रक्रियाओं के अनुरूप कई कर्मचारी कल्याण उन्मुख नीतियों का अपनाया है, जिनके तहत कर्मचारियों को सही देख–रेख और उनके पोषण के लिए एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है और जिसका उद्देश्य बेहतर कर्मचारी कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक व्यापारी योग्यता और कौशल को प्रखर बनाने के साथ–साथ "दिव्यांग कर्मचारियों" सहित कर्मचारियों को अपने कार्य निष्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए हर संभव अवसर और सहायता प्रदान करना है। कर्मचारी विभिन्न प्रकार के खेल–कूद टूर्नामेंट, सांस्कृतिक, साहित्यिक और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं, जो उनके समग्र विकास को बढ़ावा देने में सहायक हैं। आरईसी ने अपने कर्मचारियों के बीच विश्वास और सहयोग का एक ऐसा वातावरण निर्मित किया है, जिसके फलस्वरूप बहुत ही प्रेरक कार्यबल यहां उपलब्ध है और इसके व्यापारिक कार्य निष्पादन में लगातार सुधार हुआ है।

इसके अलावा कोविड–19 महामारी के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में कार्यालय परिसरों में नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और कर्मचारियों को मास्क पहनने, सैनिटाईजर और अन्य सुरक्षा/संरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आरईसी का मानना है कि मानव पूंजी संगठन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है।

सामाजिक और संबंध आधारित पूंजी

सामाजिक और संबंध आधारित पूंजी ऐसे संसाधनों और मूल्यों को संदर्भित करती है, जो किसी संगठन और इसके पणधारकों के बीच संबंधों द्वारा सृजित किए जाते हैं। इन संबंधों में समुदाय, सरकार, ग्राहकों और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के साथ संबंध शामिल होते हैं। आरईसी का उद्देश्य लोगों और बड़े पैमाने पर समाज के जीवन में बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन लाना है। कंपनी समरज की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील हैं, जिससे कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं में वास्तविक रूप से और कभी दूर न होने वाली कमी के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सके और साथ ही पर्यावरण की रक्षा की जा सके।

कंपनी कर्मचारियों की भर्ती के मामले में महिलाओं और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्यथा सक्षम श्रेणियों के लिए आरक्षण के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों / निर्देशों का भी अनुपालन कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने पर्यावरणीय स्थिरता, कौशल विकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य देख–रेख और अन्यथा सक्षम लोगों की सहायता के लिए इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के कार्यान्वन के लिए सीएसआर पहलों के अंतर्गत वित्तीय सहायता मंजूर की है।

इसके अलावा आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर्स) निधि में रु 150 करोड़ की सीएसआर सहायता का योगदान दिया है और साथ ही श्रमिकों / जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न / राशन, उपयोगिता पैकेट इत्यादि प्रदान करने और कोविड–19 महामारी से प्रभावित भारत के विभिन्न भौगोलिक भूभागों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को चिकित्सा उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए भी ₹ 10 करोड़ आवंटित किए हैं। आरईसी के कर्मचारियों ने **कोविड–19** महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में अपने एक दिन के वेतन का स्वेच्छा से अंशदान दिया है। आरईसी ने विश्व रक्त दान दिवस के अवसर पर अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक रक्त दान अभियान भी आयोजित किया और कंपनी के 80 स्वयंसेवियों ने इस अभियान में भाग लिया।

कोविड–19 महामारी के दौरान वितरण हेतु खाने के पैकेट की सुपुर्दगी

आरईसी वंचित वर्गों, सुभेद्य लोगों और मुख्य धारा से विमुख पणधारकों के लिए बहुत से उपाय करता है और इस प्रकार सामाजिक और संबंध आधारित पूंजी बढ़ाने में योगदान देता है।

प्राकृतिक पूंजी

प्राकृतिक पूंजी ऐसी भावना का प्रतिनिधित्व करती है कि प्रकृति इतनी महत्वपूर्ण मूल्य श्रृंखला प्रदान करती है, जो मानव अस्तित्व के लिए नितांत जरूरी है और इस प्रकार ऐसी कोई भी कार्रवाई जिससे प्राकृतिक पूंजी को क्षति पहुंचती है, वह हमारे समाज के लिए अपने आप में ही निराशाजनक (स्वयं को हराने वाली) है।

आरईसी ई–मोबिलिटी सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को लगातार और तेजी से सहायता प्रदान करता आ रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकासकर्ताओं को प्रतिस्पर्धी शर्तों पर ऋण प्रस्तावित किए जाते हैं। आरईसी यह भी सुनिश्चित करता है कि इसके द्वारा स्वीकृत की गई सभी परियोजनाएं, चाहे वे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित हों अथवा अन्यथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित हों, वे मौजूदा पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन करें। इसके अलावा आरईसी में खतरनाक उत्सजर्नों को कम करने के लिए थर्मल पावर प्लांटों में प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर स्थापित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है।

आरईसी वर्ष 2017 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्टीय प्रतिभूति बाजार खंड में सूचीबद्ध हरित बांडों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से धनराशि जुटाने वाला पहला भारतीय पीएसयू बन गया है। उपर्युक्त हरित बांड की अवधि 10 वर्ष है और उनसे होने वाली आय का उपयोग जलवायु बांड मानकों के अनुसार पात्र हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण / पुनर्वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

आरईसी देश भर में अवस्थित अपने सभी कार्यालयों में 'ई–ऑफिस' प्रणाली लागू कर पेपर रहित कार्यालय बनने वाला विद्युत क्षेत्र का पहला सीपीएसई है, इस प्रकार यह अपने कर्मचारियों कों तुलनात्मक रूप से कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ काम करने में सक्षम बना रहा है। आरईसी कोविड–19 महामारी के बाद से दूरस्थ कार्य पद्धतियों का इस्तेमाल करने के लिए अपने कर्मचारियों को लगातार प्रोत्साहित करता है। आरईसी ने बहुत सी पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रक्रियाओं को अपनाया है, जैसे कि बैठकों के लिए कांच की बोतल और कांच के टंबलर का प्रयोग, प्लास्टिक के फोल्डरों के बजाय कार्डबोर्ड के फोल्डरों का प्रयोग, कैंटीन में पलास्टिक आइटमों के बजाय स्टील कटलरी का प्रयोग इत्यादि। बिजली की बचत के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। कंपनी ने अपने इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को भी न्यूनतम किया है तथा सरकार / प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत रिसाइक्लरों के माध्यम से इसका उत्तरदायी निपटान सुनिश्चित किया है।

आरईसी न केवल प्राकृतिक संसाधनों की खपत न्यूनतम करते हुए बल्कि उसके दुरूपयोग को भी न्यूनतम करते हुए प्राकृतिक पूंजी की सुरक्षा के लिए प्रयास करता है।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक–V

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट सदस्य गण,

सदस्यगण
आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)
कोर–4, स्कोप काम्प्लेक्स
7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

हमने आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा अपनाई जा रही अच्छी कारपोरेट पद्धतियों और लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई कि इससे हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमें अपनी राय व्यक्त करने का तार्किक आधार मिला।

कंपनी के लेखा बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड और सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेन्टों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर आधारित अपने सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी उल्लिखित करते हैं कि कंपनी में समुचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र कार्यरत है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है;

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमने लेखा बही, पेपर्स, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है;

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स) विनियम 2018 के विनियम 76 की सीमा तक बनाए गए विनियम और उपविधि;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्र पार प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;
   (i) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों का मूल अधिग्रहण और अभिग्रहण) विनियम, 2011;
   (ii) भारत की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (आंतरिक कारोबार निषेध) विनियम, 2015;
   (iii) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;
   (iv) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; लागू नहीं है;
   (v) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;
   (vi) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और निर्गत प्रतिभूति की सीमा तक क्लाइंट के साथ व्यवहार संबंधी;
   (vii) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर का असूचीकरण) विनियम, 2009; लागू नहीं है तथा
   (viii) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 2018; लागू नहीं

यह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीबद्ध एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है और यह कंपनी विद्युत क्षेत्र के वित्त प्रदान करने के कारोबार में लगी हुई है, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई है और प्रमाणित किया गया है, क्षेत्रों/कारोबारों के आधार पर कंपनी के लिए निम्नलिखित कानून विशेष रूप से लागू हैं:

– भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी नियम, विनियम एवं अनुदेश।

– लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट शासन संबंधी दिशा–निर्देश।

हमने निम्नलिखित के लिए लागू खंडों/विनियमों की अनुपालना की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक।

(ii) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे दिए गए विवरणों को छोड़कर उपर्युक्त अधिनियम, निमयों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. कंपनी ने 08 फरवरी 2020 से एक महिला निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति (13 नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक) के संदर्भ में सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 149 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।
2. कंपनी ने क्रमशरू 08 फरवरी 2020 और 13 नवंबर 2019 से लेखापरीक्षा समिति और नामांकन तथा मेहनताना समिति के गठन के संदर्भ में सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 178 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।
3. कंपनी ने 08 फरवरी 2020 से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है, क्योंकि तब से कोई भी स्वतंत्र निदेशक इस समिति का सदस्य नहीं रहा।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि:

कंपनी का निदेशक मंडल उपरोक्त टिप्पणी के अधीन कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठित किया गया है। निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान यदि कोई परिवर्तन किया गया तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

बोर्ड की बैठकों के लिए सभी निदेशकों को समुचित रूप से सूचना दी जाती है, कम से कम सात दिन पूर्व कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी भेजी गई थी (अल्प सूचना पर आयोजित बैठकों के अलावा, जिनमें आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन किया गया) और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण मांगने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रक्रिया मौजूद है।

निदेशक मंडल अथवा बोर्ड की समिति, जैसा भी मामला हो, की बैठकों में कार्यवृत्त में बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों के सर्वसम्मति से लिए गए सभी निर्णयों को दर्ज किया जाता है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों की निगरानी और उनका अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुसरण में कंपनी के कार्यों से मुख्य रूप से संबंधित कंपनी के निम्नलिखित विशिष्ट आयोजन/कार्य किए गए:

1. कंपनी ने निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न ऋण लिखतें जारी करके दीर्घावधिक/अल्पावधिक निधि जुटाई है:

क्रम सं.	बाण्ड्स के प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1	कैपिटल गेन बाण्ड्स (54 ईसी कैपिटल गेन बाण्ड्स)	6,157
2	संस्थागत बाण्ड्स	42,713
3	विदेशी मुद्रा उधार और एफसीएनआर (बी) ऋण	18,002
4	वाणिज्यिक दस्तावेज	6,029
5	बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकार से आवधिक ऋण	14,725
6	बैंकों से अल्पावधिक ऋण	2,750
	अवधि के दौरान जुटाई गई कुल निधियां	**90,374**

कृते चंद्रशेखरन एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

डॉ. एस. चंद्रशेखरन
वरिष्ठ भागीदार
सदस्यता सं. एफसीएस 1644
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र सं. 715
यूडीआईएन: F000644B000498954

तिथि : 24.07.2020
स्थान : दिल्ली

सूचनापरक टिप्पणियां :

i. इस रिपोर्ट को हमारे समदिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो इस रिपोर्ट के अनुबंध – क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

ii. कोविड–19 महामारी के चलते प्रतिबंधित आवागमन के कारण हमने कार्यवृत्तों, दस्तावेजों, रजिस्टरों और अन्य रिकॉर्डों इत्यादि सहित सचिवालयी रिकॉर्डों की जांच कर सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित की है और उनमें से कुछ की समीक्षा कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक मोड में की गई तथा उसे मूल रिकॉर्डों से सत्यापित नहीं किया जा सका। प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि की है कि हमें प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड सत्यापित और सही हैं।

iii. यह रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट में सूचीबद्ध कानूनों / विनियमों / दिशानिर्देशों के सांविधिक अनुपालनों तक ही सीमित है, कंपनी द्वारा जिनका अनुपालन वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित इस रिपोर्ट की तारीख तक किया गया है। हम ऐसे सांविधिक अनुपालनों पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जिनकी तारीखें कोविड–19 के कारण समय–समय पर नियामकों द्वारा बढ़ा दी जाती हैं अथवा ऐसे अनुपालनों के लिए समय सीमा अभी भी शेष है।

अनुबंध– क

सदस्यगण,

आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)

कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,

7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

1. सचिवालयी रिपोर्ट का रख–रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयी रिपोर्ट पर राय व्यक्त करने की है।
2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है जो सचिवालयी रिपोर्ट की सामग्री के सही होने के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। यह सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक जांच के आधार पर किया गया था कि सचिवालयी रिपोर्ट में सही तथ्य दर्शाए गए हैं। हमारा विश्वास है कि हमने जिन पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड और लेखाबहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के होने के बारे में प्रबंधन की टिप्पणियां प्राप्त की हैं।
5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच यादृच्छिक जांच के आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने तक सीमित थी।
6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न तो कोई आश्वासन है और न ही इसकी सक्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते चंद्रशेखरन एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

डॉ. एस. चंद्रशेखरन
वरिष्ठ भागीदार
सदस्यता सं. एफसीएस 1644
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र सं. 715
यूडीआईएन: F000644B000498954

तिथि : 24.07.2020
स्थान : दिल्ली

निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण,

आरईसी लिमिटेड,

नई दिल्ली।

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) ("कंपनी") द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसाकि स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 ("सूचीकरण विनियम") (यथा संशोधित) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश 2010 के खंड 8.2.1 में अनुबंधित हैं।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधक वर्ग का है। हमारी जांच निगम द्वारा निगमित सुशासन की शर्तें का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय का प्रकटन करना है।

हमारे दृष्टिकोण में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी 08 फरवरी 2020 से एक महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (13 नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक) की नियुक्ति और वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ निश्चित अवधि के लिए लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और मेहनताना समिति और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन को छोड़कर सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश, 2010 और सूचीकरण विनियमों में यथा उल्लिखित निगमित शासन की अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही थी।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की उस भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है, न ही दक्षता अथवा प्रभावकारिता का, जिसके अनुसार प्रबंधक वर्ग ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

मेसर्स एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नाम – एस. मूर्ति
पदनाम : भागीदार
सदस्यता संख्या : 072290
यूडीआईएन. 20072290AAAABT7496

मेसर्स ओ. पी. बाग्ला एंड कं. एल एल पी.
सनदी लेखाकार आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 000018एन/एन 500091

नाम – अतुल अग्रवाल
पदनाम : भागीदार
सदस्यता संख्या : 092656
यूडीआईएन. 20092656AAAAFL3784

दिनांकः 07 अगस्त 2020
स्थानः नई दिल्ली

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक–VII

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **क. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा**

कंपनी के पास कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थायित्व नीति) नियमावली 2014 में उल्लिखित सीएसआर नीतिगत ढांचेय और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थायित्व पर दिशानिर्देशों के अनुरूप एक 'निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व' और स्थायित्व नीति है

कंपनी की सीएसआर और स्थायित्व नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

दृष्टिकोण

आरईसी सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ–साथ यथा संभव सीमा तक अपनी व्यापारिक नीतियों और रणनीतियों के साथ सीएसआर और सथायित्व नीति को संरेखित करने में अपनी महत्वपूर्ण क्षमताओं और अपनी संसाधन क्षमताओं के पूरी तरह से दोहन के लिए प्रयास करेगा।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत व्यापक गतिविधियां:

कंपनी समुदाय, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं से निपटने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की एक श्रृंखला के द्वारा एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करेगी, जिसे परियोजना मोड में, यथासंभव ध्यान केंद्रित तरीके से रणनीतिक रूप से किया जाएगा।

यद्यपि, कंपनी उपलब्ध विकल्पों में से एक विशाल रेंज से सीएसआर परियोजनाओं का चयन कर सकती है, फिर भी समाज के समावेशी विकास से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी, दिए गए चुने/फोकस क्षेत्रों और पर्यावरण संधारणीयता में समाज के कमजोर वर्गों और देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। उपरोक्त के अनुसार,कंपनी उस कथित अधिनियम की अनुसूची 7 के अनुरूप निर्धारित गतिविधियों के साथ–साथ सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों को पूरा करना सुनिश्चित करे।

वित्तीय घटक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार तत्काल तीन वित्तीय वर्ष के निवल लाभ का कंपनी कम से कम 2: कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर खर्च करे। निवल लाभ का अर्थ कंपनी के उस है जो उसके वित्तीय विवरण के अनुसार तैयार किया गया है और इस अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया गया है।

सीएसआर के तहत संस्थागत स्थापना:

संस्थागत व्यवस्था निम्नानुसार होगी:

बोर्ड की एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (श्सीएसआर कमेटीश) का गठन किया जाएगा जिसमें तीन या अधिक निदेशकों की व्यवस्था होगी, जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की भूमिका और उत्तरदायित्व अन्य बातों के साथ–साथ, बोर्ड को कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को तैयार करने और अनुशंसा के लिए दी जाने वाली जाने वाली गतिविधियां अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट है, निगरानी और व्यय राशि की अनुशंसा, समय–समय पर बोर्ड निदेशकों को रिपोर्ट जमा करना शामिल है।

निदेशक मंडल की भूमिका और उत्तरदायित्व में, बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन सुनिश्चित करने, कंपनी की सीएसआर नीति को मंजूरी देने, बोर्ड के सीएसआर कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और इसकी रिपोर्ट में ऐसी नीति की सामग्री का खुलासा करें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके की इस सीएसआर नीति की गतिविधियां अनुसूची 7, इत्यादि में शामिल गतिविधियों से संबंधित हैं।

जबकि बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति पूरी गतिविधियों पर नजर रखेगी, सीएसआर परियोजनाओं को संचालित करेगी, सीएसआर परियोजना प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और सिफारिश के मार्गदर्शन के लिए यह समिति तत्पर रहेगी :

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2019 के लिए 'स्वच्छता पुरस्कार' से सम्मानित

आरईसी लिमिटेड द्वारा पूरे भारत के 25 स्कूलों में इंटीग्रिटी क्लबों की स्थापना

सीएसआर गतिविधियों के लिए निष्पादन तंत्रः

सीएसआर की गतिविधियों को कंपनी द्वारा घोषित सीएसआर नीति के अनुसार, परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के रूप में लागू किया जाएगा (या तो नए या चल रहे), अपने सामान्य व्यवसाय के पाठ्यक्रम के अनुसरण में की गयी गतिविधियों को छोड़कर।

कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित किसी कंपनी के माध्यम से अपनी सीएसआर गतिविधियों को कराने का निर्णय ले सकती है या एक पंजीकृत ट्रस्ट या कंपनी द्वारा स्थापित एक पंजीकृत समाज, या तो अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ,या कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत अनुमति के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संसद के एक अधिनियम या राज्य विधानमंडल के तहत स्थापित किसी भी संस्था द्वारा। उपर्युक्त के अनुरूप, कंपनी उन एजेंसियों को प्राथमिकता दे सकती है, जिनके पास उनके कार्यप्रणाली के फोकस क्षेत्र के अनुसार सरकार / अर्द्ध–सरकारी / पीएसयू / स्वायत्त निकायों के साथ पिछले कार्य अनुभव है।

आरईसी ने 'आरईसी फाउंडेशन' सोसाइटी की स्थापना की है एवं वर्तमान में सभी प्रकार के सीएसआर क्रियाकलापों को इसी सोसाइटी के माध्यम से निष्पादित करती है।

निगरानी

कंपनी सीएसआर परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन प्रगति / निगरानी दिशा–निर्देशों के अनुरूप सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन / निगरानी करेगी।

कंपनी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों / राज्य कार्यालयों / कारपोरेट कार्यालयों या बाहरी एजेंसी द्वारा अपने स्वयं के जनशक्ति के माध्यम से, सीएसआर परियोजनाओं की आवधिक निगरानी, कार्यान्वयन या अन्यथा के साथ आवधिक निगरानी कर सकती है, यह आकलन करने के लिए कि क्या समयसीमा, बजटीय व्यय और भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि आदि की प्रगति अपेक्षित लाइनों पर है।

विस्तृत सीएसआर और संधारणीयता नीति के लिए, नीचे दिए गए अनुसार(ग) कृपया आरईसी वेबसाइट पर देखें।

ख. आरईसी फाउंडेशन

आरईसी लिमिटेड ने सीएसआर क्रियाकलाप करने के लिए एक सोसायटी 'आरईसी फाउंडेशन' बनाईया है। आरईसी फाउंडेशन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह फाउंडेशन आरईसी लिमिटेड के अधिशासी निकाय जिसमें आरईसी के नामित अधिकारियों द्वारा शासित होता है। वर्तमान में सभी सीएसआर परियोजनाएं आरईसी फाउंडेशन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

आरईसी फाउंडेशन का प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो परियोजनाओं की योजना, निष्पादन, मॉनीटरिंग, पहचान और पूरा करने, सांविधिक अनुपालनों और रिपोर्टिंग आदि के लिए जिम्मेदार होता है। आरईसी फाउंडेशन में सामाजिक कार्य, वित्त और मानव संसाधन व्यावसायिकों का एक समर्पित दल है जिसका प्रबंधन आरईसी फाउंडेशन के आसान प्रचालन के लिए सीईओ द्वारा किया जाता है।

ग. शुरू की गई परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन

कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों के अनुसार, "कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर)" का अर्थ है, और इसमें निम्न बातें शामिल हैं, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं हैः–

(i) अधिनियम में अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रमय या

(ii) कंपनी के घोषित सीएसआर नीति के अनुसार बोर्ड की सीएसआर कमेटी की सिफारिशों के अनुपालन में कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") द्वारा की गई गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम।

आरईसी अपने सीएसआर पहल के माध्यम से राष्ट्रीय विकास एजेंडे के रूप में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है तथा आर्थिक दृष्टि और से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, बुजुर्ग व्यक्तियों, दिव्यांगों, बच्चों, युवाओं, आदि को सशक्त बनाने के लिए लाभार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम तक पहुंच हेतु एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में संधारणीयता के साथ सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं को धन और समर्थन देने का प्रयास कर रही है है। वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए/चालू किए जाने वाले विषय–विषयक परियोजनाओं / कार्यक्रमों का अवलोकन निम्नानुसार हैः

i. स्वच्छता को बढ़ावा देने और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए स्वच्छ भारत कोष में अंशदान सहित भूखमरी, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन और निवारक स्वास्थ्य देख–रेख और स्वच्छता को बढ़ावा देनाः

नगरपालिक ठोस अपशिष्ट पदार्थों की अभियांत्रिकीय सफाई, संग्रहण और परिवहन सुविधा की स्थापना के लिए परियोजना को सहायता प्रदान कर 'मैं कुछ भी कर सकती हूं' सत्र – 3 शीर्षक के अंतर्गत संचार हस्तक्षेप के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं

सेंट्रल स्टेराईल सप्लाई डिपार्टमेंट (सीएसएसडी), एम्स, नई दिल्ली की यूनिट का नवीनीकरण और उसके लिए चिकित्सा उपस्कर की खरीद

पंडित राम सुमेर शुक्ल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रूद्रपुर उधमसिंह नगर, उत्तराखंड के अवसंरचना विकास के लिए आंशिक निधियन

के आसपास मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा स्वच्छ भारत मिशन– स्थायी और सुरक्षित स्वच्छता प्रकियाओं के संदेश को बल देते हुए , ग्रामीण समुदायों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल एटीएम और हैंड पंपों की स्थापना, अस्पतालों के लिए अवसंरचना विकास, अस्पतालों को चिकित्सा उपस्कर उपलब्ध कराकर 'सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दूध के पाउचों का वितरण, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण, कोरोना वायरस (कोविड–19) से महामारी के प्रसार को देखते हुए लॉकडाउन के कारण पलायन करने वाले श्रमिकों और गरीब लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण इत्यादि।

ii. **शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसायिक कौशल शामिल हैं, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, प्रौढ़ और अन्यथा सक्षम लोगों को शिक्षित करना और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएं संचालित करना;**

स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना, संकल्पनात्मक अनुसंधान अनुभव के माध्यम से युवा नवोन्वेषक तैयार करना, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को अध्ययन, खाद्यान्न और अन्य आधारभूत जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करना, विभिन्न गंदी बस्तियों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों के वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नवाचारी चल स्कूलों को सहायता प्रदान करना, महिलाओं सहित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं के लिए विभिन्न ट्रेडों में रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करना।

मशीन ऑपरेशन, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लास्टिक प्रोसेसिंग, ब्लो मोल्डिंग पर 1000 युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।

मणिपुर के चंदेल जिले में छात्रावासों के निर्माण और अन्य अवसंरचना विकास के माध्यम से स्कूली शिक्षा का कायाकल्प करना। निर्मित किए गए छात्रावास का प्रयोग अभी कोविड–19 के मरीजों के इलाज के लिए किया जा रहा है।

iii. **लिंग समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए घरों और छात्रावासों का निर्माण करनाय वृद्धाश्रमों, डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे अन्य सुविधाओं की स्थापना करना तथा सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के समक्ष मौजूदा असमानताओं को घटाने के लिए उपाय करनाः**

महिला लाभार्थियों के लिए कौशल विकास और आजीविका सहायता हेतु परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना, बुजुर्गों की देखरेख के लिए कल्याण सुविधाओं के साथ आश्रय गृह का निर्माण और प्रचालन, बहु आयामी रणनीति के माध्यम से जवान लड़कियों (होने वाली माताएं) की रक्षा और विकास के लिए कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना इत्यादि।

iv.. **पर्यावरणीय स्थायित्व, पारिस्थितकीय संतुलन, वन्य जीव–जंतुओं और वनस्पतियों का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वाणिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मृदा, वायु और जल की गुणवत्ता बनाए रखना, जिसमें गंगा नदी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की गई स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान शामिल हैः**

विभिन्न संस्थानों में सौर पीवी पैनल की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली की स्थापना, पार्कों के विकास आदि के लिए परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना।

भारत के विभिन्न स्थानों में किशोर स्वास्थ्य देख–रेख को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करना।

पंजाब और उत्तर प्रदेश में 880 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर महिला सशक्तिकरण में योगदान देना

v. कोरोना वायरस– कोविड 19 के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन स्थितियों में प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर्स) निधि में अंशदान

vi. ग्रामीण विकास परियोजनाएं:

कृषक–केंद्रित एकीकृत वाटरशेड विकास के लिए ग्रामीण आजीविका में सुधार, पुलों का निर्माण, कुओं को और गहरा करना, चेक डैम का निर्माण एवं नवीनीकरण, समुदाय के आस–पास प्रकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण, खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा के इष्ट उपयोग, समुदाय हॉल, पीसीसी रोड, कंड्यूट, सूखा प्रभावित क्षेत्र आदि में रहने वाले किसानों को बीज का वितरण आदि जैसे ग्रामीण विकास कार्य, एलईडी लाइटों की स्थापना आदि के लिए विभिन्न परियोजनाओं, समुदाय विकास जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय आधारित क्रियाकलापों का समर्थन।

2. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति एवं कार्यक्रमों का वेब लिंक:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप, कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति और वित्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर अपलोड किया गया है।

कंपनी की वेबसाइट पर मौजूदा सीएसआर परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति को भी समय–समय पर अपलोड किया जा रहा है।

3. सीएसआर समिति का गठन:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी, बोर्ड की एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करेगी जिसमें तीन या इससे अधिक निदेशक शामिल होंगे, जिसमें से कम से कम एक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक होगा।

निदेशकों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना निम्नानुसार है जो 31 मार्च, 2020 से प्रभावी है:

(i) श्री अजीत कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) – समिति के अध्यक्ष

(ii) श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) – सदस्य

(iii) श्री प्रवीण कुमार सिंह, नामित निदेशक, (पीएफसी)– सदस्य

4. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का निवल लाभ निम्नानुसार है:

		(₹ करोड़ में)
वित्त वर्ष 2016–17	–	8,774.66
वित्त वर्ष 2017–18	–	6,391.84
वित्त वर्ष 2018–19	–	8,335.41
कुल	–	**23,501.91**
औसत निवल लाभ	–	₹ 7,883.97 करोड़

5. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त उल्लिखित राशि का 2 प्रतिशत) - ₹ 156.68 करोड़

6. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण;

(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि; ₹ 399.85 करोड़ है।
(चूंकि वित्त वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 156.68 करोड़ और पिछले वर्षों की तुलना में ₹ 243.17 करोड़ आगे बढ़ाया गया है)

(ख) खर्च की गयी राशि, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि ₹ 258.40 करोड़ है तथा जिस रूप में राशि खर्च की गई वह **अनुलग्नक– क** पर दिया गया है।

(ग) खर्च न की गयी राशि, यदि कोई हो: वर्ष के लिए खर्च न की गयी राशि ₹ 141.45 करोड़ है।

7. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निबल लाभ के दो प्रतिशत के बराबर अथवा उसके किसी भाग की धनराशि को खर्च करने में विफल हो जाती है, तो कंपनी अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ऐसी राशि को खर्च न कर पाने के कारण बताएगी;

कंपनी द्वारा स्वीकृत की गई ज्यादातर सीएसआर परियोजनाएं लंबी अवधि में पूरी होती हैं। मंजूरी की शर्तों के अनुसार पहले से निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के साथ परियोजना के अंतर्गत संवितरण जुड़ा हुआ है, जिन्हें एक वर्ष से अधिक की समयावधि में पूरा करना आवश्यक होता है। चूंकि परियोजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और भौतिक प्रगति के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, इसलिए संवितरण नहीं किया जा सका। प्रगति आधारित लक्ष्यों के अनुसार आगामी वर्षों में यह खर्च न की गई ₹ 141.45 करोड़ की राशि जारी की जाएगी।

8. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व विवरण:

कंपनी द्वारा सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा इससे जुड़ी नीतियों के अनुपालन में है।

हस्ता./–
अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 06629871

हस्ता./–
(श्री संजीव कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन : 03464342

अनुबंध–क

वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर व्यय का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1. क स्वच्छता							
1	स्वास्थ्य एवं शिक्षा परिणामों में सुधार के लिए विद्यालयों में जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य–विज्ञान के लिए सहायता	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करन, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना	जिला उनाकोटी, त्रिपुरा	0.49	0.04	0.29	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, उनाकोटी
2	स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में स्वच्छता सुविधाओं की स्थापना		उत्तर प्रदेश पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में 33 जिले	190.00	(0.25)	152.64	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड और संबंधित राज्य शिक्षा प्राधिकरण
3	वाराणसी के 14 वार्डों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की यंत्रीकृत सफाई, संग्रह और परिवहन की स्थापना		वाराणसी, उत्तर प्रदेश	10.00	6.00	10.00	वाराणसी नगर निगम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
4	अनुसूचित जाति समुदायों और प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सेवाओं के लिए जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य–विज्ञान की स्थापना		आंध्र प्रदेश में प्रकासम, गुंटूर, कृष्णा और चित्तूर जिले	4.19	2.82	3.66	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत विकास सोसायटी (एसआईडीयूआर)
5	विद्युत शवदाह गृह की स्थापना		जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	1.46	0.84	0.84	जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद
6	स्वच्छ भारत मिशन के संदेश को बढ़ाना – "मैं कुछ भी कर सकती हूँ" के सीजन–3 नामक संचार माध्यस्थता शीर्षक के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारिता के मुद्दों के अतिरिक्त संधारित एवं सुरक्षित स्वच्छता परिपाटियां		सम्पूर्ण भारत	10.00	5.22	10.63	पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएफआई)
7	स्वच्छता कार्रवाई योजना के तहत स्लम क्षेत्रों में सफाई, पेयजल सुविधाओं, स्वच्छता आदि के लिए सहायता		सम्पूर्ण भारत	2.10	0.13	0.13	क्षेत्रीय कार्यालय आरईसी लिमिटेड
			उप–जोड़ (क)	**218.25**	**14.79**	**178.19**	

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1. ख स्वास्थ्य देखभाल							
8.	सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिफॉरमिटी करेक्शन के रूप में संस्थान की स्थापना के लिए एसवीएनआईआरटीएआर में भवन के निर्माण द्वारा अवसंरचना विकास	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करन, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना	जिला कटक, ओडिशा	15.89	2.47	4.12	स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलीटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च (एसवीएनआईआरटीएआर)
9.	सरकारी विद्यालयों में स्कूली बच्चों को स्वादिष्ट दूध के वितरण/आपूर्ति के लिए सहायता		जिला लातेहर, झारखंड	2.60	0.20	2.34	नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशियन
10.	लगभग 8000–9000 दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण		सम्पूर्ण भारत	10.00	1.68	7.15	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एएलआईएमसीओ)
11.	एलिवेटर कक्ष के निर्माण तथा सिविल अस्पताल में एलिवेटर की संस्थापना द्वारा अवसंरचना विकास		जिला आइजॉल, मिजोरम	0.59	0.14	0.14	चिकित्सा अधीक्षक, सिविल अस्पताल, आइजॉल
12.	कुष्ठ प्रभावित और अन्य गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए द लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन थिएटर और मातृत्व ब्लॉक के निर्माण कर और उपकरण लगाकर अवसंरचना विकास		छत्तीसगढ़ में चम्पा, उत्तर प्रदेश में फैजाबाद और तमिलनाडु में वदाथोरासलूर	5.00	0.48	0.48	द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली
13.	गांधी मैमोरियल अस्पताल (एक सरकारी अस्पताल) का निर्माण एवं नवीकरण		रीवा, मध्य प्रदेश	10.96	3.73	6.94	मेडिकल कॉलेज रीवा
14.	भारत में विभिन्न स्थानों पर श्रवण दोष वाले बच्चों को कोचलियर इम्प्लांट्स की आपूर्ति और फिटमेंट		सम्पूर्ण भारत	6.00	1.68	1.68	अली यवर जुंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेब्लीटीज (एवाई जेएनआईएसएचडी)
15.	ब्लड बैंक सह प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण तथा ब्लड बैंक उपकरणों का उन्नयन		जिला अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश	1.66	0.50	0.50	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, आंध्र प्रदेश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
16.	मरणासन्न रूप से बीमार कैंसर रोगियों को सहायता देने के लिए विराट अस्पताल में रेडियोथैरेपी यूनिट का निर्माण		जबलपुर, मध्य प्रदेश	3.32	1.66	1.66	ब्रह्मऋषि मिशन समिति, जबलपुर
17.	एकीकृत मजबूत डिस्ट्रॉफी और पुनर्वास केंद्र "मानव मंदिर" का निर्माण		सोलन, हिमाचल प्रदेश	1.10	0.88	0.88	इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, हिमाचल प्रदेश
18.	सोसायटी के 2500 विशेषीकृत दिव्यांग लोगों के लिए सहायता और उपकरण प्रदान करना		सम्पूर्ण भारत	1.00	1.00	1.00	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति
19.	ओडिशा के 30 जिलों में लाल रक्त कोशिका बीमारियों और थैलीसीमिया के नियंत्रण के लिए समुदाय कार्यक्रम हेतु आंशिक वित्तपोषण		सम्पूर्ण भारत	25.00	2.50	2.50	क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर
20.	ग्रामीण लड़कियोंधकिशोरियोंध महिलाओं के बीच मासिक धर्म स्वच्छता पर सस्ती सैनिटरी नैपकिन और जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण		जिला पलवल, हरियाणा	0.12	0.05	0.05	सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मसेस (एसपीवाईएम)
21.	शवों को लाने व ले जाने के लिए 3 शव वाहनों की खरीद		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.45	0.41	0.41	शहीद भगत सिंह सेवा दल
22.	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की आपूर्ति के लिए केंद्रीकृत रसोई की प्रचालन दक्षता में सुधार करने के लिए रोलर कन्वेयर सिस्टम की खरीद और संस्थापना		गांव अथल, जिला सिलवासा, दादरा व नागर हवेली	0.88	0.26	0.26	दादरा व नागर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
23.	पंडित राम सुमेर शुक्ला स्मृति गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड का अवसंरचना विकास		ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड	18.35	7.34	7.34	जिला मजिस्ट्रेट, ऊधम सिंह नगर
24.	स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में नवीकरण और निर्माण द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार		जिला ममित, मिजोरम	11.83	5.08	5.08	उपायुक्त, ममित

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
25.	जिला अस्पताल में स्वास्थ्य एवं स्कूली शिक्षा अवसंरचना सहायता का रुपांतरण, अस्पताल के कर्मचारियों को सुदृढ़ करना, जेनरेटरों की खरीद, सरकारी विद्यालय भवन में अवसंरचना विकास, शिक्षक प्रशिक्षण इत्यादि		जिले किफिरे, नागालैंड	5.56	2.08	2.08	उपायुक्त, किफिरे
26.	चिकित्सा विभाग के लिए स्टाफ क्वार्टर का निर्माणध्विस्तार तथा शिक्षकों के लिए मॉड्यूलर पूर्वनिर्मित आवास (क्वार्टर)		जिले किफिरे, नागालैंड	4.10	0.30	0.30	उपायुक्त, किफिरे
27.	स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में सेवास्थ्य सेवाओं का सुधार		जिला चंदेल, मणिपुर	2.17	1.21	1.21	उपायुक्त, चंदेल
28.	जिला अस्पताल एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा उपकरण और साधन प्रदान करना		जिला पश्चिमी सिक्किम, सिक्किम	1.63	1.30	1.30	जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम सिक्किम
29.	एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड ऐजुकेशन इन कैंसर (एसीटीआरईसी) में सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण		मुंबई, महाराष्ट्र	8.83	2.14	2.14	टाटा मैमोरियल सेंटर
30.	कोरोना वायरस कोविड–19 महामारी के प्रभाव देखते हुए लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों, गरीब लोगों आदि को भोजन उपलब्ध कराना		सम्पूर्ण भारत	7.00	1.59	1.59	आरईसी/विद्युत यूटिलिटियां/स्थानीय प्रशासन
			उप–जोड़ (ख)	**144.06**	**38.71**	**51.16**	

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1. ग स्वच्छ पेयजल							
31.	तीन राज्यों के 15 गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करन, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना	तेलंगाना में नलगोंडा, राजस्थान में टोंक व जयपुर तथा पंजाब में संगरूर	2.50	0.25	2.07	नांदी फाउंडेशन, हैदराबाद
32.	यूपीएसआरटीसी के 10 विभिन्न बस स्टेशनों पर वाटर एटीएम मशीनों की संस्थापना और समुदाय जल संयंत्र लगाना		उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, इटावा, गाजियाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, हरदोई, आजमगढ़, इलाहाबाद और वाराणसी बस स्टेशन	0.89	0.09	0.89	यूरेका फोर्ब्स इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट
33.	ग्रामीण क्षेत्रों में 275 हैंडपम्पों की संस्थापना		जिला श्रीवास्ती, उत्तर प्रदेश	0.99	0.50	0.69	जिला मजिस्ट्रेट, श्रीवास्ती
34.	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 हैंडपम्पों की संस्थापना		जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	1.04	0.51	0.72	जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद
35.	गांवों में 100 हैंडों की संस्थापना तथा घाट का निर्माण और तालाब की खुदाई		जिला बगाहा और चिवंताहा, बिहार	1.01	0.35	0.65	पर्यावरण केयर सोसायटी
36.	विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर 20 वाटर एटीएम मशीनों की संस्थापना		उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और झारखंड	1.78	0.88	1.52	बिसनोली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान (बीएसजीएसएस)
37.	ग्रामीण क्षेत्रों में 30 हैंडपम्पों की संस्थापना		जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	0.19	0.19	0.19	गांधी ग्रामोदय
			उप–जोड़ (ग)	**8.40**	**2.76**	**6.74**	
			श्रेणी (1) के लिए उप–जोड़	**370.71**	**55.26**	**236.09**	

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2. क शिक्षा							
38.	शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकारी हाईस्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम (वीसीआर) की स्थापना	विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं शारीरिक रूप से अक्षण लोगों के लिए रोजगारवर्धक व्यावसायिक कौशल एवं विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आजीविका के संवर्धन संबंधी परियोजनाएं	कर्नाटक में 10 जिले	1.74	0.33	1.65	कर्नाटक स्टेट काउंसिल फॉर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी (केएससीएसटी), बैंगलोर
39.	10 सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सहायता		जिला आइजॉल, मिजोरम	0.05	0.03	0.04	उपायुक्त, आइजॉल
40.	30 सरकारी संस्थानों में संकल्पनात्मक अनुसंधान अनुभव के माध्यम से नए–नए युवाओं को आगे बढ़ाना		सम्पूर्ण तेलंगाना	3.03	0.63	3.03	टी–हब फाउंडेशन
41.	25 स्कूलों में आरईसी इंटीग्रिटी क्लबों की स्थापना		सम्पूर्ण भारत	0.80	0.27	0.29	आरईसी
42.	सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की प्राथमिक शिक्षा संबंधी शिक्षण परिणामों में सुधार		जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	1.31	0.20	1.24	रिसर्च एंड एक्सटेंशन एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन हॉर्टीकल्चर एंड एग्रो–फोरेस्ट्री (आरईएसीएचए)
43.	फर्नीचर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, साउंड सिस्टम, सोलर लाइट पैनल, आरओ वाटर इत्यादि प्रदान करके 20 सरकारों विद्यालयों का अवसंरचना विकास		जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	1.00	0.48	0.48	जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद
44.	24 सरकारी विद्यालयों में कंपाउंड दीवारों के निर्माण और गेट प्रदान करने के लिए सहायता		जिला महबूबनगर, आंध्र प्रदेश	2.51	0.75	0.75	जिला मजिस्ट्रेट, महबूबनगर
45.	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (केआईएसएस) में रह रहे एवं अध्ययनरत 300 जनजातीय बच्चों को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतें प्रदान करने के लिए सहायता		भुवनेश्वर, ओडिशा	0.90	0.68	0.68	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (केआईएसएस)
46.	शिक्षण सहायक सामग्री, अवसंरचनात्मक विकास आदि प्रदान करके दृश्य दोष वाले बच्चों के लिए समग्र शिक्षा और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना।		नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, आर. के. पुरम कैम्पस, नई दिल्ली	1.34	0.50	0.50	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट / संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
47.	द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) उत्तराखंड स्टेट सेंटर देहरादून के सेमिनार हॉल का नवीनीकरण कार्य		देहरादून, उत्तराखंड	0.25	0.25	0.25	द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत), देहरादून
48.	30 सरकारी संस्थानों से 1800 विद्यार्थियों और 150 शिक्षकों को संकल्पना अनुसंधान अनुभव के माध्यम से युवा प्रवर्तक बनाना		सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश	1.62	0.32	0.32	आईआईटी, कानपुर
49.	विद्यालयी पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षकों की भर्ती, स्मार्ट क्लास प्रदान करके, छात्रावास का नवीनीकरण, फर्नीचर प्रदान करके, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षकों एवं छात्रों के एक्सपोजर विजिट आदि के सुदृढ़ीकरण द्वारा स्कूली शिक्षा का रुपांतरण		जिला पश्चिम सिक्किम, सिक्किम	16.85	2.59	2.59	जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम सिक्किम
50.	प्रोजेक्ट, पानी की सुविधा, फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड और मार्कर, विद्यालय एवं छात्रावास में अवसंरचना सहायता, विज्ञान प्रयोगशालाओं इत्यादि प्रदान करके स्कूली शिक्षा का रुपांतरण		जिला चंदेल, मणिपुर	4.00	1.98	1.98	उपायुक्त, चंदेल
51.	सरकारी स्कूलों में 94 जलशोधन प्रणाली प्रदान करना तथा एचएससी (हायर सेकेंडरी ऐजुकेशन) संभावित विद्यार्थियों के लिए सुपर 30 की शुरूआत करना		जिला गजपति, ओडिशा	1.57	0.63	0.63	जिला कलेक्टर, गजपति
52.	उपकरण, शिक्षकों को प्रशिक्षण, महिला साक्षरता में वृद्धि, सरकारी स्कूलों में पेयजल प्रदान करके इत्यादि प्रदान करके स्कूली शिक्षा में रुपांतरण		जिला ममित, मिजोरम	8.80	4.06	4.06	उपायुक्त, ममित
53.	जिला के 150 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री–स्कूलों में परिवर्तित करना		ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड	2.25	0.90	0.90	जिला मजिस्ट्रेट, ऊधम सिंह नगर

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
54.	17 सरकारी स्कूलों के अवसंरचना विकास, चारदीवारी, क्लास रूम से स्मार्ट क्लास रूम में परिवर्तित करके, खेल उपकरण प्रदान करके, विद्यालयी पुस्तकालय, विज्ञान/गणित प्रयोगशाला इत्यादि द्वारा विद्यालयी शिक्षा में रुपांतरण		जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	3.08	1.23	1.23	उपायुक्त, कांगड़ा
55.	संदलपुर गांव में जनजातीय बच्चों के लिए लड़कों के छात्रावास (द्वितीय तल) का निर्माण तथा गांव बारकलिकापुर में परिवार बंगाल रेजिडेंसियल इंस्टीट्यूशन में 150 आवासीय लड़कियों को पढ़ाई, भोजन तथा अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करना		जिला देवास, मध्य प्रदेश और जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल	0.96	0.29	0.29	परिवार ऐजुकेशन सोसायटी
56.	विशेष दिव्यांग बच्चों के लिए अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र (तृतीय तल), चारदीवारी तथा अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र में खेल के मैदान की स्थापना		गांव विदयपुर, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	2.00	0.40	0.40	चेतना हिमाचल प्रदेश (सीएचपी), बिलासपुर
57.	विभिन्न स्लम क्षेत्रों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के 462 बच्चों वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अभिनव मोबाइल स्कूल		गुरूग्राम, हरियाणा	0.72	0.73	0.43	ऑल इंडिया सिटीजन्स एलाइंस फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट (एआईसीएपीडी)
58.	32 सरकारी स्कूलों में 53 अतिरिक्त क्लास रूमों का निर्माण		जिला गजपति, ओडिशा	3.32	1.33	1.33	जिला कलेक्टर, गजपति
			उप–जोड़ (क)	**58.09**	**18.27**	**23.08**	

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2. ख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम							
59.	लगभग 7000 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए रोजगारवर्धक व्यावसायिक कौशल एवं विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आजीविका के संवर्धन संबंधी परियोजनाएं	सम्पूर्ण भारत	10.00	1.34	8.19	राष्ट्रीय कौशल विकास निधि/राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन (एनएसडीसी)
60.	540 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		सम्पूर्ण भारत	1.95	0.40	1.76	एपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी), गुड़गांव
61.	1000 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलाडु, ओडिशा, तेलंगाना और झारखंड इत्यादि	2.69	1.04	2.58	इंडो–जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आईजीआईएटी), आंध्र प्रदेश
62.	अनुसूचित जाति से संबंधित 1650 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम		कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश	6.16	3.08	3.08	नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएससीएफडीसी)
63.	प्रत्येक 10 महिलाओं से मिलकर बने 100 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना		मेवात, हरियाणा	0.77	0.57	0.72	मैट्रिक्स सोसायटी फॉर सोशल सर्विसेज, मेवात
64.	1300 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		पिथौरागढ़	1.48	0.74	1.04	महिला आश्रम मुवानी, पिथौरागढ़
65.	880 महिला लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		पंजाब में गुरदासपुर जिला और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिला	1.25	0.40	0.94	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान (बीएसजीएसएस)
66.	1000 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		सम्पूर्ण भारत	6.00	4.70	4.70	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी), चेन्नई
67.	700 विशेष दिव्यांग लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास आवासीय प्रशिक्षण		सम्पूर्ण भारत	2.54	0.51	0.51	समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड
68.	500 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम		नोएडा, उत्तर प्रदेश	1.75	0.87	0.87	इंटरनेशनल कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट (आईसीआई), नोएडा

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
69.	2000 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		औरंगाबाद, महाराष्ट्र	4.61	1.84	1.84	महर्षि शिक्षण प्रसारक मंडल
70.	1200 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम		भोपाल, मध्य प्रदेश	4.31	2.29	2.29	सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस (सीआरआईएसपी)
71.	1100 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण		सम्पूर्ण भारत	2.58	0.73	0.73	द एपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर
72.	लगभग 3480 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण तथा विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों को उपकरण प्रदान करना		जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख	10.00	4.32	4.32	राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) के नियंत्राधीन राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन (एनएसडीसी)
73.	1000 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	1.54	0.46	0.46	मैट्रिक्स सोसायटी फॉर सोशल सर्विसेस (एमएएसएस)
			उप–जोड़ (ख)	57.62	23.31	34.04	
			श्रेणी (2) के लिए उप–जोड़	**115.71**	**41.57**	**57.12**	
3.	**महिला सशक्तिकरण, वृद्धाश्रम की स्थापना आदि**						
74.	वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य सुविधा से युक्त आश्रय स्थल का निर्माण एवं प्रचालन	महिला सशक्तिकरण, महिला एवं बेसहारा लोगों के लिए आवास एवं छात्रावास की स्थापना, वृद्धाश्रमों तथा दिवस देखभाल केंद्रों की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों आदि के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं	लेह–लद्दाख, जम्मू व कश्मीर	3.50	1.00	1.31	हेल्पएज इंडिया, नई दिल्ली
75.	एक लंबी रणनीति के माध्यम से युवा लड़कियों (चाहें वे माता हों) का संरक्षण एवं विकास		जिला विजयपुरा, कर्नाटक	0.17	0.05	0.05	उपायुक्त, विजयपुरा
			श्रेणी (3) के लिए उप–जोड़	**3.67**	**1.05**	**1.36**	**कुल**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
4.	**पर्यावरणीय धारणीयता सुनिश्चित करना**						
76.	ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी आधारित 1600 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना	गंगा नदी के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा नदी में अंशदान करने सहित पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पति एवं जीव का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वन–विज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण और मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता बनाये रखने को सुनिश्चित करना	जिला अशोकनगर, गुना और शिवपुरी, मध्य प्रदेश	4.82	0.94	4.80	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली
77.	ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 1400 घरों को स्वच्छ ऊर्जा सेवा प्रदान करने के लिए सोलर माइक्रो ग्रिड की स्थापना		झारखंड और ओडिशा	1.98	0.23	1.53	द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टीईआरआई), नई दिल्ली
78.	हरित ऊर्जा के लिए प्रेसीडेंट एस्टेट में सौर विद्युत पैनलों की संस्थापना		नई दिल्ली	2.49	0.15	2.49	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)
79.	आईआईटी कैम्पस में 279 केडब्ल्यूपी एसपीवी प्रणाली और 2200 एलईडी लाइटों की संस्थापना		बैंगलोर, कर्नाटक	4.94	0.35	3.47	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी), बैंगलोर
80.	आईआईएम कैम्पस में 2 मेगावाट एसपीवी की स्थापना		तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	14.20	5.96	11.64	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम), तमिलनाडु
81.	सम्बलपुर यूनिवर्सिटी कैम्पस में 0.25 मेगावाट एसपीवी प्रणाली और एलईडी लाइटों की संस्थापना		सम बलपुर, ओडिशा	3.44	2.61	2.61	सम्बलपुर यूनिवर्सिटी, ओडिशा
82.	बेयरफुट कॉलेज, तिलोनिया के कैम्पस में गैर–कार्यात्मक पुराने स्ट्रक्चर को बदलना तथा 135 केडब्ल्यूपी एसपीवी प्रणाली की संस्थापना		तिलोनिया, राजस्थान	1.49	0.58	0.80	सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर (एसडब्ल्यूआरसी), अजमेर, राजस्थान
83.	445 सौर आधारित स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और 145 सोलर हाई मस्ट लाइटों की संस्थापना		बरेली, आंवला, बिलासपुर और बरेली कैंट., उत्तर प्रदेश	2.38	0.45	2.27	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, नोएडा (ईईएसएस)
84.	45 गांवों में ऊर्जा दुकानों, ई–रिक्शा और सॉलिड वेस्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना द्वारा संधारणीय ऊर्जा प्रणाली प्रदान करना		हरियाणा	3.54	0.48	1.19	स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स (एससीजीजे), नई दिल्ली
85.	झाजरा में भारतीय जनजातीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के कैम्पस में 50 केडब्ल्यूपी एसपीवी प्रणाली की संस्थापना		जिला देहरादून, उत्तराखंड	0.34	0.24	0.27	स्वतंत्रता सेनानी लोकबंधु राममूर्ति पॉसे सेवा न्यास, देहरादून

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
86.	एसपीवी प्रणाली की संस्थाना, रेबिट कंडक्टर में इंसुलेशन प्रदान करना, 10 आवासीय सरकारी स्कूलों में ई–लर्निंग केंद्रों की स्थापना		कर्नाटक	12.99	9.73	9.73	कर्नाटक रेसिडेंसियल ऐजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स सोसायटी (केआरईआईएस)
87.	मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी के कैम्पस में 1 एमडब्ल्यूपी एसपीवी प्रणाली की संस्थापना		मदुरै, तमिलनाडु	7.25	2.90	2.90	मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी (एमकेयू), मदुरै
88.	आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी के कैम्पस में 2 एमडब्ल्यूपी एसपीवी प्रणाली की संस्थापना		गुंटूर, आंध्र प्रदेश	14.50	5.29	5.29	न्यू एंड रिन्युबल एनर्जी डेपलेपमेंट कारपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लि. (एनआरईडीसीएपी)
89.	शहीद ऊधम सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी, संविधानी कॉलेज के कैम्पस में 283 केडब्ल्यूपी एसपीवी प्रणाली की संस्थापना		फिरोजपुर, पंजाब	1.65	1.15	1.15	शहीद ऊधम सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी, फिरोजपुर, पंजाब
90.	84 गांवों में 500 एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना		जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	1.18	0.47	0.47	जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत
91.	एसटीएंडएससी विकास विभाग, ओडिशा सरकार के अंतर्गत 16 आवासीय स्कूलों में प्रत्येक 5 केडब्ल्यूपी प्रणाली की स्थापना		ओडिशा के कंधामल, नबरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़, बारगढ़, सुदंरगढ़, सम्बलपुर, बोलंगीर और कियोंझार जिले	1.84	0.13	1.84	आरईसीपीडीसीएल
92.	आंध्र प्रदेश और ओडिशा के पिछड़े जिलों के कम विद्युतीकृत क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख सौर लालटेनों का वितरण		आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा	17.20	0.53	12.57	सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई)
			श्रेणी (4) के लिए उप–जोड़	**96.23**	**32.21**	**65.02**	

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
5.	**केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में अंशदान**						
93.	पीएम केयर्स फंड में अंशदान	केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और किसी अन्य निधि में अंशदान	सम्पूर्ण भारत	100.00	100.00	100.00	भारत सरकार
			श्रेणी (5) के लिए उप–जोड़	**100.00**	**100.00**	**100.00**	
6.	**ग्रामीण विकास परियोजनाएं**						
94.	ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए कृषक–केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के महबूबनगर और अनंतपुर जिले	22.33	5.01	11.90	इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमीरिड ट्रॉकिस् (आईसीआरआईएसईटी), पतनचेरू, तेलंगाना
95.	विभिन्न परियोजनाओं के लिए माध्यम से समुदाय आधारित व्यवधानों के लिए सहायता		सम्पूर्ण भारत	32.84	12.61	25.66	संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यूएनएफपीए)
96.	सोमदल गांव में बहु–उद्देश्यीय हॉल एवं इंडोर स्टेडियम का निर्माण		जिला उखरूल, मणिपुर	4.04	1.99	2.58	नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसायटी (एनईआरसीआरएमएस)
97.	येंगांगपोकपी से लेकोईचिंग गांव तक सड़क का निर्माण		जिला उखरूल, मणिपुर	8.00	1.02	1.02	नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसायटी (एनईआरसीआरएमएस)
98.	सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे 5000 किसानों को बीज का वितरण		जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र	1.93	1.82	1.82	विश्वबंधु बहुउद्देशीय सेवा भावी संस्था
99.	3 गांवों में शौचालय परिसर सहित 3 सामुदायिक केंद्रों का निर्माण		जिला मयूरभंज, ओडिशा	0.30	0.09	0.09	जिला कलैक्टर, मयूरभंज
			श्रेणी (6) के लिए उप–जोड़	69.44	22.54	43.08	
			कुल प्रत्यक्ष व्यय (1 से 6)	755.76	253.64	502.68	
100.	अन्य अप्रत्यक्ष व्यय, निगरानी, भुगतान आदि	प्रशासनिक ओवरहैड		–	4.76	–	
			वर्ष के लिए कुल	**755.76**	**258.40**	**502.68**	

सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 53 के अनुसार 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न बॉण्ड श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर न्यासियों का ब्यौरा

क्र. सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क ब्यौरा	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या	प्रतिभूतित / अप्रतिभूतित	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
								एनएसई	बीएसई	
1	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एसियन बिल्डिंग, भूतल, 17 आर, कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई–400001	संपर्क व्यक्तिः श्री अजीत गुरूजी फोनः 022–4080 7001 फैक्सः 022–6631 1776 ई–मेलः ajit.guruji@idbitrustee.com, response@idbitrustee.com वेबसाइटः www.idbitrustee.com	आईएनई020बी08518	इंफ्रा बॉण्ड श्रृंखला–I (2010–11)	अप्रतिभूतित	31–मार्च–2020	8.00%	हाँ	नहीं	बीटल फाइनेंसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड, बीटल हाउस, तृतीय तल 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के सामने, नई दिल्ली–110062 संपर्क व्यक्तिः श्री संजय रस्तोगी फोनः 011–29961281–83 ई–मेलः recbonds1@gmail.com, beetalrta@gmail.com वेबसाइट : www.beetalfinancial.com
			आईएनई020बी08500	इंफ्रा बॉण्ड श्रृंखला–I (2010–11)	अप्रतिभूतित	31–मार्च–2021	8.10%	हाँ	नहीं	
			आईएनई020बी08534	इंफ्रा बॉण्ड श्रृंखला–I (2010–11)	अप्रतिभूतित	31–मार्च–2020	8.20%	हाँ	नहीं	
			आईएनई020बी08526	इंफ्रा बॉण्ड श्रृंखला–I (2010–11)	अप्रतिभूतित	31–मार्च–2021	8.20%	हाँ	नहीं	
		संपर्क व्यक्तिः श्री आदित्य कपिल फोनः 022–40807066 फैक्स नहींः 022–66311776 ई–मेलः adityakapil@idbitrustee. com, response@idbitrustee.com वेबसाइटः www.idbitrustee.com	आईएनई020बी08427	94	अप्रतिभूतित	9–जून–2025	8.75%	हाँ	नहीं	
			आईएनई020बी08443	95–II	अप्रतिभूतित	14–जुला.–2025	8.75%	हाँ	नहीं	
			आईएनई020बी08450	96	अप्रतिभूतित	26–अक्तू.–2020	8.80%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08468	97	अप्रतिभूतित	30–नवं.–2020	8.80%	हाँ	नहीं	
			आईएनई020बी08476	0 सीपीएन–I	अप्रतिभूतित	15–दिसं.–2020	0.00%	हाँ	नहीं	
			आईएनई020बी08484	0 सीपीएन–II	अप्रतिभूतित	3–फर.–2021	0.00%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08492	98	अप्रतिभूतित	15–मार्च–2021	9.18%	हाँ	नहीं	
			आईएनई020बी08567	100	अप्रतिभूतित	15–जुला.–2021	9.63%	हाँ	नहीं	
			आईएनई020बी08591	101–III	अप्रतिभूतित	10–अग.–2021	9.48%	हाँ	नहीं	
			आईएनई020बी08641	105	अप्रतिभूतित	11–नवं.–2021	9.75%	हाँ	नहीं	
			आईएनई020बी08740	107	अप्रतिभूतित	15–जून–2022	9.35%	हाँ	नहीं	
			आईएनई020बी08807	111–II	अप्रतिभूतित	19–नवं.–2022	9.02%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08831	114	अप्रतिभूतित	12–अप्रै.–2023	8.82%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08849	115	अप्रतिभूतित	31–मई–2023	8.06%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07आईडब्ल्यू2	123–I	प्रतिभूतित	17–जुला.–2021	9.40%	हाँ	हाँ	केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31–32, गचीबॉवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032 संपर्क व्यक्तिः श्री गोपाल कृष्ण फोनः 040–67161659 ई–मेलः gopalakrishna.kvs@kfintech.com वेबसाइटः www.kfintech.com
			आईएनई020बी07आईजेड5	123–III–10 वर्ष	प्रतिभूतित	23–अग.–2024	9.34%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08872	127	अप्रतिभूतित	4–दिसं.–2021	8.44%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08880	128	अप्रतिभूतित	21–दिसं.–2024	8.57%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08898	129	अप्रतिभूतित	23–जन.–2025	8.23%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08906	130	अप्रतिभूतित	6–फर.–2025	8.27%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08914	131	अप्रतिभूतित	21–फर.–2025	8.35%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08922	132	अप्रतिभूतित	9–मार्च–2022	8.27%	हाँ	हाँ	
2	विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड द आईएल एंड एफएस फाइनेंसियल सेंटर जी ब्लॉक, प्लॉट सी–22, बीकेसी, बांद्रा, मुंबई–400051	संपर्क व्यक्तिः श्री संजय डोडती फोनः 022–26593644 फैक्सः 022–26533297 ई–मेलः sanjay.dodti@ilfsindia.com, shailesh.kokate@ilfsindia.com वेबसाइटः www.itclindia.com	आईएनई020बी08708	इंफ्रा बॉण्ड श्रृंखला–II (2011–12)	अप्रतिभूतित	15–फर.–2022	8.95%	हाँ	नहीं	बीटल फाइनेंसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड, बीटल हाउस, तृतीय तल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के सामने, नई दिल्ली–110062 संपर्क व्यक्तिः श्री संजय रस्तोगी फोनः 011–29961281–83 ई–मेलः recbonds1@gmail.com वेबसाइटः www.beetalfinancial.com
			आईएनई020बी08716	इंफ्रा बॉण्ड श्रृंखला–II (2011–12)	अप्रतिभूतित	15–फर.–2022	8.95%	हाँ	नहीं	
			आईएनई020बी08724	इंफ्रा बॉण्ड श्रृंखला–II (2011–12)	अप्रतिभूतित	15–फर.–2027	9.15%	हाँ	नहीं	
			आईएनई020बी08732	इंफ्रा बॉण्ड श्रृंखला–II (2011–12)	अप्रतिभूतित	15–फर.–2027	9.15%	हाँ	नहीं	
			आईएनई020बी07जीजी9	2011–12 पब्लिक इश्यू भाग–1	प्रतिभूतित	28–मार्च–2022	7.93%	नहीं	हाँ	केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31–32, गचीबॉवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032 संपर्क व्यक्तिः श्री गोपाल कृष्ण फोनः 040–67161659 ई–मेलः gopalakrishna.kvs@kfintech.com वेबसाइटः www.kfintech.com
						28–मार्च–2022	8.13%	नहीं	हाँ	
			आईएनई020बी07जीएच7	2011–12 पब्लिक इश्यू भाग–1	प्रतिभूतित	29–मार्च–2027	8.12%	नहीं	हाँ	
						29–मार्च–2027	8.32%	नहीं	हाँ	

क्र. सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क ब्यौरा	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या	प्रतिभूतित/ अप्रतिभूतित	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
								एनएसई	बीएसई	
3	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, छठा तल, अपीजे हाउस, 3, दिनशॉ वाछा रोड, चर्चगेट, मुंबई–400020	संपर्क व्यक्तिः श्री अजीत जोशी फोनः 022–43025566, फैक्सः 022–22040465 ई–मेलः corporate@sbicaptrustee.com, investor.cell@sbicaptrustee.com वेबसाइटः www.sbicaptrustee.com	आईएनई020बी07केआई7	54ईसी श्रृंखला XI (2017–18)	प्रतिभूतित	30–अप्रै.–2020	5.25%	नहीं	नहीं	केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31–32, गचीबॉवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032 संपर्क व्यक्तिः श्री गोपाल कृष्ण फोनः 040–67161659 ई–मेलः gopalakrishna.kvs@kfintech.com वेबसाइटः www.kfintech.com
			आईएनई020बी07केजे5	54ईसी श्रृंखला XI (2017–18)	प्रतिभूतित	31–मई–2020	5.25%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07केके3	54ईसी श्रृंखला XI (2017–18)	प्रतिभूतित	30–जून–2020	5.25%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07केएल1	54ईसी श्रृंखला XI (2017–18)	प्रतिभूतित	31–जुला.–2020	5.25%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07केएम9	54ईसी श्रृंखला XI (2017–18)	प्रतिभूतित	31–अग.–2020	5.25%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07केएन7	54ईसी श्रृंखला XI (2017–18)	प्रतिभूतित	30–सितं.–2020	5.25%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07केओ5	54ईसी श्रृंखला XI (2017–18)	प्रतिभूतित	31–अक्तू.–2020	5.25%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07केपी2	54ईसी श्रृंखला XI (2017–18)	प्रतिभूतित	30–नवं.–2020	5.25%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07केक्यू0	54ईसी श्रृंखला XI (2017–18)	प्रतिभूतित	31–दिसं.–2020	5.25%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07केआर8	54ईसी श्रृंखला XI (2017–18)	प्रतिभूतित	31–जन.–2021	5.25%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07केएस6	54ईसी श्रृंखला XI (2017–18)	प्रतिभूतित	28–फर.–2021	5.25%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07केटी4	54ईसी श्रृंखला XI (2017–18)	प्रतिभूतित	31–मार्च–2021	5.25%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07केयू2	54ईसी श्रृंखला XII (2018–19)	प्रतिभूतित	30–अप्रै.–2023	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07केवी0	54ईसी श्रृंखला XII (2018–19)	प्रतिभूतित	31–मई–2023	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07केडब्ल्यू8	54ईसी श्रृंखला XII (2018–19)	प्रतिभूतित	30–जून–2023	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07केएक्स6	54ईसी श्रृंखला XII (2018–19)	प्रतिभूतित	31–जुला.–2023	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07केवाई4	54ईसी श्रृंखला XII (2018–19)	प्रतिभूतित	31–अग.–2023	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07केजेड1	54ईसी श्रृंखला XII (2018–19)	प्रतिभूतित	30–सितं.–2023	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलए2	54ईसी श्रृंखला XII (2018–19)	प्रतिभूतित	31–अक्तू.–2023	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलबी0	54ईसी श्रृंखला XII (2018–19)	प्रतिभूतित	30–नवं.–2023	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलसी8	54ईसी श्रृंखला XII (2018–19)	प्रतिभूतित	31–दिसं.–2023	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलडी6	54ईसी श्रृंखला XII (2018–19)	प्रतिभूतित	31–जन.–2024	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलई4	54ईसी श्रृंखला XII (2018–19)	प्रतिभूतित	28–फर.–2024	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलएफ1	54ईसी श्रृंखला XII (2018–19)	प्रतिभूतित	31–मार्च–2024	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलजी9	54ईसी श्रृंखला XIII (2019–20)	प्रतिभूतित	30–अप्रै.–2024	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलएच7	54ईसी श्रृंखला XIII (2019–20)	प्रतिभूतित	31–मई–2024	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलआई5	54ईसी श्रृंखला XIII (2019–20)	प्रतिभूतित	30–जून–2024	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलजे3	54ईसी श्रृंखला XIII (2019–20)	प्रतिभूतित	31–जुला.–2024	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलके1	54ईसी श्रृंखला XIII (2019–20)	प्रतिभूतित	31–अग.–2024	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलएल9	54ईसी श्रृंखला XIII (2019–20)	प्रतिभूतित	30–सितं.–2024	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलएम7	54ईसी श्रृंखला XIII (2019–20)	प्रतिभूतित	31–अक्तू.–2024	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलएन5	54ईसी श्रृंखला XIII (2019–20)	प्रतिभूतित	30–नवं.–2024	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलओ3	54ईसी श्रृंखला XIII (2019–20)	प्रतिभूतित	31–दिसं.–2024	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलपी0	54ईसी श्रृंखला XIII (2019–20)	प्रतिभूतित	31–जन.–2025	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलक्यू8	54ईसी श्रृंखला XIII (2019–20)	प्रतिभूतित	28–फर.–2025	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07एलआर6	54ईसी श्रृंखला XIII (2019–20)	प्रतिभूतित	31–मार्च–2025	5.75%	नहीं	नहीं	
			आईएनई020बी07जीयू0	2012–13 प्राइवेट प्लेसमेंट	प्रतिभूतित	21–नवं.–2022	7.21%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07जीवी8	2012–13 प्राइवेट प्लेसमेंट	प्रतिभूतित	22–नवं.–2027	7.38%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020–07जीडब्ल्यू6	2012–13 पब्लिक इश्यू भाग–1	प्रतिभूतित	19–दिसं.–2022	7.22%	हाँ	हाँ	
							7.72%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07जीएक्स4	2012–13 पब्लिक इश्यू भाग–1	प्रतिभूतित	20–दिसं.–2027	7.38%	हाँ	हाँ	
							7.88%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07जीवाई2	2012–13 पब्लिक इश्यू भाग–2	प्रतिभूतित	27–मार्च–2023	6.88%	हाँ	हाँ	
							7.38%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07जीजेड9	2012–13 पब्लिक इश्यू भाग–2	प्रतिभूतित	27–मार्च–2028	7.04%	हाँ	हाँ	
							7.54%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07एचएम5	2013–14 प्राइवेट प्लेसमेंट–1	प्रतिभूतित	29–अग.–2023	8.01%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07एचएन3	2013–14 प्राइवेट प्लेसमेंट–1	प्रतिभूतित	29–अग.–2028	8.46%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07एचओ1	2013–14 पब्लिक इश्यू भाग–1	प्रतिभूतित	25–सितं.–2023	8.01%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07एचआर4	2013–14 पब्लिक इश्यू भाग–1	प्रतिभूतित	25–सितं.–2023	8.26%	हाँ	हाँ	

क्र. सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क ब्यौरा	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या	प्रतिभूतित/ अप्रतिभूतित	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
								एनएसई	बीएसई	
	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, छठा तल, अपीजे हाउस, 3, दिनशॉ वाछा रोड, चर्चगेट, मुंबई–400020	संपर्क व्यक्तिः श्री अजीत जोशी फोनः 022–43025566, फैक्सः 022–22040465 ई–मेलः corporate@sbicaptrustee.com, investor.cell@sbicaptrustee.com वेबसाइटः www.sbicaptrustee.com	आईएनई020बी07एचपी8	2013–14 पब्लिक इश्यू भाग–1	प्रतिभूतित	25–सितं.–2028	8.46%	हाँ	हाँ	केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31–32, गचीबॉवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032 संपर्क व्यक्तिः श्री गोपाल कृष्ण फोनः 040–67161659 ई–मेलः gopalakrishna.kvs@kfintech.com वेबसाइटः www.kfintech.com
			आईएनई020बी07एचएस2	2013–14 पब्लिक इश्यू भाग–1	प्रतिभूतित	25–सितं.–2028	8.71%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07एचक्यू6	2013–14 पब्लिक इश्यू भाग–1	प्रतिभूतित	26–सितं.–2033	8.37%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07एचटी0	2013–14 पब्लिक इश्यू भाग–1	प्रतिभूतित	26–सितं.–2033	8.62%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07एचयू8	2013–14 प्राइवेट प्लेसमेंट–2	प्रतिभूतित	11–अक्तू.–2023	8.18%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07एचवी6	2013–14 प्राइवेट प्लेसमेंट–2	प्रतिभूतित	11–अक्तू.–2028	8.54%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07आईसी4	2013–14 पब्लिक इश्यू भाग–2	प्रतिभूतित	22–मार्च–2024	8.19%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07आईएफ7	2013–14 पब्लिक इश्यू भाग–2	प्रतिभूतित	22–मार्च–2024	8.44%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07आईडी2	2013–14 पब्लिक इश्यू भाग–2	प्रतिभूतित	23–मार्च–2029	8.63%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07आईजी5	2013–14 पब्लिक इश्यू भाग–2	प्रतिभूतित	23–मार्च–2029	8.88%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07आईई0	2013–14 पब्लिक इश्यू भाग–2	प्रतिभूतित	24–मार्च–2034	8.61%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07आईएच3	2013–14 पब्लिक इश्यू भाग–2	प्रतिभूतित	24–मार्च–2034	8.86%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07जेओ7	2015–16 प्राइवेट प्लेसमेंट	प्रतिभूतित	23–जुला.–2025	7.17%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी07जेपी4	2015–16 पब्लिक इश्यू भाग–1	प्रतिभूतित	5–नवं.–2025	6.89%	नहीं	हाँ	
			आईएनई020बी07जेक्यू2	2015–16 पब्लिक इश्यू भाग–1	प्रतिभूतित	5–नवं.–2025	7.14%	नहीं	हाँ	
			आईएनई020बी07जेआर0	2015–16 पब्लिक इश्यू भाग–1	प्रतिभूतित	5–नवं.–2030	7.09%	नहीं	हाँ	
			आईएनई020बी07एस8	2015–16 पब्लिक इश्यू भाग–1	प्रतिभूतित	5–नवं.–2030	7.34%	नहीं	हाँ	
			आईएनई020बी07जेटी6	2015–16 पब्लिक इश्यू भाग–1	प्रतिभूतित	5–नवं.–2035	7.18%	नहीं	हाँ	
			आईएनई020बी07जेयू4	2015–16 पब्लिक इश्यू भाग–1	प्रतिभूतित	5–नवं.–2035	7.43%	नहीं	हाँ	
		संपर्क व्यक्तिः श्री हरीश शेट्टी फोनः 022–43025576, 022–22040465 ई–मेलः corporate@sbicaptrustee.com, investor.cell@sbicaptrustee.com वेबसाइटः www.sbicaptrustee.com	आईएनई020बी08930	133	अप्रतिभूतित	10–अप्रै.–2025	8.30%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08948	134	अप्रतिभूतित	14–अग.–2020	8.37%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08955	135	अप्रतिभूतित	22–सितं.–2020	8.36%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08963	136	अप्रतिभूतित	7–अक्तू.–2025	8.11%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08997	139	अप्रतिभूतित	21–अक्तू.–2021	7.24%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एए3	140	अप्रतिभूतित	7–नवं.–2026	7.52%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एबी1	141	अप्रतिभूतित	9–दिसं.–2021	7.14%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एसी9	142	अप्रतिभूतित	30–दिसं.–2026	7.54%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एडी7	143	अप्रतिभूतित	29–जून–2020	6.83%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एई5	144	अप्रतिभूतित	21–सितं.–2020	7.13%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एएफ2	145	अप्रतिभूतित	28–फर.–2022	7.46%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एएच8	147	अप्रतिभूतित	12–मार्च–2027	7.95%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एआई6	148	अप्रतिभूतित	17–जून–2020	7.42%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एजे4	149	अप्रतिभूतित	24–सितं.–2020	6.87%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एके2	150	अप्रतिभूतित	7–सितं.–2022	7.03%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एएम8	152	अप्रतिभूतित	17–अक्तू.–2022	7.09%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एएन6	153	अप्रतिभूतित	31–दिसं.–2020	6.99%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एओ4	154	अप्रतिभूतित	21–मई–2021	7.18%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एपी1	155	अप्रतिभूतित	30–नवं.–2022	7.45%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एक्यू9	156	अप्रतिभूतित	10–दिसं.–2027	7.70%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एआर7	157	अप्रतिभूतित	17–अप्रै.–2021	7.60%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एएस5	158	अप्रतिभूतित	15–मार्च–2021	7.70%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एटी3	159	अप्रतिभूतित	23–फर.–2023	7.99%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एडब्ल्यू7	161–बी	अप्रतिभूतित	15–जून–2021	7.73%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एएक्स5	जीओआई–I	अप्रतिभूतित	21–मार्च–2028	8.09%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एवाई3	जीओआई–II	अप्रतिभूतित	24–मार्च–2028	8.01%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08एजेड0	जीओआई–III	अप्रतिभूतित	27–मार्च–2028	8.06%	हाँ	हाँ	

क्र. सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क ब्यौरा	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या	प्रतिभूतित/अप्रतिभूतित	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
								एनएसई	बीएसई	
4	बीकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड, 4सी एंड डी, सिद्धाविनायक चौम्बर्स, गांधी नगर, एमआईजी क्रिकेट क्लब के सामने, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400 051	संपर्क व्यक्तिः श्री विट्ठल नावनधार फोनः 022–26558759 ई–मेलः compliance@beacontrustee.co.in वेबसाइटः www.beacontrustee.co.in	आईएनई020बी08बीए1	162	अप्रतिभूतित	9–अग.–2028	8.55%	हाँ	हाँ	केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31–32, गचीबॉवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032 संपर्क व्यक्तिः श्री गोपाल कृष्ण फोनः 040–67161659 ई–मेलः gopalakrishna.kvs@kfintech.com वेबसाइटः www.kfintech.com
			आईएनई020बी08बीबी9	163	अप्रतिभूतित	25–अग.–2028	8.63%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीडी5	165	अप्रतिभूतित	21–जन.–2022	8.83%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीएफ0	167	अप्रतिभूतित	22–मार्च–2022	8.45%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीजी8	168	अप्रतिभूतित	29–नवं.–2028	8.56%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीएच6	169	अप्रतिभूतित	7–दिसं.–2028	8.37%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीके0	172	अप्रतिभूतित	20–अग.–2020	8.57%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीएम6	173	अप्रतिभूतित	13–मार्च–2022	8.35%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीएन4	174	अप्रतिभूतित	18–जून–2021	8.15%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीपी9	175	अप्रतिभूतित	28–मार्च–2029	8.97%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीक्यू7	176	अप्रतिभूतित	16–अप्रै.–2029	8.85%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीआर5	177	अप्रतिभूतित	20–दिसं.–2021	8.50%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीएस3	178	अप्रतिभूतित	14–मई–2029	8.80%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीटी1	179	अप्रतिभूतित	10–जून–2022	8.15%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीवी7	180–ए	अप्रतिभूतित	25–जून–2024	8.10%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीयू9	180–बी	अप्रतिभूतित	25–जून–2029	8.30%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीडब्ल्यू5	182	अप्रतिभूतित	22–अग.–2034	8.18%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीएक्स3	183	अप्रतिभूतित	16–सितं.–2034	8.29%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीवाई1	184–ए (आंशिक रूप से प्रदत्त)	अप्रतिभूतित	26–सितं.–2029	8.25%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीजेड8	184–बी (ए)	अप्रतिभूतित	26–सितं.–2020	7.55%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीए9	184–बी (बी)	अप्रतिभूतित	26–सितं.–2021	7.55%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीबी7	184–बी (सी)	अप्रतिभूतित	26–सितं.–2022	7.55%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीसी5	184–बी (डी)	अप्रतिभूतित	26–सितं.–2023	7.55%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीडी3	185	अप्रतिभूतित	13–दिसं.–2022	7.09%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीई1	186–ए	अप्रतिभूतित	30–जून–2022	6.90%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीएफ8	186–बी	अप्रतिभूतित	26–नवं.–2024	7.40%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीजी6	187	अप्रतिभूतित	31–दिसं.–2022	7.24%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीएच4	188–ए	अप्रतिभूतित	31–मार्च–2023	7.12%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीआई2	188–बी	अप्रतिभूतित	31–मार्च–2030	7.89%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीजे0	189	अप्रतिभूतित	31–मार्च–2030	7.92%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीके8	190–ए	अप्रतिभूतित	20–मार्च–2025	6.88%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीएल6	190–बी	अप्रतिभूतित	31–दिसं.–2021	6.32%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीएन2	191–ए	अप्रतिभूतित	30–जून–2023	6.80%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीएम4	191–बी	अप्रतिभूतित	30–सितं.–2024	6.99%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीपी7	192	अप्रतिभूतित	28–फर.–2030	7.50%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीक्यू5	193	अप्रतिभूतित	31–दिसं.–2021	6.99%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीसी7	जीओआई–IV	अप्रतिभूतित	28–सितं.–2028	8.70%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीई3	जीओआई–V	अप्रतिभूतित	15–नवं.–2028	8.54%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीजे2	जीओआई–VI	अप्रतिभूतित	22–जन.–2029	8.80%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीएल8	जीओआई–VII	अप्रतिभूतित	8–मार्च–2029	8.60%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08बीओ2	जीओआई–VIII	अप्रतिभूतित	25–मार्च–2029	8.30%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीओ0	जीओआई–IX	अप्रतिभूतित	2–मार्च–2030	7.14%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीआर3	जीओआई–X	अप्रतिभूतित	26–मार्च–2030	8.25%	हाँ	हाँ	
			आईएनई020बी08सीएस1	जीओआई–XI	अप्रतिभूतित	31–मार्च–2030	7.20%	हाँ	हाँ	

31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
	परिसंपत्तियां			
(1)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	नकद एवं नकदी के समतुल्य	6	1,678.03	342.94
(ख)	अन्य बैंक शेष	7	2,021.96	1,253.31
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	8	3,318.85	1,802.58
(घ)	ऋण	9	3,12,083.50	2,70,450.92
(च)	निवेश	10	2,313.21	2,397.62
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	22,081.59	18,342.48
	कुल–वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**3,43,497.14**	**2,94,589.85**
(2)	गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	392.66	275.83
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	2,034.32	2,358.29
(ग)	निवेश संपत्ति	14	0.01	0.01
(घ)	संपत्तियां, संयंत्र एवं उपस्कर	15	153.00	153.98
(च)	पूंजीगत चालू कार्य	15	287.62	196.94
(छ)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	15	0.77	1.59
(ज)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	15	8.80	8.51
(झ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	16	113.27	132.30
	कुल – गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**2,990.45**	**3,127.45**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2)		**3,46,487.59**	**2,97,717.30**
	देयताएं और इक्विटी			
	देयताएं			
(1)	**वित्तीय देयताएं**			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	8	1,325.73	159.40
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	17	2,19,977.22	1,92,839.79
(ग)	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	18	61,543.61	46,662.54
(घ)	अधीनस्थ देयताएं	19	4,819.65	4,818.76
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	20	23,562.70	18,751.75
	कुल–वित्तीय देयताएं (1)		**3,11,228.91**	**2,63,232.24**
(2)	**गैर–वित्तीय देयताएं**			
(क)	प्रावधान	21	106.51	99.58
(ख)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	22	75.61	82.54
	कुल–गैर–वित्तीय देयताएं (2)		**182.12**	**182.12**
(3)	**इक्विटी**			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	23	1,974.92	1,974.92
(ख)	अन्य इक्विटी	24	33,101.64	32,328.02
	कुल – इक्विटी (3)		**35,076.56**	**34,302.94**
	कुल – देयताएं और इक्विटी (1+2+3)		**3,46,487.59**	**2,97,717.30**

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियाँ 1 से 62

जे.एस. अमिताभ कार्यकारी
निदेशक एवं कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन–03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 001135 एन

गौरव मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं.: 099387

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	25	29,663.07	24,971.02
(ii)	लाभांश आय	26	89.04	113.61
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	27	38.95	225.09
I.	**प्रचालनों से कुल राजस्व (i से iii)**		**29,791.06**	**25,309.72**
II.	अन्य आय	28	63.92	31.44
III.	**कुल आय (I+II)**		**29,854.98**	**25,341.16**
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागतें	29	18,997.05	15,641.54
(ii)	निवल अनुवाद/लेन-देन विनिमय हानि	30	2,357.90	521.19
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	31	25.44	34.38
(iv)	अंकित मूल्य परिवर्तनों संबंधी निवल हानि	32	25.85	348.52
(v)	वित्तीय लिखतों संबंधी हानि	33	889.56	240.33
(vi)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	34	175.79	157.53
(vii)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	35	10.00	7.17
(viii)	कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	36	258.40	103.39
(ix)	**अन्य व्यय**	37	131.70	186.61
IV.	**कुल व्यय (i से ix)**		**22,871.69**	**17,240.66**
V.	**कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**6,983.29**	**8,100.50**
VI.	कर व्यय	38		
(i)	वर्तमान कर		1,615.87	1,791.64
(ii)	आस्थगित कर		481.26	545.14
	कुल कर व्यय (i+ii)		**2,097.13**	**2,336.78**
VII.	**अवधि का लाभ**		**4,886.16**	**5,763.72**
	अन्य व्यापक आय/(हानि)			
(i)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा**			
(क)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		(2.87)	(19.37)
(ख)	एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		(129.20)	(47.26)
(ग)	इन मदों से संबंधित आय कर			
	– परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		0.72	6.77
	– एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		12.39	(0.68)
	उप-जोड़ (i)		**(118.96)**	**(60.54)**
(ii)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत किया जाएगा**			
(क)	नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		(302.12)	-
(ख)	हेजिंग आरक्षण की लागत		(273.61)	-
(ग)	इन मदों से संबंधित आयकर			
	– नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		76.04	-
	– हेजिंग आरक्षण की लागत		68.86	-
	उप-जोड़ (ii)		**(430.83)**	**-**
VIII.	**अवधि के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (i+ii)**		**(549.79)**	**(60.54)**
XI.	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (VII+VIII)**		**4,336.37**	**5,703.18**
X.	**प्रत्येक ₹ 10 प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन (₹ में)**	39		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए		**24.74**	**29.18**
(2)	जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए		**24.74**	**29.18**

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियाँ 1 से 62

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन–03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 001135 एन

गौरव मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं.: 099387

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2020 के अनुसार	31-03-2019 के अनुसार
आरंभिक शेष	**1,974.92**	**1,974.92**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
अंतिम शेष	**1,974.92**	**1,974.92**

ख अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष									एफवीओसीआई–इक्विटी दस्तावेज	हेजेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत रिजर्व निधि	डिबेंचर मोचन रिजर्व	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अनुवाद अंतर खाता	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के कारण संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा				
31 मार्च, 2018 को शेष	**13,813.19**	**2,761.10**	**-**	**1,121.54**	**2,236.54**	**(86.29)**	**5,177.40**	**-**	**5,114.51**	**190.24**	**-**	**-**	**30,328.23**
वर्ष के लिए लाभ									5,763.72				5,763.72
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन									(12.60)				(12.60)
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता									-	(47.94)	-		(47.94)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,751.12**	**(47.94)**	**-**	**-**	**5,703.18**
अन्य समायोजन													
अप्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	1,323.59	273.62	1,153.00	196.59			-	-	(2,946.80)				-
एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण									5.42	(5.42)			-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अनुवाद हानि						(1,404.88)							(1,404.88)
वर्ष के दौरान ऋणशोधन						726.35							726.35
कुल – अन्य समायोजन	1,323.59	273.62	1,153.00	196.59	-	(678.53)	-	-	(2,941.38)	(5.42)	-	-	(678.53)
लाभांश									(2,518.02)				(2,518.02)
लाभांश वितरण कर									(506.84)				(506.84)
कुल – स्वामियों के साथ लेन–देन और कर	-	-	-	-	-	-	-	-	**(3,024.86)**	-	-	-	**(3,024.86)**
31 मार्च, 2019 को शेष	**15,136.78**	**3,034.72**	**1,153.00**	**1,318.13**	**2,236.54**	**(764.82)**	**5,177.40**	**-**	**4,899.39**	**136.88**	**-**	**-**	**32,328.02**
वर्ष के लिए लाभ									4,886.16				4,886.16
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन									(2.15)				(2.15)
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता									-	(116.81)	(226.08)	(204.75)	(547.64)
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	4,884.01	(116.81)	(226.08)	(204.75)	4,336.37
अन्य समायोजन													
अप्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	1,522.32	336.52	978.00	49.15			-	793.29	(3,679.28)				-
सामान्य रिजर्व में/(से) अंतरण		(378.41)		(1,367.28)			1,745.69		-				-
एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण									(86.19)	86.19			-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अनुवाद हानि						(1,630.51)							(1,630.51)
वर्ष के दौरान ऋणशोधन						675.95							675.95
कुल – अन्य समायोजन	**1,522.32**	**(41.89)**	**978.00**	**(1,318.13)**	**-**	**(954.56)**	**1,745.69**	**793.29**	**(3,765.47)**	**86.19**	**-**	**-**	**(954.56)**
लाभांश									(2,172.41)				(2,172.41)
लाभांश वितरण कर									(435.78)				(435.78)
कुल – स्वामियों के साथ लेन–देन और कर	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2,608.19)**	**-**	**-**	**-**	**(2,608.19)**
31 मार्च, 2020 को शेष	**16,659.10**	**2,992.83**	**2,131.00**	**-**	**2,236.54**	**(1,719.38)**	**6,923.09**	**793.29**	**3,409.74**	**106.26**	**(226.08)**	**(204.75)**	**33,101.64**

रिजर्व से आहरण/अंतरण से संबंधित विस्तृत ब्यौरों के लिए नोट संख्या 24.1 देखें और विनियोजन से हानि रिजर्व के लिए नोट संख्या 24.9 देखें।

संलग्न टिप्पणी सं. 1 से 62 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।
समान तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के मित्तल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजी. सं.: 001135एन

कृते ओ.पी. बागला एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

गौरव मित्तल
साझीदार
सदस्यता सं.: 099387
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून, 2020

अतुल अग्रवाल
साझीदार
सदस्यता सं.: 092656

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन–03464342

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाहः				
कर पूर्व निवल लाभ	6,983.29		8,100.50	
निम्नलिखित के लिए समायोजनः				
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) के मान्यता समाप्त करने पर हानि	1.69		0.86	
2. अवमूल्यन एवं परिशोधन	10.00		7.17	
3. वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि से संबंधित क्षति	889.56		240.33	
4. ऋण के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	53.02		1.33	
5. उधार के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	62.31		(788.28)	
6. व्युत्पन्न में उचित मूल्य परिवर्तन	47.72		351.52	
7. एफवीटीपीएल इन्स्ट्रुमेंट में उचित मूल्य परिवर्तन	(6.40)		-	
8. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	463.66		402.84	
9. जीरो कूपन बॉण्ड पर उपचित ब्याज	105.29		97.02	
10. विनिमय दर घटने–बढ़ने पर हानि/(लाभ)	2,342.27		558.51	
11. लाभांश आय	(89.04)		(113.61)	
12. निवेश पर ब्याज आय	(172.40)		(193.31)	
13. अग्रिम आय कर पर ब्याज के लिए किया गया प्रावधान	-		3.46	
प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	**10,690.97**		**8,668.34**	
निम्नलिखित के कारण अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) :				
1. ऋण परिसंपत्तियां	(41,664.59)		(41,760.36)	
2. व्युत्पन्न	(407.70)		(1,622.07)	
3. अन्य प्रचालनात्मक परिसंपत्तियां	(5,426.96)		(13,895.21)	
4. प्रचालनात्मक देयताएं	5,776.56		14,639.43	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**(31,031.72)**		**(33,969.87)**	
1. भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	(1,748.64)		(2,043.14)	
2. आयकर वापसी	16.67		-	
प्रचालनात्मक गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(32,763.69)**		**(36,013.01)**
ख. निवेशात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री	0.11		0.10	
2. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	(97.09)		(85.51)	
3. अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	(2.75)		(5.00)	
4. पूंजीकृत वित्त लागतें	(15.79)		(11.37)	
5. ईईएसएल के इक्विटी शेयरों में निवेश	(71.60)		-	
6. इक्विटी शेयरों का बिक्री	4.23		24.39	
7. ऋण प्रतिभूतियों का विमोचन (निवेशों का निवल)	47.16		398.17	
8. निवेशों से ब्याज आय	226.39		150.68	
9. लाभांश आय	89.04		113.61	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**179.70**		**585.07**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. रूपे ऋण प्रतिभूति का निर्गम/ (विमोचन)	21,280.39		4,220.72	
2. कमर्शियल पेपर (निवल) का निर्गम/ (विमोचन)	(5,270.30)		4,143.04	
3. सरकार/बैंकों/वित्तीय संस्थानों (निवल) से रूपये अवधि ऋण / डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त करना /(चुकौतियां)	7,899.65		24,350.00	
4. विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं उधार (निवल) प्राप्त करना / (चुकौतियां)	12,617.57		3,718.78	
5. अधीनस्थ देयताओं (निवल) को प्राप्त करना / (विमोचन)	-		2,151.20	
6. इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(2,172.41)		(2,518.02)	
7. कारपोरेट लाभांश कर का भुगतान	(435.78)		(506.84)	
8. पट्टा देयता के संबंध में पुनर्भुगतान (चुकौती)	(0.04)		-	
वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**33,919.08**		**35,558.88**
नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		**1,335.09**		**130.94**
इस अवधि के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्यता		**342.94**		212.00
इस अवधि के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्य		**1,678.03**		342.94

वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति	31.03.2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति
– हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)	0.06	0.01
– बैंको में शेष	1,173.41	339.97
–अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	504.56	2.96
कुल नकद और नकदी समतुल्यता	1,678.03	**342.94**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण
वित्तीय गतिविधियों से होने वाली देयताओं का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन'	गैर– नकदी परिवर्तन		इति शेष
				विनिमय अंतर	ईआईआर समायोजन	
वित्त वर्ष 2019–20						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	**1,72,971.40**	21,280.39	729.47	-	41.72	**1,95,022.98**
कमर्शियल पेपर	**7,696.32**	(5,270.30)	-	-	463.66	**2,889.68**
रुपे आवधिक ऋण/डब्ल्यूसीडीएल	**24,884.25**	7,899.65	194.55	-	-	**32,978.45**
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	**33,950.25**	12,617.57	73.78	3,930.12	57.93	**50,629.65**
अधीनस्थ देयताएं	**4,818.76**	-	0.61	-	0.28	**4,819.65**
कुल	**2,44,320.98**	**36,527.31**	**998.41**	**3,930.12**	**563.59**	**2,86,340.41**
वित्त वर्ष 2018–19						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	**1,68,517.14**	4,220.72	124.83	-	108.71	**1,72,971.40**
कमर्शियल पेपर	**3,150.44**	4,143.04	-	-	402.84	**7,696.32**
रुपे दीर्घावधिक ऋण/डब्ल्यूसीडीएल	**414.82**	24,350.00	119.43	-	-	**24,884.25**
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	**29,689.04**	3,718.78	104.02	1,220.89	(782.48)	**33,950.25**
अधीनस्थ देयताएं	**2,667.36**	2,151.20	1.58	-	(1.38)	**4,818.76**
कुल	**2,04,438.80**	**38,583.74**	**349.86**	**1,220.89**	**(272.31)**	**2,44,320.98**

**उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में 'प्रचालन संबंधी देयताओं' में विचारा गया है।*

टिप्पणीः जहां आवश्यक है, पिछली अवधि के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उसे फिर से समूह में रखा गया है।

जे.एस. अमिताभ कार्यकारी
निदेशक एवं कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन–03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 001135 एन

गौरव मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं.: 099387

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020

लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी") की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के देश भर में फैले 22 राज्यों में कार्यालय, मुख्यतः राज्यों की राजधानी में, हैं तथा इसका हैदराबाद में एक प्रशिक्षण केंद्र है।

यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रुप में पंजीकृत व्यवस्थित ढंग में एक महत्वपूर्ण (नॉन–डिपोसिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है।

आरईसी, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज–युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

2. अनुपालन का विवरण और तैयार करने का आधार

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा 17 जून, 2020 को अधिकृत एवं अनुमोदित किया गया।

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को लेखाकरण की निम्नलिखित उपचित प्रणाली के जारी सरोकार के आधार पर तैयार किया गया है तथा ये कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक ("इंड एएस" के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों / दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के तैयारी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को नीचे दिया गया है:

3.1 तैयारी और मापन का आधार

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत् रूप से लागू किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों ('आईएनआर'), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.2 आय मान्यता

ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है: (i) आरईसी की लागत और खर्चे (ii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित विलंबित और दांडिक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन का पुनर्भुगतानय क्रेडिट क्षतिपूरित ऋण और वापस मांगे गए ऋणों को छोड़कर, सबसे पुराने होने के नाते उन्हें पहले समायोजित किया जा रहा है, जहां मूलधन की राशि को ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अन्य लागतों, खर्चों, विलंबित और दंडात्मक ब्याज और अतिदेय ब्याज की पूर्ण वसूली के बाद ही विनियोजित किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/ इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली को पहले मूलधन की बकाया राशि और शेष वसूली के मद में विनियोजित किया जाता है, उसके बाद ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हैं के मद में विनियोजित किया जाता है।

परिशोधन लागत पर मापी गई सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाती है।

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर दी जाती है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुरूपी ब्याज आय के समक्ष शुद्ध आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय को मान्यता प्रस्तुत सेवाओं पर आधारित उपचित आधार पर दी जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

लाभांश आय

कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश और म्युच्युअ फंड की यूनिटों से आय को, आरईसी को भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर, उपचित आधार पर खाते में लिया जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचारा जाएगा।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश को मान्यता 'लाभांश आय' शीर्ष के अंतर्गत अलग से दी जाती है।

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व–भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में कंपनी द्वारा किया जाता है।

3.3 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें समूह निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्ति के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्ति अपने अभीष्ट उपयोग बिक्री के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्ति वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित हैं।

3.4 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूलभूत आय की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनूकृत आय की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.5 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

विदेशी मुद्रा लेनदेन और संतुलन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके समूह की कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन–देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि–अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुनः माप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यतकृत दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते" में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर–मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुनःअंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा रूपांतरित) पर मापा जाता है।

3.6 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त संपत्ति में मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होता है, जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण भावी आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे।

उत्तरवर्ती माप प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, और यदि अमूर्त परिसंपत्ति को क्षति होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में, रखा जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान के समय, या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित, को परिसंपत्ति को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, संबंधित वहन राशि का मूल्यह्रास नहीं होता है।

भूमि में पट्टा करार के तहत उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति के रूप में निर्दिष्ट भूमि भी शामिल है, जिसे पहले वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इस में पट्टे की अवधि के दौरान मूल्यह्रास होता है।

अन्य मूर्त परिसंपत्ति

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और क्षति)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यह्रास लागत और क्षतिपूर्ण हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ii के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर सीधी–रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को, उक्त के खरीद/बिक्री की तारीख से यथानुपात आधार पर प्रभारित करने के बजाय, परिसंपत्ति के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 5,000/– रुपए तक 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यह्रास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का क्षति के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को, निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को श्पूंजीगत कार्य में प्रगतिश के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्ति को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन–पत्र की तारीख को बकाया हैं, को 'अग्रिम पूंजी' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

3.8 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जिनका भावी उपयोग अनपेक्षित होता है। लेन–देन की लागत सहित, निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास पर वर्णित किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड की पूर्ति पर उधार लागत और अभीष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति को इसकी कार्यशील स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए आरोप्य लागत शामिल हैं। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। अन्य सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

उत्तरवर्ती माप (मूल्यह्रास और उपयोगिता अवधि)

निवेश संपत्ति के रूप में कंपनी के पास केवल भूमि है, जो कि मूल्यह्रास नहीं है।

अमान्यकरण

किसी निवेश संपत्ति को उसके निपटान पर या निवेश संपत्ति को उपयोग से स्थायी रूप से हटाने पर भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। संपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न किसी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में परिचालित) में उस अवधि का लाभ या हानि शामिल हैं, जिसमें संपत्ति को अमान्यकृत किया गया है।

3.9 वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट)

वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटिटी की वित्तीय परिसंपत्ति और अन्य एंटिटी की वित्तीय देयता या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को जन्म देता है।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब समूह, वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन–देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं है जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरु में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः

- ऋण–परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)
- अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयर मे निवेश (भारतीय लेखाकरण मानक 27 के अनुरूप लागत पर किया गया)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह की क्षति हो। क्षति का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक क्षेणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्ति को प्रभावी ब्याज दर (ईआरआर) के उपयोग द्वारा ऋण–परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैंः

क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए क्षति भत्ते को मान्यता परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर दी गई है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्ति के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनरूगणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की, पुनर्निधारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुनरूगणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्ति के मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोद्दिष्ट एवं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को, लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को, सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेनदेन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय और इक्विटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, समूह इक्विटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपतियों का अमान्यकरण

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी क्षतिपूर्ण हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्ति एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् समूह के तुलन–पत्र से हटा दिया जाता है)। समूह वित्तीय परिसंपत्ति को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा ऋण–परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्यकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन

हेज लेखांकन के लिए अर्हक होने हेतु हेजिंग के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है:

– हेज की गई मद और हेजिंग लिखत के बीच कोई आर्थिक संबंध है।
– क्रेडिट जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर वर्चस्व कायम नहीं करता है, जो उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।
– हेजिंग संबंध का हेज अनुपात ठीक वैसा ही है, जैसे कि हेज किए गए आईटम की मात्रा से उत्पन्न होता है, जितनी कंपनी वास्तविक रूप से हेज करती है और उस हेजिंग लिखत की मात्रा से उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग कंपनी वास्तविक रूप से हेज किए गए आईटम की उस मात्रा को हेज करने के लिए करती है।

हेज लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर बाद में रिपोर्ट की जाती है। उस सीमा तक जहां तक हेज प्रभावी है, नगदी प्रभाव हेज में हेजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित व्युत्पन्नों के हेज रिजर्व में इसे शामिल किया जाता है। हेज संबंध में किसी भी अप्रभावशीलता को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है। चित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य वृहद आय शीर्ष के अंतर्गत दी जाती है और इक्विटी में नगदी प्रवाह

जब हेज किया गया आईटम लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता है तो उस समय अन्य वृहद आय में पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है और अन्य वृहद आय में एक पुनः वर्गीकृत समायोजन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक हेजिंग संबंध की स्थापना के समय में कंपनी हेज संबंधों को कंपनी के जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और रणीनतियों के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रलेखित करती है। इस प्रलेखन में हेज की गई मद की पहचान, हेजिंग लिखत, हेज किए जा रहे जोखिम (जोखिमों) की प्रकृति, हेज अनुपात और हेजिंग संबंध किस प्रकार से हेजिंग प्रभावशीलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, शामिल हैं।

3.10 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

ऋण परिसंपत्ति

कंपनी निम्न प्रकार से प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर क्षति के लिए 'त्रि–स्तरीय' मॉडल का अनुसरण करता है:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- स्तर–1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।
- स्तर–2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।
- स्तर–3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण–1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12–माह ईसीएल और चरण–2 के लिए लाईफटाइम ईसीएल और चरण–3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) – डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) से अधिक हो, या दायित्व के शेष उपयोग–काल (लाईफटाइम पीडी), पर डिफॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) एलजीडी कंपनी की ऐसी स्वभाविक हानि अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने आप वाई डिफॉल्ट उत्पन्न होती है। एलजीडी को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और यह राशि के उस बात को दर्शाता है जो किसी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) – ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, संचित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कंफर्ट शामिल होते हैं, जिसकी कंपनी को चूक के समय प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

दूरंदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं लाईफटाइम पीडी, और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है।

ऋण के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियां

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो समूह 12–महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा लाईफटाइम क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भत्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, समूह वित्तीय परिसंपत्ति पर होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्ति पर डिफॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलन–पत्र की तिथि से करता है। समूह उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। समूह मानता है कि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्ति तुलन–पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

बट्टे खाते डालना

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब समूह ने वसूली करना बंद कर दिया हो।

3.11 नकद और नकदी समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में नकद रुपया एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिक्विड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

3.12 लाभांश

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इक्विटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.13 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनरूप्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व की अवधि से पहले हुई है तो, पूर्व अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देनदारियों और इक्विटी को पुनरूप्रस्तुत किया जाता है।

3.14 पूर्वदत्त व्यय

1,00,000/– रुपए तक के पूर्वदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.15 कराधान

लाभ या हानि में मान्यकृत कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इक्विटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर देयता को वहन राशि और अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशों के कर आधार के बीच अस्थायी अंतर पर सृजित किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देनदारियों ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमशरू अन्य व्यापक आय या इक्विटी में दी जाती है।

लाभांश वितरण कर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब लाभांश के भुगतान की देयता को मान्यता दी जाती है।

3.16 कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों में, वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर–वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया हैः

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत समूह एक अलग निधि में कर्मचारियों के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। समूह पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष समूह द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाभ योजना

कंपनी के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कर्मचारी के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हो।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति कंपनी के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य का कम है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्ति के पुनः मापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभः

तुलन–पत्र की तारीख के उपरांत एक–वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण

लेखा संबंधी टिप्पणियां

में प्रभारित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लागत के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी–रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी की लागत को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, और आकस्मिक परिसंपत्तियां

कंपनी के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है; यह संभव है कि कंपनी से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया हैः

- संभावित दायित्व जिनकी पुष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, कंपनी के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित तीसरे पक्ष से एकत्र करने के लिए समूह को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्ति संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्ति को प्रकट किया जाता है।

3.18 उचित मूल्य मापन

कंपनी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्ति को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेनदेन में होता हैः

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

कंपनी द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्ति या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, का मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर–वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्ति को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्ति का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सृजित किया जा सके।

कंपनी ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया हैं, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित हैं, और जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैंः

- स्तर 1 – समरूपी परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचार योग्य है

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अविचारणीय है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

3.19 वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तन योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्तियों को मूर्त रूप देने तथा बाद में देयताओं का निराकरण करने के लिए निबल आधार पर उनका समाधान करने का कोई इरादा होता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निबल राशि तुलनपत्र में रिपोर्ट की जाती है ।

4. नए/संशोधित मानकों का कार्यान्वयन

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 – पट्टे

इंड एएस 116 इंड एएस 17 और संबंधित व्याख्याओं का अधिक्रमण करता है। इस मानक में पट्टों की मान्यता, मापन, प्रस्तुतिकरण और प्रकटन के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। इंड एएस 116 एकल पट्टाधारी लेखांकन मॉडल प्रस्तावित करता है और इसके अंतर्गत किसी पट्टाधारक को 12 माह से अधिक अवधि वाले सभी पट्टों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्यता देना आवश्यक है, जब तक कि अधोलिखित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो। मानक में पट्टाधारकों के लिए उन्नत प्रकटन अपेक्षाएं भी निहित हैं।

कंपनी ने आरंभिक अनुप्रयोग की तारीख 01.04.2019 होने के नाते संशोधित भूतलक्षी पद्धति का प्रयोग कर भारतीय लेखांकन मानक 116 को अपनाया है। इसे अपनाने से कंपनी का वित्तीय विवरणों पर कोई बड़ा और महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

इंड एएस 12 – परिशिष्ट ग, आयकर उपचारों पर अनिश्चितता :

इस परिशिष्ट को तब लागू किया जाए, जब इंड एएस 12 के अंतर्गत आयकर उपचारों को लेकर अनिश्चितता होती है, ऐसी स्थिति में कर योग्य लाभ (अथवा हानि), कर आधारों, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों के निर्धारण के समय किया गया था। परिशिष्ट के अनुसार कंपनी को प्रत्येक कर उपचार, अथवा कर उपचारों के समूह को स्वीकार करने वाले संगत कर प्राधिकारी की संभाव्यता का निर्धारण करने की आवश्यकता है कि कंपनियों ने अपने आयकर फाईलिंग में उनका प्रयोग किया है अथवा प्रयोग करने की योजना बनाई है, सर्वाधिक संभावित राशि या कर उपचार के अपेक्षित मूल्य की गणना के लिए जिसपर तब विचार किया जाना है जब कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधारों, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों का निर्धारण किया जाता है।

परिशिष्ट ग से इंड एएस 12 को अपनाने पर कंपनी ने इस बात पर विचार किया कि क्या उसके पास कोई अनिश्चित कर स्थितियां मौजूद हैं। समूह में अपने कर अनुपालन के आधार पर निर्धारित किया कि इस बात की संभावना है कि इसके कर उपचारों को कराधान प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। परिशिष्ट ग कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

इंड एएस 12 – आयकर में संशोधन

इंड एएस 12 'आय कर' के मार्गदर्शन में किए गए संशोधन लाभांश वितरण करों के लिए लेखांकन से संबंधित हैं। संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी निकाय लाभांश के परिणामस्वरूप आयकर को मान्यता लाभ अथवा हानि, अन्य वृहद आय या इक्विटी में उसी प्रकार देगी, जहां निकाय में उन पिछले लेन – देनों अथवा घटनाओं को मूल रूप से मान्यता दी थी।

चूंकि कंपनी की चालू प्रक्रिया इन संशोधनों के अनुरूप है, अतः कंपनी के वित्तीय विवरणों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इंड एएस 19 – संशोधन, कमी अथवा निराकरण की योजना में संशोधन

इंड एएस 19, 'कर्मचारी लाभ' में संशोधन लेखांकन के संबंध में संशोधन, कमी अथवा निराकरण की योजना से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत किसी निकाय को चालू सेवा लागत निर्धारित करने और किसी योजनाबद्ध संशोधन, कमी अथवा निराकरण के बाद शेष बची अवधि के लिए निबल ब्याज का निर्धारण करने के लिए अद्यतन अनुमानों का प्रयोग करना आवश्यक है; और पिछली सेवा लागत के भाग के रूप में लाभ अथवा हानि, या निराकरण पर किसी लाभ अथवा हानि में, किसी अधिशेष में किसी कमी को मान्यता देने की आवश्यकता है, भले ही उस अधिशेष को परिसंपत्ति सीमा के प्रभाव के कारण पहले मान्यता नहीं दी गई थी।

इन संशोधनों का कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि वर्ष के दौरान इसमें कोई योजनाबद्ध संशोधन, कमी अथवा निराकरण निहित नहीं था।

4.1 हेज लेखांकन को अपनाना

कंपनी ने इंड एएस 109 में हैज लेखांकन आवश्यकताओं को संभावित रूप से 01 जनवरी 2020 से लागू किया है, जिसमें कुछ व्युत्पन्न संविदाओं को 'नगदी प्रवाह हैज' संबंधों में हैजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित किया गया है। ये व्यवस्थाएं विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित कुछ ऋण लिखतों से उत्पन्न होने वाले ब्याज दर जोखिम के उन्मूलन के लिए की गई हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

4.2 जारी किए गए परंतु अभी तक प्रभावी नहीं मानक

एमसीए द्वारा ऐसे कोई नए संशोधन जारी नहीं किए गए हैं, जो 01.04.2020 की अवधि से प्रभावी हैं।

5. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

समूह के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता की मान्यता – आस्थगित कर परिसंपत्ति को किस सीमा तक मान्यता दी जा सकती है, यह भावी कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके समक्ष आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा, समूह के प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित विपरीत करने में सक्षम नहीं है। इसलिए, समूह ने उक्त आरक्षित पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं की है।

परिसंपत्तियों की क्षति के लिए संकेतकों का मूल्यांकन – परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर ब्याज आय की गैर–मान्यता – क्रेडिट–प्रभावित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को, विवेकपूर्ण विषय, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधानों के लंबित परिणाम के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

महत्वपूर्ण आकलन

कोविड–19 महामारी के प्रकोप का प्रभाव – कोविड 19 महामारी कंपनी के प्रचालन को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भावी विकास पर निर्भर करेगा, जो कि अनिश्चित हैं। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ **कोविड 19** महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई नई सूचना और सरकार अथवा कंपनी द्वारा इसके प्रसार को रोकने अथवा इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए कोई आगामी कार्रवाई शामिल हैं।

मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि – प्रबंधन परिसंपत्ति की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्ति की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) – डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति, मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन–वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन – वित्तीय इंस्ट्रूमेंटों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव–दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों इंस्ट्रूमेंट की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, समूह बाजार–अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार–अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर – आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि/वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') – परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए समूह निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पादध्बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरंदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना;
- डिफॉल्ट की संभाव्यता और डिफॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

6 नकद एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
–बैंको में शेष राशि	1,173.41	339.97
–कैश ऑन हैंड (पोस्टेज एवं अग्रदाय सहित)	0.06	0.01
उप – जोड़	**1,173.47**	**339.98**
आवधिक जमा राशि एवं अन्य नकदी समतुल्य		
3 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा	504.56	2.96
उप – जोड़	**504.56**	**2.96**
जोड़ (नकद एवं नकदी समतुल्य)	**1,678.03**	**342.94**

7 अन्य बैंकों में शेष राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
– बैंको में चिन्हित शेष		
– अप्रदत्त लाभांश के लिए	4.75	4.15
– अनुदान के रूप में आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि के लिए	1,616.49	522.50
– चिन्हित आवधिक जमा राशि		
– इसके अतिरिक्त संवितरण हेतु सरकारी निधि के लिए	-	2.15
– न्यायालय आदेश के अनुपालन में जमा राशि	0.53	2.47
– प्रतिभूतियों के लंबित आवंटन हेतु उपयोग के लिए अनुपलब्ध बैंकों में शेष राशि	400.19	722.04
जोड़ (अन्य बैंकों में शेष)	**2,021.96**	**1,253.31**

7.1 31 मार्च, 2020 के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य एवं अन्य बैंकों में शेष के संबंध में कोई रिपैट्रिएशन प्रतिबंध नहीं है क्योंकि प्रतिवेदन के वर्ष और पूर्व के वर्षों में प्रस्तुत कर दिए गए थे (पिछले वर्ष शून्य)।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

8 व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने (हेजिंग) के लिए व्युत्पन्न लिखतों (डेरिवेटिव) में प्रवेश करती है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए डेरिवेटिव्स में ऐसे उपाय (हेजेज) शामिल होते हैं जिन्हें हेज लेखांकन आवश्यकताओं के तहत प्रभावी हेजेज के रूप में नामित किया जाता है या वे ऐसे हेजेज होते हैं, जो मितव्ययी हेजेज हैं। नीचे दी गई सारणी में उनकी आरंभिक राशियों के साथ परिसंपत्तियों या देनदारियों के रूप में रिकॉर्ड किए गए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य दर्शाए गए हैं।

व्युत्पन्नों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटनों के लिए नोट 45 देखें।

भाग I

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार			31–03–19 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य– परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य– परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i) **मुद्रा व्युत्पन्न**						
स्पॉट एवं अग्रिम	565.39	27.62	-	518.78	-	10.26
मुद्रा विनिमय	3,094.32	432.94	-	5,701.69	419.05	0.41
–अन्य						
–कॉल स्प्रेड	6,068.56	504.12	-	3,839.01	129.43	-
सीगुल विकल्प	22,321.22	2,212.46	-	14,306.98	1,093.63	18.57
उप–जोड़ (i)	**32,049.49**	**3,177.14**	**-**	**24,366.46**	**1,642.11**	**29.24**
(ii) **ब्याज दर व्युत्पन्न**						
–अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	29,056.52	141.71	586.06	21,436.70	160.47	130.16
उप जोड़ (ii)	**29,056.52**	**141.71**	**586.06**	**21,436.70**	**160.47**	**130.16**
(iii) **अन्य व्युत्पन्न**						
रिवर्स क्रॉस मुद्रा विनिमय	4,347.00	-	739.67	-	-	-
कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i + ii+iii)	**65,453.01**	**3,318.85**	**1,325.73**	**45,803.16**	**1,802.58**	**159.40**

भाग II

भाग– I में शामिल डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं रू (4.1 टिप्पणी के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार			31–03–19 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य– परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य– परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i) **नकदी प्रवाह हेजिंग**						
मुद्रा व्युत्पन्न						
मुद्रा एवं अग्रिम	8,638.68	2.32	303.14	-	-	-
–अन्य						
–कॉल स्प्रेड	1,884.65	97.16	-	-	-	-
सीगुल विकल्प	11,348.70	1,662.20	-	-	-	-
ब्याज दर व्युत्पन्न						
–अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	9,498.62	5.24	134.45	-	-	-
उप – जोड़ (i)	**31,370.65**	**1,766.92**	**437.59**	**-**	**-**	**-**
(ii) **गैर– नामोदिष्ट व्युत्पन्न**	**34,082.36**	**1,551.93**	**888.14**	**45,803.16**	**1,802.58**	**159.40**
कुल–व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i+ii)	**65,453.01**	**3,318.85**	**1,325.73**	**45,803.16**	**1,802.58**	**159.40**

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत केरूप में नामित व्युत्पन्न लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। गैर–नामितव्युत्पन्न लिखत के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन कोलाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9. ऋण

कंपनी ने भारतीय– लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31–03–20 के अनुसार		31–03–19 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क)	ऋण				
(i)	आवधिक ऋण	3,21,526.76	3,23,177.53	2,79,021.68	2,79,748.67
(ii)	कार्यशील पूंजीगत ऋण	897.92	902.01	2,188.00	2,200.18
	कुल (क)– निवल ऋण	**3,22,424.68**	**3,24,079.54**	**2,81,209.68**	**2,81,948.85**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(11,996.04)	(11,996.04)	(11,497.93)	(11,497.93)
	कुल (क)– सकल ऋण	**3,10,428.64**	**3,12,083.50**	**2,69,711.75**	**2,70,450.92**
(ख)	प्रतिभूति ब्यौरा				
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	2,44,034.67	2,45,113.22	2,16,394.62	2,06,845.46
(ii)	अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-	-	-
(iii)	बैंक / सरकारी गारंटी के अंतर्गत	58,166.76	58,684.29	42,575.45	52,751.86
(iv)	अप्रतिभूत	20,223.25	20,282.03	22,239.61	22,351.53
	कुल(ख)– सकल ऋण	**3,22,424.68**	**3,24,079.54**	**2,81,209.68**	**2,81,948.85**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(11,996.04)	(11,996.04)	(11,497.93)	(11,497.93)
	कुल (ख) – निवल ऋण	**3,10,428.64**	**3,12,083.50**	**2,69,711.75**	**2,70,450.92**
(ग) (I)	भारत में ऋण				
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	2,84,644.05	2,86,210.40	2,47,719.13	2,48,463.55
(ii)	निजी क्षेत्र	37,780.63	37,869.14	33,490.55	33,485.30
	कुल (ग) (I) – सकल ऋण	**3,22,424.68**	**3,24,079.54**	**2,81,209.68**	**2,81,948.85**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(11,996.04)	(11,996.04)	(11,497.93)	(11,497.93)
	कुल (ग) (I)– निवल ऋण	**3,10,428.64**	**3,12,083.50**	**2,69,711.75**	**2,70,450.92**
(ग) (II)	भारत से बाहर ऋण				
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	-	-	-	-
(ii)	निजी क्षेत्र	-	-	-	-
	कुल (ग) (II) – सकल ऋण	**-**	**-**	**-**	**-**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	-	-	-	-
	कुल (ग) (II) – निवल ऋण	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	**3,10,428.64**	**3,12,083.50**	**2,69,711.75**	**2,70,450.92**

9.1 भारतीय–लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और ऋणों के संबंध में बकाया संविदा राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
निवल ऋण	**3,12,083.50**	**2,70,450.92**
घटाएं: भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	(1,351.75)	(445.05)
घटाएं: भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बिन बकाया राशि	(382.63)	(341.01)
जोड़ें: भारतीय– लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि के लिए भत्ता	11,996.04	11,497.93
जोड़ें प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय– लेखांकन मानक समायोजन	79.52	46.89
सकल ऋण	**3,22,424.68**	**2,81,209.68**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9.2 ऋणों के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 को समाप्त वर्ष	31–03–19 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**11,497.93**	**11,275.45**
जोड़ः वर्ष के दौरान इंपेयरमेंट हानि भत्ते (टिप्पणी 33 के संदर्भ के)	876.52	222.48
घटाएंः ऋणों के राइट ऑफ प्रयुक्त भत्ते	(378.41)	-
वर्ष समाप्ति पर	**11,996.04**	**11,497.93**

9.3 इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही/वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के तहत निपटान के संदर्भ में कंपनी ने ₹ 378.41 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि के ऋणों को बट्टेखाते में डाला है। चालू वर्ष के लिए राइट–ऑफ का विवरण निम्नानुसार हैः

(क) माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), हैदराबाद बेंच द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड के संबंध में पारित किए गए समाधान योजना के अनुमोदन के अनुक्रम में कंपनी ने आदेश के अनुसार इस तरह के इक्विटी शेयरों को निकाले जाने (एक्सटिंग्युशमेंट) पर ₹ 112.67 करोड़ (₹ 124.12 करोड़ की वसूलियों का निबल) की ऋण राशि और ₹ 102 करोड़ (प्रत्येक ₹ 10 के 10.20 करोड़ इक्विटी शेयर) के इक्विटी निवेश को बट्टेखाते में डाल दिया है।

(ख) रतन इंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित की गई एक बारगी निपटान (ओटीएस) व्यवस्था के अनुसरण में कंपनी ने ₹ 478.09 करोड़ की वसूलियों (₹ 405.90 करोड़ की नकद राशि, ₹ 17.59 करोड़ के इक्विटी शेयर, ₹ 22.18 करोड़ के मोचनयोग्य (रिडीमेबल) शेयरऔर ₹ 32.42 करोड़ कवैकल्पिक रूप सेपरिवर्तनीय संचयी मोचनयोग्य (रिडीमेबल) वरीयता शेयर) का विनियोजन करने के बाद ₹ 265.74 करोड़ की राशि को बट्टेखाते में डाला है। निपटान के तहत प्राप्त लिखतों को 'निवेश' शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया गया है (नोट संख्या 10 देखें)।

9.4 कंपनी तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की तारीख के अनुसार शेष राशि के लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि के लिए उनसे जानकारी प्राप्त करती है। ऋणकर्ताओं से प्राप्त बकाया राशियों की पुष्टियों का सारांश निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार		31–03–19 के अनुसार	
	%	राशि	%	राशि
कंपनी के सकल ऋण बही		3,22,424.68		2,81,209.68
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है।	88%	2,85,183.96	89%	2,49,046.78
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त होना बाकी है। *जिसमें से*	12%	37,240.72	11%	32,162.90
मूर्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूति ऋण	*67%*	*25,015.01*	*72%*	*23,286.95*
सरकारी गारंटी द्वारा बीमित ऋण / सरकार को दिए गए ऋण।	*21%*	*7,685.39*	*25%*	*7,938.71*
अप्रतिभूति ऋण	*12%*	*4,540.32*	*3%*	*937.24*

10. निवेश

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				अन्य (कीमत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय का जरिए	हानि या लाभ के जरिए	हानि या लाभ के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप–जोड़		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7=1+5+6)
ऋण प्रतिभूतियां							
–इंडियन बैंक का 11.15% बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)			500.31		500.31	-	500.31
बैंक ऑफ बड़ौदा के 11.25% बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)			500.00		500.00		500.00
सिंडिकेट बैंक* के 11.25% बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)			500.31		500.31	-	500.31
उप– जोड़ ऋण प्रतिभूतियां	**-**	**-**	**1,500.62**	**-**	**1,500.62**	**-**	**1,500.62**
इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट						-	

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				अन्य (कीमत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय का जरिए	हानि या लाभ के जरिए	हानि या लाभ के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप–जोड़		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7=1+5+6)
–एनएचपीसी लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 17,53,02,206 इक्विटी शेयर)	**-**	**349.73**	**-**	**-**	**349.73**	**-**	**349.73**
–इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 1 के 1,22,71,211 इक्विटी शेयर)	-	157.01	-	-	157.01	-	157.01
–हुडको लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 3,47,429 इक्विटी शेयर)	-	0.69	-	-	0.69	-	0.69
–यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 1,60,00,000 इक्विटी शेयर)	-	-	-	-	-	-	-
–रतन इंडिया पावर लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 9,25,68,105 इक्विटी शेयर)	-	-	12.50	-	12.50	-	12.50
उप–जोड़ – इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	**-**	**507.43**	**12.50**	**-**	**519.93**	**-**	**519.93**
अनुषंगी कंपनियाँ							
–आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर)	-	-		-	-	0.05	0.05
–आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लि. (प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर)	-	-		-	-	0.05	0.05
उप – जोड़– अनुषंगी कंपनियाँ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.10**	**0.10**
संयुक्त उद्यम							
–एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड – (प्रत्येक ₹ 10 के 21,81,00,000 इक्विटी शेयर)	-	-		-	-	218.10	218.10
उप – जोड़– संयुक्त उद्यम	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**218.10**	**218.10**
प्रेफरेंस प्रतिभूतियों में निवेश							
–रतन इंडिया पावर लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 2,87,20,978 प्रेफरेंस शेयर विमोचनीय)	22.93	-	-	-	-	-	22.93
–रतन इंडिया पावर लिमिटेड– (प्रत्येक ₹ 10 के 4,33,03,616 विकल्पतः परिवर्तनीय संचयी विमोचनीय)	-	-	45.41	-	45.41	-	45.41
उप – जोड़ – प्रेफरेंस शेयर	**22.93**	**-**	**45.41**	**-**	**45.41**	**-**	**68.34**
अन्य							
–'स्माल इज ब्यूटीफुल' कैपिटल वेंचर निधि की यूनिट (प्रत्येक ₹ 10 के 61,52,200 यूनिटें)	-	6.12	-	-	6.12	-	6.12
–अंतर–कारपोरेट जमा	-	-	-		-		-
उप–जोड़ – अन्य	**-**	**6.12**	**-**	**-**	**6.12**	**-**	**6.12**
जोड़ – सकल (क)	**22.93**	**513.55**	**1,558.53**	**-**	**2,072.08**	**218.20**	**2,313.21**
(i) विदेशों में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
(ii) भारत में निवेश	22.93	513.55	1,558.53	-	2,072.08	218.20	2,313.21
जोड़ (ख)	**22.93**	**513.55**	**1,558.53**	**-**	**2,072.08**	**218.20**	**2,313.21**
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (ग)	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ – निवल (घ = क–ग)	**22.93**	**513.55**	**1,558.53**	**-**	**2,072.08**	**218.20**	**2,313.21**

**01–04–2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समामेलन के संबंध में टिप्पणी 18.2 नोट (ii) देखें*

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				अन्य (कीमत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय का जरिए	हानि या लाभ के जरिए	हानि या लाभ के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप–जोड़		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7=1+5+6)
सरकारी प्रतिभूतियां					-		
–मध्य प्रदेश सरकार के पावर बॉण्ड –II (प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के 1 बॉण्ड)	47.16	-	-	-	-		47.16
उप–जोड़– सरकारी प्रतिभूतियां	**47.16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.16**
ऋण प्रतिभूतियां							
–इंडियन बैंक के 11.15% बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)	-	-	500.31	-	500.31	-	500.31
बैंक ऑफ बड़ौदा के 11.25% बेमियादी बॉण्ड– (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)	-	-	556.25	-	556.25	-	556.25
सिंडिकेट बैंक के 11.25% बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)	-	-	500.31	-	500.31	-	500.31
उप– जोड़ – ऋण प्रतिभूतियां	**-**	**-**	**1,556.87**	**-**	**1,556.87**	**-**	**1,556.87**
इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट							
–एनएचपीसी लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 17,53,02,206 इक्विटी शेयर)	-	433.00	-	-	433.00	-	433.00
–इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 1 के 1,25,00,000 इक्विटी शेयर)	-	206.25	-	-	206.25	-	206.25
–हुडको लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 3,47,429 इक्विटी शेयर)	-	1.56	-	-	1.56	-	1.56
–यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 1,60,00,000 इक्विटी शेयर)	-	-	-	-	-	-	-
–लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर प्रा. लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 10,20,00,000 इक्विटी शेयर)	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट	**-**	**640.81**	**-**	**-**	**640.81**	**-**	**640.81**
अनुषंगी कंपनियाँ							
–आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर)	-	-	-	-	-	0.05	0.05
–आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लि. (प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर)	-	-	-	-	-	0.05	0.05
उप – जोड़– अनुषंगी कंपनियाँ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.10**	**0.10**
संयुक्त उद्यम							
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 14,65,00,000 इक्विटी शेयर)	-	-	-	-	-	146.50	146.50
उप – जोड़– संयुक्त उद्यम	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**146.50**	**146.50**
अन्य							
– 'स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि की यूनिट (प्रत्येक ₹ 10 की 61,52,200 यूनिटें)	-	6.18	-	-	6.18	-	6.18
उप–जोड़ – अन्य	**-**	**6.18**	**-**	**-**	**6.18**	**-**	**6.18**
जोड़ – सकल (क)	**47.16**	**646.99**	**1,556.87**	**-**	**2,203.86**	**146.60**	**2,397.62**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				अन्य (कीमत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय का जरिए	हानि या लाभ के जरिए	हानि या लाभ के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप–जोड़		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7=1+5+6)
(i) विदेशों में निवेश	-	-	-	-	-	-	-
(ii) भारत में निवेश	47.16	646.99	1,556.87	-	2,203.86	146.60	2,397.62
जोड़ (ख)	**47.16**	**646.99**	**1,556.87**	**-**	**2,203.86**	**146.60**	**2,397.62**
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (ग)	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ – निवल (घ = क–ग)	**47.16**	**646.99**	**1,556.87**	**-**	**2,203.86**	**146.60**	**2,397.62**

10.1 अनुषंगी कंपनियाँ एवं संयुक्त उद्यम में निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनियों के नाम	कारोबार के मुख्य स्थान/ निगमनों का देश	स्वामित्व हित के अनुपात के अनुसार	
		31–03–2020	31–03–2019
अनुषंगी कंपनियाँ			
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	भारत	100.00%	100.00%
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लि.	भारत	100.00%	100.00%
संयुक्त उद्यम			
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि.	भारत	22.18%	21.70%

अनुषंगी और संयुक्त उद्यमों में निवेशों को इंड एएस 27 'पृथक वित्तीय विवरणों' के प्रावधानों के अनुरूप लागत पर मापित किया गया है।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के राइट इश्यू ऑफर के तहत कंपनी को दिनांक 8 जून 2019 को ₹ 71.60 करोड़ की राशि के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के 7,16,00,000 शेयर आवंटित किए गए हैं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल में कंपनी की हिस्सेदारी 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 21.70% की तुलना में 22.18% है।

10.2 रतन इंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में दिनांक 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) व्यवस्था के अनुक्रम में कंपनी को 9,25,68,105 इक्विटी शेयर, 2,87,20,978 मोचनयोग्य (रिडीमेबल) वरीयता शेयर और 4,33,03,616 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय प्राथमिकता शेयर आवंटित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए नोट 9.3 देखें।

10.3 कंपनी ने एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य) पर कुछ इक्विटी लिखतों को नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है। कंपनी का मुख्य कार्य (प्रचालन) विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य में उतार–चढ़ाव से लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट को अलग करने के प्रयोजन से प्रबंधन का मानना है कि यह एफवीटीपीएल (फेयर वैल्यू इन प्रॉफिट एंड लॉस) के वर्गीकरण के बजाय उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान डिरिकग्नाइज्ड एफवीओसीआई निवेशों का विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वित्त वर्ष 2019–20			वित्त वर्ष 2018–19		
	डिरिकग्नाइज्ड शेयरों की संख्या	डिरिकग्नीशन के समय उचित मूल्य	डिरिकग्नीशन पर संचयी लाभ/हानि	डिरिकग्नाइज्ड शेयरों की संख्या	डिरिकग्नीशन के समय उचित मूल्य	डिरिकग्नीशन पर संचयी लाभ/हानि
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	228789	4.23	4.21	-	-	-
लैन्को तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	102000000	-	(102.00)			
एनएचपीसी	-	-	-	8709659	24.39	5.42

भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लिमिटेड के बाई बैक ऑफर के तहत कंपनी ने दिनांक 10 अप्रैल 2019 को 4.23 करोड़ रुपए की राशि के लिए 2,28,789 शेयरबेच दिए है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें मान्यता नहीं दी है अर्थात डिरिकॉगनाइज किया है। शेयरों को प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर वापस खरीदने की पेशकश की गई थी और कंपनी ने इसे खुले बाजार में कम कीमतों पर शेयरों को बेचने के बजाय इस मोड के माध्यम से बहुत सारे इक्विटी शेयरों को बेचने का एक अवसर माना।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), हैदराबाद बेंच द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को लैंको तीस्ता हाइड्रो पॉवर लिमिटेड के संबंध में पारित संकल्प योजना के अनुमोदन के अनुक्रम में कंपनी ने आदेश के अनुसार ₹ 102 करोड़ (प्रत्येक ₹ 10 के 10.20 करोड़ इक्विटी शेयर) के इक्विटी निवेश को बट्टेखाते में डाल दिया है ।

इक्विटी शेयरों की वास्तविक बिक्री के कारण निवेशों को मान्यता न देने के बाद कंपनी ने इस तरह के शेयरों पर निबल कर प्रभाव के संचयी लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय से अवधि के दौरान बनाए रखी गई आय में स्थानांतरित कर दिया है।

11. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप 'अन्य व्यापक परिसंपत्तियों' के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार	31-03-19 के अनुसार
(क) कार्मिकों को ऋण (टिप्पणी 11.1 के संदर्भ में)	34.61	28.80
(ख) कार्मिकों को अग्रिम	0.30	0.32
(ग) अनुषंगी कंपनियों को ऋण और अग्रिम	3.99	1.72
(घ) प्रतिभूति जमा राशि	1.29	1.13
(ङ) भारत सरकार से वसूली योग्य		
– भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में (टिप्पणी 20.5 के संदर्भ में)	21,931.30	18,131.11
– सरकारी योजनाओं पर एंजेसी प्रभार	50.64	159.61
– सरकारी योजनाओं पर व्यय की अदायगी	48.17	0.91
कुल – भारत सरकार से वसूली योग्य	**22,030.11**	**18,291.63**
(च) राज्य विद्युत बोर्डों / अन्यों से वसूलनी	4.91	6.17
(छ) अन्य वसूली योग्य राशि	37.23	39.40
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (टिप्पणी 11.2 के संदर्भ में)	(30.85)	(26.69)
अन्य राशि वसूली योग्य (निवल)	6.38	12.71
कुल (क से छ)	**22,081.59**	**18,342.48**

11.1 कार्मिकों को ऋण के विवरण

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्मिकों के दिए जाने वाले सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
(क) प्रतिभूत ऋण		
–मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	7.29	3.74
उप – जोड़ (क)	**7.29**	**3.74**
(ख) अप्रतिभूत ऋण		
–मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.33	0.46
– अन्य को	26.99	24.60
उप – जोड़ (ख)	**27.32**	**25.06**
जोड़ (क+ख)	**34.61**	**28.80**

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि ₹ 6.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.72 करोड़) है, शामिल है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

11.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के समाप्त वर्ष	31-03-19 के समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	26.69	12.27
जोड़े : वर्ष के दौरान सृजित	5.78	14.42
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस बदल दिया गया / समायोजित किया गया	(1.62)	-
समाप्ति पर शेष	**30.85**	**26.69**

12. चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार	31-03-19 के अनुसार
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	1,811.17	1,991.27
आय कर हेतु प्रावधान	(1,552.27)	(1,802.35)
उप–जोड़	**258.90**	**188.92**
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर पर जमा कर	201.05	92.12
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर हेतु प्रावधान	(67.29)	(5.21)
उप–जोड़	**133.76**	**86.91**
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**392.66**	**275.83**

13 आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.20 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	**2,034.32**	**2,358.29**

13.1 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकग्नाइज्ड	ओसीआई में रिकग्नाइज्ड	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,966.72	(690.80)			2,275.92
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.02	(0.01)			4.01
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	7.57	(2.06)			5.51
एफवीओसीआई निवेशों	(0.78)	(1.61)	12.39		10.00
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	(12.04)	306.79	144.90		439.65
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2,965.49**	**(387.69)**	**157.29**	**-**	**2,735.09**
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के विभिन्न कर आधार में देय	3.05	(1.25)			1.80
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार–चढ़ाव	267.26	181.69			448.95
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	336.89	(99.44)			237.45
अन्य	-	12.57			12.57
कुल आस्थगित कर देयताएं	**607.20**	**93.57**	**-**	**-**	**700.77**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**2,358.29**	**(481.26)**	**157.29**	**-**	**2,034.32**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकग्नाइज्ड	ओसीआई में रिकग्नाइज्ड	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,979.61	(12.89)			2,966.72
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	3.50	0.52			4.02
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	6.91	0.66			7.57
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2,990.02**	**(11.71)**	**-**	**-**	**2,978.31**
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के विभिन्न कर आधार में देय	3.05	-			3.05
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार–चढ़ाव	30.15	237.11			267.26
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	(9.27)	21.31			12.04
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	61.88	275.01			336.89
एफवीओसीआई निवेशों	0.10		0.68		0.78
कुल आस्थगित कर देयताएं	**85.91**	**533.43**	**0.68**	**-**	**620.02**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**2,904.11**	**(545.14)**	**(0.68)**	**-**	**2,358.29**

14. निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	अवधि के दौरान अग्रिम	अवधि के दौरान बिक्री /समायोजन	समाप्ति पर शेष राशि
31 मार्च 2020 के अनुसार	**0.01**	**-**	**-**	**0.01**
31 मार्च 2019	0.01	-	-	0.01

14.1 कंपनी ने निवेश परिसंपत्ति के रूप में कम आंके गए भावी प्रयोग के लिए रखी गई भूमि वर्गीकृत की है और उस पर कोई किराये की आय अर्जित नहीं कर रही है।

14.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्यः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.20 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार
धारित मूल्य	0.01	0.01
उचित मूल्य	0.61	0.61

कंपनी कम से कम वार्षिक रूप से अपनी निवेश संपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य उन संपत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें हैं। जहां वह सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां कंपनी विभिन्न स्रोतों से सूचना पर विचार करती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

– विभिन्न प्रकार की समान परिसंपत्तियों के सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें अथवा कम सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों की हाल की कीमतें जो उन अंतरों को दर्शाने के लिए समायोजित की गई हैं।

– जिस अधिकार क्षेत्र में निवेश संपत्ति स्थित है, वहां वर्तमान सर्किल दरें।

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है और प्रयुक्त मुख्य इनपुट समान परिसंपत्तियों की सर्किल दरें और वर्तमान कीमतें हैं। निवेश संपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य आकलन लेवल–3 में शामिल हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

15. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर								पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोल्ड भूमि	लीज होल्ड भूमि*	भवन	फर्नीचर और फिक्सचर्स	ईडीपी उपस्कर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	कुल	अचल संपत्ति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल धारित मूल्य											
31.03.2018 के अनुसार	**82.92**	**1.59**	**31.74**	**9.11**	**15.80**	**16.22**	**0.40**	**157.78**	**127.23**	**1.46**	**12.38**
परिवर्धन	27.47	-	-	1.75	4.97	3.22	-	**37.41**	58.34	0.13	4.87
पूंजीगत लागत उधारियां									11.37		
निपटान / समायोजन	-	-	-	0.21	0.85	0.94	-	**2.00**	-	-	-
31.03.2019 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**31.74**	**10.65**	**19.92**	**18.50**	**0.40**	**193.19**	**196.94**	**1.59**	**17.25**
परिवर्धन	-	-	-	1.80	2.53	3.21	-	**7.54**	74.89	-	3.57
पूंजीगत लागत उधारियां								**-**	15.79		
निपटान/ समायोजन	-	-	-	0.83	2.20	1.74	-	**4.77**	-	0.82	7.20
31.03.2020 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**31.74**	**11.62**	**20.25**	**19.97**	**0.40**	**195.96**	**287.62**	**0.77**	**13.62**
संचित अवमूल्यन/ परिशोधन											
31.03.2018 अनुसार	**-**	**0.29**	**8.10**	**5.79**	**11.69**	**8.45**	**0.27**	**34.59**	**-**	**-**	**7.23**
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.02	0.48	0.59	2.27	2.27	0.03	**5.66**	-	-	1.51
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	0.06	0.59	0.39	-	**1.04**	-	-	-
31.03.2019 के अनुसार	**-**	**0.31**	**8.58**	**6.32**	**13.37**	**10.33**	**0.30**	**39.21**	**-**	**-**	**8.74**
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.01	0.48	0.68	2.90	2.63	0.02	**6.72**	-	-	3.28
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	0.34	1.89	0.74	-	**2.97**	-	-	7.20
31.03.2020 के अनुसार	**-**	**0.32**	**9.06**	**6.66**	**14.38**	**12.22**	**0.32**	**42.96**	**-**	**-**	**4.82**
31.03.19 के अनुसार निवल ब्लॉक	**110.39**	**1.28**	**23.16**	**4.33**	**6.55**	**8.17**	**0.10**	**153.98**	**196.94**	**1.59**	**8.51**
31.03.20 के अनुसार निवल ब्लॉक	**110.39**	**1.27**	**22.68**	**4.96**	**5.87**	**7.75**	**0.08**	**153.00**	**287.62**	**0.77**	**8.80**

यह पट्टाधारक (पट्टा होल्ड) भूमि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 17 के अंतर्गत वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया और इसे इंड ए एस116 के रूप में परिवर्तित किए जाने पर 01 अप्रैल 2019 से उपयोग के अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

15.1 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी द्वारा अधिगृहीत कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में कनवेंस डीड के पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	भूमि	भवन	भूमि	भवन
सकल धारित मूल्य	**68.31**	**4.59**	**68.31**	**4.59**
निवल धारित मूल्य	**68.31**	**2.14**	**68.31**	**2.20**

15.2 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कंपनी के प्रतिभूति उधारों की तुलना में प्रतिभूत के रूप में रखे गए हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
सकल धारित मूल्य	3.45	3.45
निवल धारित मूल्य	2.41	2.46

15.3 प्रबंधन के मत में उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन अथवा कोई घटनाएं नहीं हैं जो भारतीय लेखांकन मानक 36 "परिसंपत्तियों की हानि" के संदर्भ में पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि दर्शाएं। तद्नुसार, हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

15.4 जबकि कंपनी ने किसी अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट उधार नहीं लिया है, फिर भी कंपनी ने इंड एएस 23 'उधार लेने की लागत' के संदर्भ में कंपनी के लिए उधार की औसत दर पर सामान्य उधारियों के लिए उधार लेने की कुछ लागतों को पूंजीकृत किया गया है। लागू लेखांकन मार्गदर्शन के अनुसार, कंपनी ने उस अवधि के लिए उधार लेने की लागत को पूंजीकृत नहीं किया है जिसके दौरान निर्माण कार्य को कोविद–19 व्यवधानों के कारण रोक दिया गया है।

15.5 भारतीय लेखांकन मानक 38 "अमूर्त परिसंपत्तियां" के तहत अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन

परिशोधन दर 20 प्रतिशत (परिसंपत्ति की कुल लागत के मामले में 100 प्रतिशत, ₹ 5,000 अथवा कम है)।

16 अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.20 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार
प्रतिभूति, शोध्य समझे गए			
(क)	पूंजीगत अग्रिम	50.38	35.72
(ख)	अन्य अग्रिम	5.12	28.86
(ग)	सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	44.37	48.00
(घ)	पूर्वप्रदत्त व्यय	0.17	7.51
(ङ)	आस्थगित कार्मिक लागत	13.21	12.20
(च)	अन्य परिसंपत्तियां	0.02	0.01
	कुल (क से च)	**113.27**	**132.30**

17 ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
		अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
(क)	**प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ**				
(i)	संस्थागत बॉण्ड	3,470.00	3,679.51	11,019.40	11,599.27
(ii)	54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	21,976.14	22,781.73	23,157.88	24,010.13
(iii)	कर मुक्त बॉण्ड	12,648.41	13,088.03	12,648.41	13,082.66
(iv)	बॉण्ड आवेदन राशि	400.19	399.41	722.04	720.48
	उप – जोड़ (क)	**38,494.74**	**39,948.68**	**47,547.73**	**49,412.54**
(ख)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां**				
(i)	संस्थागत बॉण्ड	1,48,662.20	1,53,685.20	1,18,253.90	1,22,201.55
(ii)	अवसंरचना बॉण्ड	16.46	25.19	91.43	98.75
(iii)	जीरो कूपन बॉण्ड	1,364.85	1,363.91	1,259.57	1,258.56
(iv)	विदेशी मुद्रा बॉण्ड	22,615.78	22,064.56	12,796.69	12,172.07
	उप – जोड़ (ख)	**1,72,659.29**	**1,77,138.86**	**1,32,401.59**	**1,35,730.93**
(ग)	**अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियां**				
(i)	कमर्शियल पेपर	2,925.00	2,889.68	7,975.00	7,696.32
	उप – जोड़ (ग)	**2,925.00**	**2,889.68**	**7,975.00**	**7,696.32**
	कुल – ऋण प्रतिभूतियां (क+ख+ग)	**2,14,079.03**	**2,19,977.22**	**1,87,924.32**	**1,92,839.79**
	भारत में/से बाहर निर्गत ऋण प्रतिभूतियां				
(i)	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	1,91,463.25	1,97,912.66	1,75,127.63	1,80,667.72
(ii)	विदेशों में ऋण प्रतिभूतियां	22,615.78	22,064.56	12,796.69	12,172.07
	जोड़– ऋण प्रतिभूतियां	**2,14,079.03**	**2,19,977.22**	**1,87,924.32**	**1,92,839.79**

कृपया अंकित मूल्य में प्रतिबिम्बित आंकडों और परिशोधित लागत के आंकडों के बीच पुनर्मिलान के लिए नोट संख्या 19.2 देखें, जिसमें अर्जित ब्याज और परिशोधित खर्चे शामिल हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

17.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ का विवरण – प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 18.6 का संदर्भ लें

(I) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
123–IIIबी श्रृंखला–9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	1,955.00	2,063.95	1,955.00	2,062.61
123–I श्रृंखला–9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय	1,515.00	1,615.56	1,515.00	1,615.29
92–II श्रृंखला–8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय	-	-	945.30	960.65
91–II श्रृंखला–8.80% सममूल्य पर दिनांक 18.11.2019 को विमोचनीय	-	-	995.90	1,028.23
90–सी–II श्रृंखला–8.80% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2019 को विमोचनीय	-	-	1,040.00	1,084.29
90–बी–II श्रृंखला–8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय	-	-	868.20	911.48
90वीं श्रृंखला–8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय	-	-	2,000.00	2,116.21
122वीं श्रृंखला–9.0% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2019 को विमोचनीय	-	-	1,700.00	1,820.51
कुल संस्थागत बॉण्ड	**3,470.00**	**3,679.51**	**11,019.40**	**11,599.27**

(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला XIII (2019–20) 5.75% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान विमोचनीय	5,759.14	5,907.48	-	-
श्रृंखला XII (2018–19) 5.75% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विमोचनीय	6,651.77	6,934.10	5,929.73	6,083.83
श्रृंखला XI (2017–18) 5.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विमोचनीय	9,565.23	9,940.15	9,565.23	9,934.60
श्रृंखला X (2016–17) 5.25–6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान विमोचनीय	-	-	7,662.92	7,991.70
जोड़–54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	**21,976.14**	**22,781.73**	**23,157.88**	**24,010.13**

(III) कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला 2015–16 भाग 1	700.00	713.90	700.00	713.65
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोच्य हैं, ₹ 172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोच्य है और ₹ 421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2015–16 श्रृंखला 5ए	300.00	306.98	300.00	306.92
7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2013–14 भाग 2	1,059.40	1,085.44	1,059.40	1,084.83
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोच्य हैं, ₹ 530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोच्य है और ₹ 109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोच्य हैं।				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला 2013–14 श्रृंखला 4ए एवं 4बी	150.00	155.69	150.00	155.64
वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013–14 भाग 1	3,440.60	3,524.85	3,440.60	3,523.11
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोच्य हैं, ₹ 2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोच्य हैं और ₹ 55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013–14 श्रृंखला 3ए एवं 3बी	1,350.00	1,415.07	1,350.00	1,414.77
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2012–13 भाग 2	131.06	133.92	131.06	133.84
वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012–13 भाग 1	2,017.35	2,063.35	2,017.35	2,062.29
वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012–13 श्रृंखला 2ए और 2बी	500.00	513.01	500.00	512.92
वार्षिक रूप से क्रमश% 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2011–12	3,000.00	3,175.82	3,000.00	3,174.69
वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 28.03.2022 को विमोच्य हैं और ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 29.03.2027 को विमोच्य हैं।				
जोड़ – कर–मुक्त बॉण्ड	**12,648.41**	**13,088.03**	**12,648.41**	**13,082.66**

(iv) बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	400.19	399.41	722.04	720.48
5.75% आबंटन की डीम्ड तिथि से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर प्रतिदेय				
जोड़ः बॉण्ड आवेदन राशि	**400.19**	**399.41**	**722.04**	**720.48**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

17.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(I) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
183वीं श्रृंखला – 8.29% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2034 को विमोचनीय	3,028.00	3,163.54	-	-
182वीं श्रृंखला – 8.18% सममूल्य पर दिनांक 22.08.2034 को विमोचनीय	5,063.00	5,315.09	-	-
189वीं श्रृंखला–7.92% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	3,054.90	3,054.80	-	-
188वीं बी श्रृंखला–7.89% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	1,100.00	1,100.07	-	-
192वीं श्रृंखला–7.50% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2030 को विमोचनीय	2,382.00	2,393.16	-	-
184वीं–ए श्रृंखला – 8.25% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2029 को आंशिक रूप से प्रदत्त डिबेंचर विमोचनीय विमोचनीय	290.20	302.31	-	-
180वीं–बी श्रृंखला – 8.30% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2029 को विमोचनीय	2,070.90	2,163.58	-	-
178वीं–श्रृंखला – 8.80% सममूल्य पर दिनांक 14.05.2029 को विमोचनीय	1,097.00	1,167.75	-	-
176वीं–श्रृंखला – 8.85% सममूल्य पर दिनांक 16.04.2029 को विमोचनीय	1,600.70	1,735.59	-	-
169वीं श्रृंखला – 8.37% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2028 को विमोचनीय	2,554.00	2,621.29	2,554.00	2,620.27
168वीं श्रृंखला – 8.56% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2028 को विमोचनीय	2,552.40	2,626.01	2,552.40	2,624.99
163वीं श्रृंखला – 8.63% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,628.20	2,500.00	2,627.34
162वीं श्रृंखला – 8.55% सममूल्य पर दिनांक 09.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,637.55	2,500.00	2,636.73
156वीं श्रृंखला – 7.70% सममूल्य पर दिनांक 10.12.2027 को विमोचनीय	3,533.00	3,614.64	3,533.00	3,614.04
147वीं श्रृंखला – 7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय	2,745.00	2,745.34	2,745.00	2,745.25
142वीं श्रृंखला – 7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय	3,000.00	3,056.26	3,000.00	3,055.73
140वीं श्रृंखला – 7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय	2,100.00	2,152.27	2,100.00	2,151.90
136वीं श्रृंखला – 8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय	2,585.00	2,671.22	2,585.00	2,670.69
95–II श्रृंखला – 8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय	1,800.00	1,913.61	1,800.00	1,913.49
94वीं श्रृंखला – 8.75:% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय	1,250.00	1,339.05	1,250.00	1,339.00
133वीं श्रृंखला–8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय	2,396.00	2,452.91	2,396.00	2,452.88
190वीं ए श्रृंखला – 6.88% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2025 को विमोचनीय	2,500.00	2,523.03	-	-
131वीं श्रृंखला – 8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय	2,285.00	2,304.14	2,285.00	2,303.12
130वीं श्रृंखला – 8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय	2,325.00	2,493.00	2,325.00	2,492.75
129वीं श्रृंखला – 8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय	1,925.00	2,063.40	1,925.00	2,063.19
128वीं श्रृंखला – 8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय	2,250.00	2,418.53	2,250.00	2,418.29
186वीं बी श्रृंखला – 7.40% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2024 को विमोचनीय	1,500.00	1,537.86	-	-
191वीं बी श्रृंखला – 6.99% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2024 को विमोचनीय	1,100.00	1,107.13	-	-
180वीं ए श्रृंखला–8.10% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2024 को विमोचनीय	1,018.00	1,070.52	-	-
184वीं बी श्रृंखला एसटीआरपी–डी–7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2023 को विमोचनीय	300.00	311.55	-	-
191वीं ए श्रृंखला – 6.80% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.95	-	-
114वीं श्रृंखला – 8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय	4,300.00	4,666.58	4,300.00	4,666.20
188वीं ए श्रृंखला – 7.12% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2023 को विमोचनीय	1,400.00	1,400.13	-	-
159वीं श्रृंखला – 7.99% सममूल्य पर दिनांक 23.02.2023 को विमोचनीय	950.00	957.40	950.00	957.07
187वीं श्रृंखला – 7.24% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2022 को विमोचनीय	2,090.00	2,129.37	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
185वीं श्रृंखला – 7.09% सममूल्य पर दिनांक 13.12.2022 को विमोचनीय	2,769.00	2,827.04	-	-
155वीं श्रृंखला – 7.45% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2022 को विमोचनीय	1,912.00	1,959.12	1,912.00	1,958.62
111–II श्रृंखला – 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	2,211.20	2,283.64	2,211.20	2,283.10
152वीं श्रृंखला – 7.09% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2022 को विमोचनीय	1,225.00	1,264.12	1,225.00	1,263.82
184वीं–बी श्रृंखला एसटीआरपी–सी – 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2022 को विमोचनीय	300.00	311.56	-	-
150वीं श्रृंखला – 7.03% सममूल्य पर दिनांक 07.09.2022 को विमोचनीय	2,670.00	2,775.25	2,670.00	2,774.70
186वीं ए श्रृंखला – 6.90% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,559.27	-	-
107वीं श्रृंखला – 9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	2,378.20	2,554.46	2,378.20	2,554.12
179वीं श्रृंखला – 8.15% सममूल्य पर दिनांक 10.06.2022 को विमोचनीय	1,000.00	1,065.61	-	-
167वीं श्रृंखला – 8.45% सममूल्य पर दिनांक 22.03.2022 को विमोचनीय	2,571.80	2,577.54	2,571.80	2,576.88
173वीं श्रृंखला – 8.35% सममूल्य पर दिनांक 11.3.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,510.23	2,500.00	2,509.41
132वीं श्रृंखला – 8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय	700.00	750.72	700.00	750.61
145वीं श्रृंखला – 7.46% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2022 को विमोचनीय	625.00	628.97	625.00	628.75
165वीं श्रृंखला – 8.83% सममूल्य पर दिनांक 21.01.2022 को विमोचनीय	2,171.00	2,207.50	2,171.00	2,206.47
193वीं श्रृंखला – 6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	1,115.00	1,118.70	-	-
190वीं श्रृंखला – 6.32% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	2,489.40	2,511.05	-	-
177वीं श्रृंखला – 8.50% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2021 को विमोचनीय	1,245.00	1,274.50	-	-
141वीं श्रृंखला – 7.14% सममूल्य पर दिनांक 09.12.2021 को विमोचनीय	1,020.00	1,038.00	1,020.00	1,037.69
127वीं श्रृंखला – 8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय	1,550.00	1,664.78	1,550.00	1,664.56
105वीं श्रृंखला – 9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	3,922.20	4,070.07	3,922.20	4,069.16
139वीं श्रृंखला – 7.24% सममूल्य पर दिनांक 21.10.2021 को विमोचनीय	2,500.00	2,575.10	2,500.00	2,574.49
184वीं–बी श्रृंखला एसटीआरपी– बी– 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2021 को विमोचनीय	300.00	311.57	-	-
101–III श्रृंखला – 9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	3,171.80	3,364.34	3,171.80	3,363.70
100वीं श्रृंखला – 9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	1,500.00	1,603.01	1,500.00	1,602.90
174वीं श्रृंखला – 8.15% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2021 को विमोचनीय	2,720.00	2,894.03	2,720.00	2,727.18
161बी श्रृंखला – 7.73% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2021 को विमोचनीय	800.00	849.01	800.00	848.86
154 श्रृंखला – 7.18% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2021 को विमोचनीय	600.00	637.04	600.00	636.89
157वीं श्रृंखला – 7.60% सममूल्य पर दिनांक 17.04.2021 को विमोचनीय	1,055.00	1,131.47	1,055.00	1,131.27
158वीं श्रृंखला – 7.70% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	2,465.00	2,473.46	2,465.00	2,473.14
98वीं श्रृंखला – 9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	3,000.00	3,012.79	3,000.00	3,012.83
153वां श्रृंखला–6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2020 को विमोचनीय	2,850.00	2,899.77	2,850.00	2,898.98
97वीं श्रृंखला – 8.80% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2020 को विमोचनीय	2,120.50	2,183.61	2,120.50	2,183.11
96वीं श्रृंखला –8.80% सममूल्य पर दिनांक 26.10.2020 को विमोचनीय	1,150.00	1,193.96	1,150.00	1,193.81
184वीं–बी श्रृंखला एसटीआरपी–ए – 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2020 को विमोचनीय	300.00	311.63	-	-
149वीं श्रृंखला – 6.87% सममूल्य पर दिनांक 24.09.2020 को विमोचनीय	2,485.00	2,573.44	2,485.00	2,572.86
135वीं श्रृंखला – 8.36% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2020 को विमोचनीय	2,750.00	2,817.12	2,750.00	2,817.11
144वीं श्रृंखला – 7.13% सममूल्य पर दिनांक 21.09.2020 को विमोचनीय	835.00	840.30	835.00	840.00

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
172वीं श्रृंखला – 8.57% सममूल्य पर दिनांक 20.08.2020 को विमोचनीय	1,790.00	1,884.21	1,790.00	1,806.05
134वीं श्रृंखला – 8.37% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2020 को विमोचनीय	2,675.00	2,740.31	2,675.00	2,740.10
143वीं श्रृंखला – 6.83% सममूल्य पर दिनांक 29.06.2020 को विमोचनीय	1,275.00	1,289.46	1,275.00	1,289.08
148वीं श्रृंखला – 7.42% सममूल्य पर दिनांक 17.06.2020 को विमोचनीय	1,200.00	1,203.61	1,200.00	1,203.42
161वां ए श्रृंखला – 7.59% सममूल्य पर दिनांक 13.03.2020 को विमोचनीय	-	-	3,000.00	3,010.44
113वीं श्रृंखला – 8.87% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2020 को विमोचनीय	-	-	1,542.00	1,550.86
111–I श्रृंखला – 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय	-	-	452.80	467.65
126वीं श्रृंखला – 8.56% सममूल्य पर दिनांक 13.11.2019 को विमोचनीय	-	-	1,700.00	1,755.25
125वीं श्रृंखला – 9.04% सममूल्य पर दिनांक 11.10.2019 को विमोचनीय	-	-	3,000.00	3,124.59
160वीं श्रृंखला – 7.77% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2019 को विमोचनीय	-	-	1,450.00	1,510.68
108–II श्रृंखला – 9.39% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय	-	-	960.00	1,022.94
95–I श्रृंखला – 8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय	-	-	200.00	212.54
जोड़ – संस्थागत बॉण्ड	**1,48,662.20**	**1,53,685.20**	**1,18,253.90**	**1,22,201.55**

(ii) अवसंचरना बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला–II (2011–12) – सममूल्य पर विमोचनीय	11.07	19.80	11.07	18.37
श्रृंखला–I (2010–11) – सममूल्य पर विमोचनीय	5.39	5.39	80.36	80.38
कुल : इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	**16.46**	**25.19**	**91.43**	**98.75**

जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011–12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	5.73	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	1.38	1.38	
9.15% संचयी	2.83	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	1.13	1.13	
जोड़	**11.07**	**11.07**	

राशि को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला–I (2010–11)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	विमोचन का विवरण
8.00%	-	16.92	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5/6/7/8/9 वर्ष के बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.20%	-	58.04	
8.10%	1.61	1.61	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	3.78	3.79	
जोड़	5.39	80.36	

राशि को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) जीरो कूपन बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य*	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य*	परिशोधित मूल्य
जेडसीबी – श्रृंखला–II (अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय हैं)।	250.29	250.14	230.11	229.95
जेडसीबी – श्रृंखला–II (अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय हैं)।	1,114.56	1,113.77	1,029.46	1,028.61
कुलः जीरो कूपन बॉण्ड	**1,364.85**	**1,363.91**	**1,259.57**	**1,258.56**

**जीरो कूपन बाण्ड्स के जारी होने पर अपरिशोधित निवल अंकित मूल्य को दर्शाता है।*

(iv) विदेशी मुद्रा बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
4.625% यूएस $ 300 मिलियन बॉण्ड–सममूल्य पर दिनांक 22.03.2028 को विमोचनीय	2,261.58	2,035.23	2,075.14	1,848.33
3.875% यूएस $ 450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 07.07.2027 को विमोचनीय	3,392.37	2,982.46	3,112.71	2,693.94
3.50% यूएस $ 500 मिलियन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 12.12.2024 को विमोचनीय	3,769.30	3,795.87	-	-
3.375% यूएस $ 650 मिलियन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 25.07.2024 को विमोचनीय	4,900.08	4,900.27	-	-
5.250% यूएस $ 700 मिलियन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 13.11.2023 को विमोचनीय	5,277.01	5,329.61	4,841.99	4,882.85
3.068% यूएस $ 400 मिलियन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 18.12.2020 को विमोचनीय	3,015.44	3,021.12	2,766.85	2,746.95
उप–जोड़ – विदेशी मुद्रा बॉण्ड	**22,615.78**	**22,064.56**	**12,796.69**	**12,172.07**

17.3 अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) वाणिज्यिक दस्तावेज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
वाणिज्यिक दस्तावेज	2,925.00	2,889.68	7,975.00	7,696.32

बकाया वाणिज्यिक दस्तावेज का विवरणः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
57वीं श्रृंखला – 8.04% दिनांक 30.04.2019 को प्रदत्त	-	-	2,750.00	2,732.99
58वीं श्रृंखला – 7.60% दिनांक 27.09.2019 को प्रदत्त	-	-	1,875.00	1,808.27
59वीं श्रृंखला – 7.72% दिनांक 30.12.2019 को प्रदत्त	-	-	2,350.00	2,222.86
60वीं श्रृंखला – 7.90% दिनांक 04.03.2020 को प्रदत्त	-	-	1,000.00	932.20
63वीं श्रृंखला – 7.90% दिनांक 19.06.2020 को प्रतिदेय	675.00	664.69	-	-
64वीं श्रृंखला – 5.48% दिनांक 15.06.2020 को प्रतिदेय	2,250.00	2,224.99	-	-
कुल	**2,925.00**	**2,889.68**	**7,975.00**	**7,696.32**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

18. उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क)	प्रतिभूत दीर्घावधि उधारियाँ				
(i)	अन्य से आवधिक ऋण – वित्तीय लिखतें	-	-	200.00	207.33
	उप–जोड़ (क)	**-**	**-**	**200.00**	**207.33**
(ख)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियाँ**				
(i)	पट्टा देयताएं	0.07	0.07	0.11	0.11
(ii)	नेशनल स्माल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ) से आवधिक ऋण	10,000.00	10,326.81	5,000.00	5,121.84
(iii)	बैंकों से आवधिक ऋण	18,899.78	18,900.72	18,550.00	18,555.08
(iv)	वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
(v)	विदेशी मुद्रा उधारियाँ	21,762.71	21,579.29	17,637.62	17,450.46
(vi)	एफसीएनआर (बी) ऋण	1,017.71	1,020.89	933.81	936.96
	उप–जोड़ (ख)	**52,680.27**	**52,827.78**	**43,121.54**	**43,064.45**
(ग)	**अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ**				
(i)	एफसीएनआर (बी) ऋण	5,955.49	5,964.91	3,389.39	3,390.76
(ii)	बैंकों से मांग पर अल्पावधि ऋण / ऋण प्रतिदेय	2,749.86	2,750.92	-	-
	उप–जोड़ (ग)	**8,705.35**	**8,715.83**	**3,389.39**	**3,390.76**
	कुल– उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) (क से ग)	**61,385.62**	**61,543.61**	**46,710.93**	**46,662.54**
	भारत में/से बाहर उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)				
(i)	भारत में उधारियाँ	39,622.91	39,964.32	29,073.31	29,212.08
(ii)	भारत से उधारियाँ	21,762.71	21,579.29	17,637.62	17,450.46
	कुल – उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा	**61,385.62**	**61,543.61**	**46,710.93**	**46,662.54**

कृपया अंकित मूल्य में प्रतिबिम्बित आंकडों और परिशोधित लागत के आंकडों के बीच पुनर्मिलान के लिए नोट संख्या 19.2 देखें, जिसमें अर्जित ब्याज और परिशोधित खर्च शामिल हैं।

18.1 – प्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों का विवरण – प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 18.6 का संदर्भ देंखे

(i) अन्य से प्रतिभूत आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
– भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)		-	**200.00**	**207.33**
जोड़ – अन्य से आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएं	-	-	**200.00**	**207.33**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

18.2 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण

(i) नेशनल स्माल सेविंग फंड (एनएसएसएफ) से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
– नेशनल स्माल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ) से ऋण	10,000.00	10,326.81	5,000.00	5,121.84
13.12.2028 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.10.2029 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय				
जोड़ – सरकार से आवधिक ऋण	**10,000.00**	**10,326.81**	**5,000.00**	**5,121.84**

(ii) बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
– बैंक ऑफ बड़ौदा	2,500.00	2,500.52	-	-
12.12.2020 को ₹ 416.75 करोड़ प्रतिदेय, ₹ 12.12.2021 को 1041.75 करोड़ प्रतिदेय एवं 12.12.2022 को ₹ 1041.50 करोड़ प्रतिदेय				
– कारपोरेशन बैंक*	699.99	699.99	1,000.00	1,000.00
ऋण 6 अर्धवार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 06.09.2021 को देय है।				
– एचडीएफसी बैंक	2,000.00	2,000.42	2,000.00	2,000.46
29.04.2020 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 29.09.2023 को ₹ 300 करोड़ प्रतिदेय, 11.10.2023 को ₹ 350 करोड़ प्रतिदेय, 06.11.2023 को ₹ 350 करोड़ प्रतिदेय, 15.01.2024 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय				
– पंजाब नेशनल बैंक	1,999.99	1,999.99	3,500.00	3,500.00
₹ 2,000 करोड़ 3 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 14.09.2021 को देय है।				
– स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7,299.92	7,299.92	7,300.00	7,300.00
₹ 5,000 करोड़ 3 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय तथा पहली किश्त 15.10.2021 को देय है, ₹ 2,300 करोड़ 5 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय तथा पहली किश्त 05.09.2020 को देय है।				
– ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	399.88	399.88	750.00	750.00
ऋण 8 अर्ध–वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 30.03.2022 को देय हो रही है।				
– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00
ऋण 6 अर्ध–वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 24.6.2022 को देय हो रही है।				
–सिंडिकेट बैंक*	2,500.00	2,500.00	-	-
₹ 500 करोड़ 4 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय तथा पहली किश्त 28.08.2021 को देय है, ₹ 2,000 करोड़ 4 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय तथा पहली किश्त 28.02.2022 को देय है।				
– यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया'	-	-	1,000.00	1,004.50
– बैंक ऑफ इंडिया	-	-	2,000.00	2,000.00
– केनरा बैंक	-	-	500.00	500.12
जोड़ – बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण	**18,899.78**	**18,900.72**	**18,550.00**	**18,555.08**

*पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया केविलयय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के विलय; सिंडीकेट बैंक के केनरा बैंक के साथ विलय और इलाहाबाद बैंक के इंडियन बैंक के साथ विलय की अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या क्रमशः जी. एस. आर.153(ई), जी.एस. आर. 154(ई),जी.एस. आर. 155(ई) और जी.एस. आर. 156(ई) के जरिए प्रकाशित की गई। ये विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) अन्य से अप्रतिभूत आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
– इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
04.06.2022 को प्रतिदेय				
जोड़ – अन्य से आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएं	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**

(iv) विदेशी मुद्रा उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(1) ओडीए ऋण – भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत				
जेआईसीए ऋण – 0.75% जेआईसीए –I ऋण दिनांक 20.03.2021 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त दिनांक 20.09.2020 को देय ही रही है और 0.65% जेआईसीए –II ऋण 20.03.2023 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त 20.09.2020 को देय हो रही है।	99.46	99.48	131.40	131.43
2.89% केएफडब्ल्यू ऋण II ऋण – 30.12.2020 तक € 3.88 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय कर दिया गया। अंतिम किश्त 30.06.2020 को भुगतान कर दी गयी।	64.60	65.03	120.87	121.66
1.86% केएफडब्ल्यू–III ऋण – 30.03.2024 तक € 5.26 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 30.06.2020 को देय है।	393.41	393.52	449.87	449.13
उप जोड़ – (1)	**557.47**	**558.03**	**702.14**	**702.22**
(2) ओडीए ऋण – भारत सरकार गारंटीकृत के बिना				
6 एम यूएसडी एलआईबीओआर +0.13% केएफडब्ल्यू – IV ऋण – 15.11.2030 तक € 12.00 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 15.11.2021 को देय है।	1,220.98	1,227.88	-	-
उप जोड़ – (2)	**1,220.98**	**1,227.88**	**-**	**-**
(3) द्विपक्षीय/सिंडिकेट ऋण				
यूएस $75 मिलियन– 30.03.2025 को प्रतिदेय	565.39	554.38	-	-
एसजी $72.07 मिलियन– 30.03.2025 को प्रतिदेय	380.80	367.22	-	-
यूएस $100 मिलियन– 01.07.2024 को प्रतिदेय	753.86	749.10	-	-
यूएस $150 मिलियन– 29.03.2024 को प्रतिदेय	1,130.79	1,104.53	518.78	501.99
यूएस $250 मिलियन– 27.03.2024 को प्रतिदेय	1,884.65	1,855.66	1,729.28	1,696.87
¥10,327.012 मिलियन–31.08.2023 को प्रतिदेय	719.28	700.98	645.65	624.64
यूएस $250 मिलियन– 08.08.2023 को प्रतिदेय	1,884.65	1,877.67	1,729.28	1,721.63
यूएस $150 मिलियन– 12.09.2022 को प्रतिदेय	1,130.79	1,121.92	-	-
यूएस $200 मिलियन– 28.07.2022 को प्रतिदेय	1,507.72	1,494.21	1,383.43	1,365.67
यूएस $230 मिलियन– 19.01.2022 को प्रतिदेय	1,733.88	1,702.97	1,590.94	1,551.91
यूएस $100 मिलियन– 05.10.2021 को प्रतिदेय	753.86	745.81	691.71	678.55
यूएस $240 मिलियन– 26.03.2021 को प्रतिदेय	1,809.26	1,793.23	1,660.11	1,631.60
यूएस $160 मिलियन–26.03.2021 को प्रतिदेय	1,206.17	1,195.78	1,106.74	1,087.77
यूएस $300 मिलियन– 29.07.2020 को प्रतिदेय	2,261.58	2,269.17	2,075.14	2,076.19
यूएस $300 मिलियन–01.12.2020 को प्रतिदेय।	2,261.58	2,260.75	2,075.14	2,067.94
यूएस $250 मिलियन– $57.5 मिलियन 26.11.2017 को प्रदत्त एवं $192.5 मिलियन 29.05.2019 को प्रतिदेय	-	-	1,331.55	1,346.66

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस $57.50 मिलियन– 29.05.2019 को प्रदत्त	-	-	397.73	396.82
उप– जोड़ – (3)	**19,984.26**	**19,793.38**	**16,935.48**	**16,748.24**
उप–जोड़: विदेशी मुद्रा उधारियां (1+2+3)	**21,762.71**	**21,579.29**	**17,637.62**	**17,450.46**

(v) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस $135 मिलियन– यूएस $60 मिलियन 04.09.2021 को प्रतिदेय तथा $75 मिलियन दिनांक 22.10.2021 को प्रतिदेय	1,017.71	1,020.89	933.81	936.96
जोड़ –एफसीएनआर (ख) ऋण	**1,017.71**	**1,020.89**	**933.81**	**936.96**

18.3 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ

(i) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस $ 100 मिलियन– यूएस $ 25 मिलियन 30.09.2020 को प्रतिदेय एवं यूएस $ 75 मिलियन 22.01.2021 को प्रतिदेय	753.86	753.86	-	-
यूएस $140 मिलियन–13.01.2021 को प्रतिदेय	1,055.40	1,055.51	-	-
यूएस $100 मिलियन–21.12.2020 को प्रतिदेय	753.86	753.92	-	-
यूएस $100 मिलियन–03.12.2020 को प्रतिदेय	753.86	753.93	-	-
यूएस $200 मिलियन– 21.09.2020 को प्रतिदेय	1,507.72	1,512.87	-	-
यूएस $150 मिलियन–20.05.2020 एवं 25.06.2020 को दो किश्तों में प्रतिदेय	1,130.79	1,134.82	-	-
यूएस $140 मिलियन–11.01.2020 को प्रदत्त	-	-	968.40	968.80
यूएस $100 मिलियन–19.12.2019 को प्रदत्त	-	-	691.71	692.00
यूएस $100 मिलियन–09.12.2019 को प्रदत्त	-	-	691.71	691.99
यूएस $150 मिलियन–31.08.2019 को प्रदत्त	-	-	1,037.57	1,037.97
जोड़ –एफसीएनआर (ख) ऋण	**5,955.49**	**5,964.91**	**3,389.39**	**3,390.76**

18.4 टिप्पणी संख्या 17.1 (i) एवं 17.2 (i) से (ii) में उल्लिखित है कि सरकार/बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण 7.02% से 8.29% मासिक, तिमाही एवं अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर प्रतिदेय है।

18.5 टिप्पणी संख्या 18.2 (iv)(3) में विदेशी मुद्रा उधार 6 माह के अमेरिकी डॉलर/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक द्वारा पेशकश की गई दर) के लिए 65 बीपीएस से 150 बीपीएस की ब्याज दर पर लिए गए हैं।

18.6 ऋण प्रतिभूतियों एवं उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

सुरक्षित ऋण प्रतिभूतियों और उधार के सुरक्षा विवरण कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बॉण्ड और जो तूलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया हैं, के लिए, कुछ अचल संपत्तियों पर बंधक के माध्यम से और/या कंपनी की प्राप्तियों पर शुल्कलगाकर 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड सीरीज 123–I और 123–IIIबीको विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति परपहले समरूप प्रभार और जारीकर्ता के बुक ऋण जो अन्य ऋणदाता / ट्रस्टी से प्रभारित किए जाते हैं और जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में देय ब्याज की राशि और हर समय बकाया बॉण्ड की राशि के एकीकृत अंकित मूल्य के एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ बॉण्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार जारीकर्ता और ट्रस्टी के बीच यथा स्वीकृत किए जाते हैं, के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बांडों को शॉप नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई में परिसर में प्रथम समरूप (पारीपासु) प्रभार और विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (जिसे पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता रहा है) के पक्ष में एमएसईसीडीएल की 4,998.66 करोड़ रुपए की प्राप्तियों के अनुमान द्वारा सुरक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड्स को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी के बही ऋणों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2015–16 के दौरान जारी की गई 54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्शन बॉण्ड और टैक्स फ्री बॉण्ड्स की बॉण्ड सीरीज XI, XII और XIII को (क) उप–प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584 पी, ग्राम – सुभानपुरा, जिला वडोदरा स्थित परिसरों के बंधक और (ख) एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई प्राप्तियों और संपत्ति, प्लांट और उपस्कर (पीपीई) के मूल्य के लिए नोट संख्या 9 और 15.2 देखें।

19. अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i) **175वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर–II बॉण्ड्स–** 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	2,151.20	2,151.86	2,151.20	2,151.24
(ii) **115वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर–II बॉण्ड्स–** 8.06% सममूल्य पर 31.05.2023 को विमोचनीय	2,500.00	2,667.79	2,500.00	2,667.52
जोड़ – अधीनस्थ देयताएं	**4,651.20**	**4,819.65**	**4,651.20**	**4,818.76**
भारत के बाहर / में अधीनस्थ देयताएं				
(i) भारत में उधारियाँ	4,651.20	4,819.65	4,651.20	4,818.76
(ii) भारत के बाहर उधारियाँ	-	-	-	-
जोड़ – अधीनस्थ देयताएं	**4,651.20**	**4,819.65**	**4,651.20**	**4,818.76**

19.1 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंग में बदलाव

घरेलू क्रेडिट रेंटिंग

विवरण	दीर्घावधि दरें	अल्पावधि दरें
क्रिसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
इक्रा	इक्रा एएए	इक्रा ए1+
केयर	केयर एएए	केयर ए1+
इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च	आईएनडी एएए	इंड ए1+

अंतराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

विवरण	रेटिंग
फिच रेंटिंग	बीबीबी–
मूडीज	बीएए3

वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

19.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया वास्तविक राशि के बीच सामंजस्यः

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतियां	अन्य उधारियां	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2020 के अनुसार				
भारतीय– लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	**2,19,977.22**	**61,543.61**	**4,819.65**	**2,86,340.48**
घटाएंः भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,874.20)	(392.52)	(170.57)	(7,437.29)
जोड़ेंः प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय– लेखांकन मानक समायोजन	976.01	234.53	2.12	1,212.66
कुल बकाया उधारियां	**2,14,079.03**	**61,385.62**	**4,651.20**	**2,80,115.85**
31 मार्च 2019 के अनुसार				
भारतीय– लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	**1,92,839.79**	**46,662.54**	**4,818.76**	**2,44,321.09**
घटाएंः भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,061.84)	(207.10)	(169.96)	(6,438.90)
जोड़ेंः प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय– लेखांकन मानक समायोजन	1,146.37	255.49	2.40	1,404.26
कुल बकाया उधारियां	**1,87,924.32**	**46,710.93**	**4,651.20**	**2,39,286.45**

19.3 कंपनी बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकार से सावधि ऋणों के मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न अवधियों बॉण्डके माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं (प्रयोजनों) के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों और अधीनस्थ देनदारियों के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी ऋण चुकाने संबंधी सभी बाध्यताओं को पूरा किया है, चाहे वे वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज से संबंधित क्यों न रही हों।

19.4 सेबी के दिनांक 26 नवंबर, 2018 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस/सीआईआर/पी/2018/144 में यथाविहित 'बड़ी संस्थाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियां जारी कर निधियां जुटाने के लिए फ्रेमवर्क' के संदर्भ में कंपनी एक "लार्ज कारपोरेट" है। वर्ष के दौरान वृद्धिशील ऋणों के विवरण के बारे में उक्त परिपत्र के तहत आवश्यक प्रकटीकरण इस प्रकार हैः

विवरण		विवरण
(i)	कंपनी का नाम	आरईसी लिमिटेड
(ii)	सीआईएन	L40101DL1969GOI005095
(iii)	31 मार्च 2020 के अनुसार कंपनी का बकाया उधार (रु. करोड़ में)*	2,25,885.46
(iv)	पिछले वित्त वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम के साथ उच्चतम क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए एएए, क्रिसिल एएए, केयर एएए, आईआरआरपीएल एएए
(v)	सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ	हाँ
(iv)	स्टॉक एक्सचेंज का नाम : जिसमें जुर्माना का भुगतान करना होगा, के तहत आवश्यक उधार में कमी के मामले में	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
(v)	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां	2019–20
विवरण		**राशि (₹ करोड़ में)**
(क)	वित्तीय वर्ष में लिए गए वृद्धिशील ऋण	63,597.42
(ख)	ऋण प्रतिभूतियों को जारी कर के अनिवार्य ऋण लेना (क का 25%)	15,899.36
(ग)	वित्तीय वर्ष में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से लिए गए वास्तविक ऋण	48,872.42
(घ)	ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य ऋण में कमी, यदि कोई है (ख–ग)	-
(ङ)	ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य ऋण में कमी, यदि कोई है, के कारण	लागू नहीं है

**उपर्युक्त (iii) में उल्लिखित ऋणों में 1 वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले सभी बकाया ऋण शामिल हैं, लेकिन सेबी के परिपत्र के अनुसार बाह्य वाणिज्यिक ऋण इसमें शामिल नहीं हैं।*

लेखा संबंधी टिप्पणियां

20. अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

Particulars	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(क) अप्रदत्त लाभांश	4.75	4.15
(ख) वापसी योग्य बॉण्ड आवेदन राशि तथा इस पर उपचित ब्याज	-	0.05
(ग) अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्डों पर ब्याज		
–परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	39.13	39.52
–बॉण्डों पर ब्याज	17.97	15.91
उप–जोड़ (ग)	**57.10**	**55.43**
(घ) सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (संचयी)	85,006.38	77,352.65
जोड़ें: सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (वापसी का निवल)	7.75	17.23
घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)	(83,395.51)	(76,843.10)
सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	**1,618.62**	**526.78**
(च) भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सेवा प्रदत्त बाण्ड्स हेतु देय	21,792.32	17,996.06
(छ) निधिपोषित कार्मिक हितलाभों के लिए देय राशियां	0.38	31.78
(ज) अन्य देयताएं	89.53	137.50
जोड़ (क से ज तक)	**23,562.70**	**18,751.75**

20.1 बॉण्डों पर भुगतान न किए गए लाभांश, मूलधन और ब्याज में वे राशियां शामिल हैं जो या तो निवेशकों द्वारा दावा नहीं की गई हैं या निवेशकों के दावों आदि से संबंधित लंबित औपचारिकताओं के कारण रुकी हुई हैं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ)में हस्तांतरित होने के लिए देय राशि ₹ 0.47 करोड़ (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.54 करोड़) है जो कि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानांतरित कर दी गई है।

20.2 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97–पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा ओ.एम.सं. 32024/23/2001–पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.69 करोड़ (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.63 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	0.63	0.53
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.06	0.11
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	-	0.01
ब्याज सब्सिडी निधि का वर्ष के अंत में शेष	**0.69**	**0.63**

20.3 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के क्रियान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। स्कीम (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष "अन्य वित्तीय देयताएं" के अंतर्गत "असंवितरित सब्सिडी/के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

20.4 वर्ष की सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	17.23	11.13
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित व्यय	30.64	70.21
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	40.12	64.10
घटाएं: एजी एवं एसपी अनुदान के खाते पर अर्जित ब्याज में से संवितरण	-	0.01
वर्ष के अंत में शेष	**7.75**	**17.23**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

20.5 वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई स्कीम के लिए भारत सरकार की निधियन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सममूल्य 10 लाख ₹ के अंकित मूल्य के डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, विमोचन, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से कुल ₹ 3,782.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 13,827 करोड़) राशि जुटाई गई है। दिनांक 9 सितंबर, 2019 को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के पत्र के अनुसार उपर्युक्त बॉण्ड के मूल और ब्याज के अदायगी, विद्युत मंत्रालय की मांग पर भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान में की जाएगी । तदनुसार ब्याज के साथ–साथ इस प्रकार के बॉण्ड की राशि भी कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में शामिल की गई है। (टिप्पणी 11)

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन का दिनांक	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
जीओआई –I श्रृंखला	8.09%	अर्द्ध– वार्षिक	21.3.2028	1,837.00	1,837.00
जीओआई –II श्रृंखला	8.01%	अर्द्ध– वार्षिक	24.3.2028	1,410.00	1,410.00
जीओआई –III श्रृंखला	8.06%	अर्द्ध– वार्षिक	27.3.2028	753.00	753.00
जीओआई –IV श्रृंखला	8.70%	अर्द्ध– वार्षिक	28.9.2028	3,000.00	3,000.00
जीओआई –V श्रृंखला	8.54%	अर्द्ध– वार्षिक	15.11.2028	3,600.00	3,600.00
जीओआई –VI श्रृंखला	8.80%	अर्द्ध– वार्षिक	22.1.2029	2,027.00	2,027.00
जीओआई –VII श्रृंखला	8.60%	अर्द्ध– वार्षिक	8.3.2029	1,200.00	1,200.00
जीओआई –VIII श्रृंखला	8.30%	अर्द्ध– वार्षिक	25.3.2029	4,000.00	4,000.00
जीओआई –IX श्रृंखला	7.14%	अर्द्ध– वार्षिक	2.3.2030	1,500.00	-
जीओआई –X श्रृंखला	8.25%	अर्द्ध– वार्षिक	26.3.2030	532.30	-
जीओआई –XI श्रृंखला	7.20%	अर्द्ध– वार्षिक	31.3.2030	1,750.00	-
जोड़				**21,609.30**	**17,827.00**

21. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
निम्न के लिए प्रावधान		
(क) कार्मिक हितलाभ		
अर्जित अवकाश देयता	15.95	11.51
चिकित्सा अवकाश देयता	21.87	21.67
निपटान भत्ता	1.60	1.42
आर्थिक पुनर्वास योजना	4.25	3.69
दीर्घ सेवा अवार्ड	1.89	1.24
प्रोत्साहन	52.57	46.99
वेतन पुनर्निर्धारण	-	13.06
उप–जोड़ (क)	**98.13**	**99.58**
(ख) अन्य		
सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	8.38	-
उप–जोड़ (ख)	**8.38**	**-**
उप–जोड़ (क+ख)	**106.51**	**99.58**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

21.1 सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
आरंभिक शेष	-	0.16
जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजित	8.38	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	-	(0.16)
वर्ष के समाप्ति पर	**8.38**	**-**

22. अन्य गैर – वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(क) सुन्ड्री देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	6.57	21.99
(ख) असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	46.15	25.76
(ग) भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में अग्रिम प्राप्य	3.90	5.17
(घ) सांविधिक देय	18.99	29.62
जोड़ (क से घ)	**75.61**	**82.54**

23. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृतः				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	5,00,00,00,000	5,000.00	5,00,00,00,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्तः				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	1,97,49,18,000	1,974.92	1,97,49,18,000	1,974.92
योग	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**

23.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20		वित्तीय वर्ष 2018–19	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत शेयरों की संख्या	1,97,49,18,000	1,974.92	1,97,49,18,000	1,974.92
जोड़ः वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित बोनस शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में पूंजीगत शेयरों की संख्या	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**

23.2 पिछल वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

वित्तीय वर्ष 2016–17 को छोड़कर, जब कंपनी ने बोनस शेयरों के द्वारा पूर्णतया प्रदत्त के रूप में 98,74,59,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए थे, पिछल वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया था।

23.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना ठेके के अनुसरण में न तो कोई इक्विटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलन–पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बायबैक की है।

23.4 इक्विटी शेयर के अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और संस्था के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

23.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकः

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,03,94,95,247	52.63%	1,03,94,95,247	52.63%
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी ए/सी एचडीएफसी हाइब्रिड ऋण निधि	13,94,25,284	7.06%	11,46,83,937	5.81%

23.6 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,03,94,95,247	52.63%	1,03,94,95,247	52.63%

24 अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	Particulars	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(क)	**अन्य आरक्षित निधि**		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	16,659.10	15,136.78
(ii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	2,992.83	3,034.72
(iii)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अधीन आरक्षित निधि	2,131.00	1,153.00
(iv)	डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि	-	1,318.13
(v)	प्रतिभूति प्रीमियम	2,236.54	2,236.54
(vi)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता	(1,719.38)	(764.82)
(vii)	सामान्य आरक्षित निधि	6,923.09	5,177.40
(viii)	इंपेयरमेंट आरक्षित निधि	793.29	-
(ख)	**बरकरार रखा गया अर्जन**	3,409.74	4,899.39
(ग)	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**		
	–इक्विटी मेथड हेतु लेखाकृत संयुक्त उपक्रमों के अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	106.26	136.88
	–अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतें	(226.08)	-
	–हेजिंग रिजर्व की लागत	(204.75)	-
	जोड़ – अन्य इक्विटी	**33,101.64**	**32,328.02**

'अन्य इक्विटी' के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इक्विटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।

24.1 आरक्षित निधि से ड्रॉ–डाउन

विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए गए आरक्षित भंडार के सांविधिक परिवर्तनों और सदुपयोग के लिए कंपनी ने वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न आरक्षित निधियों निम्नलिखत राशियों को सामान्य आरक्षित निधियों में स्थानांतरित कर दिया है:

(क) कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2019 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 574(ई) के अनुक्रम में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) से ₹ 1,367.27 करोड़। नोट संख्या 24.5 देखें।

(ख) ऋण और परिसंपत्तियों पर वास्तविक राइट–ऑफ के कारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (अपपक) के तहत अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए आरक्षित निधि से ₹ 378.41 करोड़।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आरक्षित निधियों में से कोई भी राशि आहरित नहीं की गई है।

24.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (अपपप) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि वित्तीय क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत तक कटौती के लिए पात्र है बशर्ते ऐसी राशि का अंतरण तथा उसे विशेष रिजर्व खाते में अंकित किया गया हो।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

24.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए रिजर्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।

24.4 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियां

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियों की आवश्यकता के अनुसार आरक्षित निधियों का निर्माण कर रही है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निबल लाभ के कम से कम 20 प्रतिशत के बराबर की राशि अंतरित किया जाना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर यथाविनिर्दिष्ट किए जा रहे उद्देश्यों को छोड़कर आरक्षित निधि से कोई विनियोग करने की अनुमति नहीं है और इसके अलावा, इस तरह के किसी भी विनियोग के बारे में ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिन के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना आवश्यक है।

24.5 डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71(4) के प्रावधानों, जिसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 द्वारा और अधिक स्पष्ट किया गया है, के अनुसार कंपनी ने इस तरह के डिबेंचर की परिपक्वता अवधि के दौरान वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2008 के अनुसार सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए गए डिबेंचरों के मूल्य के 25% तक के बराबर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाया और निजी तौर पर नियोजित डिबेंचरों के मामले में कोई डीआरआर आवश्यक नहीं है। हालांकि, वर्ष के दौरान कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बाद, कंपनी को कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 के अनुक्रम में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाने की आवश्यकता नहीं है।

24.6 प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूत प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

24.7 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता

कंपनी ने पूववर्ती लागू लेखांकन मानक 11 शविदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46क के अनुसार ऐसी मदों की बकाया अवधि में लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव से नुकसान/लाभ के मोचन केलिए एक स्थिर (अपरिवर्तनीय) विकल्प चुना था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक (एंड–एस) के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संबंध में पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार इस तरह के माचन (रिडेम्पशन) की नीति को जारी रखने का विकल्प चुना। इस खाते में बकाया राशि मोचित लाभ/(हानि) का प्रतिनिधित्व करती है, जो पात्र दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देनदारियों की बकाया अवधि में मोचित किया जाएगा।

24.8 सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य रिजर्व में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और साथ ही सांविधिक आरक्षित निधियों से हस्तांतरित राशि भी शामिल होती है। कंपनी अधिनियम, 1956 के तत्कालीन प्रावधानों के मद्देनजर, कंपनी ने लाभांश की घोषणा से पहले मुनाफे का कुछ प्रतिशत सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित कर दिया था। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 लाभांश की घोषणा से पहले आरक्षित निधि में मुनाफे के अंतरण को अनिवार्य नहीं बनाता है।

24.9 क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एनबीएफसी द्वारा 'भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन' के संबंध में दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी). सीसी. पीडी. सं. 109/22.10.106/2019–20 जारी की। उपर्युक्त परिपत्र के संदर्भ में, यदि भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 109 के तहत क्षतिपूर्ति भत्ता आरबीआई द्वारा जारी किए गए आय निर्धारण, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) शर्तों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान की तुलना में कम है, तो कंपनी को कर के बाद उनके निबल लाभ से अंतर को "क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि" में विनियोजित करना आवश्यक है। पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई से पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित निधि (रिजर्व) से कोई निकासी की अनुमति नहीं है। क्षतिपूर्ति भत्ते और आईआरएसीपी की शर्तों के तहत किए गए प्रावधान के बीच तुलना के संदर्भ में प्रकटन के लिए नोट 45.1.3 (वी) देखें।

24.10 अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से इक्विटी लिखतें

कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर ओसीआई की आरक्षित निधि में संचित किए जाते हैं। जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियों को मान्यता नहीं दी जाती है तो समूह इस आरक्षित निधि से राशियों को रखी गई में अंतरित करता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

24.11 नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वादा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्धारित व्युत्पन्न संविदाएं जिस सीमा तक प्रभावी हेज होती हैं, हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'कैश फ्लो हेजिंग रिजर्व' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

24.12 हेजिंग रिजर्व की लागत

कंपनी 'नकदी प्रवाह हेज' संबंधों में हेजिंग लिखत के रूप में विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं के आंतरिक मूल्य को निर्धारित करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और एक तर्कसंगत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में ऋणमोचित (एमोर्टाइज) किया जाता है।

24.13 कंपनी द्वारा प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयरों के लिए प्रस्तावित/घोषित लाभांश

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹)	लाभांश राशि (₹ करोड़ में)	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹)	लाभांश राशि (₹ करोड़ में)
अंतरिम लाभांश	11.00	2,172.41	11.00	2,172.41
वर्ष के लिए कुल लाभांश	**11.00**	**2,172.41**	**11.00**	**2,172.41**

25. ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष			31.03.2019 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों अनुमान	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों अनुमान	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान
(क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज						
(i) दीर्घावधि वित्तपोषण	-	29,245.18	-	-	24,405.17	-
घटाएंः समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट		(0.08)			(6.11)	
दीर्घावधि वित्तपोषण (निवल)	-	29,245.10	-	-	24,399.06	-
(ii) अल्पावधि वित्तपोषण	-	177.23	-		328.84	
उप–जोड़ (क)	**-**	**29,422.33**	**-**	**-**	**24,727.90**	**-**
(ख) निवेशों पर ब्याज आय						
(i) सीपी/आईसीडी पर ब्याज	-	0.21	-		0.67	
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	-	1.89	-		9.43	
(iii) दीर्घावधि निवेशों पर ब्याज	-	0.76	169.75		15.63	168.25
उप–जोड़ (ख)	**-**	**2.86**	**169.75**	**-**	**25.73**	**168.25**
(ग) बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज						
(i) डिपॉजिट पर ब्याज	-	61.23	-		42.40	
उप–जोड़ (ग)	**-**	**61.23**	**-**	**-**	**42.40**	**-**
(घ) अन्य आय पर ब्याज						
(i) कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	4.45	-		3.89	
(ii) अनुषंगी कंपनियों से ब्याज	-	0.04	-		-	
(iii) मोबलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	2.39	-		2.80	
(iv) अनविन्डिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स		0.02			0.05	
उप–जोड़ (घ)	**-**	**6.90**	**-**	**-**	**6.74**	**-**
जोड़ (क से घ)	**-**	**29,493.32**	**169.75**	**-**	**24,802.77**	**168.25**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

26 लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
–अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	50.00	90.84
–अन्य निवेशों से लाभांश	39.04	22.77
जोड़–लाभांश आय	**89.04**	**113.61**

26.1 अन्य निवेशों पर मान्य लाभांश का विवरणः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
लागत पर संयुक्त उद्यम लेखा से लाभांश		
–वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	2.10	2.40
एफवीओसीआई इक्विटी निवेशों पर लाभांश		
–वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	36.94	20.13
–वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	-	0.24
जोड़	**39.04**	**22.77**

27. शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	6.68	2.78
पूर्व अदायगी प्रीमियम	12.75	139.29
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुल्क	19.52	83.02
जोड़– शुल्क एवं कमीशन आय	**38.95**	**225.09**

28. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
–रिटेन बैक प्रावधान/देयताएं	-	10.37
–प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो से शुल्क	6.38	8.69
–आयकर वापसी से ब्याज	1.68	-
–विविध आय	55.86	12.38
जोड़	**63.92**	**31.44**

29. वित्तीय लागतें

वित्तीय लागतें वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(i)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**		
	–घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	13,930.38	12,971.21
	–विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	698.20	441.83
	–वाणिज्यिक दस्तावेज	463.66	402.84
	उप–जोड़ (i)	**15,092.24**	**13,815.88**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(ii)	उधारियों पर ब्याज		
	–भारत सरकार से ऋण	612.97	121.84
	–बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,725.04	594.29
	–बाह्य वाणिज्यिक दस्तावेज	1,073.79	914.19
	–पट्टा देयता	0.01	-
	उप–जोड़ (ii)	**3,411.81**	**1,630.32**
(iii)	अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज		
	–अधीनस्थ बॉण्ड	395.36	203.25
	उप–जोड़ (iii)	**395.36**	**203.25**
(iv)	अन्य ब्याज व्यय		
	–स्वैप प्रीमियम	108.83	-
	–अग्रिम आय कर पर ब्याज	-	3.46
	–कर्मचारी लाभ के प्रति देयताओं पर ब्याज	4.60	-
	उप–जोड़ (iv)	**113.43**	**3.46**
	जोड़ – वित्तीय लागतें	**19,012.84**	**15,652.91**
	घटाएं: पूंजीकृत वित्तीय लागत	(15.79)	(11.37)
	जोड़– वित्तीय लागतें (निवल)	**18,997.05**	**15,641.54**

30. निवल ट्रांसलेशन / लेन–देन विनिमय हानि / (लाभ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
निवल ट्रांसलेशन / लेन–देन विनिमय हानि / (लाभ)	2,357.90	521.19
जोड़	**2,357.90**	**521.19**

उपरोक्त आंकड़ों में 1 अप्रैल, 2018 से पहले 675.95 करोड़ (पिछले वर्ष 726.35 करोड़) की राशि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निवल परिवर्तन / लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ) का मोचन शामिल है।

30.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड) की संदर्भ दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं

विनिमय दरें	यूएसडी/आईएनआर	जेपीआई/आईएनआर	यूरो/आईएनआर	एसजीडी/आईएनआर
31 मार्च 2020 के अनुसार	75.3859	0.6965	83.0496	52.8342
31 मार्च 2019 के अनुसार	69.1713	0.6252	77.7024	51.1422

32. उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल प्राप्ति / (हानि)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(i)	गारंटी शुल्क	13.29	11.06
(ii)	सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	1.51	1.67
(iii)	एजेंसी शुल्क	1.66	0.78
(iv)	क्रेडिट रेटिंग व्यय	3.05	2.85
(v)	अन्य वित्तीय प्रभार	5.93	18.02
	जोड़ (i से iv)	**25.44**	**34.38**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

32. उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल प्राप्ति / (हानि)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(क)	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय उपस्करों पर निवल प्राप्ति/(हानि)		
(i)	ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर	-	-
(ii)	अन्य		
	–व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(47.72)	(351.52)
	–एफवीटीपीएल निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	6.40	-
	–म्यूचुअल फंड में अतिरिक्त निधि के अल्पावधि निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	15.47	3.00
	उप–जोड़ (ii)	**(25.85)**	**(348.52)**
	जोड़ (क)	**(25.85)**	**(348.52)**
	उचित मूल्य परिवर्तनों का ब्यौरा		
	–वसूली की गयी	(60.07)	(619.05)
	–वसूली नहीं वसूली की गयी	34.22	270.53
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल प्राप्ति/(हानि)	**(25.85)**	**(348.52)**

इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उनसे इतर हैं, जो उपार्जित ब्याज आय / व्यय के कारण उत्पन्न होते हैं और ये ऐसी मितव्ययी हेजेज के रूप में नामित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हेज अकाउंटिंग और अप्रभावी हेज के तहत नामित नहीं होते है।

33. वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर
(i) - ऋण *	-	884.91	-	222.32
(ii) - अन्य	-	4.65	-	18.01
कुल (i+ii)	**-**	**889.56**	**-**	**240.33**

**सुविधा पत्र पर क्षतिपूर्ति भत्ते के मद में ₹8.38 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹–0.16 करोड़) शामिल हैं।*

34. कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
– वेतन और भत्ते	129.00	111.39
– भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	15.19	14.65
– सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	5.07	11.70
–कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	1.58	0.69
– कार्मिक कल्याण व्यय	24.95	19.10
जोड़	**175.79**	**157.53**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

35. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
– संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर मूल्यह्रास	6.72	5.66
– मूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	3.28	1.51
जोड़	**10.00**	**7.17**

36. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
– प्रत्यक्ष व्यय	253.64	98.83
– ओवरहेड्स	4.76	4.56
जोड़	**258.40**	**103.39**

36.1 सीएसआर व्यय के संबंध में प्रकटीकरण :

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि पिछले वर्ष से अग्रेषित	156.68	157.29
खर्च की जाने वाली सकल अपेक्षित राशि	243.17	189.27
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	**399.85**	**346.56**
खर्च नहीं की गई राशि	258.40	103.39
जोड़	**141.45**	**243.17**

(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष			31.03.2019 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर						
स्वास्थ्य/स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	54.67	-	54.67	41.44	-	41.44
शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल विकास	41.57	-	41.57	6.53	-	6.53
पर्यावरणीय संधारणीयता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	32.21	-	32.21	16.27	-	16.27
खेल–कूद	-	-	-	-	-	-
पीएम केयर फंड में योगदान	100.00	-	100.00	-	-	-
कोविड–19 के कारण प्रवासी श्रमिकों को भोजन / राशन का प्रावधान	1.59	-	1.59	-	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष			31.03.2019 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
अन्य	23.60	-	23.60	34.59	-	34.59
प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक ऊपरी खर्चे	4.76	-	4.76	4.56	-	4.56
जोड़ (ii)	**258.40**	**-**	**258.40**	**103.39**	**-**	**103.39**

कोविड–19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के समर्थन में, कंपनी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत के लिए ₹ 150 करोड़ का कुल योगदान किया, जिसमें से ₹ 100 करोड़ का योगदान वर्ष 2019–20 के दौरान और शेष ₹ 50 करोड़ का योगदान 31 मार्च 2020 के बाद किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने प्रवासी श्रमिकों को भोजन / राशन के वितरण के लिए ₹ 10 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की है, जिसमें से ₹ 7.07 करोड़ की राशि आज की तारीख तक खर्च की जा चुकी है, जिसमें 31 मार्च 2020 तक खर्च की गई ₹ 1.59 करोड़ की राशि शामिल है। महामारी के प्रकोप के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों ने अप्रैल 2020 में एक दिन के वेतन का भी पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया।

37. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
– यात्रा एवं वाहन सुविधा	13.69	14.99
– प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय	5.73	81.72
– मरम्मत और अनुरक्षण	11.42	6.91
– किराया, दरें एवं ऊर्जा लागतें	12.97	13.91
– बीमा प्रभार	0.13	0.05
– संप्रेषण लागत	3.24	2.51
– प्रिंटिंग और स्टेशनरी	2.70	3.72
– निदेशकों के बैठक शुल्क	0.19	0.24
– लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	1.52	1.58
– विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	11.81	11.47
– डोनेशन एंड चैरिटी	-	2.00
– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	1.69	0.86
– मॉनिटरिंग व्यय	22.17	19.29
– विविध व्यय	44.44	27.36
जोड़	**131.70**	**186.61**

37.1 लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया शुल्कः		
–लेखापरीक्षक के रूप में	0.44	0.44
–कराधान मामलों के लिए*	0.11	0.28
–कंपनी के कानूनी मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.35	0.45
–अन्य सेवाओं के लिए		
(i) एमटीएन ऑफर दस्तावेज/कम्फर्ट लेटर का प्रमाणन	0.40	0.20
(ii) अन्य प्रमाणन	0.04	0.08
–व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.04	0.03
उप–जोड़	**1.38**	**1.48**
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर–वसूली योग्य कर जमा	0.14	0.10
जोड़– लेखापरीक्षकों के शुल्क एवं व्यय	**1.52**	**1.58**

**पिछले वर्षों से संबंधित कर लेखापरीक्षा शुल्क शून्य (पिछले वर्ष ₹ 0.09 करोड़) शामिल है।*

लेखा संबंधी टिप्पणियां

38. कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
– चालू कर व्यय	1,552.99	1,805.65
– पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय/(लाभ)	62.88	(14.01)
उप–जोड़ – चालू कर	**1,615.87**	**1,791.64**
–आस्थगित कर व्यय/(क्रेडिट)	481.26	545.14
जोड़	**2,097.13**	**2,336.78**

38.1 प्रभावी कर दर का सामंजस्य

लाभ एवं हानि विवरण में सूचित किए गए आय कर व्यय की सांविधिक आय कर दर पर अनुमानित आय कर व्यय का पुनर्समाधान निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	**6,983.29**	**8,100.50**
सांविधिक आयकर व्यय	**25.168%**	**34.944%**
प्रत्याशित आय कर व्यय	**1,757.55**	**2,830.64**
आय कर समायोजनों का कर प्रभाव:		
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	(383.14)	(462.51)
सीएसआर व्यय की अनुमति न होना	20.68	19.08
गैर–कटौती योग्य अन्य कर व्यय	1.59	0.43
अग्रिम आय कर और ब्याज की न दी गई अनुमति	-	1.20
आय में छूट	(22.41)	(38.05)
पूर्व वर्षों का आय कर	62.88	(14.01)
कर दरों में परिवर्तन का प्रभाव	659.98	-
कर व्यय	**2,097.13**	**2,336.78**

38.2 वर्ष के दौरान कंपनी के लिए लागू कर की दर 34.944% से घटकर 25.168% हो गई है क्योंकि कंपनी ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा पेश किए गए अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के तहत अनुमत विकल्प का प्रयोग किया था। कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय कर के प्रावधान को मान्यता दी है और तद्नुसार अपनी आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मापन किया है।

39. अर्जन प्रति शेयर

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
गुणक (न्यूमरेटर)		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	4,886.16	5,763.72
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत तथा बंद प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	4,886.16	5,763.72
हर (डिनोमिनेटर)		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,97,49,18,000	1,97,49,18,000
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (₹ 10/– प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (सतत प्रचालनों के लिए)	24.74	29.18
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (₹ 10/– प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (सतत तथा बंद प्रचालनों के लिए)	24.74	29.18

लेखा संबंधी टिप्पणियां

40. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

40.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(क)	कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	0.22	0.08
(ख)	कराधान मांग		
	–आय कर विभाग द्वारा की गई मांग	113.69	86.01
	–कंपनी को दी गई राहत के विरुद्ध आय कर विभाग द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध मांग	38.30	30.42
	–सेवा कर के संबंध में की गई मांग	-	0.36
(ग)	अन्य		
	– सुविधा पत्र	951.29	-

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित राशि जो माध्यस्थ मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय/माध्यस्थ के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त 'ख' में उल्लिखित राशि दिल्ली उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आय कर विभागध्सेवा कर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन कर मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का विश्वास है कि उसकी स्थिति अपील प्रक्रिया में माने जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम से कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

40.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
– पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के संबंध में	315.07	362.23
– अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	-	2.82
– अन्य प्रतिबद्धताएं		
– सीएसआर प्रतिबद्धताएं	288.14	299.16

41 वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

विवरण		नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i)	कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii)	पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011
(iii)	लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	ग्लोबल लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374

42. सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

42.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना" – सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर–विद्युतीकृत घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य स्कीम का पूंजीगत परिव्यय पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान 12,320 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रूपए है। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

42.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण की सभी पहलों को शामिल करने वाली भारत सरकार की अग्रणी योजना है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार के अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर–कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्ति सुकर बनाने के लिए कृषि तथा गैर–कृषि फीडरों को पृथक करना;

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप–पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसकी वृद्धि करना;

(iii) माइक्रो–ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क;

(iv) डीडीयूजीजेवाई में समाहित आरजीजीवीवाई 12वीं एवं 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक।

उपर्युक्त योजना के (i) तथा (ii) पर घटकों का अनुमानित परिव्यय 43,033 करोड़ रुपए होगा जिसमें पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से 33,453 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। 12वीं तथा 13वीं योजना में जारी रखने के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित आरजीजीवीवाई की स्कीम पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में इस योजना में मिला दी गई है।

42.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित रु. 8,466 करोड़ की समग्र रूप पर ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

43. पूंजी प्रबंधन

यह समूह यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि वह दावेदारों को अधिकतम आय करते हुए एक चलती हुई संस्था के रूप में जारी रहेगा। समूह की पूंजीगत संरचना में समूह द्वारा किए गए दीर्घावधि उधार तथा इक्विटी शामिल हैं।

प्रबंधन अत्यधिक वृद्धि से बचते हुए दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए समूह की पूंजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह समूह पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यापारिक पर्यावरण तथा क्षेत्र के अंतर्गत परिसमाप्यता की स्थिति के आलोक में उपयुक्त साधनों के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में समूह को अन्य बातों के साथ–साथ विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापसी आदि जारी करने के संबंध में जारी किए गए "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनर्गठन" के संबंध में दिशा–निर्देशों से भी दिशानिर्देशित होता है। इस समूह ने बाहरी रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

समूह का इक्विटी अनुपात निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
कुल ऋण	2,80,115.85	2,39,286.45
निवल कीमत	35,076.56	34,302.94
ऋण – इक्विटी अनुपात	**7.99**	**6.98**

कुल ऋण बकाया मूल को दर्शाता है।

लाभांश वितरण नीति

निदेशक बोर्ड कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न कारकों पर जोर देती है जिनमें वर्तमान एवं भावी पूंजीगत आवश्यकताएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकद प्रवाह स्थिति और समय–समय पर लागू दिशा–निर्देशों के अधीन लाभांश पर कर सहित लागू कर नकद प्रवाह स्थिति और समय–समय पर लागू दिशा–निर्देशों के अधीन कंपनी का निवल मूल्य शामिल है, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है।

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार कंपनी को पीएटी का 30 प्रतिशत, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अथवा निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, देना अपेक्षित होता है। यद्यपि, कंपनी इन दिशा–निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, तथापि, विभिन्न वित्तीय मानदंडों, नकद प्रवाह स्थिति और भावी वृद्धि के लिए अपेक्षित निधियों के विश्लेषण के बाद कम लाभांश प्रस्तावित कर सकती है।

कंपनी ने अपने प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, व्हीसल ब्लोअर नीति, आरईसी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में भीतरी व्यापार के निरोध के लिए संहिता, धोखाधड़ी रोकने के लिए नीति, व्यापक व्यवहार संहिता, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नीतियां, उचित परिपाटी संहिता आदि शामिल हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

44. जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात में पूंजी

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं का पालन कर रही है। एक एनबीएफसी और अवसंरचना वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी–आईएफसी) होने के नाते आरईसी को 15 प्रतिशत (न्यूनतम 10 प्रतिशत टियर–1 पूंजी के साथ) के जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी बनाए रखना अपेक्षित होता है।

	विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i)	सीआरएआर (%)	16.06%	17.77%
(ii)	सीआरएआर– टियर I पूंजी (%)	13.17%	14.44%
(iii)	सीआरएआर– टियर II पूंजी (%)	2.89%	3.33%

वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाई टियर–II पूंजी एवं मियादी ऋण लिखत का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
टियर–II पूंजी के रूप में जुटाये गए अधीनस्थ ऋण की राशि	-	2,151.20
मियादी ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि	-	-

45. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इस कंपनी के निदेशक बोर्ड की कंपनी जोखिम प्रबंधन कार्यढांचे की स्थापना और नजर रखने की समग्र जिम्मेदारी है। इस समूह ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और संगठन का बाजार जोखिम शामिल है। इस समूह की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम दृष्टि और आवधिक मॉनीटरिंग के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित नीतियों द्वारा दिशा–निर्देशित होती हैं। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी मॉनीटरिंग करना तथा उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी सामने आती है और कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है:

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, ऋण, व्यापार प्राप्य, परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, परिसमाप्त निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं पार्श्विक
तरलता जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां, सहायक देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं	चल रहे नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपए (आईएनएआर) में न बताई गईं देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर सहायक देयाताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – इक्विटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

जोखिम के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए समूह की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा–निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेंद्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तद्नुसार किया जाता है:

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत उद्यम–व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है कि इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए और कुशलता से उनका प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए आरबीआई की अधिसूचना सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं./.099/03.10.001/2018–19 के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, माप और शमन की इस प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया बाद के पैराग्राफ में निर्धारित की गई है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

45.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप समूह को वित्तीय हानियां होती हैं। ऋण जोखिम में समूह की स्थिति मुख्य रूप से नकद एवं नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेषों, निवेशों, ऋण परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्यों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होती है। यह समूह ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर मॉनीटरिंग करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

45.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां जो एंटिटी को ऋण जोखिम में दर्शाती हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i) वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम		
नकद और नकद समतुल्य	1,678.03	342.94
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	2,021.96	1,253.31
ऋण*	2,99,697.53	2,56,448.62
निवेश**	1,568.96	1,604.03
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	22,081.59	18,342.48
(ii) मध्यम ऋण जोखिम		
ऋण*	2,431.27	4,412.62
(iii) उच्च ऋण जोखिम		
ऋण*	21,255.55	20,348.44
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	30.85	26.69

* *प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन (सुविधा पत्रों के संवितरित न किए गए सहित) दर्शाता है।*

** *इसमें उल्लिखित इक्विटी निवेशों और उद्यम पूंजी निधियों में निवेश शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें एफवीओसीआई पर लिया जाता है।*

नकद एवं नकद समतुल्य तथा बैंक जमा

नकद एवं नकद समतुल्यों और बैंक जमाओं से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड दस्तावेजों तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न दस्तावेजों/बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हो, के हाइपोथिकेशन द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा–निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा सहायक कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूल करने की क्षमता का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

45.1.2 ऋणों एवं व्यापार प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियां (ईसीएल)

कंपनी में किसी भी ऋण हानि की प्रत्याशा के लिए अलग वित्तीय दस्तावेज का मूल्यांकन कर ऋण एवं व्यापार प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान है:

– **नकद एवं नकद समतुल्यों और अन्य बैंक शेषों के लिए** – चूंकि, कंपनी बैंकिंग प्रचालनों के लिए केवल हाई रेटेड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करती है तथा निधियों की श्रेणी को अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए निरंतर उच्च रिकार्ड के साथ ऋण निधियों में परिसमाप्त करती है, अतः नकद एवं नकद समतुल्यों, अन्य बैंक शेषों और बैंक जमाओं के संबंध में ऋण जोखिम बहुत कम मूल्यांकित किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- **निवेश के लिए** – यह मानते हुए कि राज्य सरकार/न्यूनतम निवेश ग्रेड वाली सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश है, ऋण जोखिम कम माना जाता है।
- **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए** – ऋण जोखिम का मूल्यांकन उन पक्षकारों की ऋण योग्यता के संबंध में कंपनी की जानकारी के आधार पर किया जाता है और हानि भत्ता आरंभिक माने गए आधार पर 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए मापा जाता है तथा ऋण जोखिम में काफी वृद्धि पर जीवन पर्यन्त प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान होता है।

ऋण एवं व्यापार प्राप्य को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का ब्यौरा निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार			31.03.2019 के अनुसार		
	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि
नकद और नकद समतुल्य	1,678.03	-	1,678.03	342.94	-	342.94
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	2,021.96	-	2,021.96	1,253.31	-	1,253.31
निवेश	1,568.96	-	1,568.96	1,604.03	-	1,604.03
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ *	22,112.44	30.85	22,081.59	18,369.17	26.69	18,342.48

* *हानिग्रस्त क्रेडिट के रूप में स्वीकार की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि भत्ते पूर्ण रूप में प्रदत्त हैं।*

45.1.3 ऋणों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट करने के प्रयोजनों के लिए कंपनी ऋण जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और समेकन करती है:

(i) ऋण चूक हानि: ऋणदाता के कारण होने वाले ऋण के जोखिम, जिसे उसके ऋण दायित्वों को पूरी तरह से देने की संभावना नहीं है अथवा किसी वास्तविक ऋण दायित्व के कारण पिछले 90 दिन से अधिक का ऋणदाता हैय चूक जोखिम ऋणों एवं प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण संवेदी लेन–देनों पर प्रभाव डाल सकता है।

(ii) संकेंद्रण जोखिम: किसी एकल निष्पादन से संबंधित जोखिम अथवा कंपनी के प्रमुख प्रचालनों को खतरा पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा हानियां करने की संभावना वाले निष्पादन का समूह।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण के बाद निगरानी शामिल हैं। कंपनी के पास "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" और "व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति" मौजूद है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, नियमित रूप से परियोजनाओं के जोखिम की समीक्षा भी की जाती है और परियोजना जोखिम को जोखिम फ्रेमवर्क के अनुसार विभिन्न जोखिम मानकों और परियोजना के जोखिम के आधार पर उच्च/मध्यम/निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(i) कंपनी के पास क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, संपार्श्विक आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी आदि को शामिल करते हुए "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कानूनी जोखिम का प्रभावी प्रलेखन और शमन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।

(ii) सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहाँ कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर्स (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) नियोजित करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और संघ सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईई ऋणकर्ता के साथ चर्चा और प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच/समीक्षा के बाद, परियोजना साइट का दौरा करती है और इसकी प्रगति की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एलएफए परियोजना में समय–समय पर निधि प्रवाह और धन के उपयोग के विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहां कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एलआईई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों को लीड ऋणदाता के साथ समन्वित किया जा रहा है।

कंपनी वित्तपोषित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई/परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी/गैर–ईपीसी संविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा सहित परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से देख–रेख करने के लिए पीएमए परियोजना स्थल पर दिन–रात तैनात रहती है। पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता के बिलों, ठेकेदार के समग्र काम की पुष्टि करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की पवित्रता को बनाए रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक अपेक्षित सतर्कता भी बरती जाती है।

तनावग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की प्रभावी निगरानी के लिए मामले दर मामला आधार पर आरईसी/उधारदाताओं द्वारा विशेष निगरानी/कैश फ्लो मॉनिटरिंग एजेंसियों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की भी नियुक्ति की जा रही है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) कंपनी में ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार संरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक/कार्यकारी समिति/ऋण समिति/निदेशक बोर्ड के स्तर पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर व्यापारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।

(iv) कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निष्पादनों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।

(v) ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जो की जाने वाली उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है।

(vi) ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाटी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ–साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा–निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाटियों की समीक्षा करने के लिए समय–समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।

(vii) अलग–अलग और समूह ऋण निष्पादनों का मूल्यांकन संबंधित व्यापारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्यधीन होती है।

(viii) कंपनी लगातार ऋणकर्ताओं और अन्य समकक्ष पक्षकारों के विलंब और/या चूक और उनकी वसूली क्षमता की निगरानी करती है। ऋणकर्ता के खाते में चूक की घटना होने पर कंपनी चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिसमें आगे वर्णित कार्रवाई (कार्रवाइयां) शामिल हो सकती है, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं है: आरबीआई को रिपोर्टिंग के साथ विशेष उल्लेख खाता (एसएमए), बड़े क्रेडिट पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को जानकारी की रिपोर्टिंग, टीआरए खाते की निगरानी, ऋण समझौते के अनुसार इक्विटी में ऋण के रूपांतरण, ऋण खाते के पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ संकल्प योजना तैयार करने, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीपीपी), बकाया राशि वसूल करने के लिए गारंटी/प्रतिभूतियों के आह्वान सहित अन्य संस्थाओं/निवेशकों और अन्य वसूली तंत्रों को एक्सपोजर की बिक्री आदि।

(ख) क्रेडिट जोखिम मापन

ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिपूर्ति हानि भत्ते के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 के अनुसार प्रावधान किया जाता है, जो क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार / गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापता है। प्रबंधन मॉडल आउटपुट पर ओवरले, यदि कोई है, करता है, जिसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत दस्तावेजीकृत (प्रलेखित) और अनुमोदित किए जाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत उपयोगिताओं की ग्रेडिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। हालाँकि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया को तब अपनाती है, जब वे अद्यतन किए जाते हैं। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांजीशन मैट्रिक्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी या तो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग का उपयोग करती है या फिर ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का प्रयोगग करती है। प्रॉक्सी जोखिम स्कोर मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाता है:

मात्रात्मक कारक

ऋण/ईबीआईटीडीए (30% अधिभार)
नियोजित पूंजी पर आय (15% अधिभार)
ब्याज कवरेज (25% अधिभार)
गियरिंग (ऋण/इक्विटी) (30% अधिभार)

गुणात्मक कारक

तिमाही–वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस – एआरआर अंतर और एलएएफ
वास्तविक चूक तिथियाँ, ऋण पुनर्गठन के ब्यौरे
परियोजना की स्थिति

(ग) अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 में नीचे संक्षेप में बताए गए अनुसार प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर हानि के लिए एक "तीन चरण वाले" मॉडल की रूपरेखा दी गई है:

– एक वित्तीय लिखत जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट क्षतिपूरित नहीं है और जिसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक चरण "स्टेज 1" के रूप में वर्गीकृत होने के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।
– यदि इस बात की पहचान हो जाती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वित्तीय लिखत को "स्टेज 2" में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे मानद रूप से क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ नहीं माना जाता है।
– यदि कोई वित्तीय लिखत क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ है, तो इसे "स्टेज 3" में ले जाया जाता है।
– स्टेज 1 में वित्तीय लिखत का अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर की राशि पर ईसीएल मापा जा चुका है, जो अगले 12 महीनों के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। स्टेज 2 या स्टेज 3 मानदंड में लिखत का ईसीएल आजीवन आधार पर मापा जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(घ) क्रेडिट जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि

कंपनी किसी ऐसे वित्तीय लिखत पर विचार करती है जिसने उसके संविदात्मक भुगतानों की देय तारीख से भुगतान 30 दिन से अधिक समय तक देय हो जाने पर किसी वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर, यह देखा गया है कि 30 से अधिक दिनों के लिए ऐसी अतिदेय मात्रा राज्य की बिजली कंपनियों (उपयोगिताओं) के लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत नहीं देती है। इसलिए, कंपनी ने यह मानदंड केवल निजी संस्थाओं के लिए लागू किया है। हालाँकि, 60 दिन से अधिक, लेकिन 90 दिन से कम अवधि के लिए बकाया वाले राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में इस मॉडल का उपयोग करके गणना की गई बाहरी रेटिंग या जोखिम स्कोर को ऋणदाता के जोखिम को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए एक पायदान तक डाउनग्रेड किया जाएगा।

(ङ) कम ऋण जोखिम छूट

भारतीय लेखांकन मानक में यह मानने के लिए वैकल्पिक सामान्यकरण का प्रावधान है कि वित्तीय परिसंपत्ति पर ऋण जोखिम में आरंभिक मान्यता से काफी वृद्धि नहीं हुई है (और इस प्रकार स्तर–1 में रहती है), यदि वित्तीय परिसंपत्ति रिपोर्ट करने की तारीख को कम ऋण जोखिम वाली मानी जाए।

ऋण जोखिम उस समय "कम" माना जाता है जब वित्तीय दस्तावेज में चूक का कम जोखिम हो, लेनदार की निकट अवधि में अपने संविदागत नकद प्रवाह दायित्वों को पूरा करने में प्रबल क्षमता हो तथा दीर्घावधि में आर्थिक एवं व्यापारिक स्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन लेनदार की अपनी संविदागत नकद प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता कम कर सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है।

कंपनी कम ऋण जोखिम लेने के लिए एएए से ए के बीच बाह्य ऋण रेटिंग वाली ऋण परिसंपत्तियों पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सभी राज्य यूटिलिटियों के लिए कम ऋण जोखिम छूट ली है क्योंकि कंपनी मानती है कि राज्य क्षेत्र को ऋणों में राज्य क्षेत्र में कम चूक/हानि के इतिहास के कारण और कुछ ऋणों में सरकारी गारंटी की उपलब्धता के कारण मुख्य रूप से निजी क्षेत्र को उधार देने की तुलना में कम ऋण जोखिम होता है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं में सरकार की रूचि होने से देयों की वसूली न होने का जोखिम कम हो जाता है।

(च) चूक तथा हानि वाले ऋण की परिसंपत्तियों की परिभाषा

कंपनी चूक के रूप में वित्तीय दस्तावेज को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदागत भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक का हो या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कंपनी द्वारा दी गई कोई भी अवधि।

(छ) ईसीएल का मापन – इनपुट, अवधारणाओं और अनुमान तकनीकों की व्याख्या

प्रत्याशित ऋण हानियां चूक की संभावना (पीडी), चूक पर प्रकटन (ईएडी) और हानि देने वाली चूक (एलजीडी) का परिणाम होती हैं जो निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैं:

– पीडी अगले 12 महीनों में या लिखत के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता की चूक की संभावना को दर्शाता है।
– ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।
– एलजीडी कंपनी के नुकसान की ऐसी उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है कि कोई चूक हो सकती है। एलजीडी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो वास्तव में चूक के किसी मामले में वसूली के बाद समाप्त हो जाएगी।

(च) चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स की गणना के लिए आईसीआरए द्वारा प्रकाशित रेटिंग संक्रमण मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की अवधि / मैच्योरिटी प्रोफाइल यानी लाइफटाइम पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेड की चूक की आजीवन संभावना का पता लगाने के लिए इस वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स का एक्सट्रापोलेशन किया गया।

घाटे को देखते हुए चूक (एलजीडी) कम्प्यूटेशन मॉडल

ऐतिहासिक रुझान, अनुसंधान और उद्योग बेंचमार्किंग के आधार पर कंपनी ने एक एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में समीक्षा किए गए कारकों में प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए की स्थिति, एफएसए की स्थिति आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने निजी क्षेत्र में थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन कारकों को बेंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के पारेषण और वितरण कंपनियों के मामले में परिसंपत्तियों के वसूल किए जाने वाले वास्तविक मूल्य एलजीडी पर पहुंचने के लिए उपयुक्त अनुमानों का उपयोग करके निकाला गया। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में उद्घाटित किया है और यह माना कि राज्य / केंद्र सरकारें अतीत में देखी गई राज्य क्षेत्र की उपयोगिताओं (बिजली कंपनियों) के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए कदम उठाएंगी।

(छ) स्टेज 3 परिसम्पत्तियों के मामले में एलजीडी का संरेखण

स्टेज –3 परिसंपत्तियां जहां आरईसी और पीएफसी (समूह की कंपनियां) स्टेज–3 ऋण खातों के लिए कंसोर्टियम में शामिल हैं, के मामले में एलजीडी निम्नलिखत आधार पर लिया जाता है;

(क) उन मामलों में जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, लीड ऋणदाता द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% को अपनाया जाता है।

(ख) ऐसे मामलों, जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता नहीं हैं, में आरईसी और पीएफसी द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% में से अधिक को अपनाया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(i) ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख अनुमान

(i) कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख को आधार तिथि मानती है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि निर्धारित की जाती है।

(ii) ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।

(ट) ऋण जोखिम अनावरण

भिन्न क्रेडिट रेटिंग के साथ उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम अनावरण निम्न है।

(₹ करोड़ में)

बाह्य रेटिंग की परिसीमा	31.03.2020 के अनुसार				31.03.2019 के अनुसार			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एएए	37,832.86	-	-	37,832.86	-	-	-	-
एए	82,131.73	-	-	82,131.73	3,239.02	-	-	3,239.02
ए	71,840.30	-	-	71,840.30	56,158.84	-	-	56,158.84
बीबीबी	28,629.56	-	-	28,629.56	40,834.51	-	-	40,834.51
बीबी	60,555.15	36.22	-	60,591.37	57,967.67	519.32	-	58,486.99
बी	9,876.29	23.37	-	9,899.66	47,683.74	1,030.31	-	48,714.05
सी	2,215.02	29.68	-	2,244.70	46,119.65	2,862.99	-	48,982.64
डी	-	2,342.00	21,255.55	23,597.55	-	-	20,348.44	20,348.44
सरकारी ऋण	6,616.62	-	-	6,616.62	4,445.19	-	-	4,445.19
कुल धारित राशि	2,99,697.53	2,431.27	21,255.55	3,23,384.35	2,56,448.62	4,412.62	20,348.44	2,81,209.68
हानि भत्ते	488.46	963.83	10,552.13	12,004.42	525.26	1,273.72	9,698.95	11,497.93
धारित राशि	2,99,209.07	1,467.44	10,703.42	3,11,379.93	2,55,923.36	3,138.90	10,649.49	2,69,711.75

(ठ) संमपार्श्विक तथा अन्य ऋण वृद्धियां

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और परिपाटियां लगाती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए समपार्श्विक को स्वीकार करना है। कंपनी में समपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख समपार्श्विक किस्में निम्नलिखित हैं:

– अचल परिसंपत्तियों का मोर्टगेज
– चल संपत्ति का हाइपोथिकेशन
– परियोजना संविदा दस्तावेजों को सौंपना
– उपस्करों की प्लेज जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है
– प्रमोटर की शेयरधारिता की प्लेज
– प्रमोटर की व्यक्तिगत तथा कारपोरेट गारंटी

(ठ) हानि भत्ते

उस अवधि में माना गया हानि भत्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

– ऋण जोखिम की काफी वृद्धि (अथवा कमी का अनुभव करने वाले) अथवा उस अवधि में ऋण हानि होने वाले वित्तीय दस्तावेजों के कारण स्तर–1 और स्तर –2 अथवा 3 के बीच अंतरण, और 12 माह तथा जीवन पर्यन्त ईसीएल के बीच परिणामी "स्टेप अप" (अथवा स्टेप डाउन)।
– उस अवधि के दौरान माने गए नए वित्तीय दस्तावेजों के लिए अतिरिक्त भत्ते तथा उस अवधि में न माने गए वित्तीय दस्तावेजों के लिए जारी राशियां।
– मॉडल में इनपुट के नियमित नवीनीकरण से उत्पन्न होने वाली, उस अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तनों के कारण ईसीएल के मापन पर प्रभाव।
– उस अवधि के दौरान अस्वीकृत वित्तीय परिसंपत्तियां और उस अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों सहित भत्तों को बट्टे खाते में डालना।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

निम्नलिखित तालिकाएं ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा अंत के बीच तदनुरूपी ईसीएल भत्ते को स्पष्ट करती है।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2019–20	स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**2,56,448.63**	**525.25**	**4,412.61**	**1,273.73**	**20,348.44**	**9,698.95**	**2,81,209.68**	**11,497.93**
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	1,557.46	107.88	(1,549.63)	(105.92)	(7.83)	(1.96)	(0.00)	(0.00)
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(25.11)	(1.64)	92.99	18.61	(67.89)	(16.97)	(0.01)	-
जीवनपर्यंत ईसीएल क्रेडिट में अंतरण	(1,476.62)	(12.99)	(560.99)	(225.13)	2,037.61	238.12	-	-
क्रेडिट हानिग्रस्त पीडी/एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	(238.36)	-	(13.90)	-	1,108.09	-	855.83
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	76,579.12	142.28	47.51	16.66	-	-	76,626.63	158.94
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(33,385.95)	(33.96)	(11.22)	(0.22)	(676.37)	(95.69)	(34,073.54)	(129.87)
राइट ऑफ	-	-	-	-	(378.41)	(378.41)	(378.41)	(378.41)
मॉडल रिस्क पैरामीटर में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी विनिमय एवं अन्य संचलन	-	-	-	-	-	-	-	-
समाप्ति पर शेष	**2,99,697.53**	**488.46**	**2,431.27**	**963.83**	**21,255.55**	**10,552.13**	**3,23,384.35**	**12,004.42**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2018–19	स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	2,07,067.88	1,090.78	15,266.52	1,694.30	17,128.43	8,490.53	2,39,462.83	11,275.61
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	10,594.28	21.95	(10,594.28)	(21.95)	-	-	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(549.56)	(4.38)	1,775.34	372.11	(1,225.78)	(367.73)	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	(2,763.00)	(625.75)	(1,865.40)	(527.07)	4,628.40	1,152.82	-	-
पीडी/एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	(16.82)	-	(266.20)	-	423.75	-	140.73
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां	56,669.38	78.30	63.82	22.54	-	-	56,733.20	100.84
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें अमान्य कर दिया है	(14,570.35)	(18.83)	(233.39)	-	(182.61)	(0.42)	(14,986.35)	(19.25)
समाप्ति पर शेष	**2,56,448.63**	**525.25**	**4,412.61**	**1,273.73**	**20,348.44**	**9,698.95**	**2,81,209.68**	**11,497.93**

(ड) स्तर वार एक्सपोजर और हानि भत्ता का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
कुल एक्सपोजर	2,99,697.53	2,431.27	21,255.55	3,23,384.35	2,56,448.62	4,412.62	20,348.44	2,81,209.68
हानि भत्ता	488.46	963.83	10,552.13	12,004.42	525.26	1,273.72	9,698.95	11,497.93
ईसीएल%	0.16%	39.64%	49.64%	3.71%	0.20%	28.87%	47.66%	4.09%

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ढ) ऋण जोखिम का संकेंद्रण

कंपनी उस किस्म के उद्योग द्वारा ऋण जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियां) के संकेंद्रण की मॉनीटरिंग करती है जिसमें लेनदार प्रचालन करते हैं जिसे लेनदार के प्रकार में आगे बांटा जाता है, भले ही वह सरकारी हो या निजी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	1,47,021.68	11,122.97	1,31,019.56	10,730.93
नवीकरणीय ऊर्जा	9,163.65	161.31	4,463.99	74.13
ट्रांस्कोज	49,658.96	503.89	51,995.18	429.47
डिस्कॉम्स	1,10,923.44	214.26	89,285.76	262.07
सरकारी ऋण	6,616.62	1.99	4,445.19	1.33
कुल	3,23,384.35	12,004.42	2,81,209.68	11,497.93
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य	2,84,778.15	297.60	2,47,719.13	445.42
निजी	38,606.20	11,706.82	33,490.55	11,052.51
कुल	**3,23,384.35**	**12,004.42**	**2,81,209.68**	**11,497.93**

(ण) क्षेत्रवार हानिग्रस्त परिसंपत्तियाँ – उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण–III आस्तियों का प्रतिशत

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
विद्युत क्षेत्र	6.59%	7.24%

(त) क्रेडिट–इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
(i)	**सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)**	6.59%	7.24%
(ii)	**सकल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)**	3.32%	3.79%
(iii)	**निवल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)**	3.45%	3.95%
(iv)	**क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	20,348.44	17,128.43
(ख)	वर्ष के दौरान जुड़ाव	2,037.61	4,628.40
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	(752.09)	(1408.39)
(घ)	वर्ष के दौरान राइट ऑफ	(378.41)	0.00
(च)	वर्ष के अंत में शेष	21,255.55	20,348.44
(iv)	**क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (निवल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	10,649.49	8,637.90
(ख)	वर्ष के दौरान जुड़ाव	691.40	3,051.83
(घ)	वर्ष के दौरान कटौतियां	(637.47)	(1040.24)
(च)	वर्ष के दौरान राइट ऑफ	-	-
(छ)	वर्ष के अंत में शेष	10,703.42	10,649.49
(v)	**क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	9,698.95	8,490.53
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,346.21	1,576.57
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ	(114.62)	(368.15)
(घ)	वर्ष के दौरान असेस्ट्स रिटेन ऑफ पर प्रावधान	(378.41)	0.00
(च)	वर्ष के अंत में शेष	10,552.13	9,698.95

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(थ) राइट ऑफ करने से संबंधित नीति

कंपनी उस समय समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालती है जब उसके सभी व्यावहारिक वसूली प्रयास समाप्त हो गए हों और इस निष्कर्ष पर पहुँच गई हो कि वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है, इसके संकेतकों में परिवर्तन क्रियाकलाप को बंद करना शामिल है अथवा जहां कंपनी की वसूली पद्धति समपार्श्विक पर पहले ही बंद हो तथा समपार्श्विक का मूल्य इतना हो कि पूरी तरह से वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है।

(द) बिजनेस मॉडल पॉलिसी

कंपनी अपने व्यापार मॉडल को उस स्तर पर निर्धारित करती है जो यह दर्शाता है कि यह अपने व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों का प्रबंधन कैसे करती है। कंपनी के व्यापार मॉडल का मूल्यांकन लिखत–दर–लिखत आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि कुल पोर्टफोलियो के उच्च स्तर पर किया जाता है।

कंपनी बिजली क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में ऋण देने के कारोबार में लगी है और इस तरह के ऋणों को ऋण के कार्यकाल में संविदात्मक भुगतान (मूलधन और ब्याज सहित) एकत्रित करके नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, ऋण निवेश की प्रकृति में निवेश और सहमत शर्तों के अनुसार संविदागत भुगतान एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी रखी जा सकती हैं।

अतः कंपनी का व्यवसाय मॉडल ऋणों, कुछ वित्तीय निवेशों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए "इकट्ठा करने के लिए रोक कर रखें" के सिद्धांत पर आधारित है। यदि संविदागत शर्तें ऐसे नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान हैं, तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को ऋणमाचित लागत पर मापा जाता है।

(ध) ऋणमोचित लागत कारोबार से बिक्री के लिए नीति

कंपनी व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया में ऋण परिसंपत्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री का सहारा नहीं लेती है।

हालांकि, कंपनी भारत में विनियामक ढांचे के अनुसार, क्रेडिट–क्षतिग्रसत परिसंपत्ति के संबंध में देय राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ सकती है।

इसके परिणामस्वरूप, क्रेडिट क्षतिग्रसत ऋण को आईबीसी की कार्यवाही के हिस्से के रूप में अथवा अन्यथा या तो पुनर्गठित/पुनर्निमित या व्यवस्थित किया जा सकता है और भारतीय लेखंकन मानक (इंड–एएस) 109–वित्तीय लिखत की आवश्यकताओं के अनुसार मान्यता रद्द करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अलावा क्रेडिट–क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री/खरीद के संबंध में कोई भी लेनदेन नहीं किया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
आईबीसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में बेचे / निपटाए गए खाते	1	-
एकीकृत सकल बकाया (₹ करोड़ में)	236.80	-
प्राप्त एकीकृत राशि (₹ करोड़ में)	124.13	-

(न) कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष शून्य) किसी भी प्रतिभूतिकरण / असाइनमेंट लेनदेन नहीं किया है। इसके अलावा, परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए किसी भी परिसंपत्ति का प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण करने के लिए नहीं बेचा गया है।

(i) ऐसे खाते, जो 90 दिनों से अधिक की अवधि से अधिदेय (ओवरड्यू), लेकिन उन्हें क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं माना गया है (आरबीआई के कोविड–19 राहत पैकेज के तहत राहत देने वाले खातों को छोड़कर)।

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	अतिदेय राशि
31.02.2020 के अनुसार	1	2,342.00	2,244.97
31.02.2019 के अनुसार	1	2,302.00	1,536.01

ऋणकर्ताओं में से एक, मेसर्स आरकेएम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड ने 18 सितंबर, 2015 को मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय से एक एड–अंतरिम आदेश प्राप्त किया है कि खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत न किया जा सके। तदनुसार, ऋणकर्ता के बकाया ऋण को स्टेज III परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, भले ही अधिदेय (ओवरड्यू) 90 दिनों से अधिक पुराना हो गया है और परिसंपत्ति क्रेडिट क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि, कंपनी द्वारा परियोजना के वित्तीय और प्रचालन मानकों पर विचार करने के बाद 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) कार्यप्रणाली के आधार पर ₹ 2,342 करोड़ के बकाया ऋण के 41.06% की दर से ₹ 961.63 करोड़ (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 2,302 करोड़ के बकाया ऋण के 40.95% की दर से ₹ – 942.67 करोड़) का एक पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ब) आरबीआई के दिनांक 17 अप्रैल 2020 के परिपत्र संख्या डी. ओ. आर. नं. बीपी. बीसी. 63/21.04.048/2020–21 के अनुसरण में आरबीआई कोविड–19 विनियामक पैकेज के संबंध में अधिस्थगन और परिसम्पत्ति वर्गीकरण के संबंध में प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
(i) एसएमए/अधिदेय श्रेणियों में संगत राशियं, जहां अधिस्थगन अवधि को बढ़ाया गया।	1460.22
(ii) संगत राशि जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण का लाभ दिया जाता है।	23.37
(iii) किए गए सामान्य प्रावधान।	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में
(iv) चूक की अवधियों के दौरान समायोजित किए गए सामान्य प्रावधान और अवशिष्ट प्रावधान।	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में

नोट– *कंपनी, एनबीएफसी होने के नाते, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ईसीएल कार्यप्रणाली के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) 109 के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का प्रावधान करती है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक के आईआरएसीपी शर्तों के तहत आवश्यक इस तरह के प्रावधानों पर नीचे दिए गए नोट (डब्ल्यू) में आईआरएसीपी शर्तों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की गणना के लिए विचार किया गया है।*

(फ) आरबीआई की आय मान्यता, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधान शर्तों (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक (इंड–एएस) के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ते के बीच तुलना

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	इंड–एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	बकाया राशि	इंड–एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड–एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड–एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
मानक	स्तर 1	2,98,737.86	3,00,392.16	480.08	2,99,912.08	1,779.27	(1299.19)
	स्तर 2	2,431.27	2,431.83	963.83	1,468.00	702.28	261.55
उप जोड़ (1)		**3,01,169.13**	**3,02,823.99**	**1,443.91**	**3,01,380.08**	**2,481.55**	**(1037.64)**
गैर–प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
अवमानक परिसंपत्तियां	**स्तर 3**	**2,037.61**	**2,037.61**	**468.91**	**1,568.70**	**203.76**	**265.15**
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ							
1 वर्ष तक	स्तर 3	3,973.02	3,973.02	1,646.55	2,326.47	1,282.92	363.63
1 से 3 वर्ष	स्तर 3	11,276.57	11,276.57	5,724.26	5,552.31	6,024.78	(300.52)
3 वर्ष से अधिक	स्तर 3	3,951.13	3,951.13	2,695.19	1,255.94	2,787.48	-92.29
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ के लिए उपजोड़		**19,200.72**	**19,200.72**	**10,066.00**	**9,134.72**	**10,095.18**	**(29.18)**
हानि परिसंपत्तियाँ	**स्तर 3**	**17.22**	**17.22**	**17.22**	**-**	**17.22**	**-**
एनपीए के लिए उपजोड़ (2)		**21,255.55**	**21,255.55**	**10,552.13**	**10,703.42**	**10,316.16**	**235.97**
कुल ऋण परिसंपत्तियाँ		**3,22,424.68**	**3,24,079.54**	**11,996.04**	**3,12,083.50**	**12,797.71**	**(801.67)**
अन्य मदें जो इंडस्ट्रीज के दायरे में हैं, लेकिन आईएआरसीपी मानदंडों के तहत कवर नहीं किए गए हैं							
सुविधा पत्र	स्तर 1	959.67	959.67	8.38	951.29	-	8.38
उप–जोड़ (3)		**959.67**	**959.67**	**8.38**	**951.29**	**-**	**8.38**
जोड़	**स्तर 1**	**2,99,697.53**	**3,01,351.83**	**488.46**	**3,00,863.37**	**1,779.27**	**(1290.81)**
	स्तर 2	**2,431.27**	**2,431.83**	**963.83**	**1,468.00**	**702.28**	**261.55**
	स्तर 3	**21,255.55**	**21,255.55**	**10,552.13**	**10,703.42**	**10,316.16**	**235.97**
जोड़		**3,23,384.35**	**3,25,039.21**	**12,004.42**	**3,13,034.79**	**12,797.71**	**(793.29)**

इंड एएस 109 के तहत क्षतिपूर्ति भत्ते और आरबीआई द्वारा जारी की गई आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) शर्तों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान के बीच अंतर को "क्षतिपूर्ति रिजर्व" के लिए विनियोजित किया जाता है। नोट 24.9 देखें।

45.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होगा जिनका निपटान नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दगी कर किया जाता है। परिसमापन का प्रबंधन करने में कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव सुनिश्चित करना है कि उसकी देयताएं देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए उसमें पर्याप्त समापन हो।

कंपनी मिश्रित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है जिनमें प्रस्तावित संवितरणों के आधार पर अग्रवर्ती संसाधन जुटाना और दायित्वों को पूरा करना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की मॉनीटरिंग करती है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, अल्पावधि निवेश बनाए रखती है जो नकद तथा पर्याप्त उधार और निरंतर पूर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाह की मॉनीटरिंग करके ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में तैयार रूप से बदले जा सकते हैं।

45.2.1 भविष्य के अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह का परिपक्वता पैटर्न

नकदी वित्तीय देनदारियों की वस्तुओं की ओर बहती है (भविष्य की अघोषित नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज की ओर दर्शाना) निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएंः									
रूपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
–मूल	463.40	503.64	5,940.51	12,739.42	19,109.00	57,825.05	36,677.47	58,204.76	1,91,463.25
–ब्याज	622.04	937.01	2,166.66	3,488.47	7,033.94	21,092.29	14,197.97	19,934.11	69,472.49
अन्य उधारियाँ									
–मूल	500.00	600.00	500.00	2,159.86	1,566.76	11,453.05	5,820.02	10,050.02	32,649.71
–ब्याज	342.74	130.49	352.45	383.51	1,107.43	3,565.31	2,027.49	3,708.64	11,618.06
अधीनस्थ देयताएं :									
– मूल	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,151.20	4,651.20
–ब्याज	-	201.50	-	-	192.96	788.93	587.95	772.38	2,543.72
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
– मूल	-	-	-	-	3,015.44	-	13,946.39	5,653.95	22,615.78
–ब्याज	-	138.14	112.53	200.74	453.70	1,620.81	1,261.85	642.18	4,429.95
अन्य उधारियाँ									
– मूल	-	565.39	609.10	4,013.52	8,505.00	6,642.72	7,812.60	587.58	28,735.91
–ब्याज	45.09	36.08	46.93	223.97	236.64	518.73	201.15	17.93	1,326.52
व्युत्पन्न देयताएंः									
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-	58.63	190.17	337.26	-	586.06
अन्य –									
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	-	75.15	664.52	739.67

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:									
रूपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
–मूल	3,256.39	525.21	2,294.33	9,272.90	20,218.27	65,194.54	25,107.93	49,258.06	1,75,127.63
–ब्याज	484.75	912.75	1,840.88	2,754.00	6,879.70	19,633.29	11,001.43	13,288.00	56,794.80
अन्य उधारियाँ									
– मूल	-	350.00	500.00	850.00	200.01	4,257.52	13,405.02	5,187.59	24,750.14
–ब्याज	133.77	129.71	355.81	388.00	975.00	3,673.00	2,176.00	2,055.00	9,886.29
अधीनस्थ देयताएं									
– मूल	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,151.20	4,651.20
–ब्याज	-	201.50	-	-	189.26	782.00	782.00	945.00	2,899.76
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
– मूल	-	-	-	-	-	2,766.85	4,841.99	5,187.85	12,796.69
–ब्याज	-	126.06	42.33	108.00	279.00	1,052.00	1,281.00	807.00	3,695.39
अन्य उधारियाँ									
– मूल	-	1,729.28	71.11	1,058.63	2,444.00	10,423.28	6,234.49	-	21,960.79
–ब्याज	43.40	54.77	42.07	229.00	290.00	734.00	278.00	-	1,671.24
व्युत्पन्न देयताएं:									
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	0.59	6.26	10.19	110.01	3.11	130.16
मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	0.41	-	-	0.41
अग्रवर्ती अनुबंध	10.26	-	-	-	-	-	-	-	10.26
अन्य –									
सीगुल विकल्प	-	-	-	0.37	18.20	-	-	-	18.57

पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्ड्स को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए तरलता विश्लेषण व्युत्पन्न अनुबंध के उचित मूल्यों पर आधारित है और परिपक्वता बकेट, संबंधित व्युत्पन्न उपस्कर के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

वित्तीय देयताओं के लिए अपेक्षित पर्याप्त नकद प्रवाह का वित्तपोषण निम्नलिखित रूप में ऋणों से छूटरहित नकद प्रवाहों (मूल तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगारू

(₹ करोड़ में)

विवरण	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2020 के अनुसार									
– मूल	590.00	306.00	3,638.03	7,626.38	15,889.84	63,791.10	55,014.93	1,63,572.36	3,10,428.64
–ब्याज	613.00	250.00	6,103.36	7,819.74	14,756.16	51,025.65	38,311.76	71,028.36	1,89,908.03
31 मार्च 2019 के अनुसार									
– मूल	1,654.88	1,316.82	3,073.31	7,365.12	13,781.11	55,904.77	50,995.33	1,35,620.42	2,69,711.76
–ब्याज	866.67	684.94	5,324.18	6,853.48	12,557.11	43,097.02	31,940.32	53,720.12	1,55,043.84

स्तर 3 की परिसंपत्तियों से संबंधित मूल नकदी प्रवाह, प्रत्याशित क्रेडिट हानि के निवल को परिपक्वता तिथि के बावजूद 5 वर्ष से अधिक के बकेट में विचार किया गया है।

45.2.2 आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	590.00	306.00	3,638.03	8,565.24	15,889.84	63,791.10	55,014.93	1,64,288.36	**3,12,083.50**
निवेश	-	-	-	-	1,500.62	22.93	-	789.66	**2,313.21**
रूपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	1,120.17	712.47	7,589.45	14,788.18	21,133.50	57,816.85	36,641.24	58,110.80	**1,97,912.66**
अन्य उधारियाँ	502.00	600.00	826.81	2,159.86	1,566.76	11,453.05	5,820.02	10,050.02	**32,978.52**
अधीनस्थ देयताएं	-	168.47	-	-	2.11	-	2,499.33	2,149.74	**4,819.65**
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	-	106.20	66.41	63.61	2,994.65	-	13,849.28	4,984.41	**22,064.56**
अन्य उधारियाँ	31.38	572.29	611.79	4,032.85	8,471.94	6,567.71	7,689.56	587.57	**28,565.09**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2019 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	1,850.88	1,316.82	3,401.32	7,627.17	13,781.11	55,904.77	50,995.33	1,35,573.52	**2,70,450.92**
निवेश	56.25	-	-	-	47.78	1,500.00	-	793.59	**2,397.62**
रुपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	3,781.97	621.87	3,645.36	11,092.27	22,326.89	65,199.36	25,107.93	48,892.09	**1,80,667.74**
अन्य उधारियाँ	126.93	350.00	500.00	850.00	207.34	4,257.52	13,405.02	5,187.59	**24,884.40**
अधीनस्थ देयताएं	-	168.38	-	-	1.59	-	2,499.15	2,149.65	**4,818.77**
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	-	98.15	24.29	30.88	-	2,722.66	4,784.70	4,511.39	**12,172.07**
अन्य उधारियाँ	27.10	1,750.21	74.77	1,079.80	2,444.00	10,167.79	6,234.49	-	**21,778.16**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

45.2.3 वित्तपोषण उपाय

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास अंडरग्राउंड उधारी सुविधाओं तक पहुंच थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
एक वर्ष के भीतर की समाप्त हो रही अवधि (नकद ऋण और अन्य सुविधाएं)		
– स्थाई दर	-	-
– अस्थाई दर	8,775.00	11,440.00
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही अवधि (ऋण/उधार)		
– स्थाई दर	-	-
– अस्थाई दर	497.82	1,577.11

लेखा संबंधी टिप्पणियां

45.2.4 तरलता जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष / महत्वपूर्ण लिखत / उत्पाद को कंपनी के कुल देनदारियों के 1% से अधिक के लिए एकीकृत रूप में जुड़े हुए अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के एकल प्रतिपक्ष / एकल लिखत / उत्पाद या समूह जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष के आधार पर वित्त संकेंद्रण (उधारियाँ)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
महत्त्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या	14	16
राशि (₹ करोड़ में)	1,25,850.36	1,03,251.25
कुल देयताओं का %	**40.41%**	**39.20%**

(ii) शीर्ष 10 की उधारियाँ

	विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का%	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का%
1	नेशनल स्माल सेविंग फंड (एनएसएसएफ) से आवधिक ऋण	10,000.00	3.57%	5,000.00	2.09%
2	54 ईसी श्रृंखला XI (2017–18)	9,565.23	3.41%	9,565.23	4.00%
3	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आवधिक ऋण	7,299.92	2.61%	7,300.00	3.05%
4	54 ईसी श्रृंखला – XI (2018–19)	6,651.77	2.37%	5,929.73	2.48%
5	54 ईसी श्रृंखला – XI (2018–19)	5,759.14	2.06%	-	0.00%
6	विदेशी मुद्रा बॉण्ड – यूएस $700 मिलियन बॉण्ड	5,277.01	1.88%	4,841.99	2.02%
7	संस्थागत बॉण्ड –182वीं श्रृंखला	5,063.00	1.81%	-	0.00%
8	विदेशी मुद्रा बॉण्ड– यूएस $650 मिलियन	4,900.08	1.75%	-	0.00%
9	संस्थागत बॉण्ड –114वीं श्रृंखला	4,300.00	1.54%	4,300.00	1.80%
10	संस्थागत बॉण्ड –105वीं श्रृंखला	3,922.20	1.40%	3,922.20	1.64%
	कुल	**62,738.35**	**22.40%**	**40,859.15**	**17.08%**

iii महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट / उत्पादों के आधार पर वित्त संकेंद्रण

	महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट / उत्पादों के नाम	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का%	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का%
1	**ऋण प्रतिभूतियां**				
	संस्थागत बॉण्ड	1,52,132.20	48.85%	1,29,273.30	49.08%
	विदेशी मुद्रा बॉण्ड	22,615.78	7.26%	12,796.69	4.86%
	54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एक्जंप्शन बॉण्ड	22,376.33	7.19%	23,879.92	9.07%
	टैक्स फ्री बॉण्ड	12,648.41	4.06%	12,648.41	4.80%
	उप– जोड़ (1)	**2,09,772.72**	**67.36%**	**1,78,598.32**	**67.80%**
2	**उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)**				
	विदेशी मुद्रा उधारियाँ	21,762.71	6.99%	17,637.62	6.70%
	बैंक से आवधिक ऋण	18,899.78	6.07%	18,550.00	7.04%
	भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	3.21%	5,000.00	1.90%
	एफसीएनआर (ख) ऋण	6,973.20	2.24%	4,323.20	1.64%
	उप– जोड़ (2)	**57,635.69**	**18.51%**	**45,510.82**	**17.28%**
3	**अधीनस्थ देयताएँ**	**4,651.20**	**1.49%**	**4,651.20**	**1.77%**
	जोड़ (1+2+3)	**2,72,059.61**	**87.36%**	**2,28,760.34**	**86.84%**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iv) स्टॉक रेशियो

विवरण	31.03.2020 के अनुसार				31.03.2019 के अनुसार			
	राशि ₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का%	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का%	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का%	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का%
कमर्शियल पेपर	2,925.00	1.04%	0.94%	0.84%	7,975.00	3.33%	3.03%	2.68%
गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर जिसमें एक वर्ष से कम की परिपक्वता है	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य अल्पावधि देयताएं	10,551.34	3.77%	3.39%	3.05%	4,227.62	1.77%	1.60%	1.42%

45.3 बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम

कंपनी विदेशी मुद्रा लेन–देनों, प्रमुख रूप से अमेरिकी डॉलर, यूरो और जेपीवाई के संबंध में, से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय जोखिम में है। विदेशी मुद्रा जोखिम कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा को छोड़कर, मुद्रा में दर्शाई गई मान्यता प्राप्त देयताओं से उत्पन्न होता है। कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम में होने को कम करने के लिए गैर–आईएनआर नकद प्रवाह की मॉनीटरिंग की जाती है और कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्नात्मक संविदाएं की जाती हैं।

कंपनी में एक बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ विदेशी मुद्रा उधार से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करना है। हेज अनुपात, अन–हेज्ड स्थिति, मार्क–टू मार्केट स्थिति, बैंकों में स्थिति की सीमा आदि जैसे मानदंडों की विदेशी मुद्रा जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में मॉनीटरिंग की जाती है। इस नीति में उन मानदंडों का दिशा–निर्देश करने का प्रावधान है जिनके अंतर्गत कंपनी मुद्रा जोखिम तथा ब्याज जोखिम के प्रबंधन के लिए निर्णय ले सकती है जो कि विदेशी मुद्रा ऋण के कारण होती है जिसमें ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए कंपनी को एक कार्यढांचा प्रदान करना है।

वर्तमान में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सदस्यों के रूप में वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से निदेशक, कार्यकारी निदेशक और मुख्य महाप्रबंधकों के साथ कार्य कर रही है। एएलसीओ विभिन्न व्युत्पन्नात्मक दस्तावेजों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर और ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करती है। कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रवर्ती संविदाओं, मुद्रा विकल्पों, केवल मूल स्वैप्स और अग्रवर्ती दर करारों जैसे विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से विनिमय दर शामिल करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नात्मक लेन–देन करती है। ये व्युत्पन्नात्मक लेन–देन हेजिंग प्रयोजन के लिए किए जाते हैं न कि व्यापार अथवा सट्टा प्रयोजन के लिए।

विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियों और उधार के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा स्थिति को घेरने के लिए क्रॉस करेंसी स्वैप (मूल और/अथवा ब्याज) भी निष्पादित किया है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा स्थिति की बकाया स्थिति निम्नलिखित है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, भारतीय रुपए के समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31.03.2020 के अनुसार			31.03.2019 के अनुसार		
	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग
अमेरिकी डॉलर $	6,591.96	4,070.00	2,521.96	4,830.00	3,370.00	1,460.00
भारतीय रुपए के समतुल्य	49,694.10	30,682.06	19,012.04	33,409.72	23,310.73	10,098.99
जापानी येन ¥	11,755.14	10,623.67	1,131.47	12,428.85	10,920.22	1,508.63
भारतीय रुपए के समतुल्य	818.75	739.94	78.81	777.05	682.73	94.32
यूरो €	55.15	29.70	25.45	73.45	48.00	25.45
भारतीय रुपए के समतुल्य	458.04	246.69	211.35	570.74	373.00	197.74
सिंगापुर डालर $	72.08	72.08	-	-	-	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	380.80	380.80	-	-	-	-
कुल	**51,351.69**	**32,049.49**	**19,302.20**	**34,757.51**	**24,366.46**	**10,391.05**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका अन–हेज्ड स्थितियों पर आईएनआर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (+लाभ/(हानि) सहित लाभ एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
अमेरिकी डॉलर/ भारतीय रुपया	711.35	(711.35)	328.50	(328.50)
जापानी येन/ भारतीय रुपया	2.95	(2.95)	3.07	(3.07)
यूरो/ भारतीय रुपया	7.91	(7.91)	6.43	(6.43)

* *अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए*

हेज एकाउंटिंग (लेखांकन)

कंपनी के समक्ष विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है, जो मुख्य रूप से यूएस डॉलर, यूरो और जेपीवाई में विभिन्न विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों से संबंधित है। इन ऋणों के कारण ब्याज दर का जोखिम भी सामने आया क्योंकि अधिकांश ऋणों पर एलआईबीओआर, ईयूआरआईबीओआर आदि से जुड़ी ब्याज दर लागू होती है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसका उद्देश्य कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा से इतर किसी अन्य मुद्रा में मूल्यवर्गित ऋणों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा और उसके ऋण पर ब्याज दर को हेज करना है। कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं, वायदा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के संयोजन का उपयोग करती है ताकि विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके।

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और नकदी प्रवाह हेजेज में ब्याज दर जोखिम के संबंध में हेजिंग लिखतों के रूप में कुछ व्युत्पन्न उत्पाद नामित करती है। वैकल्पिक संविदाओं के लिए कंपनी विकल्प के समय मूल्य को छोड़कर हेज आइटम के रूप में वैकल्पिक संविदाओं के केवल आंतरिक मूल्य को ही नामित करती है। विकल्प के संरेखित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध की शुरुआत में विकल्पों का समय मूल्य एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

हेज अप्रभावशीलता हेज संबंध की शुरुआत में और समय–समय पर संभावित प्रभावशीलता के आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज किए गए आइटम और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है, के माध्यम से निर्धारित की जाती है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियां लागू करती है:

(i) क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप, जो हेज की गई मदों की शर्तों से बिल्कुल मेल खाता है, के लिए आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता गुणात्मक कारकों पर आधारित हैं जिसमें महत्वपूर्ण शब्दों से मेल वाली पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

(ii) अन्य ब्याज दर स्वैप (देर से पदनामित किए जाने के मामलों में) के लिए कंपनी एक काल्पनिक व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव) का उपयोग करके डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करती है। डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेजिंग लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की हेज किए गए जोखिम के कारण हेज किए गए आइटम के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन के साथ तुलना करना शामिल होता है।

(iii) विकल्प संरचनाओं के लिए कंपनी डॉलर ऑफसेट पद्धति के आधार पर कठोर प्रतिगमन विश्लेषण आधारित विधि का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेज किए गए आइटम के व्यवहार का विश्लेषण करती है।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग लिखत के अन्तर्निहित जोखिम और आकस्मिक मात्रा समान है।

(क) 31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन पत्र पर हेज लेखांकन के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

जोखिम एवं हेज के प्रकार		राष्ट्रीय मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के धारित राशि		पूर्ण तिथि	हेज दरें	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
			परिसंपत्तियां	देयताएं					
	नकदी प्रवाह हेज								
	विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम								
(i)	विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं								
	–सिगुल स्ट्रक्चर	अमेरिकी डॉलर 141.00	1,494.84	-	मई 2020–मार्च 2025	1:1	71.88	213.14	(213.14)
		जापानी येन 1,032.71	167.37	-	अग. 2023	1:1	0.62	10.30	(10.30)
	कॉल स्प्रेड	अमेरिकी डॉलर 25.00	97.16	-	मार्च 2024	1:1	71.94	81.36	(81.36)
(ii)	क्रॉस मुद्रा स्वैप	अमेरिकी डॉलर 100.00	-	(297.86)	दिस. 2020–मार्च 2025	1:1	3.67%	(175.35)	175.22
		जापानी येन 1,032.71	-	(5.28)	अग. 2023	1:1	0.42%	(1.29)	1.29
		सिंगापुर डॉलर 7.21	2.32	-	मार्च 2025	1:1	1.18%	2.32	(2.32)
(iii)	ब्याज दर स्वैप	अमेरिकी डॉलर 126.00	5.24	(134.45)	जुलाई 2020 जुलाई 2024	1:1	2.35%	(185.91)	185.91

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ख) 31 मार्च, 2020 के अनुसार लाभ एवं हानि के विवरण पर हेज लेखांकन के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

हेज के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए गए हेजिंग लिखत के मूल्य में परिवर्तन	मान्यता प्राप्त हेज अप्रभावशीलता	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से पुनर्वर्गीकृत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन आइटम
नकदी प्रवाह हेज				
– विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम	55.30	0.13	(629.26)	विदेशी विनियम रुपांतर पर लाभ/हानि
			0.03	वित्तीय लागत

(ग) नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 को समाप्त वर्ष
नकदी प्रवाह हेजिंग के प्रभावी भाग	
प्रारम्भिक शेष	-
जोड़े : विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं के वास्तविक मूल्यों में परिवर्तन	687.21
जोड़े : क्रॉस मुद्रा स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	(174.20)
जोड़े : ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	(185.90)
घटाएँ : पुनः वर्गीकृत राशि के लाभ या हानि	(629.23)
घटाएँ : उपरोक्त (निवल) से संबन्धित आस्थगित कर	76.04
समाप्ति वर्ष पर शेष	**(226.08)**
हेजिंग रिजर्व की लागत	
प्रारम्भिक शेष	-
जोड़े : विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं में आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(382.41)
घटाएँ : समय मूल्य का परिशोधन	108.80
घटाएँ : उपरोक्त (निवल) से संबन्धित आस्थगित कर	68.86
समाप्ति वर्ष पर शेष	**(204.75)**

45.4 बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होगा।

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होगा। ब्याज दरें गतिशील और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होती हैं, जिनमें आरबीआई की नीति में बदलाव, बाजार में तरलता, एएए बॉण्ड/जी–सेक पैदावार जैसे बाहरी बेंचमार्क की आवाजाही आदि शामिल हैं। कंपनी ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वैप संविदाओं, वायदा ब्याज दर संविदाओं जैसे जैसी विभिन्न व्युत्पन्न संविदाओं के माध्यमों से अपनी ब्याज दर के जोखिम का प्रबंधन करती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

निम्नलिखित तालिका निम्नलिखित रूप में 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार हेज्ड/अन–हेज्ड श्रेणी के तहत विभाजन सहित अस्थिर दर देयताओं पर ब्याज दर जोखिम में कंपनी की समग्र स्थिति दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, भारतीय रुपए के समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31.03.2020 के अनुसार			31.03.2019 के अनुसार		
	स्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग	स्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग
भारतीय रुपए उधारियाँ	19,899.78	-	19,899.78	19,550.00	-	19,550.00
अमेरिकी डॉलर $	3,241.96	2,830.00	411.96	2,980.00	2,005.00	975.00
भारतीय रुपए के समतुल्य	24,439.81	21,334.21	3,105.60	20,613.05	13,868.85	6,744.20
जापानी येन ¥	10,327.12	10,327.12	-	10,327.12	10,327.12	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	719.28	719.28	-	645.65	645.65	-
सिंगापुर डॉलर $	72.08	72.08	-	-	-	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	380.83	380.83	-	-	-	-
कुल भारतीय रुपए के समतुल्य	**45,439.70**	**22,434.32**	**23,005.38**	**40,808.70**	**14,514.50**	**26,294.20**

कंपनी के ऋणदाता पोर्टफोलियो में अर्ध–स्थिर दर अर्थात ऋणकर्ता के साथ 1/3/10 वर्ष के रीसेट विकल्प के साथ ब्याज की दर पर ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। कंपनी अपनी ऋण दरों की समय–समय पर प्रचलित बाजार की स्थितियों, उधार लेने की लागत, उससे लाभ, प्रसार, प्रतिस्पर्धियों की दरों, मंजूरियों और संवितरण आदि के आधार पर समीक्षा करती है। ऋण के पूर्व भुगतान के मामले में प्री–पेमेंट जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ऋणकर्ताओं से प्री–पेमेंट प्रीमियम वसूलती है। ब्याज दर संवेदनशीलता का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर कथनों के विश्लेषण और अचल और अस्थायी ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्माण का मूल्यांकन करके किया जाता है।

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध–निर्धारित दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
रुपी ऋण	3,12,065.92	2,79,021.68

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा अन–हेज्ड स्थितियों पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि (प्राप्ति/(हानि) पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	(86.08)	86.08	(85.53)	85.53
अस्थिर/अर्ध–निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	1,167.63	(1167.63)	907.60	(907.60)

* *अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए*

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

45.5 बाजार जोखिम – कीमत जोखिम

कंपनी उल्लिखित इक्विटी शेयरों और उद्यम पूंजीगत निधियों में निवेशों से उत्पन्न होने वाले इक्विटी कीमत जोखिमों की स्थिति में है। कंपनी के इक्विटी निवेश व्यापारिक प्रयोजनों के बजाए नीतिगत प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं।

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका, समूह से बाहर कंपनी के इक्विटी निवेशों पर संबंधित कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धि अथवा गिरावट के लिए ओसीआई लाभ/(हानि) को पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय पर प्रभाव (ओसीआई)	25.68	(25.68)	32.35	(32.35)
लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभाव (पीएल)	0.63	(0.63)	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

46. व्युत्पन्नों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन

46.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i)	स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	65,453.01	45,803.16
(ii)	हानियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने में प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	3,318.85	1,802.58
(iii)	स्वैप में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	शून्य	शून्य
(iv)	स्वैपों के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	कृपया निम्न का संदर्भ लें	कृपया निम्न का संदर्भ लें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	1,993.12	1,643.18

** कंपनी द्वारा किए गए सभी मुद्रा व्युत्पन्न और ब्याज व्युत्पन्न शामिल हैं। आरईसी ने एक एनबीएफसी होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार श्रेणी–1, प्राधिकृत डीलर बैंकों के साथ ही स्वैप करार किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप करार बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।*

46.2 कंपनी ने किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों को नहीं किया है।

46.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**		अन्य व्युत्पन्न (रिजर्व क्रॉस करेंसी स्वैप)***	
		31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)						
	हेजिंग के लिए	32,049.49	24,366.46	29,056.52	21,436.70	4,347.00	-
(ii)	मार्केट टु मार्केट स्थितियां						
क)	परिसंपत्ति (+)	3,177.14	1,642.11	141.71	160.47	-	-
ख)	देयता (–)	-	29.24	586.06	130.16	739.67	-
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	32,049.49	24,366.46	29,056.52	21,436.70	4,347.00	-
(iv)	अनहेज्ड एक्सपोजर	19,302.20	10,391.05	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

*इसमें पूरा हेज, मूल केवल स्वैप और कॉल स्प्रैड शामिल हैं।
**इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज दर व्युत्पन्न शामिल हैं।
***इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में रिजर्व क्रॉस करेंसी स्वैप शामिल हैं।

47 कंपनी पर कोविड –19 महामारी का प्रभाव

कोविड–19 के लिए जिम्मेदार एसएआरएस–सीओवी–2 वायरस भारत सहित पूरे विश्व में फैलता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में उल्लेखनीय गिरावट और अस्थिरता आई है। इसने वैश्विक और भारतीय आर्थिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न किया है। 11 मार्च 2020 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा कोविड–19 के प्रकोप को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया। कंपनी द्वारा अनुकूलित तरीके से व्यावसायिक कार्यों की निरंतरता के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

कारोबार प्रचालन पर प्रभाव

इस अभूतपूर्व अवधि के दौरान, कंपनी ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा और भलाई के लिए राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा से पहले कर्मचारियों को "घर से काम करने" की अनुमति दी थी। कंपनी ने बड़े पैमाने पर समीक्षा और निगरानी, सूचना–साझाकरण और ज्ञान प्रबंधन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया। सुरक्षित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के माध्यम से ई–ऑफिस और ईआरपी अनुप्रयोगों की उपलब्धता के साथ युग्मित मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता ने कंपनी को लॉकडाउन के कारण किसी भी महत्वपूर्ण व्यवधान के बिना व्यवसाय संचालन जारी रखने की अनुमति दी। वर्ष 2019–20 के अंतिम पखवाड़े के दौरान, कंपनी ने ₹6,476 करोड़ की राशि के ऋणों का संवितरण किया, जबकि वर्ष के अंत तक ₹75,667 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

ऋण देने के प्रचालनों पर प्रभाव

सरकार और विभिन्न नियामकों ने भी वायरस के प्रसार को रोकने और आर्थिक व्यवधानों के प्रभावों को कम करने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने व्यावसायिक गतिविधियों की गड़बड़ियों के कारण लोन सर्विसिंग के बोझ को कम करने के लिए दिनांक 27 मार्च 2020 की अधिसूचना सं. आरबीआई/2019/186 डीओआर नं. बीपी. बीसी. 47/21.04.048/2019–20, जिसे यहां से आगे "आरबीआई अधिसूचना" के रूप में संदर्भित किया गया है, के जरिए सावधि ऋणों के संदर्भ में भुगतानों और कार्यशील पूंजी सुविधाओं का पुनर्अनुसूचीयन करने के लिए ऋण संस्थानों को अनुमति दी। आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक नीतिगत ढांचा तैयार किया है जिसके अनुसार ऋणकर्ता ऐसे सावधि ऋणों के मूलधन और / या ब्याज (अतिरिक्त ब्याज / आगे ब्याज/शुल्क सहित) के भुगतान पर अधिकतम तीन महीने की मोहलत का लाभ उठा सकते हैं, जो 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच देय होते हैं। इस तरह के स्थगन के लाभ के लिए ऐसे ऋणकर्ता पात्र हैं, जिनके पास 1 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कोई बकाया राशि देय नहीं है या 31 मई 2020 की स्थिति के अनुसार बाद में इस तरह के अतिदेय को मंजूरी दे दी गई है। कंपनी ने 31 मार्च, 2020 के लिए देय ₹9,500 करोड़ की कुल वसूलियों से अधिक के 78% की वसूली पहले से ही कर ली है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमादित नीति अनुसार, ₹ 5172 करोड़ की राशि आस्थगित की गई है, जो ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो स्थगन अवधि के बीच में देय होती हैं।

इसके अलावा, आरबीआई के दिनांक 17 अप्रैल 2020 के परिपत्र के अनुसार, यदि मानक ऋणकर्ताओं और जिनको इस तरह के स्थगन की अनुमति दी गई है, के मामले में परिसंपत्ति के वर्गीकरण के उद्देश्य से 'डेज पास्ट ड्यू' की संख्या से इस तरह की रोक की अवधि को हटा दिया गया है। हालांकि, यदि इस छूट का लाभ प्रदान नहीं किया गया होता, केवल ₹ 23.37 करोड़ के ऋण के साथ एक ऋणकर्ता को ही स्टेज–3 परिसंपत्ति के रूप में अपग्रेड किया गया होता।

विविध स्रोतों से निधियों की उपलब्धता

कंपनी के पास घरेलू संस्थागत बांडों के साथ–साथ विदेशी मुद्रा बॉण्ड सहित अपने प्रचालन के वित्तपोषण के लिए विभिन्न स्रोतों तक पहुंच उपलब्ध है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप सहित विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से धन प्राप्त करने के लिए कंपनी की पहुंच को बढ़ाता है। 31 मार्च 2020 के बाद, कंपनी घरेलू बॉण्ड और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से ₹ 14,000 करोड़ से अधिक की राशि जुटाने में सक्षम रही है। इसके अलावा, कंपनी ने इसी अवधि के दौरान ₹ 6,047 करोड़ की राशि के बॉण्ड और सावधि ऋण को 800 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुचाया है। इसमें यूएसडी बॉण्ड के माध्यम से जुटाए गए 500 मिलियन अमरीकी डालर भी शामिल हैं, जिसमें आरईसी 12 मई 2020 को कोविड–19 महामारी के दौरान ही सफलतापूर्वक यूएसडी बॉण्ड बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास विभिन्न बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋणों की दिशा में ₹ 7,000 करोड़ से अधिक के दीर्घावधि ऋण और ₹ 5,000 करोड़ से अधिक की सीमाएं उपलब्ध हैं। इस प्रकार, कंपनी अपनी तरलता की स्थिति पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सक्षम रही है, जिससे कंपनी को किसी भी भौतिक प्रभाव के बिना अपने ऋण प्रचालन को बनाए रखने में सहुलियत बनी रही है।

विद्युत क्षेत्र के लिए कोविड–19 राहत पैकेज

अधिकांश पावर जनरेशन कंपनियों के पावर प्लांट लॉकडाउन के शुरुआती समय में सीमित व्यवधानों के साथ लॉकडाउन अवधि के दौरान चालू थे। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रमुख बिजली उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योगों, कार्यालयों और अन्य वाणिज्यिक स्थानों ने सीमित क्षमता के साथ अपने प्रचालन को फिर से शुरू किया है। इससे बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है जिसे लॉकडाउन की अवधि के दौरान अस्थायी कमी का सामना करना पड़ रहा था।

भारत सरकार ने अपने कोविड–19 राहत पैकेज के एक हिस्से के रूप में पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनियों की बकाया राशि को चुकाने के लिए आरईसी और पीएफसी के माध्यम से राज्य सरकार को गारंटीकृत ऋण के रूप में राज्य डिस्कॉम को तरलता इंजेक्शन देने की घोषणा की है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को आरबीआई से अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि वे कई सुधार उपायों के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ बिजली क्षेत्र में सुधार शामिल हैं। सरकार ने भी शीघ्र ही एक टैरिफ नीति जारी करने की घोषणा की है, जिसमें बिजली क्षेत्र के लिए कई सुधारों का जिक्र किया गया है और इसमें संघ राज्य क्षेत्रों में डिस्कॉम आदि का निजीकरण शामिल है, परन्तु इतना ही नहीं।

आरबीआई और भारत सरकार द्वारा की गई उपर्युक्त कार्रवाई और आरईसी की तरलता की स्थिति और धन वर्तमान में निधियों के विभिन्न स्रोतों तक पहुंच के साथ, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके प्रचालन को बनाए रखने के लिए मौजूदा संकट का कंपनी की कार्यक्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, इसमें कंपनी के लिए इस मौजूदा चिंता का मूल्यांकन भी शामिल है। हालांकि, कोविड–19 महामारी कंपनी को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के घटनाक्रम पर निर्भर करेगा, जो अनिश्चित है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कोविड–19 महामारी की गंभीरता या कंपनी इसके प्रसार को समाहित करती है या इसके प्रभाव को कम करती है, के बारे में कोई भी नई जानकारी और सरकार द्वारा कोई अन्य कार्रवाई शामिल है।

48. एक्सपोजर संबंधित से प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12 फरवरी, 2010 के आरबीआई परिपत्र सीसी नं. 168 में निहित अनुदेशों के अनुसार आरईसी को 17 सितंबर, 2010 के अपने पत्र द्वारा एक अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीकृत किया था। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र में उधार लेने के लिए कुल अनुमत्य ऋण जोखिम एक लेनदार के मामले में ली गई निधियों का 25 प्रतिशत और लेनदारों के समूहों के मामले में 40 प्रतिशत है तथा उधार देने एवं निवेश करने के लिए एक साथ लिया गया ऋण जोखिम ली गई निधियों का क्रमशः 30 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत तक हो सकता है।

केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईसी को 31 मार्च, 2022 तक ऋण/निवेश मानदंडों के आरबीआई का संकेंद्रण लागू होने से 16 जून, 2016 के पत्र संख्या डीएनबीआर.पीडी.सीओ. नं. 2184/03.10.001/2015–16 द्वारा छूट दी है। उपर्युक्त के मद्देनजर,

लेखा संबंधी टिप्पणियां

केंद्रीय एवं राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम ऋण जोखिम सीमाएं कंपनी मूल्यांकन के आधार पर स्वामित्व निधियों का 50 प्रतिशत से लेकर 250 प्रतिशत तक परिवर्तन जारी है।

निजी क्षेत्र के कंपनियों के संबंध में, एकल लेनदारों और समूह लेनदारों के लिए कंपनी का ऋण जोखिम 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को आरबीआई प्रूडेंशियल ऋण जोखिम से अधिक नहीं रहा।

48.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोजर

कंपनी का 31 मार्च, 2020 को रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई ऋण जोखिम नहीं है (31 मार्च, 2019 को शून्य)।

48.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेशय	738.13	787.41
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिमय	-	-
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया हैय	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है।	-	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों के लिए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियांय	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋणय	-	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहोंध्मामलों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋणय	-	-
(viii)	उपक्रम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए समस्त एक्सपोजर	6.12	6.18
	पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोजर	**744.25**	**793.59**

48.3 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

	विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i)	**अग्रिमों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	1,84,741.84	1,58,931.60
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	57.30%	56.52%
(ii)	**एक्सपोजर का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	2,88,397.43	2,54,896.66
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत	59.46%	59.46%
(iii)	**क्रेडिट इम्पेयर्ड हानियों का संकेंद्रण**		
	शीर्ष चार क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल बकाया (₹ करोड़ में)	8,618.52	8,502.74
	उपरोक्त चार क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	8,618.52	8,502.74

लेखा संबंधी टिप्पणियां

49. उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य और श्रेणी द्वारा उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की ली गई लागत निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		टिप्पणी सं.	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
	वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मापन			
	व्युत्पन्न वित्तीय साधन	8	3,318.85	1,802.58
	निवेश* पर मापा गया			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	10	513.55	646.99
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	10	1,558.53	1,556.87
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
	नकद और नकदी समतुल्य	6	1,678.03	342.94
	अन्य बैंक शेष	7	2,021.96	1,253.31
	ऋण परिसंपत्तियां	9	3,12,083.50	2,70,450.92
	निवेश*	10	22.93	47.16
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	22,081.59	18,342.48
	जोड़		**3,43,278.94**	**2,94,443.25**
	उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएं			
	व्युत्पन्न वित्तीय साधन	8	1,325.73	159.40
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
	ऋण प्रतिभूतियाँ	17	2,19,977.22	1,92,839.79
	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	18	61,543.61	46,662.54
	अधीनस्थ देयताएं	19	4,819.65	4,818.76
	अन्य वित्तीय देयताएं	20	23,562.70	18,751.75
	जोड़		**3,11,228.91**	**2,63,232.24**

** अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 27 के अनुसार 'अलग वित्तीय विवरणों' के अनुसार लागत पर मापा जाता है और इसलिए, इसे यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है।*

49.1 उचित मूल्य अनुक्रम

ऊपर उल्लिखित वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह अनुक्रम समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं (चरण–1 मापने) के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट (चरण–3 मापने) को निम्न प्राथमिकता देता है।

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान दस्तावेजों के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2: चरण–1 इनपुट को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न) लेने योग्य बाजार रिपोर्ट

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति क्रियाकलाप अथवा अंतरण के कारण हुए परिस्थितियों में परिवर्तन की तारीख को उचित मूल्य अनुक्रम में अंतरण और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार				31.03.2019 के अनुसार			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
एफवीओसीआई पर निवेश								
इक्विटी निवेश	507.43	6.12	-	513.55	640.81	6.18	-	646.99
एफवीटीपीएल पर निवेश								
इक्विटी निवेश	12.50	-	-	12.50	-	-	-	-
परपेचुअल बॉण्ड	-	-	1,500.62	1,500.62	-	-	1,556.87	1,556.87
प्रेफरेंस शेयर	-	-	45.41	45.41	-	-	-	-
एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियाँ								
व्युत्पन्न वित्तीय निवेश	-	3,318.85	-	3,318.85	-	1,802.58	-	1,802.58
एफवीटीपीएल पर देयताएँ								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	1,325.73	-	1,325.73	-	159.40	-	159.40

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

(क) **उल्लिखित इक्विटी निवेशों में निवेश – चरण 1** – सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों में निवेश का मापन बाजार में उनकी तैयार रूप में उपलब्ध उल्लिखित कीमत पर किया जाता है।

(ख) **उद्यम पूंजी निधि में निवेश – चरण 2** – उद्यम पूंजी निधि में निवेश का मापन निधि से बांटे गए निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) प्रमाण–पत्र के अनुसार उनके उचित मूल्य पर किया जाता है।

(ग) **व्युत्पन्न वित्तीय लिखत–स्तर 2** – बैंकों द्वारा प्रदान किए गए बाजार मूल्य के लिए उचित मूल्य के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया गया है जो अंतर्निहित जोखिम को कम करने के लिए अनुबंधित है। इस तरह के मूल्यांकन की गणना बाजार में दिखाई देने वाले आदानों (इनपुट्स) के जरिए की जाती है, जिसमें वायदा निविमय दरें, संविदा की परिपक्वता अवधि के हिसाब से ब्याज दरें और अन्तर्निहित उतार–चढाव शामिल हैं।

(घ) **परपेचुअल बॉण्ड निवेश में निवेश – स्तर 3** – कंपनी ने इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सिंडिकेट बैंक के सतत बॉण्ड में निवेश किया है जो एनएसई/बीएसई पर उद्धृत हैं। कंपनी इन बॉण्डों के लिए सक्रिय बाजार लेनदेन की जाँच करती है। हालाँकि, कंपनी द्वारा रखे गए इन बॉण्ड में किसी भी बाजार गतिविधि की कोई एतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है, और इसलिए, ऐसे बॉण्ड के लिए उद्धृत मूल्य उपलब्ध नहीं है। कंपनी निवेश करने वाले बैंकों की क्रेडिट रेटिंग में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए भी इसकी जांच करती है, और यदि कोई परिवर्तन नोट नहीं किया जाता है, तो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो विधि का उपयोग करके उचित मूल्य की गणना के लिए कूपन दर पर विचार किया जाता है।

(ड.) **गैर–उद्धृत इक्विटी निवेशों में निवेश – लेवल 3** – यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) के गैर–उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को लेवल–3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा कंपनी के विशिष्ट कारणों से इसे शून्य मूल्य पर ले जाया गया है। यूसीएक्स को वर्ष 2014 में बंद कर दिया गया था, जिससे यह एक चिंता का विषय बना हुआ है।

(च.) **गैर–उद्धृत वरीयता शेयरों में निवेश– स्तर–3** – रतन इंडिया पावर लिमिटेड (आरआईपीएल) के गैर–उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी रिडीमेबल वरीयता शेयरों (ओसीसीआरपीएस) में निवेश को स्तर–3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी को ऋणकर्ता कंपनी के ओसीसीआरपीएस आवंटित किए गए हैं। रतन इंडिया पावर लिमिटेड ने 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था का अनुसरण किया। उचित मूल्य वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को समझौते के अनुसार छूट देकर निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है। (विवरण के लिए नोट : 10.2 देखें)।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

49.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से वित्तीय लिखते के उचित मूल्य का पुनर्समाधान

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की आरंभिक तथा अंतिम राशि का पुनर्समाधान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20				वित्त वर्ष 2018–19			
	एफवीटीपीएल		एफवीओसीआई	कुल	एफवीटीपीएल		एफवीओसीआई	कुल
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेन्स शेयर में निवेश	इक्विटी शेयर में निवेश		परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेन्स शेयर में निवेश	इक्विटी शेयर में निवेश	
वर्ष के प्रारंभ शेष	**1,556.87**	**-**	**-**	**1,556.87**	**1,500.62**	**-**	**-**	**1,500.62**
ऋण समायोजन में प्राप्य (टिप्पणी 9.3 का संदर्भ लें)	-	32.42	-	32.42	-	-	-	-
समायोजन	(224.50)	-	-	(224.50)	(112.00)		-	(112.00)
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज आय	168.25	1.50	-	169.75	168.25	-	-	168.25
उचित मूल्य परिवर्तन	-	11.49	-	11.49				
वर्ष के अंत में शेष	**1,500.62**	**45.41**	**-**	**1,546.03**	**1,556.87**	**-**	**-**	**1,556.87**
अवधि के अंत में अनरियलाइज्ड प्राप्ति/(हानि)	0.62	12.99	(16.00)	(2.39)	56.87	-	(118.00)	(61.13)

वर्ष के दौरान व्युत्पन्न अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के मापन पर इक्विटी शेयर में निवेश के लिए टिप्पणी संख्या 10.3 के संदर्भ में

49.3 परिशोधित लागत पर मापे गए लिखतें का उचित मूल्य

परिशोधित लागत जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है, पर मापे गए दस्तावेजों का उचित मूल्य निम्नलिखितानुसार है। यह उचित मूल्य लेवल 3 इनपुट का प्रयोग करके परिकलित किए जाते हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकद एवं नकदी समतुल्य	1,678.03	1,678.03	342.94	342.94
उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक शेष	2,021.96	2,021.96	1,253.31	1,253.31
ऋण	3,12,083.50	3,11,112.33	2,70,450.92	2,67,598.29
निवेश	22.93	22.93	47.16	47.16
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	22,081.59	22,082.69	18,342.48	18,344.15
कुल	**3,37,888.01**	**3,36,917.94**	**2,90,436.81**	**2,87,585.85**
वित्तीय देयताएं				
ऋण प्रतिभूतियां	2,19,977.22	2,12,002.44	1,92,839.79	1,94,459.70
उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	61,543.61	61,984.35	46,662.54	46,595.45
अधीनस्थ देयताएं	4,819.65	5,028.88	4,818.76	4,748.14
अन्य वित्तीय देयताएं	23,562.70	23,562.70	18,751.75	18,751.75
कुल	**3,09,903.18**	**3,02,578.37**	**2,63,072.84**	**2,64,555.04**

उचित मूल्य पर न मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की मूल्यांकन पद्धतियां

उपर्युक्त वित्तीय दस्तावेजों, जो रिकार्ड नहीं किए गए हैं और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर नहीं मापे गए हैं, के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त सिद्धांत तथा अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। ये उचित मूल्य केवल प्रकटन प्रयोजन के लिए परिकलित किए गए थे। निम्नलिखित सिद्धांत तथा अवधारणाएं केवल उपर्युक्त तालिकाओं में दस्तावेजों से संबंधित हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, जिनकी अल्पावधि परिपक्वता (बारह माह से कम) है, के लिए ली जाने वाली धनराशि जो हानि का निवल हैं, उनके उचित मूल्य के उपयुक्त लगभग हैं। इन दस्तावेजों में नकद एवं शेष, व्यापार प्राप्य, संविदा परिसंपत्तियां, नकद एवं नकद समतुल्य को छोड़कर, शेष व्यापार प्राप्य और विशिष्ट परिपक्वता के बिना संविदा देयता शामिल हैं।

ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य का परिकलन पोर्टफोलियो आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करके, समान विशेषताओं पर आधारित समान समूहों में यथा संभव ऋणों का समूह बनाकर परिकलित किया जाता है। कंपनी फिर छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडलों, जो ऋणों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करके ब्याज दर अनुमानों को शामिल करते हैं, का प्रयोग करके पूरे पोर्टफोलियो में उचित मूल्य का परिकलन एवं बहिर्वेशन करती है। जहां यह सूचना उपलब्ध नहीं होती है, कंपनी ऐतिहासिक अनुभव तथा अपने सामूहिक हानि मॉडलों में प्रयुक्त अन्य सूचना का प्रयोग करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के मूल्य वास्तविक अथवा अनुमानित राशियों का प्रयोग करते हुए और प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम को शामिल करते हुए उन राशियों में से घटाकर संविदागत नकद प्रवाह पर आधारित छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किए जाते हैं।

जारी किए गए ऋण

कंपनी की निर्धारित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और सहायक देयताओं का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर दर्शाने वाली छूट दर का प्रयोग कर छूटशुदा नकद प्रवाह ("डीसीएफ") पद्धति लागू कर निर्धारित किया जाता है। 31 मार्च, 2020 को निजी गैर–निष्पादक जोखिम अपर्याप्त मूल्यांकित किया गया था।

कंपनी द्वारा ली गई अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियां, उधार और सहायक देयताएं परिवर्ती दर सुविधाएं हैं जो उल्लिखित ब्याज दर तत्वों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अधीन, इन सुविधाओं पर पहला ऋण कंपनी के ऋण योग्यता में परिवर्तनीय से परिवर्तन के अधीन है। प्रबंधन का विश्वास है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों से अनुमानित रूप से निकट हैं। अतः प्रबंधन यह आकलन करता है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित लिए जाने वाले मूल्यों के लगभग है।

50. ऐसे कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिनके लिए कंपनी की देयता बकाया है, जो कि 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार 45 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत इस जानकारी का प्रकटन किया जाना आवश्यक है। इसका निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर चिह्नित किए गए ऐसे पक्षकारों की स्थिति के आधार पर किया गया है।

51. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरणः

51.1 संबंधित पक्षकारों की सूची

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री संजीव कुमार गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 01 जून 2020 से एवं निदेशक (तकनीकी)
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) 31 मई 2020 तक
श्री अजय चौधरी	निदेशक (वित्त) 01 जून 2020 से
श्री प्रवीण कुमार सिंह	पीएफसी के नामित निदेशक (गैर– कार्यकारी निदेशक 18 जून 2019 से)
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर– कार्यकारी निदेशक 2 सितंबर 2019 से)
डॉ. अरुण कुमार वर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर–कार्यकारी निदेशक 2 सितंबर 2019 तक)
डॉ. भागवत किशनराव कराड	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (11 मार्च 2020 तक)
श्रीमती आशा स्वरूप	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (7 फरवरी 2020 तक)
श्री अरवमुदन कृष्णा कुमार	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (12 नवंबर 2019 तक)
प्रोफेसर टी. टी. राम मोहन	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (12 नवंबर 2019 तक)
श्री जे.एस. अमिताभ	कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

(2) मुख्य होल्डिंग कंपनी

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

(3) अनुषंगी कंपनियाँ

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(4) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड

चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड

कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड

दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड

मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड – पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) 29 अगस्त 2019 को हस्तांतरित की गयी।

भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड – 11 सितंबर, 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड–12 सितंबर, 2019 को स्टेरलाइट ग्रिड को हस्तांतरित की गयी।

अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड– 03 अक्टूबर, 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड – 14 अक्टूबर 2019 को अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई।

लकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड–13 नवंबर 2019 को अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई।

जम खम्बालिया ट्रांस्को लिमिटेड – 13 नवंबर 2019 को अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई।

रामपुर संभल ट्रांस्को लिमिटेड – 02.05.2019 को निगमित की गई और 12 दिसंबर, 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

(5) संयुक्त उपक्रम

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

क्रेगटन एनर्जी लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईईएसएल एनर्जीप्रो असेस्ट्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना एक्विजिशन लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एनेस्को एनर्जी सर्विसेज साउथ लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना अस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

स्टेनबैक लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना यूके लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना पावर लिमिटेड लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

अरमौरा होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईपीएसएल ट्राई जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड

(6) नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास

आरईसी लिमिटेड अंशदान भविष्य निधि न्यास

आरईसी उपदान निधि

आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास

आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा न्यास

(7) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी

आरईसी फाउंडेशन

लेखा संबंधी टिप्पणियां

मुख्य नियंत्रक कंपनी की निम्नलिखित जुड़े पक्षकार आरईसी के जुड़े पक्षकार हैं:

(1) धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 मई 2020 तक)
श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लोन	निदेशक (परियोजना) 12 जून, 2019 से 31 मई 2020 तक , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 1 जून 2020 से
श्री नवीन भूषण गुप्ता	निदेशक (वित्त)
श्री प्रवीण कुमार सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक)
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजना) – 30 अप्रैल, 2019 तक
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सरकार द्वारा नामित (गैर – कार्यकरी निदेशक 28 अगस्त 2019 से)
श्री अरुण कुमार वर्मा	सरकार द्वारा नामित (गैर – कार्यकरी निदेशक 27 अगस्त 2019 तक)
श्रीमती गौरी चौधरी	अंशकालिक गैर – सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री रामचन्द्र मिश्रा	अंशकालिक गैर – सरकारी स्वतंत्र निदेशक 11 जुलाई 2019 से
श्री सीताराम पारिक	अंशकालिक गैर – सरकारी स्वतंत्र निदेशक (5 फरवरी 2020 तक)
श्री मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव

(2) धारक कंपनी की मुख्य अनुषंगी कंपनियां

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)

पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्रा.) लिमिटेड (पीईसीएपी) (पीईसीएपी का स्वैच्छिक समापन विद्युत मंत्रालय,भारत सरकार के विचाराधीन है।)

(3) धारक कंपनी की संबद्ध कंपनियां

बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड
बिहार मेगा पावर लिमिटेड
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
कोस्टल महाराष्ट्रा मेगा पावर लिमिटेड
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
देवघर इंफ्रा लिमिटेड
देवघर मेगा पावर लिमिटेड
घोघरापल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड
ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड
ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड
भुज–II ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से– 16 अक्तूबर, 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की गई।)

बिजवाड़–विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल – नेशनल कमेटी ऑन ट्रांसमिशन (एनसीटी) के माध्यम से योजना/आईटीपी को बंद करने/अधिसूचना को रद्द करने के लिए पहले ही सिफारिश कर चुका है)। बीकानेर–खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से– 19 सितंबर, 2019 को अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई)

फतेहगढ़–II ट्रांस्को लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से– 14 अक्तूबर, 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की गई)

करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से 20 नवंबर, 2019 को निगमित)

कोप्पल नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से 18 नवंबर, 2019 को निगमित)

लाकड़िया–वड़ोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से– 26 नवंबर, 2019 को स्टेरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई)

मेरठ –सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम– से 19.12.2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की गई)

शोंगटोंग–करछम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से– हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से – हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)

वापी–II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(4) धारक कंपनी की नियोजन पश्चात हितलाभ योजना

पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास

पीएफसी कर्मचारी उपदान न्यास

पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007

पीएफसी लि. अधिवर्षिता चिकित्सा निधि

51.2 संबद्ध पक्षकारों से/को बकाया राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
आरईसीपीडीसीएल		
ऋण प्रतिभूतियां	10.44	10.44
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2.73	1.37
अन्य वित्तीय देयताएं	3.77	0.49
आरईसी टीपीसीएल		
ऋण प्रतिभूतियां	47.00	60.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1.26	0.36
नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतिया	8.70	3.00
ऋण प्रतिभूतियां (धारक कंपनी)		18.50
अन्य वित्तीय देयताएं–भारत सरकार के सर्विस्ड बॉण्ड	29.30	29.30
अन्य वित्तीय देयताएं– अन्य	0.38	31.78
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.21	2.77
मुख्य धारक कंपनी का नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	4.10	4.10
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.10	1.00
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.33	0.46
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.12	0.10

51.3 वर्ष के दौरान अनुषंगी कंपनियों के संबंध में बकाया ऋण / अग्रिम / निवेश की अधिकतम राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण एवं अग्रिम		निवेश	
	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
आरईसीटीपीसीएल	2.47	1.16	0.05	0.05
आरईसीपीडीसीएल	2.92	3.08	0.05	0.05

51.4 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड		
प्रदत्त लाभांश	1,143.44	-
निदेशक के बैठक का शुल्क	0.02	-
आरईसी पीडीसीएल		
संवितरित की गई सरकारी फंड	0.02	0.62

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
कर्मचारी लाभ और अन्य व्यय का विभाजन	7.37	8.94
लाभांश आय –	-	22.55
वित्त लागत – प्रदत्त ब्याज	0.84	0.84
अन्य व्याय	9.68	10.56
आरईसी टीपीसीएल		
कंपनी के बॉण्ड्स का सब्सक्रिप्शन	12.00	-
संवितरित की गई सरकारी फंड	9.50	11.35
कर्मचारी लाभ और अन्य व्यय का विभाजन	4.91	4.39
लाभांश आय	50.00	68.29
वित्त लागत – प्रदत्त ब्याज	4.76	4.70
अन्य व्यय	0.61	0.77
नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	31.78	99.58
कंपनी द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	5.70	-
भारत सरकार द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	29.30
होल्डिंग कंपनी द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	1.40	-
वित्त लागत – प्रदत्त ब्याज	1.70	0.27
मुख्य धारक कंपनी के नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
कंपनी के बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	-
वित्तीय लागत– प्रदत्त ब्याज	0.33	-
मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय	0.01	0.09
वित्त लागत	0.02	0.02
कर्मचारी लाभ व्यय – प्रबंधकीय पारिश्रमिक	2.45	2.65
निदेशकों का बैठक शुल्क	0.17	0.24
मुख्य धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
वित्तीय लागत	0.01	-

51.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन की निबंधन और शर्तें

कंपनी संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन करती है जो बड़ी निकटता से अर्थात आर्म की लंबाई के आधार पर किए जा रहे हैं। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और कर्मचारी ऋण कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप दिए जाते हैं। इसके अलावा, संबंधित पक्षकारों को भुगतान की गई वित्तीय लागत कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण उत्पन्न होती है और ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉण्डधारकों के लिए समान रूप से लागू होती है। कंपनी अपनी सहायक कंपनियों को स्थापना और प्रशासनिक खर्चों के अपवर्जन के मद में अग्रिम राशियों का भी भुगतान करती है, जो मासिक आधार पर वसूल किए जाते हैं। भले ही वर्ष के अंत में सहायक कंपनियों की बकाया शेष राशि असुरक्षित होती हैं, फिर भी कंपनी ने संबंधित पक्षकारों द्वारा बकाया राशि से संबंधित प्राप्तियों पर कोई क्षतिपूर्ति दर्ज नहीं की है। यह आकलन इस प्रकार दिए गए अग्रिमों की अल्पकालिक वसूली के आधार पर किया जाता है।

59.6 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i)	अल्पावधि कार्मिक लाभांश	2.25	2.44
(ii)	कार्मिक पश्चात लाभांश	0.20	0.21
कुल		2.45	2.65

चूंकि, उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए देयताएं प्रत्येक अलग–अलग कर्मचारी के बजाए समग्र रूप से कंपनी के लिए वास्तविक आधार पर लिए जाते हैं, अतः विशेष रूप से केएमपी से संबंधित धनराशि ज्ञात नहीं है और इसीलिए उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं की गई है। उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति उपर्युक्त तालिका में संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल की गई है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.7 उसी सरकार (कंपनियों से संबंधित सरकार) के नियंत्रणाधीन कंपनियों के संबंध में प्रकटन

सरकार से संबंधित एंटीटियों की सूची

कंपनी का वर्ष के दौरान सरकार से संबंधित एंटिटियों से लेन–देनः
भारतीय रेल बिजली कंपनी लि.
भिलाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड
बिहार ग्रिड कंपनी लि.
दामोदर घाटी निगम
नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड
नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लि.
एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लि.
पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
टीएचडीसी इंडिया लि.
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

सरकार से संबंधित एंटिटियों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
ऋण का संवितरण	1,437.18	3,583.67
ब्याज आय को मान्यता	2,139.65	1,935.27

सरकार से संबंधित एंटिटियों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
ऋण परिसंपत्तियां	21,612.09	21,034.76
ब्याज उपचित	248.04	15.88

केंद्र सरकार के साथ वास्तविक लेन–देन के संबंध में टिप्पणी संख्या 11,18.2(i), 20 और 29 देखें।

52 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 "पट्टे" के संबंध में प्रकटन

कंपनी ने दिनांक 30.03.2019 को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 के जरिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित किए अनुसार दिनांक 01.04.2019 से संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग कर भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 – "पट्टे" को अपनाया था। इस मानक के अंतर्गत कंपनी को इस बात की आवश्यकता होती है कि वह भविष्य में इस तरह के पट्टों के लिए देय राशियों के संबंध में समतुल्य पट्टे पर देय परिसंपत्ति के रूप में तुलन पत्र में प्रत्येक पट्टे को मान्यता दे। हालांकि, कंपनी ने अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के संबंध में मान्यता देने के लिए छूट का प्रयोग किया है। लघु अवधि के पट्टों में समाप्ति के विकल्प के साथ पट्टे शामिल होते हैं, जहां ऐसे पट्टों को समाप्त करने के लिए कोई बड़ी आर्थिक हानि नहीं होती है। इस तरह के समझौते पट्टा–परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करने और कंपनी की व्यावसायिक जरूरतों के साथ उन्हें संरेखित करने के लिए किए जाते हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान, अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय ₹ 11.41 करोड़ हैं। राइट–ऑफ–यूज एसेट्स सहित सभी पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह ₹ 11.46 करोड़ है।

नीचे दी गई पट्टा देयताओं की धारित राशि (उधारी के तहत शामिल) और वर्ष के दौरान संचलन के लिए नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20
प्रारम्भिक शेष	**0.11**
अवधि के दौरान अर्जित वित्त लागत	0.01
वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	(0.05)
समाप्ति पर शेष	**0.07**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2020 तक पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार
1 वर्ष	0.03
1–5 वर्ष	0.04
5 वर्ष से अधिक	-

53. भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के तहत अपेक्षित कर्मचारी लाभों के लिए प्रकटन

53.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत पंजीकृत पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि का निर्धारित अंशदान देता है जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। न्यास सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले योगदान पर ब्याज की दर घोषित करेगा जो वर्ष के दौरान इसके निवेशों के अर्जित लाभ पर आधारित होगा। साथ ही यह 'कर्मचारी भविष्य निधि' द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर के आधीन होगा। निश्चित की गई लाभ की दर के अनुसार सदस्यों को दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान संबंधी किसी कमी को कंपनी के द्वारा निदान किया जाएगा। कंपनी का अनुमान है कि इस संबंध में निकट भविष्य में किसी प्रकार की देयता की समस्या नहीं होगी और इसीलिए किसी भी अग्रिम प्रावधान पर विचार किया जाना आवाश्यक नहीं है।

ख. परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी एनपीएस न्यास/पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर अधिवर्षिता योजना के निमित्त निर्धारित अंशदान देती है जो निधियों का अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। एनपीएस न्यास/पृथक न्यास में शेष में संचित आय सहित सदस्यों के खाते में मासिक अंशदान शामिल होता है। जब सदस्य को पेंशन देय होती है तो सदस्य के खाते में रही राशि का विनियोजन सदस्य के संचय के निमित्त किया जाता है और सदस्य द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार वार्षिकी आबंटित की जाती है।

कंपनी ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के निमित्त 15.10 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष 14.59 करोड़ रुपए) का व्यय माना है।

53.2 परिभाषित लाभ योजनाएं – नियोजन पश्चात लाभ

क. उपदान

कंपनी में एक परिभाषित उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, यथासंशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिवर्षिता, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, अपंगता अथवा मृत्यु पर अधिकतम 0.20 करोड़ रुपए के अधीन पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर उपदान का हकदार होता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	36.82	42.41
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	35.47	44.15
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	1.35	(1.74)

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**42.41**	**52.59**	**44.15**	**48.66**	**(1.74)**	**3.93**
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	2.27	2.59	-	-	2.27	2.59
विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
ब्याज लागत/आय	2.95	4.00	3.40	3.71	(0.45)	0.29
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	**5.22**	**6.59**	**3.4**	**3.71**	**1.82**	**2.88**
ओसीआई में शामिल						
पुनः मापन हानि (प्राप्ति)						
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	1.82	(0.31)	-	-	1.82	(0.31)
– जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	-	(1.44)	-	-	-	(1.44)
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.89)	(3.69)	-	-	(0.89)	(3.69)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	-	-	(0.41)	0.22	0.41	(0.22)
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**0.93**	**(5.44)**	**(0.41)**	**0.22**	**1.34**	**(5.66)**
भागीदारों द्वारा अंशदान			-	2.84	-	(2.84)
कर्मचारियों द्वारा अंशदान			0.06	0.05	(0.06)	(0.05)
भुगतान किए गए हितलाभ	(11.74)	(11.33)	(11.73)	(11.33)	(0.01)	-
वर्ष समाप्ति पर शेष	**36.82**	**42.41**	**35.47**	**44.15**	**1.35**	**(1.74)**

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्त के बाद चिकित्सा सुविधा है जिसके तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार शामिल किया जाता है। इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और एक पृथक न्यास द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इसके निमित्त देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	136.42	129.77
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	140.64	97.99
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	(4.22)	31.78

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**129.77**	**105.19**	**97.99**	**-**	**31.78**	**105.19**
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	2.80	2.06	-	-	2.80	2.06
विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत/आय	**9.73**	**7.99**	**7.55**	**1.25**	**2.18**	**6.74**
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	**12.53**	**10.05**	**7.55**	**1.25**	**4.98**	**8.80**
ओसीआई में शामिल						

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
पुनःमापन हानि (प्राप्ति)	18.85	(6.34)	-	-	18.85	(6.34)
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	-	1.20			-	1.20
– जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(15.32)	29.44	-	-	-15.32	29.44
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	-	-	3.32	-	-3.32	-
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**3.53**	**24.30**	**3.32**	**-**	**0.21**	**24.30**
भागीदारों द्वारा अंशदान	-	-	31.78	96.74	(31.78)	(96.74)
भुगतान किए गए हितलाभ	(9.41)	(9.77)	-	-	(9.41)	(9.77)
वर्ष समाप्ति पर शेष	**136.42**	**129.77**	**140.64**	**97.99**	**(4.22)**	**31.78**

ग. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी में सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की स्थायी अपंगता/मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना वित्तपोषणरहित है और देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
–ईआरएस	4.25	3.69

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	**3.69**	**3.34**
लाभ अथवा हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.16	0.18
ब्याज लागत/आय	0.26	0.25
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	**0.42**	**0.43**
ओसीआई में शामिल		
पुनः मापन हानि (प्राप्ति)		
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.34	(0.02)
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.99	0.75
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**1.33**	**0.73**
भुगतान किए गए हितलाभ	(1.19)	(0.81)
वर्ष समाप्ति पर शेष	**4.25**	**3.69**

53.2.1 जोखिम प्रकटन

कंपनी अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कई जोखिमों को लेती है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

(i) परिसंपत्ति अस्थिरता

अधिकतर योजना परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च दर वाली ग्रेडों और म्युच्युअल फंडों के साथ अन्य निर्धारित आय प्रतिभूतियों में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों तथा अन्य बाजार और सूक्ष्म आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के अधीन होता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ii) छूट दर में परिवर्तन

परिभाषित लाभ योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य छूट दर का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार परिणामों के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, यद्यपि यह योजनाओं के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट होगी।

(iii) दीर्घता जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य वर्ष के दौरान योजनागत प्रतिभागियों की मृत्यु और उनके नियोजन के बाद सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। योजनागत प्रतिभागियों की जीवन आशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) वेतन जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजनागत प्रतिभागियों के भावी वेतनों के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, योजनागत प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

53.2.2 योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नलिखित हैः:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ	
	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
नकद एवं नकदी समतुल्य	**0.93**	**0.61**	**3.40**	**0.65**
अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां				
कारपोरेट बॉण्ड / डिबेंचर	-	-	137.24	97.34
अन्य – बीमाकर्ता का फंड एवं टी–बिल प्रतिबंधित	34.54	43.54	-	-
उप – जोड़ – अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	**34.54**	**43.54**	**137.24**	**97.34**
जोड़	**35.47**	**44.15**	**140.64**	**97.99**

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक आय ₹ 13.86 करोड़ (पूर्व वर्ष ₹ 5.16 करोड़) है।

53.2.3 महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणाएं

योजनागत परिसंपत्तियों का सबसे हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य मैसर्स ट्रांसवेल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा 31 मार्च, 2020 के अनुसार दिया गया था। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा विगत सेवा लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके मापी गई थी। बीमांकिक मूल्यांकनों के लिए प्रयुक्त मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
विधि का उपयोग	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**
योजनागत परिसंपत्तियों पर रियायती दर और प्रत्याशित प्रतिफल, यदि वित्त पोषित है	6.72%	7.71%	6.72%	7.71%	6.72%	7.71%
भविष्य की वेतन वृद्धि / चिकित्सा मुद्रास्फीति	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
कर्मचारियों के काम के प्रत्याशित औसत शेष जीवन (वर्ष)	15.41	13.12	15.41	13.12	15.41	13.12

अवधारणाएं छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन हैं। छूट दर सामान्यतः उस अवधि में रिपोर्टिंग तारीख को सरकारी बॉण्डों पर उपलब्ध बाजार परिणामों के आधार पर होती है जो देयताओं के अनुरूप होती है और वेतन वृद्धि दर दीर्घावधि आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों ध्यान में रखती है। उपर्युक्त सूचना बीमांकन द्वारा प्रमाणित है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

53.2.4 संवेदनशीलता विश्लेषण

एक संगत बीमांकिक अवधारणा में रिपोर्टिंग तारीख को उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तनों को अन्य अवधारणाओं को स्थिर रखने से नीचे दर्शाई गई राशि तक परिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित हुआ होता।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% संचलन)				
–उपदान	(0.77)	0.94	(0.89)	1.10
–पीआरएमएस	(10.02)	10.48	(0.77)	0.84
–ईआरएस	(0.15)	0.17	(0.13)	0.15
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचल)				
–उपदान	0.14	(0.11)	0.15	(0.12)
–पीआरएमएस	-	-	-	-
–ईआरएस	0.16	(0.14)	0.14	(0.12)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचल)				
–पीआरएमएस	9.74	(9.39)	6.31	(5.92)
चिकित्सा लागत (10% संचलन)				
–पीआरएमएस	13.99	(13.42)	12.98	(12.98)

उपर्युक्त प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक–दूसरे के अलग होने में होंगे क्योंकि कुछ अवधारणाएं सह–संबंधित हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित परिणाम कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित नकद बहिर्प्रवाह से मेल खा रहे हैं। निवेश ऐसे सुविविधीकृत हैं कि किसी भी एक निवेश की विफलता का परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। पूर्व अवधियों से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

53.2.5 भावी वर्षों में परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
एक वर्ष से कम	11.95	13.10	9.89	10.38	1.26	0.88
1 से 5 साल तक	15.95	31.68	47.71	64.73	2.83	3.35
5 साल से परे	32.68	31.98	231.09	254.11	5.35	3.12
कुल	**60.58**	**76.76**	**288.69**	**329.22**	**9.44**	**7.35**

53.2.6 अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
प्रत्याशित अंशदान	3.29	1.72	-	34.74	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.57 वर्ष है (31.03.2019 को – 12.76 वर्ष)।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

53.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

53.3.1 अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश

आरईसी में कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्धवेतन अवकाश लाभ के लिए प्रावधान है जो अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन लगता है। अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश सेवाकाल के दौरान किसी समय संचित किया जा सकता है। यद्यपि, अर्धवेतन अवकाश को संचित करने की कोई सीमा नहीं है। आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कर्मचारी केवल एक वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद अवकाश नकदीकरण के पात्र हैं और अलग होने के समय पूरी राशि दी जाती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है। इन कर्मचारी लाभों के निमित्त कुल 7.75 करोड़ रुपए की व्यय राशि (पूर्व वर्ष 7.26 करोड़ रुपए) दी गई है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में नामे डाली गई है।

53.3.2 अन्य कर्मचारी लाभ

लंबी सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ता के निमित्त 0.93 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष 1.43 करोड़ रुपए) का व्यय बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में नामे डाला गया है।

53.4 इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में प्रतिनियुक्ति/सेकेंडमेंट के आधार पर कार्यरत कंपनी के कर्मचारियों के संदर्भ में कर्मचारी लाभों (अर्थात ग्रेच्युटी, पीआरएमएफ, सीमांत लाभ, छुट्टी नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभ) का आवंटन कर्मचारी लागत के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर किया जा रहा है।

54. राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) – जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित मौजूदा इकाइयों को 23 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए विभाजन आदेश के जरिए पुनर्गठित कर दिया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ समझौतों पर अमल अभी होना बाकी है। इस तरह से प्रलेखन का निष्पादन लंबित होने के कारण, उत्पादन, टी एंड डी और सरकारी योजनाओं को मौजूदा ऋण समझौतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जा रही हैं/का पुनर्भुगतान किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

(i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव–निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।

(ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव–निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/नव–निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव–निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।

(iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।

(iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव–निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग–अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

55. कंपनी के प्रचालनों में केवल एक क्षेत्र आता है – विद्युत संयंत्रों के निर्माण और विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और पारेषण में लगी विद्युत क्षेत्र के कंपनियों को भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड द्वारा अपेक्षित व्यापार/भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में ऋण उधार देना। भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर मुख्य प्रचालन प्रभार निर्माता एक व्यापारिक क्षेत्र के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

55.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(क)	ऋण परिसंपत्तियों से आय	29,441.76	24,869.97
(ख)	सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शुल्क	19.52	83.02
(ग)	अल्पावधि अधिशेष फंड के प्रबंधन से आय	76.91	46.07
	कुल	**29,538.19**	**24,999.06**

55.2 इस कंपनी में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि समूह के प्राथमिक प्रचालन देश के भीतर किए जाते हैं।

55.3 किसी भी लेनदार ने वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2018–19 के दौरान समूह के राजस्व में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंशदान नहीं किया है।

56. परिसंपत्ति एवं देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक श्रृंखलाबद्ध मद के लिए 12 माह या इससे अधिक समय के भीतर वसूली/निपटान की जाने वाली संभावित राशि

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
		12 महीनों में	12 से अधिक महीने	12 महीनों में	12 से अधिक महीने
	परिसंपत्तियां				
(1)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	नकद एवं नकदी समतुल्य	1,678.03	-	342.94	-
(ख)	अन्य बैंक शेष	2,021.96	-	1,253.31	-
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	1,180.60	2,138.25	325.46	1,477.12
(घ)	ऋण	28,989.11	2,83,094.39	27,977.30	2,42,473.62
(ङ)	निवेश	1,500.62	812.59	104.03	2,293.59
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4,229.32	17,852.27	515.48	17,827.00
	कुल – वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	**39,599.64**	**3,03,897.50**	**30,518.52**	**2,64,071.33**
(2)	**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	392.66	-	275.83
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	2,034.32	-	2,358.29
(ग)	निवेश संपत्ति	-	0.01	-	0.01
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	-	153.00	-	153.98
(ङ)	चल रहे पूंजीगत कार्य	-	287.62	-	196.94
(च)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	0.77	-	1.59
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	8.80	-	8.51
(ज)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	62.89	50.38	96.58	35.72
	कुल – गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	**62.89**	**2,927.56**	**96.58**	**3,030.87**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2)	**39,662.53**	**3,06,825.06**	**30,615.10**	**2,67,102.20**
	देयताएं				
(1)	वित्तीय देयताएं				
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	58.63	1,267.10	35.68	123.72
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	48,574.64	1,71,402.58	41,346.94	1,51,492.85

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	12 महीनों में	12 से अधिक महीने	12 महीनों में	12 से अधिक महीने
(ग) उधार (ऋण प्रतिभतियों के अलावा)	19,375.68	42,167.93	7,202.91	39,459.63
(घ) अधीनस्थ देयताएं	170.58	4,649.07	169.96	4,648.80
(ङ) अन्य वित्तीय देयताएं	1,953.40	21,609.30	924.75	17,827.00
कुल – वित्तीय देयताएं (1)	**70,132.93**	**241,095.98**	**49,680.24**	**2,13,552.00**
(2) गैर–वित्तीय देयताएं				
(क) प्रावधान	67.81	38.70	60.05	39.53
(ख) अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	70.74	4.87	82.54	-
कुल – गैर–वित्तीय देयताएं (2)	**138.55**	**43.57**	**142.59**	**39.53**
कुल देयताएं (1+2)	**70,271.48**	**241,139.55**	**49,822.83**	**2,13,591.53**

पूर्व वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/ पुनः समूहित किया गया है।

57. इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन–पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

58. कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों अर्थात आरईसीटीपीसीएल और आरईसीपीडीसीएल के निदेशक मंडल ने आरईसीटीपीएल ("ट्रांसफेरर कंपनी") के साथ आरईसीटीपीएल ("ट्रांसफरी कंपनी") के विलय की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे अपेक्षित अनुमोदन के अध्यधीन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा भी अनुमोदित किया गया है।

59. मास्टर निर्देश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा राशि लेने वाली कंपनी और जमा राशि लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) के निर्देश, 2016 के तहत आवश्यक प्रकटन नोट संख्या 3, 8, 9, 10, 19.1, 24.1, 41, 44, 45.1.3(पी), 45.1.3 (एस), 45.1.3 (टी), 45.2.2, 45.3, 46, 48, 51, 57, 60, 61 में किए गए हैं।

60. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है (पिछले वर्ष शून्य)।

61. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है (पिछले वर्ष शून्य)।

62. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

लेखा संबंधी 1 से 62 तक टिप्पणियां तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन–03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनीसनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135 एन

गौरव मित्तल
सदस्यता सं. : 099387
भागीदार

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020

आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)

पंजिकृत कार्यालय– कोर 4, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 (सीआईएन : L40101DL1969GOI005095

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी– क्रमागत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर–जमा करने वाली कंपनी और जमा करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2016 के पैराग्राफ 18, जहां तक आरईसी लिमिटेड पर इसे लागू करने का संबंध है, के अनुसार अपेक्षित ब्योरे)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
		बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
	देयता पक्षः				
(1)	**एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम**				
	जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:				
(क)	डिबेंचर/बॉण्ड्स :				
	– प्रतिभूत	40,004.39	-	49,470.47	-
	– अप्रतिभूत	1,82,845.62	-	1,41,361.86	-
(ख)	आस्थगित क्रेडिट	-	-	-	-
(ग)	आवधिक ऋण				
	–वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण	-	-	207.33	-
	–एनएसएसएफ से अप्रतिभूत ऋण	10,326.81		5,121.84	
	–बैंको से अप्रतिभूत ऋण	18,900.72		18,555.08	
	–वित्तीय संस्थाओं से अप्रतिभूत ऋण	1,000.00		1,000.00	
(घ)	वाणिज्यिक दस्तावेज	2,925.00	-	7,975.00	-
(च)	अन्य ऋण				
	– विदेशी मुद्रा उधारियां	21,813.83	-	17,705.96	-
	–एफसीएनआर (बी) ऋण	6,985.80	-	4,327.72	-
	–अल्पावधि ऋण / मांग पर ऋण प्रतिदेय	2,750.92		-	
	–फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन	0.07		0.11	

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
	परिसंपत्ति पक्षः		
(2)	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं पेशगियों का ब्योरा**		
	(क) प्रतिभूत	2,35,477.68	2,05,679.19
	(ख) अप्रतिभूत	75,045.36	64,127.98
(3)	**निवेश :**		
	चालू निवेश :		
	उद्धृतः		
	(i) शेयरः इक्विटी	12.50	-
	अनुद्धृतः		
	(i) शेयरः (क) प्रेफेरेंस	68.34	-
	दीर्घावधि निवेश		
	उदघृत :		
	(i) शेयरः इक्विटी	507.43	640.81
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	1,500.62	1,556.87
	अनुद्धृतः		
	(i) शेयरः (क) इक्विटी	218.20	146.60
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	-	-
	(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	6.12	6.18
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	47.16

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह–वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रावधानों की निवल राशि	
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत
31 मार्च 2020 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	3.99
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	0.33
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	**2,35,477.68**	**75,041.04**
जोड़	**2,35,477.68**	**75,045.36**
31 मार्च 2019 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	1.72
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	0.46
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	**2,05,679.19**	**64,125.80**
जोड़	**2,05,679.19**	**64,127.98**

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह–वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार				
(क) अनुषंगी कंपनियां	0.10	0.10	0.10	0.10
(ख) समान समूह की कंपनियां	218.10	218.10	146.50	146.50
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	2,095.01	2,095.01	2,251.02	2,251.02
जोड़	**2,313.21**	**2,313.21**	**2,397.62**	**2,397.62**

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i) सकल जमा – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	21,255.55	20,348.44
(ii) निवल जमा – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	10,703.42	10,649.49
(iii) ऋण के समाधान हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियाँ	-	-

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन–03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनीसनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. रू 001135 एन

गौरव मित्तल
सदस्यता सं. : 099387
भागीदार

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) के सदस्य

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

राय

हमने आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) ("कंपनी") के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन पत्र तथा लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) के विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात "स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी" के रूप में संदर्भित) सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर नोट शामिल हैं।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा जिस प्रकार से अपेक्षित हो, इस प्रकार से सूचना देते हैं और कंपनी की दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में स्टैंडअलोन परिवर्तन और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके स्टैंडअलोन नकद प्रवाह तथा इसके सार की स्टैंडअलोन स्थिति का भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

विचार बिन्दु का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इस समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इस अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का महत्व

1. हम स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 45.1.3 के संबंध में, इसकी ऋण परिसंपत्तियों तथा इसके लिए कंपनी की ओर से नियुक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के आधार पर असंवितरित आश्वासन पत्रों के संबंध में क्षति भत्ते के प्रावधान की ओर ध्यान आकृषित करते हैं। क्षति भत्ते का निर्धारण, जिस पर हमने भरोसा किया है, शामिल कुछ तकनीकी और व्यावसायिक विशेषता मानदंडों पर विचार करने के आधार पर किया गया है।
2. हम कंपनी पर महामारी कोविड–19 के प्रभाव के संबंध में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 47 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रबंधन का यह मत है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि महामारी से एक चालू संस्था के रूप में कंपनी की क्षमता पर कोइ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तथापि, भविष्य में महामारी में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रभाव अनिश्चित है और यह भावी वर्षों में क्षति भत्ते को प्रभावित कर सकती है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय परिवर्तित नहीं है।

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले ("केएएम") वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे। इन मामलों का समाधान सम्पूर्ण रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उसके संबंध में अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं रखते हैं।

हमने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में किया है:

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**ऋण परिसंपत्तियों का क्षति भत्ता –** (लेखांकन नीति सं. 3.10 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 45.1.3 के संदर्भ में) कंपनी एक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन करती है, जिसमें भत्ते का मूल्यांकन, क्षति के साक्ष्य के स्तर एवं क्रेडिट जोखिम के आधार पर विभिन्न चरणों में परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने वाले कुछ मानदंड/रूपरेखा पर आधारित क्षति के लिए एक बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाता है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है:** भारतीय लेखांकन मानक 109 "वित्तीय लिखत" के उपबंधों के अनुसार, हमने अन्य पक्ष की रिपोर्ट प्राप्त की है और क्षति भत्ते के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं सहित विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/रूपरेखा को सत्यापित किया है।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**ऋण परिसंपत्तियों का क्षति भत्ता –** क्षति भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते में दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है। क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित मुख्य संकेतकों को प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर मूल्यनिरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने अंगीकृत उपरोक्त मॉडल के अलावा एक कार्यप्रणाली को अपनाया है, जिससे प्रत्येक मामले के अनुसार और छानबीन की जाती है तथा क्षति प्रभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता होने पर, उसे वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है। एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते कंपनी वित्तपोषण के कारोबार में शामिल है और यदि उपरोक्त वर्णित किसी भी महत्वपूर्ण पैरामीटर/मानदंड/मान्यताओं को अनुचित तरीके से लागू किया जाता है, तो इसका परिणाम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऋण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर वास्तविक तौर पर प्रभावित कर सकता है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि अर्थात् कुल परिसंपत्ति का 90.07% के महत्व को देखते हुए, हमारी लेखापरीक्षा में ऋण परिसंपत्तियों की क्षति को मुख्य लेखापरीक्षा विषय समझा गया है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है:** ऋण क्षति के मूल्यांकन और रिकवरी/ निष्पादन पहलुओं के लिए उनकी मॉनीटरिंग के संबंध में ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन। मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करते हुए रिकवरियों को सत्यापित किया जाता है। ऋण शेष राशियों की पुष्टि की जाती है और उधारकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन एवं परीक्षण मुख्य नियंत्रण मापदंडों के साथ किया जाता है। ऋण परिसंपत्तियों के निष्पादन का मूल्यांकन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है, इन दस्तावेजों में ऋण पत्र, वित्तीय डेटा, मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, सावधिक वित्तीय जानकारी, पब्लिक डोमेन पर जानकारी, प्रबंधन द्वारा लागू प्रक्रिया अर्थात् ऋणों का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन, उधारकर्ता के पिछले रिकॉर्ड का आकलन करना आदि शामिल है। ऋण परिसंपत्तियों में होने वाली रिकवरियों को सत्यापित किया जाता है, ताकि उसके दबाव स्तर और वित्तीय विवरण पर क्षति भत्ते के रूप में प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके। हमने प्रबंधन के साथ, जहाँ भी अंतर्निहित कमजोरी देखी गई है, चर्चा की है और ऐसे मामलों में प्रबंधन मूल्यांकन को गहन रूप से किया जाता है। हम, अन्य पक्ष द्वारा किए गए क्षति भत्ते के अध्ययन में घटक और गणना पर भरोसा करते हैं और उसके लिए परीक्षण जांच की जाती हैं। इस तरह के घटक उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग, डिफॉल्ट/ऋण की चूक की संभावना की गणना आदि हैं। इसमें हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, ऐसे अन्य पक्ष द्वारा गोपनीय माने जा रहे अध्ययन के कुछ मापदंडों को साझा नहीं करने को ध्यान में रखते हुए सीमित है। इसके अलावा, प्रबंधन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक कार्यप्रणाली का पालन करते हुए अन्य पक्ष की रिपोर्ट में क्षति भत्ते की समीक्षा करता है और प्रत्येक मामले के आधार पर क्षति को संशोधित करता है। हमने इस तरह के संशोधन के लिए प्रबंधन से एक विस्तृत विश्लेषण प्राप्त किया है। इस संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, प्रबंधन के मूल्यांकन पर मजबूर है और हम उस पर भरोसा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.सं. 109/22.10.106/2019–20 के अनुसरण में सृजित किए गए आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण मानदंड (आईआरएसीपी) के संदर्भ में क्षति आरक्षित का सत्यापन।
2.	**व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन** (लेखांकन नीति सं.3.9 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के नोट सं. 8 के संदर्भ में) विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रति कंपनी के प्रकटन को कम करने के लिए, गैर–भारतीय रुपए नकदी प्रवाह को मॉनीटर किया जाता है और कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न अनुबंध किए जाते हैं। व्युत्पन्नों को भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रक्रिया को लागू किया है।** जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी के प्रबंधन की अवधारणा और अध्ययन नीति पर चर्चा करना और उसे समझना। व्युत्पन्न लेन–देनों का उद्देश्य अध्ययन है और देखा गया है कि यह अंतर्निहित जोखिम व्युत्पन्नों की मात्रा से अधिक नहीं है। भारतीय लेखांकन मानक 109 के संदर्भ में व्युत्पन्न के उचित मूल्य का सत्यापन

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
2.	**व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन** कंपनी ने प्रत्याशित प्रभाव से दिनांक 01 जनवरी, 2020 से भारतीय लेखांकन मानक 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार बचाव लेखांकन आवश्यकताओं को लागू कर दिया है, जिनमें कुछ व्युत्पन्न अनुबंधों को 'नकदी प्रवाह बचाव' संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रूमेंटों के रूप में नामोद्दिष्ट किया है। इन व्यवस्थाओं को, विदेशी मुद्रा में नामित कुछ ऋण लिखतों से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करने के लिए दर्ज किया गया है। हेज अकाउंटिंग ने अपने लेखांकन/ मान्यताओं की जटिलता और हेज संबंध स्थापित करने के लिए अनेक मापदंडों के साथ वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इन व्युत्पन्नों पर बाजार लाभ/हानि के चिह्न को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमने इसकी मुख्य लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रक्रिया को लागू किया है।** व्युत्पन्न लेन–देनों की सटीकता एवं पूर्णता का परीक्षण। वर्गीकरण, मूल्यांकन और व्युत्पन्न लिखतों के मूल्यांकन प्रतिरूपों पर प्रबंधन के मुख्य आंतरिक नियंत्रण। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी से निपटान के लिए शेष/लंबित विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों को ब्योरा प्राप्त करना। ऐसे वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्राप्त उचित मूल्य के प्राक्कलन में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन। प्रयुक्त मूल्यांकन कार्यप्रणालियों की उपयुक्तता की मूल्यांकन रिपोर्टों पर भरोसा करना तथा व्युत्पन्न लिखतों के लिए नमूना आधार पर उनकी जांच करना। हमने उन बैंकों से पुष्टि भी प्राप्त की हैं जिनके पास ऐसे वित्तीय विवरणों को दर्ज किया गया है तथा अनुबंधित बैंकों द्वारा प्राप्त मूल्यांकन की स्वतंत्र रूप से तुलना की है। इसके अतिरिक्त, हमने अन्य व्यापक आय में बाजार आधारित लाभ/हानि चिह्न के लेखांकन को सत्यापित किया है। यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण प्रकटन विद्यमान लेखांकन मानकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में व्युत्पन्न मूल्यांकन जोखिमों हेतु समुचित रूप से कंपनी का प्रकटन करते हैं।
3.	**कोविड–19 महामारी के संदर्भ में क्रियान्वित संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं** (स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 47 के संदर्भ में) कोविड–19 के लिए जिम्मेदार सार्स–कोव–2 वायरस भारत सहित विश्व में तेजी से फैल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता एवं गिरावट आई है। इसके वैश्विक और भारतीय आर्थिक गतिविधियां भी अत्यधिक रूप से भंग हुई हैं। 11 मार्च, 2020 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा कोविड –19 के प्रकोप को वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया गया। कोविड–19 महामारी के कारण, केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध लगाए गए। लॉकडाउन की अवधि वित्त वर्ष 2019–20 की समापन गतिविधियों के दौरान और उसके बाद जारी रहा। इसने हमारी लेखापरीक्षा अवधि को भी प्रभावित किया है। चूंकि अभूतपूर्व परिस्थिति के कारण व्यक्तिगत/वास्तविक रूप से लेखापरीक्षा साक्ष्यों की पहुंच बाधित हो गई थी, इसलिए लेखापरीक्षा को संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के साथ आयोजित किया जाना था। हमने ऐसी संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की मुख्य लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है।** कोविड–19 महामारी के चलते, केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा वित्त वर्ष की समापन अवधि के दौरान तथा हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और प्रतिबंध लगाए जाने के कारण, कंपनी ने भौतिक पहुंच प्रतिबंधित होने के फलस्वरूप दूरस्था लेखापरीक्षा करने की सुविधा प्रदान की थी। जहां तक भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां कंपनी द्वारा डिजिटल माध्यम/ईमेल और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयरों के जरिए आवश्यक अभिलेख/रिपोर्ट/दस्तावेज/प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए। इस सीमा तक, लेखापरीक्षा प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर की गई, जिन पर लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में और लेखापरीक्षा अधीन वर्ष के लिए रिपोर्टिंग करने के संबंध में हमारे द्वारा भरोसा किया गया था। हमने निम्नानुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को संशोधित किया है: क. हमें ई मेल के जरिए उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों और संबंधित अभिलेखों की स्कैन प्रतियों का सत्यापन किया। ख. वीडियों कांफ्रेंसिंग, फोन कॉल/कांफ्रेंस कॉल, ईमेल और इसी प्रकार के अन्य संचार साधानों के माध्यम से संवाद एवं विचार–विमर्श के द्वारा पूछताछ करना तथा आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करना।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
3.	**कोविड–19 महामारी के संदर्भ में क्रियान्वित संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं**	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है।** ग. वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने की अवधि को छोड़कर नामित अधिकारियों के साथ आमने–सामने का संपर्क करने के बजाय ईमेलों के जरिए/टेलिफोन द्वारा हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान करना। घ. महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति, अन्य व्यावसायिकों अर्थात् क्षति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली अन्य पक्ष एजेंसी, स्वतंत्र मूल्यांककों, आंतरिक लेखापरीक्षकों आदि के कार्य/रिपोर्ट इत्यादि को प्रभावित कर सकती है और इसलिए हमने उस पर भरोसा किया। ङ. हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने जिन जानकारी/स्पष्टीकरण पर भरोसा किया, वें सब हमें कंपनी द्वारा मौखिक अभिकथन के जरिए उपलब्ध कराई गई थी। च. यहां बताए गए विभिन्न साधनों के माध्यम से संपूर्ण संचार प्रक्रिया में, कंपनी के अभिलेख, जो गोपनीय हैं, भेजे गए हैं और यद्यपि, इस तरह के डेटा को एन्क्रिप्ट करके हमें बहुत सावधानी से बताया गया है, तथापि इस तरह के डेटा को अलग–अलग तरीकों से नुकसान की संभावना है। हमने कंपनी को इस संबंध में सूचित कर दिया है

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की से भिन्न सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट, निगमित सुशासन की रिपोर्ट, कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट और प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण आदि शामिल है, किंतु इसमें स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उन पर हमारी रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमें ऐसी अन्य जानकारी, इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत प्राप्त होना प्रत्याशित है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के संबंध में हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर आश्वासन संबंधी निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करते।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर में पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाए, को पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के अनुरूप है अथवा इस लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई जानकारी अथवा अन्य प्रकार से उसका वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता हो।

जब हम ऐसी अन्य जानकारी पढ़ते हैं तब यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया है तब यह अपेक्षित होता है कि हम इस मामले को शासन जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है, को सूचित करें।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो यथासंशोधित कंपनी ("भारतीय लेखांकन मानक") नियमावली 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की एक पारदर्शी और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने, जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उनका प्रयोग करनेय उन निर्णयों और अनुमानों जो उचित और विवेकपूर्ण हो, को तय करनेय और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करने और इसका अनुरक्षण करने, जो वित्तीय दस्तावेजों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप में कार्य कर रहे हों, और जो स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी को तैयार करने और प्रस्तुत करने में संगत हों, जो एक सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तथा जो वास्तविक गलत कथन से मुक्त हों, चाहे वह जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित वित्तीय रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी को तैयार करने में, कंपनी की वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए, जहां भी लागू हो, उसका खुलासा करने के लिए, वर्तमान चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार का उपयोग करते हुए इस समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल जिम्मेदार हैं, यदि प्रबंधन का उद्देश्य इस समूह का परिसमापन नहीं करने का हो अथवा इसके प्रचालनों को बंद करने का हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मण्डल कंपनी की वित्तीय संसूचन की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

हमारा उद्देश्य इसके संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी वस्तुपरक गलत सूचना से मुक्त हैं, चाहे वह जालसाजी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें हमारा विचार शामिल है, को जारी करने

के लिए स्वतंत्र है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा वस्तुपरक गलत सूचना का पता लगा लिया जाएगा जब यह होता हो। गलत कथन जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण होता है और इसे वास्तविक माना जाता है यदि इसे अलग–अलग रूप में अथवा कुल मिलाकर देखा जाए, उसके कारण उचित रूप से उन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के वस्तुपरक गलत कथन के जोखिमों चाहे वह किसी जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की पहचान करते हैं और उसका आकलन करते हैं, उन जोखिमों पर प्रभाव डालने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाते हैं और उसका कार्य निष्पादन करते हैं तथा लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य, जो हमारे विचार के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों, प्राप्त करते हैं। किसी जालसाजी के कारण उत्पन्न होने वाले वस्तुपरक गलत कथन का पता नहीं लगाने का खतरा उस खतरे की तुलना में अधिक होता है जो किसी त्रुटि के कारण होता हो क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, जानबूझकर चूक करना, गलत बयानी करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, का डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत, हम इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सक्रिय है और इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता कार्य कर रही है।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और उसके संबंध में कि किया गया खुलासा तथा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना, चाहे कोई वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में मौजूद हो, जो वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की क्षमता पर बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तब यह अपेक्षित है कि हम स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में संबंधित खुलासों के बारे में अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें और यदि इस प्रकार का खुलासा हमारे विचार में संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तब भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के लिए वर्तमान चिंता के रूप में जारी रहने से रोकने के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।
- खुलासों सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुती, ढांचा और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और यह कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी अंतर्निहित कारोबारों को दर्शाती हो और इसके साथ ही उस तरीके से घटनाओं को दर्शाती हो जिसे उचित रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

हम शासन का उत्तरदायित्व दिए गए सभी व्यक्तियों को, अन्य मामलों के साथ–साथ, योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा की अवधि और आंतरिक नियंत्रण संबंधी महत्वपूर्ण खामियों जिनकी हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं सहित, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्षों की सूचना देते हैं, जैसा कि **ऊपर दिए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों के पैरा 3 में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अधीन उल्लिखित है।**

हम उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों जिनके बारे में उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने के बारे में सोचा जा सकता हो और जहां भी लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षात्मक उपायों की भी सूचना देते हैं।

उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इस कारण से पूरी लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले होते हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, यदि कानून अथवा विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर रोक लगाता हो अथवा जब अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करते हैं कि इस मामले की सूचना अपनी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित से संबंधित लाभों पर उचित रूप से और अधिक भारी होने की आशा होगी।

अन्य मामले

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की तत्कालीन कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई, दोनों पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थीं, तथा उन्होंने ऐसे वित्तीय विवरणों पर दिनांक 24 मई, 2019 को अपनी रिपोर्ट के जरिए असंशोधित राय व्यक्त की थी।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथा अपेक्षित, और हमारे द्वारा उचित समझे गई कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर तथा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हमने **अनुलग्नक–क** में, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, यथा संभव लागू, एक विवरण प्रस्तुत किया है।
2. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमनें अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप–निर्देशों पर **अनुलग्नक–ख** के रूप में अपनी रिपोर्ट संलग्न की है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:

(क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी और नकद प्रवाह विवरण में परिवर्तन के विवरण, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, वे लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरण, संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

(च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

(छ) कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में कृपया हमारी पृथक रिपोर्ट **"अनुलग्नक–ग"** में देखें।

(ज) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर463(ई) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 के उपबंध सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं।

(झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(i) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरणों में, अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है – स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 40.1 के संदर्भ में;

(ii) कंपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं किया गया है।

मेसर्स एस. के.मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नाम : गौरव मित्तल
पदनाम : भागीदार
सदस्यता सं. 099387
यूडीआईएनः 20099387AAAABK4718

मेसर्स ओ.पी. बाग्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. 000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : भागीदार
सदस्यता सं. 092656
यूडीआईएनः 20092656AAAADS1054

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध–क

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

(i) (क) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के प्रमात्रात्मक ब्योरों तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाने के लिए अचल परिसंपत्ति अभिलेखों (संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर) का रखरखाव किया है।

(ख हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी में अचल परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर) को एक चरणबद्ध तरीके से सत्यापन करने संबंधी नीति है। ऐसे वास्तविक सत्यापन में पायी गयी विसंगतियों का लेखा बहियों में उपयुक्त रूप से हिसाब दिया गया है। हमारी राय में, वास्तविक सत्यापन की आवधिकता, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपात्तियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है।

(ग) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, निम्नलिखित को छोड़कर अचल संपत्तियों के विलेख कंपनी के नाम पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	मामलों की सं.	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	अभ्युक्ति
फ्रीहोल्ड भूमि	1	68.31	68.31	अभी हस्तांतरण विलेख हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जाना है।
बिल्डिंग	1	4.59	2.14	अभी हस्तांतरण विलेख सार्वजनिक उद्यमों की स्थायी समिति द्वारा निष्पादित किया जाना है।

(ii) बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते कंपनी की कोई फेहरिस्त (इनवेंटरी) नहीं है; इस प्रकार यह खंड लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्ष को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3(iii)(क), (ख) और (ग) लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में, तथा अधिनियम की धारा 185 के उपबंधों के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने धारा 185 के अनुसार किसी भी प्रकार का ऋण या गारंटी प्रदान नहीं किया है।

इसके अलावा, हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी को एक गैर बैंकिग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के कारण, ऋणों एवं गारंटियों के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के उपबंधों तथा अन्य लागू नियमों से छूट प्राप्त है तथा कंपनी ने निवेशों के संबंध में, अधिनियम की धारा 186 (1) उपबंधों का अनुपालन किया है।

(v) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लोगों से ऐसी कोई जमा राशियों को स्वीकार नहीं किया है, जिन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के उपबंध या अन्य संगत उपबंध और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होते हों।

(vi) हमारी जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार एक एनबीएफसी कंपनी होने के नाते, केंद्र सरकार ने कंपनी केउत्पादोंध्सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(vii) (क) हमारे द्वारा की गई जाँच और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी राय में कंपनी सामान्यतया, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय–कर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर तथा इस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करा रही है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कोई अविवादित सांविधिक देय बकाया राशियां, उनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिस पर हमारी सूचना आधारित है, कुल मिलाकर ₹ 28.42 करोड़ कि देय आय कर राशि विवादित / विरोध स्वरूप जमा नहीं की गई है, और मामला उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं: का ब्योरा निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

अधिनियम का नाम	देय राशियों का स्वरूप	जमा की गयी राशि	प्रदत्त / वापसी समायोजित राशि	अप्रदत्त निवल राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	फ्रिंज लाभ कर	0.48	0.40	0.08	2008-09	आयकर आयुक्त (अपील) दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	113.50	111.35	2.15	2010-11,2011-12, 2012-13,2017-18	आयकर आयुक्त (अपील) दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	79.32	71.43	7.89	2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली

अधिनियम का नाम	देय राशियों का स्वरूप	जमा की गयी राशि	प्रदत्त/वापसी समायोजित राशि	अप्रदत्त निवल राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	8.52	3.59	4.93	1998-99,1999-00, 2000-01,2006-07, 2009-10,2010-11, 2011-12	दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	17.06	3.76	13.30	1999-00,2003-04, 2004-05	सर्वोच्च न्यायालय
	टीडीएस	0.07	-	0.07		सीपीसी, टीडीएस
योग		**218.95**	**190.53**	**28.42**		

**'यद्यपि विभिन्न अपीलिय कोरम के अनुकूल निर्णय के अपील प्रभाव के कारण रिफंड / मांग शून्य के रूप में कंपनी द्वारा 26.13 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं तथापि उच्चतर प्राधिकारियों को आयकर विभाग द्वारा किए गए अन्य अपील के कारण इसे अप्रदत्त माना गया है।*

(viii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने तुलनपत्र की तिथि के अनुसार किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों को देय राशियों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(ix) कंपनी ने प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या अगले पब्लिक ऑफर के लिए किसी प्रकार की कोई राशि नहीं जुटायी थी। वर्ष के दौरान ऋण लिखतों एवं आवधिक ऋण के जरिए कंपनी द्वारा एकत्र धनराशि उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई जिसके लिए एकत्र किया गया था।

(x) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा परिपाटियों के अनुसार हमारे द्वारा की गई कंपनी की बहियों और रिकार्डों की जांच के दौरान तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी जानकारी में कंपनी द्वारा किसी वास्तविक धोखाधड़ी का अथवा उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के संबंध में की गई कोई धोखाधड़ी का कोई उदाहरण वर्ष के दौरान नहीं आया है और न ही सूचित किया गया है तथा न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

(xi) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों को धारा 197 के उपबंधों से छूट प्रदान की है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, यथा लागू संबंधित पक्षों के लेन–देन में अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया गया है तथा वित्तीय विवरणों आदि में आवश्यक प्रकटन किए गए हैं, जैसा कि लागू स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानकों में अपेक्षित है।

(xiv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरो या परिवर्तनीय डिबेंचरों का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvi) हमें सूचित किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के 45–आईए की धारा के अंतर्गत कंपनी गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है। कंपनी का जारी पंजीकरण संख्या 14.000011 है।

मेसर्स एस. के.मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नामरू गौरव मित्तल
पदनाम : भागीदार
सदस्यता सं. 099387
यूडीआईएनः 20099387AAAABK4718

मेसर्स ओ.पी. बाग्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. 000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : भागीदार
सदस्यता सं. 092565
यूडीआईएनः 20092656AAAADS1054

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध–ख

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ के संदर्भ में।

क्रम सं.	निर्देश	कृत कार्रवाई	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क.	**दिशानिर्देश**		
1.	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देनों की प्रक्रिया करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव सहित लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन–देनों की प्रक्रियाओं के प्रभाव बताए जाएं।	कंपनी आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन देन ईआरपी आर 12 संस्करण द्वारा किया है। क्षेत्रीय और राज्य कार्यालयों सहित पूरा लेखांकन केंद्रीकृत ईआरपी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
2.	क्या ऋण का पुनर्भुगतान करने में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को उधारदाता द्वारा दिए गए मौजूदा ऋणध्व्याज की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्निधारण है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए।	ऐसा कोई मामला नहीं था और कंपनी लगातार अपने ऋण तथा उधार के दायित्वों को पूरा करती आ रही है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का समुचित रूप से हिसाब रखा गया था/निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उसका उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची	कंपनी ने उपयोग के लिए केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं की हैं।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

मेसर्स एस. के.मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नामः गौरव मित्तल
पदनाम : भागीदार
सदस्यता सं. 099387
यूडीआईएनः 20099387AAAABK4718

मेसर्स ओ.पी. बाग्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. 000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : भागीदार
सदस्यता सं. 092656
यूडीआईएनः 20092656AAAADS1054

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध–ग

अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने, वर्ष समाप्ति की तिथि के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2020 के अनुसार कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग–निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग–निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग–दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकिः

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है।

(2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितयों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारे राय में, कंपनी के सभी वास्तविक पहलुओं को छोड़कर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनको कंपनी के 31 मार्च, 2020 के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

मेसर्स एस. के.मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नाम : गौरव मित्तल
पदनाम : भागीदार
सदस्यता सं. 099387
यूडीआईएनः 20099387AAAABK4718

मेसर्स ओ.पी. बाग्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. 000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : भागीदार
सदस्यता सं. 092656
यूडीआईएनः 20092656AAAADS1054

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल,
आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)
कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली– 110003

हमने आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है (इसमें इसके बाद ''स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित), की लेखापरीक्षा की है।

भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) की दिनांक 29 सितंबर, 2016 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.पीपीडी. 03/66.15.001/2016–17 के तहत जारी "गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016" द्वारा यथा अपेक्षित तथा उक्त निदेश के अध्याय–II के अनुच्छेद 3(ए) और 3(सी) में निर्दिष्ट मामलों पर कंपनी के लिए यथासंभव लागू प्रावधानों और लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

1. कंपनी का पंजीकरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45–आई ए के तहत दिनांक 10 फरवरी, 1998 को पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 14.000011 के तहत किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पूर्व के प्रमाणपत्र की एवज में दिनांक 17 सितंबर, 2010 को नया प्रमाणपत्र जारी किया, जिसमें आरईसी को दिनांक 12 फरवरी, 2010 के आरबीआई के परिपत्र सीसी संख्या 168 में निहित अनुदेशों के संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया। कंपनी का नाम रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड से आरईसी लिमिटेड हो जाने के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईसी लिमिटेड के नाम से दिनांक 28 नवंबर, 2018 को पंजीकरण सं. 14.000011 के तहत नया प्रमाणपत्र जारी किया है।
2. कंपनी, 31 मार्च, 2020 के अनुसार अपनी परिसंपत्ति/आय प्रतिरूप के संदर्भ में ऐसे पंजीकरण को नियमित रूप से धारित करने की पात्र है।
3. कंपनी, दिनांक 1 सितंबर, 2016 के मास्टर निदेश–गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से गैर–महत्वपूर्ण जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में यथा निर्धारित एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को लागू अपने स्वामित्व की निवल निधियों की अपेक्षाओं को पूरा करती है।
4. कंपनी के निदेशक मंडल ने, दिनांक 4 फरवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में, वर्ष 2019–20 के लिए किसी सार्वजनिक जमा राशि को स्वीकार न करने के संबंध में एक संकल्प पारित किया है।
5. कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
6. वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और इसके तहत जारी संबंधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के मान्य एवं माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

   तदनुसार, अपनी ऋण परिसंपत्तियों और उनके वर्गीकरण के प्रावधानीकरण के समक्ष क्षतिक्षति भत्ते की गणना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन कर रही है। कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधी कोई प्रणाली को अपनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के नियामक अनुपालन को ध्यान में रखते हुए कंपनी 2016 के निदेश के संदर्भ में अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए आय मान्यता, लेखांकन मानक, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी मानदंड) से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों काका पालन नहीं कर सकी। इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. डीओआर (एनबीएफसी) सी.सी. पीडी.सं.109/22.10.106/2019–20 के अनुपालन में, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 के तहत क्षति भत्ते और "क्षति आरक्षित" के लिए आईआरएसीपी मानदंड (मानक परिसंपत्ति प्रावधानीकरण सहित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों के बीच अंतर को उचित ठहराया है।
7. क) हमारी राय में, फार्म एनबीएस–7 में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत रिटर्न में प्रकट किया गया पूंजी पर्याप्तता अनुपात अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर सही प्रकार से प्राप्त हुआ है और ऐसा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर का अनुपालन करता है।

   ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत निधि, जोखिम परिसंपत्ति/जोखिम ऋण और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (एनबीएस–7 रिर्टन) के वार्षिक विवरण को कंपनी द्वारा अनंतिम वित्तीय परिणामों के आधार पर 15 मई, 2020 को जमा कर दिया गया है।

मेसर्स एस. के.मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नामः गौरव मित्तल
पदनाम : भागीदार
सदस्यता सं. 099387
यूडीआईएनः 20099387AAAABK4718

मेसर्स ओ.पी. बाग्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. 000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : भागीदार
सदस्यता सं. 092656
यूडीआईएनः 2009265AAAADS1054

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के तहत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 17 जून 2020 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछ–ताछ तथा कुछ लेखाकरण दस्तावेजों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ ऐसा महत्त्वपूर्ण बिन्दु नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(डी. के. सेकर)
लेखा परीक्षा के महानिदेशक (ऊर्जा), दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 6 अगस्त, 2020

31 मार्च, 2020 के अनुसार समेकित तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
	परिसंपत्तियां			
(1)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	नकदी एवं नकदी के समतुल्य	6	1,717.71	381.99
(ख)	अन्य बैंक शेष	7	2,257.45	1,733.08
(ग)	ट्रेड प्राप्य	8	110.72	137.72
(घ)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	9	3,318.85	1,802.58
(च)	ऋण	10	312,083.50	270,450.92
(छ)	निवेश	11	2,127.11	2,283.13
(ज)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	22,099.67	18,363.99
	कुल–वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**343,715.01**	**295,153.41**
(2)	**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	409.94	293.17
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	14	2,050.57	2,305.93
(ग)	निवेश संपत्ति	15	0.01	0.01
(घ)	संपत्तियां, संयंत्र एवं उपस्कर	16	156.97	156.63
(च)	पूंजीगत चालू कार्य	16	287.62	196.94
(छ)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	16	0.77	1.59
(ज)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	16	8.82	8.55
(झ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	17	132.37	148.41
(i)	इक्विटी विधि के उपयोग के लिए लेखाकृत निवेश	11	258.47	179.63
	कुल – गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**3,305.54**	**3,290.86**
(3)	**बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां**	18	**9.53**	**9.56**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		**347,030.08**	**298,453.83**
	देयताएं और इक्विटी			
	देयताएं			
(1)	**वित्तीय देयताएं**			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	9	1,325.73	159.40
(ख)	ट्रेड प्राप्य			
	(i) एमएसएमई का कुल बकाया देय	19	0.15	2.65
	(ii) एमएसएमई से भिन्न ऋणकर्ताओं का कुल बकाया देय	19	46.00	64.64
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	20	219,918.25	192,767.51
(घ)	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	21	61,550.66	46,662.54
(च)	अधीनस्थ देयताएं	22	4,819.65	4,818.76
(छ)	अन्य वित्तीय देयताएं	23	23,782.21	19,227.07
	कुल–वित्तीय देयताएं (1)		**311,442.65**	**263,702.57**
(2)	**गैर–वित्तीय देयताएं**			
(क)	प्रावधान	24	107.09	100.24
(ख)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	25	83.23	104.60
	कुल–गैर–वित्तीय देयताएं (2)		**190.32**	**204.84**
(3)	**बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएँ**	18	**0.68**	**0.08**
(4)	**इक्विटी**			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	26	1,974.92	1,974.92
(ख)	अन्य इक्विटी	27	33,421.51	32,571.42
	कुल – इक्विटी (4)		**35,396.43**	**34,546.34**
	कुल – देयताएं और इक्विटी (1+2+3+4)		**347,030.08**	**298,453.83**

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियाँ 1 से 69

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन–03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135 एन

एस. मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	28	29,671.78	24,983.62
(ii)	लाभांश आय	29	36.94	20.38
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	30	38.95	225.09
(iv)	सेवाओं की बिक्री	31	182.11	169.93
I.	**प्रचालनों से कुल राजस्व (i से iv)**		**29,929.78**	**25,399.02**
II.	**अन्य आय**	32	77.27	32.31
III.	**कुल आय (I+II)**		**30,007.05**	**25,431.33**
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागतें	33	18,991.30	15,639.20
(ii)	निवल अनुवाद/लेन–देन विनिमय हानि	34	2,357.90	521.19
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	35	25.44	34.38
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तनों संबंधी निवल हानि	36	25.85	348.52
(v)	वित्तीय दस्तावेजों संबंधी हानि	37	919.49	243.49
(vi)	प्रदान की गई सेवाओं की लागत	38	71.61	85.15
(vii)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	39	193.15	177.37
(viii)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	40	11.77	8.29
(ix)	निगम सामाजिक दायित्व व्यय	41	259.29	104.49
(x)	अन्य व्यय	42	130.41	188.76
IV.	**कुल व्यय (i से x)**		**22,986.21**	**17,350.84**
V.	**इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि का हिस्सा**		9.14	9.95
VI.	**कर पूर्व लाभ (III-IV+V)**		**7,029.98**	**8,090.44**
VII.	**कर व्यय**	43		
(i)	वर्तमान कर		1,645.06	1,813.23
(ii)	आस्थगित कर		412.65	535.83
	कुल कर व्यय (i+ii)		**2,057.71**	**2,349.06**
VIII.	**वर्ष के लिए लाभ**		**4,972.27**	**5,741.38**
IX.	**अन्य व्यापक आय/(हानि)**			
(i)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा**			
(क)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		(2.87)	(19.37)
(ख)	एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		(129.20)	(47.26)
(ग)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/हानि का हिस्सा		(0.12)	(0.05)
(घ)	इन मदों से संबंधित आय कर			
	– परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनः मापन लाभ/(हानि)		0.72	6.77
	– एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		12.39	(0.68)
	उप–जोड़ (i)		**(119.08)**	**(60.59)**
(ii)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत किया जाएगा**			
(क)	नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		(302.12)	-
(ख)	हेजिंग आरक्षण की लागत		(273.61)	-
(ग)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/हानि का हिस्सा		(3.94)	-
(घ)	इन मदों से संबंधित आयकर			
	– नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		76.04	-
	– हेजिंग आरक्षण की लागत		68.86	-
	उप–जोड़ (ii)		**(434.77)**	**-**
	अवधि के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (i+ii)		**(553.85)**	**(60.59)**
X.	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (VIII+IX)**		**4,418.42**	**5,680.79**
XI.	**प्रत्येक 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन (₹ करोड़ में)**	44		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए		25.18	29.07
(2)	जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए		25.18	29.07

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियाँ 1 से 69

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन–03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135 एन

एस. मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2020 के अनुसार	31-03-2019 के अनुसार
आरंभिक शेष	1,974.92	1,974.92
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
अंतिम शेष	1,974.92	1,974.92

(₹ करोड़ में)

ख अन्य इक्विटी

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष										इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के कारण संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/ (हानि) का हिस्सा	एफवीओसीआई–इक्विटी दस्तावेज	छिपे नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	छिपे हुए रिजर्व की लागत	कुल
	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viia) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत रिजर्व नधि	डिबेंचर मोचन रिजर्व	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	पूंजीगत रिजर्व	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अनुवाद अंतर खाता	सामान्य रिजर्व	हानि रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन					
31 मार्च, 2018 को शेष	**13,813.19**	**2,761.10**	**-**	**1,121.54**	**2,236.54**	**-**	**(86.29)**	**5,230.54**	**-**	**5,344.37**	**1.46**	**190.24**	**-**	**-**	**30,612.69**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,741.38	-	-	-	-	5,741.38
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.60)	-	-	-	-	(12.60)
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.05)	-	(47.94)	-	-	(47.99)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,728.73**	**-**	**(47.94)**	**-**	**-**	**5,680.79**
अन्य समायोजन															
अप्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	1,323.59	273.62	1,153.00	196.59	-	-	-	-	-	(2,946.80)	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.42	-	(5.42)	-	-	-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अनुवाद हानि	-	-	-	-	-	-	(1,404.88)	-	-	-	-	-	-	-	(1,404.88)
वर्ष के दौरान ऋणशोधन	-	-	-	-	-	-	726.35	-	-	-	-	-	-	-	726.35
कुल – अन्य समायोजन	**1,323.59**	**273.62**	**1,153.00**	**196.59**	**-**	**-**	**(678.53)**	**-**	**-**	**(2,941.38)**	**-**	**(5.42)**	**-**	**-**	**(678.53)**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,518.02)	-	-	-	-	(2,518.02)
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(525.51)	-	-	-	-	(525.51)
कुल – स्वामियों के साथ लेन–देन और कर	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(3,043.53)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(3,043.53)**
31 मार्च, 2019 को शेष	**15,136.78**	**3,034.72**	**1,153.00**	**1,318.13**	**2,236.54**	**-**	**(764.82)**	**5,230.54**	**-**	**5,088.19**	**1.46**	**136.88**	**-**	**-**	**32,571.42**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,972.27**	-	-	-	-	4,972.27
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.15)	-	-	-	-	(2.15)
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.12)	(3.94)	(116.81)	(226.08)	(204.75)	(551.70)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,970.00**	**(3.94)**	**(116.81)**	**(226.08)**	**(204.75)**	**4,418.42**
अप्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	1,522.32	336.52	978.00	49.15	-	-	-	-	793.29	(3,679.28)	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में/(से) अंतरण	-	(378.41)	-	(1,367.28)	-	-	-	1,745.69	-	-	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(86.19)	-	86.19	-	-	-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अनुवाद हानि	-	-	-	-	-	-	(1,630.51)	-	-	-	-	-	-	-	(1,630.51)
संयुक्त उद्यमों में शेयरों के अधिग्रहण से लाभ	-	-	-	-	-	4.70	-	-	-	-	-	-	-	-	4.70
वर्ष के दौरान ऋणशोधन	-	-	-	-	-	-	675.95	-	-	-	-	-	-	-	675.95
कुल – अन्य समायोजन	**1,522.32**	**(41.89)**	**978.00**	**(1,318.13)**	**-**	**4.70**	**(954.56)**	**1,745.69**	**793.29**	**(3,765.47)**	**-**	**86.19**	**-**	**-**	**(949.86)**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,172.41)	-	-	-	-	(2,172.41)
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(446.06)	-	-	-	-	(446.06)
कुल – स्वामियों के साथ लेन–देन और कर	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2,618.47)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2,618.47)**
31 मार्च, 2020 को शेष	**16,659.10**	**2,992.83**	**2,131.00**	**-**	**2,236.54**	**4.70**	**(1,719.38)**	**6,976.23**	**793.29**	**3,674.25**	**(2.48)**	**106.26**	**(226.08)**	**(204.75)**	**33,421.51**

रिजर्व से आहरण/अंतरण से संबंधित विस्तृत ब्यौरों के लिए नोट संख्या 27.1 देखें और विनियोजन से हानि रिजर्व के लिए नोट संख्या 27.9 देखें।

संलग्न टिप्पणी सं. 1 से 69 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।
समान तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के मित्तल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजी. सं.: 001135एन

कृते ओ.पी. बागला एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

एस. मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं.: 072290

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 092656

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी) डीआईएन–03464342

स्थानरू नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
क.	**प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाहः**				
	कर पूर्व निवल लाभ	**7,029.98**		**8,090.44**	
	निम्नलिखित के लिए समायोजनः				
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) के मान्यता समाप्त करने पर हानि	1.69		0.86	
2.	अवमूल्यन एवं परिशोधन	11.78		8.29	
3.	वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि से संबंधित क्षति	919.49		243.49	
4.	ऋण के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	53.02		1.33	
5.	उधार के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	62.31		(788.28)	
6.	व्युत्पन्न में उचित मूल्य परिवर्तन	47.72		351.52	
7.	एफवीटीपीएल इन्स्ट्रुमेंट में उचित मूल्य परिवर्तन	(6.40)		-	
8.	कमर्शियल पेपर पर ब्याज	463.66		402.84	
9.	जीरो कूपन बॉण्ड पर उपचित ब्याज	105.29		97.02	
10.	विनिमय दर घटने–बढ़ने पर हानि/(लाभ)	2,342.27		558.51	
11.	निवेशों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	(3.16)		-	
12.	लाभांश आय	(36.94)		(20.38)	
13.	निवेशों एवं अन्य पर ब्याज आय	(181.15)		(205.88)	
14.	अग्रिम आय कर पर ब्याज के लिए किया गया प्रावधान	0.03		3.70	
15.	देयताएं जिन्हें अब राइट बैक करने की आवश्यकता नहीं है	-		(0.46)	
16.	अन्य देयताओं पर ब्याज खर्च	0.21		-	
17.	इक्विटी मेथड प्रयोग करने के लिए लेखाकृत संयुक्त उद्यमों के लाभ/ हानि का शेयर	(9.14)		(9.95)	
	प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	**10,800.66**		**8,733.05**	
	निम्नलिखित के कारण अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) :				
1.	ऋण परिसंपत्तियां	(41,664.59)		(41,760.36)	
2.	व्युत्पन्न	(407.70)		(1,622.07)	
3.	अन्य प्रचालनात्मक परिसंपत्तियां	(5,165.04)		(13,856.89)	
4.	प्रचालनात्मक देयताएं	5,485.44		14,711.38	
	प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**(30,951.23)**		**(33,794.89)**	
1.	भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	(1,777.35)		(2,070.91)	
2.	आयकर वापसी	16.67		-	
	प्रचालनात्मक गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(32,711.91)**		**(35,865.80)**
ख.	**निवेशात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री	0.11		0.10	
2.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	(97.51)		(85.88)	
3.	अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	(2.75)		(5.04)	
4.	पूंजीकृत वित्त लागतें	(15.79)		(11.37)	
5.	ईईएसएल के इक्विटी शेयरों में निवेश	(71.60)		-	
6.	इक्विटी शेयरों का बिक्री	4.23		24.39	

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
7.	(निवल) सहायक कंपनियों के शेयर में/का बिक्री / (निवेश)	0.30		(0.40)	
8.	ऋण प्रतिभूतियों का विमोचन (निवेशों का निवल)	47.16		398.17	
9.	निवेशों से ब्याज आय	231.04		158.07	
10.	आवधिक जमाओं में निवेश (ब्याज सहित)	(15.90)		(106.64)	
11.	अप्रत्याशित बॉण्ड में निवेश	(18.00)		-	
12.	बॉण्ड में निवेश की बिक्री	21.15		-	
13.	कारपोरेट और आवधिक जमाओं की परिपक्वता / (निवेश)	(0.05)		64.99	
14.	लाभांश आय	36.94		20.38	
15.	इक्विटी मेथड प्रयोग करने के लिए लेखाकृत निवेशों की वसूली	2.10		-	
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**121.43**		**456.77**
ग.	**वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
1.	रूपे ऋण प्रतिभूति का निर्गम/ (विमोचन)	21,293.39		4,220.72	
2.	कमर्शियल पेपर (निवल) का निर्गम/ (विमोचन)	(5,270.30)		4,143.04	
3.	सरकार/बैंकों/वित्तीय संस्थानों (निवल) से रूपे अवधि ऋण / डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त करना / (चुकौतियां)	7,904.65		24,350.00	
4.	विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं उधार (निवल) प्राप्त करना / (चुकौतियां)	12,617.57		3,718.78	
5.	अधीनस्थ देयताओं (निवल) को प्राप्त करना/(विमोचन)	-		2,151.20	
6.	इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(2,172.41)		(2,515.63)	
7.	कारपोरेट लाभांश कर का भुगतान	(446.06)		(525.52)	
8.	पट्टा देयता के संबंध में पुनर्भुगतान (चुकौती)	(0.64)		-	
	वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**33,926.20**		**35,542.59**
	नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		**1,335.72**		**133.56**
	इस अवधि के आरंभ में नकद एवं नकदी समतुल्यता		**381.99**		**248.43**
	इस अवधि के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्य		**1,717.71**		**381.99**

वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
– हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)	0.06	0.01
– बैंको में शेष	1,195.40	343.60
–अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	522.25	38.38
कुल नकद और नकदी समतुल्यता	**1,717.71**	**381.99**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान नकदी प्रावाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन*	गैर– नकदी परिवर्तन		इति शेष
				विनिमय अंतर	ईआईआर समायोजन	
वित्त वर्ष 2019–20						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	**172,899.12**	21,293.39	729.78	-	41.72	**194,964.01**
कमर्शियल पेपर	**7,696.32**	(5,270.30)	-	-	463.66	**2,889.68**
रुपे आवधिक ऋण/डब्ल्यूसीडीएल	**24,884.25**	7,904.65	194.55	-	-	**32,983.45**
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	**33,950.25**	12,617.57	73.78	3,930.12	57.93	**50,629.65**
अधीनस्थ देयताएं	**4,818.76**	-	0.61	-	0.28	**4,819.65**
कुल	**244,248.70**	**36,545.31**	**998.72**	**3,930.12**	**563.59**	**286,286.44**
वित्त वर्ष 2018–19						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	**168,444.86**	4,220.72	124.83	-	108.71	**172,899.12**
कमर्शियल पेपर	**3,150.44**	4,143.04	-	-	402.84	**7,696.32**
रुपे दीर्घावधिक ऋणः डब्ल्यूसीडीएल	**414.82**	24,350.00	119.43	-	-	**24,884.25**
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	**29,689.04**	3,718.78	104.02	1,220.89	(782.48)	**33,950.25**
अधीनस्थ देयताएं	**2,667.36**	2,151.20	1.58	-	(1.38)	**4,818.76**
कुल	**204,366.52**	**38,583.74**	**349.86**	**1,220.89**	**(272.31)**	**244,248.70**

* उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में "प्रचालन संबंधी देयताओं" में विचारा गया है।

टिप्पणीः जहां आवश्यक है, पिछली अवधि के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उसे फिर से समूह में रखा गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन–03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135 एन

एस. मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी") की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के देश भर में फैले 22 राज्यों में कार्यालय, मुख्यतः राज्यों की राजधानी में, हैं तथा इसका हैदराबाद में एक प्रशिक्षण केंद्र है।

यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रुप में पंजीकृत व्यवस्थित ढंग में एक महत्वपूर्ण (नॉन–डिपॉजिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है।

आरईसी, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज–युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ कंपनी को यहां इसके उपरांत 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. अनुपालन का विवरण और तैयार करने का आधार

ये समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा 17 जून, 2020 को अधिकृत एवं अनुमोदित किया गया।

इन समेकित वित्तीय विवरणों को लेखाकरण की निम्नलिखित उपचित प्रणाली के जारी सरोकार के आधार पर तैयार किया गया है तथा ये कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक ("इंड एएस" के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों / दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों के तैयारी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को नीचे दिया गया है:

3.1 समेकन का आधार

अनुषंगी कंपनी

सहायक कंपनी ऐसा निकाय है, जो समूह द्वारा होता है। समूह किसी निकाय अथवा इकाई को तब नियंत्रित करता है जब उसके पास निवेशकर्ता पर अधिकार (शक्ति) होती है, वह उस निकाय के साथ अपनी भागीदारी के माध्यम से परिवर्तनशील (चर) लाभ रिटर्न के बारे में परिचित होता है या उसका अधिकार उसके पास होता है और इकाई पर अपनी अधिकार के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को उस तारीख से समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है जिससे उस पर उसका नियंत्रण शुरू होता है और जिससे उस पर उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। समूह धारक कंपनी और अपनी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय और व्यय की समान मदों को लाइन बाई लाइन जोड़कर समेकित करता है।

इक्विटी खाते में निवेशकर्ता

इक्विटी में समूह के हितों की गणना ऐसे निवेशकर्ताओं के लिए की जाती है, सहयोगी प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यम में जिनके हित शामिल होते हैं।

एक सहयोगी प्रतिष्ठान, जिसमें एक गैर–निगमित इकाई भी शामिल है, एक ऐसी इकाई अथवा निकाय है, जिसके ऊपर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है और यह न तो एक सहायक कंपनी है और न ही किसी संयुक्त उद्यम में उसका कोई हित निहित होता है। सहयोगी प्रतिष्ठानों में हितों की गणना इक्विटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। इन हितों को शुरू में ऐसी लागत में मान्यता दी जाती है, जिसमें लेनदेन लागतें शामिल होती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी–अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का उस तारीख तक की हिस्सेदारी शामिल होती है, जिस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है। हालांकि, अगर यह आकलन किया जाता है कि सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश / हित बिक्री के लिए रखा गया है, तो ऐसे मामलों में सहयोगी प्रष्ठिानोंमें हित की गणना भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 105 के तहत की जाएगी।

एक संयुक्त उद्यम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समूह का संयुक्त नियंत्रण होता है और उसे अपनी देनदारियों के लिए अपनी परिसंपत्तियों और अपनी देयताओं की बाध्यताओं के अधिकारों के बजाय व्यवस्था की निबल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है।

संयुक्त उद्यम में हितों की गणना इक्विटी पद्धति का उपयोग करके की जती है। उन्हें शुरू में ऐसी लागत के रूप में मान्यता दी जाती हैं जिसमें लेनदेन लागतें शामिल होती हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी–अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का उस तारीख तक की हिस्सेदारी शामिल होती है, जिस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

समेकन पर समाप्त हो गए लेनदेन

3.2 समूह के अंदर (इंट्रा–ग्रुप) बकाया राशियों और लेनदेनों और समूह के भतर लेनदेनों से होने वाली किसी भी अघोषित आय और खर्च को समाप्त कर दिया जाता है। इक्विटी अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के साथ लेन–देन से उत्पन्न होने वाले अघोषित लाभ को निवेशकर्ता में समूह के हित की सीमा तक निवेश के विरुद्ध समाप्त कर दिया जाता है। अघोषित लाभ की तरह ही अघोषित हानि को भी उसी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन केवल इस हद तक कि यहां क्षतिपूर्ति का कोई सबूत नहीं है।

3.3 तैयारी और मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कुछ वित्तीय परिसंपत्तियोंयां एवं वित्तीय देनदारियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत् रूप से लागू किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों ('आईएनआर'), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.4 राजस्व मान्यता

ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है रू (i) आरईसी की लागत और खर्चे (ii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित विलंबित और दांडिक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन का पुनर्भुगतानय क्रेडिट क्षतिपूरित ऋण और वापस मांगे गए ऋणों को छोड़कर, सबसे पुराने होने के नाते उन्हें पहले समायोजित किया जा रहा है, जहां मूलधन की राशि को ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अन्य लागतों, खर्चों, विलंबित और दंडात्मक ब्याज और अतिदेय ब्याज की पूर्ण वसूली के बाद ही विनियोजित किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली को पहले मूलधन की बकाया राशि और शेष वसूली के मद में विनियोजित किया जाता है, उसके बाद ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हैं के मद में विनियोजित किया जाता है।

परिशोधन लागत पर मापी गई सभी वित्तीय परिसंपत्तियोंयों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाती है।

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियोंयों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर दी जाती है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुरूपी ब्याज आय के समक्ष शुद्ध आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय को मान्यता प्रस्तुत सेवाओं पर आधारित उपचित आधार पर दी जाती है।

लाभांश आय

कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश और म्युच्युअ फंड की यूनिटों से आय को, आरईसी को भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर, उपचित आधार पर खाते में लिया जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचारा जाएगा।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियोंयों पर लाभांश को मान्यता 'लाभांश आय' शीर्ष के अंतर्गत अलग से दी जाती है।

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व–भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में कंपनी द्वारा किया जाता है।

सेवाएं प्रदान करने (बिक्री) से राजस्व

राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि इस बात की संभावना बनी रहे है कि समूह को आर्थिक लाभ प्रवाहित होते रहेंगे और राजस्व को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

समूह भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 115 द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उपयोग करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि राजस्व को कितनी और कब मान्यता दी जानी है, राजस्व की प्रकृति, राशि, समय अनुसूची और अनिश्चितता आदि क्या है। उसी के अनुसार, राजस्व को पाँच चरण वाले दृष्टिकोण के माध्यम से मान्यता दी जाती है:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(i) ग्राहक के साथ संविदा (संविदाओं) की पहचान करना;
(ii) संविदा में अलग–अलग कार्यनिष्पादन दायित्वों की पहचान करना;
(iii) लेन–देन का मूल्य निर्धारित करना;
(iv) कार्य निष्पादनदायित्वों के लिए लेनदेन की कीमत आवंटित करना; तथा
(v) कार्य निष्पादन की बाध्यता के पूरे होने पर राजस्व को मान्यता देना;

राजस्वों का मापन प्राप्त या प्राप्यविचारण, छूटों और अन्य अप्रत्यक्ष करों के निवल के उचित मूल्य पर किया जाता है।

कॉस्ट प्लस संविदाओं में – राजस्व को मान्यता संविदा के अनुसार व्ययों की पात्र संविदात्मक मदों और आनुपातिक मार्जिन को शामिल कर दी जाती है।

निर्धारित मूल्य संविदाओं में – राजस्व को मान्यता संविदा के पूरा होने के चरण के आधार पर दी जाती है। समूह ने आकलन किया है कि संविदा के पूरा होने के चरण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस कार्यनिष्पादन बाध्यता को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल समय के अनुपात के रूप में किया जाता है, जो भारतीय लेखांकन मानक (एएस) 115 के अंतर्गत इन कार्यनिष्पादन बाध्यताओं की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति का एक उपयुक्त मापक है।

यदि हालात बदलते हैं, तो राजस्व, लागत या पूर्ण होने की दिशा में प्रगति के अनुमानों को संशोधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागत में कोई भी परिणामी वृद्धि या कमी को उस अवधि में लाभ या हानि में दर्शाया जाता है, जिसमें संशोधन को जन्म देने वाली परिस्थितियां प्रबंधन द्वारा ज्ञात हो जाती हैं।

टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के तहत पारेषण परियोजनाओं के लिए चयनित बोलीदाताओं / डेवलपर्स से लिए जाने वाले व्यावसायिक प्रभारों की गणना उस वर्ष में की जाती है, जिसमें यह यथोचित रूप से निश्चित होता है कि व्यावसायिक प्रभारों का अंतिम संग्रहण किया जाएगा।

प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय को संबंधित एसपीवी को क्रेडिट किया जाता है और अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय समूह द्वारा अपने पास रखी जाती है और इसकी गणना समूह की आय के रूप में की जाती है।

3.5 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें समूह निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्तियों अपने अभीष्ट उपयोग बिक्री के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्तियों वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित हैं।

3.6 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत आय की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनूकृत आय की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.7 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

विदेशी मुद्रा लेनदेन और संतुलन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके समूह की कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन–देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि–अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुनरू माप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यतकृत दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते" में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर–मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुनः अंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा रूपांतरित) पर मापा जाता है।

3.8 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त संपत्ति में मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होता है, जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियोंयों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह संभावना है कि परिसंपत्तियों के कारण भावी आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

उत्तरवर्ती माप प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, और यदि अमूर्त परिसंपत्तियों को क्षति होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में, रखा जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्तियों को निपटान के समय, या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्तियों के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित, को परिसंपत्तियों को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.9 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, संबंधित वहन राशि का मूल्यह्रास नहीं होता है।

अन्य मूर्त परिसंपत्तियां

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और क्षति)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यह्रास लागत और क्षतिपूर्ण हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियोंयों के उपयोगी अवधि पर सीधी–रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियोंयों पर मूल्यह्रास को, उक्त के खरीद/बिक्री की तारीख से यथानुपात आधार पर प्रभारित करने के बजाय, परिसंपत्तियों के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 5,000/ – रुपए तक 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यह्रास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का क्षति के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को, निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्य में प्रगति' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्तियों को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन–पत्र की तारीख को बकाया हैं, को 'अग्रिम पूंजी' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

3.10 पट्टा लेखांकनः

समूह अल्पकालिक या कम मूल्य के पट्टे के रूप में पहचाने गए पट्टों को छोड़कर सभी पहले से प्रचालनरत पट्टों के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

समूह संविदा की शुरूआत के समय ही इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्या कोई संविदापट्टा संविदा है या इसमें कोई पट्टा निहित है। किसी पट्टे को 'एक ऐसी संविदा, या एक संविदा के भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो परिसंपत्तियों (अंतर्निहित परिसंपत्तियों) को विचारण राशि के बदले में अवधि के लिए उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है।

इस परिभाषा को लागू करने के लिए समूह इस बात आकलन करता है कि क्या संविदा मूल्यांकन की तीन प्रमुख शर्तों को पूरा करती है या नहीं, जो कि क्या:

- संविदा में पहचान की गई एक ऐसी परिसंपत्तियों शामिल होती है, जिसे या तो संविदा में स्पष्ट रूप से मान्यता दी जाती है या यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है कि समूह द्वारा परिसंपत्तियों उपलब्ध कराई गई है।
- समूह को संविदा की निर्धारित सीमा के भीतर अपने अधिकारों पर विचार करते हुए उपयोग की अवधि में पहचान की गई परिसंपत्तियों के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।
- समूह के पास यह अधिकार है कि वह इस्तेमाल की गई अवधि के दौरान पहचानी गई परिसंपत्तियों के उपयोग का निर्देश दे। समूह यह आकलन करता है कि क्या उसे यह निदेशित करने का अधिकार है कि उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान परिसम्पत्ति का उपयोग "कैसे और किस उद्देश्य के लिए' किया जाता है।

पट्टा शुरू होने की तारीख को समूह अपने तुलन पत्र में राइट–ऑफ–यूज परिसम्पत्ति और पट्टा देयता को मान्यता देता है। राइट–ऑफ–यूज परिसम्पत्ति को उस लागत पर मापा जाता है, जो पट्टे की देयता के प्रारंभिक मापन, समूह द्वारा की गई किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों, पट्टा कीवधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियों को डिसमेंटल करने और हटाने के लिए किसी भी लागत अनुमान और पट्टा प्रारंभ तिथि (प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निबल) के अग्रिम तौर पर किए गए किसी भी पट्टा भुगतान से मिलकर बनती है।

समूह पट्टा शुरू होने की तारीख से लेकर राइट–ऑफ–यूज परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टा अवधि की समाप्ति तक एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास करता है। समूह ऐसे संकेतक मौजूद होने पर क्षतिपूर्ति के लिए राइट–ऑफ–यूज परिसम्पत्ति का भी आकलन करता है।

प्रारंभ तिथि को समूह उस तिथि पर पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता का मापन पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके रियायत देते हुए करता है, बशर्ते कि वह दर आसानी से उपलब्ध दर हो या फिर समूह की वृद्धिशील उधार दर हो।

पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान स्थिर भुगतानों (यथार्थ रूप में स्थिर को शामिल करते हुए), किसी सूचकांक या दर के आधार पर परिवर्ती भुगतानों, अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि और ऐसे अपेक्षित विकल्पों, जिनका प्रयोग किया जाना निश्चित है, से उत्पन्न भुगतानों को मिलाकर बनते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद, किए गए और ब्याज के लिए बढ़ाए गए भुगतानों के लिए देयता कम हो जाएगी। किसी भी पुनर्मूल्यांकन या संशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए या यदि इन–यथार्थ रूप से निश्चित भुगतानों में कोई परिवर्तन होते हैं, तो इसे फिर से मापा जाता है।

जब पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है, तो संबंधित समायोजन को राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियों में और यदि राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियों पहले से ही शून्य हो जाती है, तो इसे लाभ और हानि में दर्शाया जाता है।

3.11 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जिनका भावी उपयोग अनपेक्षित होता है। लेन–देन की लागत सहित, निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास पर वर्णित किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड की पूर्ति पर उधार लागत और अभीष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्तियों को इसकी कार्यशील स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए आरोप्य लागत शामिल हैं। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। अन्य सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यह्रास और उपयोगिता अवधि)

निवेश संपत्ति के रूप में कंपनी के पास केवल भूमि है, जो कि मूल्यह्रास नहीं है।

अमान्यकरण

किसी निवेश संपत्ति को उसके निपटान पर या निवेश संपत्ति को उपयोग से स्थायी रूप से हटाने पर भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। संपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न किसी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में परिचालित) में उस अवधि का लाभ या हानि शामिल हैं, जिसमें संपत्ति को अमान्यकृत किया गया है।

3.12 वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट)

वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटिटी की वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य एंटिटी की वित्तीय देयता या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को जन्म देता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब समूह, वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन–देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं है जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियोंयों और वित्तीय देनदारियों के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ऋण–परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियोंयों के किसी समूह की क्षति हो। क्षति का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक क्षेणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआरआर) के उपयोग द्वारा ऋण–परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए क्षति भत्ते को मान्यता परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर दी गई है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की पुनरूगणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की, पुनर्निधारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुनरूगणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियोंयों में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोद्दिष्ट एवं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को, लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को, सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियोंयों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेनदेन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय और इक्विटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, समूह इक्विटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी क्षतिपूर्ण हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्तियों का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्तियों एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् समूह के तुलन–पत्र से हटा दिया जाता है)। समूह वित्तीय परिसंपत्तियों को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्तियों को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा ऋण–परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्यकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन

हेज लेखांकन के लिए अर्हक होने हेतु हेजिंग के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है:

– हेज की गई मद और हेजिंग लिखत के बीच कोई आर्थिक संबंध है।
– क्रेडिट जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर वर्चस्व कायम नहीं करता है, जो उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।
– हेजिंग संबंध का हेज अनुपात ठीक वैसा ही है, जैसे कि हेज किए गए मद की मात्रा से उत्पन्न होता है, जितनी कंपनी वास्तविक रूप से हेज करती है और उस हेजिंग लिखत की मात्रा से उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग कंपनी वास्तविक रूप से हेज किए गए मद की उस मात्रा को हेज करने के लिए करती है।

हेज लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर बाद में रिपोर्ट की जाती है। उस सीमा तक जहां तक हेज प्रभावी है, नगदी प्रभाव हेज में हेजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य वृहद आय शीर्ष के अंतर्गत दी जाती है और इक्विटी में नगदी प्रवाह हेज रिजर्व में इसे शामिल किया जाता है। हेज संबंध में किसी भी अप्रभावशीलता को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

जब हेज किया गया मद लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता है तो उस समय अन्य वृहद आय में पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है और अन्य वृहद आय में एक पुनः वर्गीकृत समायोजन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक हेजिंग संबंध की स्थापना के समय में कंपनी हेज संबंधों को कंपनी के जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और रणीनतियों के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रलेखित करती है। इस प्रलेखन में हेज की गई मद की पहचान, हेजिंग लिखत, हेज किए जा रहे जोखिम (जोखिमों) की प्रकृति, हेज अनुपात और हेजिंग संबंध किस प्रकार से हेजिंग प्रभावशीलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, शामिल हैं।

3.13 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

ऋण परिसंपत्तियों

कंपनी निम्न प्रकार से प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर क्षति के लिए 'त्रि–स्तरीय' मॉडल का अनुसरण करता है:

- स्तर–1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।
- स्तर–2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।
- स्तर–3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण–1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12–माह ईसीएल और चरण–2 के लिए लाईफटाइम ईसीएल और चरण–3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) – डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) से अधिक हो, या दायित्व के शेष उपयोग–काल (लाईफटाइम पीडी), पर डिफॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी कंपनी की ऐसी स्वभाविक हानि अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने आप वाई डिफॉल्ट उत्पन्न होती है। एलजीडी को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और यह राशि के उस बात को दर्शाता है जो किसी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) – ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, संचित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कंफर्ट शामिल होते हैं, जिसकी कंपनी को चूक के समय प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

दूरंदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं लाईफटाइम पीडी, और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है।

ऋण के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियां

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो समूह 12–महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा लाईफटाइम क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भत्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, समूह वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्तियों पर डिफॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलन–पत्र की तिथि से करता है। समूह उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। समूह मानता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्तियों तुलन–पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

बट्टे खाते डालना

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब समूह ने वसूली करना बंद कर दिया हो।

3.14 बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियोंयां / निपटान समूह

यदि परिसम्पत्यिों की वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से मुख्य रूप से की जाएगी और यह माना जाता है कि उनकी बिक्री की प्रबल संभावना है, तो परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गई परिसम्पत्तियों के रूप में किया जाता है। आस्थगित कर, कर्मचारी लाभ से उत्पन्न परिसंपत्तियों, वित्तीय परिसम्पत्तियों और बीमा संविदा के तहत संविदात्मक अधिकारों जैसी परिसमत्तियों, जिन्हें विशेष रूप से इस आवश्यकता से छूट दी गई है, को छोड़कर उन्हें बेचने की लागत को घटाकर उनकी वहन राशि पर या उचित मूल्य पर मापा जाता है।

गैर–चालू परिसंपत्तियोंयों का मूल्यह्रास या परिशोधन तब नहीं किया जाता है, जब उन्हें बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों तुलन पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से इतर अलग से दर्शाई जाती हैं।

जहां समूह किसी इकाई के नियंत्रण के नुकसान से युक्त बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध है, तो वह निकाय में निवेश (अर्थात उस निकाय की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों) को बिक्री के रखी गई परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत करता है।

3.15 नकद और नकदी समतुल्य

नकद और नकदी समतुल्य में नकद रुपया एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिक्विड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

3.16 लाभांश

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इक्विटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.17 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः प्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व की अवधि से पहले हुई है तो, पूर्व अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देनदारियों और इक्विटी को पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

3.18 पूर्वदत्त व्यय

1,00,000/– रुपए तक के पूर्वदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.19 कराधान

लाभ या हानि में मान्यकृत कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इक्विटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में दी जाती है।

लाभांश वितरण कर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब लाभांश के भुगतान की देयता को मान्यता दी जाती है।

3.20 कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों में, वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर–वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत समूह एक अलग निधि में कर्मचारियों के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। समूह पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष समूह द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाभ योजना

समूह के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं। जिन्हें पात्र कर्मचारियों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कर्मचारी के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व समूह का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हों।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति समूह के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य का कम है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्तियों के पुनःमापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभः

तुलन–पत्र की तारीख के उपरांत एक–वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लागत के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी–रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी की लागत को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, और आकस्मिक परिसंपत्तियां

समूह के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती हैय यह संभव है कि समूह से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया है:

- संभावित दायित्व जिनकी पुष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, समूह के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित तीसरे पक्ष से एकत्र करने के लिए समूह को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्तियों संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्तियों को प्रकट किया जाता है।

3.22 उचित मूल्य मापन

समूह वित्तीय इंस्ट्रूमेंट, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्तियों को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्तियों को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेनदेन में होता है:

- परिसंपत्तियों या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्तियों या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

समूह द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्तियों या देयता के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्तियों या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, का मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्तियों को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्तियों का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सृजित किया जा सके।

समूह ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया हैं, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित हैं, और जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- स्तर 1 – समरूपी परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचार योग्य है।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अविचारणीय है।

समेकित वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

3.23 वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तन योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्तियोंयों को मूर्त रूप देने तथा बाद में देयताओं का निराकरण करने के लिए निबल आधार पर उनका समाधान करने का कोई इरादा होता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निबल राशि तुलनपत्र में रिपोर्ट की जाती है ।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

4. नए / संशोधित मानकों का कार्यान्वयन

116 के रूप में इंडस्ट्रीज – पट्टों

इंड एएस 116 इंड एएस 17 और संबंधित व्याख्याओं का अधिक्रमण करता है। इस मानक में मान्यता, मापन, प्रस्तुति और पट्टों के प्रकटीकरण के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। इंड एएस 116 एक एकल पट्टेदार लेखांकन मॉडल प्रस्तावित करता है और इसके तहत किसी पट्टेदार को 12 महीने से अधिक की अवधि वाले सभी पट्टों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब तक मान्यता देने की आवश्यकता होती है, जब तक कि अंतर्निहित परिसंपत्तियों का मूल्य कम न हो। इस मानक में पट्टेदारों के लिए संवर्धित प्रकटीकरण आवश्यकताएँ भी शामिल हैं।

प्रारंभिक रूप से लागू होने की तारीख 01 अप्रैल 2019 होने के नाते समूह ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए और संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करके इंड एएस 116 को अपनाया, जहां राइट–टू–यूज परिसंपत्तियों को पट्टा देयता के बराबर मापा जाता है, जिसे किसी भी प्रीपेड राशि अथवा परिवर्तन की तारीख को मौजूदा उपार्जित पट्टा भुगतानों की राशि से समायोजित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए नोट 51 देखें।

इंड एएस 116 को अपनाए जाने से पहले की अवधि के लिए समूह ने निर्णय को लागू करते हुए एक पट्टे को वित्तीय पट्टे या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया और वह इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्या यह पट्टा परिसम्पत्ति के स्वामित्व से आकस्मिक रूप से जुड़े सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित करता है। किसी संबंधित वित्तीय पट्टा बाध्यता के साथ परिसंपत्तियों की मान्यता के परिणामस्वरूप किसी पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालनरत पट्टों के मामले में किराए के भुगतानों को भुगतान के वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी गई।

इंड एएस 12 – परिशिष्ट ग, आयकर के विचारण पर अनिश्चितताः

परिशिष्ट के अनुसार कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों का निर्धारण करते समय परिशिष्ट को तब लागू किया जाना चाहिए, जब इंड एएस 12 के तहत आयकर विचारण पर अनिश्चितता होती है। परिशिष्ट के अनुसार कंपनियों को प्रत्येक कर उपचार, या कर उपचार के समूह को स्वीकार करने वाले प्रासंगिक कर प्राधिकार की संभावना निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, जो कि कंपनियों ने अपने आयकर दाखिल में प्रयोग किया है या प्रयोग करने की योजना बनाई है, जिसके लिए यह माना जाना चाहिए कि इससे कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों का निर्धारण करते समय कर उपचार के अपेक्षित मूल्य या सबसे अधिक संभावित राशि की गणना हो पाएगी।

परिशिष्ट ग और इंड एएस 12 को अपनाने पर समूह ने विचार किया कि क्या इससे कोई अनिश्चित कर स्थिति उत्पन्न होती है। समूह ने अपने कर अनुपालन के आधार पर निर्धारित किया कि इस बात की संभावना है कि इसके कर उपचारों को कराधान प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। समूह के समेकित वित्तीय विवरणों पर परिशिष्ट का कोई प्रभाव नहीं था।

इंड एएस 12 – आयकर में संशोधन

इंड एएस 12 'आय कर' के मार्गदर्शन में किए गए संशोधन लाभांश वितरण करों के लिए लेखांकन से संबंधित हैं। संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी निकाय लाभांश के परिणामस्वरूप आयकर को मान्यता लाभ अथवा हानि, अन्य वृहद आय या इक्विटी में उसी प्रकार देगी, जहां निकाय में उन पिछले लेन – देनों अथवा घटनाओं को मूल रूप से मान्यता दी थी।

चूंकि कंपनी की चालू प्रक्रिया इन संशोधनों के अनुरूप है, अतः कंपनी के वित्तीय विवरणों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इंड एएस 19 – संशोधन, कमी अथवा निराकरण की योजना में संशोधन

इंड एएस 19, 'कर्मचारी लाभ' में संशोधन लेखांकन के संबंध में संशोधन, कमी अथवा निराकरण की योजना से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत किसी निकाय को चालू सेवा लागत निर्धारित करने और किसी योजनाबद्ध संशोधन, कमी अथवा निराकरण के बाद शेष बची अवधि के लिए निबल ब्याज का निर्धारण करने के लिए अद्यतन अनुमानों का प्रयोग करना आवश्यक है; और पिछली सेवा लागत के भाग के रूप में लाभ अथवा हानि, या निराकरण पर किसी लाभ अथवा हानि में, किसी अधिशेष में किसी कमी को मान्यता देने की आवश्यकता है, भले ही उस अधिशेष को परिसंपत्तियों सीमा के प्रभाव के कारण पहले मान्यता नहीं दी गई थी।

इन संशोधनों का कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि वर्ष के दौरान इसमें कोई योजनाबद्ध संशोधन, कमी अथवा निराकरण निहित नहीं था।

4.1 हेज लेखांकन को अपनाना

कंपनी ने इंड एएस 109 में हेज लेखांकन आवश्यकताओं को संभावित रूप से 01 जनवरी 2020 से लागू किया है, जिसमें कुछ व्युत्पन्न संविदाओं को 'नकदी प्रवाह हेज' संबंधों में हेजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित किया गया है। ये व्यवस्थाएं विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित कुछ ऋण लिखतों से उत्पन्न होने वाले ब्याज दर जोखिम के उन्मूलन के लिए की गई हैं।

4.2 जारी किए गए परंतु अभी तक प्रभावी नहीं मानक

एमसीए द्वारा ऐसे कोई नए संशोधन जारी नहीं किए गए हैं, जो 01अप्रैल 2020 की अवधि से प्रभावी हैं।

5. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता को मान्यता – वह सीमा, जिस हद तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जा सकती है, यह भविष्य की कर योग्य आय की सम्भावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का सदुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए और अनुरक्षित विशेष रिजर्व से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, बनाए गए और रखे गए विशेष रिजर्व प्रत्यावर्तित होने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, समूह उक्त रिजर्व पर किसी भी तरह की कर देयता सृजित नहीं करता है।

समूह की कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर आस्थगित कर देयता की मान्यता – वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों के लिए घोषित लाभांश की सीमा तक इक्विटी निवेशों से लाभांश आय के संबंध में लागू कर कानूनों में प्रावधान उपलब्ध कराए जाते हैं। कंपनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लाभांश वितरण नीति को ध्यान में रखते हुए कंपनी समूह की कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर कोई कर देयता की उम्मीद तब नहीं करती है जब इस तरह के रिजर्व वितरित कर दिए जाते हैं। इसलिए, कंपनी समूह कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर कोई आस्थगित कर देयता नहीं बनाती है।

परिसंपत्तियों की क्षति के लिए संकेतकों का मूल्यांकन – परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

एसपीवी में निवेश – पारेषण परियोजनाओं को भारत सरकार से आदेश के अनुसार प्रबंधित किया जाता है और समूह के पास इन परियोजनाओं की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता उपलब्ध नहीं है। इसलिए समूह संबंधित एसपीवी में अपने निवेश को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले सहयोगी प्रतिष्ठानों के रूप में मानता है, जबकि उनकी पदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में कंपनी की शेयरधारिता 100% होती है।

क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर ब्याज आय की गैर–मान्यता – क्रेडिट–प्रभावित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को, विवेकपूर्ण विषय, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधानों के लंबित परिणाम के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

महत्वपूर्ण आकलन

कोविड–19 महामारी के प्रकोप का प्रभाव – कोविड 19 महामारी कंपनी के प्रचालन को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भावी विकास पर निर्भर करेगा, जो कि अनिश्चित हैं। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ कोविड 19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई नई सूचना और सरकार अथवा कंपनी द्वारा इसके प्रसार को रोकने अथवा इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए कोई आगामी कार्रवाई शामिल हैं।

मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि – प्रबंधन परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) – डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति, मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन–वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन – वित्तीय इंस्ट्रूमेंटों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव–दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों इंस्ट्रूमेंट की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्तियों या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, समूह बाजार–अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार–अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर – आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशिध्वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') – परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए समूह निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरंदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियोंयों के समूहों की स्थापना करना;
- डिफॉल्ट की संभाव्यता और डिफॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

6 नकद एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
–बैंको में शेष राशि	1,195.40	343.60
–कैश ऑन हैंड (पोस्टेज एवं अग्रदाय सहित)	0.06	0.01
उप – जोड़	**1,195.46**	**343.61**
आवधिक जमा राशि एवं अन्य नकदी समतुल्य		
3 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा	522.25	38.38
उप – जोड़	522.25	38.38
जोड़ (नकद एवं नकदी समतुल्य)	**1,717.71**	**381.99**

7 अन्य बैंकों में शेष राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
–बैंको में चिन्हित शेष		
–अप्रदत्त लाभांश के लिए	4.75	4.15
–अनुदान के रूप में आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि के लिए	1,817.72	988.31
– चिन्हित आवधिक जमा राशि		
–इसके अतिरिक्त संवितरण हेतु सरकारी निधि के लिए	32.98	2.15
–न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमा राशि	0.53	2.47
–प्रतिभूतियों के लंबित आवंटन हेतु उपयोग के लिए अनुपलब्ध बैंकों में शेष राशि	400.19	722.04
–अन्य आवधिक जमा राशि	1.28	13.96
जोड़ (अन्य बैंकों में शेष)	**2,257.45**	**1,733.08**

–3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम की शेष परिपक्वता के साथ सावधि जमा	33.90	13.10
–12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	-	-
–12 माह से अधिक के लिए मार्जिन राशि हेतु धारित सावधि जमा	0.37	0.86

7.1 31 मार्च 2020 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) नकद और नकदी समतुल्य एवं अन्य बैंकों में शेष के संबंध में कोई रिपैट्रिएशन प्रतिबंध नहीं है क्योंकि प्रतिवेदन के वर्ष और पूर्व के वर्षों में प्रस्तुत कर दिए गए थे

8. ट्रेड प्राय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
(क)	प्रतिभूति, शोध्य समझे गए	87.92	117.03
	घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	(13.66)	(9.75)
		74.26	**107.28**
(ख)	ट्रेड प्राप्य जिनकी ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	52.01	34.89
	घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	(15.55)	(4.45)
		36.46	**30.44**
(ग)	क्रेडिट इंपेयर्ड प्राप्य	33.60	23.83
	घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	(33.60)	(23.83)
		-	**-**
	कुल ट्रेड प्राप्य (क+ख+ग)	**110.72**	**137.72**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

9. व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने (हेजिंग) के लिए व्युत्पन्न लिखतों (डेरिवेटिव) में प्रवेश करती है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए डेरिवेटिव्स में ऐसे उपाय (हेजेज) शामिल होते हैं जिन्हें हेज लेखांकन आवश्यकताओं के तहत प्रभावी हेजेज के रूप में नामित किया जाता है या वे ऐसे हेजेज होते हैं, जो मितव्ययी हेजेज हैं। नीचे दी गई सारणी में उनकी आरंभिक राशियों के साथ परिसंपत्तियों या देनदारियों के रूप में रिकॉर्ड किए गए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य दर्शाए गए हैं।

व्युत्पन्नों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटनों के लिए नोट 50 देखें।

भाग – I

(₹ करोड़ में)

विवरण		31–03–20 के अनुसार			31–03–19 के अनुसार		
		कल्पित राशि	उचित मूल्य– परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य– परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i)	**मुद्रा व्युत्पन्न**						
	–स्पॉट एवं अग्रिम	565.39	27.62	-	518.78	-	10.26
	–मुद्रा मुद्रा	3,094.32	432.94	-	5,701.69	419.05	0.41
	–अन्य						
	–कॉल स्प्रेड	6,068.56	504.12	-	3,839.01	129.43	-
	–सीगुल विकल्प	22,321.22	2,212.46	-	14,306.98	1,093.63	18.57
	उप – जोड़ (i)	**32,049.49**	**3,177.14**	**-**	**24,366.46**	**1,642.11**	**29.24**
(ii)	**ब्याज दर व्युत्पन्न**						
	–अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	29,056.52	141.71	586.06	21,436.70	160.47	130.16
	उप जोड़ (ii)	**29,056.52**	**141.71**	**586.06**	**21,436.70**	**160.47**	**130.16**
(iii)	**अन्य व्युत्पन्न**						
	–रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	**4,347.00**	**-**	**739.67**	**-**	**-**	**-**
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i + ii + iii)	**65,453.01**	**3,318.85**	**1,325.73**	**45,803.16**	**1,802.58**	**159.40**

भाग – II

भाग– I में शामिल डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं: (4.1 टिप्पणी के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31–03–20 के अनुसार			31–03–19 के अनुसार		
		कल्पित राशि	उचित मूल्य– परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य– परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i)	**मुद्रा व्युत्पन्न**						
	–मुद्रा स्वैप	8,638.68	2.32	303.14	-	-	-
	–अन्य						
	–कॉल स्प्रेड	1,884.65	97.16	-			
	सीगुल विकल्प	11,348.70	1,662.20	-			
	ब्याज दर व्युत्पन्न						
	–अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	9,498.62	5.24	134.45	-	-	-
	उप – जोड़ (i)	**31,370.65**	**1,766.92**	**437.59**	**-**	**-**	**-**
(ii)	गैर– नामोदिष्ट व्युत्पन्न	34,082.36	1,551.93	888.14	45,803.16	1,802.58	159.40
	कुल – व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	**65,453.01**	**3,318.85**	**1,325.73**	**45,803.16**	**1,802.58**	**159.40**

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत के रूप में नामित व्युत्पन्न लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। गैर–नामित व्युत्पन्न लिखत के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

10. ऋण

कंपनी ने भारतीय– लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31–03–20 के अनुसार		31–03–19 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क)	**ऋण**				
(i)	आवधिक ऋण	321,526.76	323,177.53	279,021.68	279,748.67
(ii)	कार्यशील पूंजीगत ऋण	897.92	902.01	2,188.00	2,200.18
	कुल (क)– निवल ऋण	**322,424.68**	**324,079.54**	**281,209.68**	**281,948.85**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(11,996.04)	(11,996.04)	(11,497.93)	(11,497.93)
	कुल (क)– सकल ऋण	**310,428.64**	**312,083.50**	**269,711.75**	**270,450.92**
(ख)	**प्रतिभूति ब्यौरा**				
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	244,034.67	245,113.22	216,394.62	206,845.46
(ii)	अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-	-	-
(iii)	बैंक / सरकारी गारंटी के अंतर्गत	58,166.76	58,684.29	42,575.45	52,751.86
(iv)	अप्रतिभूत	20,223.25	20,282.03	22,239.61	22,351.53
	कुल (ख)– सकल ऋण	**322,424.68**	**324,079.54**	**281,209.68**	**281,948.85**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(11,996.04)	(11,996.04)	(11,497.93)	(11,497.93)
	कुल(ख) – निवल ऋण	**310,428.64**	**312,083.50**	**269,711.75**	**270,450.92**
(ग)	**(I) भारत में ऋण**				
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	284,644.05	286,210.40	247,719.13	248,463.55
(ii)	निजी क्षेत्र	37,780.63	37,869.14	33,490.55	33,485.30
	कुल (ग) (I) – सकल ऋण	**322,424.68**	**324,079.54**	**281,209.68**	**281,948.85**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(11,996.04)	(11,996.04)	(11,497.93)	(11,497.93)
	कुल (ग) (I)– निवल ऋण	**310,428.64**	**312,083.50**	**269,711.75**	**270,450.92**
	(ग) (II) भारत से बाहर ऋण				
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	-	-	-	-
(ii)	निजी क्षेत्र	-	-	-	-
	कुल (ग) (II) – सकल ऋण	-	-	-	-
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	-	-	-	-
	कुल (ग) (II) – निवल ऋण	-	-	-	-
	कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	**310,428.64**	**312,083.50**	**269,711.75**	**270,450.92**

10.1 भारतीय–लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और ऋणों के संबंध में बकाया संविदा राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
निवल ऋण	**312,083.50**	**270,450.92**
घटाएं : भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	(1,351.75)	(445.05)
घटाएं : भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बिन बकाया राशि	(382.63)	(341.01)
जोड़ें : भारतीय– लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि के लिए भत्ता	11,996.04	11,497.93
जोड़े प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय– लेखांकन मानक समायोजन	79.52	46.89
सकल ऋण	**322,424.68**	**281,209.68**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

10.2 – ऋणों के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
प्रारम्भिक शेष	**11,497.93**	**11,275.45**
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रदान किया गया इंपेयरमेंट हानि भत्ते (37 के संदर्भ में)	876.52	222.48
घटाएं : ऋणों के राइट ऑफ प्रयुक्त भत्ते	(378.41)	-
वर्ष समाप्ति पर	**11,996.04**	**11,497.93**

10.3 इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही / वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के तहत निपटान के संदर्भ मेंकंपनी ने ₹378.41 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि के ऋणों को बट्टेखाते में डाला है। चालू वर्ष के लिए राइट–ऑफ का विवरण निम्नानुसार है:

(क) माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), हैदराबाद बेंच द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड के संबंध में पारित किए गए समाधान योजना के अनुमोदन के अनुक्रम में कंपनी ने आदेश के अनुसार इस तरह के इक्विटी शेयरों को निकाले जाने (एक्सटिंग्युशमेंट) पर ₹ 112.67 करोड़ (₹ 124.12 करोड़ की वसूलियों का निबल) की ऋण राशि और ₹ 102 करोड़ (प्रत्येक ₹ 10 के 10.20 करोड़ इक्विटी शेयर) के इक्विटी निवेश को बट्टेखाते में डाल दिया है।

(ख) रतन इंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित की गई एक बारगी निपटान (ओटीएस) व्यवस्था के अनुसरण में कंपनी ने ₹ 478.09 करोड़ की वसूलियों (₹ 405.90 करोड़ की नकद राशि, ₹ 17.59 करोड़ के इक्विटी शेयर, ₹ 22.18 करोड़ के मोचन योग्य (रिडीमेबल) शेयर और ₹ 32.42 करोड़ के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी मोचन योग्य (रिडीमेबल) वरीयता शेयर) का विनियोजन करने के बाद ₹ 265.74 करोड़ की राशि को बट्टेखाते में डाला है। निपटान के तहत प्राप्त लिखतों को 'निवेश' शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया गया है (नोट संख्या 11 देखें)।

10.4 कंपनी तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की तारीख के अनुसार शेष राशि के लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि के लिए उनसे जानकारी प्राप्त करती है। ऋणकर्ताओं से प्राप्त बकाया राशियों की पुष्टियों का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार		31–03–19 के अनुसार	
	%	राशि	%	राशि
कंपनी के सकल ऋण बही		322,424.68		281,209.68
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है।	88%	285,183.96	89%	249,046.78
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त होना बाकी है।	12%	37,240.72	11%	32,162.90
जिसमें से				
मूर्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूति ऋण	*67%*	*25,015.01*	*72%*	*23,286.95*
सरकारी गारंटी द्वारा बीमित ऋण/सरकार को दिए गए ऋण।	*21%*	*7,685.39*	*25%*	*7,938.71*
अप्रतिभूति ऋण	*12%*	*4,540.32*	*3%*	*937.24*

11. निवेश

(क) निवेश

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2020 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय का जरिए	हानि या लाभ के जरिए	हानि या लाभ के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप–जोड़	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)
ऋण प्रतिभूतियां						
–इंडियन बैंक का 11.15% बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)	-	-	500.31	-	500.31	500.31
बैंक ऑफ बड़ौदा के 11.25% बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)	-	-	500.00	-	500.00	500.00
सिंडिकेट बैंक के 11.25% बेमियादी बॉण्ड' (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)	-	-	500.31	-	500.31	500.31

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2020 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय का जरिए	हानि या लाभ के जरिए	हानि या लाभ के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप–जोड़	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 86,798 बॉण्ड)	8.81	-	-	-	-	8.81
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 42,855 बॉण्ड)	4.60	-	-	-	-	4.60
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 35,463 बॉण्ड)	3.67	-	-	-	-	3.67
इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आईआरईडीए) के 7.49% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 61,308 बॉण्ड)	6.22	-	-	-	-	6.22
इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन (आईआरएफसी) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 22,338 बॉण्ड)	2.31	-	-	-	-	2.31
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (नाबार्ड) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 14,028 बॉण्ड)	1.40	-	-	-	-	1.40
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) का 8.76% कर मुक्त 20 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 50,000 बॉण्ड)	5.09	-	-	-	-	5.09
उप–जोड़– ऋण प्रतिभूतियां	**32.10**	**-**	**1,500.62**	**-**	**1,500.62**	**1,532.72**
इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट						
–एनएचपीसी लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 17,53,02,206 इक्विटी शेयर)	-	349.73	-	-	349.73	349.73
–इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 1 के 1,22,71,211 इक्विटी शेयर)	-	157.01	-	-	157.01	157.01
–हुडको लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 3,47,429 इक्विटी शेयर)	-	0.69	-	-	0.69	0.69
–यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 1,60,00,000 इक्विटी शेयर)	-	-	-	-	-	-
–रतन इंडिया पावर लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 9,25,68,105 इक्विटी शेयर)	-	-	12.50	-	12.50	12.50
उप–जोड़ – इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स	**-**	**507.43**	**12.50**	**-**	**519.93**	**519.93**
प्रेफरेंस प्रतिभूतियों में निवेश						
–रतन इंडिया पावर लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 2,87,20,978 प्रेफरेंस शेयर विमोचनीय)	22.93	-	-	-	-	22.93
–रतन इंडिया पावर लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 4,33,03,616 विकल्पतः परिवर्तनीय संचयी विमोचनीय)	-	-	45.41	-	45.41	45.41
उप – जोड़ – प्रेफरेंस शेयर	**22.93**	**-**	**45.41**	**-**	**45.41**	**68.34**
अन्य						

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2020 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय का जरिए	हानि या लाभ के जरिए	हानि या लाभ के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप–जोड़	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)
– 'स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि की यूनिट (प्रत्येक ₹ 10 के 61,52,200 यूनिटें)	-	6.12	-	-	6.12	6.12
उप–जोड़ – अन्य	**-**	**6.12**	**-**	**-**	**6.12**	**6.12**
(i) विदेशों में निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii) भारत में निवेश	55.03	513.55	1,558.53	-	2,072.08	2,127.11
जोड़ (ख)	**55.03**	**513.55**	**1,558.53**	**-**	**2,072.08**	**2,127.11**
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (ग)	-	-	-	-	-	-
जोड़ – निवल (घ = क–ग)	**55.03**	**513.55**	**1,558.53**	**-**	**2,072.08**	**2,127.11**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समामेलन के संबंध में टिप्पणी 21.2 (ii) देखें

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2019 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय के जरिए	लाभ और हानि के जरिए	हानि या लाभ के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप–जोड़	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)
सरकारी प्रतिभूतियां					-	-
–मध्य प्रदेश सरकार के पावर बॉण्ड –II (प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के 1 बॉण्ड)	47.16	-	-	-	-	47.16
उप–जोड़– सरकारी प्रतिभूतियां	**47.16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.16**
ऋण प्रतिभूतियां						
–इंडियन बैंक के बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)	-	-	500.31	-	500.31	500.31
बैंक ऑफ बड़ौदा के 11.25% बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)	-	-	556.25	-	556.25	556.25
–सिंडिकेट बैंक के बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)	-	-	500.31	-	500.31	500.31
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 86,798 बॉण्ड)	8.81	-	-	-	-	8.81
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआइ) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 42,855 बॉण्ड)	4.60	-	-	-	-	4.60
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआइ) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 35,463 बॉण्ड)	3.68	-	-	-	-	3.68
इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आईआरईडीए) के 7.49% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 61,308 बॉण्ड)	6.22	-	-	-	-	6.22

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2019 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय के जरिए	लाभ और हानि के जरिए	हानि या लाभ के जरिए उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट	उप–जोड़	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)
इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन (आईआरएफसी) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 22,338 बॉण्ड)	2.31	-	-	-	-	2.31
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (नाबार्ड) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 14,028 बॉण्ड)	1.40	-	-	-	-	1.40
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के 8.76% कर मुक्त 20 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 50,000 बॉण्ड)	5.09	-	-	-	-	5.09
उप– जोड़ ऋण प्रतिभूतियां	**32.11**	**-**	**1,556.87**	**-**	**1,556.87**	**1,588.98**
इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट						
–एनएचपीसी लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 18,40,11,865 इक्विटी शेयर)	-	433.00	-	-	433.00	433.00
–इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 1 के 1,25,00,000 इक्विटी शेयर)	-	206.25	-	-	206.25	206.25
–हुडको लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 3,47,429 इक्विटी शेयर)	-	1.56	-	-	1.56	1.56
–यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 1,60,00,000 इक्विटी शेयर)	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट	**-**	**640.81**	**-**	**-**	**640.81**	**640.81**
अन्य						
– 'स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि की यूनिट (प्रत्येक ₹ 10 की 61,52,200 यूनिटें)	-	6.18	-	-	6.18	6.18
उप–जोड़ – अन्य	**-**	**6.18**	**-**	**-**	**6.18**	**6.18**
जोड़ – सकल (क)	**79.27**	**646.99**	**1,556.87**	**-**	**2,203.86**	**2,283.13**
(i) विदेशों में निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii) भारत में निवेश	79.27	646.99	1,556.87	-	2,203.86	2,283.13
जोड़ (ख)	**79.27**	**646.99**	**1,556.87**	**-**	**2,203.86**	**2,283.13**
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (ग)	-	-	-	-	-	-
जोड़ – निवल (घ = क–ग)	**79.27**	**646.99**	**1,556.87**	**-**	**2,203.86**	**2,283.13**

(ख) इक्विटी मेथड का प्रयोग करने के लिए लेखाकृत निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
संयुक्त उपक्रमों में निवेश		
–एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	258.47	179.63
(प्रत्येक ₹ 10 के 21,81,00,000 इक्विटी शेयर)	**258.47**	**179.63**
जोड़		

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के राइट इश्यू ऑफर के तहत कंपनी को दिनांक 8 जून 2019 को ₹ 71.60 करोड़ की राशि के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के 7,16,00,000 शेयर आवंटित किए गए हैं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल में कंपनी की हिस्सेदारी 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 21.70% की तुलना में 22.18% है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

11.1 रतन इंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में दिनांक 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) व्यवस्था के अनुक्रम में कंपनी को 9,25,68,105 इक्विटी शेयर, 2,87,20,978 मोचनयोग्य (रिडीमेबल) वरीयता शेयर और 4,33,03,616 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय प्राथमिकता शेयर आवंटित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए नोट 10.3 देखें।

11.2 कंपनी ने एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य) पर कुछ इक्विटी लिखतों को नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है। कंपनी का मुख्य कार्य (प्रचालन) विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य में उतार–चढ़ाव से लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट को अलग करने के प्रयोजन से प्रबंधन का मानना है कि यह एफवीटीपीएल (फेयर वैल्यू इन प्रॉफिट एंड लॉस) के वर्गीकरण के बजाय उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान डिरिकग्नाइज्ड एफवीओसीआई निवेशों का विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वित्त वर्ष 2019–20			वित्त वर्ष 2018–19		
	डिरिकग्नाइज्ड शेयरों की संख्या	डिरिकग्नीशन के समय उचित मूल्य	डिरिकग्नीशन पर संचयी लाभध्हानि	डिरिकग्नाइज्ड शेयरों की संख्या	डिरिकग्नीशन के समय उचित मूल्य	डिरिकग्नीशन पर संचयी लाभध्हानि
इंडियन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	228,789.0	4.23	4.21	-	-	-
लैन्को तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	102,000,000.0	-	(102.00)	-	-	-
एनएचपीसी	-	-	-	8,709,659.00	24.39	5.42

भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लिमिटेड के बाई बैक ऑफर के तहत कंपनी ने दिनांक 10 अप्रैल 2019 को 4.23 करोड़ रुपए की राशि के लिए 2,28,789 शेयर बेच दिए है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें मान्यता नहीं दी है अर्थात डिरिकॉगनाइज किया है। शेयरों को प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर वापस खरीदने की पेशकश की गई थी और कंपनी ने इसे खुले बाजार में कम कीमतों पर शेयरों को बेचने के बजाय इस मोड के माध्यम से बहुत सारे इक्विटी शेयरों को बेचने का एक अवसर माना।

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), हैदराबाद बेंच द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को लैंको तीस्ता हाइड्रो पॉवर लिमिटेड के संबंध में पारित संकल्प योजना के अनुमोदन के अनुक्रम में कंपनी ने आदेश के अनुसार 102 करोड़ रुपए (प्रत्येक 10 रुपए के 10.20 करोड़ इक्विटी शेयर) के इक्विटी निवेश को बट्टेखाते में डाल दिया है ।

इक्विटी शेयरों की वास्तविक बिक्री के कारण निवेशों को मान्यता न देने के बाद कंपनी ने इस तरह के शेयरों पर निबल कर प्रभाव के संचयी लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय से अवधि के दौरान बनाए रखी गई आय में स्थानांतरित कर दिया है।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप 'अन्य व्यापक परिसंपत्तियों' के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.20 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार
(क) कार्मिकों को ऋण (टिप्पणी 12.1 के संदर्भ में)	34.61	28.80
(ख) कार्मिकों को अग्रिम	0.30	0.32
(ग) प्रतिभूति जमा राशि	1.88	1.76
(घ) भारत सरकार से वसूली योग्य		
– भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में (टिप्पणी 23.5 के संदर्भ में)	21,931.30	18,131.11
– सरकारी योजनाओं पर एंजेसी प्रभार	50.64	159.61
– सरकारी योजनाओं पर व्यय की अदायगी	48.17	0.91
कुल – भारत सरकार से वसूली योग्य	**22,030.11**	**18,291.63**
(च) राज्य विद्युत बोर्डों / अन्यों से वसूलनी	5.20	14.12
(छ) अन्य वसूली योग्य राशि	37.23	39.40
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (टिप्पणी 12.2 के संदर्भ में)	(30.85)	(26.69)
अन्य राशि वसूली योग्य (निवल)	**6.38**	**12.71**
(ज) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	21.19	14.65
कुल (क से ज)	**22,099.67**	**18,363.99**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

12.1 कार्मिकों को ऋण के विवरण

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्मिकों के दिए जाने वाले सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.20 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार
(क)	प्रतिभूत ऋण		
	–मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	7.29	3.74
	उप – जोड़ (क)	**7.29**	**3.74**
(ख)	अप्रतिभूत ऋण		
	–मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.33	0.46
	– अन्य को	26.99	24.60
	उप – जोड़ (ख)	**27.32**	**25.06**
	जोड़ (क+ख)	**34.61**	**28.80**

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि रु. 6.59 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 5.72 करोड़) है, शामिल है।

12.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.20 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार
प्रारम्भिक शेष	26.69	12.27
जोड़े : वर्ष के दौरान सृजित	5.78	14.42
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस बदल दिया गया / समायोजित किया गया	(1.62)	-
समाप्ति पर शेष	**30.85**	**26.69**

13 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.20 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	1,889.71	2,056.31
घटाएं: आय कर हेतु प्रावधान	(1,613.59)	(1,850.05)
उप– जोड़ (1)	**276.12**	**206.26**
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर पर जमा कर	201.11	92.12
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर हेतु प्रावधान	(67.29)	(5.21)
उप– जोड़ (2)	**133.82**	**86.91**
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**409.94**	**293.17**

14 आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.20 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	**2,050.57**	**2,305.93**

14.1 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकग्नाइज्ड	ओसीआई में रिकग्नाइज्ड	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,977.79	(686.06)	-	-	2,291.73
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.19	(0.06)	-	-	4.13
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	7.57	(2.06)	-	-	5.51

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकग्नाइज्ड	ओसीआई में रिकग्नाइज्ड	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई निवेशों	(0.78)	(1.61)	12.39	-	10.00
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	(12.04)	306.79	144.90	-	439.65
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (पट्टा देयताओं का निवल)	-	0.04	-	-	0.04
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2,976.73**	**(382.96)**	**157.29**	**-**	**2,751.06**
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के विभिन्न कर आधार में देय	2.82	(1.30)	-	-	1.52
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार–चढ़ाव	267.26	181.69	-	-	448.95
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	336.89	(99.44)	-	-	237.45
सहायक कंपनियों का समेकित असंवितरित लाभ का हिस्सा	56.35	(56.35)	-	-	-
इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए लेखाकृत संयुक्त उद्यम का असंवितरित लाभ का हिस्सा	7.48	(7.48)	-	-	-
अन्य	-	12.57	-	-	12.57
कुल आस्थगित कर देयताएं	**670.80**	**29.69**	**-**	**-**	**700.49**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**2,305.93**	**(412.65)**	**157.29**	**-**	**2,050.57**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकग्नाइज्ड	ओसीआई में रिकग्नाइज्ड	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,992.06	(14.27)	-	-	2,977.79
अर्जित अवकाश और लॉयल्टी बोनस के लिए प्रावधान	3.62	0.57	-	-	4.19
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	6.91	0.66	-	-	7.57
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**3,002.59**	**(13.04)**	**-**	**-**	**2,989.55**
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के विभिन्न कर आधार में देय	2.98	(0.16)	-	-	2.82
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार–चढ़ाव	30.15	237.11	-	-	267.26
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	(9.27)	21.31	-	-	12.04
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	61.88	275.01	-	-	336.89
एफवीओसीआई निवेशों	0.10	-	0.68	-	0.78
सहायक कंपनियों का समेकित असंवितरित लाभ का हिस्सा	68.38	(12.03)	-	-	56.35
इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए लेखाकृत संयुक्त उद्यम का असंवितरित लाभ का हिस्सा	5.94	1.54	-	-	7.48
कुल आस्थगित कर देयताएं	**160.16**	**522.78**	**0.68**	**-**	**683.62**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**2,842.43**	**(535.82)**	**(0.68)**	**-**	**2,305.93**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

15 निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान अतरिक्त	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	समाप्ति पर शेष राशि
वित्त वर्ष 2019–20	**0.01**	**-**	**-**	**0.01**
वित्त वर्ष 2018–19	**0.01**	**-**	**-**	**0.01**

15.1 कंपनी ने निवेश परिसंपत्ति के रूप में कम आंके गए भावी प्रयोग के लिए रखी गई भूमि वर्गीकृत की है और उस पर कोई किराये की आय अर्जित नहीं कर रही है।

15.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्यः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
धारित मूल्य	0.01	0.01
उचित मूल्य	0.61	0.61

कंपनी कम से कम वार्षिक रूप से अपनी निवेश संपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य उन संपत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें हैं। जहां वह सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां कंपनी विभिन्न स्रोतों से सूचना पर विचार करती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैंः

– विभिन्न प्रकार की समान परिसंपत्तियों के सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें अथवा कम सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों की हाल की कीमतें जो उन अंतरों को दर्शाने के लिए समायोजित की गई हैं।

– जिस अधिकार क्षेत्र में निवेश संपत्ति स्थित है, वहां वर्तमान सर्किल दरें।

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है और प्रयुक्त मुख्य इनपुट समान परिसंपत्तियों की सर्किल दरें और वर्तमान कीमतें हैं। निवेश संपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य आकलन लेवल–3 में शामिल हैं।

16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर										पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तिया	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोल्ड भूमि	लीजहोल्ड भूमि	भवन	राईट टू यूज–भवन	फर्नीचर और फिक्सचर्स	ईडीपी उपस्कर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	लीजहोल्ड सुधार	कुल	अचल संपत्ति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल धारित मूल्य													
31.03.2018 के अनुसार	**82.92**	**1.59**	**31.74**	**-**	**9.38**	**18.20**	**17.60**	**0.40**	**2.36**	**164.19**	**127.23**	**1.46**	**12.47**
परिवर्धन	27.47	-	-	-	1.82	5.12	3.25	-	0.12	37.78	58.34	0.13	4.91
पूंजीगत लागत उधारियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.37	-	-
निपटान / समायोजन	-	-	-	-	0.21	0.87	0.95	-	-	2.03	-	-	-
31.03.2019 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**31.74**	**-**	**10.99**	**22.45**	**19.90**	**0.40**	**2.48**	**199.94**	**196.94**	**1.59**	**17.38**
परिवर्धन	-	-	-	2.65	1.84	2.84	3.30	-	-	10.63	74.89	-	3.57
पूंजीगत लागत उधारियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.79	-	-
निपटान/ समायोजन	-	-	-	-	0.84	2.35	2.22	-	-	5.41	-	0.82	7.21
31.03.2020 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**31.74**	**2.65**	**11.99**	**22.94**	**20.98**	**0.40**	**2.48**	**205.16**	**287.62**	**0.77**	**13.74**
संचित अवमूल्यन / परिशोधन													
31.03.2018 अनुसार	**-**	**0.29**	**8.10**	**-**	**5.94**	**13.21**	**9.33**	**0.27**	**0.46**	**37.60**	**-**	**-**	**7.31**
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.02	0.48	-	0.65	2.75	2.41	0.03	0.44	6.78	-	-	1.52
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	-	0.06	0.61	0.40	-	-	1.07	-	-	-
31.03.2019 के अनुसार	**-**	**0.31**	**8.58**	**-**	**6.53**	**15.35**	**11.34**	**0.30**	**0.90**	**43.31**	**-**	**-**	**8.83**
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.01	0.48	0.77	0.73	3.25	2.78	0.02	0.44	8.48	-	-	3.30
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	-	0.35	2.04	1.21	-	-	3.60	-	-	7.21
31.03.2020 के अनुसार	**-**	**0.32**	**9.06**	**0.77**	**6.91**	**16.56**	**12.91**	**0.32**	**1.34**	**48.19**	**-**	**-**	**4.92**
31.03.19 के अनुसार निवल ब्लॉक	**110.39**	**1.28**	**23.16**	**-**	**4.46**	**7.10**	**8.56**	**0.10**	**1.58**	**156.63**	**196.94**	**1.59**	**8.55**
31.03.20 के अनुसार निवल ब्लॉक	**110.39**	**1.27**	**22.68**	**1.88**	**5.08**	**6.38**	**8.07**	**0.08**	**1.14**	**156.97**	**287.62**	**0.77**	**8.82**

*यह पट्टाधारक (पट्टा होल्ड) भूमि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 17 के अंतर्गत वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया और इसे इंड एएस116 के रूप में परिवर्तित किए जाने पर 01 अप्रैल 2019 से उपयोग के अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

16.1 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी द्वारा अधिगृहीत कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में कनवेंस डीड के पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	भूमि	भवन	भूमि	भवन
सकल धारित मूल्य	68.31	4.59	68.31	4.59
निवल धारित मूल्य	68.31	2.14	68.31	2.20

16.2 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कंपनी के प्रतिभूति उधारों के तुलना में प्रतिभूत के रूप में रखे गए हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
सकल धारित मूल्य	3.45	3.45
निवल धारित मूल्य	2.41	2.46

16.3 प्रबंधन के मत में उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन अथवा कोई घटनाएं नहीं हैं जो भारतीय लेखांकन मानक 36 "परिसंपत्तियों की हानि" के संदर्भ में पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि दर्शाएं। तद्नुसार, हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

16.4 जबकि कंपनी ने किसी अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट उधार नहीं लिया है, फिर भी कंपनी ने इंड एएस 23 'उधार लेने की लागत' के संदर्भ में कंपनी के लिए उधार की औसत दर पर सामान्य उधारियों के लिए उधार लेने की कुछ लागतों को पूंजीकृत किया गया है। लागू लेखांकन मार्गदर्शन के अनुसार, कंपनी ने उस अवधि के लिए उधार लेने की लागत को पूंजीकृत नहीं किया है जिसके दौरान निर्माण कार्य को कोविद–19 व्यवधानों के कारण रोक दिया गया है।

16.5 भारतीय लेखांकन मानक 38 "अमूर्त परिसंपत्तियां" के तहत अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन

परिशोधन दर 20 प्रतिशत (परिसंपत्ति की कुल लागत के मामले में 100 प्रतिशत, 5,000 रुपए अथवा कम है)।

17 अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
	प्रतिभूति, शोध्य समझे गए		
(क)	पूंजीगत अग्रिम (प्रतिभूति, शोध्य समझे गए)	50.38	35.72
(ख)	अन्य अग्रिम	5.75	30.82
(ग)	सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	59.58	62.02
(घ)	पूर्वप्रदत्त व्यय	0.22	7.64
(च)	आस्थगित कार्मिक लागत	13.21	12.20
(छ)	आस्थगित व्यय	3.19	-
(ज)	अन्य परिसंपत्तियां	0.04	0.01
	कुल (क से ज)	**132.37**	**148.41**

18 निपटान समूह

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
	बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां		
(क)	संबंध कंपनियों के लिए निवेश	0.20	0.50
(ख)	संबंध कंपनियों के लिए ऋण	9.33	9.06
	कुल (क+ख)	**9.53**	**9.56**
	बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएँ		
(ग)	एसोसिएट के लिए प्रतिदेय	0.68	0.08
	कुल (ग)	**0.68**	**0.08**
	निपटान समूह – निवल परिसंपत्तियां (क+ख+ग)	**8.85**	**9.48**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

18.1 संबद्ध कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
संबद्ध कंपनियों (पूर्णतया प्रदत्त) के इक्विटी लिखतों में निवेश		
प्रत्येक ₹ 10 के प्रति इक्विटी शेयर		
दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड"	-	-
अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड	-	0.05
भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
जम खंभालिया ट्रांस्को लिमिटेड	-	0.05
खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड	-	0.05
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
लकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड	-	0.05
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
कुल	**0.20**	**0.50**

***दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड की अधिसूचना को दिनांक 25 मार्च 2019 को जारी किए गए विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के पत्र के आधार पर निरस्त किया गया और तत्पश्चात निवेश को बट्टेखाते में डाला गया। एमसीए के साथ कंपनी का नाम हटवाने के लिए एमओपी की अनुमति वर्ष के दौरान प्राप्त कर ली गई है।*

18.2 संबद्ध कंपनियों के लिए ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.49	1.99
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.18	1.94
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.43	1.71
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.23	1.76
अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड	-	0.18
भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.88
उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.25
डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड	-	0.35
कुल	**9.33**	**9.06**

18.3 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
बिदर कर्नाटक लाइन*	0.10	-
गडग कर्नाटक पार्ट ए लाइन*	0.10	-
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट ए लाइन*	0.11	-
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट बी लाइन*	0.06	-
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट सी लाइन*	0.16	-
राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन*	0.15	-
उस्मानाबाद महाराष्ट्र लाइन*	-	-
खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड	-	0.04
लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड	-	0.04
कुल	**0.68**	**0.08**

**ये एसपीवी निगमन की प्रक्रिया में हैं। हालांकि, मार्च 2020 तक आरएफपी जारी किया गया इसलिए आवंटन नीति के अनुसार, व्यय आवंटित किया गया है।*

प्रबंधन ने विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से, विद्युत मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार इन कंपनियों को उन्हें बेचने की दृष्टि से निगमित किया था। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि प्रबंधन उन्हें बेचने के सिवाय उन कंपनियों से लाभ प्राप्त करेगा। अतः इन सभी निवेशों (संबद्ध परिसंपत्तियों और देयताओं सहित) को षबिक्री के लिए रखी गईष के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

19 देय ट्रेड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
देय ट्रेड		
एमएसएमई का कुल बकाया देय	0.15	2.65
एमएसएमई से भिन्न जमाकर्ताओं का कुल बकाया देय	46.00	64.64
कुल	**46.15**	**67.29**

20 ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
(क) प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ				
(i) संस्थागत बॉण्ड	3,470.00	3,679.51	11,019.40	11,599.27
(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	21,976.14	22,781.73	23,157.88	24,010.13
(i) कर मुक्त बॉण्ड	12,602.97	13,041.35	12,577.97	13,010.38
(iv) बॉण्ड आवेदन राशि	400.19	399.41	722.04	720.48
उप – जोड़ (क)	**38,449.30**	**39,902.00**	**47,477.29**	**49,340.26**
(ख) अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) संस्थागत बॉण्ड	148,650.20	153,672.91	118,253.90	122,201.55
(ii) अवसंरचना बॉण्ड	16.46	25.19	91.43	98.75
(iii) जीरो कूपन बॉण्ड	1,364.85	1,363.91	1,259.57	1,258.56
(iv) विदेशी मुद्रा बॉण्ड	22,615.78	22,064.56	12,796.69	12,172.07
उप – जोड़ (ख)	**172,647.29**	**177,126.57**	**132,401.59**	**135,730.93**
(ग) अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) कमर्शियल पेपर	2,925.00	2,889.68	7,975.00	7,696.32
उप – जोड़ (ग)	**2,925.00**	**2,889.68**	**7,975.00**	**7,696.32**
कुल – ऋण प्रतिभूतियां (क+ख+ग)	**214,021.59**	**219,918.25**	**187,853.88**	**192,767.51**
भारत में/ से बाहर निर्गत ऋण प्रतिभूतियां				
(i) भारत में निर्गत ऋण – प्रतिभूतियां	191,405.81	197,853.69	175,057.19	180,595.44
(ii) विदेशों में निर्गत ऋण प्रतिभूतियां	22,615.78	22,064.56	12,796.69	12,172.07
जोड़– ऋण प्रतिभूतियां	**214,021.59**	**219,918.25**	**187,853.88**	**192,767.51**

कृपया अंकित मूल्य में प्रतिबिम्बित आंकडों और परिशोधित लागत के आंकडों के बीच पुनर्मिलान के लिए नोट संख्या 22.2 देखें, जिसमें अर्जित ब्याज और परिशोधित खर्चे शामिल हैं।

20.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ का विवरण – प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 21.6 का संदर्भ लें

(I) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
123–IIIबी श्रृंखला – 9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	1,955.00	2,063.95	1,955.00	2,062.61
123–I श्रृंखला – 9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय	1,515.00	1,615.56	1,515.00	1,615.29
92–II श्रृंखला – 8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय	-	-	945.30	960.65
91–II श्रृंखला – 8.80% सममूल्य पर दिनांक 18.11.2019 को विमोचनीय	-	-	995.90	1,028.23
90–सी–II श्रृंखला– 8.80% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2019 को विमोचनीय	-	-	1,040.00	1,084.29
90–ख–II श्रृंखला – 8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय	-	-	868.20	911.48
90वीं श्रृंखला – 8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय	-	-	2,000.00	2,116.21
122वीं श्रृंखला –9.02% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2019 को विमोचनीय	-	-	1,700.00	1,820.51
कुल संस्थागत बॉण्ड	**3,470.00**	**3,679.51**	**11,019.40**	**11,599.27**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला XII (2018–19) 5.75% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विमोचनीय	5,759.14	5,907.48	-	-
श्रृंखला XII (2018–19) 5.75% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विमोचनीय	6,651.77	6,934.10	5,929.73	6,083.83
श्रृंखला XI (2017–18) 5.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विमोचनीय	9,565.23	9,940.15	9,565.23	9,934.60
श्रृंखला X (2016–17) 5.25–6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान विमोचनीय	-	-	7,662.92	7,991.70
जोड़–54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	**21,976.14**	**22,781.73**	**23,157.88**	**24,010.13**

(III) कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला 2015–16 भाग 1 वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोच्य हैं, ₹ 172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोच्य है और ₹ 417.73 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य हैं।	696.56	710.38	696.56	710.13
श्रृंखला 2015–16 श्रृंखला 5क 7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय हैं।	300.00 -	306.98 -	300.00 -	306.92 -
श्रृंखला 2013–14 भाग 2 वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोच्य हैं, ₹ 528.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोच्य है और ₹ 109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोच्य हैं।	1,057.40	1,083.38	1,057.40	1,082.77
श्रृंखला 2013–14 श्रृंखला 4क एवं 4ख वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं और द्य ₹ 45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोच्य हैं।	150.00	155.69	150.00	155.64
श्रृंखला 2013–14 भाग 1 वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोच्य हैं, ₹ 2,780.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोच्य हैं और ₹ 55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोच्य हैं।	3,410.60	3,494.00	3,410.60	3,492.27
श्रृंखला 2013–14 श्रृंखला 3क एवं 3ख वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोच्य हैं।	1,350.00	1,415.07	1,350.00	1,414.77
श्रृंखला 2012–13 भाग 2 वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।	131.06	133.92	131.06	133.84
श्रृंखला 2012–13 भाग 1 वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 842.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।	2,007.35	2,053.10	1,982.35	2,026.43
श्रृंखला 2012–13 श्रृंखला 2क और 2ख वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।	500.00	513.01	500.00	512.92

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला 2011–12 वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 28.03.2022 को विमोच्य हैं और ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 29.03.2027 को विमोच्य हैं।	3,000.00	3,175.82	3,000.00	3,174.69
जोड़ – कर–मुक्त बॉण्ड	**12,602.97**	**13,041.35**	**12,577.97**	**13,010.38**

(iv) बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड 5.75% आबंटन की डीम्ड तिथि से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर प्रतिदेय	400.19	399.41	722.04	720.48
जोड़: बॉण्ड आवेदन राशि	**400.19**	**399.41**	**722.04**	**720.48**

20.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(I) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
183वीं श्रृंखला– 8.29% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2034 को विमोचनीय	3,028.00	3,163.54	-	-
182वीं श्रृंखला– 8.18% सममूल्य पर दिनांक 22.08.2034 को विमोचनीय	5,063.00	5,315.09	-	-
189वीं श्रृंखला– 7.92% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	3,054.90	3,054.80	-	-
188वीं बी श्रृंखला– 7.89% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	1,100.00	1,100.07	-	-
192वीं श्रृंखला– 7.50% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2030 को विमोचनीय	2,382.00	2,393.16	-	-
184वीं–ए श्रृंखला– 8.25% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2029 को आंशिक रूप से प्रदत्त डिबेंचर विमोचनीय	290.20	302.31	-	-
180वीं–बी श्रृंखला– 8.30% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2029 को विमोचनीय	2,070.90	2,163.58	-	-
178वीं– श्रृंखला– 8.80% सममूल्य पर दिनांक 14.05.2029 को विमोचनीय	1,097.00	1,167.75	-	-
176वीं– श्रृंखला– 8.85% सममूल्य पर दिनांक 16.04.2029 को विमोचनीय	1,600.70	1,735.59	-	-
169वीं श्रृंखला– 8.37% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2028 को विमोचनीय	2,554.00	2,621.29	2,554.00	2,620.27
168वीं श्रृंखला– 8.56% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2028 को विमोचनीय	2,552.40	2,626.01	2,552.40	2,624.99
163वीं श्रृंखला– 8.63% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,628.20	2,500.00	2,627.34
162वीं श्रृंखला– 8.55% सममूल्य पर दिनांक 09.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,637.55	2,500.00	2,636.73
156वीं श्रृंखला–7.70% सममूल्य पर दिनांक 10.12.2027 को विमोचनीय	3,533.00	3,614.64	3,533.00	3,614.04
147वीं श्रृंखला–7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय	2,745.00	2,745.34	2,745.00	2,745.25
142वीं श्रृंखला– 7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय	3,000.00	3,056.26	3,000.00	3,055.73
140वीं श्रृंखला– 7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय	2,100.00	2,152.27	2,100.00	2,151.90
136वीं श्रृंखला– 8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय	2,585.00	2,671.22	2,585.00	2,670.69
95–II श्रृंखला– 8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय	1,800.00	1,913.61	1,800.00	1,913.49
94वीं श्रृंखला– 8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय	1,250.00	1,339.05	1,250.00	1,339.00
133वीं श्रृंखला– 8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय	2,396.00	2,452.91	2,396.00	2,452.88
190वीं ए श्रृंखला– 6.88% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2025 को विमोचनीय	2,500.00	2,523.03	-	-
131वीं श्रृंखला– 8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय	2,285.00	2,304.14	2,285.00	2,303.12
130वीं श्रृंखला– 8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय	2,325.00	2,493.00	2,325.00	2,492.75

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
129वीं श्रृंखला– 8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय	1,925.00	2,063.40	1,925.00	2,063.19
128वीं श्रृंखला– 8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय	2,250.00	2,418.53	2,250.00	2,418.29
186वीं बी श्रृंखला –7.40% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2024 को विमोचनीय	1,500.00	1,537.86	-	-
191वीं बी श्रृंखला– 6.99% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2024 को विमोचनीय	1,100.00	1,107.13	-	-
180वीं ए श्रृंखला– 8.10% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2024 को विमोचनीय	1,018.00	1,070.52	-	-
184वीं बी श्रृंखला एसटीआरपी–डी –7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2023 को विमोचनीय	298.00	309.47	-	-
191वीं ए श्रृंखला– 6.80% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.95	-	-
114वीं श्रृंखला– 8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय	4,300.00	4,666.58	4,300.00	4,666.20
188वीं ए श्रृंखला– 7.12% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2023 को विमोचनीय	1,400.00	1,400.13	-	-
159वीं श्रृंखला– 7.99% सममूल्य पर दिनांक 23.02.2023 को विमोचनीय	950.00	957.40	950.00	957.07
187वीं श्रृंखला– 7.24% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2022 को विमोचनीय	2,090.00	2,129.37	-	-
185वीं श्रृंखला– 7.09% सममूल्य पर दिनांक 13.12.2022 को विमोचनीय	2,759.00	2,816.83	-	-
155वीं श्रृंखला– 7.45% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2022 को विमोचनीय	1,912.00	1,959.12	1,912.00	1,958.62
111–II श्रृंखला– 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	2,211.20	2,283.64	2,211.20	2,283.10
152वीं श्रृंखला– 7.09% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2022 को विमोचनीय	1,225.00	1,264.12	1,225.00	1,263.82
184वीं–बी श्रृंखला एसटीआरपी–सी– 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2022 को विमोचनीय	300.00	311.56	-	-
150वीं श्रृंखला– 7.03% सममूल्य पर दिनांक 07.09.2022 को विमोचनीय	2,670.00	2,775.25	2,670.00	2,774.70
186वीं ए श्रृंखला– 6.90% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,559.27	-	-
107वीं श्रृंखला– 9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	2,378.20	2,554.46	2,378.20	2,554.12
179वीं श्रृंखला– 8.15% सममूल्य पर दिनांक 10.06.2022 को विमोचनीय	1,000.00	1,065.61	-	-
167वीं श्रृंखला– 8.45% सममूल्य पर दिनांक 22.03.2022 को विमोचनीय	2,571.80	2,577.54	2,571.80	2,576.88
173वीं श्रृंखला– 8.35% सममूल्य पर दिनांक 11.3.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,510.23	2,500.00	2,509.41
132वीं श्रृंखला– 8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय	700.00	750.72	700.00	750.61
145वीं श्रृंखला– 7.46% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2022 को विमोचनीय	625.00	628.97	625.00	628.75
165वीं श्रृंखला– 8.83% सममूल्य पर दिनांक 21.01.2022 को विमोचनीय	2,171.00	2,207.50	2,171.00	2,206.47
193वीं श्रृंखला– 6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	1,115.00	1,118.70	-	-
190वीं बी श्रृंखला– 6.32% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	2,489.40	2,511.05	-	-
177वीं श्रृंखला– 8.50% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2021 को विमोचनीय	1,245.00	1,274.50	-	-
141वीं श्रृंखला– 7.14% सममूल्य पर दिनांक 09.12.2021 को विमोचनीय	1,020.00	1,038.00	1,020.00	1,037.69
127वीं श्रृंखला– 8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय	1,550.00	1,664.78	1,550.00	1,664.56
105वीं श्रृंखला– 9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	3,922.20	4,070.07	3,922.20	4,069.16
139वीं श्रृंखला– 7.24% सममूल्य पर दिनांक 21.10.2021 को विमोचनीय	2,500.00	2,575.10	2,500.00	2,574.49
184वीं–बी श्रृंखला एसटीआरपी– बी– 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2021 को विमोचनीय	300.00	311.57	-	-
101–III श्रृंखला– 9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	3,171.80	3,364.34	3,171.80	3,363.70
100वीं श्रृंखला– 9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	1,500.00	1,603.01	1,500.00	1,602.90
174वीं श्रृंखला– 8.15% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2021 को विमोचनीय	2,720.00	2,894.03	2,720.00	2,727.18
161बी श्रृंखला– 7.73% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2021 को विमोचनीय	800.00	849.01	800.00	848.86
154 श्रृंखला– 7.18% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2021 को विमोचनीय	600.00	637.04	600.00	636.89
157वीं श्रृंखला– 7.60% सममूल्य पर दिनांक 17.04.2021 को विमोचनीय	1,055.00	1,131.47	1,055.00	1,131.27
158वीं श्रृंखला– 7.70% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	2,465.00	2,473.46	2,465.00	2,473.14
98वीं श्रृंखला– 9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	3,000.00	3,012.79	3,000.00	3,012.83
153वां श्रृंखला– 6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2020 को विमोचनीय	2,850.00	2,899.77	2,850.00	2,898.98
97वीं श्रृंखला– 8.80% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2020 को विमोचनीय	2,120.50	2,183.61	2,120.50	2,183.11
96वीं श्रृंखला– 8.80% सममूल्य पर दिनांक 26.10.2020 को विमोचनीय	1,150.00	1,193.96	1,150.00	1,193.81

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
184वीं–बी श्रृंखला एसटीआरपी–ए – 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2020 को विमोचनीय	300.00	311.63	-	-
149वीं श्रृंखला– 6.87% सममूल्य पर दिनांक 24.09.2020 को विमोचनीय	2,485.00	2,573.44	2,485.00	2,572.86
135वीं श्रृंखला– 8.36% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2020 को विमोचनीय	2,750.00	2,817.12	2,750.00	2,817.11
144वीं श्रृंखला– 7.13% सममूल्य पर दिनांक 21.09.2020 को विमोचनीय	835.00	840.30	835.00	840.00
172वीं श्रृंखला– 8.57% सममूल्य पर दिनांक 20.08.2020 को विमोचनीय	1,790.00	1,884.21	1,790.00	1,806.05
134वीं श्रृंखला– 8.37% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2020 को विमोचनीय	2,675.00	2,740.31	2,675.00	2,740.10
143वीं श्रृंखला– 6.83% सममूल्य पर दिनांक 29.06.2020 को विमोचनीय	1,275.00	1,289.46	1,275.00	1,289.08
148वीं श्रृंखला– 7.42% सममूल्य पर दिनांक 17.06.2020 को विमोचनीय	1,200.00	1,203.61	1,200.00	1,203.42
161वां ए श्रृंखला– 7.59% सममूल्य पर दिनांक 13.03.2020 को विमोचनीय	-	-	3,000.00	3,010.44
113वीं श्रृंखला– 8.87% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2020 को विमोचनीय	-	-	1,542.00	1,550.86
111–I श्रृंखला– 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय	-	-	452.80	467.65
126वीं श्रृंखला– 8.56% सममूल्य पर दिनांक 13.11.2019 को विमोचनीय	-	-	1,700.00	1,755.25
125वीं श्रृंखला– 9.04% सममूल्य पर दिनांक 11.10.2019 को विमोचनीय	-	-	3,000.00	3,124.59
160वीं श्रृंखला– 7.77% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2019 को विमोचनीय	-	-	1,450.00	1,510.68
108–II श्रृंखला– 9.39% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय	-	-	960.00	1,022.94
95–I श्रृंखला– 8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय	-	-	200.00	212.54
जोड़ – संस्थागत बॉण्ड	**148,650.20**	**153,672.91**	**118,253.90**	**122,201.55**

ii अवसंचरना बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला–II (2011–12) – सममूल्य पर विमोचनीय	11.07	19.80	11.07	18.37
श्रृंखला–I (2010–11) – सममूल्य पर विमोचनीय	5.39	5.39	80.36	80.38
कुल– इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	**16.46**	**25.19**	**91.43**	**98.75**

जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011–12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	5.73	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	1.38	1.38	
9.15% संचयी	2.83	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	**1.13**	**1.13**	
जोड़	**11.07**	**11.07**	

राशि को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला–I (2010–11)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	विमोचन का विवरण
8.00%	-	16.92	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5/6/7/8/9 वर्ष के बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.20%	-	58.04	
8.10%	1.61	1.61	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	3.78	3.79	
Total	**5.39**	**80.36**	

राशि को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) जीरो कूपन बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार		31–03–19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य *	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य *	परिशोधित मूल्य
जेडसीबी – श्रृंखला – II (अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय हैं)।	250.29	250.14	230.11	229.95
जेडसीबी – श्रृंखला – I (अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय हैं)।	1,114.56	1,113.77	1,029.46	1,028.61
कुल – जीरो कूपन बॉण्ड	**1,364.85**	**1,363.91**	**1,259.57**	**1,258.56**

* *जीरो कूपन बाण्ड्स के जारी होने पर अपरिशोधित निवल अंकित मूल्य को दर्शाता है।*

(iv) विदेशी मुद्रा बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार		31–03–19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
4.625% यूएस $300 मिलियन बॉण्ड – सममूल्य पर दिनांक 22.03.2028 को विमोचनीय	2,261.58	2,035.23	2,075.14	1,848.33
3.875% यूएस $450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड–सममूल्य पर दिनांक 07.07.2027 को विमोचनीय	3,392.37	2,982.46	3,112.71	2,693.94
3.50% यूएस $500 मिलियन बॉण्ड–सममूल्य पर दिनांक 12.12.2024 को विमोचनीय	3,769.30	3,795.87	-	-
3.375% यूएस $650 मिलियन बॉण्ड–सममूल्य पर दिनांक 25.07.2024 को विमोचनीय	4,900.08	4,900.27	-	-
4.625% यूएस $700 मिलियन बॉण्ड–सममूल्य पर दिनांक 13.11.2023 को विमोचनीय	5,277.01	5,329.61	4,841.99	4,882.85
3.068% यूएस $400 मिलियन बॉण्ड–सममूल्य पर दिनांक 18.12.2020 को विमोचनीय	3,015.44	3,021.12	2,766.85	2,746.95
उप–जोड़– विदेशी मुद्रा बॉण्ड	**22,615.78**	**22,064.56**	**12,796.69**	**12,172.07**

20.3 अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) वाणिज्यिक दस्तावेज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार		31–03–19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
वाणिज्यिक दस्तावेज	2,925.00	2,889.68	7,975.00	7,696.32

बकाया वाणिज्यिक दस्तावेज का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार		31–03–19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
57वीं श्रृंखला – 8.04% दिनांक 30.04.2019 को प्रतिदेय	-	-	2,750.00	2,732.99
58वीं श्रृंखला – 7.60% दिनांक 27.09.2019 को प्रतिदेय	-	-	1,875.00	1,808.27
59वीं श्रृंखला – 7.72% दिनांक 30.12.2019 को प्रतिदेय	-	-	2,350.00	2,222.86
60वीं श्रृंखला – 7.90% दिनांक 04.03.2020 को प्रतिदेय	-	-	1,000.00	932.20
63वीं श्रृंखला – 7.90% दिनांक 19.06.2020 को प्रतिदेय	675.00	664.69	-	-
64वीं श्रृंखला – 5.48% दिनांक 15.06.2020 को प्रतिदेय	2,250.00	2,224.99	-	-
कुल	**2,925.00**	**2,889.68**	**7,975.00**	**7,696.32**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

21. उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31–03–20 के अनुसार		31–03–19 के अनुसार	
		अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
(क)	**प्रतिभूत दीर्घावधि उधारियाँ**				
(i)	अन्य से आवधिक ऋण – वित्तीय लिखतें	-	-	200.00	207.33
	उप–जोड़ (क)	**-**	**-**	**200.00**	**207.33**
(ख)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियाँ**				
(i)	पट्टा देयताएं	2.12	2.12	0.11	0.11
(ii)	भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	10,326.81	5,000.00	5,121.84
(iii)	बैंकों से आवधिक ऋण	18,899.78	18,900.72	18,550.00	18,555.08
(iv)	वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
(v)	विदेशी मुद्रा उधारियाँ	21,762.71	21,579.29	17,637.62	17,450.46
(vi)	एफसीएनआर (बी) ऋण	1,017.71	1,020.89	933.81	936.96
	उप–जोड़ (ख)	**52,682.32**	**52,829.83**	**43,121.54**	**43,064.45**
(ग)	**अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ**				
(i)	एफसीएनआर (बी) ऋण	5,955.49	5,964.91	3,389.39	3,390.76
(ii)	बैंकों से मांग पर अल्पावधि ऋण / ऋण प्रतिदेय	2,754.86	2,755.92	-	-
	उप–जोड़ (ग)	**8,710.35**	**8,720.83**	**3,389.39**	**3,390.76**
	कुल– उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) (क से ग)	**61,392.67**	**61,550.66**	**46,710.93**	**46,662.54**
	भारत में / से बाहर उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)				
(i)	भारत में उधारियाँ	39,629.96	39,971.37	29,073.31	29,212.08
(ii)	भारत से उधारियाँ	21,762.71	21,579.29	17,637.62	17,450.46
	कुल – उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा	**61,392.67**	**61,550.66**	**46,710.93**	**46,662.54**

कृपया अंकित मूल्य में प्रतिबिम्बित आंकडों और परिशोधित लागत के आंकडों के बीच पुनर्मिलान के लिए नोट संख्या 22.2 देखें, जिसमें अर्जित ब्याज और परिशोधित खर्चे शामिल हैं।

21.1 –प्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों का विवरण – प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 21.6 का संदर्भ देखे

(i) अन्य से प्रतिभूत आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार		31–03–19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
– भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)		-	200.00	207.33
जोड़ – अन्य से आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएं	**-**	**-**	**200.00**	**207.33**

21.2 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण

(i) नेशनल स्माल सेविंग फंड (एनएसएसएफ) से अप्रतिभूत आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार		31–03–19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
– नेशनल स्माल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ) से ऋण	10,000.00	10,326.81	5,000.00	5,121.84
13.12.2028 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.10.2029 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय				
जोड़ – सरकार से आवधिक ऋण	**10,000.00**	**10,326.81**	**5,000.00**	**5,121.84**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ii) बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार		31–03–19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
– बैंक ऑफ बड़ौदा 12.12.2020 को रु. 416.75 करोड़ प्रतिदेय, ₹ 12.12.2021 को 1041.75 करोड़ प्रतिदेय एवं 12.12.2022 को ₹ 1041.50 करोड़ प्रतिदेय	2,500.00	2,500.52	-	-
– कारपोरेशन बैंक * ऋण 6 अर्धवार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 06.09.2021 को देय है।	699.99	699.99	1,000.00	1,000.00
–एचडीएफसी बैंक 29.04.2020 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 29.09.2023 को ₹ 300 करोड़ प्रतिदेय, 11.10.2023 को ₹ 350 करोड़ प्रतिदेय, 06.11.2023 को ₹ 350 करोड़ प्रतिदेय, 15.01.2024 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय	2,000.00	2,000.42	2,000.00	2,000.46
–पंजाब नेशनल बैंक ₹ 2,000 करोड़ 3 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 14.09.2021 को देय है।	1,999.99	1,999.99	3,500.00	3,500.00
–स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹ 5,000 करोड़ 3 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय तथा पहली किश्त 15.10.2021 को देय है, ₹ 2,300 करोड़ 5 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय तथा पहली किश्त 05.09.2020 को देय है।	7,299.92	7,299.92	7,300.00	7,300.00
–ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स* ऋण 8 अर्ध–वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 30.03.2022 को देय हो रही है।	399.88	399.88	750.00	750.00
–यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऋण 6 अर्ध–वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 24.06.2022 को देय हो रही है।	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00
–सिंडिकेट बैंक* ₹ 500 करोड़ 4 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय तथा पहली किश्त 28.08.2021 को देय है, ₹ 2,000 करोड़ 4 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय तथा पहली किश्त 28.02.2022 को देय है।	2,500.00	2,500.00	-	-
–यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया*	-	-	1,000.00	1,004.50
–बैंक ऑफ इंडिया	-	-	2,000.00	2,000.00
–केनरा बैंक	-	-	500.00	500.12
जोड़ – बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण	**18,899.78**	**18,900.72**	**18,550.00**	**18,555.08**

**पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया केविलयय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के विलयय सिंडीकेट बैंक के केनरा बैंक के साथ विलय और इलाहाबाद बैंक के इंडियन बैंक के साथ विलय की अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या क्रमशः जी. एस. आर.153(ई),जी.एस. आर.154(ई),जी.एस. आर.155(ई) और जी.एस. आर.156(ई) के जरिए प्रकाशित की गई। ये विलय1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हैं।*

(iii) अन्य से अप्रतिभूत आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार		31–03–19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
– इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
04.06.2022 को प्रतिदेय				
जोड़ – अन्य से आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएं	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iv) विदेशी मुद्रा उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार		31–03–19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
(1) ओडीए ऋण – भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत				
जेआईसीए ऋण – 0.75% जेआईसीए –I ऋण दिनांक 20.03.2021 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त दिनांक 20.09.2020 को देय ही रही है और 0.65% जेआईसीए –II ऋण 20.03.2023 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त 20.09. 2020 को देय हो रही है।	99.46	99.48	131.40	131.43
2.89% केएफडब्ल्यू –II ऋण – 30.12.2020 तक € 3.88 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय कर दिया गया। अंतिम किश्त 30.06.2020 को भुगतान कर दी गयी।	64.60	65.03	120.87	121.66
1.86% केएफडब्ल्यू–III ऋण – 30.03.2024 तक € 5.26 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 30.06.2020 को देय है।	393.41	393.52	449.87	449.13
उप जोड़ – (1)	**557.47**	**558.03**	**702.14**	**702.22**
(2) ओडीए ऋण – भारत सरकार गारंटीकृत के बिना				
6 एम यूएसडी एलआईबीओआर +0.13% केएफडब्ल्यू – IV ऋण – 15.11.2030 तक € 12.00 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 15.11. 2021 को देय है।	1,220.98	1,227.88	-	-
उप जोड़ – (2)	**1,220.98**	**1,227.88**	**-**	**-**
(3) द्विपक्षीय/सिंडिकेट ऋण				
यूएस $75 मिलियन– 30.03.2025 को प्रतिदेय	565.39	554.38	-	-
एसजी $72.07 मिलियन– 30.03.2025 को प्रतिदेय	380.80	367.22	-	-
यूएस $100 मिलियन– दि01.07.2024 को प्रतिदेय	753.86	749.10	-	-
यूएस $150 मिलियन– 29.03.2024 को प्रतिदेय	1,130.79	1,104.53	518.78	501.99
यूएस $250 मिलियन– 27.03.2024 को प्रतिदेय	1,884.65	1,855.66	1,729.28	1,696.87
¥ 10,327.012 मिलियन–31.08.2023 को प्रतिदेय	719.28	700.98	645.65	624.64
यूएस $250 मिलियन– 08.08.2023 को प्रतिदेय	1,884.65	1,877.67	1,729.28	1,721.63
यूएस $150 मिलियन– 12.09.2022 को प्रतिदेय	1,130.79	1,121.92	-	-
यूएस $200 मिलियन– 28.07.2022 को प्रतिदेय	1,507.72	1,494.21	1,383.43	1,365.67
यूएस $230 मिलियन– 19.01.2022 को प्रतिदेय	1,733.88	1,702.97	1,590.94	1,551.91
यूएस $100 मिलियन– 05.10.2021 को प्रतिदेय	753.86	745.81	691.71	678.55
यूएस $240 मिलियन– 26.03.2021 को प्रतिदेय	1,809.26	1,793.23	1,660.11	1,631.60
यूएस $160 मिलियन–26.03.2021 को प्रतिदेय	1,206.17	1,195.78	1,106.74	1,087.77
यूएस $300 मिलियन– 29.07.2020 को प्रतिदेय	2,261.58	2,269.17	2,075.14	2,076.19
यूएस $300 मिलियन–01.12.2020 को प्रतिदेय।	2,261.58	2,260.75	2,075.14	2,067.94
यूएस $250 मिलियन– $57.5 मिलियन 26.11.2017 को प्रदत्त एवं $192.5 मिलियन 29.05.2019 को प्रतिदेय	-	-	1,331.55	1,346.66
यूएस $57.50 मिलियन– 29.05.2019 को प्रदत्त	-	-	397.73	396.82
उप–जोड़: (3)	**19,984.26**	**19,793.38**	**16,935.48**	**16,748.24**
जोड़ –विदेशी मुद्रा उधारियां (1+2+3)	**21,762.71**	**21,579.29**	**17,637.62**	**17,450.46**

(v) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार		31–03–19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
यूएस $135 मिलियन– यूएस $60 मिलियन 04.09.2021 को प्रतिदेय तथा $75 मिलियन दिनांक 22.10.2021 को प्रतिदेय	1,017.71	1,020.89	933.81	936.96
जोड़ –एफसीएनआर (ख) ऋण	**1,017.71**	**1,020.89**	**933.81**	**936.96**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

21.3 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ

(प) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार		31–03–19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
यूएस $100 मिलियन– यूएस $25 मिलियन 30.09.2020 को प्रतिदेय एवं यूएस $75 मिलियन 22.01.2021 को प्रतिदेय	753.86	753.86	-	-
यूएस $140 मिलियन–13.01.2021 को प्रतिदेय	1,055.40	1,055.51	-	-
यूएस $100 मिलियन–21.12.2020 को प्रतिदेय	753.86	753.92	-	-
यूएस $100 मिलियन–03.12.2020 को प्रतिदेय	753.86	753.93	-	-
यूएस $200 मिलियन– 21.09.2020 को प्रतिदेय	1,507.72	1,512.87	-	-
यूएस $150 मिलियन– 25.06.2020 एवं 25.06.2020 को दो किश्तों में प्रतिदेय	1,130.79	1,134.82	-	-
यूएस $140 मिलियन–11.01.2020 को प्रदत्त	-	-	1,037.57	1,037.97
यूएस $100 मिलियन–19.12.2019 को प्रदत्त	-	-	691.71	691.99
यूएस $100 मिलियन–09.12.2019 को प्रदत्त	-	-	691.71	692.00
यूएस $150 मिलियन–31.08.2019 को प्रदत्त	-	-	968.40	968.80
जोड़ –एफसीएनआर (ख) ऋण	**5,955.49**	**5,964.91**	**3,389.39**	**3,390.76**

21.4 टिप्पणी संख्या 21.1 (i) एवं 21.2 (i) से (iii) में उल्लिखित है कि सरकार/बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण 7.02% से 8.29% मासिक, तिमाही एवं अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर प्रतिदेय है।

21.5 टिप्पणी संख्या 21.2 (ख)(iv)(3) में विदेशी मुद्रा उधार 6 माह के अमेरिकी डॉलर/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक द्वारा पेशकश की गई दर) के लिए 65 बीपीएस से 150 बीपीएस की ब्याज दर पर लिए गए हैं।

21.6 सुरक्षित ऋण प्रतिभूतियों और उधार के सुरक्षा विवरण कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बॉण्ड और जो तूलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया हैं, के लिए, कुछ अचल संपत्तियों पर बंधक के माध्यम से और/या कंपनी की प्राप्तियों पर शुल्क लगाकर 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।

संस्थागत बॉडों की बॉण्ड सीरीज 123–I और 123–III बीको विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर पहले समरूप प्रभार और जारीकर्ता के बुक ऋण जो अन्य ऋणदाता / ट्रस्टी से प्रभारित किए जाते हैं और जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में देय ब्याज की राशि और हर समय बकाया बॉण्ड की राशि के एकीकृत अंकित मूल्य के एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथबॉड ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार जारीकर्ता और ट्रस्टी के बीच यथास्वीकृत किए जाते हैं, केमा/यम से सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बांडों को शॉप नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई में परिसर में प्रथम समरूप (पारीपासु) प्रभार और विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (जिसे पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता रहा है) के पक्ष में एमएसईसीडीएल की 4,998.66 करोड़ रुपए की प्राप्तियों के अनुमान द्वारा सुरक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉन्ड्स को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी के बही ऋणों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारितध्के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2015–16 के दौरान जारी की गई 54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्शन बॉण्ड और टैक्स फ्री बॉन्ड्स की बॉण्ड सीरीज XI, XII और XIII को (क) उप–प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584 पी, ग्राम – सुभानपुरा, जिला वडोदरा स्थित परिसरों के बंधक और (ख) एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई प्राप्तियों और संपत्ति, प्लांट और उपस्कर (पीपीई) के मूल्य के लिए नोट संख्या 10 और 16.2 देखें।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

22 अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i)	**175वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर–II बॉण्ड्स** – 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	2,151.20	2,151.86	2,151.20	2,151.24
(i)	**115वीं श्रृंखला / अधीनस्थ टियर–II** बॉण्ड्स / 8.06% सममूल्य पर 31.05.2023 को विमोचनीय	2,500.00	2,667.79	2,500.00	2,667.52
	जोड़ / अधीनस्थ देयताएं	**4,651.20**	**4,819.65**	**4,651.20**	**4,818.76**
	भारत के बाहर / में अधीनस्थ देयताएं				
(i)	भारत में उधारियाँ	4,651.20	4,819.65	4,651.20	4,818.76
(ii)	भारत के बाहर उधारियाँ	-	-	-	-
	जोड़ – अधीनस्थ देयताएं	**4,651.20**	**4,819.65**	**4,651.20**	**4,818.76**

22.1 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंग में बदलाव

घरेलू क्रेडिट रेंटिंग

विवरण	दीर्घावधि दरें	अल्पावधि दरें
क्रिसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
इक्रा	इक्रा एएए	इक्रा ए1+
केयर	केयर एएए	केयर ए1+
इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च	आईएनडी एएए	इंड ए1+

अंतराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

विवरण	रेटिंग
फिच रेंटिंग	बीबीबी–
मूडीज	बीएए3

वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

22.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया वास्तविक राशि के बीच सामंजस्यः

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतियां	अन्य उधारियां	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2020 के अनुसार				
भारतीय– लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	**219,918.25**	**61,550.66**	**4,819.65**	**286,288.56**
घटाएंः भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,872.67)	(392.52)	(170.57)	(7,435.76)
जोड़ेंः प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय– लेखांकन मानक समायोजन	976.01	234.53	2.12	1,212.66
कुल बकाया उधारियां	**214,021.59**	**61,392.67**	**4,651.20**	**280,065.46**
31 मार्च 2019 के अनुसार				
भारतीय– लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	**192,767.51**	**46,662.54**	**4,818.76**	**244,248.81**
घटाएंः भारतीय– लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,060.00)	(207.10)	(169.96)	(6,437.06)
जोड़ेंः प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय– लेखांकन मानक समायोजन	1,146.37	255.49	2.40	1,404.26
कुल बकाया उधारियां	**187,853.88**	**46,710.93**	**4,651.20**	**239,216.01**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

22.3 कंपनी बैंकों / वित्तीय संस्थानों / सरकार से सावधि ऋणों के मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न अवधियों बॉण्ड के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज / सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं (प्रयोजनों) के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों और अधीनस्थ देनदारियों के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी ऋण चुकाने संबंधी सभी बाध्यताओं को पूरा किया है, चाहे वे वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज से संबंधित क्यों न रही हों।

23 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(क) अप्रदत्त लाभांश	4.75	4.15
(ख) वापसी योग्य बॉण्ड आवेदन राशि तथा इस पर उपचित ब्याज	-	0.05
(ग) अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्डों पर ब्याज		
–परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	39.13	39.52
–बॉण्डों पर ब्याज	17.97	15.91
उप–जोड़ (ग)	**57.10**	**55.43**
(घ) सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (संचयी)	85,431.74	77,717.88
जोड़ें: सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (वापसी का निवल)	31.96	42.57
घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)	(83,684.07)	(76,903.42)
सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	**1,779.63**	**857.03**
(च) भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सेवा प्रदत्त बाण्ड्स हेतु देय	21,792.32	17,996.06
(छ) निधिपोषित कार्मिक हितलाभों के लिए देय राशियां	0.38	31.78
(ज) अन्य देयताएं	148.03	282.57
जोड़ (क से ज तक)	**23,782.21**	**19,227.07**

23.1 बॉण्डों पर भुगतान न किए गए लाभांश, मूलधन और ब्याज में वे राशियां शामिल हैं जो या तो निवेशकों द्वारा दावा नहीं की गई हैं या निवेशकों के दावों आदि से संबंधित लंबित औपचारिकताओं के कारण रुकी हुई हैं। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसारइन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ)में हस्तांतरित होने के लिए देय राशि ₹ 0.47 करोड़ (31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.54 करोड़) है जो कि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानांतरित कर दी गई है।

23.2 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97–पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा ओ.एम.सं. 32024/23/2001–पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.69 करोड़ (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.63 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	0.63	0.53
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.06	0.11
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	-	0.01
ब्याज सब्सिडी निधि का वर्ष के अंत में शेष	0.69	0.63

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

23.3 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के क्रियान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। स्कीम (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष "असंवितरित सब्सिडी/ के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

23.4 वर्ष की सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	42.57	24.41
जोड़ेः वर्ष के दौरान अर्जित व्यय	50.10	93.70
घटाएंः वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	60.71	75.53
घटाएंः एजी एवं एसपी अनुदान के खाते पर अर्जित ब्याज में से संवितरण	-	0.01
वर्ष के अंत में शेष	**31.96**	**42.57**

23.5 वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई स्कीम के लिए भारत सरकार की निधियन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सममूल्य 10 लाख ₹ के अंकित मूल्य के डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, विमोचन, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से कुल ₹ 3,782.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 13,827 करोड़) राशि जुटाई गई है। दिनांक 9 सितंबर, 2019 को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के पत्र के अनुसार उपर्युक्त बॉण्ड के मूल और ब्याज के अदायगी, विद्युत मंत्रालय की मांग पर भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान में की जाएगी। तदनुसार ब्याज के साथ–साथ इस प्रकार के बॉण्ड की राशि भी कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में शामिल की गई है (टिप्पणी 12)।

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन का दिनांक	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
जीओआई –I श्रृंखला	8.09%	अर्द्ध– वार्षिक	21-3-2028	1,837.00	1,837.00
जीओआई –II श्रृंखला	8.01%	अर्द्ध– वार्षिक	24-3-2028	1,410.00	1,410.00
जीओआई –III श्रृंखला	8.06%	अर्द्ध– वार्षिक	27-3-2028	753.00	753.00
जीओआई –IV श्रृंखला	8.70%	अर्द्ध– वार्षिक	28-9-2028	3,000.00	3,000.00
जीओआई –V श्रृंखला	8.54%	अर्द्ध– वार्षिक	15-11-2028	3,600.00	3,600.00
जीओआई –VI श्रृंखला	8.80%	अर्द्ध– वार्षिक	22-1-2029	2,027.00	2,027.00
जीओआई –VII श्रृंखला	8.60%	अर्द्ध– वार्षिक	8-3-2029	1,200.00	1,200.00
जीओआई –VIII श्रृंखला	8.30%	अर्द्ध– वार्षिक	25-3-2029	4,000.00	4,000.00
जीओआई –IX श्रृंखला	7.14%	अर्द्ध– वार्षिक	2-3-2030	1,500.00	-
जीओआई –X श्रृंखला	8.25%	अर्द्ध– वार्षिक	26-3-2030	532.30	-
जीओआई –XI श्रृंखला	7.20%	अर्द्ध– वार्षिक	31-3-2030	1,750.00	-
जोड़				**21,609.30**	**17,827.00**

24. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
निम्न के लिए प्रावधान		
(क) कार्मिक हितलाभ		
अर्जित अवकाश देयता	16.22	11.80
चिकित्सा अवकाश देयता	21.87	21.67
निपटान भत्ता	1.60	1.42
आर्थिक पुनर्वास योजना	4.25	3.69
दीर्घ सेवा अवार्ड	1.89	1.24
प्रोत्साहन	52.57	46.99
वेतन पुनर्निर्धारण	-	13.06
लॉयल्टी बोनस	0.31	0.37
उप–जोड़ (क)	**98.71**	**100.24**
(ख) अन्य		
सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	8.38	-
उप–जोड़ (ख)	**8.38**	**-**
जोड़ (क+ख)	**107.09**	**100.24**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

24.1 सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	-	0.16
जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजित	8.38	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	-	(0.16)
वर्ष के अंत में शेष	**8.38**	**-**

25. अन्य गैर – वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
(क)	अग्रिम रूप से प्राप्त आय	0.15	2.63
(ख)	सुद्री देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	6.57	21.99
(ग)	असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	46.15	25.76
(घ)	भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में अग्रिम प्राप्य	4.14	16.20
(च)	सांविधिक देय	24.74	37.31
(छ)	अन्य देयताएं	1.48	0.71
	जोड़ (क से छ)	**83.23**	**104.60**

26. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20		वित्तीय वर्ष 2018–19	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत:				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	5,000,000,000	5,000.00	5,000,000,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त:				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92
जोड़	**1,974,918,000**	**1,974.92**	**1,974,918,000**	**1,974.92**

26.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20		वित्तीय वर्ष 2018–19	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत शेयरों की संख्या	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित बोनस शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में पूंजीगत शेयरों की संख्या	**1,974,918,000**	**1,974.92**	**1,974,918,000**	**1,974.92**

26.2 पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

वित्तीय वर्ष 2016–17 को छोड़कर, जब कंपनी ने बोनस शेयरों के द्वारा पूर्णतया प्रदत्त के रूप में 98,74,59,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए थे, पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया था।

26.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना ठेके के अनुसरण में न तो कोई इक्विटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलन–पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बायबैक की है।

26.4 इक्विटी शेयर के अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और संस्था के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

26.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकः

शेयरधारकों के नाम	31–03–2020 के अनुसार		31–03–2019 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,039,495,247	52.63%	1,039,495,247	52.63%
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी ए/सी एचडीएफसी हाइब्रिड ऋण निधि	139,425,284	7.06%	114,683,937	5.81%

26.6 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

शेयरधारकों के नाम	31–03–2020 के अनुसार		31–03–2019 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,039,495,247	52.63%	1,039,495,247	52.63%

27. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण		31–03–2020 के अनुसार	31–03–2019 के अनुसार
(क)	**अन्य आरक्षित निधि**		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	16,659.10	15,136.78
(ii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	2,992.83	3,034.72
(iii)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अधीन आरक्षित निधि	2,131.00	1,153.00
(iv)	डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि	-	1,318.13
(v)	प्रतिभूति प्रीमियम	2,236.54	2,236.54
(vi)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता	(1,719.38)	(764.82)
(vii)	पूंजी आरक्षित निधि	4.70	-
(viii)	सामान्य आरक्षित निधि	6,976.23	5,230.54
(ix)	इंपेयरमेंट आरक्षित निधि	793.29	-
(ख)	**बरकरार रखा गया अर्जन**	3,674.25	5,088.19
(ग)	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**		
	–इक्विटी मेथड हेतु लेखाकृत संयुक्त उपक्रमों के अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	(2.48)	1.46
	–अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतें	106.26	136.88
	–नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग	(226.08)	-
	–हेजिंग रिजर्व की लागत	(204.75)	-
	जोड़ – अन्य इक्विटी (क+ख+ग)	**33,421.51**	**32,571.42**

'अन्य इक्विटी' के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इक्विटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।

27.1 आरक्षित निधि से ड्रॉ–डाउन

विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए गए आरक्षित भंडार के सांविधिक परिवर्तनों और सदुपयोग के लिए कंपनी ने वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न आरक्षित निधियों निम्नलिखत राशियों को सामान्य आरक्षित निधियों में स्थानांतरित कर दिया है:

(क) कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2019 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 574(ई) के अनुक्रम में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) से ₹ 1,367.27 करोड़। नोट संख्या 27.5 देखें।

(ख) ऋण और परिसंपत्तियों पर वास्तविक राइट–ऑफ के कारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viiए) (ग) के तहत अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए आरक्षित निधि से ₹ 378.41 करोड़।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आरक्षित निधियों में से कोई भी राशि आहरित नहीं की गई है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

27.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि वित्तीय क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत तक कटौती के लिए पात्र है बशर्ते ऐसी राशि का अंतरण तथा उसे विशेष रिजर्व खाते में अंकित किया गया हो।

27.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए रिजर्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।

27.4 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियां

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियों की आवश्यकता के अनुसार आरक्षित निधियों का निर्माण कर रही है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निबल लाभ के कम से कम 20% के बराबर की राशि अंतरित किया जाना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर यथाविनिर्दिष्ट किए जा रहे उद्देश्यों को छोड़कर आरक्षित निधि से कोई विनियोग करने की अनुमति नहीं है और इसके अलावा, इस तरह के किसी भी विनियोग के बारे में ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिन के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना आवश्यक है।

27.5 डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71(4) के प्रावधानों, जिसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 द्वारा और अधिक स्पष्ट किया गया है, के अनुसार कंपनी ने इस तरह के डिबेंचर की परिपक्वता अवधि के दौरान वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2008 के अनुसार सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए गए डिबेंचरों के मूल्य के 25: तक के बराबर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाया और निजी तौर पर नियोजित डिबेंचरों के मामले में कोई डीआरआर आवश्यक नहीं है। हालांकि, वर्ष के दौरान कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बाद, कंपनी को कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 के अनुक्रम में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाने की आवश्यकता नहीं है।

27.6 प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूत प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

27.7 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता

कंपनी ने पूर्ववर्ती लागू लेखांकन मानक 11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46क के अनुसार ऐसी मदों की बकाया अवधि में लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव से नुकसान/लाभ के मोचन के लिए एक स्थिर (अपरिवर्तनीय) विकल्प चुना था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक (इंड–एस) के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संबंध में पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार इस तरह के माचन (रिडम्पशन) की नीति को जारी रखने का विकल्प चुना। इस खाते में बकाया राशि मोचित लाभ/(हानि) का प्रतिनिधित्व करती है, जो पात्र दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देनदारियों की बकाया अवधि में मोचित किया जाएगा।

27.8 सामान्य आरक्षित निधि (रिजर्व)

सामान्य रिजर्व में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और साथ ही सांविधिक आरक्षित निधियों से हस्तांतरित राशि भी शामिल होती है। कंपनी अधिनियम, 1956 के तत्कालीन प्रावधानों के मद्देनजर, कंपनी ने लाभांश की घोषणा से पहले मुनाफे का कुछ प्रतिशत सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित कर दिया था। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 लाभांश की घोषणा से पहले आरक्षित निधि में मुनाफे के अंतरण को अनिवार्य नहीं बनाता है।

27.9 क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एनबीएफसी द्वारा 'भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन' के संबंध में दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी). सीसी. पीडी. सं. 109 / 22.10.106 / 2019–20 जारी की। उपर्युक्त परिपत्र के संदर्भ में, यदि भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 109 के तहत क्षतिपूर्ति भत्ता आरबीआई द्वारा जारी किए गए आय निर्धारण, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) शर्तों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान की तुलना में कम है, तो कंपनी को कर के बाद उनके निबल लाभ से अंतर को "क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि" में विनियोजित करना आवश्यक है। पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई से पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित निधि (रिजर्व) से कोई निकासी की अनुमति नहीं है। क्षतिपूर्ति भत्ते और आईआरएसीपी की शर्तों के तहत किए गए प्रावधान के बीच तुलना के संदर्भ में प्रकटन के लिए नोट 50.1.3 (डब्ल्यू) देखें।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

27.10 अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से इक्विटी लिखत

कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर ओसीआई की आरक्षित निधि में संचित किए जाते हैं। जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियों को मान्यता नहीं दी जाती है तो समूह इस आरक्षित निधि से राशियों को रखी गई में अंतरित करता है।

27.11 नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वादा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्धारित व्युत्पन्न संविदाएं जिस सीमा तक प्रभावी हेज होती हैं, हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'कैश फ्लो हेजिंग रिजर्व' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

27.12 हेजिंग रिजर्व की लागत

कंपनी 'कैश फ्लो हेज' संबंधों में हेजिंग लिखत के रूप में विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं के आंतरिक मूल्य को निर्धारित करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और एक तर्कसंगत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में ऋणमोचित (एमोर्टाइज) किया जाता है।

27.13 कंपनी द्वारा प्रत्येक ₹ 10/– के इक्विटी शेयरों के लिए प्रस्तावित/घोषित लाभांश

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹)	लाभांश राशि (₹ करोड़ में)	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹)	लाभांश राशि (₹ करोड़ में)
आंतरिक लाभांश	11.00	2,172.41	11.00	2,172.41
वर्ष के लिए कुल लाभांश	**11.00**	**2,172.41**	**11.00**	**2,172.41**

28. ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2020 को समाप्त वर्ष			31.03.2019 को समाप्त वर्ष		
		ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों अनुमान	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों अनुमान	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान
(क)	**ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज**						
(i)	दीर्घावधि वित्तपोषण	-	29,245.18	-	-	24,405.17	-
	घटाएंः समय पर अदायगी/ कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट	-	(0.08)	-	-	(6.11)	-
	दीर्घावधि वित्तपोषण (निवल)	-	29,245.10	-	-	24,399.06	-
(ii)	अल्पावधि वित्तपोषण	-	177.23	-	-	328.84	-
	उप–जोड़ (क)	**-**	**29,422.33**	**-**	**-**	**24,727.90**	**-**
(ख)	**निवेशों पर ब्याज आय**						
(i)	सीपी/ आईसीडी पर ब्याज	-	0.21	-	-	0.67	-
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	-	1.89	-	-	9.43	-
(iii)	दीर्घावधि निवेशों पर ब्याज	-	3.14	169.75	-	18.01	168.25
	उप–जोड़ (ख)	**-**	**5.24**	**169.75**	**-**	**28.11**	**168.25**
(ग)	**बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज**						
(i)	डिपॉजिट पर ब्याज	-	66.27	-	-	51.81	-
	उप–जोड़ (ग)	**-**	**66.27**	**-**	**-**	**51.81**	**-**
(घ)	**अन्य आय पर ब्याज**						
(i)	कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	4.45	-	-	3.89	-
(ii)	मोबलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	2.39	-	-	2.80	-
(iii)	अनविन्डिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स	-	0.08	-	-	0.09	-
(iv)	एसपीवी पर ब्याज	-	1.27	-	-	0.77	-
	उप–जोड़ (घ)	**-**	**8.19**	**-**	**-**	**7.55**	**-**
	जोड़ (क से घ)	**-**	**29,502.03**	**169.75**	**-**	**24,815.37**	**168.25**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

29. लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
–दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	36.94	20.38
जोड़–लाभांश आय	**36.94**	**20.38**

29.1 एफवीओसीआई में नामोद्दिष्ट इक्विटी निवेशों पर मान्य लाभांश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
निम्न पर लाभांश:		
–वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	36.94	20.14
–वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	-	0.24
जोड़	**36.94**	**20.38**

30. शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	6.68	2.78
पूर्व अदायगी प्रीमियम	12.75	139.29
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुल्क	19.52	83.02
जोड़– शुल्क एवं कमीशन आय	**38.95**	**225.09**

31. सेवा की बिक्री

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग सर्विसेज	166.80	149.72
आईटी कार्यान्वयन परियोजनाओं का निष्पादन	7.68	19.42
आरईसी से आय – यूई ग्राम परियोजना	7.63	-
प्रलेखन शुल्क	-	0.79
कुल– सेवा की बिक्री	**182.11**	**169.93**

32. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
–रिटेन बैक प्रावधान/देयताएं	-	10.83
–प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से शुल्क	6.38	8.69
–आयकर वापसी से ब्याज	2.85	-
–दीर्घावधि के बिक्री पर लाभ	3.16	-
–विविध आय	64.88	12.79
जोड़– अन्य आय	**77.27**	**32.31**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

33. वित्तीय लागतें

वित्तीय लागतें वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(i)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**		
	–घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	13,923.95	12,965.67
	–विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	698.20	441.83
	–वाणिज्यिक दस्तावेज	463.66	402.84
	उप–जोड़ (i)	**15,085.81**	**13,810.34**
(ii)	**उधारियों पर ब्याज**		
	–भारत सरकार से ऋण	612.97	121.84
	–बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,725.10	594.30
	–बाह्य वाणिज्यिक दस्तावेज	1,073.79	914.19
	–पट्टा देयता	0.29	-
	उप–जोड़ (ii)	**3,412.15**	**1,630.33**
(iii)	**अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज**		
	–अधीनस्थ बॉण्ड	395.36	203.25
	उप–जोड़ (iii)	**395.36**	**203.25**
(iv)	**अन्य ब्याज व्यय**		
	–स्वैप प्रीमियम	108.83	-
	–आय कर पर ब्याज	0.21	3.70
	–कर्मचारी लाभ के प्रति देयता पर ब्याज	4.60	-
	–विविध ब्याज व्यय	0.13	2.95
	उप–जोड़ (iv)	**113.77**	**6.65**
	जोड़ – वित्तीय लागतें	**19,007.09**	**15,650.57**
	घटाएः पूंजीकृत वित्तीय लागत	(15.79)	(11.37)
	जोड़– वित्तीय लागतें (निवल)	**18,991.30**	**15,639.20**

34. निवल ट्रांसलेशन/लेन–देन विनिमय हानि / (लाभ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
निवल ट्रांसलेशन / लेन–देन विनिमय हानि / (लाभ)	2,357.90	521.19
जोड़	**2,357.90**	**521.19**

उपरोक्त आंकड़ों में 1 अप्रैल 2018 से पहले 675.95 करोड़ (पिछले वर्ष 726.35 करोड़) की राशि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निबल परिवर्तन / लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ) का मोचन शामिल है।

34.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड) की संदर्भ दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं:

विनिमय दरें	यूएसडी /आईएनआर	जेपीवाई/आईएनआर	यूरो/ आईएनआर	एसजीडी/ आईएनआर
31 मार्च 2020 के अनुसार	75.3859	0.6965	83.0496	52.8342
31 मार्च 2019 के अनुसार	*69.1713*	*0.6252*	*77.7024*	*51.1422*

35. शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(i)	गारंटी शुल्क	13.29	11.06
(ii)	सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	1.51	1.67
(iii)	एजेंसी शुल्क	1.66	0.78
(iv)	क्रेडिट रेटिंग व्यय	3.05	2.85
(v)	अन्य वित्तीय प्रभार	5.93	18.02
	जोड़ (i से v)	**25.44**	**34.38**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

36. उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल प्राप्ति / (हानि)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(क)	लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय उपस्करों पर निवल प्राप्ति/(हानि)		
(i)	ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर	-	-
(ii)	अन्य		
	–व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(47.72)	(351.52)
	–एफवीटीपीएल निवेशों के उचित	6.40	-
	–म्यूचुअल फंड में अतिरिक्त निधि के अल्पावधि निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	15.47	3.00
	उप–जोड़ (ii)	**(25.85)**	**(348.52)**
	जोड़ (क)	**(25.85)**	**(348.52)**
	उचित मूल्य परिवर्तनों का ब्यौरा		
	–वसूली की गयी	(60.07)	(619.05)
	–वसूली नहीं वसूली की गयी	34.22	270.53
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल प्राप्ति/ (हानि)	**(25.85)**	**(348.52)**

इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उनसे इतर हैं, जो उपार्जित ब्याज आय / व्यय के कारण उत्पन्न होते हैं और ये ऐसी मितव्ययी हेजेज के रूप में नामित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हेज अकाउंटिंग और अप्रभावी हेज के तहत नामित नहीं होते है।

37. वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर
(i) – ऋण*	-	884.91	-	222.32
(ii) – अन्य	-	34.58	-	21.17
जोड़ (i+ii)	**-**	**919.49**	**-**	**243.49**

**सुविधा पत्र पर क्षतिपूर्ति भत्ते के मद में ₹8.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹–0.16 करोड़) की राशि शामिल है।*

38. प्रदान की गई सेवाओं की लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
परियोजना व्यय	71.61	85.15
कुल	**71.61**	**85.15**

39 कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
– वेतन और भत्ते	145.83	130.70
– भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	15.49	14.93
– सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	5.07	11.70
–कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	1.58	0.69
– कार्मिक कल्याण व्यय	25.18	19.35
जोड़	**193.15**	**177.37**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

40. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
– संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर मूल्यह्रास	8.48	6.77
– मूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	3.29	1.52
जोड़	**11.77**	**8.29**

41. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
– प्रत्यक्ष व्यय	254.53	99.93
– ओवरहेड्स	4.76	4.56
कुल	**259.29**	**104.49**

41.1 सीएसआर व्यय के संबंध में प्रकटीकरणः

(क) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशिः

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2020 को समाप्त वर्ष			31.03.2019 को समाप्त वर्ष		
		नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-			
(ii)	उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर						
	स्वास्थ्य/स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	55.38	-	55.38	42.25	-	42.25
	शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल विकास	41.63	-	41.63	6.66	-	6.66
	पर्यावरणीय संधारणीयता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	32.21	-	32.21	16.37	-	16.37
	खेल–कूद	0.02	-	0.02	0.06	-	0.06
	पीएम केयर फंड में योगदान	100.00	-	100.00	-	-	-
	कोविड–19 के कारण प्रवासी श्रमिकों को भोजन / राशन का प्रावधान	1.59	-	1.59	-	-	-
	अन्य	23.70	-	23.70	34.59	-	34.59
	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक ऊपरी खर्चे	4.76	-	4.76	4.56	-	4.56
	जोड़ (ii)	**259.29**	**-**	**259.29**	**104.49**	**-**	**104.49**

कोविड–19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के समर्थन में, कंपनी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत के लिए ₹ 150 करोड़ का कुल योगदान किया, जिसमें से ₹ 100 करोड़ का योगदान वर्ष 2019–20 के दौरान और शेष ₹ 50 करोड़ का योगदान 31 मार्च, 2020 के बाद किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने प्रवासी श्रमिकों को भोजन / राशन के वितरण के लिए ₹ 10 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की है, जिसमें से ₹ 7.07 करोड़ की राशि आज की तारीख तक खर्च की जा चुकी है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक खर्च की गई ₹ 1.59 करोड़ की राशि शामिल है। महामारी के प्रकोप के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों ने अप्रैल, 2020 में एक दिन के वेतन का भी पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

42. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
– यात्रा एवं वाहन सुविधा	15.80	17.05
– प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय	6.03	83.22
– मरम्मत और अनुरक्षण	12.38	7.81
–किराया, दरें एवं ऊर्जा लागतें	15.12	17.55
–बीमा प्रभार	0.13	0.05
–संप्रेषण लागत	3.42	2.72
–प्रिंटिंग और स्टेशनरी	2.92	4.11
–निदेशकों के बैठक शुल्क	0.19	0.24
–लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	1.62	1.63
–विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	12.21	10.10
–डोनेशन	-	2.00
–संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	1.69	0.86
–मॉनिटरिंग व्यय	12.49	10.85
–विविध व्यय	46.41	30.57
जोड़	**130.41**	**188.76**

42.1 लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया शुल्कः		
–लेखापरीक्षक के रूप में	0.50	0.48
–कराधान मामलों के लिए*	0.13	0.29
–कंपनी के कानूनी मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.35	0.45
–अन्य सेवाओं के लिए	-	-
(i) एमटीएन ऑफर दस्तावेज/कम्फर्ट लेटर का प्रमाणन	0.40	0.20
(ii) अन्य प्रमाणन	0.06	0.08
–व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.04	0.03
उप–जोड़	**1.48**	**1.53**
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर–वसूली योग्य कर जमा	0.14	0.10
जोड़– लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय	**1.62**	**1.63**

**पिछले वर्षों से संबंधित कर लेखापरीक्षा शुल्क शून्य (पिछले वर्ष रु. 0.09 करोड़) शामिल है।*

43. कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
– चालू कर व्यय	1,579.79	1,826.51
– पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय/ (लाभ)	65.27	(13.28)
उप–जोड़ – चालू कर	**1,645.06**	**1,813.23**
– आस्थगित कर व्यय /(क्रेडिट)	412.65	535.83
जोड़	**2,057.71**	**2,349.06**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

43.1 प्रभावी कर दर का सामंजस्य

लाभ एवं हानि विवरण में सूचित किए गए आय कर व्यय की सांविधिक आय कर दर पर अनुमानित आय कर व्यय का पुनर्समाधान निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	7,029.98	8,090.44
सांविधिक आयकर व्यय	**25.168%**	**34.944%**
प्रत्याशित आय कर व्यय	**1,769.31**	**2,827.12**
आय कर समायोजनों का कर प्रभावः		
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	(383.14)	(462.51)
सीएसआर व्यय की अनुमति न होना	20.68	19.08
गैर–कटौती योग्य अन्य कर व्यय	1.93	1.01
अग्रिम आय कर और ब्याज की न दी गई अनुमति	-	1.20
आय में छूट	(9.62)	(5.84)
टैक्स फ्री बॉण्ड पर आय के कर प्रभाव	(1.65)	(1.93)
पूर्व वर्षों का आय कर	65.27	(13.28)
कर दरों में परिवर्तन का प्रभाव	661.54	1.95
विभिन्न कर दरों पर प्रभार्य आय का प्रभाव	-	(4.27)
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अनंतिम व्यय का प्रभाव	(1.22)	-
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अविवादित लाभ पर आस्थगित कर का प्रभाव/(प्रत्यावर्तन)	(63.83)	-
सहायक कंपनियों के अवितरित लाभ पर कर का प्रभाव	-	(12.03)
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके परिकलित संयुक्त उद्यम (जेवी) के लाभ पर कर का प्रभाव	(2.30)	(1.45)
जेवी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश पर कर का प्रभाव	0.43	-
इंट्रा ग्रुप रेवेन्यू रिवर्सल के कर का प्रभाव	0.31	-
कर व्यय	**2,057.71**	**2,349.05**

43.2 वर्ष के दौरान कंपनी के लिए लागू कर की दर 34.944% से घटकर 25.168% हो गई है क्योंकि कंपनी ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा पेश किए गए अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के तहत अनुमत विकल्प का प्रयोग किया था। कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय कर के प्रावधान को मान्यता दी है और तद्नुसार अपनी आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मापन किया है।

44. अर्जन प्रति शेयर

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
गुणक (न्यूमरेटर)		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	4,972.27	5,741.38
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत तथा बंद प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	4,972.27	5,741.38
हर (डिनोमिनेटर)		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,974,918,000	1,974,918,000
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (₹ 10/– प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (सतत प्रचालनों के लिए)	25.18	29.07
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (₹ 10/– प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (सतत तथा बंद प्रचालनों के लिए)	25.18	29.07

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

45. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

45.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	0.22	0.08
(ख) कराधान मांग		
–आय कर विभाग द्वारा की गई मांग	113.99	91.03
–कंपनी को दी गई राहत के विरुद्ध आय कर विभाग द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध मांग	38.30	30.42
–सेवा कर के संबंध में की गई मांग	-	0.36
(ग) अन्य		
– सुविधा पत्र	951.29	-
–बैंक गारंटी	30.78	29.86

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित राशि जो माध्यस्थ मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय/माध्यस्थ के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त 'ख' में उल्लिखित राशि दिल्ली उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आय कर विभाग/सेवा कर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन कर मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का विश्वास है कि उसकी स्थिति अपील प्रक्रिया में माने जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम से कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

45.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
– पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के संबंध में	315.07	362.33
– अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	-	2.82
– अन्य प्रतिबद्धताएं		
– सीएसआर प्रतिबद्धताएं	291.44	301.46

46. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i) कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii) पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011
(iii) लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	ग्लोबल लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374

47. सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

47.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना" – सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर–विद्युतीकृत घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य स्कीम का पूंजीगत परिव्यय पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान 12,320 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रूपए है। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

47.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण की सभी पहलों को शामिल करने वाली भारत सरकार की अग्रणी योजना है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार के अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर–कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्ति सुकर बनाने के लिए कृषि तथा गैर–कृषि फीडरों को पृथक करना;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप–पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसकी वृद्धि करना;

(iii) माइक्रो–ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क;

(iv) डीडीयूजीजेवाई में समाहित आरजीजीवीवाई 12वीं एवं 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक।

उपर्युक्त योजना के (i) तथा (ii) पर घटकों का अनुमानित परिव्यय 43,033 करोड़ रुपए होगा जिसमें पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से 33,453 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। 12वीं तथा 13वीं योजना में जारी रखने के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित आरजीजीवीवाई की स्कीम पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में इस योजना में मिला दी गई है।

47.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप पर ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

47.4 प्रधानमंत्री की जम्मू व कश्मीर विकास योजना (पीएमडीपी)

जम्मू व कश्मीर सरकार, विद्युत विकास विभाग ने सभी सामग्री एवं सेवा कार्यों की डिजाइन, इंजीनियरी, खरीद, आपूर्ति, खड़ा करने के कार्य, परीक्षण और आरंभ करने के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से निकाली जाने वाली वास्तविक लागत के अनुसार नामांकन आधार पर जम्मू व कश्मीर राज्य में पीएमडीपी के तहत वितरण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल को नियुक्त किया है।

47.5 ऊर्जा मित्र एवं 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग

विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा मित्र एवं 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग नामक दो योजनाएं शुरू की हैं। ऊर्जा मित्र एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विद्युत बंदी/कटौती/खराबी/शटडाउन (योजनागत और गैर–योजनागत दोनों) के संबंध में सूचना प्रदान करना है। फीडर मॉनीटरिंग स्कीम 66, 33/11 केवी सब–स्टेशनों से सभी बाहर जाने वाले 11 केवी ग्रामीण फीडरों के विभिन्न अनिवार्य मानदंडों की डाटा लॉगिंग के माध्यम से स्वचालित 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग प्रणाली के लिए स्व–संधारित स्वतंत्र वेब आधारित प्रणाली का विकास करने के लिए तथा विद्युत आपूर्ति की मॉनीटरिंग, सावधानी, मीटर के आंकड़ों का विश्लेषण, सूचना प्रसारण और ऊर्जा जांच के लिए वास्तविक समय के आधार पर सार्वजनिक पटल सहित विभिन्न दावेदारों के लिए ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने के लिए है। आरईसीटीपीसीएल को दोनों स्कीमों के लिए प्रमुख एजेंसी नियुक्त किया गया है।

48. पूंजी प्रबंधन

यह समूह यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि वह दावेदारों को अधिकतम आय करते हुए एक चलती हुई संस्था के रूप में जारी रहेगा। समूह की पूंजीगत संरचना में समूह द्वारा किए गए दीर्घावधि उधार तथा इक्विटी शामिल हैं।

प्रबंधन अत्यधिक वृद्धि से बचते हुए दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए समूह की पूंजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह समूह पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यापारिक पर्यावरण तथा क्षेत्र के अंतर्गत परिसमाप्यता की स्थिति के आलोक में उपयुक्त साधनों के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में समूह को अन्य बातों के साथ–साथ विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापसी आदि जारी करने के संबंध में जारी किए गए "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनर्गठन" के संबंध में दिशा–निर्देशों से भी दिशानिर्देशित होता है। इस समूह ने बाहरी रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

समूह का ऋण–इक्विटी अनुपात निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
कुल ऋण	280,065.46	239,216.01
निवल कीमत	35,396.43	34,546.34
ऋण – इक्विटी अनुपात	**7.91**	**6.92**

कुल ऋण बकाया मूल को दर्शाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

लाभांश वितरण नीति

निदेशक बोर्ड कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न कारकों पर जोर देती है जिनमें वर्तमान एवं भावी पूंजीगत आवश्यकताएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकद प्रवाह स्थिति और समय–समय पर लागू दिशा–निर्देशों के अधीन लाभांश पर कर सहित लागू कर नकद प्रवाह स्थिति और समय–समय पर लागू दिशा–निर्देशों के अधीन कंपनी का निवल मूल्य शामिल है, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है।

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार कंपनी को पीएटी का 30 प्रतिशत, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अथवा निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, देना अपेक्षित होता है। यद्यपि, कंपनी इन दिशा–निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, तथापि, विभिन्न वित्तीय मानदंडों, नकद प्रवाह स्थिति और भावी वृद्धि के लिए अपेक्षित निधियों के विश्लेषण के बाद कम लाभांश प्रस्तावित कर सकती है।

कंपनी ने अपने प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, व्हीसल ब्लोअर नीति, आरईसी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में भीतरी व्यापार के निरोध के लिए संहिता, धोखाधड़ी रोकने के लिए नीति, व्यापक व्यवहार संहिता, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नीतियां, उचित परिपाटी संहिता आदि शामिल हैं।

49. जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात में पूंजी

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं का पालन कर रही है। एक एनबीएफसी और अवसंरचना वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी–आईएफसी) होने के नाते आरईसी को 15 प्रतिशत (न्यूनतम 10 प्रतिशत टियर–1 पूंजी के साथ) के जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी बनाए रखना अपेक्षित होता है।

	विवरण	31.03.20 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार
(i)	सीआरएआर (%)	16.06%	17.77%
(ii)	सीआरएआर– टियर I पूंजी (%)	13.17%	14.44%
(iii)	सीआरएआर– टियर II पूंजी (%)	2.89%	3.33%

वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाई टियर–II पूंजी एवं मियादी ऋण लिखत का विवरण निम्नलिखित हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
टियर–II पूंजी के रूप में जुटाये गए अधीनस्थ ऋण की राशि	-	2,151.20
मियादी ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि	-	-

50. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इस समूह के निदेशक बोर्ड की कंपनी जोखिम प्रबंधन कार्यढांचे की स्थापना और नजर रखने की समग्र जिम्मेदारी है। इस समूह ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और संगठन का बाजार जोखिम शामिल है। इस समूह की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम दृष्टि और आवधिक मॉनीटरिंग के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित नीतियों द्वारा दिशा–निर्देशित होती हैं। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी मॉनीटरिंग करना तथा उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी सामने आती है और कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती हैः

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, ऋण, व्यापार प्राप्य, परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, परिसमाप्त निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं पार्श्विक
तरलता जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां, सहायक देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं	चल रहे नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपए (आईएनआर) में न बताई गईं देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर सहायक देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – इक्विटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

जोखिम के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए समूह की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा–निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेंद्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तद्नुसार किया जाता हैः

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत उद्यम–व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है कि इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए और कुशलता से उनका प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए आरबीआई की अधिसूचना सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं./.099/03.10.001/2018–19 के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, माप और शमन की इस प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया बाद के पैराग्राफ में निर्धारित की गई है।

50.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप समूह को वित्तीय हानियां होती हैं। ऋण जोखिम में समूह की स्थिति मुख्य रूप से नकद एवं नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेषों, निवेशों, ऋण परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्यों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होती है। यह समूह ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर मॉनीटरिंग करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

50.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां जो एंटिटी को ऋण जोखिम में दर्शाती हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i) वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम		
नकद और नकदी समतुल्य	1,717.71	381.99
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	2,257.45	1,733.08
ऋण *	299,697.53	256,448.62
ट्रेड प्राप्य	87.92	117.03
निवेश **	1,601.06	1,636.14
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	22,099.67	18,363.99
(ii) मध्यम ऋण जोखिम		
ऋण *	2,431.27	4,412.62
ट्रेड प्राप्य	52.01	34.89
(iii) उच्च ऋण जोखिम		
ऋण *	21,255.55	20,348.44
ट्रेड प्राप्य	33.60	23.83
अन्य वित्तीय परिस्थितियां	30.85	26.69

* प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन (सुविधा पत्रों के संवितरित न किए गए सहित) दर्शाता है।
** इसमें उल्लिखित इक्विटी निवेशों और उद्यम पूंजी निधियों में निवेश शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें एफवीओसीआई या एफवीटीपीएल पर लिया जाता है।

नकद एवं नकदी समतुल्य तथा बैंक जमा

नकद एवं नकदी समतुल्यों और बैंक जमाओं से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड दस्तावेजों तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न दस्तावेजों/बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हो, के हाइपोथिकेशन द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा–निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

ट्रेड प्राप्य

व्यापार प्राप्य से संबंधित ऋण जोखिम लेनदारों की ऋण योग्यता का मूल्यांकन करके कम किया जाता है और ऐसी धनराशि को वसूल करने योग्य स्थिति का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा सहायक कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूल करने की क्षमता का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

50.1.2 ऋणों एवं व्यापार प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियां (ईसीएल)

कंपनी में किसी भी ऋण हानि की प्रत्याशा के लिए अलग वित्तीय दस्तावेज का मूल्यांकन कर ऋण एवं व्यापार प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान हैः

– नकद एवं नकद समतुल्यों और अन्य बैंक शेषों के लिए – चूंकि, कंपनी बैंकिंग प्रचालनों के लिए केवल हाई रेटेड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करती है तथा निधियों की श्रेणी को अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए निरंतर उच्च रिकार्ड के साथ ऋण निधियों में परिसमाप्त करती है, अतः नकद एवं नकद समतुल्यों, अन्य बैंक शेषों और बैंक जमाओं के संबंध में ऋण जोखिम बहुत कम मूल्यांकित किया जाता है।

– निवेश के लिए – यह मानते हुए कि राज्य सरकार/न्यूनतम निवेश ग्रेड वाली सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश है, ऋण जोखिम कम माना जाता है।

– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए – ऋण जोखिम का मूल्यांकन उन पक्षकारों की ऋण योग्यता के संबंध में कंपनी की जानकारी के आधार पर किया जाता है और हानि भत्ता आरंभिक माने गए आधार पर 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए मापा जाता है तथा ऋण जोखिम में काफी वृद्धि पर जीवन पर्यन्त प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान होता है।

ऋण एवं व्यापार प्राप्य को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का ब्यौरा निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार			31.03.2019 के अनुसार		
	सकल धारिता राशि	ईसीएल	निवल धारिता राशि	सकल धारिता राशि	ईसीएल	निवल धारिता राशि
नकद और नकदी समतुल्य	1,717.71	-	1,717.71	381.99	-	381.99
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	2,257.45	-	2,257.45	1,733.08	-	1,733.08
निवेश	1,601.06	-	1,601.06	1,636.14	-	1,636.14
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ *	22,130.52	30.85	22,099.67	18,390.68	26.69	18,363.99

* *हानिग्रस्त क्रेडिट के रूप में स्वीकार की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि भत्ते पूर्ण रूप में प्रदत्त हैं।*

50.1.3 ऋणों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट करने के प्रयोजनों के लिए कंपनी ऋण जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और समेकन करती हैः

(i) ऋण चूक हानिः ऋणदाता के कारण होने वाले ऋण के जोखिम, जिसे उसके ऋण दायित्वों को पूरी तरह से देने की संभावना नहीं है अथवा किसी वास्तविक ऋण दायित्व के कारण पिछले 90 दिन से अधिक का ऋणदाता हैय चूक जोखिम ऋणों एवं प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण संवेदी लेन–देनों पर प्रभाव डाल सकता है।

(ii) संकेंद्रण जोखिमः किसी एकल निष्पादन से संबंधित जोखिम अथवा कंपनी के प्रमुख प्रचालनों को खतरा पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा हानियां करने की संभावना वाले निष्पादन का समूह।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण के बाद निगरानी शामिल हैं। कंपनी के पास "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" और "व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति" मौजूद है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, नियमित रूप से परियोजनाओं के जोखिम की समीक्षा भी की जाती है और परियोजना जोखिम को जोखिम फ्रेमवर्क के अनुसार विभिन्न जोखिम मानकों और परियोजना के जोखिम के आधार पर उच्च / मध्यम / निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः

(i) कंपनी के पास क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, संपार्श्विक आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी आदि को शामिल करते हुए "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कानूनी जोखिम का प्रभावी प्रलेखन और शमन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।

(ii) सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहाँ कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर्स (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) नियोजित करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और संघ सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईई ऋणकर्ता के साथ चर्चा और प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच / समीक्षा के बाद, परियोजना साइट का दौरा करती है और इसकी प्रगति की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एलएफए परियोजना में समय–समय पर निधि प्रवाह और धन के उपयोग के विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहां कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एलआईई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों को लीड ऋणदाता के साथ समन्वित किया जा रहा है।

कंपनी वित्तपोषित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई / परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी / गैर–ईपीसी संविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा सहित परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से देख–रेख करने के लिए पीएमए परियोजना स्थल पर दिन–रात तैनात रहती है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता / आपूर्तिकर्ता के बिलों, ठेकेदार के समग्र काम की पुष्टि करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की पवित्रता को बनाए रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक अपेक्षित सतर्कता भी बरती जाती है।

तनावग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की प्रभावी निगरानी के लिए मामले दर मामला आधार पर आरईसी / उधारदाताओं द्वारा विशेष निगरानी / कैश फ्लो मॉनिटरिंग एजेंसियों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों / एजेंसियों की भी नियुक्ति की जा रही है।

(iii) कंपनी में ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार संरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक/कार्यकारी समिति/ऋण समितिधनिदेशक बोर्ड के स्तर पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर व्यापारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।

(iv) कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निष्पादनों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।

(v) ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जो की जाने वाली उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है।

(vi) ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाटी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ–साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा–निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाटियों की समीक्षा करने के लिए समय–समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।

(vii) अलग–अलग और समूह ऋण निष्पादनों का मूल्यांकन संबंधित व्यापारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्यधीन होती है।

(viii) कंपनी लगातार ऋणकर्ताओं और अन्य समकक्ष पक्षकारों के विलंब और / या चूक और उनकी वसूली क्षमता की निगरानी करती है। ऋणकर्ता के खाते में चूक की घटना होने पर कंपनी चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिसमें आगे वर्णित कार्रवाई (कार्रवाइयां) शामिल हो सकती है, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं हैः आरबीआई को रिपोर्टिंग के साथ विशेष उल्लेख खाता (एसएमए), बड़े क्रेडिट पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को जानकारी की रिपोर्टिंग, टीआरए खाते की निगरानी, ऋण समझौते के अनुसार इक्विटी में ऋण के रूपांतरण, ऋण खाते के पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ संकल्प योजना तैयार करने, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), बकाया राशि वसूल करने के लिए गारंटी / प्रतिभूतियों के आह्वान सहित अन्य संस्थाओं/निवेशकों और अन्य वसूली तंत्रों को एक्सपोजर की बिक्री आदि।

(ख) क्रेडिट जोखिम मापन

ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिपूर्ति हानि भत्ते के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 के अनुसार प्रावधान किया जाता है , जो क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार / गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापता है। प्रबंधन मॉडल आउटपुट पर ओवरले, यदि कोई है, करता है, जिसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत दस्तावेजीकृत (प्रलेखित) और अनुमोदित किए जाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत उपयोगिताओं की ग्रेडिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। हालाँकि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया को तब अपनाती है, जब वे अद्यतन किए जाते हैं। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांजीशन मैट्रिक्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी या तो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग का उपयोग करती है या फिर ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का प्रयोगग करती है। प्रॉक्सी जोखिम स्कोर मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाता हैः

मात्रात्मक कारक

ऋण/ईबीआईटीडीए (30% भार)
नियोजित पूंजी पर आय (15% भार)
ब्याज कवरेज (25% भार)
गियरिंग (ऋण / इक्विटी) (30% भार)

गुणात्मक कारक

तिमाही–वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस – एआरआर अंतर और एलएएफ
वास्तविक चूक तिथियाँ, ऋण पुनर्गठन के ब्यौरे
परियोजना की स्थिति

(ग) अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 में नीचे संक्षेप में बताए गए अनुसार प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर हानि के लिए एक "तीन चरण वाले" मॉडल की रूपरेखा दी गई हैः

– एक वित्तीय लिखत जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट क्षतिपूरित नहीं है और जिसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक चरण "स्टेज 1" के रूप में वर्गीकृत होने के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।
– यदि इस बात की पहचान हो जाती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वित्तीय लिखत को "स्टेज 2" में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे मानद रूप से क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ नहीं माना जाता है।
– यदि कोई वित्तीय लिखत क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ है, तो इसे "स्टेज 3" में ले जाया जाता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

– स्टेज 1 में वित्तीय लिखत का अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर की राशि पर ईसीएल मापा जा चुका है, जो अगले 12 महीनों के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। स्टेज 2 या स्टेज 3 मानदंड में लिखत का ईसीएल आजीवन आधार पर मापा जाता है।

(घ) क्रेडिट जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि

कंपनी किसी ऐसे वित्तीय लिखत पर विचार करती है जिसने उसके संविदात्मक भुगतानों की देय तारीख से भुगतान 30 दिन से अधिक समय तक देय हो जाने पर किसी वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर, यह देखा गया है कि 30 से अधिक दिनों के लिए ऐसी अतिदेय मात्रा राज्य की बिजली कंपनियों (उपयोगिताओं) के लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत नहीं देती है। इसलिए, कंपनी ने यह मानदंड केवल निजी संस्थाओं के लिए लागू किया है। हालाँकि, 60 दिन से अधिक, लेकिन 90 दिन से कम अवधि के लिए बकाया वाले राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में इस मॉडल का उपयोग करके गणना की गई बाहरी रेटिंग या जोखिम स्कोर को ऋणदाता के जोखिम को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए एक पायदान तक डाउनग्रेड किया जाएगा।

(च) कम ऋण जोखिम छूट

भारतीय लेखांकन मानक में यह मानने के लिए वैकल्पिक सामान्यकरण का प्रावधान है कि वित्तीय परिसंपत्ति पर ऋण जोखिम में आरंभिक मान्यता से काफी वृद्धि नहीं हुई है (और इस प्रकार स्तर–1 में रहती है), यदि वित्तीय परिसंपत्ति रिपोर्ट करने की तारीख को कम ऋण जोखिम वाली मानी जाए।

ऋण जोखिम उस समय "कम" माना जाता है जब वित्तीय दस्तावेज में चूक का कम जोखिम हो, लेनदार की निकट अवधि में अपने संविदागत नकद प्रवाह दायित्वों को पूरा करने में प्रबल क्षमता हो तथा दीर्घावधि में आर्थिक एवं व्यापारिक स्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन लेनदार की अपनी संविदागत नकद प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता कम कर सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है।

कंपनी कम ऋण जोखिम लेने के लिए एएए से ए के बीच बाह्य ऋण रेटिंग वाली ऋण परिसंपत्तियों पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सभी राज्य यूटिलिटियों के लिए कम ऋण जोखिम छूट ली है क्योंकि कंपनी मानती है कि राज्य क्षेत्र को ऋणों में राज्य क्षेत्र में कम चूक/हानि के इतिहास के कारण और कुछ ऋणों में सरकारी गारंटी की उपलब्धता के कारण मुख्य रूप से निजी क्षेत्र को उधार देने की तुलना में कम ऋण जोखिम होता है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं में सरकार की रूचि होने से देयों की वसूली न होने का जोखिम कम हो जाता है।

(छ) चूक तथा हानि वाले ऋण की परिसंपत्तियों की परिभाषा

कंपनी चूक के रूप में वित्तीय दस्तावेज को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदागत भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक का हो या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कंपनी द्वारा दी गई कोई भी अवधि।

(ज) ईसीएल का मापन – इनपुट, अवधारणाओं और अनुमान तकनीकों की व्याख्या

प्रत्याशित ऋण हानियां चूक की संभावना (पीडी), चूक पर प्रकटन (ईएडी) और हानि देने वाली चूक (एलजीडी) का परिणाम होती हैं जो निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैं:

– पीडी अगले 12 महीनों में या लिखत के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता की चूक की संभावना को दर्शाता है।

– ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।

– एलजीडी कंपनी के नुकसान की ऐसी उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है कि कोई चूक हो सकती है। एलजीडी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो वास्तव में चूक के किसी मामले में वसूली के बाद समाप्त हो जाएगी।

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स की गणना के लिए आईसीआरए द्वारा प्रकाशित रेटिंग संक्रमण मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की अवधि / मैच्योरिटी प्रोफाइल यानी लाइफटाइम पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेड की चूक की आजीवन संभावना का पता लगाने के लिए इस वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स का एक्सट्रापोलेशन किया गया।

घाटे को देखते हुए चूक (एलजीडी) कम्प्यूटेशन मॉडल

ऐतिहासिक रुझान, अनुसंधान और उद्योग बेंचमार्किंग के आधार पर कंपनी ने एक एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में समीक्षा किए गए कारकों में प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए की स्थिति, एफएसए की स्थिति आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने निजी क्षेत्र में थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन कारकों को बेंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के पारेषण और वितरण कंपनियों के मामले में परिसंपत्तियों के वसूल किए जाने वाले वास्तविक मूल्य एलजीडी पर पहुंचने के लिए उपयुक्त अनुमानों का उपयोग करके निकाला गया। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में उद्घाटित किया है और यह माना कि राज्य / केंद्र सरकारें अतीत में देखी गई राज्य क्षेत्र की उपयोगिताओं (बिजली कंपनियों) के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए कदम उठाएंगी।

(झ) स्टेज 3 परिसम्पत्तियों के मामले में एलजीडी का संरेखण

स्टेज –3 परिसंपत्तियां जहां आरईसी और पीएफसी (समूह की कंपनियां) स्टेज–3 ऋण खातों के लिए कंसोर्टियम में शामिल हैं, के मामले में एलजीडी निम्नलिखित आधार पर लिया जाता है:

समेकित लेखा टिप्पणियां

(क) उन मामलों में जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, लीड ऋणदाता द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% को अपनाया जाता है।

(ख) ऐसे मामलों, जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता नहीं हैं, में आरईसी और पीएफसी द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% में से अधिक को अपनाया जाता है।

(I) ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख अनुमान (मान्यताएं)

(i) कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख को आधार तिथि मानती है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि निर्धारित की जाती है।

(ii) ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।

(ट) ऋण जोखिम अनावरण

भिन्न क्रेडिट रेटिंग के साथ उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम अनावरण निम्न है।

(₹ करोड़ में)

क्रेडिट बाह्य रेटिंग की परिसीमा	31.03.2020 के अनुसार				31.03.2019 के अनुसार			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एएए	37,832.86	-	-	37,832.86	-	-	-	-
एए	82,131.73	-	-	82,131.73	3,239.02	-	-	3,239.02
ए	71,840.30	-	-	71,840.30	56,158.84	-	-	56,158.84
बीबीबी	28,629.56	-	-	28,629.56	40,834.51	-	-	40,834.51
बीबी	60,555.15	36.22	-	60,591.37	57,967.67	519.32	-	58,486.99
बी	9,876.29	23.37	-	9,899.66	47,683.74	1,030.31	-	48,714.05
सी	2,215.02	29.68	-	2,244.70	46,119.65	2,862.99	-	48,982.64
डी	-	2,342.00	21,255.55	23,597.55	-	-	20,348.44	20,348.44
सरकारी ऋण	6,616.62	-	-	6,616.62	4,445.19	-	-	4,445.19
कुल धारित राशि	**299,697.53**	**2,431.27**	**21,255.55**	**323,384.35**	**256,448.62**	**4,412.62**	**20,348.44**	**281,209.68**
हानि भत्ते	488.46	963.83	10,552.13	12,004.42	525.26	1,273.72	9,698.95	11,497.93
धारित राशि	**299,209.07**	**1,467.44**	**10,703.42**	**311,379.93**	**255,923.36**	**3,138.90**	**10,649.49**	**269,711.75**

(ठ) समपार्श्विक तथा अन्य ऋण वृद्धियां

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और परिपाटियां लगाती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए समपार्श्विक को स्वीकार करना है। कंपनी में समपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख समपार्श्विक किस्में निम्नलिखित हैं:

–अचल परिसंपत्तियों का मोर्टगेज
–चल संपत्ति का हाइपोथिकेशन
–परियोजना संविदा दस्तावेजों को सौंपना
–उपस्करों की प्लेज जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है
–प्रमोटर की शेयरधारिता की प्लेज
–प्रमोटर की व्यक्तिगत तथा कारपोरेट गारंटी

(ड) हानि भत्ते

उस अवधि में माना गया हानि भत्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

–ऋण जोखिम की काफी वृद्धि (अथवा कमी का अनुभव करने वाले) अथवा उस अवधि में ऋण हानि होने वाले वित्तीय दस्तावेजों के कारण स्तर–1 और स्तर –2 अथवा 3 के बीच अंतरण, और 12 माह तथा जीवन पर्यन्त ईसीएल के बीच परिणामी "स्टेप अप" (अथवा स्टेप डाउन)।

–उस अवधि के दौरान माने गए नए वित्तीय दस्तावेजों के लिए अतिरिक्त भत्ते तथा उस अवधि में न माने गए वित्तीय दस्तावेजों के लिए जारी राशियां।

–मॉडल में इनपुट के नियमित नवीनीकरण से उत्पन्न होने वाली, उस अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तनों के कारण ईसीएल के मापन पर प्रभाव।

–उस अवधि के दौरान अस्वीकृत वित्तीय परिसंपत्तियां और उस अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों सहित भत्तों को बट्टे खाते में डालना।

समेकित लेखा टिप्पणियां

निम्नलिखित तालिकाएं ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा अंत के बीच तदनुरूपी ईसीएल भत्ते को स्पष्ट करती है।

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष 2019–20	स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	आजीवन ईसीएल	सकल राशि	आजीवन ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**256,448.63**	**525.25**	**4,412.61**	**1,273.73**	**20,348.44**	**9,698.95**	**281,209.68**	**11,497.93**
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	1,557.46	107.88	(1,549.63)	(105.92)	(7.83)	(1.96)	(0.00)	(0.00)
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(25.11)	(1.64)	92.99	18.61	(67.89)	(16.97)	(0.01)	-
जीवनपर्यंत ईसीएल क्रेडिट में अंतरण	(1,476.62)	(12.99)	(560.99)	(225.13)	2,037.61	238.12	-	-
पीडी/एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	(238.36)	-	(13.90)	-	1,108.09	-	855.83
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	76,579.12	142.28	47.51	16.66	-	-	76,626.63	158.94
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(33,385.95)	(33.96)	(11.22)	(0.22)	(676.37)	(95.69)	(34,073.54)	(129.87)
राइट ऑफ	-	-	-	-	(378.41)	(378.41)	(378.41)	(378.41)
मॉडल रिस्क पैरामीटर में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी विनिमय एवं अन्य संचलन	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष	**299,697.53**	**488.46**	**2,431.27**	**963.83**	**21,255.55**	**10,552.13**	**323,384.35**	**12,004.42**

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष 2018–19	स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएलल	सकल राशि	आजीवन ईसीएल	सकल राशि	आजीवन ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**207,067.88**	**1,090.78**	**15,266.52**	**1,694.30**	**17,128.43**	**8,490.53**	**239,462.83**	**11,275.61**
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	10,594.28	21.95	(10,594.28)	(21.95)	-	-	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(549.56)	(4.38)	1,775.34	372.11	(1,225.78)	(367.73)	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	(2,763.00)	(625.75)	(1,865.40)	(527.07)	4,628.40	1,152.82	-	-
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	(16.82)	-	(266.20)	-	423.75	-	140.73
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां	56,669.38	78.30	63.82	22.54	-	-	56,733.20	100.84
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें अमान्य कर दिया है	(14,570.35)	(18.83)	(233.39)	-	(182.61)	(0.42)	(14,986.35)	(19.25)
अंतिम शेष	**256,448.63**	**525.25**	**4,412.61**	**1,273.73**	**20,348.44**	**9,698.95**	**281,209.68**	**11,497.93**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(ढ) स्तर वार एक्सपोजर और हानि भत्ता का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार				31.03.2019 के अनुसार			
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	कुल	स्तर I	स्तर II	स्तर III	कुल
कुल एक्सपोजर	2,99,697.53	2,431.27	21,255.55	323,384.35	256,448.62	4,412.62	20,348.44	281,209.68
हानि भत्ता	488.46	963.83	10,552.13	12,004.42	525.26	1,273.72	9,698.95	11,497.93
ईसीएल%	0.16%	39.64%	49.64%	3.71%	0.20%	28.87%	47.66%	4.09%

(त) ऋण जोखिम का संकेंद्रण

कंपनी उस किस्म के उद्योग द्वारा ऋण जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियां) के संकेंद्रण की मॉनीटरिंग करती है जिसमें लेनदार प्रचालन करते हैं जिसे लेनदार के प्रकार में आगे बांटा जाता है, भले ही वह सरकारी हो या निजी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	147,021.68	11,122.97	131,019.56	10,730.93
नवीकरणीय ऊर्जा	9,163.65	161.31	4,463.99	74.13
ट्रांस्कोज	49,658.96	503.89	51,995.18	429.47
डिस्कॉम्स	110,923.44	214.26	89,285.76	262.07
सरकारी ऋण	6,616.62	1.99	4,445.19	1.33
कुल	**323,384.35**	**12,004.42**	**281,209.68**	**11,497.93**
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य	284,778.15	297.60	247,719.13	445.42
निजी	38,606.20	11,706.82	33,490.55	11,052.51
जोड़	**323,384.35**	**12,004.42**	**281,209.68**	**11,497.93**

(थ) क्षेत्रवार हानिग्रस्त परिसंपत्तियाँ – उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण–III आस्तियों का प्रतिशत

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
विद्युत क्षेत्र	6.59%	7.24%

(द) क्रेडिट–इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण		वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
(i)	**सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)**	6.59%	7.24%
(ii)	**निवल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)**	3.32%	3.79%
(iii)	**निवल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)**	3.45%	3.95%
(iv)	**क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	20,348.44	17,128.43
(ख)	वर्ष के दौरान जुड़ाव	2,037.61	4,628.40
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	(752.09)	(1408.39)
(घ)	वर्ष के दौरान राइट ऑफ	(378.41)	-
(च)	वर्ष के अंत में शेष	**21,255.55**	**20,348.44**
(v)	**क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (निवल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	10,649.49	8,637.90
(ख)	वर्ष के दौरान जुड़ाव	691.40	3,051.83
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	(637.47)	(1040.24)
(घ)	वर्ष के दौरान राइट बैक	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
(च)	वर्ष के अंत में शेष	**10,703.42**	**10,649.49**
(vi)	**क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	9,698.95	8,490.53
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,346.21	1,576.57
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ	(114.62)	(368.15)
(घ)	वर्ष के दौरान असेस्ट्स रिटेन ऑफ पर प्रावधान	(378.41)	-
(च)	वर्ष के अंत में शेष	**10,552.13**	**9,698.95**

(ध) राइट ऑफ करने से संबंधित नीति

कंपनी उस समय समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालती है जब उसके सभी व्यावहारिक वसूली प्रयास समाप्त हो गए हों और इस निष्कर्ष पर पहुँच गई हो कि वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है, इसके संकेतकों में परिवर्तन क्रियाकलाप को बंद करना शामिल है अथवा जहां कंपनी की वसूली पद्धति समपार्श्विक पर पहले ही बंद हो तथा समपार्श्विक का मूल्य इतना हो कि पूरी तरह से वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है।

(न) बिजनेस मॉडल पॉलिसी

कंपनी अपने व्यापार मॉडल को उस स्तर पर निर्धारित करती है जो यह दर्शाता है कि यह अपने व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों का प्रबंधन कैसे करती है। कंपनी के व्यापार मॉडल का मूल्यांकन लिखत–दर–लिखत आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि कुल पोर्टफोलियो के उच्च स्तर पर किया जाता है।

कंपनी बिजली क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में ऋण देने के कारोबार में लगी है और इस तरह के ऋणों को ऋण के कार्यकाल में संविदात्मक भुगतान (मूलधन और ब्याज सहित) एकत्रित करके नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, ऋण निवेश की प्रकृति में निवेश और सहमत शर्तों के अनुसार संविदागत भुगतान एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी रखी जा सकती हैं।

अतः कंपनी का व्यवसाय मॉडल ऋणों, कुछ वित्तीय निवेशों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए "इकट्ठा करने के लिए रोक कर रखें" के सिद्धांत पर आधारित है। यदि संविदागत शर्तें ऐसे नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान हैं, तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को ऋणमाचित लागत पर मापा जाता है।

(प) ऋणमोचित लागत कारोबार से बिक्री के लिए नीति

"कंपनी व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया में ऋण परिसंपत्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री का सहारा नहीं लेती है।

हालांकि, कंपनी भारत में विनियामक ढांचे के अनुसार, क्रेडिट–क्षतिग्रसत परिसंपत्ति के संबंध में देय राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ सकती है। इसके परिणामस्वरूप, क्रेडिट क्षतिग्रसत ऋण को आईबीसी की कार्यवाही के हिस्से के रूप में अथवा अन्यथा या तो पुनर्गठित–पुनर्निमित या व्यवस्थित किया जा सकता है और भारतीय लेखंकन मानक (इंड–एएस) 109 –वित्तीय लिखत की आवश्यकताओं के अनुसार मान्यता रद्द करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अलावा क्रेडिट–क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री/खरीद के संबंध में कोई भी लेनदेन नहीं किया है:

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
आईबीसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में बेचे / निपटाए गए खाते	1	-
एकीकृत सकल बकाया (₹ करोड़ में)	236.80	-
प्राप्त एकीकृत राशि (₹ करोड़ में)	124.13	-

(फ) कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष शून्य) किसी भी प्रतिभूतिकरण / असाइनमेंट लेनदेन नहीं किया है। इसके अलावा, परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए किसी भी परिसंपत्ति का प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण करने के लिए नहीं बेचा गया है।

(ब) ऐसे खाते, जो 90 दिनों से अधिक की अवधि से अधिदेय (ओवरड्यू), लेकिन उन्हें क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं माना गया है (आरबीआई के कोविड–19 राहत पैकेज के तहत राहत देने वाले खातों को छोड़कर)।

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	अधिदेय राशि
31.03.2020 के अनुसार	1	2,342.00	2,244.97
31.03.2019 के अनुसार	1	2,302.00	1,536.01

ऋणकर्ताओं में से एक, मेसर्स आरकेएम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड ने 18 सितंबर 2015 को मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय से एक एड–अंतरिम आदेश प्राप्त किया है कि खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत न किया जा सके। तदनुसार, ऋणकर्ता के बकाया ऋण को स्टेज III परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, भले ही अधिदेय (ओवरड्यू) 90 दिनों से अधिक पुराना हो गया है और परिसंपत्ति क्रेडिट क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि, कंपनी द्वारा परियोजना के वित्तीय और प्रचालन मानकों पर विचार करने के बाद 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) कार्यप्रणाली के आधार पर ₹ 2,342 करोड़ के बकाया ऋण के 41.06% की दर से ₹ 961.63 करोड़ (31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 2,302 करोड़ के बकाया ऋण के 40.95% की दर से – ₹ 942.67 करोड़) का एक पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

(भ) आरबीआई के दिनांक 17 अप्रैल, 2010 के परिपत्र संख्या डी. ओ. आर. नं. बीपी. बीसी. 63/21.04.048/2020–21 के अनुसरण में आरबीआई परिपत्र कोविड–19 विनियामक पैकेज के संबंध में अधिस्थगन और परिसंपत्तियाँ वर्गीकरण के संबंध में प्रकटनः

(₹ करोड़ में)

विवरण		राशि
(i)	एसएमए/अधिदेय श्रेणियों में संगत राशियं, जहां अधिस्थगन अवधि को बढ़ाया गया।	1460.22
(ii)	संगत राशि जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण का लाभ दिया जाता है।	23.37
(iii)	किए गए सामान्य प्रावधान।	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में
(iv)	चूक की अवधियों के दौरान समायोजित किए गए सामान्य प्रावधान और अवशिष्ट प्रावधान।	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में

टिप्पणी– कंपनी, एनबीएफसी होने के नाते, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ईसीएल कार्यप्रणाली के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) 109 के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का प्रावधान करती है। हालांकि ऐसे प्रावधान जो कि आरबीआई आईआरएसीजी मानकों के अन्तर्गत अपेक्षित है, उनपर निम्न टिप्पणी (डब्ल्यू में आईआरएसीपी मानकों के अनुरुप अपेक्षित प्रावधानों की गणना कि लिए विचार किया गया है।

(म) आरबीआई की आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान शर्तों (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक इंड–एएस के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ते के बीच तुलना

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	इंड–एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	बकाया राशि	इंड–एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड–एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड–एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
मानक	स्तर 1	298,737.86	300,392.16	480.08	299,912.08	1,779.27	(1299.19)
	स्तर 2	2,431.27	2,431.83	963.83	1,468.00	702.28	261.55
उप जोड़ (1)		**301,169.13**	**302,823.99**	**1,443.91**	**301,380.08**	**2,481.55**	**(1037.64)**
गैर–प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
अवमानक परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	2,037.61	2,037.61	468.91	1,568.70	203.76	265.15
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ							
1 वर्ष तक	स्तर 3	3,973.02	3,973.02	1,646.55	2,326.47	1,282.92	363.63
1 से 3 वर्ष	स्तर 3	11,276.57	11,276.57	5,724.26	5,552.31	6,024.78	(300.52)
3 वर्ष से अधिक	स्तर 3	3,951.13	3,951.13	2,695.19	1,255.94	2,787.48	-92.29
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ के लिए उपजोड़		**19,200.72**	**19,200.72**	**10,066.00**	**9,134.72**	**10,095.18**	**(29.18)**
हानि परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए के लिए उपजोड़ (2)		**21,255.55**	**21,255.55**	**10,552.13**	**10,703.42**	**10,316.16**	**235.97**
कुल ऋण परिसंपत्तियाँ		**322,424.68**	**324,079.54**	**11,996.04**	**312,083.50**	**12,797.71**	**(801.67)**
अन्य मदें जो इंड–एस 109 के दायरे में हैं, लेकिन आईआरएसीपी मानदंडों के तहत कवर नहीं किए गए हैं							
सुविधा पत्र	स्तर 1	959.67	959.67	8.38	951.29	-	8.38
उप–जोड़ (3)		**959.67**	**959.67**	**8.38**	**951.29**	**-**	**8.38**
जोड़	**स्तर 1**	**299,697.53**	**301,351.83**	**488.46**	**300,863.37**	**1,779.27**	**(1290.81)**
	स्तर 2	**2,431.27**	**2,431.83**	**963.83**	**1,468.00**	**702.28**	**261.55**
	स्तर 3	**21,255.55**	**21,255.55**	**10,552.13**	**10,703.42**	**10,316.16**	**235.97**
	जोड़	**323,384.35**	**325,039.21**	**12,004.42**	**313,034.79**	**12,797.71**	**(793.29)**

इंड एएस 109 के तहत क्षतिपूर्ति भत्ते और आरबीआई द्वारा जारी की गई आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) शर्तों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान के बीच अंतर को "क्षतिपूर्ति रिजर्व" के लिए विनियोजित किया जाता है। नोट 27.9 देखें।

समेकित लेखा टिप्पणियां

50.1.4 ट्रेड प्राप्य के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

कंपनी आरईसीपीडीसीएल, आरईसी की एक सहायक कंपनी के ट्रेड प्राप्य के संबंध में ईसीएल पद्धति के तहत सरलीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग करके जीवन पर्यन्त ऋण हानियों का प्रावधान करती है।

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 वर्ष – 2 वर्ष	2 वर्ष – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2020 के अनुसार					
सकल धारित मूल्य	70.93	42.14	9.86	33.60	156.53
प्रत्याशित हानि दरें	14.70%	25.20%	50.00%	100.00%	38.06%
प्रत्याशित हानि दरें (प्रावधान)	10.43	10.62	4.93	33.60	59.58
धारित राशि (इंपेयरमेंट का निवल)	60.50	31.52	4.93	-	96.95
31 मार्च 2019 के अनुसार					
सकल धारित मूल्य	94.13	31.52	3.37	23.83	152.85
प्रत्याशित हानि दरें	10.36%	8.76%	50.15%	100.00%	24.88%
प्रत्याशित हानि दरें (प्रावधान)	9.75	2.76	1.69	23.83	38.03
धारित राशि (इंपेयरमेंट का निवल)	84.38	28.76	1.68	-	114.82

आरईसीपीडीसीएल को 1 वर्ष से अधिक समय से बकाया व्यापारिक प्राप्तियों पर क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने का अनुमान है।

आरईसीटीपीसीएल के मामले में, नुकसान और अपेक्षित नुकसान की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए कंपनी ने चालू वर्ष में कोई सामान्य प्रावधान तैयार नहीं किया है। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रावधान एक देनदार जेकेपीडीडी से कुछ परियोजनाओं की वसूली में कुछ देरी की उम्मीद के कारण एक सामान्य दृष्टिकोण के बजाय विशिष्ट परिसंपत्तियों पर निर्मित व्यापारिक प्राप्तियों पर क्षतिपूर्ति प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है। यह विलंब मान्यता की तारीख से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि प्रचालनों के नियत समय के दौरान विकसित हुआ है। कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यापारिक प्राप्तियों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति हानि भत्ता बनाया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		
	सकल ट्रेड प्राप्य	इंपेयरमेंट हानि भत्ते	निवल ट्रेड प्राप्य
जेकेपीडीडी– उदय	4.98	0.97	4.01
जेकेपीडीडी– पीएमए	4.78	0.92	3.86
जेकेपीडीडी–पीआईए	7.08	1.34	5.74
कुल	**16.84**	**3.23**	**13.61**

31 मार्च, 2019 के अनुसार इंपेयरमेंट हानि भत्ते शून्य है।

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार आरईसीटीपीएल के वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य व्यापार प्राप्तियों, जिनके लिए कोई अपेक्षित क्रेडिट हानि नहीं है, की राशि ₹ 3.93 करोड़ (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 22.90 करोड़) होती है।

50.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होगा जिनका निपटान नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दगी कर किया जाता है। परिसमापन का प्रबंधन करने में कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव सुनिश्चित करना है कि उसकी देयताएं देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए उसमें पर्याप्त समापन हो।

कंपनी मिश्रित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है जिनमें प्रस्तावित संवितरणों के आधार पर अग्रवर्ती संसाधन जुटाना और दायित्वों को पूरा करना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की मॉनीटरिंग करती है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, अल्पावधि निवेश बनाए रखती है जो नकद तथा पर्याप्त उधार और निरंतर पूर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाह की मॉनीटरिंग करके ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में तैयार रूप से बदले जा सकते हैं।

50.2.1 भविष्य के छूटरहित नकदी प्रवाह का परिपक्वता पैटर्न

वित्तीय देयताओं की मदों से संबंधित नकदी प्रवाह (भविष्य की छूटरहित नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज की ओर दर्शाना) निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएंः									
रूपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
–मूल	463.40	503.64	5,940.51	12,739.42	19,109.00	57,825.05	36,677.47	58,147.32	191,405.81
–ब्याज	622.04	937.01	2,166.66	3,488.47	7,032.41	21,092.29	14,197.97	19,934.11	**69,470.96**
अन्य उधारियाँ									
– मूल	505.08	600.08	500.08	2,160.09	1,567.21	11,454.18	5,820.02	10,050.02	**32,656.76**
–ब्याज	342.74	130.49	352.45	383.51	1,107.43	3,565.31	2,027.49	3,708.64	**11,618.06**
अधीनस्थ देयताएं									
– मूल	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,151.20	**4,651.20**
–ब्याज	-	201.50	-	-	192.96	788.93	587.95	772.38	**2,543.72**
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
– मूल	-	-	-	-	3,015.44	-	13,946.39	5,653.95	**22,615.78**
–ब्याज	-	138.14	112.53	200.74	453.70	1,620.81	1,261.85	642.18	**4,429.95**
अन्य उधारियाँ									
– मूल	-	565.39	609.10	4,013.52	8,505.00	6,642.72	7,812.60	587.58	**28,735.91**
–ब्याज	45.09	36.08	46.93	223.97	236.64	518.73	201.15	17.93	**1,326.52**
व्युत्पन्न देयताएंः									
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	0.00	58.63	190.17	337.26	0.00	**586.06**
अन्य –									
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	-	75.15	664.52	**739.67**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2019 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:									
रूपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
–मूल	3,256.39	525.21	2,294.33	9,272.90	20,218.27	65,194.54	25,107.93	49,187.62	**175,057.19**
–ब्याज	484.75	912.75	1,840.88	2,754.00	6,877.86	19,633.29	11,001.43	13,288.00	**56,792.96**
अन्य उधारियाँ									
– मूल	-	350.00	500.00	850.00	200.01	4,257.52	13,405.02	5,187.59	**24,750.14**
–ब्याज	133.77	129.71	355.81	388.00	975.00	3,673.00	2,176.00	2,055.00	**9,886.29**
अधीनस्थ देयताएं									
– मूल	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,151.20	**4,651.20**
–ब्याज	-	201.50	-	-	189.26	782.00	782.00	945.00	**2,899.76**
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां									
– मूल	-	-	-	-	-	2,766.85	4,841.99	5,187.85	**12,796.69**
–ब्याज	-	126.06	42.33	108.00	279.00	1,052.00	1,281.00	807.00	**3,695.39**
अन्य उधारियाँ									
– मूल	-	1,729.28	71.11	1,058.63	2,444.00	10,423.28	6,234.49	-	**21,960.79**
–ब्याज	43.40	54.77	42.07	229.00	290.00	734.00	278.00	-	**1,671.24**
व्युत्पन्न देयताएं:									
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	0.59	6.26	10.19	110.01	3.11	**130.16**
मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	0.41	-	-	**0.41**
अग्रवर्ती अनुबंध	10.26	-	-	-	-	-	-	-	**10.26**
अन्य –									
सीगुल विकल्प	-	-	-	0.37	18.20	-	-	-	**18.57**

पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉन्ड्स को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए तरलता विश्लेषण व्युत्पन्न अनुबंध के उचित मूल्यों पर आधारित है और परिपक्वता बकेट, संबंधित व्युत्पन्न उपस्कर के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

वित्तीय देयताओं के लिए अपेक्षित पर्याप्त नकद प्रवाह का वित्तपोषण निम्नलिखित रूप में ऋणों से छूटरहित नकद प्रवाहों (मूल तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2020 के अनुसार									
मूल	590.00	306.00	3,638.03	7,626.38	15,889.84	63,791.10	55,014.93	63,572.36	**310,428.64**
ब्याज	613.00	250.00	6,103.36	7,819.74	14,756.16	51,025.65	38,311.76	71,028.36	**189,908.03**
31 मार्च 2019 के अनुसार									
मूल	1,654.88	1,316.82	3,073.31	7,365.12	13,781.11	55,904.77	50,995.33	135,620.42	**269,711.76**
ब्याज	866.67	684.94	5,324.18	6,853.48	12,557.11	43,097.02	31,940.32	53,720.12	**155,043.84**

स्तर III की परिसंपत्तियों से संबंधित मूल नकदी प्रवाह, प्रत्याशित क्रेडिट हानि के निवल को परिपक्वता तिथि के बावजूद 5 वर्ष से अधिक के बकेट में विचार किया गया है।

50.2.2 आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	590.00	306.00	3,638.03	8,565.24	15,889.84	63,791.10	55,014.93	164,288.36	**312,083.50**
निवेश	-	-	-	-	1,501.45	22.93	-	602.73	**2,127.11**
रूपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	1,120.17	712.47	7,589.45	14,788.18	21,131.97	57,816.85	36,641.24	58,053.36	**197,853.69**
अन्य उधारियाँ	507.08	600.08	826.89	2,160.09	1,567.21	11,454.18	5,820.02	10,050.02	**32,985.57**
अधीनस्थ देयताएं	-	168.47	-	-	2.11	-	2,499.33	2,149.74	**4,819.65**
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	-	106.20	66.41	63.61	2,994.65	-	13,849.28	4,984.41	**22,064.56**
अन्य उधारियाँ	31.38	572.29	611.79	4,032.85	8,471.94	6,567.71	7,689.56	587.57	**28,565.09**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2019 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	1,850.88	1,316.82	3,401.32	7,627.17	13,781.11	55,904.77	50,995.33	135,573.52	**270,450.92**
निवेश	56.56	-	-	-	48.30	1,500.00	-	678.27	**2,283.13**
रूपी उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	3,781.97	621.87	3,645.36	11,092.27	22,325.05	65,199.36	25,107.93	48,821.65	**180,595.46**
अन्य उधारियाँ	126.93	350.00	500.00	850.00	207.34	4,257.52	13,405.02	5,187.59	**24,884.40**
अधीनस्थ देयताएं	-	168.38	-	-	1.59	-	2,499.15	2,149.65	**4,818.77**
विदेशी मुद्रा उधारियाँ									
ऋण प्रतिभूतियां	-	98.15	24.29	30.88	-	2,722.66	4,784.70	4,511.39	**12,172.07**
अन्य उधारियाँ	27.10	1,750.21	74.77	1,079.80	2,444.00	10,167.79	6,234.49	-	**21,778.16**
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देयताएं (उधारियों के अलावा)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

50.2.3 वित्तपोषण उपाय

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास अंडरग्राउंड उधारी सुविधाओं तक पहुंच थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
एक वर्ष के अंदर की समाप्त हो रही अवधि (नकद ऋण और अन्य सुविधाएं)		
– स्थाई दर	8,780.00	11,440.00
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही अवधि (ऋण/उधारियां)		
– स्थाई दर	497.82	1,577.11

50.2.4 तरलता जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष / महत्वपूर्ण लिखत / उत्पाद को कंपनी के कुल देनदारियों के 1% से अधिक के लिए एकीकृत रूप में जुड़े हुए अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के एकल प्रतिपक्ष / एकल लिखत / उत्पाद या समूह जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष के आधार पर वित्त संकेंद्रण (उधारियाँ)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
महत्त्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या	14	16
राशि (₹ करोड़ में)	125,850.36	103,251.25
कुल देयताओं का %	40.38%	39.12%

समेकित लेखा टिप्पणियां

(ii) शीर्ष 10 की उधारियाँ

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का%
1. नेशनल स्माल सेविंग फंड (एनएसएसएफ) से आवधिक ऋण	10,000.00	3.57%	5,000.00	2.09%
2. 54 ईसी श्रृंखला XI (2017–18)	9,565.23	3.42%	9,565.23	4.00%
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आवधिक ऋण	7,299.92	2.61%	7,300.00	3.05%
4. 54 ईसी श्रृंखला – XI (2018–19)	6,651.77	2.38%	5,929.73	2.48%
5. 54 ईसी श्रृंखला – XI (2018–19)	5,759.14	2.06%	-	0.00%
6. विदेशी मुद्रा बॉण्ड – यूएस $700 मिलियन बॉण्ड	5,277.01	1.88%	4,841.99	2.02%
7. संस्थागत बॉण्ड –182वीं श्रृंखला	5,063.00	1.81%	-	0.00%
8. विदेशी मुद्रा बॉण्ड– यूएस $650 मिलियन	4,900.08	1.75%	-	0.00%
9. संस्थागत बॉण्ड –114वीं श्रृंखला	4,300.00	1.54%	4,300.00	1.80%
10. संस्थागत बॉण्ड –105वीं श्रृंखला	3,922.20	1.40%	3,922.20	1.64%
कुल	**62,738.35**	**22.40%**	**40,859.15**	**17.08%**

iii महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट / उत्पादों के आधार पर वित्त संकेंद्रण

महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट / उत्पादों के नाम	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का%
1. ऋण प्रतिभूतियां				
संस्थागत बॉण्ड	152,120.20	48.81%	129,273.30	48.98%
विदेशी मुद्रा बॉण्ड	22,615.78	7.26%	12,796.69	4.85%
54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स	22,376.33	7.18%	23,879.92	9.05%
टैक्स फ्री बॉण्ड	12,602.97	4.04%	12,577.97	4.77%
उप– जोड़ (1)	**209,715.28**	**67.30%**	**178,527.88**	**67.65%**
2. उधारियाँ (ऋण प्रतिभितियों के अलावा)				
विदेशी मुद्रा उधारियाँ	21,762.71	6.98%	17,637.62	6.68%
बैंक से आवधिक ऋण	18,899.78	6.06%	18,550.00	7.03%
भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	3.21%	5,000.00	1.89%
एफसीएनआर (ख) ऋण	6,973.20	2.24%	4,323.20	1.64%
उप– जोड़ (2)	**57,635.69**	**18.49%**	**45,510.82**	**17.24%**
3 अधीनस्थ देयताएँ	**4,651.20**	**1.49%**	**4,651.20**	**1.76%**
जोड़ (1+2+3)	**272,002.17**	**87.28%**	**228,689.90**	**86.66%**

iv स्टॉक रेशियो

विवरण	31.03.2020 के अनुसार				31.03.2019 के अनुसार			
	राशि (₹ करोड़ में)	लोक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	लोक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %
कमर्शियल पेपर	2,925.00	1.04%	0.94%	0.84%	7,975.00	3.33%	3.02%	2.67%
गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर जिसमें एक वर्ष से कम की परिपक्वता है	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य अल्पावधि देयताएं	10,829.62	3.87%	3.48%	3.12%	4,776.01	2.00%	1.81%	1.60%

समेकित लेखा टिप्पणियां

53.3 बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम

कंपनी विदेशी मुद्रा लेन–देनों, प्रमुख रूप से अमेरिकी डॉलर, यूरो और जेपीवाई के संबंध में, से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय जोखिम में है। विदेशी मुद्रा जोखिम कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा को छोड़कर, मुद्रा में दर्शाई गई मान्यता प्राप्त देयताओं से उत्पन्न होता है। कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम में होने को कम करने के लिए गैर–आईएनआर नकद प्रवाह की मॉनीटरिंग की जाती है और कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्नात्मक संविदाएं की जाती हैं।

कंपनी में एक बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ विदेशी मुद्रा उधार से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करना है। हेज अनुपात, अन–हेज्ड स्थिति, मार्क–टू मार्केट स्थिति, बैंकों में स्थिति की सीमा आदि जैसे मानदंडों की विदेशी मुद्रा जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में मॉनीटरिंग की जाती है। इस नीति में उन मानदंडों का दिशा–निर्देश करने का प्रावधान है जिनके अंतर्गत कंपनी मुद्रा जोखिम तथा ब्याज जोखिम के प्रबंधन के लिए निर्णय ले सकती है जो कि विदेशी मुद्रा ऋण के कारण होती है जिसमें ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए कंपनी को एक कार्यढांचा प्रदान करना है।

वर्तमान में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सदस्यों के रूप में वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से निदेशक, कार्यकारी निदेशक और मुख्य महाप्रबंधकों के साथ कार्य कर रही है। एएलसीओ विभिन्न व्युत्पन्नात्मक दस्तावेजों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर और ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करती है। कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रवर्ती संविदाओं, मुद्रा विकल्पों, केवल मूल स्वैप्स और अग्रवर्ती दर करारों जैसे विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से विनिमय दर शामिल करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नात्मक लेन–देन करती है। ये व्युत्पन्नात्मक लेन–देन हेजिंग प्रयोजन के लिए किए जाते हैं न कि व्यापार अथवा सट्टा प्रयोजन के लिए।

विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियों और उधार के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा स्थिति को घेरने के लिए क्रॉस करेंसी स्वैप (मूल और/अथवा ब्याज) भी निष्पादित किया है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा स्थिति की बकाया स्थिति निम्नलिखित है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, भारतीय रुपए के समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31.03.2020 के अनुसार			31.03.2019 के अनुसार		
	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग
अमेरिकी डॉलर $	6,591.96	4,070.00	2,521.96	4,830.00	3,370.00	1,460.00
भारतीय रुपए के समतुल्य	49,694.10	30,682.06	19,012.04	33,409.72	23,310.73	10,098.99
जापानी येन ¥	11,755.14	10,623.67	1,131.47	12,428.85	10,920.22	1,508.63
भारतीय रुपए के समतुल्य	818.75	739.94	78.81	777.05	682.73	94.32
यूरो €	55.15	29.70	25.45	73.45	48.00	25.45
भारतीय रुपए के समतुल्य	458.04	246.69	211.35	570.74	373.00	197.74
सिंगापुर डॉलर $	72.08	72.08	-	-	-	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	380.80	380.80	-	-	-	-
कुल	**51,351.69**	**32,049.49**	**19,302.20**	**34,757.51**	**24,366.46**	**10,391.05**

50.3.1 संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका अन–हेज्ड स्थितियों पर आईएनआर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (+लाभ/(हानि)) सहित लाभ एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया	711.35	(711.35)	328.50	(328.50)
जापानी येन/भारतीय रुपया	2.95	(2.95)	3.07	(3.07)
यूरो/ भारतीय रुपया	7.91	(7.91)	6.43	(6.43)
सिंगापुर डॉलर/ भारतीय रुपया	-	-	-	-

**अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए*

समेकित लेखा टिप्पणियां

हेज एकाउंटिंग (लेखांकन)

कंपनी के समक्ष विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है, जो मुख्य रूप से यूएस डॉलर, यूरो और जेपीवाई में विभिन्न विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों से संबंधित है। इन ऋणों के कारण ब्याज दर का जोखिम भी सामने आया क्योंकि अधिकांश ऋणों पर एलआईबीओआर, ईयूआरआईबीओआर आदि से जुड़ी ब्याज दर लागू होती है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसका उद्देश्य कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा से इतर किसी अन्य मुद्रा में मूल्यवर्गित ऋणों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा और उसके ऋण पर ब्याज दर को हेज करना है। कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं, वायदा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के संयोजन का उपयोग करती है ताकि विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके।

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और नकदी प्रवाह हेजेज में ब्याज दर जोखिम के संबंध में हेजिंग लिखतों के रूप में कुछ व्युत्पन्न उत्पाद नामित करती है। वैकल्पिक संविदाओं के लिए कंपनी विकल्प के समय मूल्य को छोड़कर हेज आइटम के रूप में वैकल्पिक संविदाओं के केवल आंतरिक मूल्य को ही नामित करती है। विकल्प के संरेखित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध की शुरुआत में विकल्पों का समय मूल्य एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

हेज अप्रभावशीलता हेज संबंध की शुरुआत में और समय–समय पर संभावित प्रभावशीलता के आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज किए गए आइटम और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है, के माध्यम से निर्धारित की जाती है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियां लागू करती हैरू

(i) क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप, जो हेज की गई मदों की शर्तों से बिल्कुल मेल खाता है, के लिए आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता गुणात्मक कारकों पर आधारित हैं जिसमें महत्वपूर्ण शब्दों से मेल वाली पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

(ii) अन्य ब्याज दर स्वैप (देर से पदनामित किए जाने के मामलों में) के लिए कंपनी एक काल्पनिक व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव) का उपयोग करके डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करती है। डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेजिंग लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की हेज किए गए जोखिम के कारण हेज किए गए आइटम के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन के साथ तुलना करना शामिल होता है।

(iii) विकल्प संरचनाओं के लिए कंपनी डॉलर ऑफसेट पद्धति के आधार पर कठोर प्रतिगमन विश्लेषण आधारित विधि का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेज किए गए आइटम के व्यवहार का विश्लेषण करती है।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग लिखत के अन्तर्निहित जोखिम और आकस्मिक मात्रा समान है।

(क) 31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन पत्र पर हेज लेखांकन के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

	जोखिम एवं हेज के प्रकार	कल्पित मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के धारित राशि		पूर्ण तिथि	हेज दरें	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य ध् दर	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
			परिसंपत्तियाँ	देयताएं					
	नकदी प्रवाह हेज								
	विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम								
(i)	–सिगुल स्ट्रक्चर	अमेरिकी डॉलर 141.00	1,494.84	-	मई 2020– मार्च 2025	1:1	71.88	213.14	(213.14)
		जापानी येन 1,032.71	167.37	-	अग. 2023	1:1	0.62	10.30	(10.30)
	–कॉल स्प्रेड	अमेरिकी डॉलर 25.00	97.16	-	मार्च 2024	1:1	71.94	81.36	(81.36)
(ii)	क्रॉस मुद्रा स्वैप	अमेरिकी डॉलर 100.00	-	(297.86)	दिस. 2020–मार्च 2025	1:1	3.67%	(175.35)	175.22
		जापानी येन 1,032.71	-	(5.28)	अग. 2023	1:1	0.42%	(1.29)	1.29
		सिंगापुर डॉलर 7.21	2.32	-	मार्च 2025	1:1	1.18%	2.32	(2.32)
(iii)	ब्याज दर स्वैप	अमेरिकी डॉलर 126.00	5.24	(134.45)	जुलाई 2020 जुलाई 2024	1:1	2.35%	(185.91)	185.91

(ख) 31 मार्च, 2020 के अनुसार लाभ एवं हानि पर हेज लेखांकन के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

हेज के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए गए हेजिंग लिखत के मूल्य में परिवर्तन	मान्यता प्राप्त हेज अप्रभावशीलता	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से पुनर्वर्गीकृत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन आइटम
नकदी प्रवाह हेज				
– विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम	55.3	0.13	(629.26)	विदेशी विनिमय रुपांतर पर लाभ/हानि
			0.03	वित्तीय लागत

समेकित लेखा टिप्पणियां

(ग) नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचलन

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
नकदी प्रवाह हेजिंग के प्रभावी भाग	
प्रारम्भिक शेष	-
जोड़े : विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं के वास्तविक मूल्यों में परिवर्तन	687.21
जोड़े : क्रॉस मुद्रा स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	(174.20)
जोड़े : ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	(185.90)
घटाएँ : पुनः वर्गीकृत राशि के लाभ या हानि	(629.23)
घटाएँ : उपरोक्त (निवल) से संबन्धित आस्थगित कर	76.04
समाप्ति वर्ष पर शेष	**(226.08)**
हेजिंग रिजर्व की लागत	
प्रारम्भिक शेष	-
जोड़े : विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं में आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(382.41)
घटाएँ : समय मूल्य का परिशोधन	108.80
घटाएँ : उपरोक्त (निवल) से संबन्धित आस्थगित कर	68.86
समाप्ति वर्ष पर शेष	**(204.75)**

50.4 बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होगा।

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होगा। ब्याज दरें गतिशील और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होती हैं, जिनमें आरबीआई की नीति में बदलाव, बाजार में तरलता, एएए बॉण्ड/जी–सेक पैदावार जैसे बाहरी बेंचमार्क की आवाजाही आदि शामिल हैं। कंपनी ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वैप संविदाओं, वायदा ब्याज दर संविदाओं जैसे जैसी विभिन्न व्युत्पन्न संविदाओं के माध्यमों से अपनी ब्याज दर के जोखिम का प्रबंधन करती है।

निम्नलिखित तालिका निम्नलिखित रूप में 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार हेज्ड/ अन–हेज्ड श्रेणी के तहत विभाजन सहित अस्थिर दर देयताओं पर ब्याज दर जोखिम में कंपनी की समग्र स्थिति दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन भारतीय रुपए के समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31.03.2020 के अनुसार			31.03.2019 के अनुसार		
	स्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग	स्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग
भारतीय रुपए उधारियाँ	19,899.78	-	19,899.78	19,550.00	-	19,550.00
अमेरिकी डॉलर $	3,241.96	2,830.00	411.96	2,980.00	2,005.00	975.00
भारतीय रुपए के समतुल्य	*24,439.81*	*21,334.21*	*3,105.60*	*20,613.05*	*13,868.85*	*6,744.20*
जापानी येन ¥	10,327.12	10,327.12	-	10,327.12	10,327.12	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	*719.28*	*719.28*	-	*645.65*	*645.65*	-
सिंगापुर डॉलर$	72.08	72.08	-	-	-	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	*380.83*	*380.83*	-	-	-	-
कुल भारतीय रुपए के समतुल्य	**45,439.70**	**22,434.32**	**23,005.38**	**40,808.70**	**14,514.50**	**26,294.20**

कंपनी के ऋणदाता पोर्टफोलियो में अर्ध–स्थिर दर अर्थात ऋणकर्ता के साथ 1/3/10 वर्ष के रीसेट विकल्प के साथ ब्याज की दर पर ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। कंपनी अपनी ऋण दरों की समय–समय पर प्रचलित बाजार की स्थितियों, उधार लेने की लागत, उससे लाभ, प्रसार, प्रतिस्पर्धियों की दरों, मंजूरियों और संवितरण आदि के आधार पर समीक्षा करती है। ऋण के पूर्व भुगतान के मामले में प्री–पेमेंट जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ऋणकर्ताओं से प्री–पेमेंट प्रीमियम वसूलती है। ब्याज दर संवेदनशीलता का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर कथनों के विश्लेषण और अचल और अस्थायी ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्माण का मूल्यांकन करके किया जाता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध–निर्धारित दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
रुपी ऋण	312,065.92	279,021.68

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा अन–हेज्ड स्थितियों पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि (लाभ/(हानि) पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	(86.08)	86.08	(85.53)	85.53
अस्थिर/अर्ध–निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	1,167.63	(1,167.63)	907.60	(907.60)

* *अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए*

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

50.5 बाजार जोखिम – कीमत जोखिम

कंपनी उल्लिखित इक्विटी शेयरों और उद्यम पूंजीगत निधियों में निवेशों से उत्पन्न होने वाले इक्विटी कीमत जोखिमों की स्थिति में है। कंपनी के इक्विटी निवेश व्यापारिक प्रयोजनों के बजाए नीतिगत प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं।

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका, समूह से बाहर कंपनी के इक्विटी निवेशों पर संबंधित कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धि अथवा गिरावट के लिए ओसीआई लाभ/(हानि) को पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय पर प्रभाव (ओसीआई)	25.68	(25.68)	32.35	(32.35)
लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभाव (पीएल)	0.63	(0.63)	-	-

51. व्युत्पन्नों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन

51.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i)	स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	65,453.01	45,803.16
(ii)	हानियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने में प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	3,318.85	1,802.58
(iii)	स्वैप में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	शून्य	शून्य
(iv)	स्वैपों के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	कृप्या निम्न का संदर्भ लें	कृप्या निम्न का संदर्भ लें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	1,993.12	1,643.18

* *कंपनी द्वारा किए गए सभी मुद्रा व्युत्पन्न और ब्याज व्युत्पन्न शामिल हैं। आरईसी ने एक एनबीएफसी होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार श्रेणी–1, प्राधिकृत डीलर बैंकों के साथ ही स्वैप करार किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप करार बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।*

समेकित लेखा टिप्पणियां

51.2 कंपनी ने किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों को नहीं किया है।

51.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**		अन्य व्युत्पन्न (रिजर्व क्रॉस करेंसी स्वैप)***	
		31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)						
	हेजिंग के लिए	32,049.49	24,366.46	29,056.52	21,436.70	4,347.00	-
(ii)	मार्केट टु मार्केट स्थितियां						
क)	परिसंपत्ति (+)	3,177.14	1,642.11	141.71	160.47	-	-
ख)	देयता (–)	-	29.24	586.06	130.16	739.67	-
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	32,049.49	24,366.46	29,056.52	21,436.70	4,347.00	-
(iv)	अनहेजेड एक्सपोजर	19,302.20	10,391.05	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**इसमें पूरा हेज, मूल केवल स्वैप और कॉल स्प्रैड शामिल हैं।*

***इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज दर व्युत्पन्न शामिल हैं।*

****इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में रिजर्व क्रॉस करेंसी स्वैप शामिल हैं।*

52 कंपनी पर कोविड –19 महामारी का प्रभाव

कोविड–19 के लिए जिम्मेदार एसएआरएस–सीओवी–2 वायरस भारत सहित पूरे विश्व में फैलता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में उल्लेखनीय गिरावट और अस्थिरता आई है। इसने वैश्विक और भारतीय आर्थिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न किया है। 11 मार्च 2020 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा कोविड–19 के प्रकोप को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया। कंपनी द्वारा अनुकूलित तरीके से व्यावसायिक कार्यों की निरंतरता के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

कारोबार प्रचालनों पर प्रभाव

इस अभूतपूर्व अवधि के दौरान, कंपनी ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा और भलाई के लिए राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा से पहले कर्मचारियों को "घर से काम करने" की अनुमति दी थी। कंपनी ने बड़े पैमाने पर समीक्षा और निगरानी, सूचना–साझाकरण और ज्ञान प्रबंधन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया। सुरक्षित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के माध्यम से ई–ऑफिस और ईआरपी अनुप्रयोगों की उपलब्धता के साथ युग्मित मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता ने कंपनी को लॉकडाउन के कारण किसी भी महत्वपूर्ण व्यवधान के बिना व्यवसाय संचालन जारी रखने की अनुमति दी। वर्ष 2019–20 के अंतिम पखवाड़े के दौरान, कंपनी ने ₹ 6,476 करोड़ की राशि के ऋणों का संवितरण किया, जबकि वर्ष के अंत तक ₹ 75,667 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया।

ऋण देने के प्रचालनों पर प्रभाव

सरकार और विभिन्न नियामकों ने भी वायरस के प्रसार को रोकने और आर्थिक व्यवधानों के प्रभावों को कम करने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने व्यावसायिक गतिविधियों की गड़बड़ियों के कारण लोन सर्विसिंग के बोझ को कम करने के लिए दिनांक 27 मार्च 2020 की अधिसूचना सं. आरबीआई/2019–20 /186 डीओआर नं. बीपी. बीसी. 47 / 21.04.048 / 2019–20, जिसे यहां से आगे "आरबीआई अधिसूचना" के रूप में संदर्भित किया गया है, के जरिए सावधि ऋणों के संदर्भ में भुगतानों और कार्यशील पूंजी सुविधाओं का पुनर्अनुसूचीयन करने के लिए ऋण संस्थानों को अनुमति दी। आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक नीतिगत ढांचा तैयार किया है जिसके अनुसार ऋणकर्ता ऐसे सावधि ऋणों के मूलधन और / या ब्याज (अतिरिक्त ब्याज / आगे ब्याज / शुल्क सहित) के भुगतान पर अधिकतम तीन महीने की मोहलत का लाभ उठा सकते हैं, जो 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच देय होते हैं। इस तरह के स्थगन के लाभ के लिए ऐसे ऋणकर्ता पात्र हैं, जिनके पास 1 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कोई बकाया राशि देय नहीं है या 31 मई, 2020 की स्थिति के अनुसार बाद में इस तरह के अतिदेय को मंजूरी दे दी गई है। कंपनी ने मार्च, 2020 के लिए देय ₹ 9,500 करोड़ की कुल वसूलियों से अधिक के 78% की वसूली पहले से ही कर ली है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमादित नीति अनुसार, ₹ 5,172 करोड़ की राशि आस्थगित की गई है, जो ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो स्थगन अवधि के बीच में देय होती हैं।

इसके अलावा, आरबीआई के दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के परिपत्र के अनुसार, यदि मानक ऋणकर्ताओं और जिनको इस तरह के स्थगन की अनुमति दी गई है, के मामले में परिसंपत्ति के वर्गीकरण के उद्देश्य से 'डेज पास्ट ड्यू' की संख्या से इस तरह की रोक की अवधि को हटा दिया गया है। हालांकि, यदि इस छूट का लाभ प्रदान नहीं किया गया होता, केवल ₹ 23.37 करोड़ के ऋण के साथ एक ऋणकर्ता को ही स्टेज–3 परिसंपत्ति के रूप में अपग्रेड किया गया होता।

विविध स्रोतों से निधियों की उपलब्धता

कंपनी के पास घरेलू संस्थागत बांडों के साथ–साथ विदेशी मुद्रा बॉण्ड सहित अपने प्रचालन के वित्तपोषण के लिए विभिन्न स्रोतों तक पहुंच उपलब्ध है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप सहित विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से धन प्राप्त करने के लिए कंपनी की पहुंच को बढ़ाता है। 31 मार्च, 2020 के बाद, कंपनी घरेलू बॉण्ड और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से ₹ 14,000 करोड़ से अधिक की राशि जुटाने में सक्षम रही है ।

समेकित लेखा टिप्पणियां

इसके अलावा, कंपनी ने इसी अवधि के दौरान ₹ 6,047 करोड़ की राशि के बॉण्ड और सावधि ऋण को 800 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुचाया है। इसमें यूएसडी बॉण्ड के माध्यम से जुटाए गए 500 मिलियन अमरीकी डालर भी शामिल हैं, जिसमें आरईसी 12 मई, 2020 को कोविड–19 महामारी के दौरान ही सफलतापूर्वक यूएसडी बॉण्ड बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास विभिन्न बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋणों की दिशा में ₹ 7,000 करोड़ से अधिक के दीर्घावधि ऋण और ₹ 5,000 करोड़ से अधिक की सीमाएं उपलब्ध हैं। इस प्रकार, कंपनी अपनी तरलता की स्थिति पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सक्षम रही है, जिससे कंपनी को किसी भी भौतिक प्रभाव के बिना अपने ऋण प्रचालन को बनाए रखने में सहुलियत बनी रही है।

विद्युत क्षेत्र के लिए कोविड–19 राहत पैकेज

अधिकांश पावर जनरेशन कंपनियों के पावर प्लांट लॉकडाउन के शुरुआती समय में सीमित व्यवधानों के साथ लॉकडाउन अवधि के दौरान चालू थे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रमुख बिजली उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योगों, कार्यालयों और अन्य वाणिज्यिक स्थानों ने सीमित क्षमता के साथ अपने प्रचालन को फिर से शुरू किया है। इससे बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है जिसे लॉकडाउन की अवधि के दौरान अस्थायी कमी का सामना करना पड़ रहा था।

भारत सरकार ने अपने कोविड–19 राहत पैकेज के एक हिस्से के रूप में पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनियों की बकाया राशि को चुकाने के लिए आरईसी और पीएफसी के माध्यम से राज्य सरकार को गारंटीकृत ऋण के रूप में राज्य डिस्कॉम को तरलता इंजेक्शन देने की घोषणा की है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को आरबीआई से अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि वे कई सुधार उपायों के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ बिजली क्षेत्र में सुधार शामिल हैं। सरकार ने भी शीघ्र ही एक टैरिफ नीति जारी करने की घोषणा की है, जिसमें बिजली क्षेत्र के लिए कई सुधारों का जिक्र किया गया है और इसमें संघ राज्य क्षेत्रों में डिस्कॉम आदि का निजीकरण शामिल है, परन्तु इतना ही नहीं।

आरबीआई और भारत सरकार द्वारा की गई उपर्युक्त कार्रवाई और आरईसी की तरलता की स्थिति और धन वर्तमान में निधियों के विभिन्न स्रोतों तक पहुंच के साथ, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके प्रचालन को बनाए रखने के लिए मौजूदा संकट का कंपनी की कार्यक्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, इसमें कंपनी के लिए इस मौजूदा चिंता का मूल्यांकन भी शामिल है। हालांकि, कोविड–19 महामारी कंपनी को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के घटनाक्रम पर निर्भर करेगा, जो अनिश्चित है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कोविड–19 महामारी की गंभीरता या कंपनी इसके प्रसार को समाहित करती है या इसके प्रभाव को कम करती है, के बारे में कोई भी नई जानकारी और सरकार द्वारा कोई अन्य कार्रवाई शामिल है।

53. एक्सपोजर संबंधित से प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12 फरवरी, 2010 के आरबीआई परिपत्र सीसी नं. 168 में निहित अनुदेशों के अनुसार आरईसी को 17 सितंबर, 2010 के अपने पत्र द्वारा एक अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीकृत किया था। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र में उधार लेने के लिए कुल अनुमत्य ऋण जोखिम एक लेनदार के मामले में ली गई निधियों का 25 प्रतिशत और लेनदारों के समूहों के मामले में 40 प्रतिशत है तथा उधार देने एवं निवेश करने के लिए एक साथ लिया गया ऋण जोखिम ली गई निधियों का क्रमशः 30 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत तक हो सकता है।

केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईसी को 31 मार्च, 2022 तक ऋण/निवेश मानदंडों के आरबीआई का संकेंद्रण लागू होने से 16 जून, 2016 के पत्र संख्या डीएनबीआर.पीडी.सीओ. नं. 2184/03.10.001/2015–16 द्वारा छूट दी है। उपर्युक्त के मद्देनजर, केंद्रीय एवं राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम ऋण जोखिम सीमाएं कंपनी मूल्यांकन के आधार पर स्वामित्व निधियों का 50 प्रतिशत से लेकर 250 प्रतिशत तक परिवर्तन जारी है।

निजी क्षेत्र के कंपनियों के संबंध में, एकल लेनदारों और समूह लेनदारों के लिए कंपनी का ऋण जोखिम 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को आरबीआई प्रूडेंशियल ऋण जोखिम से अधिक नहीं रहा।

53.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोजर

कंपनी का 31 मार्च, 2020 को रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई ऋण जोखिम नहीं है (31 मार्च, 2019 को शून्य)।

53.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेशय	778.40	820.44
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिमय	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

विवरण		31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है।	-	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों के लिए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहोंध्मामलों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋण;	-	-
(viii)	उपक्रम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए समस्त एक्सपोजर	6.12	6.18
	पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोजर	**784.52**	**826.62**

53.3 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

विवरण		31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i)	**अग्रिमों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	184,741.84	158,931.60
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	57.30%	56.52%
(ii)	**एक्सपोजर का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	288,397.43	254,896.66
(iii)	**कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत**	59.46%	59.46%
	क्रेडिट इम्पेयर्ड हानियों का संकेंद्रण		
	शीर्ष चार क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल बकाया (₹ करोड़ में)	8,618.52	8,502.74
	उपरोक्त चार क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	8,618.52	8,502.74

54. उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य और श्रेणी द्वारा उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की ली गई लागत निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		टिप्पणी सं.	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
	वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मापन			
	व्युत्पन्न वित्तीय साधन	9	3,318.85	1,802.58
	निवेश* पर मापा गया			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	11	513.55	646.99
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	11	1,558.53	1,556.87
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
	नकद और नकदी समतुल्य	6	1,717.71	381.99
	अन्य बैंक शेष	7	2,257.45	1,733.08
	प्राप्य ट्रेड	8	110.72	137.72
	ऋण परिसंपत्तियां	10	312,083.50	270,450.92
	निवेश	11	55.03	79.27
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	22,099.67	18,363.99

समेकित लेखा टिप्पणियां

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
जोड़		**343,715.01**	**295,153.41**
उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएं			
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	9	1,325.73	159.40
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
प्राप्य ट्रेड	19	46.15	67.29
ऋण प्रतिभूतियाँ	20	219,918.25	192,767.51
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	21	61,550.66	46,662.54
अधीनस्थ देयताएं	22	4,819.65	4,818.76
अन्य वित्तीय देयताएं	23	23,782.21	19,227.07
जोड़		**311,442.65**	**263,702.57**

54.1 उचित मूल्य अनुक्रम

ऊपर उल्लिखित वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह अनुक्रम समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं (चरण–1 मापने) के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट (चरण–3 मापने) को निम्न प्राथमिकता देता है।

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान दस्तावेजों के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2: चरण–1 इनपुट को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न) लेने योग्य बाजार रिपोर्ट

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति क्रियाकलाप अथवा अंतरण के कारण हुए परिस्थितियों में परिवर्तन की तारीख को उचित मूल्य अनुक्रम में अंतरण और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार				31.03.2019 के अनुसार			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एफवीओसीआई पर निवेश								
इक्विटी निवेश	507.43	6.12	-	513.55	640.81	6.18	-	646.99
एफवीटीपीएल पर निवेश								
इक्विटी निवेश	12.50	-	-	12.50	-	-	-	-
परपेचुअल बॉण्ड	-	-	1,500.62	1,500.62	-	-	1,556.87	1,556.87
प्रेफरेंस शेयर	-	-	45.41	45.41	-	-	-	-
एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	3,318.85	-	3,318.85	-	1,802.58	-	1,802.58
एफवीटीपीएल पर देयताएँ								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	1,325.73	-	1,325.73	-	159.40	-	159.40

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

(क) उल्लिखित इक्विटी निवेशों में निवेश – चरण 1 – सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों में निवेश का मापन बाजार में उनकी तैयार रूप में उपलब्ध उल्लिखित कीमत पर किया जाता है।

(ख) उद्यम पूंजी निधि में निवेश – चरण 2 – उद्यम पूंजी निधि में निवेश का मापन निधि से बांटे गए निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) प्रमाण–पत्र के अनुसार उनके उचित मूल्य पर किया जाता है।

(ग) व्युत्पन्न वित्तीय लिखत–स्तर 2 – बैंकों द्वारा प्रदान किए गए बाजार मूल्य के लिए उचित मूल्य के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया गया है जो अंतर्निहित जोखिम को कम करने के लिए अनुबंधित है। इस तरह के मूल्यांकन की गणना बाजार में दिखाई देने वाले आदानों (इनपुट्स) के जरिए की जाती है, जिसमें वायदा निविमय दरें, संविदा की परिपक्वता अवधि के हिसाब से ब्याज दरें और अन्तर्निहित उतार–चढ़ाव शामिल हैं।

समेकित लेखा टिप्पणियां

(घ) सतत बॉण्ड निवेश में निवेश – स्तर 3 – कंपनी ने इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सिंडिकेट बैंक के सतत बॉण्ड में निवेश किया है जो एनएसई/बीएसई पर उद्धृत हैं। कंपनी इन बांडों के लिए सक्रिय बाजार लेनदेन की जाँच करती है। हालाँकि, कंपनी द्वारा रखे गए इन बॉण्ड में किसी भी बाजार गतिविधि की कोई एतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है, और इसलिए, ऐसे बॉण्ड के लिए उद्धृत मूल्य उपलब्ध नहीं है। कंपनी निवेश करने वाले बैंकों की क्रेडिट रेटिंग में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए भी इसकी जांच करती है, और यदि कोई परिवर्तन नोट नहीं किया जाता है, तो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो विधि का उपयोग करके उचित मूल्य की गणना के लिए कूपन दर पर विचार किया जाता है।

(ड.) गैर–उद्धृत इक्विटी निवेशों में निवेश – लेवल 3 – यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) के गैर–उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को लेवल–3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा कंपनी के विशिष्ट कारणों से इसे शून्य मूल्य पर ले जाया गया है। यूसीएक्स को वर्ष 2014 में बंद कर दिया गया था, जिससे यह एक चिंता का विषय बना हुआ है।

(च) गैर–उद्धृत वरीयता शेयरों में निवेश– स्तर–3 – रतन इंडिया पावर लिमिटेड (आरआईपीएल) के गैर–उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी रिडीमेबल वरीयता शेयरों (ओसीसीआरपीएस) में निवेश को स्तर–3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी को ऋणकर्ता कंपनी के ओसीसीआरपीएस आवंटित किए गए हैं। रतन इंडिया पावर लिमिटेड ने 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था का अनुसरण किया। उचित मूल्य वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को समझौते के अनुसार छूट देकर निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है। (विवरण के लिए नोट : 11.1 देखें)।

54.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से वित्तीय लिखते के उचित मूल्य का पुनर्समाधान

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की आरंभिक तथा अंतिम राशि का पुनर्समाधान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20				वित्त वर्ष 2018–19			
	एफवीटीपीएल		एफवीओसीआई	कुल	एफवीटीपीएल		एफवीओसीआई	कुल
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेन्स शेयर में निवेश	इक्विटी शेयर में निवेश		परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेन्स शेयर में निवेश	इक्विटी शेयर में निवेश	
वर्ष के प्रारंभ शेष	1,556.87	-	-	**1,556.87**	1,500.62	-	-	**1,500.62**
ऋण समायोजन में प्राप्य (टिप्पणी 10.3 का संदर्भ लें)	-	32.42	-	**32.42**	-	-	-	-
समायोजन	(224.50)	-	-	**(224.50)**	(112.00)	-	-	**(112.00)**
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज आय	168.25	1.50	-	**169.75**	168.25	-	-	**168.25**
उचित मूल्य परिवर्तन	-	11.49	-	**11.49**	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**1,500.62**	**45.41**	**-**	**1,546.03**	**1,556.87**	**-**	**-**	**1,556.87**
अवधि के अंत में अनरियलाइज्ड लाभ / (हानि)	0.62	12.99	(16.00)	(2.39)	56.87	-	(118.00)	(61.13)

वर्ष के दौरान व्युत्पन्न अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआइ) के माध्यम से उचित मूल्य के मापन पर इक्विटी शेयर में निवेश के लिए टिप्पणी संख्या 11.2 के संदर्भ में

54.3 परिशोधित लागत पर मापे गए लिखतें का उचित मूल्य

परिशोधित लागत जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है, पर मापे गए दस्तावेजों का उचित मूल्य निम्नलिखितानुसार है। यह उचित मूल्य लेवल 3 इनपुट का प्रयोग करके परिकलित किए जाते है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकद एवं नकदी समतुल्य	1,717.71	1,717.71	381.99	381.99
उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक शेष	2,257.45	2,257.45	1,733.08	1,733.08
ट्रेड प्राप्य	110.72	110.72	137.72	137.72
ऋण	312,083.50	311,112.33	270,450.92	267,598.29

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
निवेश	55.03	62.13	79.27	79.27
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	22,099.67	22,100.77	18,363.99	18,365.66
कुल	**338,324.08**	**337,361.11**	**291,146.97**	**288,296.01**
वित्तीय देयताएं				
ट्रेड प्रतिदेय	46.15	46.15	67.29	67.29
ऋण प्रतिभूतियां	219,918.25	212,067.95	192,767.51	194,378.92
उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	61,550.66	61,991.40	46,662.54	46,595.45
अधीनस्थ देयताएं	4,819.65	5,028.88	4,818.76	4,748.14
अन्य वित्तीय देयताएं	23,782.21	23,782.21	19,227.07	19,227.07
कुल	**310,116.92**	**302,916.59**	**263,543.17**	**265,016.87**

उचित मूल्य पर न मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की मूल्यांकन पद्धतियां

उपर्युक्त वित्तीय दस्तावेजों, जो रिकार्ड नहीं किए गए हैं और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर नहीं मापे गए हैं, के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त सिद्धांत तथा अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। ये उचित मूल्य केवल प्रकटन प्रयोजन के लिए परिकलित किए गए थे। निम्नलिखित सिद्धांत तथा अवधारणाएं केवल उपर्युक्त तालिकाओं में दस्तावेजों से संबंधित हैं।

वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, जिनकी अल्पावधि परिपक्वता (बारह माह से कम) है, के लिए ली जाने वाली धनराशि जो हानि का निवल हैं, उनके उचित मूल्य के उपयुक्त लगभग हैं। इन दस्तावेजों में नकद एवं शेष, व्यापार प्राप्य, संविदा परिसंपत्तियां, नकद एवं नकद समतुल्य को छोड़कर, शेष व्यापार प्राप्य और विशिष्ट परिपक्वता के बिना संविदा देयता शामिल हैं।

ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य का परिकलन पोर्टफोलियो आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करके, समान विशेषताओं पर आधारित समान समूहों में यथा संभव ऋणों का समूह बनाकर परिकलित किया जाता है। कंपनी फिर छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडलों, जो ऋणों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करके ब्याज दर अनुमानों को शामिल करते हैं, का प्रयोग करके पूरे पोर्टफोलियो में उचित मूल्य का परिकलन एवं बहिर्वेशन करती है। जहां यह सूचना उपलब्ध नहीं होती है, कंपनी ऐतिहासिक अनुभव तथा अपने सामूहिक हानि मॉडलों में प्रयुक्त अन्य सूचना का प्रयोग करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के मूल्य वास्तविक अथवा अनुमानित राशियों का प्रयोग करते हुए और प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम को शामिल करते हुए उन राशियों में से घटाकर संविदागत नकद प्रवाह पर आधारित छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किए जाते हैं।

जारी किए गए ऋण

कंपनी की निर्धारित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और सहायक देयताओं का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर दर्शाने वाली छूट दर का प्रयोग कर छूटशुदा नकद प्रवाह ("डीसीएफ") पद्धति लागू कर निर्धारित किया जाता है। 31 मार्च, 2020 को निजी गैर–निष्पादक जोखिम अपर्याप्त मूल्यांकित किया गया था।

कंपनी द्वारा ली गई अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियां, उधार और सहायक देयताएं परिवर्ती दर सुविधाएं हैं जो उल्लिखित ब्याज दर तत्वों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अधीन, इन सुविधाओं पर पहला ऋण कंपनी के ऋण योग्यता में परिवर्तनीय से परिवर्तन के अधीन है। प्रबंधन का विश्वास है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों से अनुमानित रूप से निकट हैं। अतः प्रबंधन यह आकलन करता है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित लिए जाने वाले मूल्यों के लगभग है।

55. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटनः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
वर्ष के अंत में शेष अप्रदत्त मूल राशि	0.15	2.65
वर्ष के अंत में शेष अप्रदत्त पर देय ब्याज	-	0.39
वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित एमएसएमई विभाग अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा दिया गया ब्याज	-	-
भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय तथा भुगतान योग्य ब्याज परंतु एमएसएमई विभाग अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित ब्याज जोड़े बिना	0.14	-
वर्ष के अंत में लगाया गया ब्याज तथा शेष अप्रदत्त	0.53	0.39
जब उपर्युक्त देय ब्याज वास्तविक रूप से लघु उद्यमों को दिया गया हो, उस तारीख तक परवर्ती वर्षों में भी शेष देय तथा भुगतान योग्य अन्य ब्याज	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

56. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

56.1 संबंधित पक्षकारों की सूची

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री संजीव कुमार गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 01 जून 2020 से एवं निदेशक तकनीकी
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) 31 मई 2020 तक
श्री अजय चौधरी	निदेशक (वित्त) 01 जून 2020 से
श्री प्रवीण कुमार सिंह	पीएफसी के नामित निदेशक (गैर – कार्यकारी निदेशक 18 जून 2019 से)
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर – कार्यकारी निदेशक 02 सितंबर 2019 से)
डॉ. अरुण कुमार वर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर – कार्यकारी निदेशक 02 सितंबर 2019 तक)
डॉ. भागवत किशनराव कराड	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (11 मार्च 2020 तक)
श्रीमती आशा स्वरूप	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (7 फरवरी 2020 तक)
श्री अरवमुदन कृष्णा कुमार	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (12 नवंबर 2019 तक)
प्रोफेसर टी. टी. राम मोहन	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (12 नवंबर 2019 तक)
श्री जे.एस. अमिताभ	कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

(2) मुख्य होल्डिंग कंपनी

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

(3) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड – 29 अगस्त 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) हस्तांतरित की गयी।
भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड – 11 सितंबर, 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।
उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड–12 सितंबर, 2019 को स्टेरलाइट ग्रिड को हस्तांतरित की गयी।
अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड– 03 अक्टूबर, 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।
डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड – 14 अक्टूबर 2019 को अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई।
लकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड–13 नवंबर 2019 को अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई।
जम खम्बालिया ट्रांस्को लिमिटेड – 13 नवंबर 2019 को अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई।
रामपुर संभल ट्रांस्को लिमिटेड – 02.05.2019 को निगमित की गई और 12 दिसंबर, 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

(4) संयुक्त उपक्रम

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)
क्रेगटन एनर्जी लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)
ईईएसएल एनर्जीप्रो असेस्ट्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)
एडिना एक्विजिशन लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)
एनेस्को एनर्जी सर्विसेज साउथ लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)
एडिना लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)
ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)
एडिना आस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)
एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)
स्टेनबैक लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)
एडिना यूके लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)
एडिना पावर लिमिटेड लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)
अरमौरा होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

समेकित लेखा टिप्पणियां

एडिना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)
ईपीएसएल ट्राई जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)
एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड

(5) नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास

आरईसी लिमिटेड अंशदान भविष्य निधि न्यास
आरईसी उपदान निधि
आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास
आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा न्यास

(6) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी

आरईसी फाउंडेशन
नियंत्रक कंपनी की निम्नलिखित जुड़े पक्षकार आरईसी के जुड़े पक्षकार हैं:

(1) धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 मई 2020 तक)
श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लोन	निदेशक (परियोजना) 12 जून, 2019 से 31 मई 2020 तक , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 1 जून 2020 से
श्री नवीन भूषण गुप्ता	निदेशक (वित्त)
श्री प्रवीण कुमार सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक)
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजना) – 30 अप्रैल, 2019
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सरकार द्वारा नामित (गैर – कार्यकारी निदेशक 28 अगस्त 2019)
श्री अरुण कुमार वर्मा	सरकार द्वारा नामित (गैर – कार्यकारी निदेशक 27 अगस्त 2019)
श्रीमती गौरी चौधरी	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री रामचन्द्र मिश्रा	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक 11 जुलाई 2019 से
श्री सीताराम पारिक	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (5 फरवरी 2020 तक)
श्री मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव

(2) मुख्य धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनियां

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्रा.) लिमिटेड (पीईसीएपी) (पीईसीएपी का स्वैच्छिक समापन विद्युत मंत्रालय,भारत सरकार के विचाराधीन है।)

(3) मुख्य धारक कंपनी की संबद्ध कंपनियां

बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड
बिहार मेगा पावर लिमिटेड
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
देवघर इंफ्रा लिमिटेड
देवघर मेगा पावर लिमिटेड
घोघरापल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड
ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड
ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड

समेकित लेखा टिप्पणियां

भुज–II ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से– 16 अक्तूबर, 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की गई।)
बिजवाड़–विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल – नेशनल कमेटी ऑन ट्रांसमिशन (एनसीटी) के माध्यम से

बीकानेर–खेतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से– 19 सितंबर,2019 को अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई)
फतेहगढ़–II ट्रांस्को लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से– 14 अक्तूबर, 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की गई)
करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से 20 नवंबर, 2019 को निगमित)
कोप्पल नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से 18 नवंबर, 2019 को निगमित)

लकड़िया–वड़ोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से– 26 नवंबर, 2019 को स्टेरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई)

मेरठ – सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम– से 19.12.2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की गई)
शोंगटोंग–करछम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से– हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)
टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से – हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)
वापी–II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से)

(4) धारक कंपनी की नियोजन पश्चात हितलाभ योजना

पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
पीएफसी कर्मचारी उपदान न्यास
पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007
पीएफसी लि. अधिवर्षिता चिकित्सा निधि

56.2 संबद्ध पक्षकारों से/को बकाया राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
एसोसिएट्स		
एसोसिएट्स को ऋण	9.33	9.06
देय	0.68	0.08
नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	8.70	3.00
ऋण प्रतिभूतियां – धारक कंपनी	19.90	18.50
अन्य वित्तीय देयताएं– भारत सरकार के सर्विस्ड बॉण्ड	29.30	29.30
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां– अन्य	0.38	31.78
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.21	2.77
धारक कंपनी का नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	4.10	4.10
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.10	1.00
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.33	0.46
धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.12	0.10

समेकित लेखा टिप्पणियां

56.3 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड		
प्रदत्त लाभांश	1,143.44	-
निदेशक के बैठक का शुल्क	0.02	-
नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	31.78	99.58
कंपनी द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	5.70	-
भारत सरकार द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	29.30
होल्डिंग कंपनी द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	1.40	-
वित्त लागत – प्रदत्त ब्याज	1.70	0.27
धारक कंपनी के नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
कंपनी के बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	-
वित्त लागत – प्रदत्त ब्याज	0.33	-
मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	-	-
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय	0.01	0.09
वित्त लागत	0.02	0.02
कर्मचारी लाभ व्यय – प्रबंधकीय पारिश्रमिक	2.45	2.65
निदेशकों का बैठक शुल्क	0.17	0.24
मुख्य धारक कंपनी कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
वित्तीय लागत	0.01	-

56.4 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन की निबंधन और शर्तें

कंपनी संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन करती है जिसे बड़ी निकटता (आर्म की लंबाई के आधार पर) से किया जा रहा है। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक और स्टाफ ऋण कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप हैं। इसके अलावा, संबंधित पक्षकारों को भुगतान की गई वित्तीय लागत कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण होती है और ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉण्डधारकों के लिए समान रूप से लागू होती है।

56.5 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
(i)	अल्पावधि कार्मिक लाभांश	2.25	2.44
(ii)	कार्मिक पश्चात लाभांश	0.20	0.21
	जोड़	**2.45**	**2.65**

चूंकि, उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए देयताएं प्रत्येक अलग–अलग कर्मचारी के बजाए समग्र रूप से कंपनी के लिए वास्तविक आधार पर लिए जाते हैं, अतः विशेष रूप से केएमपी से संबंधित धनराशि ज्ञात नहीं है और इसीलिए उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं की गई है। उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति उपर्युक्त तालिका में संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल की गई है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

56.6 उसी सरकार (कंपनियों से संबंधित सरकार) के नियंत्रणाधीन कंपनियों के संबंध में प्रकटन

सरकार से संबंधित एंटीटियों की सूची

कंपनी का वर्ष के दौरान सरकार से संबंधित एंटीटियों से लेन–देन;
भारतीय रेल बिजली कंपनी लि.
भिलाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड
बिहार ग्रिड कंपनी लि.
दामोदर घाटी निगम
नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड
नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लि.
एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लि.
पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
टीएचडीसी इंडिया लि.
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

सरकार से संबंधित एंटिटियों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
ऋण का संवितरण	1,437.18	3,583.67
ब्याज आय को मान्यता	2,139.65	1,935.27

सरकार से संबंधित एंटिटियों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
ऋण परिसंपत्तियां	21,612.09	21,034.76
ब्याज उपचित	248.04	15.88

केंद्र सरकार के साथ वास्तविक लेन–देन के संबंध में टिप्पणी संख्या 12,21.2.(i), 23 और 33 देखें।

57 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 'पट्टे' के संबंध में प्रकटन

कंपनी ने दिनांक 30.03.2019 को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 के जरिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित किए अनुसार दिनांक 01.04.2019 से संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग कर भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 – 'पट्टे' को अपनाया था। इस मानक के अंतर्गत कंपनी को इस बात की आवश्यकता होती है कि वह भविष्य में इस तरह के पट्टों के लिए देय राशियों के संबंध में समतुल्य पट्टे पर देय परिसंपत्ति के रूप में तुलन पत्र में प्रत्येक पट्टे को मान्यता दे। हालांकि, कंपनी ने अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के संबंध में मान्यता देने के लिए छूट का प्रयोग किया है। लघु अवधि के पट्टों में समाप्ति के विकल्प के साथ पट्टे शामिल होते हैं, जहां ऐसे पट्टों को समाप्त करने के लिए कोई बड़ी आर्थिक हानि नहीं होती है। इस तरह के समझौते पट्टा–परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करने और कंपनी की व्यावसायिक जरूरतों के साथ उन्हें संरेखित करने के लिए किए जाते हैं।

कंपनी को कार्यालय भवन, गोदाम, कार्यालय उपस्कर और संबंधित सुविधाओं के लिए पट्टे करने होते हैं। प्रत्येक पट्टा आम तौर पर कोई न कोई प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि कंपनी के लिए किसी अन्य पक्षकार को परिसंपत्ति को प्रस्तुत करने का अनुबंधात्मक अधिकार नहीं दिया जाता है, सही–उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति केवल कंपनी द्वारा ही उपयोग में लाई जा सकती है। कुछ पट्टों में पट्टे को आगे के लिए विस्तारित करने का विकल्प होता है। कंपनी को अंतर्निहित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को सुरक्षा के रूप में बेचने या गिरवी रखने से प्रतिबंधित किया गया है। कार्यालय भवनों और अन्य परिसरों में पट्टों के लिए कंपनी को उन परिसंपत्तियों की मरम्मत कर उन्हें अच्छी स्थिति में रखना चाहिए और पट्टे के अंत में अपनी मूल स्थिति में परिसंपत्तियों को वापस करना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी को पट्टे के संविदाओं के अनुसार रखरखाव शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

क. पट्टा देयता के मापन में पट्टा भुगतान शामिल नहीं है

पट्टे की देयता की मापन में शामिल नहीं किए गए भुगतान से संबंधित व्यय निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20
अल्पावधि पट्टा	12.84
कम मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे	0.02
अस्थाई पट्टा भुगतान	-
कुल	**12.86**

समेकित लेखा टिप्पणियां

ख. पट्टे के लिए नकदी आउटफ्लो

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20
अल्पावधि पट्टा	12.89
कम मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे	0.02
अस्थाई पट्टा भुगतान	0.88
कुल	**13.79**

ग. संक्रमण प्रभाव

1 अप्रैल 2019 के अनुसार एएस 17 से इंड एस 116 से वित्तीय विवरणों लाइन मदों के पुनर्समाधान निम्न है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार धारित राशि	पुनः मापन	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार इंड एएस 116 धारित राशि
उपयोगी परिसंपत्तियों का अधिकार	1.28	2.65	3.93
पट्टा देयताएं	(0.11)	(2.65)	(2.76)
कुल	**1.17**	**-**	**1.17**

घ. वर्ष के दौरान धारित राशि के पट्टा देयताएं एवं संचलन निम्न निर्धारित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20
प्रारम्भिक शेष	2.76
अवधि के दौरान उपचित वित्तीय लागत	0.29
वर्ष के दौरान अदायगी	(0.93)
समाप्ति पर	**2.12**

च. नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2020 तक पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–20 के अनुसार
1 वर्ष	1.00
1–5 वर्ष	1.42
5 वर्ष से अधिक	**-**

छ. बढ़ाने और समाप्ति के विकल्प

ऐसी कई पट्टा संविदाएं हैं जिनमें विस्तार और समाप्ति के विकल्प शामिल हैं जिनके बारे में नीचे पुनरू चर्चा की गई है।

कंपनी के कई पट्टे संविदा हैं जिनमें विस्तार और समाप्ति विकल्प शामिल हैं। पट्टा–परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करने और कंपनी की व्यावसायिक जरूरतों के साथ उन्हें संरेखित करने के लिए प्रबंधन द्वारा इन विकल्पों पर बातचीत की जाती है। प्रबंधन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि क्या इन विस्तार और समाप्ति विकल्पों का उचित रूप से प्रयोग किया जाना निश्चित है।

पट्टों का विस्तार करने और समाप्त करने के विकल्पों पर विचार करते समय पट्टा अवधि निर्धारित करने के लिए कंपनी की अंतर्दृष्टि का उपयोग करने से लाभ हुआ है।

पट्टे की अवधि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय

पट्टे की अवधि निर्धारित करने में, प्रबंधन उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है जो विस्तार विकल्प का उपयोग करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं या किसी समापन विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं। विस्तार विकल्प (या समाप्ति के विकल्प के बाद की अवधि) केवल पट्टा अवधि में तब ही शामिल किए जाते हैं जब पट्टे को यथोचित रूप से बढ़ाया जाना निश्चित होता है (या समाप्त नहीं किया गया होता है)।

यदि कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जो इस मूल्यांकन को प्रभावित करता है और जो पट्टेदार के नियंत्रण में होता है, तो मूल्यांकन की समीक्षा की जाती है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

ज. अन्य संक्रमण विवरण

(i) "1 अप्रैल 2019 से प्रभावी, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 "पट्टों" को अपनाया है और संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण को लागू किया है, जहां संक्रमण की तारीख को उपयोग के अधिकार को 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार मौजूदा सभी पट्टा संविदाओं के लिए प्री–पेड और किराए के प्रोद्भवन के उपयुक्त समायोजन के साथ माना जाता है कि यह संक्रमण पर मान्यता दी गई पट्टा देयता के बराबर है।

"संक्रमण पर, नए मानक को अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.65 करोड़ की पट्टा देयता और ₹ 2.65 करोड़ की उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को मान्यता दी गई।

(ii) 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार मौजूदा संविदाओं के लिए कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 17 में दी गई किसी पट्टे की परिभाषा को लागू करने का चुना है और ऐसी व्यवस्थाओं के लिए इंड एएस 116 को लागू नहीं किया है जिनकी पहचान पहले इंड एएस 17 के तहत पट्टे के रूप में नहीं की गई थी।

(iii) कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तारीख में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों पर क्षतिपूर्ति की समीक्षा करने के बजाय, कंपनी ने अपने ऐतिहासिक आकलन पर भरोसा किया है कि क्या पट्टे इंड एएस 116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख से ठीक पहले कठिनाई में थे।

(iv) संक्रमण पर, 12 महीने से कम की शेष लीज अवधि वाले प्रचालनरत पट्टों के रूप में पूर्व में परिकलित पट्टों के लिए और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए समूह ने उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता न देने, बल्कि शेष पट्टा अवधि में एक सीधी रेखा आधार पर पट्टा खर्च की गणना के लिए वैकल्पिक छूटों को लागू किया है।

58. भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के तहत अपेक्षित कर्मचारी लाभों के लिए प्रकटन

58.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत पंजीकृत पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि का निर्धारित अंशदान देता है जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। न्यास सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले योगदान पर ब्याज की दर घोषित करेगा, जो वर्ष के दौरान इसके निवेशों से अर्जित लाभ पर आधारित होगा साथ ही यह 'कर्मचारी भविष्य निधि' द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर के आधीन होगा। निश्चित की गई लाभ की दर के अनुसार सदस्यों का किये जाने वाले ब्याज के भुगतान संबंधी किसी कंपनी के द्वारा निदान किया जाएगा। कंपनी का अनुमान है कि इस संबंध में निकट भविष्य में किसी प्रकार देयता की समस्या नहीं होगी। और इसलिए किसी भी अग्रिम प्रावधान पर विचार किया जाना आवाश्यक नहीं है।

आरईसीपीडीसीएल एवं आरईसीटीपीसीएल के मामले में, कोई पृथक न्यास नहीं है और कंपनी परिभाषित अंशदान योजनाओं में भविष्य निधि अंशदान करती है।

ख. परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी एनपीएस न्यास/पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर अधिवर्षिता योजना के निमित्त निर्धारित अंशदान देती है जो निधियों का अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। एनपीएस न्यासध्पृथक न्यास में शेष में संचित आय सहित सदस्यों के खाते में मासिक अंशदान शामिल होता है। जब सदस्य को पेंशन देय होती है तो सदस्य के खाते में रही राशि का विनियोजन सदस्य के संचय के निमित्त किया जाता है और सदस्य द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार वार्षिकी आबंटित की जाती है।

समूह ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के निमित्त 15.42 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष 14.87 करोड़ रुपए) का व्यय माना है।

58.2 परिभाषित लाभ योजनाएं – नियोजन पश्चात लाभ

क. उपदान

कंपनी में एक परिभाषित उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, यथासंशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिवर्षिता, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, अपंगता अथवा मृत्यु पर अधिकतम 0.20 करोड़ रुपए के अधीन पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर उपदान का हकदार होता है।

परिभाषित लाभ योजनाएं – नियोजन पश्चात लाभ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	36.82	42.41
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	35.47	44.15
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	1.35	(1.74)

समेकित लेखा टिप्पणियां

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
आरंभिक शेष	**42.41**	**52.59**	**44.15**	**48.66**	**(1.74)**	**3.93**
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	2.27	2.59	-	-	2.27	2.59
ब्याज लागत/आय	2.95	4.00	3.40	3.71	(0.45)	0.29
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	**5.22**	**6.59**	**3.4**	**3.71**	**1.82**	**2.88**
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (प्राप्ति)						
–वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	1.82	(0.31)	-	-	1.82	(0.31)
–जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	-	(1.44)	-	-	-	(1.44)
–अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.89)	(3.69)	-	-	(0.89)	(3.69)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	-	-	(0.41)	0.22	0.41	(0.22)
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**0.93**	**(5.44)**	**(0.41)**	**0.22**	**1.34**	**(5.66)**
भागीदारों द्वारा अंशदान	-	-	-	2.84	-	(2.84)
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	-	-	0.06	0.05	(0.06)	(0.05)
भुगतान किए गए हितलाभ	(11.74)	(11.33)	(11.73)	(11.33)	(0.01)	-
वर्ष समाप्ति पर शेष	**36.82**	**42.41**	**35.47**	**44.15**	**1.35**	**(1.74)**

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्त के बाद चिकित्सा सुविधा है जिसके तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार शामिल किया जाता है। इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और एक पृथक न्यास द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इसके निमित्त देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	136.42	129.77
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	140.64	97.99
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	(4.22)	31.78

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
आरंभिक शेष	**129.77**	**105.19**	**97.99**	**-**	**31.78**	**105.19**
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	2.80	2.06	-	-	2.80	2.06
ब्याज लागत/आय	9.73	7.99	7.55	1.25	2.18	6.74
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	**12.53**	**10.05**	**7.55**	**1.25**	**4.98**	**8.80**

समेकित लेखा टिप्पणियां

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (प्राप्ति)	18.85	(6.34)	-	-	18.85	(6.34)
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	-	1.20	-	-	-	1.20
– जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(15.32)	29.44	-	-	-15.32	29.44
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	-	-	3.32	-	-3.32	-
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**3.53**	**24.30**	**3.32**	**-**	**0.21**	**24.30**
भागीदारों द्वारा अंशदान	-	-	31.78	96.74	(31.78)	(96.74)
भुगतान किए गए हितलाभ	(9.41)	(9.77)	-	-	(9.41)	(9.77)
वर्ष समाप्ति पर शेष	**136.42**	**129.77**	**140.64**	**97.99**	**(4.22)**	**31.78**

ग. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी में सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की स्थायी अपंगताध्मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना वित्तपोषणरहित है और देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
–ईआरएस	4.25	3.69

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
आरंभिक शेष	**3.69**	**3.34**
लाभ अथवा हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.16	0.18
ब्याज लागत/आय	0.26	0.25
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	**0.42**	**0.43**
ओसीआई में शामिल		
पुनःमापन हानि (प्राप्ति)		
–वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.34	(0.02)
–अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.99	0.75
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**1.33**	**0.73**
भुगतान किए गए हितलाभ	(1.19)	(0.81)
वर्ष समाप्ति पर शेष	**4.25**	**3.69**

समेकित लेखा टिप्पणियां

58.2.1 जोखिम प्रकटन

कंपनी अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कई जोखिमों को लेती है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

(i) परिसंपत्ति अस्थिरता

अधिकतर योजना परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च दर वाली ग्रेडों और म्युच्युअल फंडों के साथ अन्य निर्धारित आय प्रतिभूतियों में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों तथा अन्य बाजार और सूक्ष्म आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के अधीन होता है।

(ii) छूट दर में परिवर्तन

परिभाषित लाभ योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य छूट दर का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार परिणामों के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, यद्यपि यह योजनाओं के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट होगी।

(iii) दीर्घता जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य वर्ष के दौरान योजनागत प्रतिभागियों की मृत्यु और उनके नियोजन के बाद सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। योजनागत प्रतिभागियों की जीवन आशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) वेतन जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजनागत प्रतिभागियों के भावी वेतनों के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, योजनागत प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

58.2.2 योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ	
	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
नकद एवं नकदी समतुल्य	**0.93**	**0.61**	**3.40**	**0.65**
अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां				
कारपोरेट बॉण्ड/ डिबेंचर	-	-	137.24	97.34
अन्य – बीमाकर्ता का फंड एवं टी–बिल प्रतिबंधित	34.54	43.54	-	-
उप– जोड़ अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	**34.54**	**43.54**	**137.24**	**97.34**
जोड़	**35.47**	**44.15**	**140.64**	**97.99**

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक आय 13.86 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष 5.16 करोड़ रुपए) है।

58.2.3 महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणाएं

योजनागत परिसंपत्तियों का सबसे हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य मैसर्स ट्रांसवेल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा 31 मार्च, 2020 के अनुसार दिया गया था। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा विगत सेवा लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके मापी गई थी। बीमांकिक मूल्यांकनों के लिए प्रयुक्त मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
विधि का उपयोग	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम
योजनागत परिसंपत्तियों पर रियायती दर और प्रत्याशित प्रतिफल, यदि वित्त पोषित है	6.72%	7.71%	6.72%	7.71%	6.72%	7.71%
भविष्य की वेतन वृद्धि / चिकित्सा मुद्रास्फीति	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
कर्मचारियों के काम के औसत शेष जीवन (वर्ष)	15.41	13.12	15.41	13.12	15.41	13.12

अवधारणाएं छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन हैं। छूट दर सामान्यतः उस अवधि में रिपोर्टिंग तारीख को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार परिणामों के आधार पर होती है जो देयताओं के अनुरूप होती है और वेतन वृद्धि दर दीर्घावधि आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों ध्यान में रखती है। उपर्युक्त सूचना बीमांकन द्वारा प्रमाणित है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

58.2.4 संवेदनशीलता विश्लेषण

एक संगत बीमांकिक अवधारणा में रिपोर्टिंग तारीख को उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तनों को अन्य अवधारणाओं को स्थिर रखने से नीचे दर्शाई गई राशि तक परिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित हुआ होता।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% संचलन)				
–उपदान	(0.77)	0.94	(0.89)	1.10
–पीआरएमएस	(10.02)	10.48	(0.77)	0.84
–ईआरएस	(0.15)	0.17	(0.13)	0.15
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन)				
–उपदान	0.14	(0.11)	0.15	(0.12)
–पीआरएमएस	-	-	-	-
–ईआरएस	0.16	(0.14)	0.14	(0.12)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)				
–पीआरएमएस	9.74	(9.39)	6.31	(5.92)
चिकित्सा लागत (0.10% संचलन)	-	-	-	-
–पीआरएमएस	13.99	(13.42)	12.98	(12.98)

उपर्युक्त प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक–दूसरे के अलग होने में होंगे क्योंकि कुछ अवधारणाएं सह–संबंधित हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित परिणाम कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित नकद बहिर्प्रवाह से मेल खा रहे हैं। निवेश ऐसे सुविविधीकृत हैं कि किसी भी एक निवेश की विफलता का परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। पूर्व अवधियों से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

58.2.5 भावी वर्षों में परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
एक वर्ष से कम	11.95	13.10	9.89	10.38	1.26	0.88
1 से 5 साल तक	21.20	31.68	58.86	64.73	3.89	3.35
5 साल से परे	32.68	31.98	231.09	254.11	5.35	3.12
कुल	**65.83**	**76.76**	**299.84**	**329.22**	**10.50**	**7.35**

58.2.6 अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
प्रत्याशित अंशदान	3.29	1.72	-	34.74	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.57 वर्ष है (31.03.2019 को – 12.76 वर्ष)।

समेकित लेखा टिप्पणियां

58.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

58.3.1 अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश

आरईसी में कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्धवेतन अवकाश लाभ के लिए प्रावधान है जो अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन लगता है। अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश सेवाकाल के दौरान किसी समय संचित किया जा सकता है। यद्यपि, अर्धवेतन अवकाश को संचित करने की कोई सीमा नहीं है। आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कर्मचारी केवल एक वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद अवकाश नकदीकरण के पात्र हैं और अलग होने के समय पूरी राशि दी जाती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है। इन कर्मचारी लाभों के निमित्त कुल 8.00 करोड़ रुपए की व्यय राशि (पूर्व वर्ष 7.41 करोड़ रुपए) दी गई है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में नामे डाली गई है।

58.3.2 अन्य कर्मचारी लाभ

लंबी सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ता के निमित्त 0.93 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष 1.43 करोड़ रुपए) का व्यय बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में नामे डाला गया है।

आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल के मामले में, कर्मचारियों को वफादारी प्रोत्साहन मृत्यु के कारण अलग होने के मामले को छोड़कर केवल निरंतर सेवा के तीन वर्ष पूरा करने के बाद देय होता है। कंपनी से बाहर जाने वाले कर्मचारियों को देयों का भुगतान उनके अलग होने के समय जारी किया जाता है। 0.15 करोड़ रुपए की राशि का व्यय (पूर्व वर्ष 0.18 करोड़ रुपए) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में नामे डाला गया है।

59. राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) – जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित मौजूदा इकाइयों को 23 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए विभाजन आदेश के जरिए पुनर्गठित कर दिया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ समझौतों पर अमल अभी होना बाकी है। इस तरह से प्रलेखन का निष्पादन लंबित होने के कारण, उत्पादन, टी एंड डी और सरकारी योजनाओं को मौजूदा ऋण समझौतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जा रही हैं/का पुनर्भुगतान किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

(i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव–निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।

(ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वालीध्नव–निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/ नव–निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव–निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।

(iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।

(iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव–निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग–अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

60. कंपनी के प्रचालनों में केवल एक क्षेत्र आता है – विद्युत संयंत्रों के निर्माण और विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और पारेषण में लगी विद्युत क्षेत्र के कंपनियों को भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड द्वारा अपेक्षित व्यापार/भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में ऋण उधार देना। भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर मुख्य प्रचालन प्रभार निर्माता एक व्यापारिक क्षेत्र के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

60.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
(क) ऋण परिसंपत्तियों से आय	29,441.76	24,869.97
(ख) सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शुल्क	19.52	83.02
(ग) अल्पावधि अधिशेष फंड के प्रबंधन से आय	81.95	55.48
(घ) सेवाओं की बिक्री से राजस्व	182.11	169.93
कुल	**29,725.34**	**25,178.40**

60.2 इस समूह में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि समूह के प्राथमिक प्रचालन देश के भीतर किए जाते हैं।

60.3 किसी भी लेनदार ने वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2018–19 के दौरान समूह के राजस्व में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंशदान नहीं किया है।

61. समेकन के लिए अनुषंगी कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियों हेतु विचारार्थः

क. कंपनी की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी कंपनियां

एंटीटी के नाम	कारोबार का स्थल/ निगमनो का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व	
		31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)	भारत	100%	100%
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	भारत	100%	100%

ख. संयुक्त उद्यम

एंटीटी के नाम	कारोबार का स्थल/ निगमनो का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व	
		31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
एनर्जी एफिशिएन्शी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)*	भारत		
ओनरशिप इंटरेस्ट		22.18%	21.70%
धारित राशि **		258.47	179.63

**वित्तीय वर्ष 2019–20 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए इन पर विचार किया गया है। वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए आंकड़े लेखापरीक्षा के पूरा होने पर बदल सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 की लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद के आंकड़ों के प्रभाव को चालू वर्ष में समायोजित किया गया है।*

***निवेश की उद्धृत कीमत उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कंपनी के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं*

ग सहायक कंपनियाँ

एंटीटी के नाम	कारोबार का स्थल/ निगमनो का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व ब्याज	
		31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%

समेकित लेखा टिप्पणियां

एंटीटी के नाम	कारोबार का स्थल/ निगमनो का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व ब्याज	
		31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड	भारत	-	100.00%
भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	-	100.00%
जम खंबालिया ट्रांस्को लिमिटेड	भारत	-	100.00%
खेतड़ी ट्रांस्कों लिमिटेड	भारत	-	100.00%
लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड	भारत	-	100.00%
उडुपी कासरगोड़े ट्रांस्को लिमिटेड	भारत	-	100.00%
डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड **	भारत	-	100.00%
रामपुर संभल ट्रांस्को लिमिटेड **	भारत	-	-
उस्मानाबाद महाराष्ट्र लाइन *	भारत	-	-
बिदर कर्नाटक लाइन*	भारत	-	-
गदग कर्नाटक पार्ट ए लाइन *	भारत	-	-
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट ए लाइन *	भारत	-	-
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट बी लाइन *	भारत	-	-
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट सी लाइन *	भारत	-	-
राजगढ़ मध्यप्रदेश लाइन *	भारत	-	-

*ये एसपीवी निगमन की प्रक्रिया में हैं। हालाँकि, आरएफपी चूंकि मार्च 2020 तक जारी किया जा चुके हैं इसलिए आवंटन नीति के अनुसार, व्यय आवंटित किया गया है।

**इन एसपीवी को वर्ष के दौरान बेच दिया गया है।

नोटः उपर्युक्त निवेश भारत सरकार (जीओआई) के अधिदेश के अनुसार प्रबंधित किए जाते हैं और कंपनी के पास इन कंपनियों की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा (संपार्श्विक) रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता नहीं है। इसलिए, कंपनी संबंधित कंपनियों में अपने निवेश पर विचार करती है क्योंकि कंपनी उनकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 100% भाग अपने पास रखने के बावजूद भी सहयोगी कंपनियां महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं।

घ इक्विटी मेथड का उपयोग करते हुए लेखाकृत संयुक्त उद्यम

ईईएसएल की सारांशीकृत वित्तीय स्थितिः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार *	31 मार्च 2019 के अनुसार *
वित्तीय परिसंपत्तियां		
नकद एवं नकदी समतुल्य	177.73	424.96
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	409.41	335.76
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3,564.63	2,270.02
उप – जोड़	**4,151.77**	**3,030.74**
गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4,957.51	3,833.63
कुल परिसंपत्तियाँ	**9,109.28**	**6,864.37**
वित्तीय परिसंपत्तियां	7,554.35	5,686.62
गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ	373.84	348.67
कुल देयताएँ	**7,928.19**	**6,035.29**
निवल परिसंपत्तियाँ	**1,181.09**	**829.08**

**संयुक्त उद्यम की अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय स्थितियों के आधार पर*

समेकित लेखा टिप्पणियां

ईईएसएल का सारंशीकृत वित्तीय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क. आय		
प्रचालनों से राजस्व	2,487.72	1,829.27
अन्य आय	87.80	93.82
कुल (क)	**2,575.52**	**1,923.09**
ख. व्यय		
वित्तीय लागतें	354.85	187.84
मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	511.17	331.49
व्यापारगत माल की खरीद	1,051.86	939.48
मालसूचियों में परिवर्तन	59.39	25.41
अन्य व्यय	519.23	296.03
कुल (ख)	**2,496.50**	**1,780.25**
ग. इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए संयुक्त उदमयों के परिकलित निवल लाभों/(हानियों) का हिस्सा	-	-
घ. कर पूर्व लाभ (क–ख+ग)	**79.02**	**142.84**
ङ. कर व्यय	(3.32)	59.01
च. अवधि के लिए लाभ (ग–घ)	**82.34**	**83.83**
छ. अन्य व्यापक आय/(हानि)	(21.60)	(0.22)
ज. कुल व्यापक आय (च+छ)	**60.74**	**83.61**
ईईएसएल से प्राप्त लाभांश	2.10	2.39

**पिछले वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा के कारण चालू अवधि में परिवर्तन के प्रभाव को समायोजित करने के बाद संयुक्त उद्यम के अनंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय कार्यनिष्पादन के आधार पर ।*

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की वहनीय राशि का पुनर्गठनः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए*
आरंभिक निवल परिसंपत्तियां	**874.58**	**690.07**
शेयर अनुप्रयोग राशि – समायोजित	(4.65)	
शेयर पूंजी में वृद्धि		(99.00)
वर्ष के लिए लाभ	308.12	213.20
अन्य व्यापक आय (करों की निवल)*	44.92	83.83
जोड़ेंरू शेयर अनुप्रयोग लंबित आबंटन	(0.48)	(0.22)
घटाएंः इक्विटी शेयर के निर्गम, सकल कर पर कारोबार लागत		0.00
घटाएंः वितरित लाभांश		
घटाएंः वितरित लाभांश कर	(9.49)	(11.03)
जोड़ेंः गैर–नियंत्रित ब्याज	(1.95)	(2.27)
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	**1,211.05**	**874.58**
घटाएंः ईएसएल के समेकित वित्तीय विवरणों में गैर–नियंत्रक ब्याज	(45.76)	(46.68)
स्वामित्वधारक पर आरोप्य इक्विटी	**1,165.29**	**827.90**

** गैर–लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों को ध्यान में रखते हुए संचालन किया गया है।*

समेकित लेखा टिप्पणियां

ईईएसएल में निवेश की वहनीय राशि में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
समूह हिस्सा %	22.18%	21.70%
निवल मूल्य में समूह का हिस्सा	258.47	179.63
वित्तीय विवरणों में निवेश की वहनीय राशि	258.47	179.63

ईईएसएल की आकस्मिक देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार**
(क) ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किये गये कंपनी के विरुद्ध दावे	नीचे नोट देखें*	92.91
(ख) कराधान मांग		
(ग) अन्य		
– लैटर ऑफ क्रेडिट		49.76
– बैंक गारंटी		174.09
कुल आकस्मिक देयताएं		**316.76**
अन्य निवेशकों के साथ संयुक्त रूप से वहन की गई संयुक्त उद्यमों की आकस्मिक देयताओं का हिस्सा		**68.73**

**31.03.2020 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल की आकस्मिक देयता का विवरण उपलब्ध नहीं है और इसलिए ऊपर तालिका में प्रस्तुत नहीं किया गया है।*

***31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल की आकस्मिक देयता के विवरण को उस वर्ष के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर अद्यतन किया गया है।*

62. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के तहत अपेक्षित समेकित कंपनियों के संबंध में प्रकटन

62.1 निवल परिसंपत्तियों अर्थात कुल परिसंपत्तियों माइनस कुल देयताओं में हिस्सा

(₹ करोड़ में)

एंटिटी के नाम	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	99.10%	35,076.56	99.30%	34,302.94
सहायक कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.48%	168.20	0.45%	155.73
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	0.32%	112.61	0.34%	118.45
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.73%	258.47	0.52%	179.63
संबद्ध कंपनियां – भारतीय				
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

एंटिटी के नाम	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड			-	0.05
भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड			-	0.05
जम खंबालिया ट्रांस्को लिमिटेड			-	0.05
खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड			-	0.05
लकाड़िया बनासकंठा ट्रांस्को लिमिटेड			-	0.05
उडुपी कसरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड			-	0.05
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	-0.62%	(219.61)	-0.61%	(210.91)
कुल	**100.00%**	**35,396.43**	**100.00%**	**34,546.34**

लाभ एवं हानि में शेयर

(₹ करोड़ में)

एंटिटी का नाम	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	98.27%	4,886.16	100.39%	5,763.72
सहायक कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.25%	12.47	0.46%	26.34
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	1.09%	54.44	0.43%	24.60
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.18%	9.14	0.17%	9.95
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	0.20%	10.06	-1.45%	(83.23)
कुल	**100.00%**	**4,972.27**	**100.00%**	**5,741.38**

अन्य व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

एंटिटी का नाम	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	99.27%	(549.79)	99.92%	(60.54)
सहायक कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	-	-	-	-
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	-	-	-	-
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.73%	(4.06)	0.08%	(0.05)
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	0.00%	-	-	-
कुल	**100.00%**	**(553.85)**	**100.00%**	**(60.59)**

समेकित लेखा टिप्पणियां

कुल व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	98.14%	4,336.37	99.33%	5,703.18
सहायक कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.28%	12.47	0.46%	26.34
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	1.23%	54.44	0.43%	24.60
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.11%	5.08	0.17%	9.90
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	0.23%	10.06	(1.45%)	(83.23)
कुल	**100.00%**	**4,418.42**	**100.00%**	**5,680.79**

63. परिसंपत्ति एवं देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक श्रृंखलाबद्ध मद के लिए 12 माह या इससे अधिक समय के भीतर वसूली/निपटान की जाने वाली संभावित राशि

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
		12 महीनों में	12 से अधिक महीने	12 महीनों में	12 से अधिक महीने
	परिसंपत्तियां				
(1)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	नकद एवं नकदी समतुल्य	1,717.71	-	381.99	-
(ख)	अन्य बैंक शेष	2,257.45	-	1,733.08	-
(ग)	व्यापार प्राप्य	110.72	-	137.72	-
(घ)	व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	1,180.60	2,138.25	325.46	1,477.12
(ङ)	ऋण	28,989.11	2,83,094.39	27,977.30	2,42,473.62
(च)	निवेश	1,501.45	625.66	102.19	2,180.94
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4,247.24	17,852.43	535.61	17,828.38
	कुल – वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	**40,004.28**	**3,03,710.73**	**31,193.35**	**2,63,960.06**
(2)	**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	2.02	407.92	1.45	291.72
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	2,050.57	-	2,305.93
(ग)	निवेश संपत्ति	-	0.01	-	0.01
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	-	156.97	-	156.63
(ङ)	चल रहे पूंजीगत कार्य	-	287.62	-	196.94
(च)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	0.77	-	1.59
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	8.82	-	8.55
(ज)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	81.96	50.41	112.64	35.77
(i)	इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए परिकलित निवेश	7.24	251.23	-	179.63
(3)	**कुल–गैर वित्तिय परिसंपत्तियां (2)**	**91.22**	**3,214.32**	**114.09**	**3,176.77**
	बिक्री के लिए धारित रखी गई वर्गीकृत परिसंपत्तियां	**9.53**	**-**	**9.56**	**-**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	**40,105.03**	**3,06,925.05**	**31,317.00**	**2,67,136.83**

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	12 महीनों में	12 से अधिक महीने	12 महीनों में	12 से अधिक महीने
देयताएं				
(1) वित्तीय देयताएं				
(क) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	58.63	1,267.10	35.68	123.72
(ख) व्यापार देय				
(i) एमएसएमई के कुल बकाया देय	0.15	-	2.65	-
(ii) एमएसएमई के अलावा लेनदारों के कुल बकाया देय	46.00	-	64.64	-
(ग) ऋण प्रतिभूतियां	48,573.11	1,71,345.14	41,345.10	1,51,422.41
(घ) उधार (ऋण प्रतिभतियों के अलावा)	19,381.60	42,169.06	7,202.91	39,459.63
(ङ) अधीनस्थ देयताएं	170.58	4,649.07	169.96	4,648.80
(च) अन्य वित्तीय देयताएं	2,171.72	21,610.49	1,399.83	17,827.24
कुल – वित्तीय देयताएं (1)	**70,401.79**	**2,41,040.86**	**50,220.77**	**2,13,481.80**
(2) गैर–वित्तीय देयताएं				
(क) चालू कर देयताएं (निवल)	-	-	-	-
(ख) प्रावधान	67.96	39.13	60.15	40.09
(ग) अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	77.94	5.29	104.60	-
कुल – गैर–वित्तीय देयताएं (2)	**145.90**	**44.42**	**164.75**	**40.09**
(3) बिक्री के रखी गई देयताओं के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी देयताएं	**0.68**	**-**	**0.08**	**-**
कुल देयताएं (1+2+3)	**70,548.37**	**2,41,085.28**	**50,385.60**	**2,13,521.89**

पूर्व वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/ पुनः समूहित किया गया है।

64. इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन–पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

65. कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों अर्थात आरईसीटीपीसीएल और आरईसीपीडीसीएल के निदेशक मंडल ने आरईसीटीपीसीएल ("ट्रांसफेरर कंपनी") के साथ आरईसीटीपीसीएल ("ट्रांसफरी कंपनी") के विलय की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे अपेक्षित अनुमोदन के अध्यधीन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा भी अनुमोदित किया गया है।

66. मास्टर निर्देश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा राशि लेने वाली कंपनी और जमा राशि लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) के निर्देश, 2016 के तहत आवश्यक प्रकटन नोट संख्या 3, 9, 10, 11, 22.1, 27.1, 46, 49, 50.1.3 (पी), 50.1.3 (एस), 50.1.3 (टी), 50.2.2, 50.3, 51, 53, 56, 64, 67, 68 में किए गए हैं।

67. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है (पिछले वर्ष शून्य)।

68. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है (पिछले वर्ष शून्य)।

69. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

लेखा संबंधी 1 से 69 तक टिप्पणियां तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन–03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135 एन

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

एस. मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020

आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)

पंजिकृत कार्यालय– कोर 4, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 (सीआईएन : L40101DL1969GOI005095

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन–पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध
(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी– व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा ग्राही कंपनी और जमा ग्राही कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के पैराग्राफ 18, जहां तक ये आरईसी लिमिटेड पर लागू हैं, के अनुसार अपेक्षित ब्योरे)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
		बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
	देयता पक्षः				
(1)	**एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम**				
	जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:				
(क)	डिबेंचर / बॉण्ड्स :				
	– प्रतिभूत	39,957.71	-	49,398.19	-
	– अप्रतिभूत	1,82,833.33	-	1,41,361.86	-
(ख)	आस्थगित क्रेडिट	-	-	-	-
(ग)	आवधिक ऋण				
	–वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण	-	-	207.33	-
	–एनएसएसएफ से अप्रतिभूत ऋण	10,326.81	-	5,121.84	-
	–बैंको से अप्रतिभूत ऋण	18,900.72	-	18,555.08	-
	–वित्तीय संस्थाओं से अप्रतिभूत ऋण	1,000.00	-	1,000.00	-
(घ)	अंतर – कारपोरेट ऋण और उधारियां	-	-	-	-
(च)	वाणिज्यिक दस्तावेज	2,925.00	-	7,975.00	-
(छ)	अन्य ऋण	-	-	-	-
	– विदेशी मुद्रा उधारियां	21,813.83	-	17,705.96	-
	–एफसीएनआर (बी) ऋण	6,985.80	-	4,327.72	-
	–अल्पावधि ऋण / मांग पर ऋण प्रतिदेय	2,755.92	-	-	-
	–फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन	2.12	-	0.11	-

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
	परिसंपत्ति पक्षः		
(2)	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं पेशगियों का ब्योरा**		
	(क) प्रतिभूत	2,35,477.68	2,05,679.19
	(ख) अप्रतिभूत	75,042.00	64,128.22
(3)	**निवेश :**		
	चालू निवेश :		
	अनुद्धृतः		
	(i) शेयरः इक्विटी	12.50	-
	अनुद्धृतः		
	(i) शेयरः (क) प्रेफरेंस	68.34	
	दीर्घावधि निवेश		
	उद्धृतः		
	(i) शेयरः इक्विटी	507.43	640.81
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	1,532.72	1,588.98
	अनुद्धृतः		
	(i) शेयरः (क) इक्विटी	258.47	179.63
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	-	-
	(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	6.12	6.18
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	47.16

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह–वार वर्गीकरण:		
	प्रावधानों की निवल राशि	
विवरण	प्रतिभूत	अप्रतिभूत
31 मार्च 2020 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	0.33
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	**2,35,477.68**	**75,041.67**
जोड़	**2,35,477.68**	**75,042.00**
31 मार्च 2019 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	0.46
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	**2,05,679.19**	**2,35,477.22**
जोड़	**2,05,679.19**	**2,35,477.68**

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह–वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार				
(क) समान समूह की कंपनियां	258.47	258.47	179.63	179.63
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	2,127.11	2,127.11	2,283.13	2,283.13
जोड़	**2,385.58**	**2,385.58**	**2,462.76**	**2,462.76**

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i) सकल जमा – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	21,255.55	20,348.44
(ii) निवल जमा – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	10,703.42	10,649.49
(iii) ऋण के समाधान हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन–03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135 एन

एस. मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020

प्रपत्र एओसी – 1

वर्ष 2019–20 के लिए अनुषंगी कंपनियों/संब)/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

भाग कः अनुषंगी कंपनियां

(₹ करोड़ में)

1	विवरण	I	II
2	अनुषंगी कंपनी का नाम	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
3	संबंधित अनुषंगी कंपनी के लिए रिपोर्ट की अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्ट की अवधि से भिन्न है	लागू नहीं	लागू नहीं
4	विदेशी अनुषंगी कंपनियों के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमिय दर	लागू नहीं	लागू नहीं
5	शेयर पूंजी	0.05	0.05
6	आरक्षित एवं अधिशेष	168.15	112.56
7	कुल परिसंपत्तियां	310.30	259.89
8	कुल देयताएं	142.10	146.60
9	निवेश	15.81	75.26
10	टर्नओवर	143.01	79.16
11	लाभ/(हानि) कराधान से पूर्व	20.34	70.55
12	कराधान हेतु प्रावधान	7.87	16.11
13	लाभ/(हानि) कराधान के पश्चात	12.47	54.44
14	प्रस्तावित लाभांश	-	-
15	शेयरधारिता का %	100.00%	100.00%

(1) अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं– शून्य

(2) अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है– शून्य

भाग खः संबद्ध और संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

	संबद्ध संस्था का नाम	दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड #	चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन–पत्र की तिथि	31–मार्च–20	31–मार्च–20	31–मार्च–20	31–मार्च–20	31–मार्च–20
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संबद्ध/संयुक्त उद्यमों के शेयर					
	संख्या	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	संबद्ध/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	होल्डिंग की परिसीमा (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	महत्वपूर्ण प्रभाव होने पर इसका विवरण	नीचे दी गई टिप्पणी का संदर्भ देखें**				
4	संबद्ध/संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किए जाने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता का आरोप्य निवल मूल्य	-	(2.14)	(1.91)	(2.08)	(1.86)

(₹ करोड़ में

संबद्ध संस्था का नाम		दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड #	चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
6	वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	(0.44)	(0.41)	(0.43)	(0.40)
i.	समेकन में विचारा गया*	-	-	-	-	-
ii.	समेकन में नहीं विचारा गया	-	(0.44)	(0.41)	(0.43)	(0.40)

\# दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड की अधिसूचना को दिनांक 25 मार्च 2019 को जारी किए गए विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के पत्र के आधार पर निरस्त किया गया और तत्पश्चात निवेश को बट्टेखाते में डाला गया।

एमसीए के साथ कंपनी का नाम हटवाने के लिए एमओपी की अनुमति वर्ष के दौरान प्राप्त कर ली गई है।

* सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोसिएट्स) को 'बिक्री के लिए रखे गए' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और लागत या उचित बाजार मूल्य (बिक्री के लिए कम लागत) जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है, इसलिए लाभ पर विचार नहीं किया जाता है।

** समूह के पास 100% शेयर पूंजी है लेकिन इन निवेशों का प्रबंधन भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार किया जाता है और समूह के पास इन कंपनियों की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिकता नहीं है। इसलिएइन कंपनियों को सहयोगी कंपनियों के रूप में माना गया है।

संयुक्त उद्यम का विवरण

(₹ करोड़ में)

संयुक्त उद्यम का नाम		एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन–पत्र की तिथि	31–मार्च–19
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संबद्ध/संयुक्त उद्यमों के शेयर	
	संख्या	21,81,00,000
	संबद्ध/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि @	218.10
	होल्डिंग की परिसीमा (%)	22.18%
3	महत्वपूर्ण प्रभाव होने पर इसका विवरण	होल्डिंग 22.18 % का शेयर तथा प्रबंधन में भागीदारी
4	संबद्ध/संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किए जाने का कारण	लागू नहीं
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता का आरोप्य निवल मूल्य	178.82
6	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) *	
i.	समेकन में विचारा गया	9.14
ii.	समेकन में नहीं विचारा गया	शून्य

@एनर्जी एफीसियेंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) केराइट इश्यू ऑफर के तहत 8 जून 2019 को ₹ 71.60 करोड़ मूल्य पर कंपनी को एनर्जी एफीसियेंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के 7,16,00,000 शेयर आवंटित किए गए। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल में कंपनी की हिस्सेदारी 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 21.70% की तुलना में 22.18% रही है।

*आंकड़े संयुक्त उद्यम के अघोषित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।

(1) संबद्ध या संयुक्त उद्यम के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं।

सात एसपीवी अर्थात् बीदर कर्नाटक लाइन, गडग कर्नाटक पार्ट ए लाइन, सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट ए लाइन, सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट बी लाइन, सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट सी लाइन, राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन और उस्मानाबाद महाराष्ट्र लाइन निगमन की प्रक्रिया में हैं और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अभी इनका प्रचालन शुरू किए जाने हैं।

(2) संबद्ध या संयुक्त उद्यम के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है।

कारोबार की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित संबद्ध कम्पनियां को जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त/हटा दिया गया है:

अनुषंगी कंपनी के नाम	विक्रय की तिथि
खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड	29-08-2019
भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	11-09-2019
उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	12-09-2019
अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड	03-10-2019
डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड	14-10-2019
जम खंभालिया ट्रांस्को लिमिटेड	13-10-2019
लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड	13-10-2019
रामपुर संभल ट्रांस्को लिमिटेड	12-12-2019

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन–03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135 एन

एस. मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) के सदस्य

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

राय

हमने आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) (इसके पश्चात "होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित) (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को मिलाकर "समूह" के रूप में संदर्भित) और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों संलग्न की है जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरणों (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन की समेकित विवरणों और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणों और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार (इसके पश्चात "समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों" के रूप में संदर्भित) शामिल है, की लेखापरीक्षा की है।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा जिस प्रकार से अपेक्षित हो, इस प्रकार से सूचना देती है और इस समय एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके समेकित नकद प्रवाह तथा इसके सार की समेकित स्थिति का भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

विचार बिन्दु का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इस समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इस अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का महत्व

1. हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 50.1.3 के संबंध में, इसकी ऋण परिसंपत्तियों तथा इसके लिए कंपनी की ओर से नियुक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के आधार पर असंवितरित आश्वासन पत्रों के संबंध में क्षति भत्ते के प्रावधान की ओर ध्यान आकृर्षित करते हैं। क्षति भत्ते का निर्धारण, जिस पर हमने भरोसा किया है, शामिल कुछ तकनीकी और व्यावसायिक विशेषता मानदंडों पर विचार करने के आधार पर किया गया है।

2. हम कंपनी पर महामारी कोविड–19 के प्रभाव के संबंध में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 52 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रबंधन का यह मत है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि महामारी से एक चालू संस्था के रूप में कंपनी की क्षमता पर कोइ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तथापि, भविष्य में महामारी में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रभाव अनिश्चित है और यह भावी वर्षों में क्षति भत्ते को प्रभावित कर सकती है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय परिवर्तित नहीं है।

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे। इन मामलों का समाधान सम्पूर्ण रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उसके संबंध में अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं रखते हैं। हमने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में किया है:

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**ऋण परिसंपत्तियों का क्षति भत्ता –** (लेखांकन नीति सं. 3.10 के साथ पठित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 50.1.3 के संदर्भ में) कंपनी एक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन करती है, जिसमें भत्ते का मूल्यांकन, क्षति के साक्ष्य के स्तर एवं क्रेडिट जोखिम के आधार पर विभिन्न चरणों में परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने वाले कुछ मानदंड/ रूपरेखा पर आधारित क्षति के लिए एक बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाता है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है:** भारतीय लेखांकन मानक 109 "वित्तीय लिखत" के उपबंधों के अनुसार, हमने अन्य पक्ष की रिपोर्ट प्राप्त की है और क्षति भत्ते के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं सहित विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/रूपरेखा को सत्यापित किया है। ऋण क्षति के मूल्यांकन और रिकवरी/निष्पादन पहलुओं के लिए उनकी मॉनीटरिंग के संबंध में ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन। मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करते हुए रिकवरियों को सत्यापित किया जाता है। ऋण शेष राशियों की पुष्टि की जाती है और उधारकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन एवं परीक्षण मुख्य नियंत्रण मापदंडों के साथ किया जाता है।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
	क्षति भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते में दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है। क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित मुख्य संकेतकों को प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर मूल्यनिरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने अंगीकृत उपरोक्त मॉडल के अलावा एक कार्यप्रणाली को अपनाया है, जिससे प्रत्येक मामले के अनुसार और छानबीन की जाती है तथा क्षति प्रभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता होने पर, उसे वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है। एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते कंपनी वित्तपोषण के कारोबार में शामिल है और यदि उपरोक्त वर्णित किसी भी महत्वपूर्ण पैरामीटर/मानदंड/मान्यताओं को अनुचित तरीके से लागू किया जाता है, तो इसका परिणाम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऋण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर वास्तविक तौर पर प्रभावित कर सकता है। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि अर्थात् कुल परिसंपत्ति का 90.07% के महत्व को देखते हुए, हमारी लेखापरीक्षा में ऋण परिसंपत्तियों की क्षति को मुख्य लेखापरीक्षा विषय समझा गया है।	ऋण परिसंपत्तियों के निष्पादन का मूल्यांकन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है, इन दस्तावेजों में ऋण पत्र, वित्तीय डेटा, मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, सावधिक वित्तीय जानकारी, पब्लिक डोमेन पर जानकारी, प्रबंधन द्वारा लागू प्रक्रिया अर्थात् ऋणों का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन, उधारकर्ता के पिछले रिकॉर्ड का आकलन करना आदि शामिल है। ऋण परिसंपत्तियों में होने वाली रिकवरियों को सत्यापित किया जाता है, ताकि उसके दबाव स्तर और वित्तीय विवरण पर क्षति भत्ते के रूप में प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके। हमने प्रबंधन के साथ, जहाँ भी अंतर्निहित कमजोरी देखी गई है, चर्चा की है और ऐसे मामलों में प्रबंधन मूल्यांकन को गहन रूप से किया जाता है। हम, अन्य पक्ष द्वारा किए गए क्षति भत्ते के अध्ययन में घटक और गणना पर भरोसा करते हैं और उसके लिए परीक्षण जांच की जाती हैं। इस तरह के घटक उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग, डिफॉल्ट/ऋण की चूक की संभावना की गणना आदि हैं। इसमें हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, ऐसे अन्य पक्ष द्वारा गोपनीय माने जा रहे अध्ययन के कुछ मापदंडों को साझा नहीं करने को ध्यान में रखते हुए सीमित है। इसके अलावा, प्रबंधन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक कार्यप्रणाली का पालन करते हुए अन्य पक्ष की रिपोर्ट में क्षति भत्ते की समीक्षा करता है और प्रत्येक मामले के आधार पर क्षति को संशोधित करता है। हमने इस तरह के संशोधन के लिए प्रबंधन से एक विस्तृत विश्लेषण प्राप्त किया है। इस संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, प्रबंधन के मूल्यांकन पर मजबूर है और हम उस पर भरोसा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.सं. 109/ 22.10.106/2019–20 के अनुसरण में सृजित किए गए आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण मानदंड (आईआरएसीपी) के संदर्भ में क्षति आरक्षित का सत्यापन।
2.	**व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन** (लेखांकन नीति सं. 3.9 के साथ पठित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के नोट सं. 9 के संदर्भ में) विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रति कंपनी के प्रकटन को कम करने के लिए, गैर–भारतीय रुपए नकदी प्रवाह को मॉनीटर किया जाता है और कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न अनुबंध किए जाते हैं। व्युत्पन्नों को भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है। कंपनी ने प्रत्याशित प्रभाव से दिनांक 01 जनवरी, 2020 से भारतीय लेखांकन मानक 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार बचाव लेखांकन आवश्यकताओं को लागू कर दिया है, जिनमें कुछ व्युत्पन्न अनुबंधों को 'नकदी प्रवाह बचाव' संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रूमेंटों के रूप में नामोद्दिष्ट किया है। इन व्यवस्थाओं को, विदेशी मुद्रा में नामित कुछ ऋण लिखतों से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करने के लिए दर्ज किया गया है। हेज अकाउंटिंग ने अपने लेखांकन/मान्यताओं की जटिलता और हेज संबंध स्थापित करने के लिए अनेक मापदंडों के साथ वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इन व्युत्पन्नों पर बाजार लाभ/हानि के चिह्न को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमने इसकी मुख्य लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रक्रिया को लागू किया है।** जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी के प्रबंधन की अवधारणा और अध्ययन नीति पर चर्चा करना और उसे समझना। व्युत्पन्न लेन–देनों का उद्देश्य अध्ययन है और देखा गया है कि यह अंतर्निहित जोखिम व्युत्पन्नों की मात्रा से अधिक नहीं है। भारतीय लेखांकन मानक 109 के संदर्भ में व्युत्पन्न के उचित मूल्य का सत्यापन व्युत्पन्न लेन–देनों की सटीकता एवं पूर्णता का परीक्षण। वर्गीकरण, मूल्यांकन और व्युत्पन्न लिखतों के मूल्यांकन प्रतिरूपों पर प्रबंधन के मुख्य आंतरिक नियंत्रण। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी से निपटान के लिए शेष/लंबित विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों को ब्योरा प्राप्त करना। ऐसे वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्राप्त उचित मूल्य के प्राक्कलन में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन। प्रयुक्त मूल्यांकन कार्यप्रणालियों की उपयुक्तता की मूल्यांकन रिपोर्टों पर भरोसा करना तथा व्युत्पन्न लिखतों के लिए नमूना आधार पर उनकी जांच करना। हमने उन बैंकों से पुष्टि भी प्राप्त की हैं जिनके पास ऐसे वित्तीय विवरणों को दर्ज किया गया है तथा अनुबंधित बैंकों द्वारा प्राप्त मूल्यांकन की स्वतंत्र रूप से तुलना की है। इसके अतिरिक्त, हमने अन्य व्यापक आय में बाजार आधारित लाभ/हानि चिह्न के लेखांकन को सत्यापित किया है। यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण प्रकटन विद्यमान लेखांकन मानकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में व्युत्पन्न मूल्यांकन जोखिमों हेतु समुचित रूप से कंपनी का प्रकटन करते हैं।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
3.	**कोविड–19 महामारी के संदर्भ में क्रियान्वित संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं** (समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 52 के संदर्भ में) कोविड–19 के लिए जिम्मेदार सार्स–कोव–2 वायरस भारत सहित विश्व में तेजी से फैल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता एवं गिरावट आई है। इसके वैश्विक और भारतीय आर्थिक गतिविधियां भी अत्यधिक रूप से भंग हुई हैं। 11 मार्च, 2020 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा कोविड –19 के प्रकोप को वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया गया। कोविड–19 महामारी के कारण, केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध लगाए गए। लॉकडाउन की अवधि वित्त वर्ष 2019–20 की समापन गतिविधियों के दौरान और उसके बाद जारी रहा। इसने हमारी लेखापरीक्षा अवधि को भी प्रभावित किया है। चूंकि अभूतपूर्व परिस्थिति के कारण व्यक्तिगत/वास्तविक रूप से लेखापरीक्षा साक्ष्यों की पहुंच बाधित हो गई थी, इसलिए लेखापरीक्षा को संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के साथ आयोजित किया जाना था। हमने ऐसी संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की मुख्य लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है।** कोविड–19 महामारी के चलते, केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा वित्त वर्ष की समापन अवधि के दौरान तथा हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और प्रतिबंध लगाए जाने के कारण, कंपनी ने भौतिक पहुंच प्रतिबंधित होने के फलस्वरूप दूरस्था लेखापरीक्षा करने की सुविधा प्रदान की थी। । जहां तक भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां कंपनी द्वारा डिजिटल माध्यम/ईमेल और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयरों के जरिए आवश्यक अभिलेख/रिपोर्ट/दस्तावेज/प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए। इस सीमा तक, लेखापरीक्षा प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर की गई, जिन पर लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में और लेखापरीक्षा अधीन वर्ष के लिए रिपोर्टिंग करने के संबंध में हमारे द्वारा भरोसा किया गया था। हमने निम्नानुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को संशोधित किया है: क. हमें ईमेल के जरिए उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों और संबंधित अभिलेखों की स्कैन प्रतियों का सत्यापन किया। ख. वीडियों कांफ्रेंसिंग, फोन कॉलध्कांफ्रेंस कॉल, ईमेल और इसी प्रकार के अन्य संचार साधानों के माध्यम से संवाद एवं विचार–विमर्श के द्वारा पूछताछ करना तथा आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करना। ग. वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने की अवधि को छोड़कर नामित अधिकारियों के साथ आमने–सामने का संपर्क करने के बजाय ईमेलों के जरिए/टेलिफोन द्वारा हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान करना। घ. महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति, अन्य व्यावसायिकों अर्थात् क्षति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली अन्य पक्ष एजेंसी, स्वतंत्र मूल्यांककों, आंतरिक लेखापरीक्षकों आदि के कार्य/रिपोर्ट इत्यादि को प्रभावित कर सकती है और इसलिए हमने उस पर भरोसा किया। ङ. हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने जिन जानकारी/स्पष्टीकरण पर भरोसा किया, वे सब हमें कंपनी द्वारा मौखिक अभिकथन के जरिए उपलब्ध कराई गई थी। च. यहां बताए गए विभिन्न साधनों के माध्यम से संपूर्ण संचार प्रक्रिया में, कंपनी के अभिलेख, जो गोपनीय हैं, भेजे गए हैं और यद्यपि, इस तरह के डेटा को एन्क्रिप्ट करके हमें बहुत सावधानी से बताया गया है, तथापि इस तरह के डेटा को अलग–अलग तरीकों से नुकसान की संभावना है। हमने कंपनी को इस संबंध में सूचित कर दिया है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को छोड़कर सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट, निगमित सुशासन की रिपोर्ट, कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट और प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण आदि शामिल है, किंतु इसमें समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उन पर हमारी रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमें ऐसी अन्य जानकारी, इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत प्राप्त होना प्रत्याशित है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर आश्वासन संबंधी निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करेंगे।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर में पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाए, को पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अनुरूप है अथवा इस लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई जानकारी अथवा अन्य प्रकार से उसका वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता हो।

जब हम ऐसी अन्य सूचना पढ़ते हैं तब यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया है तब यह अपेक्षित होता है कि हम इस मामले को शासन जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है, को सूचित करें।

प्रबंधन और उनका दायित्व, जिन्हें समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए शासन की जिम्मेदारी दी गई है

होल्डिंग कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के संबंध में, इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और यथासंशोधित ("भारतीय लेखांकन मानक") कंपनी नियमावली (भारतीय लेखांकन मानक), 2015 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133

के अंतर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी सहित इस समूह के समेकित नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हो। कंपनी के अलग–अलग निदेशक बोर्ड, जो इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में शामिल हैं, जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने तथा इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करनेय उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उनका प्रयोग करने; उन निर्णयों और अनुमानों जो उचित और विवेकपूर्ण हो, को तय करनेय और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जो भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता हो तथा जो वास्तविक गलत कथन से मुक्त हो, चाहे वह जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो और जिसका उपयोग ऊपर में उल्लेख किए गए अनुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से किया गया हो, को प्रस्तुत करने तथा तैयार करने से संबंधित लेखांकन रिकार्डों की सत्यता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में शामिल किए गए कंपनी के अलग–अलग निदेशक बोर्ड, वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए, जहां भी लागू हो, उसका खुलासा करने के लिए, वर्तमान चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार का उपयोग करते हुए इस समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, यदि प्रबंधन का उद्देश्य इस समूह का परिसमापन नहीं करने का हो अथवा इसके प्रचालनों को बंद करने का हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में शामिल किए गए कंपनी के अलग–अलग निदेशक बोर्ड इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की वित्तीय संसूचन की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इसके संबंध में अन्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों वस्तुपरक गलत सूचना से मुक्त है, चाहे वह जालसाजी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें हमारा विचार शामिल है, को जारी करने के लिए स्वतंत्र है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा वस्तुपरक गलत सूचना का पता लगा लिया जाएगा जब यह होता हो। गलत कथन जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण होता है और इसे वास्तविक माना जाता है यदि इसे अलग–अलग रूप में अथवा कुल मिलाकर देखा जाए, आशा है कि उसके कारण उचित रूप से उन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ सकता है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के वस्तुपरक गलत कथन के जोखिमों चाहे वह किसी जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की पहचान करते हैं और उसका आकलन करते हैं, उन जोखिमों पर प्रभाव डालने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाते हैं और उसका कार्य निष्पादन करते हैं तथा लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य, जो हमारे विचार के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों, प्राप्त करते हैं। किसी जालसाजी के कारण उत्पन्न होने वाले वस्तुपरक गलत कथन का पता नहीं लगाने का खतरा उस खतरे की तुलना में अधिक होता है जो किसी त्रुटि के कारण होता हो क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, जानबूझकर चूक करना, गलत बयानी करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकते हैं।

- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, का डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सक्रिय है और इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता कार्य कर रही है।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और उसके संबंध में कि किया गया खुलासा तथा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना, चाहे कोई वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में मौजूद हो, जो वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की क्षमता पर बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तब यह अपेक्षित है कि हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के बारे में अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें और यदि इस प्रकार का खुलासा हमारे विचार में संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तब भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के लिए वर्तमान चिंता के रूप में जारी रहने से रोकने के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।

- खुलासों सहित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुती, ढांचा और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और यह कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों अंतर्निहित कारोबारों को दर्शाती हो और इसके साथ ही उस तरीके से घटनाओं को दर्शाती हो जिसे उचित रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

- समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में इन कंपनियों की वित्तीय सूचना अथवा व्यापार संबंधी क्रियाकलाप के बारे में सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गईं इस प्रकार की कंपनियों की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा जो स्वतंत्र लेखापरीक्षक हों, की दिशा, पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गईं

अन्य कंपनियों जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, के लिए इस प्रकार के अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं की दिशा, पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम मुख्य रूप से अपनी लेखापरीक्षा से संबंधित राय के लिए जिम्मेदार होते हैं।

हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गई होल्डिंग कंपनी और इस प्रकार की अन्य कंपनियों का शासन का उत्तरदायित्व दिए गए व्यक्तियों को सूचित करते हैं जिसके अन्य मामलों के साथ–साथ योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्षों जिसमें आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण खामियां जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, शामिल हैं, के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं जैसा कि **ऊपर दिए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों के पैरा 3 में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अधीन उल्लिखित है।**

हम उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों जिनके बारे में उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने के बारे में सोचा जा सकता हो और जहां भी लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षात्मक उपायों की भी सूचना देते हैं।

उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इस कारण से पूरी लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले होते हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, यदि कानून अथवा विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर रोक लगाता हो अथवा जब अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करते हैं कि इस मामले की सूचना अपनी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित से संबंधित लाभों पर उचित रूप से और अधिक भारी होने की आशा होगी।

अन्य मामले

(क) हमने दो अनुषंगी कंपनियों तथा जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2020 के अनुसार ₹ 570.19 करोड़ (31 मार्च 2019 के अनुसार ₹ 841.33 करोड़) की कुल परिसंपत्तियों तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 222.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 200.22 करोड़) के कुल राजस्व और ₹ 0.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.62 करोड़) राशि के निवल नकदी प्रवाहों को दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में विचारा गया है, की लेखापरीक्षा नहीं की है। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में, ₹ 66.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 50.94 करोड़) तथा कुल व्यापक आय ₹ 66.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 50.94 करोड़) राशि के, कर उपरांत निवल लाभ के अनुषंगी कंपनियों के शेयर शामिल हैं, जैसा कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में विचारा गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गयी है तथा हमारी राय में, जहां तक इन अनुषंगी कंपनियों के संबंध में राशियों एवं प्रकटनों का संबंध है, और जहां तक उपर्युक्त अनुषंगी कंपनियों से संबंधित अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, पूर्णतयाः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

(ख) समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए, समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में विचार किए गए अनुसार इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए ₹ 9.14 करोड़ (पूर्व वर्ष में ₹ 9.95 करोड़) के कर पश्चात निवल लाभ और ₹ 5.08 करोड़ (पूर्व वर्ष में ₹ 9.90 करोड़) की कुल व्यापक आय का संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी का शेयर भी शामिल है। वित्तीय सूचना हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई है और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय जहां तक इसका संबंध राशियों और खुलासों जिसे संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के मामले में शामिल किया गया है, से संबंधित हो और साथ ही इस अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और उप धारा (11) के संबंध में हमारी रिपोर्ट, जहां तक इसका संबंध ऊपर में उल्लेख किए गए संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी से संबंधित हो, मुख्य रूप से ऐसी वित्तीय सूचना पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में इस संयुक्त उद्यम कंपनी के संबंध में शामिल किए गए निवल लाभ और कुल व्यापक आय का संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी का हिस्सा और खुलासा इस समूह के लिए सही नहीं हैं।

(ग) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की तत्कालीन कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई, दोनों पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थीं, तथा उन्होंने ऐसे वित्तीय विवरणों पर दिनांक 24 मई, 2019 को अपनी रिपोर्ट के जरिए असंशोधित राय व्यक्त की थी।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गयी हमारी विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित वित्तीय विवरणों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपरोक्त मामलों में, संशोधित नहीं की गयी है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं किः

(क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण, और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

(च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

(छ) समूह का समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के संदर्भ में और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में, "अनुबंध–क" में हमारी रिपोर्ट को देखें; तथा

(ज) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर463(ई) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 के उपबंध सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं।

(झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा पृथक वित्तीय विवरणों कि रिपोर्ट और अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों कि अन्य वित्तीय जानकारी पर भी विचार करने के आधार परः

i) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति की लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 45.1 के संदर्भ में;

ii) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;

iii) होल्डिंग कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और भारत में निगमित इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित, अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है।

मेसर्स एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नामः एस. मूर्ति
पदनाम : भागीदार
सदस्यता स : 072290
यूडीआईएनः 20072290AAAABE5939

मेसर्स ओ. पी. बाग्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. : 000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : भागीदार
सदस्यता स : 092656
यूडीआईएनः 20092656AAAADT3669

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 17 जून 2020

आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी पर उसी तिथि को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध–क

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 के अनुसार तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड) (यहां इसके उपरांत इसे "होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित किया है) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी, जोकि उक्त तिथि को, भारत में निगमित की गयी कंपनियां हैं, के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होल्डिंग कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों, इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी, जोकि भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग–निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग–निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग–दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है और लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य जिसे भारत में निगमित सहायक कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त किया गया था, समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाईन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकिः

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की परिसंपत्तियों के लेन–देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;

(2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(3) समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितयों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारे विचार से, होल्डिंग कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, सभी वास्तविक पहलुओं से एक समुचित आंतरिक वित्तीय प्रणाली है तथा अत्यधिक वित्तीय संसूचना पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त करना जो 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई वित्तीय संसूचना के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए इस समूह द्वारा तय किए गए वित्तीय संसूचना मानदंडों के बारे में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनके कंपनी के 31 मार्च, 2020 के समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जहां तक यह ऐसी दो अनुषंगी कंपनियों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की प्रचालन प्रभावकारिता और पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्टों के आधार पर है।

वित्तीय संसूचना के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जहां तक इसका संबंध संयुक्त रूप से नियंत्रित एक कंपनी से हो जो भारत में निगमित एक कंपनी है, जिसकी वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, की समुचितता और प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के संबंध में इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट तथा इस समूह की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समुचितता और कार्यचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के बारे में हमारी राय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में संयुक्त रूप से नियंत्रित इस कंपनी के बारे में शामिल किए गए समूह के निवल लाभ का हिस्सा (जिसमें व्यापक आय शामिल है) और खुलासा इस समूह के लिए सही नहीं है।

इसके अतिरिक्त, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के वित्तीय विवरणों की हमारी रिपोर्ट में प्रयुक्त लेखापरीक्षा के परीक्षणों की प्रकृति, समय एवं सीमा के निर्धारण में ऊपर बताये गये प्रकटीकरण पर विचार किया है, तथा उपरोक्त प्रकटीकरण, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

मेसर्स एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नामः एस. मूर्ति
पदनाम : भागीदार
सदस्यता स : 072290
यूडीआईएनः 20072290AAAABE5939

मेसर्स ओ. पी. बाग्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. : 000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : भागीदार
सदस्यता स : 092656
यूडीआईएनः 20092656AAAADT3669

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 17 जून 2020

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143(6) (ख) के तहत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 24 मई, 201917 जून, 2020 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, किंतु आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स की पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ ऐसा महत्त्वपूर्ण बिन्दु नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(डी. के. सेकर)
लेखा परीक्षा के महानिदेशक (ऊर्जा), दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 6 अगस्त, 2020

आरईसी कार्यालयों के पते

क्रम. सं.	कार्यालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स्थान	पता	टेलीफोन/फैक्स नंबर	ई–मेल आईडी
1	पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय	सम्पूर्ण भारत	नई दिल्ली	कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	011–43091500 011–43091501 011–24360644 (फैक्स)	contactus@recl.in
2	क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम)	महाराष्ट्र, गुजरात, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव	मुंबई	51–बी, मित्तल टावर, 5वां तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई–400021	022–22830985 022–22833068 022–22833055 022–22831004 (फैक्स)	zmmumbai@recl.in
3		राज्य कार्यालय (गुजरात) दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव	वड़ोदरा	प्लाट नंबर 585, टी.पी. स्कीम सं. 2, पुष्टि कांप्लेक्स के पीछे, आत्मा ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, वड़ोदरा–390023	0265–2397487 0265–2397652 (फैक्स)	povadodara@recl.in recvadodara@gmail.com
4	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर)	पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश	पंचकुला	बे नं. 7–8,सेक्टर–2, पंचकुला–134112	0172–2563864 0172–2563822 0172–2563863 0172–2580476 0172–2567692 (फैक्स)	popanchkula@recl.in
5		राज्य कार्यालय (हिमाचल प्रदेश)	शिमला	पंडित पदमदेव कमर्शियल कांप्लेक्स, फेज–II, प्रथम तल, दि रिज, शिमला–171001	0177–2653411 0177–2804077 (फैक्स)	poshimla@recl.in
6	क्षेत्रीय कार्यालय (जम्मू एवं कश्मीर)	जम्मू एवं कश्मीर लदाख	जम्मू	157–ए, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे, जम्मू–180004	0191–2450800 0191–2450868 (फैक्स)	pojammu@recl.in
7	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्व)	असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश	गुवाहटी	"श्रद्धा" एम जी पथ– जी एस रोड, क्रॉसिंग (सोहुम/एसबीआई प्वाइंट), क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहटी–781005	0361–2343714 0361–2343712 (फैक्स)	poguwahati@recl.in recroguwahati@gmail.com
8		राज्य कार्यालय (मेघालय)	शिलांग	जनलिन विला हॉपकिंसंस रोड, लोवर लाचूमियर, शिलांग–793001	0364–3510021 0364–2225687 (फैक्स)	poshillong.recl@nic.in
9	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर प्रदेश)	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	19/8 इंदिरा नगर एक्सटेंशन, रिंग रोड, लखनऊ –226016	0522–2716324 0522–2717376 0522–4074944 0522–2716815 (फैक्स)	zmlucknow@recl.in
10		उप कार्यालय (वाराणसी)	वाराणसी	एन–8/239जे, नेवादा, सुंदरपुर, क्षीर सागर के पास वाराणसी–221005	0522–2716324 0522–2717376 0522–4074944 0522–2716815 (फैक्स)	zmlucknow@recl.in
11	राज्य कार्यालय (उत्तराखंड)	(उत्तराखंड)	देहरादून	7, न्यू रोड, एमकेपी कॉलेज के सामने, देहरादून–248001	0135–2650766 0135–2650799 (फैक्स)	sodehradun@recl.in recsoddn@gmail.com
12	क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	भोपाल	हाल नं. 3, वेस्ट ब्लॉक, दूसरा तल, मेट्रो वाक, बिट्टन मार्केट, भोपाल –462016	0755–2460006 0755–2460008 (फैक्स)	reccentralzone@yahoo.com recbhopal@recl.in

क्रम. सं.	कार्यालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स्थान	पता	टेलीफोन/फैक्स नंबर	ई–मेल आईडी
13	क्षेत्रीय कार्यालय (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़	रायपुर	एफ–6 एवं एफ–7 ब्लॉक बी–1, प्रथम तल पुजारी चैंबर्स, कमर्शियल कांप्लेक्स, पंचपेडी नाका, रायपुर– 492001	0771–2241055 0771–2241055 (फैक्स)	recraipur@recl.in recraipur@yahoo.com
14	क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्व)	पश्चिम बंगाल, सिक्किम त्रिपुरा, अंडमान एडं निकोबार	कोलकाता	आईबी–186, सेक्टर–III साल्ट लेक सिटी, कोलकाता–700106	033–23356989 033–23356994 033–23326998 033–23356900 (फैक्स)	zmkolkata@recl.in
15	क्षेत्रीय कार्यालय (राजस्थान)	राजस्थान	जयपुर	जे–4–ए झालाना, डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर–302004	0141–2707840 0141–2700161 0141–2706986 (फैक्स)	pojaipur@recl.in recrojpr2020@gmail.com
16	क्षेत्रीय कार्यालय (केरल)	केरल एवं लक्षद्वीप	तिरूवनंतपुरम	ओ–5, चौथा तल, "सफालयम" कमर्शियल कांप्लेक्स, टीआरआईडीए भवन पलायम, तिरूवनंतपुरम– 695034	0471–2328662 0471–2328579 (फैक्स)	potrivandrum@recl.in rectrivandrum@gmail.com
17	क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु)	तमिलनाडु एवं पुदुचेरी	चेन्नई	नं. 12 एवं 13, टी.एन.एच. बी. कांप्लेक्स, 180 लूज चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई –600004	044–24672376 044–24670595 (फैक्स)	pochennai@recl.in
18	क्षेत्रीय कार्यालय (कर्नाटक)	कर्नाटक एवं गोवा	बंगलुरु	नं 1/5, रोड, अलसूर रोड, बंगलुरु–560042	080–25598244 080–25550240 080–25598243 (फैक्स)	pobangalore@recl.in
19	क्षेत्रीय कार्यालय (तेलंगाना)	तेलंगाना	हैदराबाद	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर एक्स रोड के पास, हैदराबाद – 500052	040–29805034 040–29804520 040–29806745 040–29886745 040–29804235 (फैक्स)	zmhyderabad@recl.in reclpohyd@yahoo.com reclpohyd@gmail.com
20	क्षेत्रीय कार्यालय (आंध्र प्रदेश)	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	54–15–13, बीएसआर हिल व्यू, दूसरा तल श्रीनिवास नगर बैंक कालोनी, विजयवाड़ा–520008	0866–2973405 0866–2973406 (फैक्स)	recro-vijay@recl.in recro.vijayawada@gmail.com
21	क्षेत्रीय कार्यालय (ओडिशा)	ओडिशा	भुवनेश्वर	दीनदयाल भवन, 5वां तल, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर–751009	0674–2393206 0674–2536649 0674–2536669 (फैक्स)	pobhubaneswar@recl.in repobbsr@yahoo.co.in
22	क्षेत्रीय कार्यालय (बिहार)	बिहार	पटना	'मौर्य लोक' कांप्लेक्स, ब्लॉक–सी, चौथा तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना – 800001	0612–2224596 0612–2221131	popatna@recl.in popatna@yahoo.com
23	क्षेत्रीय कार्यालय (झारखंड)	झारखंड	रांची	101 और 104, ओम श्री इंक्लेव, लोयला स्कूल के बगल में, एयरपोर्ट रोड, हिनू रांची–834002	0651–2253123 0651–2251320 (फैक्स)	poranchi@recl.in rec_ranchi@yahoo.com
24	प्रशिक्षण केंद्र	आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉवर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी)	हैदराबाद	शिवरामपल्ली, एनपीए पोस्ट, आरामघर एक्स रोड के पास, हैदराबाद–500052	040–29880851 040–29805896 (फैक्स)	recipmt@recl.in recipmt@gmail.com

यह पृष्ठ इरादतन खाली छोड़ा गया है

आर ई सी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

आरईसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)
(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)
कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
फोन : 91-11-4309 1500/1501, फैक्स : 91-11-2436 0644
ई–मेल: contactus@recl.in, वेबसाइट: www.recindia.nic.in
सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

@reclindia REC Limited